ादश माला, खंड 15, अंक 5

मंगलवार, 29 जुलाई, 1997
7 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

PARLIAMENT LIBRARY
No 57
Date 8.4.99

पांचवा सत्र (भाग-I)

(ग्यारहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 15 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस॰ गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्री सुरेन्द्र मिश्र
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

श्रीमती अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

29 जुलाई, 1997/7 श्रावण, 1919 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

....

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
207	16	श्री पी॰ कोदंडारमैया	श्री पी॰ कोदंड रमैय्या
339	26	श्री पबन सिंह घाटोवार	श्री पवन सिंह घाटोवार
351	नीचे से 2	नियम दिन	नियत दिन
356	11	श्री पारसाराम मेघवाल	श्री परसराम मेघवाल
362	22	प्रयंत	पर्यन्त

विषय–सूची

[एकादश माला, खंड 15, पांचवां सत्र, 1997/1918 (शक)]

अंक 5, मंगलवार, 29 जुलाई, 1997/7 श्रावण, 1919 (शक)

विषय	कालम
निधन संबंधी उल्लेख	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 83	2—29
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 84 से 100	29—54
अतारांकित प्रश्न संख्या 905 से 1134	54—335
सभा पटल पर रखे गए पत्र	336—339
पेट्रोलियम तथा रसायन संबंधी स्थायी समिति	
बारहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	339
समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव	
केन्द्रीय समन्वय समिति	340
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल)	340
नियम 377 के अधीन मामले	345—348
(एक) मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चम्बल नदी द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
डा॰ राम लखन सिंह	345
(दो) असम के बारपेटा जिले में कैंसर निदान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री उद्धव बर्मन	345-346
(तीन) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में अरब सागर तट पर समुद्री कटाव रोधी दीवार बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री एन॰ डेनिस	346
(चार) पंजाब के अमृतसर जिले की सीमा के साथ–साथ नाले पर पुल का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री मेजर सिंह उबोक	346-347
(पांच) बिहार में सारण में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री राम बहादुर सिंह	347
(छः) दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के सीधे नियंत्रण में लाये जाने की आवश्यकता	
श्री कृष्ण लाल शर्मा	347-348
(सात) सबरीमाला अय्यपा मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को मूल सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु केरल सरकार की परियोजनाओं को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता	
श्री कोडीकुनील सुरेश	348

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
बिहार में हाल की घटनाओं से उत्पन्न गंभीर स्थिति के बारे में प्रस्ताव	349—412
श्री लालमुनी चौबे	353
श्री प्रमथेस मुखर्जी	361
श्री जार्ज फर्नाण्डीज	365
प्रो॰ रीता वर्मा	376
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	384
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल	390
श्री मोहम्मद मकबूल डार	397
श्री इन्द्रजीत गुप्त	398
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	406
महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई, नागपुर और अन्य स्थानों तथा देश के अन्य भागों में दलितों पर किये गये अत्याचार के संबंध में प्रस्ताव	412—444
श्री शरद पवार	413
श्री प्रमोद महाजन	428
श्री पीताम्बर पासवान	441

लोक सभा

मंगलवार, 29 जुलाई, 1997/7 श्रावण, 1919 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई

[श्री पी. सी. चाक्को *पीठासीन हुए*]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे सभा को हमारे पूर्व सहयोगी, श्री मोहम्मद इसरार अहमद के निधन की सूचना देनी है।

श्री मोहम्मद इसरार अहमद सातवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने वर्ष 1980-84 के दौरान उत्तर प्रदेश के बदायूं संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व, वह 1946-53 1967-68 और 1969-77 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा के भी सदस्य रहे।

एक सक्रिय सामाजिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में श्री अहमद 1967-68 के दौरान अपने राज्य में स्थानीय स्व-शासन और आवास मंत्रालय में उपमंत्री और 1970-71 के दौरान स्थानीय स्व-शासन मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे। एक योग्य विधायक, श्री इसरार अहमद 1974-77 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति के सभापति रहे। वह अपने राज्य की विभिन्न विधायी समितियों के भी सदस्य रहे।

पेशे से कृषक, श्री अहमद एक सुप्रसिद्ध शिक्षाविद थे और वह विभिन्न शिक्षा संस्थाओं के सदस्य रहे। उन्होंने निर्धनों एवं दलितों के उत्थान के लिए भरसक प्रयास किए।

श्री मोहम्मद इसरार अहमद का निधन 87 वर्ष की आयु में 1 सितम्बर, 1995 को बदायूं, उत्तर प्रदेश में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और मैं समझता हूं कि सभा मेरे साथ शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करेगी।

अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995

+

***81. श्री ए॰ सम्पथ :**

श्री एन॰ डेनिस :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को लागू करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या अधिनियम की मुख्य विशेषताओं में राज्य सरकार की बसों में व्हीलचेयर पर चलने वाले व्यक्तियों को विशेष सुविधा प्रदान करना, व्हीलचेयर का प्रयोग करने वालों की सुविधा के लिए इमारतों में विशेष सीढ़ी (रेम्पस्) बनाना नियोक्ताओं पर प्रतिबंध लगाना, निःशक्त व्यक्तियों के लिए 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और समुचित शिक्षा उपलब्ध कराना तथा विशेष शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना आदि शामिल है;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने उपबंधों को लागू किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में, शारीरिक रूप से विकलांग निर्धनों और अन्य विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए विशेष कार्यक्रम आरंभ करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है (विवरण-I)

(ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है (विवरण-II)

(घ) जी, हां।

(ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है (विवरण-III)

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संस्थागत प्रबंधों के सृजन हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :-

(क) उक्त अधिनियम की धारा 73(1) और (2) के अंतर्गत नियम अधिसूचित किए गए हैं।

(ख) संख्या 6-1/96-एच॰ डब्ल्यू-3 दिनांक 21.2.1997 के तहत केन्द्रीय समन्वय समिति अधिसूचित की गई है।

(ग) केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन प्रक्रियाधीन है।

(घ) इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में सिफारिशें करने और योजनाएं तैयार करने के लिए विशेषज्ञों तथा संबंधित मंत्रालयों के पांच महत्वपूर्ण समूहों की स्थापना की गई है:-

(1) निवारण, शीघ्र पता लगाना और मध्यक्षेप;

(2) स्कूल-पूर्व शिक्षा सहित शिक्षा;

(3) अवरोध मुक्त वातावरण,

(4) विकलांगताग्रस्त महिलाएं, बच्चे और वयोवृद्ध;

(5) व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार।

(ङ) विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगताग्रस्त लोगों के लिए उपयुक्त वितरण प्रणाली की स्थापना हेतु एक योजना तैयार की जा रही है।

(च) इस अधिनियम के कार्यान्वयन के ऊपर नियमित निगरानी बनाए रखने के लिए अपर सचिव, कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयीय समिति की स्थापना की गई है। इस समिति में निम्नलिखित मंत्रालय शामिल हैं (क) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय; (ख) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय; (ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; (घ) श्रम मंत्रालय (ङ) शिक्षा विभाग; (च) महिला और बाल विकास विभाग।

(छ) निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभागों के अधिकारियों को शामिल करते हुए क्षेत्रीय कार्य-शालाओं तथा बहुक्षेत्रीय कार्यशालाओं की एक श्रृंखला देशभर के विभिन्न राज्यों में अगस्त माह, 1997 से तथा उसके बाद आयोजित की जा रही है।

(ज) भारत के संविधान के अनुसार, विकलांगों को राहत, राज्य का विषय है, और विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास का दायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है।

विवरण-II

(क) इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए सभी मंत्रालयों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और अन्य सभी प्राधिकारियों के बहुक्षेत्रीय सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हालांकि रोकथाम, शीघ्र पता लगाना, मध्यक्षेप के क्षेत्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास विभाग को एक मुख्य भूमिका निभानी है, विकलांगता वाले बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा विभाग को इन कार्यक्रमों को अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों में समेकित करना है। अवरोध मुक्त वातावरण तैयार करने के लिए शहरी क्षेत्र और रोजगार, जल भूतल परिवहन, रेल और नागर विमानन मंत्रालयों को विभिन्न सही कदम उठाने हैं। रोजगार और प्रशिक्षण के क्षेत्र में, श्रम मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बात पर जोर देना है कि विकलांग व्यक्तियों की कठिनाइयों को देश की मुख्यधारा से संबंधित विकास कार्यक्रमों के एक अंग के रूप में शामिल किया जाना है।

(ख) राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम को विकलांग व्यक्तियों के उद्यमीय प्रयासों को समर्थन देने और उन्हें आर्थिक कार्यकलाप की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से दिनांक 21.1.1997 को पंजीकृत किया गया है।

(ग) सरकार मंत्रिमंडल के अनुमोदन के लिए "राष्ट्रीय मानसिक मंदता एवं प्रमस्तिष्क अंगघात व्यक्ति कल्याण न्यास विधेयक" को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

(घ) मुख्य आयुक्त और न्यूनतम वैयक्तिक कर्मचारियों के पदों को पहले ही सृजित कर दिया गया है।

(ङ) सभी राज्य सरकारों से इस अधिनियम के प्रावधानों को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए बजटीय आबंटन के प्रावधान सहित आवश्यक कदम उठाने के लिए आग्रह किया गया है। केन्द्रीय कल्याण मंत्री ने इस मामले को राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ उठाया है और प्रधानमंत्री जी ने इस संबंध में केन्द्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पहले ही पत्र लिख दिया है।

(च) इस अधिनियम के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के प्रभारी राज्य सचिवों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में दिनांक 12.2.1997 को आयोजित हुआ।

(छ) विकलांग बच्चों के लिए सुविधाओं के संबंध में उक्त अधिनियम में विनिर्दिष्ट कई पहलुओं को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है। वर्तमान वर्ष के दौरान विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना (आई ई डी सी) के विस्तार के लिए इसके अंतर्गत संसाधनों में वृद्धि की गई है।

(ज) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किए गए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी पी ई पी) के अंतर्गत मंद और मामूली विकलांगताओं से ग्रस्त सभी बच्चों की समेकित शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए वित्तीय मानदंड निर्धारित और दिशानिर्देश विकसित किए गए हैं।

(झ) वित्त वर्ष 1997-98 के दौरान कल्याण मंत्रालय के विकलांग कल्याण प्रभाग के लिए बजट प्रावधान में 107.04 करोड़ रु॰ (योजना) तक वृद्धि कर दी गई है।

(ञ) उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप एक अवरोध मुक्त वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से, विकलांग व्यक्तियों की पहुंच के योग्य भवनों के निर्माणार्थ विभिन्न उपबन्धों को शामिल करते हुए भवन निर्माण संबंधी ऊप नियमों के नमूना मसौदे तैयार किए गए हैं और इन्हें सभी संबंधितों के विचारार्थ परिचालित किया गया है। ये नियम जनता द्वारा उपयोग किए जा रहे भवनों तथा सुविधाओं पर लागू होने के लिए अभिप्रेत हैं।

(ट) विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के लाभ का विस्तार समूह "क" और "ख" के पदों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए किया गया है।

(ठ) तथापि, इस अधिनियम का कार्यान्वयन एक सतत् प्रक्रिया है और यह उपयुक्त प्राधिकरणों की आर्थिक क्षमता की सीमा के अध्यधीन है।

विवरण-III

सरकार का इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकलांगता वाले लोगों के लिए विभिन्न नई योजनाएं तैयार करने का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए सरकारी अधिकारियों तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित 5 कोर समितियां स्थापित की गई हैं। पहचान किए गए प्राथमिकता वाले क्षेत्र निम्नलिखित हैं :-

(1) रोकथाम, पता लगाना तथा मध्यक्षेप

(2) स्कूल पूर्व शिक्षा सहित शिक्षा

(3) अवरोध मुक्त वातावरण का सृजन

(4) विकलांगताग्रस्त महिलाएं एवं बच्चे

(5) विकलांगताग्रस्त लोगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोजगार।

2. इसके अतिरिक्त, विशेषतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगताग्रस्त लोगों को व्यापक तथा समन्वित सेवाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना तैयार की जा रही है। इस योजना में निम्नलिखित अवसंरचना सृजित करने का प्रस्ताव है:-

(1) आधारभूत पुनर्वास सेवाएं तथा जनशक्ति विकास के लिए राज्य स्तर की शीर्ष स्तरीय संस्था।

(2) विकलांगताओं के सभी क्षेत्रों के लिए राज्य स्तरीय पुनर्वास सेवाएं।

(3) ब्लाक/पी-एच-सी- स्तर पर बहुउद्देशीय पुनर्वास कार्यकर्ता।

(4) समुदाय/ग्राम पंचायत स्तर पर सी बी आर कार्यकर्ता।

श्री ए- सम्पथ : महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे मंत्री ऐसे हैं जो हम पर वायदों की ही बौछार कर रहे हैं।

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण औ पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अध्याय-दो में केन्द्रीय समन्व समिति और केन्द्रीय कार्यकारी समिति के गठन और कार्यकरण प विचार किया गया है। यद्यपि केन्द्रीय समन्वय समिति का गठन किय जा चुका है, जैसाकि मंत्री जी ने अभी बताया है, इसलिए खंड 3(2 (एक) पर विचार नहीं किया गया है। इस खंड में निःशक्त व्यक्तियं अथवा निःशक्त व्यक्तियों के संगठन को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने पर विचार किया गया है। क्या इस मानदंड को शीघ्र पूरा किय जायेगा?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : महोदय, केन्द्रीय समन्वय समिति का गठन करते समय अधिनियम का पूर्ण रूप से अक्षरशः पालन किया गया है।

वे सभी सदस्य, जिन्हें समिति में नियुक्त किया गया है, अधिनियम के अनुसार सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

श्री ए- सम्पथ : केन्द्रीय कार्यकारी समिति के गठन में, जैसाकि खंड 9(2) (ञ) में परिकल्पित किया गया है, क्या संगठनों और विभिन्न श्रेणी के कुछ निःशक्त व्यक्तियों तथा इस क्षेत्र में कार्य का पर्याप्त अनुभव प्राप्त निःशक्त व्यक्तियों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायेगा?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : महोदय, जैसाकि मैंने पहले बताया था, जिन सदस्यों को समिति में नियुक्त किया गया है, उन्हें देश में निःशक्त व्यक्तियों के क्षेत्र में कार्य का पर्याप्त व्यावहारिक अनुभव है। उन विभिन्न संगठनों को भी समिति में शामिल किया गया है जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है।

श्री एन- डेनिस : यह अधिनियम काफी व्यापक है और यह शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक और नागरिक जीवन के लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को लेते हुये दयालुता से अधिकारों में बदलाव को प्रतिबिंबित करता है। अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन से शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की अनेक समस्याओं के समाधान में काफी सहायता मिलेगी।

माननीय मंत्री जी ने बताया है कि अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न कदम उठाये गये हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी द्वारा उठाये गये कदमों के प्रभाव के बारे में जान सकता हूं?

माननीय मंत्री जी ने यह भी बताया है कि अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश दे दिए गए हैं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि किन-किन राज्यों ने इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित किया है? किन-किन राज्यों ने इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित नहीं किया है? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इस अधिनियम के क्रियान्वयन से कितने व्यक्तियों को लाभ मिला है? मैं एक और प्रश्न भी पूछना चाहूंगा।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए। विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

श्री एन॰ डेनिस : यह समस्या की गंभीरता के बारे में है। इस संबंध में जो आबंटन किया गया है, वह पर्याप्त नहीं है। इसलिए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की सहायता करने के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों से संपर्क किया गया है और जन जागरूकता भी पैदा की गई है?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : माननीय सदस्य ने एक प्रश्न में ही कई प्रश्न पूछ डाले हैं।

सभापति महोदय : लेकिन आप उन सबका एक ही उत्तर में जवाब दे सकते हैं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : मैं कोशिश करूंगा।

जिन-जिन राज्यों ने अधिनियम के क्रियान्वयन के बारे में अभी तक मेरे मंत्रालय को सूचना दी हैं, वे हैं: आंध्र प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान।

जहां तक निधियों के आबंटन का संबंध है, इसे वर्ष 1996-97 तक 47 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 107 करोड़ रुपये किया गया है। इसमें राष्ट्रीय विकलांग कल्याण वित्तपोषण विकास निगम के लिए 28 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।

माननीय सदस्य ने राज्यों पर अभी तक पड़े प्रभाव के बारे में भी पूछा है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि अभी तक केवल सात राज्यों ने ही अधिनियम पर विचार किया है। उन्होंने इसे क्रियान्वित किया है।

जहाँ तक इसके प्रभाव का संबंध है, निःशक्त व्यक्तियों का कल्याण और उनका पुनर्वास मूलतः राज्य का विषय है। हम गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं क्योंकि यह विषय काफी व्यापक है। इसलिए, मैं एक-एक पहलू अथवा एक-एक बात को लेते हुये सभा का और ज्यादा समय नहीं ले सकता।

लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि विभिन्न संगठनों और राज्य सरकारों से कुछ अच्छी प्रतिक्रिया मिलनी शुरू हो गई है। हम इस संबंध में राज्य सरकारों पर निरंतर दबाव डाल रहे हैं और राज्य सरकारें भी इसे गंभीरता से ले रही हैं।

श्री सुधीर गिरि : सभापति महोदय, यद्यपि अशक्तता का मामला राज्य सरकारों से संबंधित है, तथापि केन्द्र सरकार संबंधित लोगों के लाभ के लिए पर्याप्त धनराशि पहले ही दे चुकी है।

क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं अथवा योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए कोई केन्द्रीय तंत्र है?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : महोदय, केन्द्रीय अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में, मैं यह पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि हम राज्य सरकारों पर लगातार दबाव डाल रहे हैं। हम योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी करने के लिए दो बातों पर निर्भर करते हैं। पहला, राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण पर और दूसरे, राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली सिफारिशों पर।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि क्या योजनाओं के क्रियान्वयन की देख-रेख के लिए कोई केन्द्रीय तंत्र है अथवा नहीं। कृपया इसका स्पष्ट उत्तर दें।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : महोदय, हम इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं। लेकिन यह राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री ज्ञान सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, अभी सदन के सम्मानित सदस्यों ने जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की, मैं उस पर एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मान्यवर, हम लंगड़े, अपंग, अपाहिजों के मुद्दे पर यहां चर्चा कर रहे हैं। मैं इस पर सरकार की दिशा और नीति के बारे में जानकारी चाह रहा हूं। मध्य प्रदेश में अपंगों के बारे में एक ऐसा नियम है कि यदि उनके पास एक-दो एकड़ जमीन है तो उनको मिलने वाली सुविधाओं से वंचित किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसे अपंग जिनके कोई संतान नहीं है, मात्र एक-दो एकड़ जमीन उनके पास है और वह जमीन भी रेतीली और एक फसली है तो क्या मंत्री जी यहां से कोई दिशा-निर्देश देंगे कि ऐसे अपंग व्यक्तियों को भी यह सारी सुविधाएं उपलब्ध करायें।

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : सभापति महोदय, मैं दिल से कहता हूं कि मैं सम्पत जी और अन्य माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने यह प्रश्न उठाकर बहुत नेक काम किया है। क्योंकि मैं चाहता था कि इस पर डिबेट हो। माननीय सदस्य ने मध्य प्रदेश का जो जिक्र किया है तो उस पर मेरा यह कहना है कि हम इसी अक्टूबर महीने तक हैंडीकेप्ड ट्रस्ट की स्थापना करने का एक बिल पार्लियामेंट के सामने लायेंगे। सितम्बर के बाद अक्टूबर, नवम्बर में जब भी मिलेंगे, तभी लायेंगे। मध्य प्रदेश के बारे में जो आपने कहा है कि ऐसे विकलांग व्यक्ति या ऐसे विकलांग पेरेन्ट्स जो संतानविहीन हैं, उनके लिए आपने जो मध्य प्रदेश की नीति के बारे में कहा है तो मैं मुख्य मंत्री जी की नोटिस में एक चिट्ठी लिखकर यह सब तथ्य लाऊंगा।

[अनुवाद]

श्री अनादि चरण साहू : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उत्तर के विवरण-2 पैरा (छः) और (क) की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें यह बताया गया है कि निःशक्त बच्चों को सुविधाएं और शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

क्या मैं उनसे यह बताने का अनुरोध कर सकता हूं कि क्या निःशक्त बच्चों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक और सहभागी खेलों के लिए धनराशि आबंटित की जा रही है ताकि उनमें आत्मविश्वास आ सके?

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : जैसाकि मैंने पहले भी कहा था, निःशक्त व्यक्तियों का कल्याण अकेले कल्याण मंत्रालय नहीं कर सकता है। इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों का सहयोग आवश्यक है। माननीय सदस्य ने विद्यालय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों अथवा विकलांग छात्रों की भागीदारी और उनके द्वारा दिखाये गये अच्छे प्रदर्शन का भी उल्लेख किया है तथा यह पूछा है कि क्या इस प्रयोजनार्थ कोई धनराशि जुटाई गई है अथवा नहीं। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन देश भर में 13,000 समेकित विद्यालय चला रहे हैं जहां निःशक्त हृष्ट-पुष्ट छात्रों के साथ पढ़ते हैं।

मुख्य रूप से बल निःशक्त छात्रों में समानता की भावना पैदा करने पर दिया गया है। 300 से अधिक विद्यालयों का कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्तपोषण किया जा रहा है। किसी शैक्षिक वर्ष के दौरान, पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद के लिए भी धनराशि दी जाती हैं। हम प्रत्येक वर्ष ऐसे छात्रों को, ऐसे विद्यालयों को अथवा ऐसे संगठनों को भी पुरस्कार देते हैं जो शिक्षा और खेलकूद के क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। इसलिए छात्रों का खेलकूद के क्षेत्र में भी पूरा ध्यान रखा जाता है।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1995 में यह विधेयक संसद् द्वारा पारित हुआ, उसके बाद जैसा आपने अभी यहां लम्बा-चौड़ा उत्तर दिया, ऐसा मालूम पड़ता है कि यह सरकार अत्यधिक मंथर गति से चल रही है। इस विधेयक के पीछे जो भावना थी कि हम देश के लाखों विकलांगों की मदद करें चाहे वे नेत्रहीन हों, अपंग हों, अपाहिज हों, मंद-बुद्धि हों, कम सुनने वाले हों, ताकि उन सबका कुछ कल्याण हो लेकिन अभी तक आपकी समितिया ही गठित हो रही हैं। अभी आपने जो धन आबंटित किया है, प्रत्येक राज्य को आप कितना अनुदान देंगे, इसके बारे में आपने कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि 12.2.1997 को आपने समस्त राज्यों के प्रभारी सचिवों का एक सम्मलेन नई दिल्ली में आयोजित किया था, उसके निष्कर्ष क्या हैं। इसी संदर्भ में, अभी आपने जो राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम का निर्माण किया है, उसके लिए कितनी पूंजी आबंटित की है, ये दोनों उत्तर आप देने का कष्ट करें।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : माननीय सदस्य ने यहां जिस तरह की तस्वीर पेश की है, वैसी नहीं है। आपने एक धुंधली तस्वीर हमारे सामने बताई जबकि मेरे मन में बहुत आशाजनक और प्रशंसाजनक तस्वीर है क्योंकि हमने जितने स्टैप्स उठाए हैं, उनकी तारीफ होनी चाहिए।

प्रो॰ रासा सिंह रावत : मैंने कहा कि गति बहुत मंद है, बहुत धीमी गति है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : कई काम धीमी गति से ज्यादा अच्छे होते हैं, तेज गति से नहीं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि 12 फरवरी की मीटिंग के बाद हमने एक प्रोग्राम तय किया है और आप यह जानकर प्रसन्न होंगे कि उसमें हमने संभी की इन्वौल्वमैंट कर दी है, जिसका नाम है - कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। इसमें हमने सभी सरकारों को, सभी स्वयं-सेवी संगठनों को, सभी ऐसे व्यक्तियों को जो विकलांगों की रिहैबिलिटेशन में दिलचस्पी लेते हैं, काम करते हैं, संगठित किया है। इस प्रोग्राम में जहां वोकेशनल ट्रेनिंग, रिहैबिलिटेशन, वजीफा देना, एक्सपर्ट्स की मीटिंग करना, नए धंधे जारी करना शामिल है वहीं अभी जो हमने हैंडीकैप्ड वैल्फेयर कार्पोरेशन बनाया है, उसकी धनराशि आबंटित करना, कोआर्डिनेशन तथा मॉनिटरिंग आदि को भी शामिल किया है। हमने इसे सिंगल विन्डो जैसा प्रोग्राम बना दिया है। जब आप इसे विस्तार से देखेंगे तो आप भी उसकी प्रशंसा करेंगे।

[अनुवाद]

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : मेरे विचार से यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछली बार इस विषय पर आधा घंटे अथवा अल्प अवधि की चर्चा करने की सहमति हुई थी।

सभापति महोदय : कृपया प्रश्न करें।

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि शारीरिक रूप से विकलांग अथवा अपंग व्यक्ति भगवान की सृष्टि में सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं।

हमें उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तीन पृष्ठ का काफी लम्बा उत्तर है और इसमें अनेक योजनाओं की बात कही गयी है। मंत्री ने इस संबंध में काफी उत्साह दिखाया है और मैं इस बारे में बहुत प्रसन्न हूं। अभी भी मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि वह कौन सी ठोस, रचनात्मक, प्रभावी योजना पर विचार कर रहे हैं और वह इन लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए भावी पंचवर्षीय योजनाओं में उपलब्ध करायी गयी धनराशि प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास कर रहे हैं।

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इन योजनाओं की निगरानी किस प्रकार करेंगे। मैं उनके केवल यह कहने से संतुष्ट नहीं हूं कि वह इसमें इच्छुक हैं तथा वह योजनाओं में प्रावधान कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से सीधा, ठोस और सुनिश्चित उत्तर चाहता हूं कि वह अपने मंत्रालय के गतिशील नेतृत्व में देश को गौरवान्वित करने के लिए इन चीजों की व्यवस्था किस प्रकार करने जा रहे हैं और भविष्य में शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को किस प्रकार एक शानदार जीवन प्रदान करने जा रहे हैं

सभापति महोदय : इन सभी बातों का पहले उत्तर दे दिया गया है। यदि मंत्री महोदय चाहते हैं तो वह माननीय सदस्य को संक्षेप में उत्तर दे सकते हैं। उन्हें माननीय सदस्य को वह सब कुछ दोहराने की जरूरत नहीं है जो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : माननीय सदस्य ने वास्तव में विकलांग लोगों की सहायता करने के लिए सम्पूर्ण सभा के साथ-साथ मुझे इस कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता करने के लिए प्रेरणा दी है। यह सभा गहरी चिन्ता व्यक्त कर रही है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय यह प्रश्नोत्तर काल है। कृपया इसके विस्तार में न जाएं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : महोदय, मैं एक बात पर निराश हूं जिसका कि कोई हल नहीं है। वह सरकारी नौकरियों में विकलांग लोगों के लिए अनिवार्य आरक्षण के संबंध में है जिसे सभी लोग नजर-अंदाज कर देते हैं। मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है।

उपहार सिनेमा में आग

+

*82. **श्री दत्ता मेघे :**

श्रीमती मीरा कुमार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपहार-सिनेमा तथा हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पचास से अधिक अन्य स्थानों पर लगी आग की घटनाओं की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जांच समिति द्वारा की गई सिफारिशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त घटना में वास्तव में कितने लोग मारे गए;

(घ) घटना में मृत लोगों के निकट संबंधियों को दी गयी मुआवजे की राशि क्या है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं के लिये जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

"उपहार" घटना जिसमें 59 व्यक्तियों की मौत हो गई थी, के बाद दिल्ली के उप राज्यपाल ने आग लगने के कारणों और परिस्थितियों की जांच करने, संबंधित एजेंसियों की ओर से हुई चूकों, यदि कोई हो, के लिए जिम्मेदारी तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं के निवारण के उपाय सुझाने के लिए दिल्ली के उपायुक्त (दक्षिण) को नियुक्त किया था। उपायुक्त (दक्षिण) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि समस्त संबंधित एजेंसियों नामतः दिल्ली विद्युत बोर्ड, दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग शाखा, दिल्ली अग्नि शमन सेवा और दिल्ली नगर निगम के साथ उपहार सिनेमाघर के प्रबंधन को अपनी उन भूल-चूकों की जिम्मेदारी लेनी होगी जिनके कारण यह त्रासदी हुई। तथापि, उपायुक्त (दक्षिण) को सौंपे गए विचारार्थ विषयों में अन्य अग्निकांडों की जांच करना शामिल नहीं था। फिर भी, संबंधित सब डिवीजनल मजिस्ट्रेटों के नेतृत्व में अधिकारियों के एक दल ने सिनेमा हालों तथा बैंकेट हालों का सर्वेक्षण किया था। 13 सिनेमा हालों तथा 9 होटलों, जिनके परमिट का नवीकरण होना था, का एक अन्य सर्वेक्षण, दिल्ली पुलिस द्वारा मुख्य अग्नि शमन अधिकारी के माध्यम से अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कराया गया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के स्वामित्व वाले सभी भवनों में अग्नि शमन प्रबंधों के स्तर की जांच करने के लिए एन॰डी॰एम॰सी॰ ने भी अलग से एक समिति गठित की है।

2. दिल्ली पुलिस ने "उपहार" घटना के संबंध में अलग से एक आपराधिक मामला दर्ज किया था जिसकी जांच का काम अब केन्द्रीय जांच ब्यूरो को हस्तांतरित कर दिया गया है।

3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने उपहार सिनेमा कांड में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम संबंधी को 50,000/- रु॰, गंभीर रूप से घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 20,000/- रु॰ तथा मामूली घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 10,000/- रु॰ की अनुग्रह राशि के भुगतान की घोषणा की है। इस भुगतान के संवितरण का काम शुरू कर दिया गया है।

श्री दत्ता मेघे : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उपहार सिनेमा, दिल्ली में हाल में लगी आग के कारण 59 लोगों की मृत्यु हो गई और इस घटना की जांच के लिए जो समिति बनाई गई थी उस समिति को जो काम सौंपे गए थे उनमें यह था कि जो घटना हुई है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह तय करें और इस प्रकार की घटनाओं को भविष्य में न होने देने के लिए सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन एक समिति के बाद दूसरी समिति आई और अब तीसरी समिति बना दी गई, लेकिन अभी तक इस घटना की जिम्मेदारी किसकी है, यह निश्चित नहीं किया गया और अब दिल्ली विद्युत बोर्ड, दिल्ली पुलिस की लाइसेंस शाखा, दिल्ली अग्निशमन सेवा और दिल्ली नगर निगम की अलग समिति निर्मित की है, लेकिन अभी तक सिर्फ समितियां ही बनाने का काम हुआ और इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार है, इस बारे में जानने के लिए कोई काम नहीं हुआ है, इसके क्या कारण है?

सभापति महोदय, अभी विभिन्न विभागों की समिति दिल्ली के ऐसे 13 सिनेमा हालों और 9 होटलों में निरीक्षण करने गई जिनका रिन्युअल होना है, लेकिन इंसपैक्शन करने के बाद उनकी एफीशिएंसी नहीं है, यह अग्निशमक दल ने अभी तक उनको नहीं बताया है, यदि एफिशिएंसी नहीं है, तो अग्निशमक दल को बताना चाहिए कि उनका रिन्युअल होगा या नहीं और इस घटना के लिए जिम्मेदारी निर्धारित हो सके तथा जिनके लाइसेंस रिन्यू होने हैं, इनका निर्धारण शीघ्र हो सके, इसके लिए मंत्री जी क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस चिन्ता को समझता हूं कि इस संबंध में किए गए आवश्यक उपायों में तेजी लायी जानी चाहिए और सभी प्रकार की प्रशासनिक चूक में समय

बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि दिल्ली के उप राज्यपाल ने सारे मामले की प्रारम्भिक जांच करने के लिए एक समिति अर्थात् नरेश कुमार समिति नियुक्त की है। यह सच है कि इस उपायुक्त (दक्षिण) की रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि सभी संबंधित अभिकरण नामतः दिल्ली विद्युत बोर्ड, दिल्ली पुलिस की लाइसेंस शाखा, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली नगर निगम के साथ-साथ सिनेमा घर के प्रबंधन अपनी इस भूल चूक, जिससे यह दुखद घटना घटी है, के लिए दोषी हैं। उसके बाद, हमने उन कारणों का भी पता लगाने का प्रयास किया है जिनकी वजह से यह अपराधिक चूक हुई है, जिसके लिए संबंधित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जानी है तथा जिसकी वजह से यह प्रशासनिक चूक हुई है और जिन्हें उपयुक्त सुरक्षा उपाय करके भविष्य में रोका जाना चाहिए।

अब, ऐसी कार्यवाही की जा रही है जिसमें भवनों की जांच की जा रही है। न केवल सिनेमाघरों की ही जांच चल रही है बल्कि दिल्ली के सैकड़ों ऊंचे-ऊंचे भवनों, जो विशेष रूप से नेहरू प्लेस, राजेन्द्र प्लेस और इसी प्रकार के क्षेत्रों में स्थित हैं, की भी जांच की जा रही है। जहां तक आग लगने की दुर्घटनाओं का संबंध है, ये ऊंचे-ऊंचे भवन मौत के घर हैं। अधिकांश भवनों द्वारा सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया जाता है।

दिल्ली के अनेक भागों में सिनेमाघर, अतिथि गृह, निजी अतिथि गृह हैं। इन सभी भवनों की जांच की जानी है। उदाहरण के लिए विद्युत विभाग ने पहले ही 200 ऊंचे-ऊंचे भवनों की जांच की है और इनमें से 150 को नोटिस भेजे हैं। नोटिसों में, उन्हें यह बताया गया है कि "आपको तत्काल या 10 दिन के अन्दर या एक महीने के अन्दर निम्नलिखित उपाय करने हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।" नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने भी 130 ऊंचे-ऊंचे भवनों का निरीक्षण किया है और जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया उन भवनों के स्वामियों को नोटिस भेजे गए हैं। कई मामलों में आग लगने की दुर्घटनाओं का प्रश्न उन विद्युत ट्रांसफार्मरों से जुड़ा है, जो इन भवनों में लगे हुए हैं।

वास्तव में, भवन के अन्दर कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाना चाहिए, यह भवन के बाहर लगाया जाना चाहिए। उपहार सिनेमा और कई अन्य भवनों, जिनका कि निरीक्षण किया जा रहा है, के मामले में यह पाया गया है कि ट्रांसफार्मर भवन के परिसर के अन्दर ही लगे हैं। वे तेल ट्रांसफार्मर कहलाते हैं और ट्रांसफार्मरों में डीजल भरने के लिए डीजल की केन और इसी प्रकार की चीजें ट्रांसफार्मर के निकट के परिसर में रखी जा रही हैं तथा कई स्थानों पर बिजली के तारों की स्थिति बहुत खराब हैं। ये सब और खुले तार, जिनमें आसानी से शार्ट सर्किट हो सकता है, अनेक स्थानों पर देखे जा सकते हैं।

कोई भी इन विनियमनों की परवाह नहीं करता है। कई मामलों में, जब यह देखने के लिए कि कोई ट्रांसफार्मर तो नहीं रखा है, बेसमेंटों का निरीक्षण किया गया तो यह पाया गया कि वे बेसमेंट बेच दिए गए हैं। बेसमेंटों के स्थान पहले ही विभिन्न पार्टियों को बेचे जा चुके हैं और उनका अब पता नहीं लगाया जा सकता है। अधिकांश मामलों में भवन निर्माताओं का भी पता नहीं लगाया जा सकता है। वे गायब हो गए हैं। अतः यह एक अत्यन्त गंभीर स्थिति है।

अग्निशमन सेवा और पुलिस के संबंध में भी प्रश्न उठाए जा सकते हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं...

सभापति महोदय : सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर ही उत्तर देना बेहतर होगा।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : सभापति महोदय, दिल्ली में जो घटना हुई, मंत्री महोदय ने अभी उसके बारे में कहा। वे दिल्ली के लिए जानकारी दे रहे हैं। मैं उनसे रिक्वैस्ट करूंगा कि जो घटना दिल्ली में हुई है, वह दूसरे राज्यों जैसे मुम्बई, मद्रास, कलकत्ता और नागपुर की जो बड़ी-बड़ी सिटीज हैं, उनमें भी है। आप कम से कम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इसके बारे में पत्र लिखिए ताकि जो घटना यहां पर हुई है, वह वहां पर न हो।

दूसरी बात, केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच-पड़ताल आपके अंडर आती है। अभी हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था, हाई कोर्ट जज ने कहा कि आपने बराबर जांच नहीं बनाई। वह आपका डिपार्टमैंट है, जब कोर्ट में केस चालू है तो आपके डिपार्टमैंट का काम तो अच्छ होना चाहिए। आप अपने डिपार्टमैंट से कहें कि वे उसे जल्दी करें आखिर में यह जो 50 हजार रुपया, 20 हजार रुपया और 10 हजा रुपया देना है, इसके भुगतान का काम भी अभी शुरू है। इतने दि हो गये, सर्वेक्षण का काम चल रहा है। एक तो जो 50 हजार रुप दे रहे हैं, वह तो ज्यादा राशि देनी चाहिए। हमारा कहना यह है वि जो डिक्लेयर किया है, अभी इसमें लिखा है कि भुगतान का काम शु है। अभी पैसा नहीं मिला तो कब आप उनको पैसा देने वाले हैं। ज उपराज्यपाल ने डिक्लेयर किया, वह पैसा तो देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय माननीय सदस्य ने कार्यवाही के लि दो सुझाव दिए हैः पहला, सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे जाएं जिससे कि अन्य राज्यों में प्रत्येक को सावधान किया जा सके तथ इस सुरक्षा संबंधी कार्य में तेजी लायी जा सके। मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं। यह कर दिया जायेगा; दूसरे, जहां तक आंकड़ों का संबंध है वह ठीक कह रहे हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार ने मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों को 50,000 रुपए की अनुदान राशि का भुगतान करने की घोषणा की है। व्यक्तिगत रूप से मैं इसे अपर्याप्त मानता हूं। मेरे विचार से मुझे कम से कम यह घोषणा करने लिए प्राधिकृत किया जाए कि यह राशि बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दी जायेगी। किन्तु यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह धनराशि पहले से ही वितरित की जा रही है।

[हिन्दी]

ऐसा नहीं कि अभी तक मिला नहीं।

श्री दत्ता मेघे : जो राइटिंग में है, हमने जो क्वश्चन दिया है, उसमें जो जवाब दिया है, जो जवाब आया है, उसके ऊपर मैं पूछ रहा हूं। आपने जो जवाब दिया कि भुगतान का काम शुरू कर दिया है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : होम मिनिस्टर साहब को मालूम नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : शुरू कर दिया। वह पैसा डिस्पर्स हो रहा है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अभी तक नहीं मिला।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बहुत लोगों को मिला है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : किसी को नहीं मिला, आप इन्क्वायरी कराइये। आपको गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। होम मिनिस्टर साहब, आप अपने आफिसरों से मालूम करें, अभी तक एक पैसा नहीं मिला। अभी परसों एल॰जी॰ ने कहा है कि पैसा मिलना है। *...(व्यवधान)* वे असत्य बोल रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने नहीं कहा कि सबों को मिला है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : एक को भी नहीं मिला।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको भी पूरी खबर नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों को नहीं मिला हो। बाकी लोगों को मिला है, डिस्पर्समेंट चल रहा है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अभी उनकी फोरमैलिटीज चल रही हैं। पैसा एक आदमी को भी नहीं मिला।

श्री विजय गोयल : गृह मंत्री के लिए यह कह देना बहुत आसान है कि उपहार अग्निकाण्ड दिल्ली नगर निगम, डेसू, बिल्डिंग, पुलिस, ये सब लोग रैस्पोंसिबल हैं। किन्तु मैं यह कहता हूं कि पूरी जो जिम्मेदारी है, वह ज्यादा केन्द्रीय सरकार की है। मैं लैफ्टीनेंट गवर्नर को मिला था और उपराज्यपाल जी को मिलकर मैंने इस बात को कहा कि आप इसकी सी॰बी॰आई॰ इन्क्वायरी कराइये। मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में राज किसका है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार का है या दिल्ली के लैफ्टीनेंट गवर्नर अपनी मनमानी करेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सी॰बी॰आई॰ इन्क्वायरी की मांग की, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार को लिखा कि सी॰बी॰आई॰ इन्क्वायरी की जाये। उपराज्यपाल ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उपराज्यपाल जी ने मुझ तथ्य दिखाये और उपराज्यपाल जी ने जो इन्क्वायरी की, वह थी पुलिस की इन्क्वायरी पुलिस ने की, जिसके ऊपर किसी को आशा नहीं थी।...

किसी भी लाइसेंस को देने के लिए चार डिपार्टमेंट से एन॰ओ॰सी॰ लेना जरूरी है, बिल्डिंग, फायर, हैल्थ और बिल्डिंग। खुद उपराज्यपाल जी ने मुझे कहा कि पुलिस लाइसेंस तब देगी, जब इन चारों से एन॰ओ॰सी॰ आ जायेगा। पिछले दो सालों से हैल्थ और बिल्डिंग ने एन॰ओ॰सी॰ नहीं दिया और उसके बाद भी पुलिस ने उसको लाइसेंस दे दिया, जिसका उपराज्यपाल जी ने भी यह जवाब दिया है कि अगर एन॰ओ॰सी॰ नहीं दिया गया है तो हम इसको यह मान लेंगे कि एन॰ओ॰सी॰ दिया गया है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा और प्रश्न पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अन्दर इलैक्टिड मैम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट का क्या रोल है? एल॰जी॰ जो भी राय करेंगे, एल॰जी॰ जो भी आदेश करेंगे, एल॰जी॰ जो भी वहां पर फैसला करेंगे, उसके लिए एल॰जी॰ इन कौंसिल आपको दिल्ली में गठित करनी पड़ेगी, ताकि दिल्ली के चुने हुए जो संसद् सदस्य हैं, वे साथ बैठकर एल॰जी॰ को मशविरा दे सकें।

उपहार काण्ड के अन्दर... *(व्यवधान)* सिर्फ एक मिनट में खत्म कर रहा हूं। उपहार काण्ड के अन्दर मुआवजा बांटना शुरू हुआ है, इसमें दो राय नहीं है और जब गृह मंत्री खड़े हुए थे तो एक लाख रुपये के लिए खड़े नहीं हुए थे। यह शोभा नहीं देता, कम से कम 1-1 व्यक्ति को दो-दो लाख रुपये का मुआवजा देना चाहिए। यह बड़ा जरूरी है। उसके लिए मैं भी दिल्ली सरकार को निवेदन करने वाला हूं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जब तक दिल्ली राज्य के अन्दर मल्टीप्लिसिटी ऑफ एथॉरिटी रहेगी, दिल्ली सरकार के पास पुलिस नहीं होगी, दिल्ली सरकार के पास अधिकार नहीं होंगे, आफिसर्स को ट्रांसफर करने के राइट्स नहीं होंगे, तब तक दिल्ली सरकार इफैक्टिव नहीं हो सकती। अगर केन्द्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाये तो ऐसी उपहार सिनेमा की ट्रेजिडीज आगे भी होती रहेंगी, यह केन्द्र सरकार से मैं कहना चाहता हूं। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि इस बात की भी जांच करायें कि उपराज्यपाल की भूमिका इस सारे केस के अन्दर क्या थी? और उपहार सिनेमा को लाइसेंस कैसे दे दिया गया, जबकि बिल्डिंग और हैल्थ वालों से एन॰ओ॰सी॰ नहीं मिली थी?

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम उपराज्यपाल के साथ बहुत निकट सहयोग से कार्य कर रहे हैं। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि उपराज्यपाल की शक्तियों की तुलना में दिल्ली सरकार की शक्तियां क्या हैं... *(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया गया है। यह एक सच्चाई है!

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे सु-परिभाषित हैं। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी किसी व्यक्ति ने खोज की हो! वे सु-परिभाषित हैं। उन्हें संशोधित किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई सुझाव दिया जाता है तो इन्हें बदला जा सकता है। मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है जो दिल्ली अथवा किसी अन्य स्थान के सदस्य को इस संबंध में उपराज्यपाल को अपना परामर्श देने से रोक सके!

श्री विजय गोयल : संसद सदस्यों की उपराज्यपाल के साथ किसी भी मामले पर कोई बैठक नहीं हुई है। आपको दिल्ली के उपराज्यपाल से इस संबंध में मिलना होगा।

सभापति महोदय : माननीय गृह मंत्री जी, ऐसे मामलों में चुने हुए स्थानीय सदस्यों की भूमिका होती है और वे सदैव अपना परामर्श दे सकते हैं। किन्तु इस संबंध में सदस्य ने यह प्रश्न किया है कि क्या ऐसे मामलों में संसद सदस्यों से परामर्श किया जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : निःसंदेह उनसे परामर्श किया जाना चाहिए।

श्री विजय गोयल : हमसे कभी परामर्श नहीं किया गया है!

सभापति महोदय : ठीक है! धन्यवाद।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह भी कहना चाहता हूँ और जैसा कि सभी जानते हैं कि हमने यह जांच कार्य सी॰बी॰आई॰ को सौंपने का निर्णय किया है। इस संबंध में दो दृष्टिकोण थे। किन्तु बाद में हमने यह पाया कि सामान्यतया लोगों का दिल्ली पुलिस पर इस जांच के किसी भाग को पूरा करने में कोई विश्वास नहीं है क्योंकि इस जांच का एक भाग उनके विरुद्ध है।

अनुज्ञप्ति प्राधिकरण, दिल्ली पुलिस की एक शाखा है इसलिए यह प्रश्न उठता है कि वे अपने स्वयं के आचरण की किस तरह से जांच करेंगे। इसलिए हमने सोचा कि इसे केन्द्रीय अन्वेशण ब्यूरो को सुपुर्द करना बेहतर होगा तथा यही किया जा रहा है।

एक अन्य मुद्दा, मात्र एक शुद्धि करने का है, यदि मैं कर सकूं। मुआवजा अनुग्रह राशि जोकि पहले ही संवितरित की जा चुकी है क्योंकि यहां एक सदस्य कह रहे हैं कि एक पैसा भी नहीं मिला, क्या ऐसा है। 7,40,000 रुपये की राशि जिसे मामूली सी चोट के मामलों में दिया जाना था, में से वास्तव में 3,90,000 रुपये संवितरित किए गए है, 5,80,000 रुपये जिन्हें कि गंभीर चोट के मामलों में दिया जाना है, में से 1,60,000 रुपये पहले ही संवितरित किए जा चुके हैं। मृत्यु के मामलों में दी जाने वाली कुल धनराशि 29,50,000 रुपये में से 3,50,000 रुपये पहले ही संवितरित किए जा चुके हैं। संवितरण की प्रक्रिया जारी है इसकी गति को बढ़ाया जाना चाहिए, मुझे इसके बारे में कोई संदेह नहीं है।

श्री पी॰आर॰ दास मुंशी : महोदय, मेरा प्रश्न बहुत विशिष्ट है उपहार सिनेमा की घटना ने पूरे राष्ट्र को हिला दिया है, और इसलिए भारत की राजधानी नई दिल्ली की छवि समग्र विश्व जनसंख्या की राय में, बिगड़ गयी है कि दिल्ली में रोजाना किस तरह से घटनाएं घट रही हैं। मात्र उपहार सिनेमा की घटना ही नहीं बल्कि आज बहुत सारी घटनाएं घट रहीं हैं। माननीय गृह मंत्री का ब्यान यह बताता है कि :

> 'उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से निष्कर्ष निकलता है कि सभी संबंधित अधिकरणों नामतः दिल्ली विद्युत बोर्ड, दिल्ली पुलिस की अनुज्ञप्ति शाखा, दिल्ली फायर सर्विस तथा उपहार सिनेमा के प्रबंधकों सहित दिल्ली नगर निगम, को अपनी भूल-चूक जिसके कारण यह दुर्घटना घटी है को मिलजुल कर उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी।

क्या मैं माननीय गृह मंत्री से यह पूछ सकता हूँ कि जब उनके पुलिस उपायुक्त द्वारा इस प्रकार की रिपोर्ट दी गई थी तो क्या उन्होंने इन सभी अधिकरणों जो इससे जुड़े हैं अथवा चुनिंदा रूप से मात्र उपहार सिनेमा के लोगों के विरुद्ध अभियोजन शुरू किया है? मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये लोग दिल्ली के लिए जिम्मेदारी हैं और हर समय राष्ट्र की समग्र छवि को नष्ट कर रहे हैं। यदि सभी अधिकरणों जो इससे जुड़े हैं उनके विरुद्ध अभियोजन शुरू कर दिया होता तो मेरा कोई प्रश्न अथवा मांग नहीं होती। यदि ऐसा नहीं है तो मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन अधिकरणों को छोड़कर चुनिन्दा तौर पर मात्र उपहार सिनेमा के लोगों पर ही अभियोजन क्यों किया गया?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, ये सभी अधिकरण हैं। अभियोजन व्यक्तियों के विरुद्ध किया जाता है अधिकरण विशेष के साथ जुड़े सभी लोगों के विरुद्ध अभियोजन नहीं किया जा सकता है।

मैंने पहले ही कहा है कि अपराधिक उत्तरदायित्व तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व को एक दूसरे से पृथक करना होगा तथा उसकी जांच की जा रही है...*(व्यवधान)*

श्री पी॰आर॰ दास मुंशी : महोदय, यह क्या बात है? मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। यह ठीक नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

श्री पी॰आर॰ दास मुंशी : प्रशासनिक उत्तरदायित्व में यह अपेक्षा की जाती है कि यदि मेरे उत्तरदायित्व निभाने में रिश्वत लेने-देने अथवा अन्य बातें होने देने जैसी चूक हो जाती है तो क्या मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ?

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं तथा माननीय मंत्री महोदय का उत्तर सुनिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसलिए यदि किन्हीं मामलों में अभियोजन उचित समझा गया है तो यह अभियोजन विभिन्न अधिकरणों से जुड़े विभिन्न लोगों के विरुद्ध पहले ही शुरू किया जा चुका है।

बेशक, उनमें से सबके विरुद्ध नहीं, ऐसा इसलिए है, क्योंकि मामले को उस विशेष दिन के संदर्भ में देखा जाना है जब यह घटना घटी थी उस अधिकरण के कौन से लोग थे जो इन अधिकरणों के कार्य संचालन में जुड़े हुए थे। स्वाभाविक रूप से, उनमें से जो लोग अपराधी हैं, मुकद्दमा उन पर किया जाएगा। उनमें से लोगों के चुने जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री जगमोहन : महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वह कृपया यह बताएं। मैं यह बात अपनी व्यक्तिगत जानकारी से कह रहा हूँ क्योंकि वर्ष 1993 में, जब मैं उपराज्यपाल था, उस समय ऊंचे-ऊंचे भवनों तथा अन्य सार्वजनिक भवनों जैसे कि सिनेमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान शुरू किया गया था उस अभियान के परिणामस्वरूप वर्ष 1983 में सिनेमाओं के 12 लाइसेंस निरस्त किए गये जिनमें उपहार सिनेमा भी शामिल था।

नोटिसें जारी की गई थी तथा बहुत सी कमियां प्रकाश में आई, उन आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय ने, इस सिनेमाघर के मालिकों तथा अन्य सिनेमाघरों के मालिकों की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया।

क्या यह सच है कि स्थगन आदेश पिछले 14 वर्षों से लागू है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक दुर्घटना पहले ही घट चुकी है। बाकी 11 सिनेमाघरों, जिन्हें कि अभी भी स्थगन आदेश मिला हुआ है, के बारे में क्या हुआ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये सत्य है अथवा नहीं। यदि यह सच है तो 14 वर्षों की लम्बी अवधि के लिए स्थगन आदेश को जारी रखने के लिए जिम्मेदार है?

इसको देखते हुए, जैसा कि मैं कह रहा हूं क्या आप कृपया उन्हीं सिद्धांतों जैसे कि नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक के मामले में है के आधार पर न्यायिक जांच की अवधारणा पर विचार करेंगे? महापरीक्षक (न्यायिक) कतिपय मामलों की जांच कर सकते हैं तथा उच्चतम न्यायालय अथवा संसदीय समिति को सीधे रिपोर्ट दे सकते हैं। मैंने कई बार यह सुझाव दिया है परन्तु किसी न किसी वजह से इस तरह के सुझाव पर विचार नहीं किया गया अथवा इसे समझा ही नहीं गया।

यदि गृह मंत्री महोदय के पास अभी सूचना नहीं है तो वह हमको बाद में जानकारी दे सकते हैं। परन्तु इससे यही वास्तविक गंभीर मुद्दा जुड़ा हुआ है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन 12 सिनेगाघरों के बारे में विशेष मुद्दे तथा वर्ष 1983 में न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने की व्यवस्था किसने की...

श्री जगमोहन : मैंने ही इसे निरस्त किया था, इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह वर्ष 1983 में हुआ था मुझे बताया गया है कि यह अभी भी प्रचालन में है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं इसकी जांच करूंगा तथा इसे सत्यापित करूंगा। मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट : सरकार को पता होना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्हें पूरा करने दें।

...(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जहां तक इस समय का संबंध है। मैं कह सकता हूं कि उपहार सिनेमा घटना के पश्चात्, पांच सिनेमाघरों जिनमें सुरक्षा विनियमों में किसी भी तरह की अधिक कमी पाई गई तो उन्हें बंद कर दिया गया है। उनके नाम हैं विजय, कौशल, खन्ना, न्यू फिल्मिस्तान तथा चांद हैं।

मुझे सिर्फ यह बताया गया है कि वर्ष 1983 में जारी हुआ स्थगन आदेश जारी है तथा प्रचालन में है।

श्री जगमोहन : भगवान! मैंने जो कहा वह सही है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय को अपनी बात पूरी करने दें कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : यह बहुत दुखद है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : प्रोफसर कृपया अपनी सीट पर बैठ जायें तथा मंत्री महोदय को बात पूरी करने दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि क्या अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्राधिकरण की ओर से स्थगन आदेश को बरकरार रखने में कोई आपराधिक अभियोज्यता थी। चूंकि लाइसेंस प्राधिकरण दिल्ली पुलिस का विभाग है अतः दिल्ली पुलिस जांच से इस क्षेत्र को भी हटा लिया है।

इस बात की जांच की जा रही है कि क्या इतने लम्बे समय तक स्थगन रद्द न किए जाने के पीछे किसी का हाथ है और यह पता चल जाएग कि कौन उत्तरदायी है क्योंकि माननीय सदस्य ठीक-ठीक जानना चाहते हैं।

सभापति महोदय : श्री जय प्रकाश अग्रवाल।

...(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : महोदय, इस प्रश्न के और अधिक विस्तृत उत्तर की जरूरत है।

सभापति महोदय : इन पर्याप्त समय ले चुके हैं। यह प्रश्नकाल है हम इस पर फिर किसी मौके पर चर्चा कर सकते हैं।

श्री राजेश पायलट : महोदय, ऐसी बात को प्रकाश में लाया गया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : राजेश पायलट जी, हम इस पर दूसरे तरीकों से चर्चा कर सकते हैं।.

श्री राजेश पायलट : यह एक मूल जानकारी है। सरकार ने फाईल भी नहीं खोली...*(व्यवधान)* इस कारण यह परिस्थिति उत्पन्न हुई। सैकड़ों लोगों को...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : महोदय, यदि आप आधे घन्टे की चर्चा की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इस पर हम बाद में चर्चा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : सभापति महोदय, यह हादसा केवल उपहार सिनेमा का ही नहीं है बल्कि और कई बिल्डिंग्स में उन्हीं दिनों आग लगी थी। आज दिल्ली कंकरीट का जंगल बनी हुई है, जिसमें बिल्डर्स और एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी मिले हुए हैं और इसी मिलीभगत के कारण अन-ऑथराइज कंस्ट्रक्शन होता है तथा जिसकी वजह से आग लगती है। आज इसको कोई चैक करने वाला नहीं है। फायर-ब्रिगेड की हालत खस्ता है। आज तक कोई भी महकमा

बैठकर यह सोचने के लिए तैयार नहीं है कि क्या होना चाहिए। जब दिल्ली में इतने हादसे होते हैं तो क्या दिल्ली के राज्यपाल ने, दिल्ली के कन्सर्न आफिसर्स ने या होम-मिनिस्टर ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकर यह जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिल्ली में जितने सिनेमा-हॉल हैं उनमें पांच सिनेमा-हॉल के पास ही कम्पलीशन सर्टिफिकेट है, किसी के पास नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है। मैं आपके माध्यम से होम-मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि वे फायर-ब्रिगेड को और अच्छा और मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं जिससे ये हादसे न हों। साथ ही साथ इन हादसों के लिए जो भी ऑफिसर्स जिम्मेदार हों, चाहे पुलिस में हों या एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके खिलाफ खुले रूप से आप क्या एक्शन लेने वाले हैं ताकि आगे ऐसे हादसे न हों।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं पहले ही बता चुका हूं कि सभी मामलों में जिनसे इन लोगों की अभियोज्यता अथवा लापरवाही का पता चलता है चाहे वे पुलिस अधिकारी हैं अथवा अन्य कोई अधिकारी है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, तथा उनके अपराध के हिसाब से उन्हें निश्चित रूप से सजा दी जाएगी।

जहां तक दूसरे मुद्दे का संबंध है मुझे आंकड़ो की जांच करनी है, उन्होंने कहा है कि इनमें से अधिकांश सिनेमाघरों के पास निष्पत्ति प्रमाण पत्र नहीं हैं, मैं निश्चित रूप से इसे देखूंगा।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वर्तमान में इन सभी सिनेमाघरों, ऊंचे-ऊंचे भवनों आदि में कोई भी ऐसा व्यक्ति तैनात नहीं है जो कि उन खतरनाक संकेतों को देख सकें जिनसे आग लग सकती है। वह समय पर एक चेतावनी दे सकता है। हर एक बिल्डिंग में एक केयर टेकर के नाम से जाना जाने वाला व्यक्ति होता है केयर टेकर को कम वेतन मिलता है जिसके बारे में कोई नहीं सोचता; उस केयर टेकर की परवाह कोई भी नहीं करता है। उपराज्यपाल ने एक प्रस्ताव बनाया है कि नागरिक सुरक्षा वार्डनों को आग से निबटने प्राथमिक उपचार आदि के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। दिल्ली में ऐसे लगभग 42,000 नागरिक सुरक्षा वार्डन हैं। मेरे विचार से यदि इन्हें अग्निशमन के कार्य पर लगाया जाए तथा वे सभी भवनों की निगरानी करें और वहां डयूटी पर रहें तो इससे समय पर चेतावनी देने में बहुत मदद मिलेगी।

तिलहनों के उत्पादनों में गिरावट

+

*83. **डा॰ असीम बाला :**

श्री अनिल बसु :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान तिलहनों के उत्पादन के लिए राज्य-वार कितना वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा वास्तविक उत्पादन कितना हुआ;

(ख) क्या उन अपारम्परिक राज्यों में विशेषकर पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में, जहां तिलहनों का उत्पादन कम होता है, अधिक तिलहन का उत्पादन प्राप्त करने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) तिलहनों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) एक विवरण अनुबंध-I पर प्रस्तुत है।

(ख) तोरिया-सरसों और सीसमम पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों की प्रमुख तिलहनी फसलें हैं। वृहद एकल फसली क्षेत्र में धान के बाद तथा इस क्षेत्र की परती भूमि और नदी तराई क्षेत्रों में सोयाबीन, मूंगफली और सफेद-सीसमम की खेती की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, जिनसे खरीफ मौसम में किसानों को बेहतर परिणाम मिल सकते हैं तथा तोरिया-सरसों, सूरजमुखी, अलसी और गर्मी की मूंगफली की उच्च उत्पादक किस्मों से रबी की गरमी की फसलों के रूप में किसानों को अतिरिक्त परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस दृष्टि से, तिलहन एवं दलहन प्रौद्यागिकी मिशन तथा राष्ट्रीय तिलहन एवं वनस्पति तेल विकास बोर्ड (नोवोड बोर्ड) मिनिकिट कार्यक्रम के माध्यम से उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करके तथा उच्च उत्पादक किस्मों/संकर किस्मों का प्रचार-प्रसार करके पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी राज्यों में तिलहन की खेती को बढ़ावा दे रहा है।

(ग) पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों की फसल क्षमता को अनुबंध-II में दर्शाया गया है।

(घ) एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ॰पी॰पी॰) (22 प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य तिलहन के उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोत्तरी लाना है जिससे कि देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बीज मिनीकिट राइजोबियम कल्चर जिप्सम/पाइराइट, उन्नत फार्म उपस्कर, पौध संरक्षक उपकरण स्प्रिंकलर सेट आदि जैसे प्रमुख आदानों के उत्पादन और वितरण पर सब्सिडी के रूप में विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। इसके अलावा, उत्पादन प्रौद्योगिकी का अंतरण करने के लिए किसानों के खेतों में अग्रणी तथा सामान्य प्रदर्शन आयोजित किये जा रहे हैं। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता लाने के उद्देश्य से देश में "आयल पाम" की खेती को बढ़ावा देने की परियोजना चलायी जा रही है।

आगे देश में तिलहन उत्पादन कार्यक्रमों के पूरक के रूप में गैर परंपरागत स्रोतों जैसे कपास-बीज, चावल की भूसी से तेल निकाला जा रहा है तथा कुछ हद तक वन आधारित तेल प्राप्त किये जा रहे हैं।

अनुबंध-I

(लाख टन)

क्र.सं.	राज्य	1994-95		1995-96		1996-97	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (अनुमानित)
1.	आन्ध्र प्रदेश	26.0	21.1	25.0	28.4	24.75	23.65
2.	असम	2.0	1.6	1.9	1.6	1.84	2.0
3.	बिहार	1.8	1.4	1.8	1.4	2.06	1.4
4.	गुजरात	30.0	37.1	29.0	21.6	28.50	35.9
5.	हरियाणा	8.0	8.6	8.5	8.2	8.08	9.9
6.	हिमाचल प्रदेश	0.2	0.8	-	0.8	-	0.8
7.	जम्मू व कश्मीर	0.5	0.27	0.5	0.27	0.50	0.32
8.	कर्नाटक	19.0	15.4	18.7	17.9	17.87	18.2
9.	मध्य प्रदेश	41.5	38.6	42.0	49.0	46.42	50.0
10.	महाराष्ट्र	19.0	18.1	22.0	19.8	21.15	24.2
11.	उड़ीसा	9.0	2.4	7.5	2.4	7.39	1.9
12.	पंजाब	2.7	2.6	2.7	2.7	2.71	3.3
13.	राजस्थान	26.0	28.3	27.2	30.7	30.17	35.7
14.	तमिलनाडु	15.0	18.7	17.2	20.4	16.35	17.2
15.	उत्तर प्रदेश	13.0	13.8	15.5	14.7	15.64	15.5
16.	पश्चिम बंगाल	5.0	4.1	4.6	4.1	4.68	4.2
17.	अन्य	1.3	0.53	0.9	0.33	1.90	0.43
	अखिल भारत:	220.0	213.4	225.0	224.3	230.0	244.5

अनुबंध-II

प्रत्येक राज्यों के सामने दर्शायी गयी प्रमुख फसलों की सूची

पूर्वी राज्य	प्रमुख फसलें
1	2
बिहार	मूंगफली, सूरजमुखी, शीशमम, कुसुम, सोयाबीन, रामतिल, एरंड तथा अलसी
पश्चिम बंगाल	मंगूफली, तोरिया-सरसों, शीशमम, सूरजमुखी तथा अलसी
उड़ीसा	मंगूफली, तोरिया-सरसों, तिल, रामतिल, एरंड, अलसी, सूरजमुखी, तथा कुसुम, सोयाबीन
असम	तोरिया-सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, मूंगफली तथा रामतिल
मणिपुर	तोरिया-सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन
मेघालय	तोरिया-सरसों, तिल तथा सोयाबीन
मिजोरम	तोरिया-सरसों, तिल, सोयाबीन तथा मूंगफली

1	2
नागालैंड	तोरिया-सरसों, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, अलसी तथा सूरजमुखी
अरूणाचल प्रदेश	तोरिया-सरसों, तिल, सोयाबीन, तथा मूंगफली
सिक्किम	तोरिया-सरसों, सोयाबीन
त्रिपुरा	मूंगफली, तिल तथा तोरिया-सरसों

डा॰ असीम बाला : तिलहन फसलों का महत्व तथा पोषण सुरक्षा में खाद्य तेलों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए तथा विदेशी मुद्रा संतुलन को नियंत्रित करने के लिए, तिलहनों को 1986 में संघ सरकार द्वारा टेक्नॉलॉजी मिशन ऑफ आयलसीड्स (टी.एम॰ओ॰) के अंतर्गत लाया गया था। प्रत्येक वर्ष के बजट में 94.56 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाती रही है। वर्ष 1987-88 तथा 1992-93 के बीच उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर दस प्रतिशत थी जो कम होकर 2.5 प्रतिशत रह गई। उसके बाद से अब तक तिलहनों के उत्पादन में कमी आई है। तत्पश्चात् यह मात्रा लगभग 21 मिलियन टन तक पहुँच गई है।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगी कि सरकार इस स्थिति में किस प्रकार सुधार कर पाएगी।

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महोदय, यह तो सच है कि ऑयल सीड का उत्पादन बढ़ा है लेकिन खर्चा भी बढ़ता जा रहा है।

इसीलिए इसका मुकाबला करने के लिए एक विशेष योजना की जरूरत है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। एरिया एक्सटैंशन के कारण पहले इसका तेजी से उत्पादन हुआ लेकिन अब एरिया का लिमिटेशन हो गया है। इसीलिए अब इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए किसानों को जितनी मात्रा में मदद देनी चाहिए, वह हम अपने बजट से उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। इसीलिए हमें विदेशों से तेल मंगाना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको सूचित किया कि इसका लगातार इम्पोर्ट बढ़ता चला जा रहा है। वह 1994-95 में 625 करोड़, 1995-96 में 2261 करोड़ और 1996-97 में तीन हजार करोड़ था। हम इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा कर ही इसे मीट कर सकते हैं। पाम आयल का उत्पादन बढ़ाने में समय लगेगा क्योंकि इसका पेड़ लगाने के बाद कई वर्ष लग जाते हैं। वह सस्ता होता है। विभाग ने इसकी एक योजना बनायी है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र में पाम के पेड़ लगाने की योजना है।

[अनुवाद]

डा॰ असीम बाला : महोदय, भारत में तेल की खपत जो 1989-90 में जो प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष 6.3 कि॰ग्रा॰ थी बढ़कर 8.9 कि॰ग्रा॰ प्रति वर्ष हो गई है इसकी तुलना में विश्व का औसत प्रति वर्ष 16 कि॰ग्रा॰ है जबकि आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए तिलहन उत्पादन में प्रति वर्ष 13 प्रतिशत वृद्धि होना आवश्यक है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि जब तेल उत्पादन की वृद्धि दर दस प्रतिशत है तथा जब इसमें भी कमी आ रही है, तो हम आत्मनिर्भरता कैसे हासिल कर पाएंगे?

[हिन्दी]

श्री चतुरानन मिश्र : सभापति महादेय, मैंने पहले ही कहा कि हमारी प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड से कम्पेयर करने पर बहुत कम है। सोयाबीन का हमारे यहां प्रोडक्शन 1046 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है और वर्ल्ड में 1974 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है जो कि बहुत कम है। ग्राउंडनट में कुछ अच्छा है लेकिन वर्ल्ड आउटपुट 1151 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है और हमारी 921 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है। रैपसीड और मस्टर्ड तीसरे किस्म का ऑयल है। इसे ज्यादा लोग खाते और उपजाते हैं। इसमें वर्ल्ड का रेट 1363 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर और हमारा 851 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है। एक सनफ्लावर भी है जिस का हम ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। सोयाबीन, ग्राउंडनट, रेपसीड और सनफ्लावर चारों ऐसे हैं जिन की तेजी से उत्पादकता बढ़ा कर लोगों की माँग की पूर्ति की जा सकती है। सनफ्लावर में हमारा 547 कि॰ग्रा॰ प्रति हैक्टेयर और वर्ल्ड में 1306 कि॰ग्रा॰ हैक्टैयर है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि उत्पादकता बढ़ा कर हम इस समस्या को हल कर सकते हैं लेकिन बजट में इतना प्रावधान नहीं है कि हम किसानों की उचित मदद कर सकें।

[अनुवाद]

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूँ कि क्या भारत सरकार द्वारा नारियल को भी तिलहनों में से एक तिलहन घोषित किया गया है, और यदि हाँ, तो क्या नारियल के लिए भी वह सभी लाभ प्रदान किए गए हैं जो भारत सरकार ने अन्य तिलहनों को 'टेक्नॉलॉजी मिशन' के अंतर्गत प्रदान किए हैं?

श्री चतुरानन मिश्र : महोदय, जहाँ तक नारियल का सवाल है, यह नारियल बोर्ड के अंतर्गत है। हम उसे अभी तक 'टेक्नॉलॉजी मिशन' के अंतर्गत नहीं लाए हैं। नारियल के लिए जो भी सहायता चाहिए वह नारियल बोर्ड द्वारा प्रदान की जाती है तथा उसके लिए पर्याप्त धन भी उपलब्ध कराया जाता है...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : नहीं महोदय। नारियल को तिलहन के रूप में पिछली सरकार के समय घोषित किया गया था...*(व्यवधान)*

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, पिछली सरकार ने नारियल को, तिलहन घोषित किया था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप इस प्रकार नहीं पूछ सकते।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, मैं विशेषतः यह पूछना चाहता हूँ कि क्या 'टेक्नॉलॉजी मिशन' के अंतर्गत नारियल की फसल के लिए सभी लाभ प्रदान किए गए हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप इस प्रकार प्रश्न नहीं कर सकते।

मंत्री महोदय, प्रश्न यह है कि क्या नारियल को भी एक तिलहन के रूप में सम्मिलित किया गया है और यदि हाँ, तो क्या उसके लिए भी सुविधाएं प्रदान की गई हैं अथवा नहीं।

श्री चतुरानन मिश्र : महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम नारियल से तेल प्राप्त करते हैं। मैं इस बारे में आपके समक्ष सभी तथ्य प्रस्तुत कर सकता हूं। उन्हें नारियल बोर्ड से सहायता प्राप्त होती है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, यह मुद्दा नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, मेरा यह प्रश्न नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 'टेक्नॉलॉजी मिशन' के अंतर्गत नारियल को भी सहायता प्रदान की गई है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया मंत्री जी की बात सुनें।

श्री चतुरानन मिश्र : महोदय, यह 'टेक्नॉलॉजी मिशन' के तहत नहीं है और न ही मेरे विचार से 'टेक्नॉलॉजी मिशन' के तहत इसके लिए कोई अतिरिक्त सहायता उपलब्ध हो सकती है। इसके लिए नारियल बोर्ड को धनराशि प्रदान की गई है तथा आप उसी से मदद प्राप्त कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो मैं उनके साथ विचार-विमर्श करने के लिए तैयार हूं। उनका स्वागत है...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, यह सही नहीं है। नारियल एक तिलहन है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रमेश चेन्नितला, कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप इस प्रकार बात नहीं कर सकते। श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन जी, आप अपनी बात कह चुके हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री ए-सी- जोस : महोदय, उन्हें स्पष्ट करने दीजिए यह उचित नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री जोस, आपको अनुमति नहीं दी जाती। आप कृपया बैठ जाइए।

श्री चतुरानन मिश्र : महोदय, मैं पहले ही बता चुका हूं और मैं पुनः दोहरा रहा हूं। यह बागवानी के अंतर्गत आता है। यह तिलहन नहीं है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, यह सही नहीं है। यह एक तिलहन है।

श्री ए- सम्पथ : महोदय, सरकार द्वारा इसे एक तिलहन घोषित किया गया था। हम यही मानते हैं कि यह अभी भी एक तिलहन ही है। यदि यह एक तिलहन है तो इसे 'टेक्नॉलॉजी मिशन' के अंतर्गत सभी लाभ मिलने चाहिए। इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि यह एक तिलहन नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री कोडीकुन्नील सुरेश : महोदय, कृपया माननीय मंत्री जी से स्पष्ट करने को कहिए। नारियल एक तिलहन है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाएं।

श्री ई- अहमद : महोदय, भूतपूर्व कृषि मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया था तथा बताया था कि नारियल को एक तिलहन के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है तथा उससे संबंधित सभी लाभ उसे प्रदान किए जाएंगे। अब माननीय मंत्री जी सरकार के पूर्व निर्णय का विरोध कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से विवरण की माँग करता हूं जिसमें यह स्थिति स्पष्ट की जाए कि क्या नारियल को एक तिलहन के रूप में सम्मिलित किया गया है या नहीं...*(व्यवधान)*

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : महोदय, मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि क्या नारियल को एक तिलहन घोषित किया गया है अथवा नहीं तथा क्या उसे लाभ प्रदान किए जाएंगे अथवा नहीं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। इसीलिए, कृपया बताएं कि क्या इसे एक तिलहन के रूप में सम्मिलित किया गया है और यदि हाँ तो क्या नारियल के लिए लाभ प्रदान किए गए हैं अथवा नहीं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मंत्री जी श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा उठाए गए विशेष प्रश्नों के बारे में बाद में बतायेंगे।

श्री चतुरानन मिश्र : महोदय, यह वृक्ष से उत्पन्न होने वाला तिलहन है। ऐसे कई तिलहन हैं जो वृक्ष से उत्पन्न होते हैं।

सभापति महोदय : नहीं, मंत्री जी, बात यह नहीं है। आप उन्हें बाद में स्थिति के बारे में बता सकते हैं।...*(व्यवधान)*

डा- के-पी- रामलिंगम : महोदय, यह नारियल के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार इसे पहले ही एक तिलहन घोषित कर चुकी है; अब मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि ठीक क्या है?

सभापति महोदय : हमारे पास केवल एक मिनट शेष है। माननीय मंत्री जी आपको बताएंगे।

मैंने श्री एन-एस-वी- चित्तन को बुलाया है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री एन-एस-वी- चित्तन : महोदय, यह बात परिशिष्ट-2 से स्पष्ट होती है कि पहाड़ी राज्यों जैसे मणिपुर और मेघालय को छोड़कर

सभी राज्यों में मूंगफली उगाई जाती है। मूंगफली की फसल से काफी लाभ होता है तथा यह कृषकों के लिए और विशेषकर दक्षिण के कृषकों के लिए तो वरदान है। धान और गेहूं के विपरीत मूंगफली की खेती कम सिंचाई में भी की जा सकती है तथा इसका उत्पादन अधिकतर वर्षा सिंचित क्षेत्रों में ही होता है। अन्य विभिन्न बीजों से तुलना किए जाने पर यह ज्ञात होता है कि मूंगफली की संकर किस्मों का विशिष्ट रूप से उपयोग नहीं किया गया है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या सरकार आगे भी ठोस अनुसंधान करेगी तथा राष्ट्र की मांग को पूरा करने हेतु मूंगफली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रभावी संकर किस्मों को उपयोग में लाएगी?

श्री चतुरानन मिश्र : महोदय, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है चाहे यह तमिलनाडु में हो या दक्षिण के किसी अन्य राज्यों में। हम इसे प्रचुर मात्रा में पा सकते हैं। परंतु इसके लिए जल तथा पर्याप्त संख्या में छिड़काव यंत्रों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। पिछले वर्ष की बजट व्यवस्था से हम इस कमी को पूरा नहीं कर पाए थे। ऐसा केवल तमिलनाडु में ही नहीं, अपितु अन्य राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा आन्ध्र प्रदेश में भी हुआ था। उन्होंने और अधिक छिड़काव के यंत्रों की मांग की थी। परंतु बजटीय राशि पर्याप्त नहीं थी कि हम उन सभी को उपलब्ध करा पाते। यही मुख्य कारण है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया। जहां तक संकर किस्मों के अनुसंधान का सवाल है हम उसके लिए प्रयत्नशील हैं ...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बाढ़ और प्राकृतिक आपदायें

***84. श्री कोडीकुनील सुरेश :**
श्री के॰पी॰ सिंह देव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1997 के दौरान बाढ़ तथा प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इनके परिणामस्वरूप बुरी तरह से प्रभावित राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जान और माल के नुकसान का भी आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनके कारण राज्य-वार कितना नुकसान हुआ है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को बाढ़ तथा प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राज्य सरकारों से कोई ज्ञापन/विस्तृत ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या उन राज्यों में राहत तथा पुनर्वास संबंधी कोई उपाय किए गए हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से कोई केन्द्रीय सहायता दिए जाने का अनुरोध किया है;

(ञ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा राहत उपायों के लिए राज्य-वार अब तक कुल कितनी धनराशि जारी की गयी है; और

(ट) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रकार की परिस्थितियों से निपटने हेतु क्या विशेष कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) से (ट) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश के राज्य मार्च-अप्रैल, 1997 में ओला वृष्टि से प्रभावित हुए। दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान भारी वर्षा तथा बाढ़ से नौ राज्यों अर्थात् अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल के कुछ भाग असमान रूप से प्रभावित हुए हैं। अरूणाचल प्रदेश, केरल सिक्किम, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के कुछ भाग भू-स्खलन से भी प्रभावित हुए हैं। 22 मई, 1997 को मध्य प्रदेश में जबलपुर और उसके आस-पास के क्षेत्रों में मध्यम तीव्रता का भूकम्प आया।

2. भारत सरकार तथा राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए दीर्घावधि कार्यक्रम चलाती है। बहरहाल राज्य सरकारें तुरन्त बचाव और राहत उपाय करती हैं जैसे फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना, खाने के पैकेट वायुयान से गिराना, राहत शिविर लगाना, स्वास्थ्य और पशु-चिकित्सा केन्द्र चलाना, अनुग्रह राहत का वितरण और प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता मुहैया कराना। दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर इस प्रयोजन के लिए 1995-96 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए 6304.27 करोड़ रुपये के एक आबंटन के साथ एक राज्य आपदा राहत कोष बनाया गया है। राज्य आपदा राहत कोष से राज्यवार आबंटन दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। राज्य आपदा राहत कोष में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों का अंशदान क्रमशः 75:25 के अनुपात में है। राज्य आपदा राहत कोष में केन्द्र का वार्षिक अंशदान राज्य सरकारों को चार समान तिमाही किश्तों में निर्मुक्त किया जाता है। ताकि प्राकृतिक आपदा आने पर वे तुरन्त कार्रवाई कर सकें। यदि आवश्यकता हो तो राज्य इन तिमाही किश्तों को अग्रिम तौर पर भी प्राप्त कर सकते हैं।

3. विरल गंभीरता वाली आपदा के मामले में भारत सरकार एक केन्द्रीय दल द्वारा क्षति का मूल्यांकन किए जाने के बाद राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। राष्ट्रीय आपदा राहत समिति केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से सहायता की मात्रा का निर्णय करती हैं राष्ट्रीय आपदा

राहत निधि में वर्ष 1995-2000 की अवधि के लिए 700 करोड़ रुपये धनराशि निर्धारित है (40 करोड़ रुपये वार्षिक) जिसमें से 539 करोड़ रुपये निर्मुक्त कर दिए गए हैं। अन्य मंत्रालयों जैसे ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय, शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय भूतल परिवहन मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आदि से भी संबंधित राज्य को सहायता दी जाती है।

4. अब तक सभी राज्य सरकारों को वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य आपदा राहत कोष में केन्द्रीय अंश की दो-दो किश्तें दी जा चुकी हैं। गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और सिक्किम के राज्यों को राज्य आपदा राहत कोष से अग्रिम राशियां निर्मुक्ति की जा चुकी हैं। राज्य सरकारों द्वारा सूचित 1997 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षति तथा राज्य आपदा राहत कोष से 1997-98 के दौरान धन की निर्मुक्ति ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

5. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित राज्यों से ज्ञापन प्राप्त हुए हैं:-

क्रम सं॰	राज्य	आपदा	मांगा गया धन (रु करोड़ों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	ओलावृष्टि	82.11
2.	गुजरात	बाढ़	664.33
3.	केरल	बाढ़	1106.26
4.	मध्य प्रदेश	भूकम्प	230.77
5.	सिक्किम	भूस्खलन	107.39

6. राष्ट्रीय आपदा राहत समिति द्वारा लिये गए निर्णय के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार को 45.26 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से दी गई है जो भूकम्प से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास उपायों के लिये हैं। केन्द्रीय दलों ने गुजरात और सिक्किम के दौरे पूरे कर लिये हैं और राष्ट्रीय आपदा राहत समिति उनकी रिपोर्टों के आधार पर उन राज्यों की अतिरिक्त सहायता यदि कोई हो तो, देने के बारे में शीघ्र ही कोई निर्णय ले लेगी। केरल स हाल ही में ज्ञापन प्राप्त हुआ है तथा एक केन्द्रीय दल शीघ्र उस राज्य का दौरा करेगा।

7. राहत तथा पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को दी जा रही वित्तीय सहायता के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार नीचे दिए गए उपाय भी कर रही है:-

(1) प्रति वर्ष मानसून की शुरूआत से पहले राज्य आपदा आयुक्तों के सम्मलेन में आपदा तैयारी उपायों का जायजा लिया जाता है।

(2) विभिन्न प्रकार की मौसम स्थितियों के बारे में एक फसल आपात योजना तैयार करके राज्यों को परिचालित की गयी है। इस योजना के आधार पर राज्य सरकारों ने विशिष्ट आपात योजनाएं बनाई हैं।

(3) कृषि मंत्रालय में "क्राप वेदर वाच ग्रुप" वर्षा के पैटर्न तथा फसल स्थिति की मानिटरिंग करता है।

(4) कृषि मंत्रालय में आपदा प्रबन्ध दल प्राकृतिक आपदाओं के आने पर तात्कालिक उपायों की मानिटरिंग करता है।

(5) कृषि मंत्रालय द्वारा केन्द्र में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध केन्द्र की स्थापना की गयी है एवं आपदा प्रबन्ध संबंधी क्षमता के उन्नयन के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक आपदा प्रबंध संबंधी संकार्यों को तथा सामुदायिक जागृति को बढ़ावा देने के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है।

विवरण-I

1995-2000 के लिए आपदा राहत निधि

(लाख रुपये)

राज्य	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	1995-2000
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	11721	12419	13105	13773	14359	65377
2. अरूणाचल प्रदेश	661	704	743	781	813	3705
3. असम	4720	5001	5277	5547	5783	26328
4. बिहार	4904	5196	5483	5763	6007	27353
5. गोवा	101	107	113	119	124	564
6. गुजरात	13176	13960	14731	15483	16140	73490

	1	2	3	4	5	6	7
7.	हरियाणा	2365	2505	2644	2779	2897	13190
8.	हिमाचल प्रदेश	2544	2695	2844	2989	3116	14188
9.	जम्मू व कश्मीर	1860	1971	2079	2184	2279	10374
10.	कर्नाटक	3949	4185	4416	4641	4839	22030
11.	केरल	5229	5540	5847	6144	6405	29165
12.	मध्य प्रदेश	4821	5108	5389	5665	5905	26888
13.	महाराष्ट्र	6437	6820	7197	7564	7885	35903
14.	मणिपुर	235	248	261	275	287	1306
15.	मेघालय	263	279	295	309	323	1469
16.	मिजोरम	120	127	133	140	147	667
17.	नागालैंड	160	171	180	188	196	895
18.	उड़ीसा	4625	4901	5172	5436	5667	25801
19.	पंजाब	5111	5415	5715	6005	6261	28507
20.	राजस्थान	16899	17904	18893	19856	20700	84252
21.	सिक्किम	444	471	497	523	544	2479
22.	तमिलनाडु	5602	5935	6263	6583	6863	31245
23.	त्रिपुरा	424	449	475	499	520	2367
24.	उत्तर प्रदेश	11809	12512	13203	13876	14467	65867
25.	पश्चिम बंगाल	4844	5132	5416	5692	5933	27017
	योग	113026	119755	126371	132815	138460	630427

विवरण–II

राज्यों द्वारा यथासूचित वर्ष 1997 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति एवं वर्ष 1997–98 के दौरान आपदा राहत निधि से निर्मुक्त धनराशि

क: भारी वर्षा, बाढ़, भूस्खलन एवं ओलावृष्टि 1997–98 के दौरान

क्रम सं॰	राज्य	प्रभावित जिले (संख्या)	प्रभावित गांव (संख्या)	फसलों की क्षति (लाख है.)	प्रभावित जन सं॰ (लाख)	मकानों की क्षति (सं)	मौतें (संख्या)	आपदा राहत निधि के केन्द्रीय अंश से निर्मुक्त राशि (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	16	1733	1.00		1147	60	49.145
2.	अरूणाचल प्रदेश		5				8	2.785
3.	असम	17	3474	1.06	25.85	4770	13	19.790

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	बिहार	15	3687	4.60	34.03	88523	41	20.560
5.	गुजरात	17	2125	1.98		102220	191	82.860
6.	हरियाणा	15	339	0.48				9.915
7.	कर्नाटक	11		0.05		1641	66	16.560
8.	केरल	14	941	0.46	54.00	14292	131	32.888
9.	मध्य प्रदेश	5	169					40.420
10.	महाराष्ट्र	17					64	26.990
11.	पंजाब	6	159	0.08				21.430
12.	सिक्किम	3				3000	67	2.798
13.	उत्तर प्रदेश	14	1373	0.19	2.47	609	30	49.510
14.	पश्चिम बंगाल	3			1.17	2000		20.310
	कुल	153	14005	9.90	117.25	218202	671	395.961
					ख: भूकम्प			
	मध्य प्रदेश	16	1792		13.40	165668	39	40.420

[हिन्दी]

नर्मदा नदी में प्रदूषण

***85. श्री दादा बाबूराव परांजपे :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नर्मदा नदी के जल को कितने कारखाने प्रदूषित कर रहे हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा नर्मदा नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने नर्मदा नदी के जल को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त रखने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले से होता है तथा यह मध्य-प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात से होकर गुजरने के बाद उम्भात की खाड़ी में मिल जाती है। महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में इस नदी में कोई व्यावसायिक बहि:स्राव नहीं मिलता है। मध्य-प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के कैचमेंट क्षेत्र में कुल 20 फैक्टरियां स्थित हैं तथा इनमें से किसी भी इकाई द्वारा नदी में नियमित रूप से सीधे निस्तारण नहीं किया जाता है। तथापि, जबलपुर के म्यूनिसिपल सीवेज को बिना किसी उपचार के नदी में निस्तारित किया जाता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अंकलेश्वर में दो घोर प्रदूषणकारी उद्योग हैं तथा दो बड़े औद्योगिक क्षेत्र, एक अंकलेश्वर तथा दूसरा वडोली में है, जिनके कारण गुजरात में नर्मदा नदी में प्रदूषण होने की सूचना मिली है। दोनों औद्योगिक इकाइयों के बहि:स्राव उपचार संयत्रों के संतोषजनक ढंग से काम न करने की सूचना है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचना दी है कि अंकलेश्वर के लगभग 100 लघु उद्योगों द्वारा निस्तारित किए जाने वाले बहि:स्राव का उपचार करने के लिए एक सामूहिक बहि:स्राव उपचार संयंत्र की स्थापना की गई है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(ख) के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को दिनांक 14.7.1997 को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे दोषी इकाइयों को तीन महीने के अन्दर बहि:स्राव उपचार संयंत्र स्थापित करने का नोटिस जारी करें। तीन माह की अवधि में बहि:स्राव उपचार संयंत्र स्थापित न करने वाली दोषी इकाइयों को बन्द करने का नोटिस जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जबलपुर में म्यूनिसिपल सीवेज से होने वाले नदी प्रदूषण को नियंत्रित करने की दृष्टि से सरकार ने राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत 14.57 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर नर्मदा नदी के प्रदूषण निवारण के कार्यक्रम का अनुमोदन किया है।

[अनुवाद]

सुरक्षित भण्डार संबंधी मानदण्ड

***86. श्री सनत कुमार मंडल :**

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1996-97 में 198.17 मिलियन टन खाद्यान्नों का उत्पादन होने के आशावादी अनुमान के बावजूद सरकार सुरक्षित भण्डार संबंधी मानदण्डों को पूरा कर पायेगी;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गेहूँ और चावल जैसे मुख्य खाद्यान्नों के भण्डार सुरक्षित भण्डार संबंधी मानदण्डों के मुकाबले में कितने कम हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन खाद्यान्नों का आयात करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी मात्रा में?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) वर्तमान योजना अनुमानों के आधार पर हम चावल और गेहूँ के संबंध में बफर स्टाक रखने के मानदण्ड क्रमशः दिनांक 1.10.97 और 1.4.98 को पूरे कर लेंगे।

(घ) और (ङ) सरकार ने 1996-97 और 1997-98 के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 20 लाख टन तक गेहूँ आयात करने का निर्णय लिया था इसमें से मई 1997 तक 17.51 लाख टन मात्रा पहले ही प्राप्त हो चुकी है राज्य व्यापार निगम ने 10 लाख टन गेहूँ और आयात करने के लिए ठेके किए हैं जिसके मार्च, 1998 से पहले प्राप्त हो जाने की संभावना है।

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत तीन स्तरीय मूल्य निर्धारण व्यवस्था

***87. श्री के॰एच॰ मुनियप्पा : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबों तथा गरीबी की श्रेणी से ऊपर के व्यक्तियों के लिए पहले से घोषित दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली व्यवस्था के अतिरिक्त पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारण संबंधी एक अन्य स्तर लागू कर इसे तीन स्तरीय मूल्य निर्धारण ढांचे में परिणत कर दिया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना से कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगे?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) 1.6.1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के शुरू होने के संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाप्त हो गई है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन दो प्रकार के मूल्य होंगे - एक गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए और दूसरा गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए । तथापि, यदि किसी राज्य को उसकी विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आवंटन किया जाता है। तो खाद्यान्नों की आपूर्ति इकनामिक लागत पर की जाती है। ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(रुपये प्रति किलो ग्राम)

	गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से ऊपर	आर्थिक लागत
गेहूँ	2.50	4.50	7.62
चावल			
साधारण	3.50	-	8.45
बढ़िया	3.50	6.50	8.88
उत्तम	-	7.50	9.27

(ग) इस योजना से लाभान्वित होने वाले गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या लगभग 32.03 करोड़ है। गरीबी रेखा से ऊपर के लाभभोगियों की संख्या का अनुमान लगाना संभव नहीं है क्योंकि गरीबी की रेखा से ऊपर के परिवारों को की जाने वाली खाद्यान्नों की आपूर्ति की मात्रा को तय करना और इसका वितरण करना राज्य सरकारों को सौंपा गया है।

[हिन्दी]

आयातित गेहूँ का मूल्य

***88. श्री नवल किशोर राय :**

श्री पंकज चौधरी :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित गेहूं का मूल्य घरेलू बाजार में समर्थन मूल्य पर प्राप्त किये जाने वाले गेहूं के मूल्य की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अधिक कीमत पर गेहूं का आयात किये जाने के क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) आयातित गेहूं की अनुमानित

इकनामिक लागत देश में ही वसूल किए गए गेहूं की इकनामिक लागत से कुछ अधिक होगी। इस संबंध में ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

	एकीकृत इकनामिक लागत (अनुमानित लागत) (रुपये/टन)
आयातित गेहूं	8076.00
स्वदेशी गेहूं	7528.30

(ग) गेहूं के उत्पादन में गिरावट आने और उसके परिणामस्वरूप 1996-97 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की कम वसूली होने की वजह से गेहूं के मूल्यों में हुई वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से गेहूं का आयात किया गया था ताकि गेहूं के घरेलू स्टाक में हुई कमी को पूरा किया जा सके और समूची आपूर्ति स्थिति में सुधार किया जा सके।

[अनुवाद]

राज्य व्यापार निगम द्वारा आस्ट्रेलिया से घटिया किस्म के गेहूं का आयात

***89. डा॰ ए॰के॰ पटेल :**

श्री चित्त बसु :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 20 मई, 1997 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित आस्ट्रेलियाई गेहूं में विदेशी अपतृण मिले हुए थे;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार में क्या तथ्य प्रकाश में लाए गए हैं;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम ने गेहूं के आयात के मामले में निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या हाल ही में भारतीय विशेषज्ञों के एक दल ने अपमिश्रित गेहूं की समस्या पर चर्चा करने हेतु आस्ट्रेलिया का दौरा किया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(छ) क्या आदमियों के सेवन की दृष्टि से अनुपयुक्त आयातित घटिया किस्म के गेहूं के संबंध में विभिन्न राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। आस्ट्रेलियाई गेहूं में खर-पतवार के बीज (वीड सीड्स) पाए गए थे। ये बीज कटी हुई फसल का अभिन्न अंग होते हैं और किसी भी खाद्यान्न के आयात में खत-पतवार बीजों का पाया जाना असामान्य नहीं है। आस्ट्रेलियाई गेहूं ठेके के उपबंधों और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम में निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप है और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, हां। आयातित आस्ट्रेलियाई गेहूं में खर-पतवार के बीजों के पाए जाने के विषय पर चर्चा करने के लिए भारत सरकार ने विशेषज्ञों का एक दल आस्ट्रेलिया भेजा था। इस दल के निष्कर्षों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि आयातित गेहूं केवल गेहूं-उत्पादन नहीं करने वाले क्षेत्रों में वितरित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खर-पतवार के बीज गेहूं उत्पाद क्षेत्रों में न पहुंच पाएं।

(छ) जी, नहीं।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

औषधियों के मूल्य

***90. श्री कृष्ण लाल शर्मा :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विनियामक प्राधिकरण के अभाव में अनेक महत्वपूर्ण औषधियों को मूल्य निर्धारण तन्त्र के अंतर्गत नहीं लाया जा सका है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप मलेरिया निरोधी तथा "एन्टी हारमोन्स" औषधियों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के अतिरिक्त आम औषधियों के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है; और

(ग) मूल्य निर्धारण प्राधिकरण स्थापित करने की दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) कीमत नियंत्रण के लिए औषधों के चयन के लिए "औषध नीति, 1986 में संशोधन" में मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं, जो केवल आर्थिक पहलुओं पर आधारित हैं न कि उपचारात्मक दृष्टिकोण पर।

(ख) मलेरिया रोधी और हार्मोन संबंधी औषधों समेत अधिक बिकने वाले सूत्रयोगों पर किए गए अध्ययनों से प्रकट होता है कि यद्यपि कीमतों में कुछ वृद्धि हुई है तथापि ऐसे मामले भी हैं जिनमें

कीमतें घटी हैं। कीमत मूल्यवृद्धि, सरकारी निर्णय और असामान्य नहीं है तथा विभिन्न कारक जैसे कच्चे माल की लागत में वृद्धि, उपयोगिताएं, विदेशी मुद्रा विनिमय में उतार-चढ़ाव आदि इसके कारण हो सकते हैं।

(ग) एन.पी.पी.ए. के चेयरमैन तथा सदस्य सचिव नियुक्त किए जा चुके हैं। यद्यपि एन.पी.पी.ए. प्रशासनिक प्रकृति की समस्याओं के कारण प्रकार्यात्मक नहीं हो पाया है, जिनका निराकरण किया जा रहा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में गेहूं, चावल और चीनी की कमी

*91. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी :**
श्री जी.ए. चरण रेड्डी :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से रिपोर्ट मिली है कि वहां गेहूं, चावल और चीनी की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) खाद्यान्नों की कमी के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) जुलाई, 1997 से राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से वितरण करने हेतु कितना गेहूं और चावल सप्लाई किया गया;

(ङ) क्या नई नीति के अंतर्गत 1 जून, 1997 से निर्धारित किया गया कोटा राज्यों को पूरा तथा पर्याप्त मात्रा में नहीं भेजा गया है; और

(च) यदि हां, तो कुल कितनी कमी महसूस की गई और देश में उचित दर की दुकानों पर गेहूं, चावल और चीनी की पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने के पश्चात् उचित दर दुकानों में खाद्यान्नों और चीनी की अनुपलब्धता के संबंध में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) जुलाई, 1997 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 9,76,220 टन चावल और 6,08,020 टन गेहू आवंटित किया गया है।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जून और जुलाई, 1997 माह के लिए किए गए आवंटनों के प्रति आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टाक उपलब्ध है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य उत्पाद आदेश (आर्डर)

*92. **लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी :**
श्री एन. रामकृष्ण रेड्डी :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई नया खाद्य उत्पाद आदेश जारी कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की दक्षता और उत्पादकता में नए आदेश से कितना लाभ पहुँचेगा;

(ग) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित करने के लिए स्वदेशी उद्योग को इस ओदश से कितना बढ़ावा मिलेगा; और

(घ) इस आदेश पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (घ) सरकार ने हाल ही में फल उत्पाद संशोधन (आदेश), 1997 को अधिसूचित किया है। अधिसूचना (सा.आ.1530) भारत के राजपत्र में 14 जून, 1997 को प्रकाशित की गई थी।

ये संशोधन देश में प्रसंस्कृत फल उद्योग द्वारा काफी समय से महसूस की जा रही जरूरतों को ठीक तरह से पूरा करने के लिए किए गए हैं। आशा है कि इनसे उत्पाद तैयार करने के तरीकों में अधिक नए परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ताओं की सहभागिता को बढ़ावा देने, अच्छी उत्पादन प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने और प्रक्रिया संबंधी देरी और अधिकताओं को कम करने में सहायता मिलेगी।

फल उत्पाद (संशोधन) आदेश 1997 द्वारा अनेक प्रक्रियात्मक संशोधन किए गए हैं ताकि लाइसेंस के नवीनीकरण, लेबल अनुमोदित करने और अनिर्दिष्ट फल उत्पादों के साथ-साथ असेप्टिक और लचीली पैकेजिंग संबंधी प्रक्रिया में नौकरशाही को समाप्त किया जा सके। नवीन उत्पाद मिश्रणों को बढ़ावा देने के लिए उक्त आदेश द्वारा खाद्य योगजों, खासतौर पर एस्पार्टेम और एसिफ्लूमि जैसे कम कैलोरी वाले स्विट्नरों को शामिल करके, की सूची में विस्तार किया गया है।

इसी तरह मौलिक, सीट्रिक, टाटरी और लेक्टिक जैसे अनेक खाद्य एसिडो को एसिड्यूलेंट के तौर पर खाद्य उत्पादों में डालने की अनुमति दी गई है। उनकी मात्रा अच्छी निर्माण प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

इन संशोधनों द्वारा किसी माध्यम के बिना अनेक प्रकार के बहुप्रयोजनीय अचारों की भी व्यवस्था की गई है। इनमें सूखे फलों (न्यूनतम 10 प्रतिशत सूखे फल हों) से तैयार सिरप और शरबत को फल शरबल का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा ये संशोधन

उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों को केन्द्रीय फल उत्पाद परामर्शदात्री समिति में प्रतिनिधित्व देकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित करते हैं।

इन संशोधनों में प्रसंस्कृत फल क्षेत्र की क्षमता और उत्पादकता को बेहतर बनाने के सभी तत्व मौजूद हैं इसलिए आशा की जाती है कि इससे घरेलू उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा। इन संशोधनों की रचना मौजूदा प्रक्रिया को उदारीकृत करने, देरी तथा दोहरेपन को कम करने, नए परिवर्तन तथा अच्छी निर्माण प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए की गई है तथा उन्हें खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ताओं के हितों द्वारा संतुलित किया गया है। अनुमान है कि इन सबसे फल प्रसंस्करण उद्योग पर सकारात्मक और अनुकूल सक्रिय असर पड़ेगा।

इन सबकी फल प्रसंस्करण उद्योग पर प्रतिक्रिया बहुत ही उत्साहजनक हुई है। उद्योग लगातार मांग कर रहा था कि पुराने हो चुके खाद्य कानूनों को समाप्त किया जाए और उनकी जगह नए कानून बनाए जाएं जो नए परिवर्तनों, गुणवत्ता तथा उद्यम की स्वतन्त्रता के साथ-साथ अच्छी निर्माण प्रक्रियाओं को बढ़ावा दें।

फल उत्पाद आदेश में हाल ही में किए गए ये संशोधन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं इसलिए फल प्रसंस्करण उद्योग ने सकारात्मक शब्दों में सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है।

पहचान पत्र

***93. श्री चन्द्र भूषण सिंह :**

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 जून, 1997 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "होम मिनिस्ट्री कीन आन नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए पहचान पत्र प्रणाली शुरू करने की सरकार की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है;

(ङ) इस योजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार की योजना अवैध घुसपैठ की राष्ट्रीय आधार पर रोकने हेतु पहचान पत्र प्रणाली (यथा नागरिकों के लिए हरा और विदेशियों के लिए लाल पहचान-पत्र) शुरू करने की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) से (छ) यह प्रस्ताव अभी अवधारणात्मक अवस्था में है और इसकी गहराई से जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

वाहनों से होने वाला प्रदूषण

***94. श्री काशीराम राणा :**

श्री नारायण आठवले :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख नगरों और शहरों में प्रदूषण, विशेषरूप से वाहनों से होने वाले प्रदूषण के प्रभावों के संबंध में सरकार द्वारा अथवा किसी एजेंसी अथवा अध्ययन दल के माध्यम से हाल ही में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक शहर के लिए उक्त अध्ययन के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है और इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा आज तक के परिणाम क्या हैं; और

(ग) अनेक राज्यों, विशेषरूप से महाराष्ट्र में प्रदूषण नियंत्रण हेतु वर्ष 1997-98 के लिए बनाई गई कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) जी, हां। हाल ही में प्रदूषण, विशेषकर वाहन प्रदूषण पर अनेक अध्ययन किए गए हैं जिनमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, विश्व बैंक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली तथा विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र द्वारा किए गए अध्ययन शामिल हैं।

(ख) (1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अनुमान लगाया है कि देश के 12 प्रमुख शहरों में वाहन उत्सर्जन भार निम्न प्रकार है :

क्र॰सं॰	शहर	वाहन प्रदूषण भार (टन प्रतिदिन)	
		1987	1994
1.	दिल्ली	871.92	1046.30
2.	मुम्बई	546.80	659.57
3.	बंगलौर	253.72	304.47
4.	कलकत्ता	244.77	293.71
5.	अहमदाबाद	243.94	292.73
6.	पुणे	212.76	255.31
7.	चेन्नई	188.54	226.25
8.	हैदराबाद	169.03	202.84
9.	जयपुर	74.98	88.99
10.	कानपुर	71.99	86.17
11.	लखनऊ	69.58	83.49
12.	नागपुर	47.80	57.39

(2) टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने संभावित उपाय निर्धारित करने के लिए एक मॉडलिंग अध्ययन किया है जिससे कि दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता तथा बंगलौर शहरों में प्रदूषण से जुड़े परिवहन को कम करने में मदद मिलेगी।

(3) विश्व बैंक ने प्रदूषण के कारण देश में पर्यावरण के स्तर में आई गिरावट का अनुमान लगाया है। अध्ययन से अनुमान लगाया गया है कि वायु प्रदूषण साथ ही अन्य कारकों जैसे पोषण की सामान्य स्थिति और निम्न जीवन स्तर के कारण भारत के शहरों में रहने वाली आम आबादी पर स्वास्थ्य संबंधी विपरीत प्रभाव पड़ते हैं।

(4) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने दिल्ली के लिए भावी यातायात प्रबंध परिदृश्य पर एक रिपोर्ट तैयार की है।

(5) विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र, नई दिल्ली ने देश में वाहन प्रदूषण की स्थिति, इसके प्रभावों तथा इसके नियंत्रण के उपायों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। अध्ययन से देश के प्रमुख शहरों में वाहन प्रदूषण में वृद्धि होने का पता चलता है जिसका कारण पुराने डिजाइन के इंजन वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि, घटिया किस्म के ईंधन का प्रयोग तथा यातायात प्रबंध और विनियंत्रण संबंधी अपर्याप्त उपायों का होना है।

वाहन प्रदूषण के नियंत्रण के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें नए वाहनों के लिए उत्सर्जन मानकों को उत्तरोत्तर कठोर बनाया जाना, उन्नत किस्म का ईंधन शुरू करना, प्रयोग में जाए जा रहे वाहनों से उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कारगर कार्रवाई करना और सड़क नेटवर्क तथा यातायात प्रबंध में सुधार लाना शामिल है।

इन उपायों के फलस्वरूप दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता तथा चेन्नई शहरों में 1.4.1995 से सीसा रहित पेट्रोल और कैटेलिटिक कन्वर्टर लगे चार पहिया पेट्रोल चालित वाहन शुरू किए गए हैं। 1.1.1997 से सारे देश में कम सीसायुक्त पेट्रोल शुरू किया गया है। दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में 1.4.1996 से कम सल्फरयुक्त डीजल (0.5 प्रतिशत सल्फर) का प्रयोग शुरू किया गया है। नए वाहनों के लिए 1.4.1996 से अधिक कड़े उत्सर्जन मानक लागू किए गए हैं। यांत्रिक ईंधन के लिए ईंधन गुणवत्ता विनिर्देश अधिसूचित किए गए हैं।

(ग) राज्य में प्रत्येक राज्य सरकार प्रदूषण नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होती है। भारत सरकार वायु, जल तथा औद्योगिक प्रदूषण के निवारण और उपशमन से जुड़े मुद्दों के लिए प्रदूषण नियंत्रण कार्य नीतियां तैयार करती हैं इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख श्रेणी के उद्योगों के लिए बहिस्राव तथा उत्सर्जन मानकों और परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को अधिसूचित करना शामिल हैं केन्द्र सरकार उद्योगों और प्रमुख परियोजनाओं के स्थान निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करती है तथा लघु उद्योगों के समूहों के लिए साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों के निर्माण की योजना के वास्ते वित्तीय सहायता देती है। केन्द्र सरकार की 31.12.1998 तक सभी प्रमुख शहरों और नगरों में तथा 1.4.2000 तक सारे देश में सीसा रहित पेट्रोल शुरू करने की योजना है। सारे देश में 1.4.1999 में 0.25 प्रतिशत सल्फरयुक्त डीजल शुरू करने का लक्ष्य है। नए वाहनों के लिए 1.4.2000 से अधिक कड़े उत्सर्जन मानक लागू किए जाएंगे। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के वास्ते एक मसौदा कार्य योजना तैयार की गई है।

महाराष्ट्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए उपायों में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना का कार्यान्वयन, लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों में साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना, और चेम्बूर में प्रदूषण के उपशमन की एक योजना का कार्यान्वयन शामिल है।

[अनुवाद]

पंजाब में विस्फोटकों का भण्डार

***95. डा॰ मुरली मनोहर जोशी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जून, 1997 के 'द हिन्दू' में "अलार्म ओवर आर॰डी॰एक्स॰ री-एन्टरी इन पंजाब" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो पंजाब में वर्ष 1997 में बरामद किए गए आर॰डी॰एक्स॰ और अन्य खतरनाक विस्फोटकों तथा हथियारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जम्मू और कश्मीर में आर॰डी॰एक्स॰ और अन्य विस्फोटक तथा हथियार बरामद किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पंजाब में पुनः आतंकवादी गातिविधियों के उभरने और जम्मू और कश्मीर में जारी विघटनकारी कार्रवाई के बीच कोई संबंध है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) विवरण-I संलग्न है।

(ग) और (घ) विवरण-II संलग्न है।

(ङ) और (च) पाकिस्तान की आई॰एस॰आई॰ ने अपनी नवीन चाल-योजना के अंतर्गत भारत में उग्रवाद के क्षेत्र का विस्तारण करने के लिए पंजाब के उग्रवादियों तथा जम्मू और कश्मीर के विद्रोही ग्रुपों, कट्टरपंथियों तथा भाड़े के सैनिकों के बीच सम्पर्क स्थापित करने हेतु

फिर से प्रयास किए हैं। हाल में, पंजाब में आतंकवाद की घटनाएं ऐसे ही प्रयास के कारण हो सकती हैं। तथापि, ऐसे मंसूबों को विफल करने के लिए पर्याप्त निरोधक उपाय एवं समन्वित प्रयास शुरू किए गए हैं।

विवरण–I

वर्ष 1997 के दौरान पंजाब में बरामद किए गए आर॰डी॰एक्स॰ तथा अन्य खतरनाक विस्फोटकों तथा हथियारों का ब्यौरा

हथियार	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	जोड़
ए॰के॰–47 राइफलें			1					1
पिस्तौल/रिवॉल्वर			2		1			1
मैगजिनें			2					2
जिंदा कारतूस/कॉर्टिज वायर			1012	47 नं॰	30 नं॰			1089
			6 बंडल	–	–			6 बंडल
विस्फोटक सामग्री								
ग्रेनेड/हथगोले				2 नं॰	2 नं॰		1 नं॰	5 नं॰
आर॰डी॰एक्स॰(कि॰ग्रा॰)			45 कि॰ग्रा॰				13 कि॰ग्रा॰	58 कि॰ग्रा॰

विवरण–II

1997 के दौरान (जनवरी, 1997 से जून, 1997 तक) जम्मू और कश्मीर में बरामद की गई आर॰डी॰एक्स॰ सहित हथियार तथा विस्फोटक सामग्री दर्शाने वाले विवरण

हथियार	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जोड़
ए॰के॰–47/56 राइफलें	100	113	152	151	179	169	864
पिस्तौल/रिवॉल्वर	80	57	62	63	104	102	468
यू॰एम॰जी॰	2	1	3	8	9	6	29
आर॰पी॰जी॰	4	1	0	1	1	5	12
जी॰पी॰एम॰जी॰	0	0	3	0	1	1	5
एस॰एल॰आर॰	0	1	0	0	0	4	5
पिंका बंदूकें	2	5	3	0	1	3	14
स्नीफर राइफलें	1	0	3	10	5	5	24
रॉकेट लांचर	8	5	2	7	12	14	48
विस्फोटक सामग्री							
ग्रेनेड/हथगोले	377	240	315	438	681	782	2833
राइफल ग्रेनेड	58	61	66	72	116	132	505
इम्प्रोवाइजड एक्सप्लोसिव डिवाइस	153	9	12	233	184	131	722
विस्फोटक सामग्री (कि॰ग्रा॰) में	177	185	652	251	313.3	199+ (33 स्टिक)	1777.30 33 स्टिक
डेटोनेटर्स	428	266	325	640	1213	925	3797
आर॰डी॰एक्स॰ (कि॰ग्रा॰में)	2	0	0	0	14	65	81

उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति

***96. डा॰ एम॰ जगन्नाथ :**

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति के बारे में सिफारिश और सुझाव देने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) क्या समिति की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) यूरिया राजसहायता की विद्यमान प्रणाली की पुनरीक्षा करने तथा एक वैकल्पिक, विस्तुत आधार वाली, वैज्ञानिक तथा पारदर्शी पद्धति का सुझाव देने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति पुनरीक्षण समिति का गठन किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

जेलों में विचाराधीन कैदी

***97. श्री सौम्य रंजन :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जेलों की दशा में सुधार करने के अपने प्रयास में ऐसे विचाराधीन कैदियों की अधिक प्रतिशतता पर चिन्ता व्यक्त की है जो विधिवत मुकदमा चलाये बिना ही जेलों में सड़ रहे हैं और उनके मुकदमों को शीघ्र चलाने पर जोर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : (क) जेलों की दशा में सुधार लाने के अपने प्रयास के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जेलों में यातना भोग रहे विचारणाधीन कैदियों के मामलों को शीघ्रता से निपटाने की आवश्यकता पर जोर देता आ रहा है। आयोग ने अपनी वर्ष 1995-96 की वार्षिक रिपोर्ट में टिप्पणी की है कि जेलों में अधिक भीड़ का होना गंभीर चिंता का विषय है तथा जेलों में विचारणाधीन कैदियों की प्रतिशतता अधिक होने से जेलों की स्थिति और भी खराब हो जाती है।

विचारणाधीन कैदियों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से आयोग ने पूरे देश में जेल महानिरीक्षकों से अनुरोध किया है वे "काम न काज" बनाम भारतीय संघ और अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को कार्यान्वित करने में मदद करें, जिसमें अन्य के साथ-साथ उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रारों को निदेश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि विचारणाधीन कैदियों की कतिपय श्रेणियाँ, जिनके मामले न्यायालय में लम्बित हैं अथवा जिनके मुकदमें निश्चित अवधि में शुरू नहीं हुए हैं, को जमानत अथवा निजी मुचलके पर छोड़ दिया जाए अथवा रिहा अथवा दोषमुक्त कर दिया जाए।

(ख) यद्यपि भारत के संविधान के अधीन "जेल" राज्य का विषय है, फिर भी केन्द्र सरकार ने औपचारिक रूप से मुकदमा चलाए बिना जेलों में दुःख भोग रहे विचारणाधीन कैदियों की बहुत अधिक संख्या पर हमेशा अपनी चिंता व्यक्त की है। केन्द्र सरकार ने, राज्य सरकारों के साथ अपनी बातचीत के दौरान विचारणाधीन कैदियों की संख्या में कमी लाने पर बल दिया है तथा आपराधिक न्याय और जेल प्रबन्ध प्रशासन से संबंधित मूलभूत ढांचे को मजबूत बनाने, जमानत प्रक्रिया को उदार बनाने, मामलों पर शीघ्रता से अभियोजन चलाने, इत्यादि जैसे अनेकों उपाय सुझाती आ रही है।

मध्य प्रदेश में भूकम्प के कारण हुई जान-माल की हानि

***98. डा. रामकृष्ण कुसमरिया :**

श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1997 में विनाशकारी भूकम्प ने जबलपुर क्षेत्र को हिला दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणास्वरूप जान-माल की कितनी हानि हुई;

(ग) क्या राज्य सरकार ने भूकम्प पीड़ित लोगों को सहायता और उनके पुनर्वास हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि दी गई है;

(ङ) क्या इस भूकम्प को देखते हुए नर्मदा घाटी और बड़े बांधों को भी असुरक्षित समझा जाता है; और

(च) यदि हां, तो देश में ऐसी त्रासदी से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार जबलपुर तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों में आए भूकम्प, जिसका प्रकोप रिक्टर पैमाने पर 6.00 था, से 39 लोग मारे गये, 397 लोग जख्मी हुए और 1.65 लाख मकान क्षतिग्रस्त हो गये।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने राज्य सरकार को 1997-98 के लिए आपदा राहत निधि का सम्पूर्ण अंशदान जो 40.42 करोड़ रुपये

है, पहले ही जारी कर दिया है, जिसमें भूकम्प के मद्देनजर अग्रिम रूप से जारी की गई 20.21 करोड़ रुपये की तीसरी और चौथी त्रैमासिक किश्त भी शामिल है। राहत एवं पुनर्वास उपायों के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से 230.77 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दिए जाने के संबंध में राज्य सरकार से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय आपदा राहत समिति ने राष्ट्रीय आपदा राहत निधि में से 45.26 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिसे 26 जून, 1997 को जारी कर दिया गया है।

(ङ) और (च) जी, नहीं। बांधों का डिजाइन उस क्षेत्र से संबंधित भूकम्प प्रवणता को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, जिसकी समय-समय पर "नेशनल कमेटी फॉर सीस्मिक डिजाइन पैरामीटर्स" द्वारा समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय डेरी फार्मों का दुग्ध उत्पादन

***99. श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979-1995 के दौरान देशभर में तथा राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान के डेयरी फार्मों का वार्षिक दुग्ध उत्पादन कितना था;

(ख) क्या 1979-95 के दौरान देश में दुग्ध उत्पादन में बड़ी वृद्धि हुई है जबकि राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, जिसे देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का कार्य सौंपा गया था, के डेरी फार्मों के दुग्ध उत्पादन में गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए अब तक क्या योजना तैयार की गई है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : (क) 1979-95 के दौरान देश में तथा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में हुआ वार्षिक दुग्ध उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां। देश में दूध का उत्पादन 1979-80 में 30.40 मिलियन टन से बढ़कर 1994-95 में 64.0 मिलियन टन हो गया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के मामले में यद्यपि 1979-95 के दौरान कुल दुग्ध उत्पादन में गिरावट आई है किन्तु यह गिरावट दुधारू पशुओं की संख्या में कमी के अनुरूप है। तथापि, प्रति पशु प्रतिदिन औसत दुग्ध उत्पादन 1979 में 9.0 किलोग्राम से बढ़कर 1995 में 9.6 किलोग्राम हो गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान प्रमुख रूप से एक प्रयोगात्मक फार्म है तथा यह वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन यूनिट के रूप में कार्य नहीं करता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान में वर्ण संकर पशुओं के सुधार के लिए राज्य सरकारों के कार्यक्रमों तथा अनुसंधान कार्यों के अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार निम्नलिखित केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं :-

(1) हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी तथा संतति परीक्षण कार्यक्रम का विस्तार।

(2) राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम।

(3) आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता।

(4) पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता।

(5) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना।

(6) व्यावसायिक दक्षता विकास।

(7) गैर-ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम।

(8) डेयरी विकास प्रौद्योगिकी मिशन।

विवरण

देश में कुल दुग्ध उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (मिलियन टन)
1979-80	30.40
1980-81	31.60
1981-82	34.30
1982-83	35.80
1983-84	38.80
1984-85	41.50
1985-86	44.00
1986-87	46.10
1987-88	46.70
1988-89	48.40
1989-90	51.40
1990-91	53.90
1991-92	55.70
1992-93	58.00
1993-94(अ)	60.60
1994-95(अ)	64.00

अ = अनन्तिम

राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में दुग्ध उत्पादन

वर्ष	उत्पादन (टन)
1979	2222
1980	1965
1981	1866
1982	1872
1983	1864
1984	2105
1985	2089
1986	1940
1987	1949
1988	1774
1989	2208
1990	1408
1991	1359
1992	1520
1993	1618
1994	1324
1995	1320

चीनी का उत्पादन

***100. जस्टिस गुमान मल लोढा :**

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ना पिराई वर्ष 1996-97 में चीनी के उत्पादन से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1995-96 के उत्पादन की तुलना में जून 1997 तक चीनी का कुल कितना उत्पादन किया गया;

(ग) क्या सरकार ने चीनी के उत्पादन में आए अन्तर के कारणों का पता लगा लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के गन्ना उत्पादकों द्वारा अनुमानतः कितनी हानि उठाए जाने की संभावना है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) गन्ना पेराई मौसम 1 अक्तूबर से आरम्भ होता है तथा 30 सितंबर को समाप्त होता है। कुछ चीनी फैक्टियाँ अभी भी कार्यरत हैं।

(ख) चालू 1996-97 मौसम (30 जून तक) के दौरान चीनी का उत्पादन 127.61 लाख टन था जबकि 1995-96 मौसम की इसी तारीख को 160.42 लाख टन था।

(ग) और (घ) 1996-97 मौसम के दौरान चीनी के उत्पादन में कमी होने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे :-

(1) गन्ने के अंतर्गत एकड़ भूमि में थोड़ी कमी।

(2) गन्ने की उत्पादकता में अत्यधिक गिरावट, विशेष रूप से महाराष्ट्र में।

(3) विलम्ब से पेराई का आरम्भ किया जाना, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, तथा

(4) चीनी मौसम के आरम्भ के समय में गन्ने का खांड़सारी तथा गुड़ बनाने की ओर विपयन, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में।

गन्ना किसानों को लाभ विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे: उपजाए गए गन्ने की उत्पादकता स्तर; मूल्य वसूली, विशेष रूप से गुड़ तथा खांडसारी उद्योग में, जहां मूल्य नियंत्रित नहीं होता; चीनी मिलों की नकदी स्थिति तथा उनकी समय पर भुगतान करने की क्षमता।

किसानों को लाभ विभिन्न बातों पर निर्भर करता है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह तर्कसंगत नहीं होगा कि किसानों के लाभ को एक विशेष वर्ष में होने वाले कुल चीनी के उत्पादन से जोड़ा जाए।

[अनुवाद]

औषधियों के मूल्य

905. श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ पाटिल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औषधियां, जिन्हें अधिसूचित दरों से बहुत अधिक मूल्यों पर बेचा जा रहा है, की कीमतें कम करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) से (ग) वर्तमान में, सरकार के पास प्रपुंज औषधों के मूल्य घटाने का कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है जहां प्रपुंज औषधें अधिसूचित मूल्य से अधिक पर बेची जा रही हैं।

प्रपुंज औषधों के संबंध में कीमत अध्ययन एक सतत् प्रक्रिया है। अधिसूचित मूल्य अधिकतम बिक्री मूल्य होते हैं। जब कभी अधिक मूल्य वसूली के मामले जानकारी में आते हैं उन पर डी•पी•सी•ओ• और आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत विचार किया जाता है।

जब कभी जानकारी में आता है कि अन्तरवस्तुओं की लागतों में काफी कमी आ गई सरकार द्वारा स्वतः उनकी कीमतें कम कर दी जाती हैं, उदाहरणस्वरूप, जब कभी कच्चे माल/मध्यवर्तियों पर सीमा शुल्क की दरें घटा दी जाती हैं तदनुसार उक्त प्रपुंज औषध (अंतिम उत्पाद) के मूल्य में कमी कर दी जाती है।

केरल में "गॉल पेस्ट" के कारण फसलों को नुकसान

906. श्री टी• गोविन्दन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से कुथानाड क्षेत्र के किसानों, जिनकी धान की फसल को "गॉल पेस्ट" से नुकसान पहुँचा था, को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा• एस• वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) महोदय, सरकार को केरल सरकार से कुथानाड क्षेत्र के किसानों जिनकी धान की फसल को "गॉल पेस्ट" से नुकसान पहुंचा था, को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि राज्य सरकार से मिली सूचना के अनुसार, प्रभावित किसानों को आपदा राहत कोष, जिसमें केन्द्र सरकार का योगदान 75 प्रतिशत तक है, से सहायता दी गई है। राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए 2.00 करोड़ रु• निर्मुक्त किये गये।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारत में अमोनिया के संयंत्र

907. वैद्य दाऊ दयाल जोशी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अमोनिया की मांग को देखते हुए अमोनिया-संयंत्रों की संख्या पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अमोनिया के आयात पर भारी राशि खर्च हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो देश में अमोनिया के पर्याप्त उत्पादन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम• अरूणाचलम) : (क) से (ग) अमोनिया सभी नाइट्रोजनी उर्वरकों के निर्माण में एक मध्यवर्ती है सभी यूरिया संयंत्रों का निर्माण अमोनिया सुविधाओं के साथ किया जाता है क्योंकि कार्बन डाई-आक्साइड की यूरिया बनाने में आवश्यकता पड़ती है जो अमोनिया संयंत्र का एक उप-उत्पाद है। ऐसे संयंत्रों के फालतू अमोनिया का प्रयोग एन•पी•/एन•पी•के• उर्वरकों तथा विभिन्न रसायनों के निर्माण में किया जा सकता है।

भारत में अमोनिया उत्पादन क्षमता लगभग 118 लाख मी• टन प्रतिवर्ष है 1996-97 के दौरान अमोनिया का उत्पादन 102 लाख टन था जिसमें से लगभग 94 लाख टन का प्रयोग यूरिया के निर्माण के लिए किया गया था। लगभग 8 लाख टन स्वदेशी अमोनिया का प्रयोग डी ए पी, एन पी/ एन पी के उर्वरकों तथा कैप्रोलैक्टम के निर्माण हेतु किया गया था। 1995-96 के दौरान लगभग 9.2 लाख टन अमोनिया का आयात किया गया जिसकी कीमत लगभग 700 करोड़ रुपए थी।

(घ) अमोनिया संयंत्र की स्थापना के लिए सामान्यतः किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और स्थानगत नीति के अध्यधीन कोई भी उद्यमी अमोनिया संयंत्र स्थापित कर सकता है। दो उर्वरक कंपनियां अर्थात् फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि• (फैक्ट) और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स कंपनी लि• (जी एस एफ सी) ने अमोनिया आयातों के प्रतिस्थापक के रूप में और पुरानी कैप्टिव क्षमताओं को बदलने के लिए 950 टन प्रतिदिन और 1350 टन प्रतिदिन अमोनिया के उत्पादन के लिए परियोजनाओं को आरम्भ किया है।

[अनुवाद]

पौधों का निर्यात

908. श्री ए-जी-एस• राम बाबू : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पौधों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पौधों के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सूची में कुछ अन्य पौधों को शमिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रतिबंध का पौधों के व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो• सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) जी हां। वनों से प्राप्त 53 पौधों, उनके हिस्सों और उनसे बने

सामान का निर्यात, उक्त पौधों की प्रकृति में संकटापन्न स्थिति होने की सूचना मिलने के कारण प्रतिबंधित है। तथापि, उक्त सभी पौधों की उगाई जाने वाली किस्मों, उनके हिस्सों तथा उनसे बने सामान का निर्यात किया जा सकता है। ऐसे सभी पौधों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है जो निर्यात के लिए प्रतिबंधित पौधों की सूची की समीक्षा करेगी और उक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर कुछ प्रजातियों को सूची में शामिल अथवा हटाया जा सकता है। कुछ निर्यातकों और उनकी एसोसिएशनों ने अपने अभ्यावेदनों में कहा है कि उक्त पौधों के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण उनके व्यवसाय पर अत्यधिक बुरा असर पड़ रहा है और इससे विदेशों में स्थापित भारतीय वनस्पति उत्पाद आधारित बाजार नष्ट हो जाएंगे।

विवरण

वनों से प्राप्त निम्नलिखित पौधों, पौधों के हिस्सों और उनसे बने सामान तथा तत्वों का निर्यात प्रतिबंधित है :

1. एकोनिट्म प्रजातियां
2. एट्रोपा प्रजातियां
3. एरिस्टोलोचिया प्रजातियां
4. एंजियोपटेरिस प्रजातियां
5. अरून्दीनारिया जाउसरेन्सिया
6. बालानोफोरा प्रजातियां
7. कोलचिकम ल्यूटियम (हिरान्ट्यट्या)
8. कोम्मिफोरा व्हाईटी
9. कोपटिस प्रजातियां
10. ड्रोसेरा प्रजातियां
11. जेंटियाना कुर्रू (कुरू, कुटकी)
12. ग्लोरिओसा सुपरबा
13. नेटम प्रजातियां
14. इफिनिया इन्डिका
15. मेकोनोपसिस बीटानिसिफोलिया
16. नारडोसटाचित प्रजातियां
17. ओसमुंडा प्रजातियां
18. रोडोडेन्ड्रोन प्रजातियां
19. फिजोकुलैइना प्रेइल्टा (जारबंग)
20. प्राल्टिया सर्पमलिया
21. रियुम इमोडी (डोलू)
22. बरबेरिस आरिस्टेट (इंडियन बारबैरी : रसावट)
23. एकोरस प्रजातियां
24. आरटेमिसिया प्रजातियां
25. कोसिनियम फेनेस्ट्रेटम (कालुम्बावुड)
26. कोस्टस स्पेसिओसास (केऊ, कस्ट)
27. डिडाइमोकारपस पेडी सिल्लाटा
28. डोलोमिआ पेडी सिल्लाटा
29. इफिड्रा प्रजातियां
30. गाइनोकार्डिया ओडोरेटा (चाउल-मोगरी)
31. हाइडोकार्पस प्रजातियां
32. हाइडोसाइमस नाईजर (ब्रोसवर्ड)
33. स्ट्राइकनोस पोटाटोरम (निर्मली)
34. स्वर्टिया चिराटा (चारायाटाह)
35. उर्जिने प्रजातियां
36. बेडडोमेस साइकाड (साइकास बेडडोमेई)
37. बल्यु वांडा (वाडेओरूनिया)
38. कुछ (साउस्सूरिया लाप्पा)
39. लेडीस स्लीपर आरकिड (पाफियोपेडिलियम प्रजातियां)
40. पिच्चर पलांट (निपेंथीस खासियाना)
41. रेडवांड (रिनानथेरा इम्सकूटियाना)
42. राउवोलिफिया सर्पेंटिना (सर्वगंधा)
43. सीरोपेगिया प्रजातियां
44. फरेरिया इंडिका (शिडाल मानकुंडी)
45. पोडोफाइलम हैक्सान्ड्रम (इमोडी) (इंडियन पोडोफाईलम)
46. सियाथिएसिया प्रजातियां
47. साइकाकेसिया प्रजातियां
48. डायोस्कोरिया डेलटोइडिया (एलीफेंट्स फुट)
49. यूफोर्बिया प्रजातियां
50. आरकिडेसिया प्रजातियां
51. टीरोकारपस सैंटालिनस (रैड सैंडर्स)
52. टैक्सस वाल्लिचिमाना (कामन यू अथवा बिरमी लीवस)
53. एक्वीलेरिया मालसिनेसिस (अगरवुड)

2. उपर्युक्त प्रजातियों की उगाई जाने वाली किस्मों के पौधों, उनके हिस्सों, उनसे बनने वाले सामान तथा तत्वों (मूल्यवान हर्बल फार्मयूलेशन्स सहित) के निर्यात की अनुमति होगी, बशर्ते कि इस प्रयोजन हेतु संबंधित राज्यों के क्षेत्रीय उप निदेशक (वन्यजीव),

अथवा मुख्य वन संरक्षक अथवा प्रभागीय वन अधिकारियों, जहां से इन पौधों और पौधों से हिस्सों को प्राप्त किया गया है, से खेती प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत किया जाए। तथापि, साइट्स के परिशिष्ट I (उपर्युक्त पैरा 2 की क्र.सं. 36 से 41) तथा परिशिष्ट 2 (उपर्युक्त पैरा 2 की क्र.सं. 42 से 53) में शामिल प्रजातियों की खेती वाली किस्मों के मामले में निर्यात के लिए एक साइट्स परमिट प्रस्तुत करना भी अपेक्षित होगा।

3. ऊपर विनिर्दिष्ट आयातित पौधों की किस्मों और उनके हिस्सों से तैयार मूल्यवान फार्मूलेशन्स का बिना किसी तरह के अंकुश के मुक्त रूप से निर्यात करने की अनुमति होगी। किन्तु इसके लिए निर्यात के समय उत्पाद-शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि निर्यात किए जा रहे मूल्यवान हर्बल फार्मयुलेशन्स के निर्माण के लिए केवल ऊपर विनिर्दिष्ट प्रजातियों का ही उपयोग किया गया है। रैंडम सैपल टेस्ट के अनुसार शपथ-पत्र में दी गई सूचना सही नहीं पाए जाने की स्थिति में उक्त फर्म के खिलाफ विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

4. निर्यात की अनुमति बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली, मद्रास, तूतीकोरिन तथा अमृतसर के पोर्टों से ही है।

[हिन्दी]

विदर्भ राज्य

909. श्री हंसराज अहीर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आदिवासी बहुल अविकसित राज्यों का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इनके लिये अलग राज्यों की मांग के अनुरूप नए राज्य बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार को 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय फजल अली आयोग द्वारा विदर्भ राज्य के गठन के संबंध में की गई सिफारिशों में कोई तथ्य नजर नहीं आता; और

(घ) यदि हां, तो विदर्भ के विकास के लिये एक अलग राज्य बनाने के लिये सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) सरकार की नीति है कि राजनीतिक प्रशासनिक और आर्थिक संघवाद के सिद्धान्तों को बढ़ावा दिया जाए जिसके परिणामस्वरूप विकास के लाभ ज्यादा तेजी से देश के अब तक अल्पविकसित रहे क्षेत्रों तक पहुंच सकेंगे जहां से राज्य का दर्जा दिए जाने की मांगें उत्पन्न हो रही हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 371(2) में अन्य बातों के साथ यह प्रावधान है कि महाराष्ट्र राज्य के संबंध में दिए गए आदेश के द्वारा राष्ट्रपति राज्यपाल को (क) विदर्भ मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए अलग विकास बोर्ड गठित करने, (ख) पूरे राज्य की जरूरतों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त क्षेत्रों में विकास संबंधी व्यय हेतु धन के समान आबंटन, और (ग) तकनीकी शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु समान प्रबंध तथा पूरे राज्य की जरूरतों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सभी क्षेत्रों के संबंध में राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सेवाओं में नियोजन हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने की कोई विशेष जिम्मेदारी प्रदान कर सकते हैं। ये विकास बोर्ड अब काम कर रहे हैं।

भोजवेट भूमि परियोजना

910. श्री सुशील चन्द्र : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में "भोजवेट भूमि परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में प्रगति और इसकी कुल लागत तथा इस पर अभी तक हुआ व्यय क्या है;

(ख) वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान अभी तक अलग-अलग विभिन्न विभागों द्वारा खर्च की गयी धनराशि तथा उपलब्धि क्या हैं;

(ग) क्या इस परियोजना के संबंध में की गयी उपलब्धियों का अध्ययन किसी जापानी दल ने किया है;

(घ) क्या सरकार के ध्यान में परियोजना हेतु दी गयी धनराशि के दुरूपयोग की बात आयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना की कुल लागत 231.51 करोड़ रु. है। रेतघाट-लालघाटी लिंक रोड, वनीकरण तथा ठोस अपशेष प्रबंध का कार्य प्रगति पर है। अप्रैल, 1995 से जून, 1997 तक 14.66 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

(ख) विभिन्न एजेंसियों द्वारा विभिन्न कार्य-कलापों पर खर्च की गई धनराशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि धनराशि के दुर्विनियोग का कोई प्रमाण नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र॰सं॰	कार्यकलाप	व्यय		वास्तविक प्रगति	कार्यान्वयन एजेंसी
		1996-97	1997-98 (करोड़ रु॰ में) जून, 97 तक		
1.	वनीकरण	0.84		10.83 लाख वृक्षों का रोपण कार्य पूरा किया गया 48 कि॰मी॰ बाड़ लगाने का कार्य किया गया	वन प्रभाग
2.	रोक बांध, गाद रोकना, सुरक्षा दीवारें बनाना तथा सोपानी प्रपात बनाना	0.06			
3.	प्रदूषण की रोकथा (सीवरेज स्कीम)	0.10		विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में संशोधन का कार्य प्रगति पर	कैपिटल प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जल आपूर्ति प्रभाग
4.	रेतघाट से लालघाटी तक लिंक रोड	4.01		सड़क पुल का कार्य प्रगति पर	कैपिटल प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का निर्माण प्रभाग
5.	ठोस अपशेष प्रबंध	0.09	0.05	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में संशोधन कार्य प्रगति पर	भोपाल नगर निगम
6.	धोबीघाट से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम	0.17		-वही-	-वही-
7.	जल गुणवत्ता निगरानी	0.03		-वही-	एन्वायर्नमेंट प्लानिंग एण्ड कोआर्डिनेशन आर्गेनाइजेशन
8.	जल कृषि के माध्यम से जैव नियंत्रण	-	0.06	-वही-	मात्स्यिकी विकास निगम
9.	प्रशासनिक लागत	0.27	0.05		एन्वायर्नमेंट प्लानिंग एण्ड कोआर्डिनेशन आर्गेनाइजेशन
	परामर्श सेवाएं	0.73	0.60		
	वास्तविक आकस्मिक व्यय	0.33	0.07		

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में निर्यातोन्मुखी एकक

911. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी और संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने के लिए 91 परियोजनाओं को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं में कुल कितना निवेश किया गया है और उसमें विदेशी निवेश कितना है; और

(घ) प्रस्तावित एकक कहां-कहां स्थित होंगे?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (घ) जुलाई 1991 से जून 1997 तक की उदारीकरण की अवधि के दौरान सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण के विभिन्न क्षेत्रों में यूनिटों की स्थापना के लिए 983 संयुक्त उद्यमों, 100 प्रतिशत

निर्यातोन्मुखी यूनिटों और औद्योगिक लाइसेंस प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों में 7,886 करोड़ रु॰ के विदेशी निवेश समेत 17,130 करोड़ रु॰ का कुल पूंजी निवेश निहित है। ये प्रस्ताव आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, दिल्ली, गोआ तथा संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दमण तथा पांडिचेरी में यूनिटों की स्थापना से संबंधित है।

[हिन्दी]

सुअर पालन

912. श्रीमती शीला गौतम : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ स्थित केन्द्रीय डेरी फार्म में सुअर पालन व्यापार में प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस व्यापार को स्थापित करने के लिए सुअर पालन में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा प्रदान की गयी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष सुअर मांस के निर्यात में वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सुअर एककों की स्थापना के लिए पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है। प्रशिक्षणार्थी, भारतीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभोन्मुखी कार्यक्रमों जैसे विभिन्न रोजगार सृजन तथा सहायता कार्यक्रमों के तहत दी गई वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकते हैं।

(घ) विगत तीन वर्षों में सुअर के मांस के निर्यात तथा उसमें हुई वृद्धि इस प्रकार है :-

(मात्रा मीटरी टन में)

वर्ष	निर्यात की गई मात्रा	वृद्धि
1993-94	108	101.52
1994-95	740	632
1995-96	933	193

[अनुवाद]

इमारती लकड़ी की आपूर्ति नहीं किया जाना

913. श्री द्वारका नाथ दास : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सड़कों (सार्वजनिक निर्माण विभाग और अन्य सरकारी एजेंसियों) पर छोटे और मझोले पुलों के निर्माण कार्य के लिए इमारती लकड़ी (वन उत्पाद) की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण असम में विशेषकर करीमगंज में निर्माण कार्य पूरी तरह बंद हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सड़क सम्पर्क बनाए रखने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित सरकारी एजेंसियों को वन विभाग द्वारा लकड़ी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश में मिर्चों की खरीद

914. श्री आर॰ साम्बासिवा राव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे आन्ध्र प्रदेश राज्य में मिर्च उत्पादकों की सहायता करने के लिये सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मर्कफैड ने 31 मार्च, 1997 तक 10,000 टन मिर्च खरीदने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने किसानों से सभी उपलब्ध मिर्च भंडारों को खरीदने के लिये मार्कफैड से भी अनुरोध किया है तथा किसानों के पास मिर्च भंडारों की उपलब्धता की जांच करने तथा अनुमान लगाने के लिये जिला कलेक्टरों को निदेश दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आन्ध्र प्रदेश में अब तक कुल कितनी मिर्चों की खरीद हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) से (घ) मिर्च को खरीद के लिए मण्डी हस्तक्षेप योजना चलाने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने फरवरी, 1997 में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था। केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ तथा आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के बीच 50:50 आधार पर 5.3.1997 से 15.5.1997 तक 10,000 मीटरी टन मिर्च की खरीद के लिए मंजूरी दी गयी थी। राज्य सरकार के अनुरोध पर यह योजना 10 जून, 1997 तक बढ़ा दी गयी और 15000 मी॰टन (10 प्रतिशत कम/ज्यादा) मिर्च की खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया। नवीनतम जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ ने 17010 मीटरी टन मिर्च की खरीद कर ली है।

अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा

915. **श्री आई॰डी॰ स्वामी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जून, 1997 के दैनिक जागरण में "नेताओं के निजी काम निपटा रहे हैं सुरक्षा में लगे गनर-शेडो" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित मामलों के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) उन संसद सदस्यों/अन्य पदाधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्हें बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराए गये हैं और इसका क्या औचित्य है, और

(ङ) खतरों की आशंका न होने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराए गये बंदूकधारियों को हटाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (ङ) यह समाचार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने संरक्षितों को प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" तथा "पुलिस" राज्य के विषय हैं, इसलिए उनके क्षेत्राधिकार में रहने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य/संघ शासित क्षेत्र की है।

[हिन्दी]

ईसाई धर्म में परिवर्तन

916. **चौधरी रामचन्द्र बैंदा :**

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ईसाई मिशनरियां गांवों के सीधे-सादे निर्धन और आदिवासी लोगों को नौकरी रोजगार और विवाह के नाम पर प्रलोभन देते हुये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी घटनाएं जम्मू और कश्मीर में दूर-दराज के क्षेत्रों में हो रही हैं जहां निम्न जाति के लोगों को और अल्पसंख्यक समुदायों को इसके लिये मजबूर किया जाता है अथवा उन्हें विभिन्न प्रकार से प्रलोभन दिये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मुम्बई बम कांड

917. **श्री राम नाईक** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 में मुम्बई बम कांड के कितने आरोपी भारत से बाहर चले गये हैं और अब तक फरार हैं तथा इनके नाम क्या हैं;

(ख) इन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं;

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने इंटरपोल और अन्य एजेंसियों के माध्यम से किये गये प्रयासों के साथ सहयोग नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेड कार्नर अलर्ट घोषित किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) इंटरपोल, लियोन्स, फ्रांस से रेड कार्नर वारंट जारी करवाए गए हैं।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के साथ पठित टाडा (निवारण) अधिनियम की धारा 8(3) के अधीन एक उद्घोषणा मुम्बई बम विस्फोट मामले की सुनवाई कर रहे नामित न्यायालय, मुम्बई से जारी कराई गई है।

(3) फरार व्यक्तियों की ज्ञात संपत्तियां नामि न्यायालय मुम्बई के माध्यम से कुर्क कराई गई है।

(4) 24 फरार व्यक्तियों के संबंध में प्रत्यर्पण अनुरोध संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान को भेजे गये हैं।

(5) जनवरी, 1996 में निरुद्धि के समय अनीस इब्राहीम को बहरीन से प्रत्यर्पित/स्वदेश वापस लाने के प्रयास किए गए थे। उसकी बेल्जियम की राष्ट्रीयता और पासपोर्ट रद्द करा दी गई है।

(6) घोषित अपराधी अबू सलीम अब्दुल कयूम अंसारी तथा जावेद हुसैन सैयद मुजामिल हुसैन की वापसी के लिए अनुरोध विदेश मंत्रालय को भेजा गया है ताकि इसे आगे

संयुक्त अरब अमीरात के प्राधिकारियों को भेजा जा सके।

(7) फरार व्यक्तियों के छिपने के ठिकानों की आसूचना एकत्र करने के लिए भेदिए तैनात किए गए हैं।

(8) जैसे ही फरार व्यक्तियों की गतिविधियों/ठिकानों के बारे में कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त होती है तो यह सूचना संबंधित सदस्य देश के इंटरपोल को भेज दी जाती है ताकि उन्हें पकड़ने की कार्रवाई की जा सके।

(ग) फरार अभियुक्तों के संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और पाकिस्तान में छिपे होने का संदेह है। संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और पाकिस्तानी प्राधिकारियों को प्रत्यर्पण/स्वदेश वापसी हेतु अनुरोध अग्रेषित किए गए थे परन्तु कोई सकारात्मक जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुरोध पर आई॰पी॰एस॰जी॰ इंटरपोल ने 31 अभियुक्तों के विरुद्ध दि रेड कार्नर नोटिस जारी किए गए हैं। शेष अभियुक्तों के खिलाफ, रेड कार्नर नोटिस जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। इंटरपोल द्वारा जारी रेड कार्नर नोटिस सभी सदस्य देशों में परिचालित किए जाते हैं जिससे किसी भी सदस्य राष्ट्र में फरार अभियुक्त का पता लगाने और उसे निरुद्ध करने में मदद मिलती है।

विवरण

मुम्बई बम विस्फोट मामले में फरार व्यक्तियों की सूची

(आर॰सी॰-1 (एस) 93 एस॰टी॰एफ॰-बी॰बी॰)

अभियुक्त का नाम	रेड कार्नर नोटिस संख्या
1	2
1. अबू सलीम अब्दुल कयूम अंसारी	ए-103/3/1995
2. अब्दुल रशीद मोहम्मद खान	ए-343/8/1994
3. अनीस इब्राहीम कास्कर	ए-349/8/1993
4. अनवर अहमद हाजी जमाल ठेबा	ए-345/8/1993
5. अयूब अब्दुल रजाक येमन	ए-345/4/1993
6. बशीर अहमद खान आइनुल हक खान	ए-348/8/1993
7. दाऊद इब्राहीम कास्कर	ए-135/4/1993
8. इब्राहीम अब्दुल रजाक मेमन	ए-127/4/1993
9. फिरोज अब्दुल रशीद खान	ए-344/8/1994
10. ऐजाज मोहम्मद शरीफ	ए-353/8/1993
11. इरफान अहमद गुलजार चौगुले	ए-347/8/1993
12. शाब्बिर सैयद इस्माइल कादरी	ए-531/10/1996
13. जावेद दाऊद टेलर	ए-350/8/1993
14. जावेद हुसैन सैयद मुजामिल हुसैन	ए-345/8/1994
15. कमर अल अनवर	ए-346/8/1994
16. करीमुल्ला	ए-387/7/1995
17. लतीफ, नूर मोहम्मद	ए-347/8/1994
18. मुहम्मद अहमद दोसा	ए-351/8/1993
19. मोहम्मद शफी कासम मेनन	ए-136/4/1993
20. मुहम्मद फारूख यासीन मंसूर	ए-385/7/1995
21. मुहम्मद कासिम लाजपुरिया	ए-349/8/1994
22. मुहम्मद तैनूर मोहम्मद हयात पतसोपकर	ए-348/8/1994
23. मुनाफ अब्दुल माजिद हलारी	ए-102/3/1995
24. नासिर अहमद अनवर शेख	ए-189/4/1995
25. रेशमा अयूब मेमन	ए-139/4/1993
26. शबाना इब्राहीम मेनन	ए-137/4/1993
27. शम्सुद्दीन मुहम्मद हुसैन	ए-352/8/1994
28. ताहिर मुहम्मद फर्वेट	ए-228/5/1994
29. सलीम अब्दुल गनी गाजी	ए-184/3/1995
30. सैयद आरिफ	ए-388/7/1995
31. याकूब वली मोहम्मद खान	ए-346/8/1993
32. रियाज अबू बक्र खत्री	जल्दी ही जारी करा लिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

आश्रितों को रोजगार

918. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री छीतुभाई गामीत :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विकलांग आश्रितों को योग्यता के आधार पर रोजगार देने के लिये कोई मानदंड तैयार किया है अथवा करने का विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पर्यावरण संबंधी परियोजनाएं

919. श्री विजय संकेश्वर : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण में सुधार लाने और वनों का विकास करने की दिशा में कर्नाटक में चालू की गई केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में परियोजनावार प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ परियोजनावार दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ग) पर्यावरण-सुधार और वनों के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में केन्द्रीय सहायता से प्रारम्भ की गई परियोजनाओं का विस्तृत ब्यौरा, भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों सहित संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रुपए लाखों में)

क्र॰सं॰	स्कीम का नाम	विस्तृत उद्देश्य	निधिकरण की सीमा	स्थिति	पिछले तीन वर्षों अर्थात् 94-95, 95-96 और 96-97 में उपलब्धियां	
					वित्तीय	भौतिक
1	2	3	4	5	6	7
1.	लाभग्राही अभिमुख स्कीम	पुनःस्थापन योजना के तहत आदि-वासियों व अन्य परिवारों का पुनर्वास	100 प्रतिशत	जारी	22.08	लक्ष्य वित्तीय बंटनों के अनुसार निर्धारित
2.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	चिड़ियाघरों का दर्जा बढ़ाना	100 प्रतिशत	जारी	19.52	2 चिड़ियाघरों को शामिल किया गया
3.	राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	100 प्रतिशत	जारी	467.02	17 राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को शामिल किया गया
4.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास पारि-विकास	राष्ट्रीय उद्यानों के सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे समुदायों को वैकल्पिक जीविका प्रदान करना	100 प्रतिशत (एन॰आर॰) 50 प्रतिशत (आर॰)	जारी	104.10	11 राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को शामिल किया गया
5.	हाथी परियोजना	हाथियों का दीर्घ जीवन सुनिश्चित करना	100 प्रतिशत (एन॰आर॰) 50 प्रतिशत (आर॰)	जारी	256.79	लक्ष्य वित्तीय बंटनों के अनुसार निर्धारित
6.	बाघ परियोजना	बाघों की समुचित संख्या सुनिश्चित करना	100 प्रतिशत	जारी	143.38	एक बाघ रिजर्व कवर किया गया
7.	वन अग्नि नियंत्रण की आधुनिक पद्धतियां	वनों के बचाव और संरक्षा के लिए वन अग्नि को नियंत्रित करना	100 प्रतिशत	जारी	16.82	लक्ष्य वित्तीय बंटनों के अनुसार निर्धारित

1	2	3	4	5	6	7
8.	अवक्रमित वनों के पुनर्जनन में अनुसूचित जनजातियों और निर्धन ग्रामीणों को शामिल करना	अवक्रमित वनों में बायोमास संसाधनों में सुधार	100 प्रतिशत	जारी	36.30	130 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया
9.	क्षेत्रोन्मुख जलाऊ लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम	जलाऊ लकड़ी की कमी वाले अभि-निर्धारित जिलों में जलाऊ लकड़ी और चारे की आपूर्ति बढ़ाना	50 प्रतिशत	जारी	607.25	14,949* हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया
10.	औषधीय पौधों सहित गैर-इमारती लकड़ी उत्पाद	औषधीय पौधों सहित गैर-इमारती लकड़ी उत्पाद उगाना	100 प्रतिशत	जारी	98.85	1,520* हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया
11.	बीज विकास स्कीम	गुणवत्ता बीजों के लिए अवसंरचना विकसित करना	100 प्रतिशत	जारी	8.93	लक्ष्य वित्तीय बंटनों के अनुसार निर्धारित
12.	समेकित वनीकरण और पारि-विकास परियोजना स्कीम	वनीकरण और पारि-विकास को बढ़ावा	100 प्रतिशत	जारी	829.88	15,426* हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया
13.	जीवमंडल रिसर्च स्कीम	नीलगिरी मंडल रिजर्व में पारि-विकास नर्सरी विकास, सुरक्षा और गश्त लगाना	100 प्रतिशत	जारी	65.29	एक जीवमंडल रिजर्व को कवर किया गया
14.	राष्ट्रीय नदी कार्रवाई योजना	नदी जल प्रदूषण का उपशमन	50 प्रतिशत	जारी	204.72	8 नगरों को कवर किया जा रहा है

*अनन्तिम

एन.आर॰ - अनावर्ती

आर॰ - आवर्ती

आन्ध्र प्रदेश में चीनी मिलों संबंधी समिति

920. **श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :**
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :
श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में राज्य द्वारा चलायी जा रही चीनी मिलों की शोचनीय दशा के लिये राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराया है;

(ख) क्या इस बारे में एक उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने इसमें उल्लिखित सभी सिफारिशों को लागू कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) संघ सरकार राज्य द्वारा चलाई जा रही चीनी फैक्ट्रियों के प्रशासनिक मामले नहीं देखती है। यह मामले संबंधित राज्य सरकार/उनके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा देखे जा रहे हैं।

(ख) से (ङ) उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने अभी तक चीनी उद्योग संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

अर्द्ध-सैनिक बलों में भर्ती

921. श्री अनन्त गुढ़े : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल/भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और अन्य ऐसे अर्द्ध-सैनिक संगठनों में सिपाहियों और अन्य कर्मियों के रिक्त पदों की संख्या कितनी है;

(ख) इन संगठनों में पिछले तीन वर्षों के दौरान संगठनवार और वर्षवार वास्तव में कितनी भर्ती की गई और वर्ष 1997-98 के लिये इनमें से प्रत्येक संगठन की श्रम शक्ति की आवश्यकता कितनी है;

(ग) इन संगठनों में अपेक्षित कर्मियों की भर्ती के लिये फिलहाल क्या व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या सरकार अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये दिल्ली पुलिस सहित इन बलों में पूरे देश से उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित करने के लिये वर्तमान ढांचे/प्रणाली में अनुचित परिवर्तन करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) कांस्टेबलों तथा अन्य अधिकारियों की रिक्तियां नीचे दर्शाई गई हैं :

बल का नाम	कांस्टेबल	अन्य अधिकारी
के॰रि॰पु॰बल	2210	1614
सीमा सुरक्षा बल	362	4689
आई॰टी॰बी॰पी॰	42	522
सी॰आई॰एस॰एफ॰	–	1247
असम राइफल्स	350	–

(ख) वास्तविक भर्ती का ब्यौरा इस प्रकार है :

बल का नाम	वर्ष			
	1994	1995	1996	1997-98 (अनुमानित जरूरतें)
के॰रि॰पु॰बल	6752	5490	2096	3168
सीमा सुरक्षा बल	7310	9030	3156	8232 (31.12.97 तक)
आई॰टी॰बी॰पी॰	1205	1635	568	564
सी॰आई॰एस॰एफ॰	5280	391	4894	1317
असम राइफल्स	2324	1682	1382	1550

(ग) केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों में कांस्टेबलों/राइफल मैन की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। वार्षिक रिक्तियां, प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को उनकी संख्या के आधार पर आबंटित की जाती हैं और इसमें, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की विशेष जरूरतों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) लागू नहीं होता है।

राज्यों के गृह मंत्रियों का सम्मेलन

922. श्री संदीपान थोरात : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में राज्य गृह मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में कार्यसूची की जिन मदों के बारे में चर्चा की गई थी और निर्णय लिये गये, उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) निकट अतीत में गृह मंत्रियों का कोई सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया है। तथापि प्रभावी एवं उत्तरदायी सरकार देने संबंधी कार्य योजना पर चर्चा करने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 24 मई, 1997 को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। कार्ययोजना में तीन विषयों पर बात हुई, नामतः जवाबदेह तथा नागरिक अनुकूल सरकार, पारदर्शिता एवं सूचना का अधिकार, तथा लोक सेवाओं के कार्यनिष्पादन एवं उनकी सन्निष्ठा में सुधार। इन विषयों के अधीन जिन मुद्दों पर चर्चा हुई और जिन पर केन्द्र एवं राज्य स्तर पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है, वे हैं :

(1) नागरिक चार्टर और जवाबदेह प्रशासन;

(2) प्रभावी एवं त्वरित लोक शिकायत निवारण प्रणाली;

(3) चुने हुए स्थानीय निकायों को शक्ति सम्पन्न बनाना तथा सेवाओं का विकेन्द्रित सम्प्रदान;

(4) कानूनों, विनियमों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा;

(5) पारदर्शिता तथा सूचना का अधिकार;

(6) सार्वजनिक कार्यालयों और सूचना सुविधा पटलों तक जनता की पहुंच;

(7) लोक सेवाओं के लिए आचार-संहिता;

(8) भ्रष्टाचार से निपटना तथा प्रशासन को स्वच्छ बनाना; और

(9) कार्यकाल की स्थिरता और सिविल सेवा बोर्डों के लिए एक योजना बनाना।

सम्मेलन में भाग लेने वाले मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों ने सभी स्तरों पर उत्तरदायी, जवाबदेह, पारदर्शी और लोक अनुकूल प्रशासन सुनिश्चित करने की जरूरत का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया। सम्मेलन में अंगीकृत किए गए संकल्प में राज्यों ने अधिक प्रभावी एवं उत्तरदायी प्रशासन की दिशा में प्रधान मंत्री द्वारा की गई पहल का स्वागत किया और कहा कि ये पहलें महत्वपूर्ण एवं सामयिक हैं। इस बात पर सहमति हुई कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार थोड़ी बहुत अदला-बदली की गुंजाइश रखते हुए प्रत्येक राज्य इस कार्य योजना के कार्यान्वयक हेतु कार्य करेगा।

सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव के अधीन देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ मुख्य सचिवों तथा भारत सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की सदस्यता वाली एक समिति गठित कर दी है ताकि कार्ययोजना के भिन्न-भिन्न पक्षों को स्पष्ट किया जा सके और केन्द्रीय एवं राज्य स्तरों पर अपेक्षित विभिन्न निर्णय तैयार किए जा सकें।

[हिन्दी]

आदिवासियों के कल्याण के लिये विदेशी सहायता

923. **श्री एन॰जे॰ राठवा** : क्या **कल्याण मंत्री** 29 अगस्त, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3443 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस संबंध में जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) संबंधित जानकारी कब तक एकत्र कर ली जाएगी?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 29.8.1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3443 के आश्वासन को दिनांक 7.6.1997 को भेजे गए उत्तर के तहत पूरा किया गया था। प्रश्न के भाग "क" तथा "ख" के संदर्भ में यह उत्तर दिया गया था कि कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय निधि, रोम ने आन्ध्र प्रदेश में दो आदिवासी विकास परियोजनाओं तथा उड़ीसा में एक आदिवासी विकास परियोजना को वित्त पोषित किया है। विश्व बैंक ने बिहार में बिहार पठार विकास परियोजना को वित्त पोषित किया है। गुजरात में ऐसी कोई परियोजनाएं नहीं हैं जैसा कि राज्य सरकार द्वारा बताया गया है तथा भाग "ग" से "छ" के संदर्भ में यह उत्तर दिया गया था कि "राज्य सरकार ने बताया है कि विदेशी संस्था द्वारा वित्त पोषित कोई आदिवासी विकास परियोजना नहीं है और इसलिए प्रश्न नहीं उठता"।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बाघों की संख्या

924. **श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार राष्ट्रीय उद्यानों में और इनसे इत्तर अन्य वनों आदि में बाघों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में पिछले दस वर्षों में बाघों की संख्या में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) विभिन्न राज्यों और बाघ रिजर्वों में बाघों की संख्या विवरण-I और II में दी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) बाघों की संख्या का राष्ट्रव्यापी अनुमान प्रत्येक चार वर्ष में लगाया जाता है। ब्यौरा संलग्न विवरणों में देखा जा सकता है।

विवरण-I

बाघ रिजर्व क्षेत्रों में बाघों की संख्या

रिजर्व का नाम	1979	1984	1989	1993	1995
1	2	3	4	5	6
1. बंदीपुर (कर्नाटक)	39	53	50	66	74
2. कारबेट (उत्तर प्रदेश)	84	90	91	123	128
3. कान्हा (मध्य प्रदेश)	71	109	97	100	97
4. मानस (असम)	69	123	92	81	94
5. मेलघाट (महाराष्ट्र)	63	80	77	72	71
6. पलामू (बिहार)	37	62	55	44	47

1	2	3	4	5	6
7. रणथंभौर (राजस्थान)	25	38	44	36	38
8. सिमिलीपाल (उड़ीसा)	65	71	93	95	97
9. सुन्दरवन (पश्चिम बंगाल)	205	264	269	251	242
10. पेरियार (केरल)	34	44	45	30	39
11. सरिसका (राजस्थान)	19	26	19	24	25
12. बक्सा (पश्चिम बंगाल)	उपलब्ध नहीं	15	33	29	31
13. इन्द्रावती (मध्य प्रदेश)	उपलब्ध नहीं	38	28	18	15
14. नागार्जुन सागर (आं॰प्र॰)	उपलब्ध नहीं	65	94	44	34
15. नामदफा (अरूणाचल प्रदेश)	उपलब्ध नहीं	43	47	47	52
16. दुधवा (उत्तर प्रदेश)	उपलब्ध नहीं	80	90	94	98
17. कालाकड-मुंदुनथुराई (त॰ना॰)	उपलब्ध नहीं	20	22	17	16
18. बाल्मीकि (बिहार)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	81	49	*
19. पेंच (मध्य प्रदेश)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	39	27
20. तडोवा-अंधेरी (महाराष्ट्र)	-	-	-	34	36
21. बांधवगढ़ (मध्य प्रदेश)	-	-	-	41	46
22. पन्ना (मध्य प्रदेश)	-	-	-	25	22
23. दम्फा (मिजोरम)	-	-	-	7	4
कुल	111	1221	1327	1339	1333

विवरण-II

देश में बाघों की संख्या

राज्य का नाम	बाघ				
	1972	1979	1984	1989	1993
1	2	3	4	5	6
1. तमिलनाडु	033	065	097	095	097
2. महाराष्ट्र	160	174	301	417	276
3. केरल	060	134	089	045	057
4. पश्चिम बंगाल	073	296	352	353	335
5. उड़ीसा	142	173	202	243	226
6. कर्नाटक	102	156	202	257	305
7. बिहार	085	110	138	157	137
8. असम	147	300	376	376*	325
9. राजस्थान	074	079	096	989	064
10. मध्य प्रदेश	457	529	786	985	912
11. उत्तर प्रदेश	262	487	698	735	465

1	2	3	4	5	6
12. आन्ध्र प्रदेश	035	148	164	235	197
13. हिमाचल प्रदेश	–	–	–	–	–
14. मेघालय	032	035	125	034	053
15. पाण्डिचेरी	–	–	–	–	–
16. मणिपुर	001	010	006	031	–
17. त्रिपुरा	007	006	005	–	–
18. दादर व नगर हवेली	–	–	–	–	–
19. मिजोरम	–	065	033	018	028
20. नागालैण्ड	080	102	104	104*	083
21. अरूणाचल प्रदेश	069	139	219	135	180
22. सिक्किम	–	–	002	004	002
23. गुजरात	008	007	009	009	005
24. दिल्ली	–	–	–	–	–
25. हरियाणा	–	–	001	–	–
26. पंजाब	–	–	–	–	–
27. लक्षद्वीप	–	–	–	–	–
28. गोवा, दमन और दीव	–	–	–	002	003
29. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	–	–
30. चण्डीगढ़ केन्द्र शासित क्षेत्र	–	–	–	–	–
31. जम्मू व कश्मीर	–	–	–	–	–
कुल	1827	3015	4005	4334	3750

* विभिन्न कारणों से 1989 के दौरान गणना नहीं की जा सकी, अतः 1984 के आंकड़े लिए गए हैं।

सुपर बाजार में वित्तीय गड़बड़ी

925. **श्री राम सागर** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार अपने एक भूतपूर्व महाप्रबंधक के संबंध में वेतन बिलों और अन्य खर्चों का भुगतान करता रहा है या पहले करता था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वेतन तथा अन्य भत्तों पर इस प्रकार कितना खर्च वहन किया गया;

(ग) क्या की जा रही वित्तीय गड़बड़ियों की जांच करने और मकान के किराये की भुगतान की गई अधिक राशि और अधिकारियों द्वारा आवासीय टेलीफोनों पर की गई एस॰टी॰डी॰ कालों पर खर्च हुई राशि की वसूली करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) सुपर बाजार दिल्ली द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उन्होंने अपने पूर्व प्रबंध निदेशक को उनकी प्रतिनियुक्ति की शर्तों और सुपर बाजार के नियमों के अनुसार वेतन तथा अन्य स्वीकार्य खर्चों का भुगतान कर दिया है। सुपर बाजार द्वारा अपने पूर्व प्रबंध निदेशक के संबंध में निम्नलिखित मदों के लिए किया गया व्यय इस प्रकार है :-

(i) वेतन (जुलाई 96, 28.6.1997)	–	2,02,392.00
(ii) प्रशिक्षण व्यय	–	93,800.00
(iii) स्थानान्तरण अनुदान	–	4,000.00
(iv) यात्रा भत्ता अग्रिम	–	1,000.00
(v) पैकिंग भत्ता	–	1,500.00
(vi) वेतन के प्रति अग्रिम (कार्यग्रहण समय)	–	5,000.00

उपर्युक्त के अलावा पूर्व प्रबंध निदेशक को समाचार-पत्रों आदि के व्यय की भी प्रतिपूर्ति की गई।

(ग) मकान किराए का भुगतान तथा एस॰टी॰डी॰ काल/टेलीफोन सुविधा की प्रतिपूर्ति सुपर बाजार, दिल्ली में प्रबंध निदेशक के पद की हकदारी के अनुसार की गई थी। तदनुसार पूर्व प्रबंध निदेशक को वेतन तथा अन्य भत्तों के लिए किए गए भुगतानों में कोई वित्तीय गोलमाल नहीं हुआ।

(घ) ऊपर (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का हिस्सा

926. **श्री समीक लाहिड़ी :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार देश में कुल खाद्यान्नों, वृक्षारोपण और कृषि उत्पादों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की भागीदारी कितनी है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र में हैं इसलिए देश में कुल खाद्यान्नों, वृक्षारोपण और कृषि उत्पादों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की भागीदारी उपलब्ध नहीं है। वैसे पिछले 3 सालों के दौरान खाद्यान्नों इसमें चावल, गेंहू, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, दाल, जौ, मिलेट और मोटा अनाज शामिल है, का उत्पादन निम्नलिखित है:-

1994-95	191.50 मिलियन टन
1995-96	185.04 मिलियन टन
1996-97 (अनुमानित)	193.50 मिलियन टन

खाद्यान्नों के उपर्युक्त कुल उत्पादन में से लगभग 10 प्रतिशत को किसान बीज के रूप में रख लेता है। बाकी का प्रसंस्करण हर साल विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में किया जाता है। फल और सब्जियों की कुल पैदावार में से लगभग 2 प्रतिशत का तथा दूध के कुल उत्पादन में से लगभग 4 प्रतिशत का प्रसंस्करण संगठित क्षेत्र में किया जाता है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार

927. **श्री विजय गोयल :** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कर्नाटक में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के लिये वरदान के बजाय अभिशाप सिद्ध हुई है जैसा कि 2 जुलाई, 1997 के "इकानोमिक टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें इस मामले से संबंधित क्या तथ्य दिये गये हैं;

(ग) क्या ऐसी स्थिति से राज्यों को खाद्यान्नों का आबंटन गंभीर रूप से प्रभावित नहीं होगा और उसमें कमी नहीं आएगी जिससे बहुत बड़ी संख्या में शहरी गरीबों के लिये कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे व्यक्तियों के बारे में अनुमान के संबंध में केन्द्र और राज्यों के बीच मतभेद को दूर करने के लिये क्या तंत्र बनाए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। "दि इकानामिक टाइम्स" ने 2 जुलाई, 97 के अपने संस्करण में रिपोर्ट दी है कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के संबंध में कर्नाटक सरकार का आकलन केन्द्र सरकार के आंकड़ों से काफी अधिक है। इसने आगे रिपोर्ट किया है कि केन्द्र सरकार ने खाद्यान्नों का मासिक कोटा 120000 टन से घटाकर 35000 टन कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के खुले बाजार-मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है और खाद्यान्नों में 90 प्रतिशत की कमी होने के कारण "सेन्ट्रल को-आपरेटिव होलसेल स्टोर्स" और कृषि उत्पाद विपणन समितियों को बंद होना होगा।

(ग) जी, नहीं। गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किए गए पिछले 10 वर्षों के औसत वार्षिक उठान के आधार पर किया जाता है।

(घ) योजना आयोग द्वारा स्व॰ प्रो॰ लाकड़ावाला की अध्यक्षता में गठित "विशेषज्ञ दल" की प्रणाली के अनुसार गरीबी-रेखा से नीचे के परिवारों की संख्या ज्ञात की गई है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के अनुसार विशेषज्ञ दल की प्रणाली के अंतर्गत अनुमान वास्तविक तथ्यों के बिल्कुल करीब होते हैं। अतः इसे भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

उपभोक्ता न्यायालयों के अनुदान का उपयोग न किया जाना

928. **श्री सुरेश आर॰ जाधव :** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार से उपभोक्ता न्यायालयों के ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिये 1995-96 और 1996-97 हेतु स्वीकृत अनुदानों को वर्ष 1997-98 के दौरान उपयोग करने के लिये कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है क्योंकि राज्य सरकार कुछ पेचीदा प्रक्रियाओं के कारण उक्त अवधि के दौरान इन अनुदानों का उपयोग नहीं कर पाई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध प्राप्त हुआ है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान उपभोक्ता न्यायालयों के आधार ढांचे को मजबूत करने के लिए 1995-97 में स्वीकृत सहायता अनुदान का उपयोग करने की अनुमति पहले ही दे दी है।

आन्ध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

929. **श्री जी॰ए॰ चरण रेड्डी** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गई सिफारिश के बावजूद भी आन्ध्र प्रदेश में निजामाबाद के डिच्चीपल्ली क्षेत्र में गोदाम का अभी तक निर्माण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निजामाबाद जिले में भारतीय खाद्य निगम के पास अपना एक भी छोटा डिपो नहीं है और भारतीय खाद्य निगम को केन्द्रीय भांडागार निगम/निजी पार्टियों के गोदामों पर भंडारण हेतु निर्भर रहना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार डिच्चीपल्ली में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को शीघ्र बनाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) फिलहाल, आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र के निजामाबाद जिले में पड़ने वाले दिच्चीपल्ली स्थान पर भारतीय खाद्य निगम की अपनी भंडारण क्षमता नहीं है। तथापि, जिले में केन्द्रीय भण्डारण निगम की 95,760 टन क्षमता है। इसमें से भारतीय खाद्य निगम 45,620 टन क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम ने 19,296 टन क्षमता के प्राइवेट मालिकों से ए॰आर॰डी॰सी॰ गोदाम भी किराये पर लिए हुए हैं। वर्तमान किराये की क्षमता पर्याप्त समझी जाती है और कम उपयोगिता तथा संसाधन संबंधी बाधा के कारण भारतीय खाद्य निगम का वहां अपनी क्षमता निर्मित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

पुलिस अधिनियम में संशोधन

930. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुलिस अधिनियम में सुधार करने संबंधी सुझाव देने के लिये कोई समिति या आयोग गठित किया है या गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार नागरिकों को बिना किसी कारण के झूठे मामलों में फंसाने वाले और मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में संलिप्त पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिये तत्काल कोई कार्यवाही कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) पुलिस अधिनियम 1861 के प्रतिस्थापन सहित राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों की समीक्षा के लिए गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आई॰ एस॰पी॰; की अध्यक्षता में एक आंतरिक समिति गठित कर दी गई है।

(ग) से (ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्यों के पुलिस बलों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन न किया जाए और कि इसके लिए दोषी पाए गए पुलिएकर्मियों के विरुद्ध दाण्डिक कार्रवाई की जाए, यथावश्यक उपाय करने की जिम्मेदारी तत्वतः राज्यों की ही है। भारत सरकार अपनी ओर से पुलिस कर्मियों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन पर काबू पाने के लिए समय-समय पर राज्यों को आवश्यक निर्देश जारी करती रही है। राज्यों के ध्यान में यह बात स्पष्ट तौर पर लाई गई है कि विधि प्रवर्तन एजेंसियों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रत्येक आरोप पर तेजी से और पारदर्शी ढंग से ध्यान दिया जाए तथा जहां भी कोई कर्मचारी दोषी पाया जाये उसे वहां दंड दिया जाए।

[अनुवाद]

कृषि क्षेत्र में साझा न्यूनतम कार्यक्रम

931. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि क्षेत्र में साझा न्यूनतम कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विनियम और नियंत्रण किसानों की आय में वृद्धि में बाधक हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे विनियमों/नियंत्रणों को समाप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग) संयुक्त मोर्चा-प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर एक सर्वनिष्ठ नीति तथा न्यूनतम कार्यक्रम से प्रासंगिक उद्धरण संलग्न विवरण में दिए गए हैं। केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रणाधीन महत्वपूर्ण विनियम/आदेश चावल मिलिंग उद्योग विनियमन अधिनियम 1958, शीतागार आदेश, 1980, दूध तथा दूध उत्पाद नियंत्रण आदेश 1992, गिनिंग व प्रेसिंग फैक्टरी अधिनियम 1925, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 चीनी

(पैकिंग तथा विपणन) आदेश, 1970 तथा कृषि जिंसों के निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध से संबंधित है। जहां कहीं भी व्यवहार्य है, विनियम/नियंत्रण आदेशों की समीक्षा तथा निरस्तीकरण के लिये शुरूआत पहले ही की जा चुकी है। चावल मिलिंग उद्योग विनियमन अधिनियम, 1958 तथा शीतागार आदेश 1980 को पहले ही निरस्त किया जा चुका है।

विवरण

"संयुक्त मोर्चा-प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर एक सर्वनिष्ठ नीति तथा न्यूनतम कार्यक्रम"

कृषि क्षेत्र में सुधार लाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। सतत् तथा व्यापक कृषि विकास के अभाव में भारत में कोई भी आर्थिक सुधार तथा पुनः सृजन की नीति सफल नहीं हो सकती है। कृषि में निवेश की दर बढ़ायी जायेगी। सभी नियंत्रणों तथा विनियमों की जो किसानों की आय में वृद्धि करने में रुकावट है, की तत्काल समीक्षा की जायेगी तथा जहां कहीं भी अनावश्यक समझा जाता है उनको समाप्त कर दिया जायेगा। कृषि उत्पादों के परिवहन तथा कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण पर से नियंत्रण समाप्त कर दिया जायेगा। यह सुनिश्चित करने के उपाय किये जायेंगे कि किसानों को उनके उत्पादों के लिये उचित तथा लाभकारी मूल्य प्राप्त होता है। ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। देश के 100 अधिकतम पिछड़े तथा निर्धन जिलों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिये एक विशेष योजना शुरू की जायेगी। ग्रामीण ऋण पद्धति को पुनः व्यवस्थित किया जायेगा ताकि कृषि तथा कृषि उद्योगों को विशेष रूप से छोटे तथा सीमान्त किसानों को 5 वर्षों के अन्दर ऋण की राशि दोगुनी की जा सके। समूचे देश में किसानों को बार-बार आने बाली बाढ़ तथा सूखे की स्थिति से बचाने के लिये जल की भागीदारी तथा जल प्रबंधन संबंधी एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जायेगी।

जो एजेंसियां किसानों को आदानों की आपूर्ति करती है, उनको व्यावसायिक बनाया जायेगा और जहां कहीं भी सम्भव है, उनको किसानों की स्वामित्व वाली सहकारी समितियों के रूप में परिवर्तित कर दिया जायेगा। कृषि अनुसंधान तथा विस्तार संगठनों को पूरी तरह मजबूत बनाया जायेगा। अधिकतम आधुनिक प्रौद्योगिकी यथा पशुधन के लिये जैव प्रौद्योगिकी तथा सस्य प्रसंस्करण के लिये शीतागार, फार्म क्षेत्र में अपनाई जायेगी।

कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी श्रम की उचित स्थितियां सामूहिक बीमा तथा अन्य अधिकारी की गारंटी देने के मामलों में संसद द्वारा एक विस्तृत विधान तैयार किया जायेगा।

वैधानिक तथा प्रशासनिक कमियों को पूरा करके राज्यों को भूमि सुधार संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। राज्यों को पट्टेदारी संबंधी अधिकारों के रिकार्ड सहित भूमि रिकार्डों के संबंध में विधान बनाने के लिये प्रेरित किया जायेगा। राज्यों के सहयोग से सिंचाई तथा कृषि के विस्तार के लिये अधिक धन आबंटित किये जायेंगे।

पशुओं का अवैध शिकार

932. प्रो॰ जितेन्द्र नाथ दास : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् 1990 से अब तक दुर्लभ पशुओं का अवैध रूप से शिकार करने वाले कितने लोगों को दंडित किया गया है;

(ख) उनमें से कितने शिकारियों को अवैध शिकार के लिए पकड़ा गया है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी

सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा जासूसी

933. श्री अमर राय प्रधान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1995 से जून, 1997 की अवधि के दौरान सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों की दूसरे देशों के लिये जासूसी करते हुए पाया गया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे कार्मिकों के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) इस कुप्रथा को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) (क) और (ख) 1.1.1995 से 30.6.1997 तक की अवधि के दौरान सीमा सुरक्षा बल का कोई भी कार्मिक दूसरे देशों के लिए जासूसी करते हुए नहीं पाया गया। तथापि, जैसलमेर में तैनात सीमा सुरक्षा बल के एक कांस्टेबल को 6 अप्रैल, 1997 को राजस्थान पुलिस द्वारा पकड़ा गया था, क्योंकि संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ के दौरान उसका नाम आया था। इस मामले की जांच की जा रही है।

(ग) सुरक्षा उपाय मजबूत किए गए हैं तथा कार्मिकों को और अधिक सतर्क रहने के संबंध में सुग्राही बनाया गया है।

असम को जारी गेहूं का कोटा

934. डा॰ अरूण कुमार शर्मा : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा जुलाई, 1997 तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा असम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कितना गेहूं कोटा जारी किया गया;

(ख) गत कुछ वर्षों के दौरान राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये अनियमित कोटा जारी करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोटा बढ़ाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक वितरण प्रणाली कोटा जारी करने की प्रणाली को चुस्त-दुरूस्त बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या जनवरी, 1997 से भारतीय खाद्य निगम ने असम के तिनसुकिया और डिब्रुगढ़ सहित कुछेक जिलों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली कोटा आवंटित नहीं किया गया है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या ऐसे आवंटनों के लिये भारतीय खाद्य निगम किन्हीं मानदंडों का अनुपालन कर रहा है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ञ) यदि नहीं, तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा आवश्यकताओं को पूरा न करने की दशा में खाद्यान्नों की आपूर्ति बनाए रखने के लिये क्या वैकल्पिक प्रबंध किये जा रहे हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित) के अधीन असम में गेहूं का आवंटन और उठान निम्नानुसार रहा है :

(हजार टन में)

	गेहूं		
वर्ष (अप्रैल-मार्च)	आवंटन	उठान	प्रतिशत उठान
1994-95	310.00	377.30	89.45
1995-96	360.00	351.70	97.69
1996-97	355.50	301.90	85.00
1997-98 (अप्रैल-मई, 97)	60.00	53.20	88.67
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली			
जून, 97	20.38	उ०न०	
जुलाई, 97	20.30	उ०न०	

(ख) अप्रैल, 94 से मई, 97 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आवंटन के प्रति गेहूं का उठान 85 प्रतिशत और अधिक रहा और इस कारण इसे अनियमित नहीं कहा जा सकता।

(ग) से (ङ) जी, हां। असम सरकार ने मांग की है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन जून, 97 माह के लिए निर्धारित गेहूं के 20380 टन के मासिक कोटे को बढ़ाकर 45000 टन मासिक किया जाए। जिसे गेहूं और चावल द्विशासन (बाइफरकेसन) के अनुसार जुलाई, 97 से संशोधित कर 20,380 टन कर दिया है जैसा कि राज्य सरकार ने अनुरोध किया था। गेहूं के मासिक कोटे को और युक्तियुक्त बनाने संबंधी विषय विचाराधीन नहीं है।

(च) से (ञ) भारतीय खाद्य निगम से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिनकोना बागान

935. **श्री आर०बी० राई** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में सिनकोना बागानों द्वारा भारी घाटा उठाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन बागानों को प्रति वर्ष कितना घाटा हो रहा है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति के सुधार हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बिहार में नक्सलवाद

936. **श्री बृजमोहन राम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में पलामू-चतरा और हजारी बाग जिलों में नक्सलवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त जिलों में नक्सलवादी गतिविधियों में कितने लोग मारे गये;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकार की ओर से राज्य में नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बिहार में नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार पलामू और चतरा जिलों में नक्सलवादियों की हिंसक गतिविधियों में पिछले वर्ष की तुलना में गत वर्ष कमी परिलक्षित हुई है। हजारीबाग में उनकी हिंसक गतिविधियों की प्रवृत्ति पिछले वर्ष जैसी ही रही है।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन तीनों जिलों में 1995-96 और 1997 (30 जून, 1997 तक) के दौरान मारे गए व्यक्तियों की संख्या 213 थी।

(ग) और (घ) राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की गैर-योजनागत स्कीम के अधीन बिहार सरकार को 1996-97 के दौरान इस योजना के अधीन 333.12 लाख रुपये की राशि विभिन्न आइटमों की खरीद हेतु जारी की गई थी। इस राशि में 100 लाख रुपये की एक विशेष वित्तीय सहायता भी शामिल है। चालू वित्त वर्ष 1997-98 के दौरान इस स्कीम के अधीन बिहार सरकार को किए गए 233.12 लाख रुपये के वार्षिक आबंटन में से 116.56 लाख रुपये की पहली किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है।

(ङ) केन्द्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों के नक्सलवादी विरोधी अभियानों के समन्वय में सुविधा प्रदान करने और राज्यों में नक्सलवादी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए उपयोगी जानकारी के प्रवाह में बढ़ोतरी के लिए कार्रवाई की जाती है। इसके साथ ही पुलिस के आधुनिकीकरण, उन्नत शस्त्रों की आपूर्ति, अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती आदि के रूप में राज्य सरकारों को सहायता दी जा रही है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ प्रभावित राज्यों को पुलिस के आधुनिकीकरण एवं शस्त्रों की आपूर्ति हेतु किए जा रहे आबंटनों के अलावा भी वित्तीय सहायता दी गई है।

[अनुवाद]

अनधिकृत अनुसंधान संगठन

937. **श्री एन॰एन॰ कृष्णादास** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की केरल में पालघाट जिले में "नेल्लीयमपेथी हिल्स वेस्टर्नघाट" पर कुछ विदेशियों द्वारा "हिल कन्जर्वेशन सोसायटी" नाम से चलाए जा रहे अनधिकृत अनुसंधान संगठन की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में सब्जी उत्पादन

938. **श्री एस॰ अजय कुमार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल में सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के संबंध में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) नौवीं योजना के दौरान, 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से 2863.325 लाख रुपये की लागत पर केरल में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए वनस्पति उत्पादन को बढ़ाने हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस परियोजना में बीज उत्पादन, क्षेत्र विस्तार, कटाई उपरान्त प्रबन्ध तथा अनुसंधान कार्यकलाप शामिल हैं। परियोजना को जांचा-परखा जा रहा है।

[हिन्दी]

घटिया किस्म के बीजों, कीटनाशकों और उर्वरकों की आपूर्ति

939. **डा॰ अरविन्द शर्मा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में किसानों को घटिया किस्म के बीजों, कीटनाशकों और उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय द्वारा इन मदों की किस्म में सुधार करने और उन्हें किसानों को उपलब्ध कराने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं;

(घ) क्या हरियाणा में सरकारी विभागों में इन मदों की खरीद में किये गये किसी घोटाले और उनकी घटिया किस्म की आपूर्ति की जानकारी भी केन्द्र सरकार को दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) कुछ राज्य सरकारों ने पिछले वर्षों में किसानों को दी गयी घटिया क्वालिटी के बीजों की आपूर्ति के संबंध में सूचना दी है। कीटनाशी अधिनियम, 1968 तथा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के प्रवर्तन के दौरान किए गए कीटनाशी दवाओं तथा उर्वरकों के नमूने क्रमशः यह दर्शाते हैं कि नमूनों का कुछ प्रतिशत लागू आदेशों की कड़ी विनिर्दिष्टयों को देखते हुए घटिया हो सकते हैं। समग्रतः किसानों को सप्लाई किये जाने वाले बीजों, कीटनाशी दवाओं तथा उर्वरकों की क्वालिटी विश्वसनीय है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाते हैं कि किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज, कीटनाशी दवाएं तथा उर्वरक सप्लाई किए जाएं। विभिन्न किस्मों की फसलों के लिए प्रति वर्ष लगभग 68 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज/क्वालिटी बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। कीटनाशी अधिनियम, 1968 का प्रवर्तन सख्ती से किया जाता है और कीटनाशी दवाओं/कृमिनाशियों के नमूनों की जांच के लिए 42 राज्य कृमिनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गयी हैं। इसी प्रकार अच्छी क्वालिटी के उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 57 उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गयी हैं, जहां यादृच्छिक रूप से लिए गए नमूनों की जांच की जाती है। और यदि नमूना घटिया पाया जाए, तो कार्रवाई की जाती है। इन कानूनों/आदेशों के प्रवर्तन से यह सुनिश्चित किया जाता है कि

विनिर्माता किसानों को केवल क्वालिटी बीजों, कृमिनाशियों तथा उर्वरकों की ही आपूर्ति करें।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गुजरात में रुग्ण उर्वरक कारखाने

940. श्री जयसिंह चौहान : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उर्वरक कारखाने सरकार की सहायता से चलाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) गुजरात में रुग्ण उर्वरक कारखानों की क्या संख्या है;

(घ) क्या सरकार ने राज्य में रुग्ण उर्वरक कारखानों को अर्थक्षम बनाने के लिए प्रयास किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) और (ख) वित्तीय सहायता चाहने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उर्वरक उपक्रमों को संभव सीमा तक बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। इन उपक्रमों को दी गई बजटीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) गुजरात राज्य में स्थित उर्वरक कंपनी मैसर्स रामा फर्टिलाइजर्स प्रा॰ लि॰ (आर॰एफ॰पी॰एल॰) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी॰आई॰एफ॰आर॰) के पास रुग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 (एसआईसीए) के उपबन्धों के अंतर्गत रुग्ण कंपनी के रूप में दर्ज है।

(घ) से (च) निजी क्षेत्र में रुग्ण उर्वरक कंपनियों के लिए पुनरूद्धार योजनाएं बी॰आई॰एफ॰आर॰ को प्रस्तुत करने के लिए उनके प्रवर्तकों द्वारा बनाई जाती हैं। उनके पुनरूद्धार में सरकार प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। 18.9.90 को एस॰आई॰सी॰ए॰ की धारा 17(2) के अंतर्गत बी॰आई॰एफ॰आर॰ द्वारा आर॰एफ॰पी॰एल॰ के पुनरूद्धार की एक पुनरूद्धार योजना को मंजूरी दी गई थी। तथापि योजना के कार्यान्वयन को असफल घोषित कर दिया गया है और इस मामले को बी॰आई॰एफ॰आर॰ द्वारा 1.4.1997 को फिर से आरम्भ किया गया है।

विवरण

(रु॰ करोड़)

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	संयंत्रों की राज्यवार अवस्थिति	बजटीय सहायता			
		गैर योजना		योजना	
		1996–97 (अनंतिम)	1997–98	1996–97 (अनंतिम)	1997–98
एफ सी आई	सिन्दरी (बिहार) तालचर (उड़ीसा) रामागुण्डम (आन्ध्र प्रदेश) गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)	277.00	277.00	39.00	55.00
फैक्ट	कोचीन और उद्योगमण्डल (केरल)	–	–	166.69*	72.00#
एच एफ सी	दुर्गापुर और हल्दिया (पं॰ बंगाल), बरौनी (बिहार), नामरूप (असम)	143.34	143.34	9.00	41.00
एम एफ एल	मनाली (तमिलनाडु)	37.30	–	20.00	–
पी पी सी एल	अमझोर (बिहार), सलाटीपुरा (राजस्थान)	–	–	4.00	6.00
पी पी एल	पारादीप (उड़ीसा)	–	–	36.31	49.50

* ओ ई सी एफ ऋण बजट के माध्यम से निर्गत।

\# ओ ई सी एफ ऋण 70 करोड़ रुपए तथा शुद्ध बजटीय सहायता 2.00 करोड़ रुपए।

मसालों को प्रोत्साहन

941. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मसालों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) भारत सरकार आठवीं योजना अवधि से ही 125.00 करोड़ रु॰ परिव्यय के साथ मुख्य मसालों की खेती को अत्यधिक प्रोत्साहन दे रही है। इस कार्यक्रम को 30.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से 1997-98 में भी चलाया जा रहा है।

गोवा के लिए राज्यपाल

942. श्री चर्चिल अलेमाओ : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा के लिए एक नियमित राज्यपाल नियुक्त न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) राज्य के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नियमित राज्यपाल की नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। गोवा के संबंध में मौजूदा व्यवस्था भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है।

किसान सहायता मोर्चा द्वारा दिया गया मांग-पत्र

943. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसान सहायता मोर्चा द्वारा 23 जनवरी, 1996 को प्रधान मंत्री को एक मांग पत्र दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष आबंटन

944. श्री बादल चौधरी :

श्री बाजू बन रियान :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के विकास हेतु विभिन्न मंत्रालयों को उनके बजट का 10 प्रतिशत आबंटित करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन विभागों ने 1996-97 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए अपने-अपने बजट का 10 प्रतिशत आबंटित किया है;

(ग) ये कौन-कौन से विभाग हैं जो प्रधान मंत्री के दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहे हैं; और

(घ) 1997-98 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए प्रत्येक मंत्रालय के बजट में से 10 प्रतिशत आबंटन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) प्रधान मंत्री ने 27 अक्तूबर, 1996 को नई पहलों की घोषणा की थी जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा गया था कि सभी केन्द्रीय मंत्रालय अपने बजट का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर राज्यों में विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए निर्धारित करेंगे। उस समय तक विभिन्न मंत्रालयों की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका था, अतः इस अनुदेश को 1996-97 के दौरान सभी मंत्रालयों में कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

(घ) सभी मंत्रालयों को सलाह दी गई है कि 1997-98 की वार्षिक योजना तैयार करते समय अपने कुल परिव्यय का 10 प्रतिशत निर्धारित करें।

नागा समस्या

945. श्री बी॰एल॰ शंकर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जून, 1997 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में "फर्दर टाक्स विद नागा रेबल्स इन जिनेवा नैक्स्ट मंथ" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इससे जटिल नागा समस्या को सुलझाने में किस हद तक मदद मिलने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) प्रधान मंत्री ने 25 जुलाई, 1997 को संसद के दोनों सदनों को, अन्य बातों के साथ-साथ, सूचित किया कि नागालैण्ड और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के उनके दौरे के बाद भूमिगत तत्वों के साथ बिना किसी शर्त के बातचीत करने की सरकार की इच्छा को दोहराया गया था तथा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैण्ड के आईजक मुईवाह ग्रुप के साथ हुई वार्ताओं के बाद, 01 अगस्त, 1997 से तीन माह के लिए संघर्ष रोकने तथा राजनैतिक स्तरीय बातचीत शुरू करने पर अब सहमति हुई है।

दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन

946. श्री मंगल राम प्रेमी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश को पुनर्गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को दिल्ली में शामिल किये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र को दिल्ली में शामिल करके, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को पुनर्गठित करने संबंधी कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

घुसपैठ

947. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक वर्ष लाखों व्यक्ति घुसपैठ करके देश में आ जाते हैं;

(ख) क्या घुसपैठ के संबंध में कोई वार्षिक सर्वेक्षण किया गया है अथवा विवरण तैयार किया गया है;

(ग) क्या भारत की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए घुसपैठियों के आने से बढ़ते भार को कम करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) पड़ोसी देशों के साथ लम्बी थल सीमा को देखते हुए तथा विभिन्न "पुल एण्ड पुश" कारकों के कारण देश में घुसपैठ की समस्या एक सतत् समस्या है। घुसपैठियों की ठीक-ठीक संख्या का अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि वे चोरी-छिपे प्रवेश करते हैं और जातीय एवं भाषायी समानताओं के कारण स्थानीय लोगों में घुल-मिल जाते हैं। स्थिति के लगातार प्रबोधन के लिए नियमित समीक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) भारत आ जाने में सफल हो जाने वाले अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें स्वदेश भेजने के लिए सरकार द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं—भारत-बंगलादेश सीमावर्ती राज्यों में पी आई एफ/एम टी एफ योजनाओं के अधीन विशेष पदों का सृजन, असम में अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें स्वदेश भेजने को सुविधाजनक बनाने के लिए आई एम डी टी अधिनियम में 1988 में तथा आई एम डी टी नियमों में 1997 में संशोधन, अवैध प्रवासियों को सौंपने के संबंध में बंगलादेश के साथ आपसी समझ विकसित करना आदि। की गई कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा, विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर की जाती है।

[अनुवाद]

केरल एक्सप्रेस में डकैतियां

948. प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान केरल एक्सप्रेस में कितनी डकैतियां हुई; और

(ख) ऐसी डकैतियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) रेलगाड़ियों में होने वाले अपराध को दर्ज करना, उसकी जांच करना, उसका पता लगाना और उसकी रोकथाम करना राजकीय रेलवे पुलिस की जिम्मेदारी है जो संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के अधीन कार्य करती है। लूटपाट से संबंधित रेलगाड़ियों वार सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

राज्यपालों का सम्मलेन

949. श्री दिलीप संघानी :

श्री हरिन पाठक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1997 में दिल्ली में राज्यपालों, मुख्य मंत्रियों

और अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का दो-दिवसीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में की गई चर्चा और सर्वसम्मति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) 2 और 3 जून, 1997 को राज्यपालों का एक सम्मलेन आयोजित किया गया था जिसमें राजनैतिक दलों के नेता भी आमंत्रित किए गए थे। इस सम्मलेन का मुख्य विचार बिन्दु था "संवैधानिक मुखिया की भूमिका, जब चुनाव के पश्चात् कोई दल या दलों का गठबंधन बहुमत प्राप्त दिखाई न दे"।

सम्मलेन में बड़े राजनैतिक दलों के नेताओं तथा अन्य भागीदारों ने सम्मलेन के विचार बिन्दु जैसी स्थिति आने पर सामने वाली जटिलताओं पर अपने-अपने विचार रखे। यह महसूस किया गया है कि इस विषय पर आकलन एवं मूल्यांकन की एक ज्यादा विस्तृत प्रक्रिया को शुरू करने और इसे विस्तार देने में यह सम्मेलन खूब सफल हुआ है। इससे सर्वत्र एक सुविज्ञ दृष्टिकोण तैयार हो सकेगा। ऐसा होने से कुछ समस्याप्रद स्थितियों में संविधान का काम ज्यादा सहज और पारदर्शी बन सकेगा।

सरकार का प्रस्ताव है कि इस विषय पर और हमारी प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत बनाने वाले अन्य विषयों पर चर्चा जारी रखी जाए।

[हिन्दी]

वनस्पति और पशु प्रजातियों का पेटेन्ट

950. **श्री ललित उरांव** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत 45 हजार वनस्पति और 45 हजार पशुओं की प्रजातियों से समृद्ध है परन्तु उनमें 10 प्रतिशत प्रजातियों का पेटेन्ट विदेशी एजेंसियों द्वारा विदेशों में करा लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) यद्यपि भारत में वनस्पति एवं प्राणि प्रजातियों की प्रचुरता का निर्धारण करना संभव नहीं है, फिर भी अब तक क्रमशः 49,000 से अधिक वनस्पति प्रजातियों और 81,000 से अधिक पशु प्रजातियों की शिनाख्त और वर्णन किया गया है। सरकार को इस प्रकार शिनाख्त-शुदा प्रजातियों के 10 प्रतिशत की पेटेंटिंग के बारे में कोई सूचना/शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजना

951. **श्री नारायण अठावले** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (एन॰ई॰ई॰आर॰आई॰) ने देश के विभिन्न भागों में फ़ास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एन॰ई॰ई॰आर॰आई॰ के निष्कर्षों/टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) परियोजनाओं को कार्यान्वित करते समय पर्यावरणीय दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय पर्यावरण इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान (नीरी) ने देश के विभिन्न भागों में फास्ट ट्रैक बिजली परियोजनाओं का कोई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पर्यावरण निकासी पत्र में दी गई शर्तों को लागू करने के लिए मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा इनकी नियमित निगरानी की जाती है।

मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

952. **श्री एस॰डी॰एन॰आर॰ वाडियार** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 मई, 1977 को नई दिल्ली में भावी और उत्तरदायी प्रशासन देने संबंधी चर्चा करने हेतु मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न मुख्य मंत्रियों द्वारा क्या विचार व्यक्त किये गए;

(ग) क्या प्रशासन को सुदृढ़ करने और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार करने हेतु कोई संकल्प स्वीकृत किया है;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) इन संकल्पों को यदि कोई हो, स्वीकार करने और लागू करने हेतु क्या कोई कार्ययोजना तैयार की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ) प्रभावी एवं उत्तरदायी सरकार देने संबंधी कार्य योजना पर चर्चा करने के लिए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 24 मई, 1997 को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मलेन आयोजित किया गया था। कार्ययोजना में तीन विषयों पर बात हुई, नामतः जवाबदेह तथा नागरिक अनुकूल सरकार, पारदर्शिता एवं सूचना का अधिकार, तथा लोक सेवाओं के कार्यनिष्पादन एवं उनकी सन्निष्ठा में सुधार। इन विषयों के अधीन जिन मुद्दों पर चर्चा हुई और जिन पर केन्द्र एवं राज्य स्तर पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है; वे हैं:-

(1) नागरिक चार्टर और जवाबदेह प्रशासन;

(2) प्रभावी एवं त्वरित लोक शिकायत निवारण प्रणाली;

(3) चुने हुए स्थानीय निकायों को शक्ति सम्पन्न बनाना तथा सेवाओं का विकेन्द्रित सम्प्रदान;

(4) कानूनों, विनियमों तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा;

(5) पारदर्शिता तथा सूचना का अधिकार;

(6) सार्वजनिक कार्यालयों और सूचना सुविधा पटलों तक जनता की पहुंच;

(7) लोक सेवाओं के लिए आचार-संहिता;

(8) भ्रष्टाचार से निपटना तथा प्रशासन को स्वच्छ बनाना; और

(9) कार्यकाल की स्थिरता और सिविल सेवा बोर्डों के लिए एक योजना बनाना।

सम्मेलन में भाग लेने वाले मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों ने सभी स्तरों पर उत्तरदायी, जवाबदेह, पारदर्शी और लोक अनुकूल प्रशासन सुनिश्चित करने की जरूरत का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया। सम्मेलन में अंगीकृत किए गए संकल्प में राज्यों ने अधिक प्रभावी एवं उत्तरदायी प्रशासन की दिशा में प्रधान मंत्री द्वारा की गई पहल का स्वागत किया और कहा कि ये पहलें महत्वपूर्ण एवं सामयिक हैं। इस बात पर सहमति हुई कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार थोड़ी बहुत अदला-बदली की गुंजाइश रखते हुए प्रत्येक राज्य इस कार्ययोजना के कार्यान्वयन हेतु कार्य करेगा।

सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव के अधीन देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ मुख्य सचिवों तथा भारत सरकार के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की सदस्यता वाली एक समिति गठित कर दी है ताकि कार्ययोजना के भिन्न-भिन्न पक्षों को स्पष्ट किया जा सके और केन्द्रीय एवं राज्य स्तरों पर अपेक्षित विभिन्न निर्णय तैयार किए जा सकें।

[हिन्दी]

धोवनशालाओं के अपशिष्ट पदार्थों को दामोदर नदी में गिराया जाना

953. श्री रविन्द्र कुमार पांडेय : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों की धोवनशालाओं जैसे दुग्धा, कारगली, स्वांग तथा कथारा धोवनशालाओं के अपशिष्ट पदार्थों को बिहार के कोयला क्षेत्र से गुजरने वाली दामोदर नदी में गिराया जा रहा है;

(ख) क्या बोकारो ताप विद्युत स्टेशन तथा सी.टी.पी.एस. के अपशिष्ट पदार्थों को भी दामोदर नदी में गिराया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कार्य को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ग) दामोदर बेसिन में स्थित कोल वाशरीज से सामान्य परिस्थितियों में दामोदर नदी में कोई निस्तारण नहीं किया जाता है क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड सहित सभी कोल वाशरीज तथा दुग्धा, कारगली, स्वांग तथा कथारा आदि जैसी इसकी सहायक कम्पनियों ने अपशेष जल पुनर्चक्रण प्रणालियां स्थापित की हैं। मानसून के महीने में कोयला के कुछ बारीक कण तथा सतही रन-आफ के साथ इन वाशरीज से कुछ अन्य अपशेष नदी में बह जाते हैं। बोकारो ताप विद्युत केन्द्र के राख का गारा बिना उचित उपचार के दामोदर नदी में छोड़ा जा रहा है। इस मामले की एम॰सी॰ मेहता बनाम भारत सरकार तथा अन्य की एक जनहित वाद के अन्तर्गत सुनवाई एवं निगरानी की जा रही है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चन्द्रपुरा विद्युत ताप केन्द्र को विद्युत केन्द्र से बहिस्राव को केवल उचित उपचार के बाद ही नदी में निस्तारित किया जाता है, सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए 14.5.1997 को निर्देश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

पैट्रोरसायन काम्पलेक्स की स्थापना

954. श्री रघुनंदन लाल भाटिया : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में कतिपय पेट्रोरसायन काम्पलेक्स स्थापित करने के लिए मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार (विशेषतः पंजाब का) ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है।

विवरण

देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाने वाले निम्नलिखित ओलेफिनिक/एरोमेटिक पेट्रो-रसायन परिसरों के बारे में सरकार ने आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किया है

क्रम सं.	आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्राप्तकर्ता का नाम	स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित मद तथा उनकी क्षमता		
1	2	3		
1.	**असम**			
	(क) असम स्टेट इंडस्ट्रियल डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गोहाटी	एथीलिन	–	300000
		प्रापिलीन	–	51000
		बूटाडाइन	–	16000
		सी4 रेफीनेट	–	11000
		पायरोलिसिस		
		गेसोलीन	–	44000
		एसीटीलीन	–	3500
		हैक्सीन	–	800
		फ्यूल आयल	–	6000
		फ्यूल गैस	–	108500
		एलएलडीपीई	–	100000
		एचडीपीई	–	100000
		बूटानेल	–	6000
	(ख) मे. बोंगईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि. ढालीगांव, बोंगईगांव असम-783385	पेराक्सीलीन	–	102000
		आरथाक्सीलीन	–	102000
		सी सेवन	–	74000
		सी नाइन	–	26000
	(ग) में बोंगईगांव रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि. ढालीगांव, असम	पेराक्सीलीन	–	29000
		सी	–	73000
		अन्य सॉलवेन्ट्स	–	70700
2.	**आन्ध्र प्रदेश**			
	में हेरन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि., विशाखापटनम, आन्ध्र प्रदेश	एमईजी	–	150000
		डीईजी	–	19360
		ट्रीएथीलीन	–	
		ग्लाइकोल	–	660
3.	**गुजरात**			
	(क) मे. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.	बूटाडाइन और अन्य		
		सी 4 रेफीनेट	–	225000
		बेंजीन	–	235000
	मोरा, कोरासिया, गुजरात	टाल्यून	–	197000
		जाइलीन्स	–	165000

1	2	3		
		एथीलीन	–	750000
		प्रापिलीन	–	365000
	(ख) मे. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि., जामनगर, गुजरात	एथीलीन	–	800000
		प्रापिलीन	–	390000
		बूटाडाइन और अन्य सी 4 रेफीनेट्स	–	240000
	(ग) मे. मार्डिया केमिकल्स लि., दाहेज, जिला बैरूच, गुजरात	बेंजीन	–	81200
		पैराक्सीलीन	–	78000
		साइक्लोहेक्सालीन	–	50000
		हैवी एरोमेटिक	–	290000
	(घ) मे. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि., गांव मोरा, तहसील चरासी (हजीरा), गुजरात	एमईजी	–	100000
	(ङ) मे. माडर्न पेट्रोकेमिकल्स [माडर्न थ्रेड (आई) लि. की इकाई] गांव भोंसाली, तालुका व ग्रा बैरूच, गुजरात	पैराक्सीलीन	–	170000
	(च) मे. इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपो. लि., जिला वडोदरा, गुजरात	इथेन/प्रोपेन रिकवरी	–	460000
		एथीलीन	–	300000
		प्रोपिलीन	–	38000
		विनाइल क्लोराइड मोनोमर	–	170000
		पालिविनायल क्लो	–	150000
		एथीलीन आक्साइड मोनो एथीलीन ग्लाइकोल	–	38000
		अल्फा ओलेफिन्स	–	100000
4.	**हरियाणा**			
	मे. इंडियन आयल कारपोरेशन लि. पानीपत, हरियाणा	पैराक्सीलीन	–	300000
5.	**कर्नाटक**			
	(क) मे. कर्नाटक स्टेट इंडस्ट्रियल डिवलपमेंट कारपोरेशन लि., मंगलौर कर्नाटक	एथीलीन	–	300000
		प्रापिलीन	–	150000
		बूटाडाइन	–	50000
		बेंजीन	–	65000
	(ख) मे. ग्रासिम इंडस्ट्रीज लि., मंगलौर, साउथ केरल, कर्नाटक	पैराक्सीलीन	–	250000
		आरथाक्सीलीन	–	65000
		बेंजीन	–	75000
		टाल्यून	–	65000
6.	**मध्य प्रदेश**			
	मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पो. लि. जिला सागर, मध्य प्रदेश	इथाइलीन	–	300000
		प्रोपीलीन	–	150000

1	2	3		
		बेंजीन	–	65000
		सी. 4 रैफीनेट	–	80000
		पायरोलायसिस		
		गैसोलीन	–	40000
		पायरोलिस		
		फ्यूल आयल	–	13500
7.	**महाराष्ट्र**			
	(क) मैसर्स नेशनल आर्गेनिक केमीकल इंडस्ट्रीज लि., मुम्बई, महाराष्ट्र	इथाइलीन	–	300000
		प्रोपीलीन	–	195000
		बूटाडीन	–	70000
		बेन्जीन	–	72000
		टोल्यून सी बी एफएस,	–	40000
		अन्य पायरोलायसिस		
		गैसोलीन रिटर्न स्ट्रीम.	–	120000
		इथाइलीन आक्साइड	–	120000
		इथाइलीन ग्लीकोल	–	125000
	(ख) मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. एमआईडीसी पाटल गंगा, खालापुर रायगढ़, महाराष्ट्र	पैराक्सीलीन	–	3600
8.	**पॉडिचेरी**			
	मै. केमप्लास्ट सन्मार एरोमेटिक लि., कीजैययुर दक्षिण, टी.पी. पत्तीनम, कम्यून, कारैकल, पॉडिचेरी	पैराक्सीलीन	–	25000C
		बैन्जीन	–	1000000
		ओ–क्सीलीन	–	30000
9.	**पंजाब**			
	मै. पंजाब स्टेट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि., चण्डीगढ़	इथाइलीन	–	300000
		प्रोपीलीन	–	150000
		बूटाडीन	–	50000
		बेन्जीन	–	65000
10.	**तमिलनाडु**			
	मै. तमिलनाडु इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि., तमिलनाडु	इथाइलीन	–	350000
		प्रोपीलीन	–	147000
		बूटाडीन	–	50000
		बेन्जीन	–	70000
		मिक्सड जायलीन	–	75000
		बूटेन्स	–	15000
11.	**उत्तर प्रदेश**			
	(क) मै गैस आथॉरिटी आफ इंडिया लि., जिला इटावा, उ.प्र.	इथाइलीन	–	300000
		प्रोपीलीन	–	12000
		एलएलडीपीई/एचडीपीई	–	160000
		एचडीपीई	–	100000
		बूटेन–I	–	10000

1	2	3		
	(ख) मे. एटीवी पैट्रोकेमीकल्स लि. छाता, जिला मथुरा, उ.प्र.	पैराक्सीलीन	–	100000
		बेन्जीन	–	20000
		आर्थोक्सीलीन	–	30000
		टोल्यून	–	20000

यातायात के नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए प्रणाली

955. **श्री विजय पटेल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संयुक्त राज्य अमरीका में प्रचालित यातायात व्यवस्था और संगत बीमा प्रणाली के अनुसार देश में यातायात के नियमों को तोड़ने वालों के लिए "मार्कस/पाइंट्स (नकारात्मक) सिस्टम" आरम्भ करके जनता को अनुशासित करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस प्रणाली को कब तक आरम्भ करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) यातायात को सुचारू रूप से चलाते रहना, यातायात का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना और ऐसे ही अन्य उपाय करना जो यातायात अनुशासन को मन में बिठाने हेतु आवश्यक हैं, ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जाना होता है। केन्द्र सरकार अपनी ओर से राज्य सरकारों को सलाह देती है तथा उनकी पुलिस व्यवस्था के मूलभूत ढांचे में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराती है।

महाराष्ट्र में चीनी मिलें

956. **श्री राजाभाऊ ठाकरे** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में इस समय कुल कितनी चीनी मिलें हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन चीनी मिलों द्वारा प्रति वर्ष कितनी चीनी का उत्पादन किया गया;

(ग) क्या सरकार इन चीनी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी का निर्यात अन्य देशों को कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें चीनी का निर्यात किया जा रहा है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) 30.6.97 तक, महाराष्ट्र राज्य में 117 संस्थापित चीनी फैक्ट्रियां थी।

(ख) पिछले 3 मौसमों के दौरान महाराष्ट्र में मिलों द्वारा चीनी का उत्पादन निम्नवत था :-

चीनी मौसम	उत्पादन (लाख टन में)
1993-94	27.46
1994-95	50.25
1995-96 (अनन्तिम)	53.76

(ग) से (ङ) 15.1.1997 से चीनी के निर्यात को असरणीबद्ध कर दिया गया है। नई व्यवस्था में, चीनी का निर्यात कृषि तथा प्रसंस्करित खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा) द्वारा वाणिज्य मंत्रालय के अधीन किया जा रहा है। सरकार ने 1996-97 मौसम के उत्पादन में से खुली बिक्री चीनी का 2.5 लाख टन एपेडा द्वारा निर्यात के लिए रखा है। इसके अतिरिक्त, खुली बिक्री चीनी/कच्ची चीनी की 36,300 मी॰टन की एक मात्रा को एपेडा के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ईईसी) तथा यू॰एस॰ए॰ को भारतीय चीनी तथा सामान्य औद्योगिक निर्यात-आयात निगम लि॰ के माध्यम से तरजीह कोटा के अधीन निर्यात के लिए रखा गया है। एपेडा से प्राप्त सूचना के अनुसार, वाणिज्यिक निर्यात पाकिस्तान, मालदीव, म्यांमार तथा दुबई को किया जा रहा है।

गुजरात में बाढ़

957. **श्री पी॰ चण्मुगम :**
श्री सुरेश कलमाडी :
श्री दिलीप संघानी :
श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :
श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया :
श्री प्रमोद महाजन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विध्वंसकारी बाढ़ आई थी जिससे राज्य में जान और माल का भारी नुकसान हुआ;

(ख) यदि हां, तो इससे कितने लोगों की जानें गईं और खड़ी फसलों तथा सम्पत्ति को कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए कोई सरकारी दल गुजरात भेजा है;

(घ) गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से कितनी सहायता मांगी है और केन्द्र सरकार ने प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता देने तथा सुरक्षित स्थानों पर उनके पुनर्वास हेतु गुजरात सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी है; और

(ङ) भविष्य में बाढ़ में से ऐसे नुकसान को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) गुजरात सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार हाल के दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान हुई भारी वर्षा और बाढ़ के कारण 17 जिलों के 2125 गांवों पर प्रभाव पड़ा है जिससे 191 लोगों की जानें गयी और 1.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसलों और 1.02 लाख घरों/झोपड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा है।

(ग) और (घ) 55.24 करोड़ रुपये की राशि, जो आपदा राहत की दूसरी और तीसरी तिमाही किस्त का योग है, राज्य सरकार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास उपायों के लिए जारी की जा चुकी है। 27.62 करोड़ रुपये की पहली किश्त पहले ही जारी कर दिये जाने से राज्य सरकार को 1997-98 के दौरान आपदा राहत कोष में से 82.86 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। राज्य सरकार से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में हुए 664.33 करोड़ रुपये के घाटे को दर्शाया गया है और आपदा राहत कोष में से और उदारीकृत सहायता की मांग की गयी है। एक केन्द्रीय दल ने स्थिति का जायजा लेने के लिए गुजरात के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। आपदा राहत कोष समिति इस दल की रिपोर्ट के आधार पर आपदा राहत कोष में से दिये जाने वाली सहायता की प्रमात्रा के बारे में निर्णय लेगी।

(ङ) अपनाये जा रहे बाढ़ नियंत्रण उपायों में जलाशयों और तटबंधों का निर्माण चैनल सुधार, नगर संरक्षण तथा नदी प्रशिक्षण कार्य आते हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश को खाद्यान्नों का आवंटन

958. श्री बच्ची सिंह रावत बचदा :
श्री अय्यना पटरूषु :
श्री टी॰ गोपाल कृष्ण :
श्री अशोक प्रधान :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी दरों पर प्रत्येक परिवार को 30-40 किलो ग्राम खाद्यान्न देने के लिए उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 89 विकास खण्ड शामिल किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो इस समय प्रत्येक परिवार को 10 किलोग्राम खाद्यान्न देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य के विशेषकर उत्तराखण्ड क्षेत्र के लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अंतर्गत खाद्यान्न कोटा में भारी कमी के परिणामस्वरूप बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) कोटा कटौतियों को कब तक बहाल कर दिया जायेगा; और

(च) वर्ष 1997-98 के दौरान राज्य में खाद्यान्नों और खाद्य तेलों का कोटा बढ़वाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन क्रियान्वित की जाती हैं। केन्द्रीय सरकार भारी मात्रा में खाद्यान्नों को खरीदती है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित करती है। राज्य सरकार निर्धारित की गई प्राथमिकता के आधार पर राज्य में खाद्यान्न आवंटित करती है। गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन पिछले दस वर्षों के औसत वार्षिक उठान के आधार पर किया जाता है। राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे की जनसंख्या की अधिकता की दृष्टि में उत्तर प्रदेश को इसके औसत वार्षिक उठान से अधिक खाद्यान्न आवंटित किए गए हैं। 1996-97 में आवंटन, उठान की तुलना में अधिक है जो हाल के वर्षों में उच्चतम था। खाद्यान्नों की कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को परामर्श दिया गया है।

आयातित पामोलीन का कोटा राज्यों को उनकी मांग के आधार पर दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई मांग नहीं की है। अतः उत्तर प्रदेश को खाद्य तेल का कोटा बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता। 1997-98 के लिए आयात कार्यक्रम को केन्द्रीय सरकार ने अंतिम रूप नहीं दिया है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की परीक्षा-पूर्व कोचिंग

959. श्री मुनिलाल : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों की

सेवाओं के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कोचिंग इन्स्टीट्यूट स्थापित किए जाने संबंधी सरकार की कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणी की सेवाओं में इन इन्स्टीट्यूट से कितने उम्मीदवारों ने सफलता प्राप्त की है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उन्हें संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य भर्ती निकायों की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ बनाने के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाती है। राज्यों को उनकी वचनबद्ध देयता के अतिरिक्त 50:50 के समान आधार पर तथा संघ राज्य क्षेत्रों, विश्वविद्यालयों और निजी कोचिंग संस्थानों के मामले में 100 प्रतिशत के आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) संबंधित एजेंसियों से सूचना एकत्र की जा रही है।

पुरूलिया में हथियार गिराए जाने की घटना

960. **श्री बसुदेव आचार्य :**
श्री महबूब जहेदी :
श्री हाराधन राय :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक विदेशी एजेन्सी ने बिहार-बंगाल सीमा, विशेषतौर पर पुरूलिया में हथियार गिराए जाने की संभावना के बारे में सरकार को आगाह किया था;

(ख) यदि हां, तो संबंधित सुरक्षा एजेन्सियों को सचेत न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी लापरवाही के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार ने पुरूलिया में हथियार गिराए जाने के मामले के संबंधी सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान! रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग को यह जानकारी पहले ही प्राप्त हो गई थी कि एक छोटे हवाई जहाज के बिहार के धनबाद क्षेत्र में एक परित्यक्त हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उस क्षेत्र के एक विद्रोही ग्रुप के लिए हथियार उतारे जाने की संभावना है। रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग ने यह जानकारी एक अन्य आसूचना एजेंसी को दे दी थी। तद्नुसार ही संबंधित एजेंसी द्वारा बिहार सरकार को सुग्राही बनाया गया था।

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो, जिसे एक मामले की जांच का काम सौंपा गया है, ने विभिन्न एजेंसियों की ओर से हुई तथा जांच के दौरान प्रकाश में आई कुछ प्रशासनिक चूकों को उजागर करने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इन पर उचित कार्रवाई हेतु केन्द्रीय जांच ब्यूरो की इन रिपोर्टों से संबंधित प्राधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

(घ) और (ङ) समिति ने टिप्पणी की थी कि इस मामले के महत्व के मद्देनजर केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस पर तेजी से काम करना चाहिए और जांच कार्य को शीघ्र पूरा करना चाहिए। समिति ने यह आशा भी व्यक्त की थी कि उसे, आगामी दिनों में मामले की जांच में हुई प्रगति से अवगत कराया जाएगा। तदनुसार, गृह मंत्रालय मामले की प्रगति का प्रबोधन कर रहा है और समिति को नियमित आधार पर जांच कार्य की प्रगति से अवगत कराया जाता है।

राष्ट्रीय विकलांग कल्याण कोष

961. **श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण :**
श्री वी॰वी॰ राघवन :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को नौकरियां आदि उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय विकलांग कल्याण कोष की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त कोष की स्थापना किस तिथि को की गयी थी;

(ग) क्या गत चौदह वर्षों से उक्त कोष का समुचित रूप से उपयोग नहीं किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध है तथा वर्ष-वार कुल कितना दान प्राप्त हुआ है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय विकलांग कल्याण कोष का सृजन दिनांक 11.8.1983 को निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया:-

(1) विकलांगता का निवारण, शीघ्र पता लगाने, विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण, भौतिक और आर्थिक

पुनर्वास के लिए सेवाओं का सृजन करने हेतु स्वैच्छिक क्षेत्र को बढ़ावा देना।

(2) उपर्युक्त उद्देश्य के प्रति आनुषंगिक तथा सहायक अन्य सभी चीजें करना।

(ग) और (घ) जी, हां। राष्ट्रीय विकलांग कोष से वित्त पोषित की जाने वाली योजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इसलिए कोई धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

(ङ) वर्ष 1983 में भारत सरकार से एक लाख रुपए के सांकेतिक अंशदान के साथ राष्ट्रीय विकलाग कल्याण कोष का सृजन किया गया था। जवाहर लाल नेहरू शताब्दी समारोह की कार्यान्वयन समिति से 1989 में 2.50 करोड़ रुपए का अंशदान प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय विकलांग कल्याण कोष के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का निवेश विभिन्न डीपोजिट योजनाओं में किया गया। इस समय राष्ट्रीय विकलांग कल्याण कोष के अंतर्गत 8.05 करोड़ रुपए (लगभग) की धनराशि उपलब्ध है।

नक्सलवादी समस्या

962. **श्री सिद्दैया कोटा :**
श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे :
श्री मधुकर सरपोतदार :
श्री आर॰ साम्बासिवा राव :
श्रीमती लक्ष्मी पनबाका :
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :
श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य में नक्सलवादी गतिविधियां दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं जिनके परिणामस्वरूप अनेक मासूम लोग उनकी गतिविधियों के शिकार हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति मारे गये हैं तथा गत एक वर्ष के दौरान मूल तथा सरकारी संस्थानों तथा अन्य संरचनाओं को कितनी राशि का नुकसान हुआ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार राज्य में नक्सलवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की दो और बटालियनें देने को सहमत हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इस समय राज्य को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की कुल कितनी बटालियनें दी गई हैं तथा क्या इस संबंध में राज्य की मांगें पूरी की गई हैं;

(ङ) क्या नक्सलवादी गतिविधियां मध्य प्रदेश, गुजरात तथा उड़ीसा में भी हो रही हैं; और

(च) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य में नक्सलवादी गतिविधियों को रोकने के लिए इन राज्यों को एक साझा बल रखने का सुझाव दिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश में इस वर्ष नक्सलवादी हिंसा, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम है। तथापि, यदि इससे पिछली छमाही की अवधि से तुलना की जाये तो घटनाएं अधिक हुई हैं।

(ख) (I) नक्सलवादी हिंसा के दौरान मारे गए व्यक्तियों की संख्या के संबंध में उपलब्ध सूचना निम्न प्रकार है :-

वर्ष	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
1996 (जुलाई से दिसम्बर)	105
1997 (जनवरी से जून)	115

(II) उपलब्ध सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादियों द्वारा सम्पत्ति को पहुंचाई गई अनुमानित हानि/नुकसान निम्न प्रकार है:-

	1996
केन्द्र सरकार की सम्पत्ति	1,51,51,000 रु॰
राज्य सरकार की सम्पत्ति	1,87,02,000 रु॰
प्राईवेट सम्पत्ति	2,56,23,499 रु॰
जोड़ :-	5,94,76,499 रु॰

(ग) और (घ) सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में सहायता के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल उपलब्ध कराए जाते हैं। किसी राज्य में केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती की मात्रा अर्द्ध-सैनिक बलों की उपलब्धता और सुरक्षा के संपूर्ण परिदृश्य पर निर्भर करती है। तदनुसार, आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को अर्द्ध सैनिक बल उपलब्ध कराए गए हैं। तथापि, आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को उपलब्ध कराए गए केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के ब्यौरे देना जनहित में नहीं है।

(ङ) उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश में नक्सलवादी हिंसा के स्तर में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

(च) केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए किए गए उपायों की सांवधिक रूप से पुनरीक्षा की है। इस समय, नक्सलवाद निरोधी अभियानों को चलाने के लिए एक समान संचार प्रणाली और

समन्वित कमांड को द्वारा इन राज्य के सुरक्षा बलों द्वारा समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों की सांठ-गांठ

963. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों आदि की माफिया के बीच सांठ-गांठ के मामलों की जांच करने और मुकदमें चलाने के लिए 20 मार्च, 1997 को दिए अपने निर्णय में केन्द्र सरकार को एक पूर्णतः स्वतंत्र और निष्पक्ष समिति का गठन करने का निर्देश दिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय ने 20.3.97 के अपने निर्णय में यह सिफारिश की है कि वोहरा समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित सांठ-गांठ की जांच का प्रबोधन करने के लिए राष्ट्रपति को प्रधान मंत्री की सलाह से और लोक सभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के उपरांत एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की जानी चाहिए। वोहरा समिति की रिपोर्ट के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों से उत्पन्न मुद्दों और विकल्पों पर सरकार ध्यान दे रही है।

शहरों का पुनः नामकरण

964. **श्री अन्ना साहिब एम-के- पाटिल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर शहरों/द्वीपों/संस्थाओं के पुनः नामकरण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आई-एस-आई- एजेंट की गिरफ्तारी

965. **कुमारी उमा भारती :**
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत में जासूसी के आरोप में पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था, आई-एस-आई- की एक महिला एजेंट और उसके पति को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में इस प्रकार की गंभीर घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) एक जाकिर अहमद खान उर्फ जाकिर बालिघ पुत्र महमूद अली, मूल निवासी-ग्राम उलधान, थाना-खरखोडा, तहसील और जिला मेरठ, जिस पर पाकिस्तानी आसूचना एजेन्सी के लिए कार्य करने का संदेह था, को मेरठ पुलिस द्वारा 16 अप्रैल, 1997 को गिरफ्तार किया गया था। सुरैया बेगम पत्नी जाकिर बालिघ को मेरठ पुलिस ने 15 मई, 1997 को गिरफ्तार किया तथा उसके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया। उपर्युक्त मामलों में पुलिस की जांच-पड़ताल जारी है।

(ग) और (घ) पाकिस्तानी आसूचना एजेन्सियों के इरादों के बारे में विभिन्न सुरक्षा एजेन्सियों और राज्य पुलिस संगठनों को समय-समय पर सुग्राही बनाया गया है। उन्हें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और ऐसी किसी गतिविधि पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

योजना बजट के अंतर्गत सुपर बाजार

966. **श्री हरिन पाठक** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार केन्द्रीय भंडार एवं अन्य सहकारी भंडारों की तर्ज पर सुपर बाजार को भी योजना बजट के अंतर्गत शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) सरकार केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के तहत सुपर बाजार को वित्तीय सहायता मुहैया करा रही थी। सुपर बाजार को केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को देखते हुए वित्तीय सहायता अब चालू वित्तीय वर्ष से बन्द कर दी गई है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के आवंटन में कमी

967. **श्री एन-के- प्रेमचन्द्रन :**
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय :
श्री डी-पी- यादव :
श्री सत्य पाल जैन :
श्री लाल बिहारी तिवारी :
श्री विजय पटेल :
प्रो- पी-जे- कुरियन :
श्री बृज भूषण तिवारी :
श्री हरिवंश सहाय :
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल और गेहूं के संबंध में आमतौर पर किए जाने वाले आवंटन पर कोई प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कटौती के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नई योजना उत्तरदायी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या खाद्यान्नों के कोटे में वृद्धि करने हेतु विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जून, 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के फार्मूले के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चावल और गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। फार्मूले के अनुसार, गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी को 10 किलो प्रति परिवार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पिछले 10 वर्षों के औसत वार्षिक उठान के आधार पर आवंटन किया जा रहा है। जून, 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रारम्भ होने से कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में मई, 1997 तक किए गए आवंटनों की तुलना में मासिक आवंटनों में कमी आई है। वसूली बाधाओं, केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता और राज्य सरकारों की उठान क्षमता के साथ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किए जा रहे आवंटनों का सार्थक संबंध कहीं अधिक होता है।

(ङ) जी, हां।

(च) और (छ) कई राज्यों से भारत सरकार द्वारा तय किए गए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कोटे के अतिरिक्त खाद्यान्नों के मासिक आवंटनों/अतिरिक्त आवंटनों में वृद्धि करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अतिरिक्त इकनामिक लागत पर कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत किए चावल/गेहूं के अतिरिक्त आवंटनों की जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

जून, 97 और इसके बाद इकनामिक लागत पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किए गए चावल और गेहूं का अतिरिक्त आबंटन बताने वाला विवरण

(हजार टन में)

क्रम सं-	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चावल			गेहूं		
		जून 1997	जुलाई 1997	अगस्त 1997	जून 1997	जुलाई 1997	अगस्त 1997
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश						
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.802	1.802	1.802			
3.	असम	8.488	28.488@	8.488			
4.	बिहार						

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	दिल्ली		0.080	0.080		0.150	0.150
6.	गोवा						
7.	गुजरात						
8.	हरियाणा						
9.	हिमाचल प्रदेश		7.680	2.000		10.040	2.500
10.	जम्मू और काश्मीर	12.500	19.800	19.800	3.420	10.359	10.359
11.	कर्नाटक						
12.	केरल						
13.	मध्य प्रदेश				@@	5.000	5.000
14.	महाराष्ट्र						
15.	मणिपुर	0.740	0.740	0.740			
16.	मेघालय	5.338	5.338	5.338			
17.	मिजोरम	0.083	0.083	0.083			
18.	नागालैण्ड						
19.	उड़ीसा	20.000	20.000	20.000			
20.	पंजाब						
21.	राजस्थान						
22.	सिक्किम		2.000	2.000			
23.	तमिलनाडु	%81.000	81.000	81.000			
24.	त्रिपुरा	1.020	1.020	1.020			
25.	उत्तर प्रदेश						
26.	पश्चिम बंगाल						
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह						
28.	चण्डीगढ़						
29.	दादर और नगर हवेली						
30.	दमन और दीव						
31.	लक्षद्वीप						
32.	पांडिचेरी						
	जोड़	130.971	168.031	142.351	3.420	25.549	18.009

@ बाढ़ राहत के लिए 20,000 टन चावल मंजूर किया गया जिसकी उठान की वैधता 31.10.1997 तक है।

@@ जुलाई से दिसम्बर, 97 तक छः माह के लिए भूकम्प राहत हेतु।

& जून से अक्तूबर, 97 तक 20,000 टन चावल प्रति माह की दर पर पांच महीनों के लिए सूखा राहत के लिए।

% प्रति माह 81,000 टन चावल मंजूर किया गया था। तथापि, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सूचित किया है कि चूंकि तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम ने आंध्र प्रदेश से चावल खरीद लिया है इसलिए उनके राज्य को इसकी जुलाई से सितम्बर, 97 तक आवश्यकता नहीं होगी।

जासूसी गतिविधियां

968. श्री सुरेश प्रभु :
श्री जी-ए- चरण रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल के "इंटेलिजेंस विंग" में कुछ नए कर्मियों द्वारा राजस्थान सीमा के जैसलमेर क्षेत्र में पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए जासूसी करने की गतिविधियां हाल ही में बढ़ गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को रोकने हेतु हमारी प्रति-जासूसी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों द्वारा जासूसी करने की गतिविधियों में कोई तेजी नहीं आई है। तथापि, राजस्थान पुलिस द्वारा 6 अप्रैल, 1997 को जैसलमेर में तैनात सीमा सुरक्षा बल के एक कान्स्टेबल को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ के दौरान उसका नाम आया था। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

(ग) आसूचना तन्त्र को सुग्राही बना कर और सक्रिय करके, आसूचना का आवंटन करके और सभी संबंधित केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों द्वारा समन्वित कार्रवाई करके राष्ट्र विरोधी तत्वों का मुकाबला करने और उनके इरादों को विफल करने के लिए सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

उत्तराखण्ड राज्य

969. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया :
श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्रीमती शीला गौतम :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अलग उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्ताव का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार का क्या विचार है;

(ग) क्या इस मामले पर चर्चा करने के लिये निर्वाचित प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ) जी हां, श्रीमान। केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य के कुमांऊ और गढ़वाल के राजस्व डिवीजनों के नौ पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग उत्तराखण्ड राज्य गठित करने के पक्ष में निर्णय लिया है। इस संबंध में विधेयक पर उनके विचार जानने के लिए इस विधेयक को उस राज्य के विधान मंडल के पास भेजा जाएगा। इस मुद्दे में अंतर्ग्रस्त कानूनी और प्रशासनिक जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले में कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

प्रदूषण से क्षतिग्रस्त हुई फसलें

970. श्री राजकेशर सिंह :
श्री पंकज चौधरी :
चौधरी रामचन्द्र बैंदा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में वायु प्रदूषण से न केवल मानव जीवन के लिए खतरा पैदा हो गया है बल्कि इससे कुछ फसलों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है और इन फसलों के उत्पादन में भी 40 प्रतिशत तक की कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए अनुसंधान के अनुसार वायु प्रदूषण से किन-किन फसलों पर प्रतिकूल असर पड़ा है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा समुचित कार्यवाही हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) वायु प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पेड़-पौधों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। पेड़ पौधों पर वायु प्रदूषण के प्रभावों के संबंध में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि प्रदूषण स्रोतों के आस-पास स्थित कतिपय फसलों की उत्पादकता और पैदावार प्रभावित होती है। किन्तु फसलों को इससे कितनी क्षति पहुंचती है, इस बारे में कोई निर्णायक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वायु प्रदूषण से प्रभावित होने वाली कुछ फसलों में गेहूं, सोयाबीन, मक्का/ज्वार, धान आदि शामिल हैं।

(ग) सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

1. ईंट भट्टों के लिए कणिकीय उत्सर्जनों और चिमनी की ऊंचाई के वास्ते मानक निर्धारित किए गए हैं।

2. परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं। परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरन केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

3. प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख श्रेणी के उद्योगों के लिए बहिस्राव और उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं।

4. उद्योगों को निर्देश दिया गया है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रदूषण नियंत्रण के आवश्यक उपकरण लगाएं। दोषी इकाइयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

5. उद्योगों के स्थान निर्धारण तथा उनके संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

6. प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई किए जाने के लिए अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 श्रेणी के उद्योगों का पता लगाया गया है।

7. लघु उद्योगों के समूहों के वास्ते साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों की एक योजना शुरू की गई है।

8. उद्योगों के स्थान-निर्धारण के लिए जोनिंग एटलस तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।

9. मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत वाहन उत्सर्जन के लिए कड़े मानक अधिसूचित किए गए हैं। ये मानक अप्रैल, 1996 से अमल में लाए गए हैं।

10. दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता तथा चेन्नई महानगरों में 1.4.95 से सीसा रहित पेट्रोल शुरू किया गया है। इसे 31.12.1998 से अन्य सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की राजधानियों और अन्य प्रमुख शहरों में तथा 1.4.2000 से सारे देश में लागू किया जाएगा।

11. पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए ईंधन गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं।

12. पता लगाए गए अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में पर्यावरणीय जानपदिक रोग विज्ञानीय अध्ययन शुरू किए गए हैं।

[अनुवाद]

कोंकण सांविधिक विकास बोर्ड

971. श्री चिन्तामन वानगा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोंकण सांविधिक विकास बोर्ड संबंधी प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है/लिए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। इस मामले पर केन्द्र सरकार का विचार यह है कि यदि शेष महाराष्ट्र, जिसमें कोंकण भी शामिल है, के लिए मौजूदा विकास बोर्ड अगले कुछ वर्षों के दौरान कोंकण क्षेत्र की विकास अपेक्षाओं को प्रभावकारी ढंग से पूरा करने की स्थिति में नहीं है तथा सरकार इस बात को मान लेती है कि यदि इस क्षेत्र को एक पृथक विकास बोर्ड के अधीन लाया जाता है तो इसका विकास बेहतर ढंग से किया जा सकता है, तो कोंकण के लिए एक पृथक विकास बोर्ड का गठन करने के मामले पर विचार किया जा सकता है।

अर्द्ध सैनिक बलों में नियुक्ति

972. श्री चमन लाल गुप्ता :

श्री पी॰ नामग्याल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर राज्य में वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान आज तक वर्ष-वार विभिन्न अर्द्ध-सैनिक बलों में कितने व्यक्तियों की भर्ती की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान अलग-अलग उपर्युक्त बलों में आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को भर्ती करके पुनर्वास किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) विभिन्न अर्द्ध-सैनिक बलों में जम्मू एवं कश्मीर से भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है:-

बल का नाम	वर्ष	
	1996-97	1997-98
सीमा सुरक्षा बल	252	258
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	69	377
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	20	10
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	57	51
असम राइफल्स	96	-

(ख) और (ग) सरकार, जम्मू और कश्मीर से सीमा सुरक्षा बल की एक बटालियन और एक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल बटालियन गठित करने की स्वीकृति दे चुकी है। भर्ती चल रही है।

[हिन्दी]

खराब और अखाद्य गेहूं

973. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1996-97 के दौरान सरकार की लापरवाही से लाखों टन गेहूं खराब हो गया और खाने योग्य नहीं रहा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी लापरवाही के लिए कौन-कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) जी, नहीं। 1996-97 के दौरान भारतीय खाद्य निगम की असावधानी के कारण गेहूं के खराब होने और उसे मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त मानने संबंधी कोई रिपोर्ट नहीं है। तथापि, प्राकृतिक आपदाओं के कारण लगभग 37301 टन गेहूं को पुष्ट से क्षतिग्रस्त रूप में अन्तरण किया गया है जिसका निपटान प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा।

भारतीय खाद्य निग.म के गोदामों में खाद्यान्नों के स्टाक का वैज्ञानिक विधियों द्वारा भंडारण किया जाता है और यह प्रशिक्षित गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारियों द्वारा पाक्षिक आधार पर नियमित गहन जांच करने की शर्त के अधीन होता है। भंडारण के दौरान नमी, कीट, कृतंक, सूक्ष्मजीवों आदि जैसे विभिन्न घटकों के कारण भण्डारित अनाज को खराब होने से बचाने के लिए आवधिक रूप से रोग-हर उपचार किए जाते हैं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर में स्थिति

974. **श्री बाजू बन रियान :**
श्री बादल चौधरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में उग्रवादी गतिविधियों में लिप्त उग्रवादी समूहों से इस क्षेत्र में शान्ति की बहाली के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा उनसे की गई अपील के संबंध में कोई उत्तर प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से समूह हैं जिन्होंने अनुकूल उत्तर दिया है;

(ग) क्या किसी समूह ने वार्ता के लिए कोई शर्तें रखीं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पूर्व प्रधानमंत्री ने स्विटजरलैण्ड में नागालैंड के एक उग्रवादी गुट के एन•एस•सी•एन• के नेताओं के साथ वार्ता की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (च) जी हां, श्रीमान्। अभी तक नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड के आईजक-मुईवाह ग्रुप ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रधान मंत्री ने 25 जुलाई, 1997 को संसद के दोनों सदनों को, अन्य बातों के साथ-साथ, सूचित किया कि नागालैण्ड और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के उनके दौरे के बाद भूमिगत तत्वों के साथ बिना किसी शर्त के बातचीत करने की सरकार की इच्छा को दोहराया गया था तथा नेशनल सोशलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैण्ड के आईजक मुईवाह ग्रुप के साथ हुई वार्ताओं के बाद, 01 अगस्त, 1997 से तीन माह के लिए संघर्ष रोकने तथा राजनैतिक स्तरीय बातचीत शुरू करने पर अब सहमति हुई है।

[हिन्दी]

असमी जनजाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित करना

975. **श्री शिबु सोरेन** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम की संथाल, मुंड़ा, ओरांव हो, खाडिया आदि कतिपय जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची से बाहर रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समय इन जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का उक्त जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों का सूची में शामिल करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) असम सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के रूप में उनके विनिर्देशन की सिफारिश नहीं की थी।

(ग) गैरअनुसूचित समुदायों की समुदायवार गणना जनगणना के समय नहीं की जाती है, इन समुदायों की जनसंख्या ज्ञात नहीं है।

(घ) अब असम सरकार ने चाय तथा पूर्व चाय बाग्रान समुदायों की असम (स्वायत्त जिलों को छोड़कर) की अनुसूचित जनजातियों की सूची में जैसे संथाल, मुंड़ा, ओरांव, हो, खडिया आदि को शामिल करने की सिफारिश की है। इस प्रस्ताव पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूचियों को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों के प्रस्तावित संशोधन के संदर्भ में अन्य राज्यों से प्राप्त इसी प्रकार के प्रस्तावों के साथ विचार किया जा रहा है।

(ङ) कोई विशेष समय-अनुसूची नहीं बताई जा सकती।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों के लिए रिक्त आरक्षित पद

976. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय/विभाग में अनेक श्रेणियों के अंतर्गत राज्य-वार रिक्त पदों की संख्या कितनी है;

(ख) उपरोक्त बैकलॉग को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों पर अन्य व्यक्ति कार्य कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और पदनाम-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पूरे बैकलॉग को भरने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ) विभिन्न ग्रुपों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित खाली पड़े पदों की संख्या दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

रिक्त पदों को भरते समय भी, अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित कोटे को भरने के सभी प्रयास किये जाते हैं। तथापि, अगर अनुसूचित जनजाति के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं, तो सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, आरक्षण को सामान्यतः अगले भर्ती वर्षों के लिए अग्रेनीत कर दिया जाता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को तब तक अन्य व्यक्तियों से नहीं भरा जाता है, जब तक कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पहले उन्हें अनारक्षित नहीं दिया जाता है। इसके अलावा, जहां भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा है, वहां पदों का अनारक्षण अनुज्ञेय नहीं है।

विवरण

क्रम सं.	पद की श्रेणी	वर्तमान में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित खाली पड़े पदों की कुल संख्या	बैकलॉग को क्लीयर करने के लिए उठाये गए कदम
1	2	3	4
1.	ग्रुप "ए"	-	ग्रुप "ए" पदों से संबंधित आरक्षण नीति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है।
2.	ग्रुप "बी" (राजपत्रित)	15	रिक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सूचित की गई हैं, वे आगे इन रिक्तियों को संघ लोक सेवा आयोग/ कर्मचारी चयन आयोग को, जहां जरूरी होता है, सूचित करते हैं।
3.	ग्रुप "बी" (अराजपत्रित)	29	
4.	ग्रुप "सी"	37	
5.	ग्रुप "डी"	21	ये पद रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों में से सीधे भर्ती द्वारा भरे जाते हैं। भर्ती की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।

नोट : गृह मंत्रालय में पदों से संबंधित राज्य-वार कोई कोटा नहीं है।

[हिन्दी]

पर्यावरण संबंधी जागरूकता

977. श्री डी॰पी॰ यादव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पर्यावरण के क्षेत्र में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए नई कार्य योजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) आम जनता में पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान, पर्यावरण वाहिनी, पारि-क्लब आदि जैसी अनेक स्कीमें पहले से ही कार्यान्वित की जा रही हैं। यह मंत्रालय जनता को शिक्षित करने के लिए एक कारगर जन-जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है जिसके ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

धान खरीद केन्द्र

978. श्री अनंत कुमार हेगड़े : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने इस समय राज्य-वार कितने धान खरीद केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ख) क्या सरकार का राज्यों में ऐसे और केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 1996-97

के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा चलाए गए धान क्रय केन्द्रों/मंडियों की राज्यवार संख्या बताने वाला विरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं। खरीफ विपणन मौसम, 1996-97 के दौरान और क्रय केन्द्र स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

विवरण

खरीफ विपणन मौसम 1996-97 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा चलाए गए धान खरीद केन्द्रों की राज्यवार संख्या बताने वाला विवरण

क्रम सं.	राज्य	केन्द्रों की संख्या (अनन्तिम)
1.	पंजाब	395
2.	हरियाणा	140
3.	उत्तर प्रदेश	43
4.	दिल्ली	4
5.	राजस्थान	12
6.	आन्ध्र प्रदेश	252
7.	मध्य प्रदेश	-
8.	पश्चिम बंगाल	58
9.	कर्नाटक	17
10.	पांडिचेरी	2
11.	अरूणाचल प्रदेश	2
12.	बिहार	74
13.	उड़ीसा	38
14.	हिमाचल प्रदेश	9
15.	महाराष्ट्र	-
	जोड़	1046

[हिन्दी]

महिलाओं की गिरफ्तारी

979. **श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :**

श्रीमती शीला गौतम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रात्रि के दौरान महिलाओं को गिरफ्तार करने संबंधी स्थापित मानदंड और प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या सरकार का ध्यान में महिलाओं की गिरफ्तारी को रोकने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में व संशोधन किए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो संशोधन कब किए जाने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) व्यक्तियों की गिरफ्तारी, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय-V द्वारा शासित होती है। महिलाओं की रात में गिरफ्तारी के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता में अलग से कोई मापदण्ड एवं कार्य विधियां निर्धारित नहीं की गई हैं।

(ख) राज्य सभा में यथाप्रस्तुत दाण्डिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 के खण्ड 7 के उप खण्ड (ख) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

(ग) इस अवस्था में यह बता पाना संभव नहीं होगा कि संसद के दोनों सदनों द्वारा यह विधेयक कब तक पारित कर दिया जाएगा।

असामान्य मानसून के कारण कृषि उत्पादन में कमी

980. **श्री नीतीश कुमार :**

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मौसम विभाग ने असामान्य मानसून के कारण कृषि उत्पादन में कमी की संभावना के बारे में सरकार को चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भी मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए कोई शीघ्र और दीर्घकालिक उपाय किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) जी नहीं । भारतीय मौसम विभाग ने वर्ष 1997 के लिए सामान्य दक्षिण पश्चिम मानसून की भविष्यवाणी की है। मात्रात्मक रूप से सम्पूर्ण मानसून मौसम (जून से सितम्बर) 1997 के दौरान पूरे देश में होने वाली वर्षा संबंधी भविष्यवाणी ± 4 प्रतिशत की आदर्श भविष्यवाणी त्रुटि सीमा के तहत अपने दीर्घावधि औसत मूल्य की 92 प्रतिशत होगी।

(ग) और (घ) अभी फसलों की पैदावार पर वर्षा की कमी के प्रभाव का आकलन करना जल्दबाजी होगी। खरीफ 1997 के दौरान मौसम की खराबी से निपटने के लिए फसल उत्पादन संबंधी विस्तृत

आपात योजना के निरूपण के संबंध में राज्य सरकारों को पहले ही सलाह दे दी गयी है। इसके अलावा विभिन्न फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार दीर्घावधि उपाय के रूप में फसल संबंधी विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित विकास कार्यक्रम चला रही है जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

1. चावल, गेहूं तथा मोटा अनाज आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में गहन अनाज विकास कार्यक्रम।
2. हरित मक्का विकास कार्यक्रम।
3. गहन कपास विकास कार्यक्रम।
4. विशेष पटसन विकास कार्यक्रम।
5. गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत् विकास।
6. राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम।
7. तिलहन विकास कार्यक्रम आदि।

[अनुवाद]

लाटरियों पर प्रतिबंध

981. **श्रीमती शारदा टाडीपारथी :**
श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़ :
श्री भक्त चरण दास :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री अय्यन्ना पटरूधु :
श्री विजय गोयल :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री छीतुभाई गामीत :
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों के एक शिष्टमंडल ने भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 40 में यथा उल्लिखित राज्य लाटरियों पर प्रतिबंध लगाए जाने की अपील करते हुए भारत के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री से भेंट की;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग के समर्थन में प्रमुख तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) 124 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित एक ज्ञापन, राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को दिया गया था। इस ज्ञापन में लाटरी व्यवसाय पर तुरन्त प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है क्योंकि लाटरी, कुछ और नहीं अपितु एक प्रकार का जुआ ही है। ज्ञापन में आगे कहा गया है कि एक प्रथम उपाय के रूप में "सिंगल डिजिट" वाली लाटरी को एक कार्यकारी आदेश द्वारा तुरंत बंद किया जाए और उसके बाद अन्य प्रकार की लाटरियों को प्रतिबंधित करने के लिए एक उचित विधान लाया जाए। ज्ञापन में लाटरी को एक सामाजिक बुराई बताया गया है जो लोगों के जीवन को तबाह कर रही है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघीय सूची में सूची-I की प्रविष्टि 40 "भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा आयोजित" लाटरियों से संबंधित है। लाटरियों पर एक केन्द्रीय विधायन बनाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

मैंग्रोव वन

982. **श्री रनजीब बिसवाल :**
श्री के॰पी॰ सिंह देव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ तटीय राज्यों विशेषकर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी मात्रा में "मैंग्राव" वन काटे जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा तटीय राज्यों में "मैंग्राव" वन के उचित संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए है; और

(घ) "मैंग्राव" वन के विकास हेतु घोषित वृक्षारोपण योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने सुन्दरवन क्षेत्रों में कच्छ वनस्पति वाले वनों और कच्छ वनस्पति की कुछ प्रजातियों में कमी होने के बारे में केन्द्र सरकार को सूचित किया है। बताया गया है कि उक्त वनों का ह्रास इन कारणों से हुआ--नियोटेक्नोनिक मूवमेंट की वजह से बंगाल बेसिन में उत्पन्न स्थिति, पुश्ते तथा बांध खड़े करके वास-स्थल क्षेत्रों में किया गया विकास, क्षेत्रों में उपयुक्त ज्वारीय सफाई की कमी, लवणीयता एवं गाद जमने की क्रिया में परिवर्तन, सुन्दरवनों में रह रहे व्यक्तियों के लिए रोजगार-संसाधनों की कमी जिनके कारण वे कच्छ वनस्पति वाले वनों पर आश्रित होने पर बाध्य होते हैं, आदि। उड़ीसा राज्य सरकार ने यह सूचित किया है कि अनधिकृत रूप से चल रही झींगा खेती संबंधी गतिविधियों के कारण केन्द्रपाड़ा, जगतसिंह पुर और भद्रक जिलों में कच्छ वनस्पति वाले वनों का वन नाशन हुआ है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने 1987 में कच्छ वनस्पति वाले वनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक योजना शुरू की थी। उक्त योजना के अंतर्गत देश में 15 कच्छ वनस्प्रति क्षेत्रों की शिनाख्त गहन संरक्षण हेतु की गई हैं। इन क्षेत्रों में प्रबंधन कार्य-योजना को कार्यान्वित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को अनुदान जारी किए जाते हैं।

विभिन्न योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल सरकार ने 6,782 हे. क्षेत्र में कच्छ वनस्पति का रोपण किया है। लगभग 2,585 वर्ग

किलोमीटर क्षेत्र बाघ परियोजना के अंतर्गत संरक्षित किया जा रहा है, जिसमें से 1330 वर्ग में नामोदिष्ट किया गया है। इसके अलावा, नियमित गश्त द्वारा मौखिक सुरक्षा और जैविक-हस्तक्षेप निवारण की व्यवस्था भी की जाती है। ईंधन और छोटी इमारती लकड़ी की स्थानीय जरूरतों की पूर्ति के लिए वनों से बाहर के क्षेत्रों में गैर-कच्छ वनस्पति प्रजातियों में वृद्धि की गई है और सौर ऊर्जा संबंधी ऊर्जा संरक्षण के वैकल्पिक साधन तथा धुआं रहित चूल्हे आदि लोगों को वितरित किए गए हैं। कच्छ वनस्पति वाले सीमावर्ती वन क्षेत्रों में वन संरक्षण समितियां तथा पारि-विकास समितियां बनाई गई हैं जो कच्छ वनस्पति वाले वनों को स्वेच्छा से सुरक्षा मुहैया कराती हैं। अद्यतन स्थिति के अनुसार 21 वन संरक्षण समितियां तथा 14 पारि-विकास समितियां, जिनमें 16427 परिवार शामिल हैं, लगभग 772 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। पारि-विकास गतिविधियों का लक्ष्य लोगों के लिए आय के वैकल्पिक साधन जुटाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है ताकि कच्छ वनस्पति वाले वनों का नाशन कम किया जा सके।

उड़ीसा सरकार द्वारा भूमि अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं और 27.6.97 तक 6772 एकड़ क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है और इस क्षेत्र में 4,83,600 हाइपोकोटाइल कच्छ वनस्पति प्रजातियों का रोपण कर दिया गया है।

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की पहचान

983. **श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका :**
श्री सोहन वीर :
श्री मोहन रावले :
श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :
श्री शत्रुध्न प्रसाद सिंह :
श्री आर॰ साम्बासिवा राव :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री हंसराज अहीर :
चौधरी रामचन्द्र बैंदा :
डा॰ राम विलास वेदान्ती :
श्री छीतुभाई गामीत :
श्रीमती जयवंती नवीन चन्द्र मेहता :
श्री माधव राव सिंधिया :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लक्ष्य बनाकर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे सभी लोगों को रियायती दर पर खाद्यान्न वितरित करने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्य सरकारों ने गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का पता लगा लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय को इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि नहीं, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अभी तक यह कार्यवाही पूरी नहीं की है;

(ङ) नयी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियंत्रक पदाधिकारियों के नाम क्या हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि लाभार्थियों को उनका उचित हिस्सा मिले; और

(च) राज्य सरकारों ने किस हद तक गरीबों की सहायता की?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां। पंजाब, दिल्ली, गोवा और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की जा चुकी है।

(ख) पंजाब, दिल्ली की सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के प्रशासन गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी की पहचान कर रहे हैं। अन्य सभी राज्यों ने गरीबी की रेखा से नीचे की आबादी की पहचान कर ली है।

(ग) जी, हां। पंजाब, दिल्ली, गोवा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र, लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

(घ) पंजाब, दिल्ली, गोवा और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक तैयारी करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है।

(ङ) इस योजना के अधीन उचित दर दुकानों के काम का पर्यवेक्षण और देखभाल करने का दायित्व पंचायतों और नगर पालिकाओं को दिया गया है। प्रत्येक उचित दर दुकान कार्डधारक की शिकायत रिपोर्ट भेजे जाने प्राधिकारी के ब्यौरे का प्रदर्शन करेगा। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सतर्कता समितियां गठित की हैं, निरीक्षण अनुसूची तैयार की है और अधिक पारदर्शिता के लिए उपाय किए हैं।

(च) इस योजना के अधीन लगभग 586.64 लाख गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों को लाभ होगा।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों को धमकी

984. **प्रो॰ ओमपाल सिंह "निडर" :**
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री भीमराव विष्णुजी बडाडे :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पशुचारा घोटाले की जांच कर रहे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों को धमकी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने संवेदनशील घोटाले की जांच कर रहे केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों को समुचित सुरक्षा प्रदान/ सुनिश्चित सुरक्षा प्रदान करना निश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय समेकित कीटनाशक प्रबंधन संबंधी कार्यक्रम

985. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय समेकित कीटनाशक प्रबंधन कार्यक्रम की शुरूआत कब की गई थी;

(ख) अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों और आबंटित किए गए धन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त कार्यक्रम से किसानों को दिये जा रहे लाभों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) देश में समेकित कीट प्रबन्ध कार्यक्रम की शुरूआत वर्ष 1981 में की गयी थी। भारत सरकार ने समेकित कीट प्रबन्ध को फसल उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्रमुख रणनीति के रूप में 1985 से अपनाया है। लेकिन, राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबन्ध को राज्यों के कृषि अनुसंधान परिषद तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की सहभागिता से वर्ष 1994-95 में शुरू किया गया था।

(ख) राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबन्ध कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य बल कीट निगरानी और मॉनिटरिंग जैविक नियंत्रण विधियों को बढ़ावा देने तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षणों और प्रदर्शनों के माध्यम से मानव संसाधन विकास पर दिया गया है। 1994-95 से 1996-97 के दौरान 4962 कृषक क्षेत्रीय स्कूलों में चावल, कपास सब्जियों, तिलहन और दलहनी फसलों के बारे में 812 सह ट्रेनरों, 21,145 कृषि विस्तार अधिकारियों और 1,40,068 किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 8वीं योजना अवधि के दौरान, सरकार ने "केन्द्रीय समेकित कीट प्रबन्ध केन्द्र" नामक केन्द्रीय योजना के लिये 45 करोड़ रुपये का आबंटन किया है। इसके अलावा, 8वीं योजना अवधि में ही राज्यों को अपनी जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने हेतु सहायता देने के लिये सहायता अनुदान के रूप में 15.00 करोड़ रुपये का आबंटन भी दिया गया था। राज्य सरकारों द्वारा की गयी प्रगति के आधार पर इस योजना में राज्यों को 10.68 करोड़ रुपये की और राशि दी गयी है।

(ग) से (ङ) नमूना अध्ययन और मूल्यांकन से पता चलता है कि समेकित कीट प्रबन्ध कार्यक्रम लागत की दृष्टि से कारगर तथा पर्यावरण के अनुकूल है। कृषक इसे समझने और अपनाने को उत्सुक रहते हैं।

कल्याण योजनाएं

986. श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन :

श्री सोहन वीर सिंह :

श्री भक्त चरण दास :

डा॰ राम विलास वेदान्ती :

श्री बी॰एल॰ शंकर :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आठवीं योजना के दौरान देश के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कमजोर वर्गों के कितने लोग इसमें लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धनराशि स्वीकृत करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) 1997-98 के दौरान इन योजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) इस उद्देश्य के लिए राज्य-वार आज तक राज्य सरकारों को वास्तव में कितनी धनराशि दी गई?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) आठवीं योजना के दौरान कल्याण मंत्रालय द्वारा देश के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए शुरू की गई योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) आठवीं योजना के दौरान उन योजनाओं से लाभान्वित कमजोर वर्गों के व्यक्तियों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) निधियों की मंजूरी विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार की जाती है।

(घ) इन योजनाओं के अंतर्गत धनराशि का आबंटन राज्यवार नहीं किया जाता। तथापि, वर्ष 1997-98 के लिए योजना-वार आबंटन संबंधी एक विवरण-III में संलग्न है।

(ङ) धनराशि की वास्तविक निर्मुक्ति संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण-IV में दिए गए हैं।

विवरण–I

क्रम सं.	योजना का नाम	आरम्भ किए जाने का वर्ष
1.	अनुसूचित जनजाति की लड़की तथा लड़कों के लिए आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	1992–93
2.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर	1993–94
3.	राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान	1992–93
4.	सूखा प्रवण क्षेत्रों (असम को छोड़कर) के लिए ग्रामीण अन्न बैंक	1996–97
5.	कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा–पूर्व कोचिंग	1992–93
6.	बहुत कम साक्षरता स्तर वाली अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम	1996–97

विवरण–II

क्रम सं.	राज्य का नाम	लाभग्राहियों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1276
2.	असम	44
3.	अरूणाचल प्रदेश	02
4.	बिहार	449
5.	गुजरात	418
6.	जम्मू और कश्मीर	261
7.	कर्नाटक	161
8.	केरल	313
9.	मध्य प्रदेश	876
10.	महाराष्ट्र	398
11.	मणिपुर	209
12.	मिजोरम	01
13.	मेघालय	02
14.	उड़ीसा	346
15.	राजस्थान	357
16.	तमिलनाडु	312
17.	त्रिपुरा	04
18.	उत्तर प्रदेश	2235
19.	पश्चिम बंगाल	03
20.	दिल्ली	2112
21.	दमन और दीव	01

विवरण–III

क्रम सं.	योजना का नाम	वर्ष 1997–98 के लिए आबंटन (रुपए करोड़ में)
1.	अनुसूचित जनजाति की लड़की तथा लड़कों के लिए आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	3.75
2.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर	4.00
3.	राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान	10.00
4.	सूखा प्रवण क्षेत्रों (असम को छोड़कर) के लिए ग्रामीण अन्न बैंक	2.00
5.	कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा–पूर्व कोचिंग	2.50
6.	बहुत कम साक्षरता स्तर वाली अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम	3.80

विवरण–IV

क्रम सं.	योजना का नाम	आज तक निर्मुक्ति की स्थिति
1	2	3
1.	अनुसूचित जनजाति की लड़की तथा लड़कों के लिए आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	गुजरात राज्य को 0.86 करोड़ रु॰ निर्मुक्त किए गए हैं। वर्ष 1997–98 के दौरान अन्य राज्यों को कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई है।
2.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर	यह गैर–सरकारी संगठनों को निर्मुक्त की जाती है न कि राज्य सरकारों को।

1	2	3
3.	राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान	शून्य
4.	सूखा प्रवण क्षेत्रों (असम को छोड़कर) के लिए ग्रामीण अन्न बैंक	शून्य
5.	कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग	यह गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त की जाती है न कि राज्य सरकारों को।
6.	बहुत कम साक्षरता स्तर वाली अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम	शून्य

औषधियों के मूल्य

987. श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :

श्री शिवराज सिंह :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान औषधियों की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश में औषधियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप जीवनरक्षक औषधियों की कीमतों में कमी आने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) अन्य वस्तुओं की तरह दवाइयों के मामले में कुछ मूल्यवृद्धि अपरिहार्य है। तथापि समय-समय पर किए गए अध्ययन अभी हाल में दवाइयों के मामले में कोई असामान्य वृद्धि नहीं दर्शाते हैं। थोक मूल्य सूचकांक (1981-82 = 100) अप्रैल, 1996 से मार्च, 1997 की अवधि के दौरान सभी वस्तुओं के लिए 5.91 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में औषधों और दवाइयों में 1.69 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

(ख) मूल्य नियंत्रित और मूल्य नियंत्रण से बाहर दोनों प्रकार की दवाइयों के उच्च मूल्यों के कारणों के सामान्य विश्लेषण से पता चलता है कि निम्नलिखित कारक मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार हैं, अर्थात् प्रपुंज-औषधों संघटकों (अल्कोहल, चीनी विलायक आदि) के मूल्यों में वृद्धि पैकिंग लागत, विदेशी मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव (आयातित मदों के लिए), उत्पाद शुल्क में परिवर्तन, निर्माण पश्चात् अधिकतम अनुमेय व्यय में वृद्धि (एम॰ए॰पी॰ई॰), विनियंत्रित मदों के मामले में सीमान्त लाभ में वृद्धि आदि।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ दवाइयों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(1) औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त करना।

(2) अनुसंधान और विकास पर ज्यादा ध्यान देना।

(3) मूल्य तन्त्र का सरलीकरण।

(4) मूल अवस्था से उत्पादन के लिए प्रोत्साहन।

(घ) आयात स्वतंत्रता, न्यूनतम शुल्क दरों, औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति, अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन, मूल्य तन्त्र व्यवस्था के सरलीकरण के माध्यम से उदारीकरण के युग में प्रवेश के साथ यह आशा की जाती है कि बढ़ती प्रतियोगिता से मूल्यों में कमी होगी। तथापि, मुद्रास्फीति दबाव, अनुसंधान और विकास की उच्च लागत की भी भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है।

नागालैंड में आतंकवाद

988. श्री एल॰ रमना : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह रिपोर्ट मिली है कि नागालैंड राज्य लाटरी से प्राप्त धनराशि का एक हिस्सा-नागालैंड के आतंकवादियों के समूहों को दी जाती है जिससे वे हथियार एवं आग्नेयास्त्र खरीदते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया है; और

(घ) इस प्रकार की सांठ-गांठ को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) सरकार ने समाचार पत्रों में इस आशय की रिपोर्ट देखी है कि नागालैंड लाटरीज के एकमात्र वितरक ने उग्रवादी ग्रुपों को धन दिया है।

(ग) और (घ) नागालैंड सरकार को यह सलाह दी गई है कि जब तक आरोपों की जांच समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक राज्य लाटरियों की बिक्री तुरंत रोक दी जाए।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा भंडारण क्षमता के लिए निवेश

989. श्री नामदेव दिवाथे : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान देश में भारतीय खाद्य निगम के संचालन कार्य और नेटवर्क को आधुनिक और सुचारू बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) चालू वर्ष और आगामी तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा विशेष रूप से महाराष्ट्र में भंडारण हेतु अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने/विस्तार करने/आधुनिकीकरण करने के लिए निवेश का ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) भंडारण परिचालनों को कारगर और आधुनिक बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम ने विद्युतीकरण सहित मौजूदा रेलवे साइडिंग्स का उच्च श्रेणीकरण किया है। भारतीय खाद्य निगम पुराने यांत्रिक लारी तौल सेतु के स्थान पर इलैक्ट्रानिक तौल सेतु लगा रहा है। भारतीय खाद्य निगम ने रैकों को तोलने के प्रयोजन के लिए इन-मोशन वैगन तौल सेतु भी स्थापित किए हैं।

परम्परागत भंडारण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए भारतीय खाद्य निगम बिन/निर्वात प्रौद्योगिकी प्रणाली आदि की जांच कर रहा है।

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए बजट आवंटन 20 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र में, भारतीय खाद्य निगम की शोलापुर में 15000 टन भंडारण क्षमता स्थापित करने की योजना है जिसमें लगभग एक करोड़ रुपए का निवेश अंतर्ग्रस्त है।

[हिन्दी]

विकलांग बच्चों के स्कूल के लिए अनुदान

990. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंदबुद्धि तथा शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिये स्कूल चलाने वाली संस्थाओं को दी जा रही सहायता का प्रतिशत क्या है;

(ख) क्या सरकार की योजना इन संस्थाओं को शत-प्रतिशत सहायता प्रदान करने की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) राज्य सरकारों से अनुकूल सिफारिश प्राप्त करने के बाद केन्द्र सरकार गैर-सरकारी संगठनों/सोसाइटियों को कुल अनुमत्य अनुदान के 90 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ख) से (घ) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कोका कोला की धारिताओं में परिवर्तन

991. श्री सनत मेहता : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की जांच के बिना कोका-कोला साउथ एशिया होल्डिंगस सी॰सी॰एस॰ए॰एच॰ 700 मिलियन डालर के प्रस्ताव में परिवर्तनों संबंधी अभ्यावेदन औद्योगिक स्वीकृति हेतु सचिवालय को प्रस्तुत कर दिया गया है;

(ख) क्या औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय ने इस प्रस्ताव को विदेशी निवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के विचारार्थ भेज दिया है;

(ग) यदि हां, तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को अलग रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) एक से अधिक मंत्रालयों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश क्या हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (ग) कोका कोला साउथ एशिया होल्डिंगस (सी॰सी॰एस॰ए॰एच॰) द्वारा देश में 700 मिलियन अमरीकी डालर लाने के लिए प्रदान किए गए अनुमोदन में परिवर्तन संबंधी अभ्यावेदन कंपनी ने औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय को पेश किया था तथा उक्त सचिवालय ने प्रस्ताव की विदेशी निवेश संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के विचारार्थ भेजा था।

(घ) एक से अधिक मंत्रालय को प्रभावित करने वाले प्रस्ताव के मामले में आमतौर पर संबंधित मंत्रालयों से विचार-विमर्श किया जाता है।

[हिन्दी]

आलू उत्पादन

992. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष आलू की भारी पैदावार हुई है;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्यवार आलू का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या सरकार को इस बात जानकारी है कि आलू उत्पादकों को अपने-अपने राज्य में आलू को बेचने और उसके भंडारण में भारी कठिनाई हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इस कारण से राज्यवार अब तक कितना आलू खराब हुआ;

(ङ) आलू उत्पादकों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) इस वर्ष आलू के उत्पादन संबंधी अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। बहरहाल वर्ष 1995-96 के लिए आलू उत्पादन संबंधी नवीनतम राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) कुछ राज्यों से उनके यहां आलू की मजबूरी में बिक्री किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है और आलू की खरीद के लिए मण्डी-हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। इस मौसम के दौरान नष्ट हुए आलू की मात्रा से संबंधित आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं।

आलू की खेती करने वाले किसानों को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा की गयी सुधारात्मक कार्रवाई का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(1) देश में अधिक संख्या में कोल्ड-स्टोरेजों की स्थापना में तेजी लाने के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय शीतागार आदेश वापस ले लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किराए की सीमा समाप्त कर दी है और इसे अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए कृषि विपणन सलाहकार की सलाह से किराये में संशोधन किया जाएगा।

(2) किसानों द्वारा आलू सहित बागवानी उत्पादों की मजबूरी में बिक्री को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध पर मंडी हस्तक्षेप योजना चलाई जा रही है।

(3) कोल्ड स्टोरेजों के निर्माण तथा विपणन संबंधी अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण वित्तीय सहायता दे रहे हैं।

विवरण

वर्ष 1995-96 के दौरान आलू का राज्यवार क्षेत्र तथा उत्पादन

क्र॰सं॰	राज्य	क्षेत्र (हजार है॰)	उत्पादन (हजार टन)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1.4	4.5
2.	अरूणाचल प्रदेश	4.9	39.5
3.	असम	74.1	504.8
4.	बिहार	173.0	1571.6
5.	गुजरात	23.0	460.9
6.	हरियाणा	10.5	141.3
7.	हिमाचल प्रदेश	13.2	120.9
8.	जम्मू और काश्मीर	2.4	3.4
9.	कर्नाटक	25.5	251.3
10.	मध्य प्रदेश	44.3	524.3
11.	महाराष्ट्र	15.1	75.7
12.	मणिपुर	3.3	17.3
13.	मेघालय	18.0	122.0
14.	मिजोरम	0.1	0.3
15.	नागालैण्ड	2.4	20.0
16.	उड़ीसा	9.4	89.8
17.	पंजाब	42.8	873.8
18.	राजस्थान	1.6	19.0
19.	सिक्किम	5.5	24.0
20.	तमिलनाडु	4.7	126.9
21.	त्रिपुरा	4.3	76.9
22.	उत्तर प्रदेश	400.7	7910.0
23.	पश्चिम बंगाल	255.9	6259.0
24.	दिल्ली	0.1	0.6
	योग	1136.20	19236.70

मण्डल आयोग की सिफारिशें

993. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री राम कृपाल यादव :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उपयुक्त सिफारिशों को लागू करने के लिए प्रयास किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में कितनी सफलता मिली?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) जी, हां। नागालैंड, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप को छोड़कर जिन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की हैं क्योंकि ये मुख्य रूप से आदिवासी जनसंख्या

की बहुलता वाले राज्य हैं और इन्होंने इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में कोई पिछड़े वर्ग समुदाय की पहचान नहीं की है।

(ग) और (घ) जी, हां। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियों को अधिसूचित कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में समान केन्द्रीय सूची की अधिसूचना निकल गई है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा मेघालय ने संघ राज्य क्षेत्र/राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोगों की स्थापना कर ली है। चंडीगढ़ प्रशासन ने अन्य पिछड़े वर्गों की सूची को पहले ही अधिसूचित कर दिया है।

मध्य प्रदेश को चीनी का आवंटन

994. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः माह के दौरान विभिन्न राज्यों को कितनी लेवी चीनी प्रदान की गई है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान मध्य प्रदेश को अल्प मात्रा में चीनी जारी करायी गई;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं: और

(घ) राज्यों को विशेषकर मध्य प्रदेश को उचित मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मासिक लेवी चीनी कोटा, 1991 की जनगणना की जनसंख्या के अनुसार 425 ग्राम, प्रति व्यक्ति उपलब्धता पर आधारित है जो 1 जनवरी 1996 से लागू है। मध्य प्रदेश राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मासिक लेवी चीनी कोटे और वार्षिक त्यौहार कोटे को दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

विवरण

लेवी चीनी कोटा तथा त्यौहार कोटे को दर्शाने वाला विवरण (1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या पर आधारित, जो 1.1.1996 से लागू है)

आंकड़े लाख टन में

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मासिक सामान्य कोटा	प्रत्येक वर्ष के लिए त्यौहार कोटा
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	28267	7614
2.	अंडमान निकोबार	282	74
3.	अरूणाचल प्रदेश	366	94
4.	असम	9524	2896
5.	बिहार	36707	10078
6.	चण्डीगढ़	391	112
7.	दादर और नगर हवेली	60	14
8.	दिल्ली	11973	2316
9.	गोवा	508	150
10.	दमन	26	12
11.	दीव	17	
12.	गुजरात	17557	4878
13.	हरियाणा	6996	1924
14.	हिमाचल प्रदेश	2197	608
15.	जम्मू और काश्मीर	3567	868
16.	कर्नाटक	19117	5350
17.	केरल	12368	3600
18.	लक्षद्वीप	81	22
19.	मध्य प्रदेश	28127	7536
20.	महाराष्ट्र	33550	9014
21.	मणिपुर	782	208
22.	मेघालय	752	200
23.	मिजोरम	293	78
24.	नागालैण्ड	542	128
25.	उड़ीसा	13456	3730
26.	पांडिचेरी	360	64
27.	करिकल	86	18
28.	माहे	18	4
29.	यनम	8	2
30.	पंजाब	8619	2392
31.	राजस्थान	18704	5092
32.	सिक्किम	174	50
33.	तमिलनाडु	23741	6790
34.	त्रिपुरा	1173	301
35.	उत्तर प्रदेश	59122	15936
36.	पश्चिम बंगाल	28934	7796
	कुल	368445	99,950

अनुसंधान संस्थान

995. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थानवार अनुसंधान परिषदों, अनुसंधान केन्द्रों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान परिषदवार तथा परियोजनावार इन पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन अनुसंधान केन्द्रों की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और राज्य में कृषि उत्पादन पर इन अनुसंधान कार्यों का क्या प्रभाव पड़ा है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) महोदय, ब्यौरा सलंग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया हैं

विवरण-I

राज्य का नाम	संस्थान/प्रा॰नि॰/रा॰अ॰के॰/ अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ के नाम	स्थान
1	2	3
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान	पोर्ट ब्लेयर
आंध्र प्रदेश	केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान	हैदराबाद
	केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	राजामुंद्री
	राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केन्द्र	हैदराबाद
	चावल प्रायोजना निदेशालय	हैदराबाद
	मुर्गी प्रायोजना निदेशालय	हैदराबाद
	तिलहन प्रायोजना निदेशालय	हैदराबाद
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--कृषि मौसम विज्ञान	हैदराबाद
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--तम्बाकू	राजामुंद्री
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--बारानी कृषि	हैदराबाद
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--मृदा परीक्षण फसल अनुक्रिया	हैदराबाद
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--ज्वार	हैदराबाद
	कृषि पक्षी विज्ञान नेटवर्क	हैदराबाद
अरूणाचल प्रदेश	राष्ट्रीय याक अनुसंधान केन्द्र	दिरंग
बिहार	भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान	रांची
	जल प्रबंध प्रायोजना निदेशालय	पटना
दिल्ली	राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति का अनुसंधान केन्द्र	नई दिल्ली
	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	नई दिल्ली
	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी (फसल विज्ञान) अनुसंधान केन्द्र	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र-डी॰एन॰ए॰ फिंगरप्रिंटिग	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय कीट प्रबंध अनुसंधान केन्द्र	नई दिल्ली
	मक्का प्रायोजना निदेशालय	नई दिल्ली
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--शुष्क फली	नई दिल्ली
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--जुताई प्रबंध	नई दिल्ली
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--गोल कृमि	नई दिल्ली
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--औषधीय एवं सुगंधीय पौधे	नई दिल्ली
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण	नई दिल्ली
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--बागवानी फसलों की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी फलों एवं सब्जियों पर कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी की प्रायोजना	नई दिल्ली
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--गृह विज्ञान	नई दिल्ली
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--भूजलीय कुओं एवं पम्पों का अनुकूलतम परिस्थिति	नई दिल्ली
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--कीटनाशी अवशेष	नई दिल्ली
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--आंतरिक उपयोग पौधे	नई दिल्ली
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--दीर्घ अवधि उर्वकर परीक्षण	नई दिल्ली
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--कृषि जल निकासी	नई दिल्ली
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--पुष्पोत्पादन	नई दिल्ली
	भारत सोवियत संघ, प्रकाशन एवं सूचना प्रभाग के अंतर्गत दीर्घ अवधि परियोजना	नई दिल्ली

1	2	3
	विकसित देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत भारत-यू॰के॰ और भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यक्रम	नई दिल्ली
	राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र एवं संग्रहालय	नई दिल्ली
	भा॰कृ॰अ॰प॰ कृषि पुस्तकालय	नई दिल्ली
	यांत्रिकी एवं प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण और निगरानी	नई दिल्ली
	आंतरिक दक्षता का उपयोग	नई दिल्ली
	समेकित कृषि विज्ञान केन्द्र	सं॰/रा॰कृ॰वि॰वि॰/गैर सरकारी सं
	राष्ट्रीय कृषि संसाधन परियोजना-*II*	नई दिल्ली
	कृषि मानव संसाधन विकास	नई दिल्ली
	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा का विकास एवं सुदृढ़ीकरण	नई दिल्ली
	राज्य कृषि विश्वविद्यालयों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण	नई दिल्ली
	भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी नेटवर्क	नई दिल्ली
	रा॰कृ॰वि॰ और दि॰वि॰ में अग्रिम अध्ययन के लिए केन्द्र स्थापित करना	नई दिल्ली
	नेटवर्क सूक्ष्म पोषक तत्व	नई दिल्ली
गोवा	भा॰कृ॰अ॰प॰ का अनुसंधान परिसर	गोवा
गुजरात	राष्ट्रीय औषधीय एवं सुगंधीय पौधों का अनुसंधान केन्द्र	आनंद
	राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र	जुनागढ़
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ मूंगफली	जुनागढ़
हिमाचल प्रदेश	केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	शिमला
	राष्ट्रीय खुम्बी अनुसंधान केन्द्र	सोलन
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰-खुम्बी	सोलन
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰-सेब सकेल	सोलन
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰-आलू	शिमला
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰-सूक्ष्म जैविक अपघटन	पालमपुर
हरियाणा	केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान	हिसार
	केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान	करनाल
	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	करनाल
	राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो और राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान	करनाल
	राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र (रा॰डे॰अ॰सं॰ का भाग)	करनाल
	राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केन्द्र	हिसार
	गेहूं अनुसंधान निदेशालय	करनाल
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰-जौ	करनाल
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰-शुष्क फल	हिसार
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰-कृषि उपोत्पाद	करनाल
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰-तोरिया एवं सरसो	हिसार
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰-मधुमक्खी	हिसार
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰-नमक से प्रभावित मृदा प्रबंध	करनाल
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰-भैंस	हिसार
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰-रक्त प्रोटेस्टा	हिसार
	पशु आनुवंशिक संसाधन नेटवर्क	करनाल
जम्मू एवं कश्मीर	केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान	श्रीनगर
कर्नाटक	भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान	बंगलौर
	राष्ट्रीय पशुपोषण एवं शरीर क्रिया संस्थान	बंगलौर
	राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केन्द्र	पुत्तुर
	जैविक नियंत्रण प्रायोजना निदेशालय	बंगलौर
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰-पान	बंगलौर
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰-उपोष्ण फल	बंगलौर
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰-रोगों की मॉनीटरिंग एवं निगरानी	बंगलौर
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰-छोटे मोटे अनाज	बंगलौर
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰-कृषि एक्रोलोजी	बंगलौर
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰-काजू	विट्टल
केरल	केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	कोच्चि
	केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी संस्थान	कोच्चि
	केन्द्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान	त्रिवेन्द्रम
	भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान	कालीकट
	केन्द्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान	कासरगोड़
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰-तेल-ताड़	कासरगोड़
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰-मसाले	कालीकट

1	2	3
मध्य प्रदेश	केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान	भोपाल
	भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान	भोपाल
	राष्ट्रीय खरपतवार नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र	जबलपुर
	राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र	इन्दौर
	अ•भा•स•अ•प्रा•–सूक्ष्म पोषण	भोपाल
	अ•भा•स•अ•प्रा•–पशु ऊर्जा	भोपाल
	अ•भा•स•अ•प्रा•–कृषि कार्या• एवं मशीनरी	भोपाल
	अ•भा•स•अ•प्रा•–पावर टिलर	भोपाल
	अ•भा•स•अ•प्रा•–सोयाबीन	इन्दौर
	अ•भा•स•अ•प्रा•–नवीनीकरण ऊर्जा	भोपाल
	अ•भा•स•अ•प्रा•–मानव अभि• एवं सुरक्षात्मक अध्ययन	भोपाल
महाराष्ट्र	केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान	नागपुर
	केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान	मुम्बई
	केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	मुम्बई
	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो	नागपुर
	राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केन्द्र	नागपुर
	राष्ट्रीय लहसुन एवं प्याज अनुसंधान केन्द्र	गोदरा (नासिक)
	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र	पुणे
	अ•भा•स•अ•प्रा•–मोटे अनाज	पुणे
मणिपुर	उ•पू•प• क्षेत्र के लिए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना	इम्फाल
मेघालय	उ•पू•प• क्षेत्र के लिए भा•कृ•अ•प• का अनुसंधान परिसर	शिलांग
नागालैंड	राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केन्द्र	नागालैंड
उड़ीसा	केन्द्रीय चावलअनुसंधान संस्थान	कटक
	केन्द्रीय ताजा जलजीव पालन संस्थान	भुवनेश्वर
	कृषि महिलाओं के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र	भुवनेश्वर
	अ•भा•स•अ•प्रा•–कंद फसल	भुवनेश्वर
	अ•भा•स•अ•प्रा•–खरपतवार नियंत्रण	कटक

1	2	3
	ओ•आर•पी• में एक्वाकल्चर	भुवनेश्वर
	पूर्वोत्तर केन्द्र के लिए जल प्रोद्योगिकी केन्द्र	भुवनेश्वर
पंजाब	कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी के लिए केन्द्रीय संस्थान	लुधियाना
	अ•भा•स•अ•प्रा•–ऊर्जा की आवश्यकता	लुधियाना
	अ•भा•स•अ•प्रा•–कृषि में प्लास्टिक का प्रयोग	लुधियाना
	अ•भा•स•अ•प्रा•–कटाई एवं कटाई के बाद	लुधियाना
राजस्थान	केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान	अविका–नगर
	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	जोधपुर
	राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केन्द्र	बीकानेर
	राष्ट्रीय तोरिया एवं सरसों अनुसंधान केन्द्र	भरतपुर
	राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केन्द्र	जोबनेर
	अ•भा•स•अ•प्रा•–सफेद मूंडी	दुर्गापुर
	अ•भा•स•अ•प्रा•–कृतक नाशी नियंत्रक	जोधपुर
	अ•भा•स•अ•प्रा•–भेड़	बीकानेर
सिक्किम	राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केन्द्र	ताडोम
तमिलनाडु	गन्ना प्रजनन संस्थान	कोयम्बटूर
	केन्द्रीय खारा जल जीव पालन संस्थान	चेन्नई
	राष्ट्रीय केला अनुसंधान केन्द्र	त्रिची
	अ•भा•स•अ•प्रा•–कपास	कोयम्बटूर
उत्तर प्रदेश	केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	देहरादून
	भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान	झांसी
	विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला	अल्मोड़ा
	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान	लखनऊ
	भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान	इज्जतनगर
	केन्द्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान	लखनऊ
	राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	लखनऊ
	केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान	मखदूम
	केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान	इज्जतनगर

1	2	3
	केन्द्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान	कानपुर
	राष्ट्रीय मांस एवं मांस उत्पाद अनुसंधान केन्द्र	इज्जतनगर
	राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र	झांसी
	राष्ट्रीय ठंडा पानी मात्स्यिकी अनुसंधान केन्द्र	हल्द्वानी
	गोपशु प्रायोजना निदेशालय	मेरठ
	सब्जी प्रायोजना निदेशालय	बनारस
	फसल पद्धति अनुसंधान प्रायोजना निदेशालय	मोदीपुरम
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--दलहन (मुलार्प)	कानपुर
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--अरहर	कानपुर
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--बकरी	फराह
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--खुरपक्का एवं मुंहपक्का रोग	इज्जतनगर
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--उपोष्ण फल	लखनऊ
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--गन्ना	लखनऊ
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--चारा फसलें	झांसी
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--सूअर	इज्जतनगर
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--दियारा भूमि सुधार	मोदीपुरम
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--कृषि वानिकी	झांसी
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--चना	कानपुर
	पशु उत्पादन पद्धति पर आधारित नेटवर्क फसल	झांसी
	चुकंदर नेटवर्क योजना	लखनऊ
	सब्जी बीज प्रायोजना	वाराणसी
पश्चिम बंगाल	पटसन प्रौद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला	कलकत्ता
	केन्द्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यकी प्रग्रहण अनुसंधान संस्थान	बैरकपुर
	केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान	बैरकपुर
	अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--पटसन	बैरकपुर

अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰--अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना

प्रा॰नि॰ - प्रायोजना निदेशालय

रा॰अ॰के॰ - राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र

विवरण-II

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च किए गए संस्थान/प्रायोजनावार विवरण

संस्थान/प्रायोजना का नाम	पिछले तीन सालों में किया गया खर्च		
	1994-95 वास्तविक खर्च	1995-96 वास्तविक खर्च	1996-97 वास्तविक खर्च
1	2	3	4
I. फसल विज्ञान			
क. पौध आनुवंशिक संसाधन			
1. रा॰पौ॰आनु॰ ब्यूरो	144.99	144.59	140.00
2. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ उपयोग में लाए जाने वाले तथा प्रयोग मे लाए जाने वाले पौधे	21.81	34.52	25.00
3. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ - शुष्क फली	2.87	22.36	20.00
कुल (क)	**169.67**	**201.47**	**185.00**
ख. खाद्य फसलें			
1. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान	996.40	808.01	760.00
2. केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान	137.60	159.98	135.00

1	2	3	4
3. विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला	67.00	91.75	90.00
4. भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान	424.49	159.40	125.00
5. अ•भा•स•अ•प्रा• – चना	0.00	98.05	85.00
6. अ•भा•स•अ•प्रा• – अरहर	2.12	78.40	85.00
7. अ•भा•स•अ•प्रा• – दलहन (मुलार्प)	0.00	110.28	115.00
8. गेहूं अनुसंधान निदेशालय	439.99	413.48	250.00
9. राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केन्द्र	212.71	72.26	55.00
10. अ•भा•स•अ•प्रा• – ज्वार	1.18	97.98	90.00
11. चावल प्रायोजना निदेशालय	378.50	447.04	415.00
12. मक्का प्रायोजना निदेशालय	152.42	230.32	290.00
13. अ•भा•स•अ•प्रा• – मोटे अनाज	68.82	70.25	85.00
14. अ•भा•स•अ•प्रा• – छोटे अनाज	72.67	67.89	80.00
15. अ•भा•स•अ•प्रा• – जौ	54.93	32.24	20.00
कुल (ख)	**3017.83**	**2937.33**	**2680.00**
ग. चारा फसलें			
1. भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान	160.00	134.00	75.00
2. अ•भा•स•अ•प्रा• – चारा फसलें	113.00	96.10	92.00
कुल (ग)	**273.30**	**230.10**	**167.00**
घ. वाणिज्य फसलें			
1. केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान	112.45	112.07	65.00
2. भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान	135.39	116.63	60.00
3. केन्द्रीय कपास अनुसंधान संस्थान	185.33	132.21	100.00
4. केन्द्रीय पटसन एवं सम्बद्ध रेशा अनुसंधान संस्थान	93.99	55.24	80.00
5. गन्ना प्रजनन संस्थान	115.00	130.41	70.00
6. अ•भा•स•अ•प्रा• – कपास	116.66	160.31	160.00
7. अ•भा•स•अ•प्रा• – पटसन	43.03	53.32	40.00
8. अ•भा•स•अ•प्रा• – तम्बाकू	43.71	49.62	53.00
9. अ•भा•स•अ•प्रा• – गन्ना	53.03	70.35	60.00
10. चुकन्दर नेटवर्क योजना	5.06	4.38	8.00
कुल (घ)	**903.66**	**884.54**	**696.00**
ङ तिलहन			
1. राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र	109.85	79.99	110.00
2. राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र	91.81	91.79	100.00

1	2	3	4
3. राष्ट्रीय तोरिया एवं सरसो अनुसंधान केन्द्र	94.85	60.63	80.00
4. तिलहन प्रायोजना निदेशालय	359.99	284.07	300.00
5. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – मूंगफली	13.19	20.84	52.00
6. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – तोरिया एवं सरसो	0.00	55.65	50.00
7. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – सोयाबीन	64.76	52.19	48.00
कुल (ङ)	**734.45**	**645.36**	**740.00**
च. *पौध संरक्षण*			
1. राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंध अनुसंधान केन्द्र	33.92	54.07	65.00
2. जैविक नियंत्रण प्रायोजना निदेशालय	87.01	115.31	120.00
3. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – मधुमक्खी	21.13	31.86	30.00
4. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – सफेद सूंडी	23.86	28.46	26.00
5. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – कृषि एक्रोलॉजी	32.59	21.92	20.00
6. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – कृतक नियंत्रक	28.18	32.41	35.00
7. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – कीट नाशी अवशेष	89.61	82.05	70.00
8. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – गोलकृमि	50.42	55.54	50.00
9. आर्थिक पक्षी विज्ञान नेटवर्क	18.43	20.71	22.00
कुल (च)	**385.15**	**462.33**	**438.00**
छ. *संकर बीज*			
1. चुनी हुई फसलों में संकर बीज के विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रायोजना	118.49	178.32	200.00
ज. *फसल सुधार के लिए आनुवंशिक अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी*			
1. फसल विज्ञान के लिए जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र का अनुसंधान संस्थान केन्द्र	60.06	106.31	110.00
2. आनुवंशिक अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी		मंजूर नहीं	
3. राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र-डी॰एन॰ए॰ फिंगरप्रिंटिंग		75.00	130.00
झ. *बीज प्रौद्योगिक अनुसंधान एवं प्रजनक बीज उत्पादन*			
1. रोग लाने वाले बीजों पर अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ जिसमें वर्तमान राष्ट्रीय बीज प्रायोजना शामिल है।	561.33	332.70	268.00
कुल (फसल विज्ञान)	**6223.63**	**6053.46**	**5614.00**
II. बागवानी			
क. फल			
1. भारतीय बागवानी अनुसंधान केन्द्र (50 %)	404.94	314.96	330.00
2. केन्द्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान उपोष्ण बागवानी	205.00	195.00	140.00

1	2	3	4
3. भा•कृ•अनु•प• अनुसंधान काम्पलेक्स गोवा (10%)		रोपण फसलों के साथ समेकित	
4. रा•अनु• केन्द्र नींबू वर्गीय फल (90%)	88.00	79.65	70.00
5. रा•अनु• केन्द्र – अंगूर	0.14	0.17	20.00
6. अ•भा•स•अ•प्रा• – उष्णकटिबंधीय फल	91.95	65.49	80.00
7. अ•भा•स•अ•प्रा• – उपोष्णकटिबंधीय फल	32.25	57.08	52.00
8. अ•भा•स•अ•प्रा• – शुष्क फल	61.98	48.10	49.92
9. केन्द्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान	8.00	12.64	50.00
10. रा•अनु• केन्द्र – शुष्क बागवानी	44.75	95.19	100.00
11. रा•अनु• केन्द्र – केला	38.98	61.91	80.00
12. अ•भा•स•अ•प्रा• – सेब स्केब	9.61	14.32	15.50
योग (क)	**985.59**	**944.51**	**986.50**
ख. सब्जियां			
1. भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (30%)		फलों के साथ समेकित	
2. रा•अनु• केन्द्र – खुम्भी	67.94	47.13	50.00
3. प्रायोजना निदेशालय – सब्जी	132.75	167.82	400.00
4. सब्जी बीज प्रयोजना	10.07	19.93	65.00
5. अ•भा•स•अ•प्रा• – खुम्भी	13.61	14.27	20.00
6. रा•अनु• केन्द्र – प्याज और लहसुन	5.50	13.00	15.00
योग (ख)	**229.87**	**262.15**	**500.50**
ग. आलू और कन्दीय फसलें			
1. केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान	326.52	209.00	167.00
2. केन्द्रीय कन्दीय फसल अनुसंधान संस्थान	80.00	100.30	100.00
3. अ•भा•स•अ•प्रा• – आलू	47.98	55.49	53.00
4. अ•भा•स•अ•प्रा• – कन्दीय फसलें	34.01	23.62	32.00
योग (ग)	**488.11**	**388.41**	**352.00**
घ. बागानी फसलें			
1. केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान	180.41	168.98	120.00
2. भा•कृ•अनु•प• अनुसंधान कम्पलेक्स गोवा (90%)	55.37	49.77	7.00
3. रा•अनु• केन्द्र – काजू	854.84	64.95	63.00
4. रा•अनु• केन्द्र – तेल-ताड़	6.28	83.81	95.00
5. अ•भा•स•अ•प्रा• – तोड़	55.27	51.66	52.00
6. अ•भा•स•अ•प्रा• – काजू	32.08	22.17	25.00
योग (घ)	**414.25**	**441.34**	**416.00**

1	2	3	4
ङ मसाले			
1. भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान	160.00	108.79	90.00
2. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – मसाले	41.65	57.05	51.00
योग (ङ)	**201.65**	**165.84**	**141.00**
च. पुष्पोत्पादन औषधीय और संगधीय पौधे			
1. भा॰बा॰अनु॰ संस्थान (10%)	फलों के साथ समेकित		
2. रा॰अनु॰ केन्द्र – आर्किड	0.18	13.97	20.00
3. रा॰अनु॰ केन्द्र – औषधीय और संगधीय पौधे	0.00	8.66	30.00
4. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – पुष्प उद्यान	28.16	44.50	40.00
5. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – औषधीय और संगधीय पौधे	77.38	68.52	60.00
6. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – पान	29.58	37.70	36.00
योग (च)	**135.30**	**173.35**	**186.00**
छ. बागवानी फसलों की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी			
1. भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (10%)	फलों के साथ समेकित		
2. केन्द्रीय उत्तर मैदानी बागवानी संस्थान (10%)	फलों के साथ समेकित		
3. राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र नींबूवर्गीय फल (10%)	फलों के साथ समेकित		
4. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – बागवानी फसलों की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी	35.30	44.63	29.00
5. फलों और सब्जियों के कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी	7.19	13.78	15.50
योग (छ)	**42.49**	**58.41**	**69.50**
योग (बागवानी)	**2497.26**	**2434.01**	**2700.00**
III. मृदा, सस्य विज्ञान तथा कृषि वानिकी			
क. संसाधन सूची			
1. राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग ब्यूरो	230.00	304.21	130.00
ख. फसल प्रणाली अनुसंधान			
1. केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान	244.50	239.78	85.00
2. उत्तरी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र के लिए भा॰कृ॰अ॰प॰ कम्पलेक्स	353.79	208.31	210.00
3. राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र – कृषि वानिकी	48.67	66.10	67.00
4. राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र – खरपतवार विज्ञान	119.90	108.06	90.00
5. परियोजना निदेशालय – फसल प्रणाली अनुसंधान	511.38	78.58	435.00
6. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – कृषि मौसम विज्ञान	32.89	47.64	80.00
7. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – दियारा भूमि सुधार	9.27	312.22	20.00

1	2	3	4
8. अ•भा•स•अ•प्रा• – कृषि वानिकी	87.11	17.13	105.00
9. अ•भा•स•अ•प्रा• – खरपतवार नियंत्रण	66.71	.00	60.00
योग (ख)	**1474.22**	116 .82	**1152.00**
ग. मृदा प्रबंध			
1. केन्द्रीय मरू क्षेत्र अनुसंधान संस्थान	126.98	149.90	20.00
2. केन्द्रीय मृदा तथा जल संरक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान	219.82	229.98	120.00
3. अ•भा•स•अ•प्रा• – भारतीय मृदाओं में जुताई प्रबंध	32.38	193.89	42.00
4. अ•भा•स•अ•प्रा• – अमलीय मृदा का प्रबंध	0.00		
योग (ग)	**379.18**	**573.77**	**282.00**
घ. जल प्रबंध			
1. केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान	114.16	83.97	80.00
2. पूर्वी क्षेत्र के लिए जल प्रौद्योगिकी केन्द्र	132.99	118.80	167.00
3. प्रा•नि• जल प्रबंध	212.77	25.09	295.00
4. अ•भा•स•अ•प्रा• – लवण प्रभारित मृदाओं का प्रबंध	51.60	58.18	56.00
5. अ•भा•स•अ•प्रा• – कुओं में पम्पों द्वारा भूमिगत जल उपयोग	27.10	30.90	42.00
योग (घ)	**538.62**	**317.74**	**640.00**
ङ पोषण प्रबंध			
1. भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान	245.98	133.89	250
2. केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान	87.50	149.83	120.00
3. अ•भा•स•अ•प्रा• – बारानी कृषि	82.92	200.00	245.00
4. अ•भा•स•अ•प्रा• – सूक्ष्म पोषक तत्व	38.23	23.66	50.00
5. अ•भा•स•अ•प्रा• – जैविक नैत्रजन निर्धारण	37.13	28.05	30.00
6. अ•भा•स•अ•प्रा• – सूक्ष्म जैविक अपघटन	52.27	24.22	25.00
7. अ•भा•स•अ•प्रा• – मृदा परीक्षण फसल अनुक्रिया	65.22	56.47	63.00
8. अ•भा•स•अ•प्रा• – दीर्घावधि उर्वरक परीक्षण	22.50	17.91	22.00
9. भूमि उपयोग योजना नेटवर्क		योजना अनुमोदित नहीं	
योग (ङ)	**732.20**	**634.23**	**805.00**
योग (एस•ए• तथा ए•एफ•)	**3354.22**	**2997.77**	**3009.00**
IV. कृषि अभियांत्रिकी			
क. कृषि औजार एवं मशीनें			
1. केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान	170.00	160.10	180.00

1	2	3	4
2. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – [illegible] टिलर	127.48	23.88	38.50
3. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – [illegible] औजार एवं मशीनें	68.73	61.55	100.00
4. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – [illegible] अभियांत्रिकी तथा सुरक्षा अध्ययन	0.00	7.24	29.00
योग (क)	**266.21**	**252.77**	**347.50**
ख. फसल कटाई के बाद [illegible] प्रौद्योगिकी			
1. केन्द्रीय फसल कटाई [illegible] बाद की अभियांत्रिकी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान	264.95	355.72	150.00
2. केन्द्रीय कपास प्रौद्यो[illegible] अनुसंधान संस्थान	97.00	89.24	110.00
3. भारतीय लाख अनुसं[illegible] संस्थान	59.50	40.13	50.00
4. पटसन प्रौद्योगिकी अनु[illegible]न प्रयोगशाला	165.60	66.30	70.00
5. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – कृ[illegible] में प्लास्टिक का प्रयोग	12.50	25.68	20.50
6. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – गुड़ तथा खांडसारी	17.58	15.07	20.00
7. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – कटाई तथा कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी	99.79	108.24	125.00
योग (ख)	**716.92**	**700.38**	**545.50**
ग. कृषि में ऊर्जा प्रबन्ध			
1. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत	62.20	64.55	70.00
2. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – कृषि क्षेत्र में ऊर्जा मांग	33.37	46.21	55.00
3. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – पशु ऊर्जा	21.55	31.73	40.00
4. रा॰अनु॰ केन्द्र – कृषि महिलाओं के लिए कड़ी मेहनत निराकरण			
5. तिलहन संसाधन नेटवर्क	0.00		
6. आविष्कार एवं सृजनात्मक पुरस्कार			प्रबन्ध
योग (ग)	**117.12**	**142.49**	**165.00**
घ. निकासी अभियांत्रिकी			
1. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – कृषि निकासी	33.55	35.71	42.00
योग (कृषि अभि॰)	**1132.80**	**1131.35**	**1100.00**
V. पशु विज्ञान			
क. पशु आनुवंशिकी संसाधन			
1. राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान	91.50	राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो के साथ विलय	
2. राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो	44.96	212.39	175.00
3. नेटवर्क – पशु आनुवंशिकी संसाधन	2.75	59.72	33.00
कुल (क)	**139.21**	**272.11**	**208.00**

1	2	3	4
ख. पशुधन में सुधार			
1. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान	466.61	373.11	345.00
2. केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान	200.00	175.00	165.00
3. केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान	83.33	105.19	100.00
4. केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान	149.80	155.57	104.00
5. केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान	148.00	165.83	132.00
6. राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान	0.00	29.50	75.00
7. रा॰अनु॰ केन्द्र – जैव प्रौद्योगिकी (रा॰डे॰अनु॰सं॰ का एक भाग)	राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान के सहित कार्यरत		
8. रा॰अनु॰ केन्द्र – ऊंट	89.98	70.00	75.00
9. रा॰अनु॰ केन्द्र – याक	40.33	41.44	90.00
10. रा॰अनु॰ केन्द्र – मिथुन	29.70	14.93	25.00
11. रा॰अनु॰ केन्द्र – अश्व	100.04	44.00	75.00
12. पी॰डी॰ – मुर्गीपालन	153.97	189.01	213.00
13. पी॰डी॰ – गोपशु पालन	156.78	124.49	145.00
14. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – भेड़	29.30	29.59	36.00
15. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – बकरी	22.32	21.87	26.00
16. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – भैंस	59.18	55.58	104.00
17. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – सुअर	39.07	42.98	82.00
18. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – कृषि उप–उत्पाद	27.37	76.47	40.00
19. नेटवर्क – सूक्ष्म पोषण	8.48	37.82	50.00
20. नेटवर्क – भ्रूण स्थानांतरण	27.25	45.54	60.00
21. नेटवर्क – फसल आधारित पशु उत्पादन प्रणाली	0.24	7.29	35.00
योग (ख)	**1831.75**	**1805.21**	**1887.00**
ग. पशुधन उत्पादन प्रौद्योगिकी			
1. रा॰अनु॰ केन्द्र – मांस एवं मांस उत्पादन प्रौद्योगिकी	14.08	9.71	7.00
2. औद्योगिक उपयोग हेतु स्वदेशी दुग्ध उत्पादों के संसाधन विकास हेतु अनुसंधान एवं विकास सहायता	0.00	10.00	30.00
योग (ग)	**14.08**	**19.71**	**37.00**
घ. पशु स्वास्थ्य			
1. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान	665.65	599.64	440.00
2. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – रोग मॉनिटर एवं निगरानी	12.52	38.03	41.00
3. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – रक्त प्रोटेस्टा	9.45	0.68	17.00
4. अ॰भा॰स॰अ॰प्रा॰ – मुंह पका एवं खुर पका रोग	48.71	52.04	70.00

1	2	3	4
5. मानिटरिंग, यांत्रिकरण तथा वैज्ञानिकों व टैक्निशियनों के प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण		योजना प्रारंभ नहीं हुई है।	
6. रा॰अनु॰ केन्द्र – जैव प्रौद्योगिकी (भा॰पशु चि॰अ॰सं॰ का भाग)		भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में शामिल	
7. टीकाकरण एवं निदानात्मक तकनीक/पशु-धन फार्मिंग प्रणाली		योजना प्रारंभ नहीं हुई है।	
योग (घ)	**736.33**	**690.39**	**568.00**
योग (ए॰एस॰)	**2721.37**	**2787.42**	**2700.00**
VI. मात्स्यिकी			
क. प्रग्रहण मात्स्यिकी			
1. केन्द्रीय समुद्री मछली अनुसंधान संस्थान	264.98	255.00	175.00
2. केन्द्रीय अन्तःस्थलीय प्रग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान	83.28	120.00	140.00
योग (क)	**348.26**	**375.00**	**315.00**
ख. मछली पालन			
1. केन्द्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान	204.98	159.95	150.00
2. केन्द्रीय खारा पानी जल जन्तु संस्थान	94.72	146.97	175.00
3. रा॰अनु॰ केन्द्र – ठंडे पानी की मछलियां	21.99	50.98	35.00
4. जैविक अपशिष्टों का जल जीवों हेतु संसाधन एवं उपयोग पर ओ॰आर॰पी॰	4.01	8.75	25.00
योग (ख)	**325.70**	**366.65**	**385.00**
ग. मछली तथा मछली संसाधन प्रौद्योगिकी			
1. केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान	150.01	154.62	140.00
घ. मछली आनुवंशिक संसाधन			
1. राष्ट्रीय मछली आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो	69.80	401.38	260.00
ङ मात्स्यिकी शिक्षा			
1. केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान	58.18	138.92	250.00
योग (मात्स्यिकी)	**951.95**	**1436.57**	**1360.00**
VII. कृषि सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्र			
क. भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान	80.63	110.22	70.00
ख. रा॰अनु॰ केन्द्र -- कृषि अर्थशास्त्र तथा नीति अनुसंधान	28.97	49.86	30.00
योग (ए॰एस॰ एंड ई॰)	**109.60**	**160.08**	**100.00**

1	2	3	4
VIII. कृषि विस्तार			
क. समेकित कार्य के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण			
1. समेकित कृषि विज्ञान केन्द्र	3751.00	3901.89	3700.00
2. कृषि में महिलाओं के लिए रा॰अनु॰ केन्द्र	0.00	0.00	100.00
योग (कृषि विस्तार)	**3751.00**	**3901.89**	**3800.00**
IX. कृषि शिक्षा			
क. कृषि शिक्षा का सुदृढ़ीकरण			
1. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी	122.97	162.82	200.00
2. राज्य कृषि विश्वविद्यालयों का विकास तथा सुदृढ़ीकरण	1457.07	1624.39	1700.00
3. कृषि शिक्षा का विकास तथा सुदृढ़ीकरण	27.00	29.80	50.00
4. समतुल्य विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	652.31	99.24	100.00
5. केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना	40.00	300.00	350.00
6. रा॰कृ॰वि॰ तथा समतुल्य वि॰वि॰ में अग्रणी अध्ययन केन्द्रों की स्थापना	209.03	312.11	342.50
7. गृह विज्ञान पर अ॰भा॰स॰अ॰ प्रायोजना	65.73	60.82	180.00
योग (क)	**2574.11**	**2589.18**	**2922.50**
ख. व्यावसायिक उत्कृष्टता की पहचान			
1. सर्वोत्तम अध्यापक पुरस्कार	0.00	3.31	1.50
ग. व्यावसायिक संसाधनों का उपयोग			
1. आन्तरिक प्रतियोगिता का उपयोग	0.00	0.00	1.00
2. विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों को तैयार करना	0.00	0.66	2.00
3. उत्कृष्ट वैज्ञानिक योजना	4.26	38.30	30.00
4. प्रबोधन तथा परीक्षा कक्ष की स्थापना		ए॰एच॰आर॰डी॰ के तहत शिक्षा प्रभाग के पुनर्गठन में शामिल है	
5. परीक्षा कक्ष की स्थापना		योजन शुरू नहीं की गई	
6. ग्रामीण जागरूकता कार्यानुभव कार्यक्रम		योजना अनुमोदित नहीं की गई	
7. खाद्य तथा बाल विकास में स्नात्कोत्तर शिक्षा का सुदृढ़ीकरण			1.00
8. स्नातकोत्तर शिक्षा अनुसंधान पर अग्रणी केन्द्र			10.00
योग (ख तथा ग)	**4.26**	**42.27**	**45.50**
योग (कृषि शिक्षा)	**2578.37**	**2631.45**	**2968.00**

1	2	3	4
X. विश्व बैंक/विदेशी सहायता प्राप्त प्रायोजनाएं			
क. विश्व बैंक प्रायोजनाएं			
1. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना।।	3625.21	2381.99	1935.00
2. राष्ट्रीय बीज प्रायोजना		डी॰ए॰सी॰ को योजना स्थानांतरित	
3. कृषि मानव संसाधन विकास		73.05	1101.00
4. विदेशी सहायता प्राप्त प्रायोजना	509.53	614.95	3668.00
योग (क)	**4134.74**	**3069.99**	**6704.00**
XI. प्रबंध सेवाएं			
क. द्विपक्षी सहयोग प्रायोजनाएं			
1. विकसित और विकासशील देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रम तथा भारत-रूस, भारत-बिट्रेन तथा भारत-अमेरिका कार्यक्रम के तहत दीर्घावधि प्रायोजना	6.15	36.04	18.42
योग (क)	**6.15**	**36.04**	**40.00**
ख. प्रकाशन तथा सूचना	2.09	74.82	145.00
ग. बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना			
1. निमार्ण कार्य	30.21	415.00	610.00
क. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भवन चरण।।			
ख. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय के लिए अतिथि गृह			
ग. राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र तथा संग्रहालय			
घ. भा॰क॰अ॰प॰ के स्टाफ के लिए आवासीय सुविधा			
2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि पुस्तकालय	0.30	1.35	15.00
3. कृ॰वै॰नि॰ मंडल का सुदृढ़ीकरण	4.41	7.29	21.00
4. कार्यालय जगह का आधुनिकीकरण एवं सुविधाएं	18.86	72.40	78.00
5. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय	56.48	23.16	17.00
6. प्रचार तथा जन सम्पर्क	0.00	0.00	35.00
योग (ख तथा ग)	**112.35**	**594.02**	**921.00**
घ. *व्यावसायिक सोसायटी/समुदायों को सहायता राष्ट्रीय अकादमी को सहायता*	56.50	45.00	70.00
ङ *नौवीं योजना कार्यकरण दल*			
योग (एम॰आई॰एस॰)	175.00	675.06	1009.42
कुल योग	**27629.94**	**27279.05**	**31054.42**

विवरण–III

उपलब्धियों का ब्यौरा तथा कृषि उत्पादन पर इन अनुसंधान कार्यों का प्रभाव

संकर चावल–एक महत्वपूर्ण सफलता

देशी रूप से विकसित किए गए व्यावसायिक दृष्टि से सक्षम संकर चावल के उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरा देश बन गया है। इस चावल की उपज चावल की वर्तमान सुधरी हुई किस्मों से 1–1.50 टन/हैक्टर अधिक है। पिछले वर्ष, विभिन्न राज्यों में उगाए जाने के लिए जारी की गई सात संकर किस्मों को लगभग 60,000 हैक्टर क्षेत्र में बोया गया।

चावल–निर्यात का प्रमुख स्रोत

पिछले कुछ सालों में भारत विश्व में चावल–निर्यात करने वाला प्रमुख देश बन गया है। पूसा–बासमती–1 सहित बौनी किस्मों के जारी किए जाने से किसानों को उल्लेखनीय रूप से अपनी उपज बढ़ाने में सहायता मिली। वर्ष 1995–96 में गैर–बासमती चावल का 5 मिलियन टन तथा बासमती चावल का 0.5 मिलियन टन का निर्यात अपने आप में एक रिकार्ड है।

गेहूं–उपलब्धियों का समेकन

उत्तर पश्चिमी पट्टी में बोए जाने वाले गेहूं की रोग–रोधी तथा अधिक उपज वाली किस्मों–डब्लू एच 542, पी•बी• डब्लू–343, यू•पी• 2338 से पहले उगाई जाने वाली किस्मों जैसे एच•डी•2329 आदि, जोकि रतुआ रोग के प्रति संवेदी हो चुकी हैं, के स्थान पर उगाए जाने से नई उम्मीदें जागृत हुई हैं। निर्यात की उच्च क्षमता वाली तथा सेमोलिना पर आधारित उत्पादों के लिए उपयुक्त ड्यूरम गेहूं की सुधरी हुई किस्मों को विकसित व लोकप्रिय किया गया है। दक्षिण भारतीय पकवान जैसे–उपमा आदि के लिए उपयुक्त गेहूं की उच्च उपजशील किस्म डी•डी•के••1001 को कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए जारी किया गया।

तिलहन क्रांति

सूरज मुखी और अरंडी के संकरों, सोयाबीन व तोरिया – सरसों की सुधरी हुई किस्मों के विकास तथा बेहतर प्रबंध और विपणन से देश में पिछले दशक के दौरान तिलहन उत्पादन को दुगना करने में मदद मिली है। पंजाब के लिए भारत के पहले ब्रैसिका संकर, "पी•जी•एस•एच•1", जिसकी पैदावार 20 प्रतिशत अधिक है, का विकास महत्वपूर्ण है।

गन्ना क्रांति को स्थिर बनाना

उत्तर भारत के लिए उपज को स्थिर रखने तथा चीनी की मात्रा में सुधार लाने के लिए गन्ने की नई, जल्दी पकने वाली तथा चीनी की अधिक मात्रा वाली किस्मों का विकास किया गया। बीज के त्वरित सम्वर्धन के लिए सूक्ष्म–प्रवर्धन तकनीक भी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास है।

कपास की जल्द तैयार होने वाली संकर किस्में

भारत विश्व में अकेला एक ऐसा देश है जिसने कपास के व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संकर तैयार किए हैं। पंजाब के लिए जल्द तैयार होने वाला संकर "फतह", हरियाणा के लिए "धन लक्ष्मी" तथा राजस्थान के लिए "मरू विकास", जो 30–40 प्रतिशत अधिक उपज देने वाले तथा सूत की श्रेष्ठ क्वालिटी युक्त हैं, को जारी किया जाना एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्राकृतिक रूप से रंगीन उत्पादों को विश्व में प्रमुखता दिए जाने के कारण रंगीन कपास पर अनुसंधान अपनी अन्तिम अवस्था में है।

फल उत्पादन–नए आयाम

आम, पपीता, नींबू वर्गीय फल, बेर, अनार तथा अधिक पैदावार वाले उच्च कोटि के अंगूर के नियमित रूप से फलने वाली किस्मों को जारी करने के साथ ही अनुसंधान की उपलब्धियों के कारण भारत विश्व का सबसे बड़ा फल उत्पादक देश बन गया है आम, काजू और सपोटा में साफ्टवूड ग्राफ्टिंग के मानकीकरण के कारण रोपण सामग्रियों को बड़े पैमाने पर सम्वर्धन किया गया है। केला में टिस्सू कल्चर और ड्रीप सिंचाई विधि के अपनाने के कारण उत्पादन में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है।

पोषण संबंधी सुरक्षा के लिए सब्जियां

विभिन्न कृषि जलवायु स्थितियों के अंतर्गत अत्यधिक पैदावार क्षमता वाली बड़ी संख्या में संकर किस्मों के विकास तथा उत्पादन टेक्नोलाजी के मानकीकरण के कारण सब्जी उत्पादन में क्रांति लाई गई है। निम्नलिखित क्षेत्रों में सब्जी अनुसंधान का बहुत अच्छा प्रभाव हुआ है :

- मूली और टमाटर की खेती पूरे वर्ष की जा सकती है।
- खरीफ मौसम के प्याज के लिए टेक्नोलाजी के विकास के साथ उत्तरी भारत में वर्ष में प्याज की दो फसलें उगाना संभव हो गया है।
- पूसा अर्ली सिन्थेटिक किस्म के विकास के साथ केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे गैर–परम्परागत क्षेत्रों में अब फूल गोभी उगाई जाती है।

आलू में वास्तविक आलू के बीज की (टी•पी•एस•) टेक्नोलाजी–एक महत्वपूर्ण सफलता

आलू में वास्तविक आलू के बीज टेक्नोलाजी का विकास तथा उसके कारण आलू की खेती की लागत में कमी होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वर्तमान समय में भारत आलू के वास्तविक बीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पर्वतीय क्षेत्रों, विशेष रूप से उत्तरी–पूर्वी क्षेत्र में आलू उत्पादन के लिए यह टेक्नोलाजी बहुत ही उपयोगी है।

पुष्पोत्पादन – आश्चर्यजनक निर्यात संभावनाएं

अधिक संख्या में संकरों का विकास तथा ग्रीन हाउस टेक्नोलाजी के सुदृढ़ीकरण के कारण हमारे पुष्पोत्पादन उद्योग और कटे हुए फूलों के निर्यात को प्रोत्साहन मिला है।

मोती (मुक्ता) – उत्पादन–उज्ज्वल संभावनाएं

भा॰कृ॰अ॰प॰ के संस्थानों की अनुसंधान सहायता से मीठे और समुद्रीजल दोनों में मोती–उत्पादन का काम व्यावसायिक स्तर पर शुरू किया गया है। मोतियों की किस्मों तथा रंगीन मोतियों के विकास के लिए टेक्नोलाजी के दर्जा बढ़ाने हेतु प्रयास शुरू कर दिए गए हैं।

सिफाका–उच्च कोटि का मत्स्य–आहार

भा॰कृ॰अ॰प॰ के संस्थान सी॰आई॰एफ॰ए॰ द्वारा विकसित सिफाका – मछली का एक नया आहार है जिसमें निम्नलिखित गुण होता है – मछली का अधिक उत्पादन, उच्च कोटि का मछली का मांस, कारगर आहार परिवर्तन, अच्छा स्वाद तथा जल की स्थिरता।

आयात एवजी (प्रतिस्थापना) के रूप में मछली की आंत से सर्जिकल – टांका

मछलियों की आंतों से चिकित्सा की दृष्टि से प्रमाणित तथा स्वीकार्य सर्जिकल टांकों का विकास किया गया तथा व्यावसायिक उत्पादन के लिए इस टेक्नोलाजी का हस्तान्तरण किया गया है।

भ्रूण स्थानान्तरण प्रौद्योगिकी

गायों, भैंसों, भेड़ों और बकरियों के उत्पादन में सुधार लाने के लिए इसे एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक गाय से उसके सम्पूर्ण जीवनकाल में सुपरओवूलेशन एवं ई॰टी॰टी॰ के द्वारा 50–60 बच्चे (बछड़े–बछियां) पैदा किए जा सकते हैं।

अधिक ऊन–बेहतर ऊन

भेड़ों की अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों का विकास किया गया है तथा गलीचा और वस्त्रों के लिए ऊन हेतु और आगे भेड़ों में सुधार लाया जा रहा है।

गोपशुओं में संकर प्रजनन

एक अधिक उत्पादन देने वाली गाय की नस्ल "फ्रीजवाल" का विकास किया गया है जो पहले ब्यान्त काल में 3000 लिटर दूध तथा परिपक्व ब्यांत काल में 4000 लिटर दूध देती है। देश में उच्च कोटि के वीर्य की कुल जरूरत को पूरा करने के लिए फ्रीजवाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस तरह 68 मिलियन टन दूध का एक रिकार्ड उत्पादन प्राप्त किया गया है।

अधिक उपार्जन के लिए वस्तुओं को अधिक मूल्यवान बनाना

- डाई तथा उच्च कोटि के सुगंधित पदार्थों के निर्माण के लिए लाख का इस्तेमाल किया जा रहा है।
- तरल गुड़ और गुड़ के पाउडर बनाने की प्रक्रिया का मानकीकरण किया गया है।
- छिड़काव द्वारा सुखाए गए इन्सटैन्ट केला मिल्क पाउडर का विकास किया गया है।

कृषि एवं कटाई के बाद की यांत्रिकी

- पशुचालित ड्रील हल।
- उच्च क्षमता वाला बहुफसली थ्रेसर।
- उन्नत किन्नो कटाई यंत्र और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाने वाला किन्नो ग्रेडर।
- दाल की छोटी मील।
- बैलों द्वारा खींचा जाने वाला मूंगफली रोपाई यंत्र।
- चावल के बाद गेहूं की रोपाई के लिए जीरो टिलेज सीड ड्रील।
- चावल रोपाई यंत्र।
- गन्ने का कटाई यंत्र।

मृदा और भूजल मानचित्रण

बेहतर भूमि संसाधन प्रबन्ध को प्रोत्साहित करने के लिए भूमि सर्वेक्षण एवं दूरवर्ती आंकड़ों के इस्तेमाल से सभी राज्यों के मृदा मानचित्र तैयार किए गए हैं। इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए मानचित्रों को आंगुलिक रूप प्रदान करने के काम में प्रगति जारी है। भूजल संसाधनों के विकास के लिए भूजल क्वालिटी मानचित्र का प्रकाशन किया गया है।

किसानों द्वारा कीटनाशक के छिड़काव उपकरणों का समुचित उपयोग

996. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री श्याम लाल बंशीवाल :
श्री विजय पटेल :
श्री छत्तर सिंह दरबार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फसलों पर अधिक मात्रा में कीटनाशक शेष रह जाते हैं जिससे यह पता चलता है कि कीटनाशकों का समुचित रूप से उपयोग नहीं हो रहा है और इसके परिणामस्वरूप जल दूषित हो जाता है तथा आम जनता को उपलब्ध कराये जा रहे खाद्यान्न संक्रमित हो जाते हैं इसके फलस्वरूप स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों के समुचित उपयोग के बारे में किसानों को जानकारी देने और छिड़काव करने वाले उपकरणों का मानक निर्धारित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कृषि क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए हानिकर कीटनाशकों/रसायनों के अत्यधिक प्रयोग को रोकने/प्रतिबंधित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) सिफारिश के अनुसार प्रयोग से कीटनाशियों के अवशिष्टों का स्वास्थ्य पर कोई हानि तथा पर्यावरण संबंधी कोई समस्या पैदा नहीं होती है। कीटनाशियों के सभी डिब्बों पर लेबल तथा पर्ची लगी होती है जिस पर कीटनाशी अधिनियम, 1968 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार प्रयोग किये जाने के लिए निर्देश दिये गये रहते हैं। प्रयोग के इन नियमों को कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अंतर्गत गठित पंजीकृत समिति ने अनुमोदित कर दिया है।

(ग) और (घ) खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत आने वाले भारतीय मानक ब्यूरो छिड़काव उपकरणों के लिए मानदण्डों को विनिर्दिष्ट करता है तथा उनका प्रकाशन करता है। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही किसानों की कृषि क्षेत्र के कीटनाशियों का प्रयोग के बारे में जानकारी देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही हैं।

(ङ) कृषि क्षेत्र में कीटनाशियों के प्रयोग की अधिकता को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने के लिए प्रस्ताव किया गया है :-

(1) 20 कीटनाशियों पर प्रतिबन्ध लगाना जिनमें ऐसे कीटनाशी भी जिनका प्रयोग लगातार हो रहा है।

(2) कीटनाशी अवशिष्ट की समस्या तथा स्वास्थ्य संबंधी हानियों से बचने के लिए 13 कीटनाशियों के प्रयोग को सीमित करना।

(3) समेकित कीट प्रबंध को बढ़ावा देना जिसमें सांस्कृतिक, यांत्रिक, जैविक नियंत्रण विधियों और किसानों के हितों के लिए आवश्यकता आधारित रसायनिक कीटनाशियों का प्रयोग किया जाना भी शामिल है।

(4) नीम आधारित कीटनाशियों तथा फार्मोनों सहित जैविक कीटनाशियों के प्रयोग का समर्थन करना।

(5) समेकित कीट प्रबंध प्रौद्योगिकी में किसानों तथा विस्तार कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।

(6) किसानों तथा विस्तार कर्मचारियों के लाभ के लिए विभिन्न फसलों पर समेकित कीट प्रबंध कार्यक्रमों का आयोजन करना।

[अनुवाद]

बीमा योजना

997. **श्री मुरलीधर जेना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समुद्री तटीय क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों के लिए तूफान, बाढ़, भूकम्प आदि की स्थिति में राहत देने हेतु अनिवार्य ग्रुप बीमा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह योजना उड़ीसा राज्य के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर लागू है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग) जी, नहीं। प्राकृतिक आपदाएं आने पर राहत तथा पुनर्वास उपायों के लिए एक आपदा राहत निधि बनाई गई है, जिसका औसत वार्षिक आबंटन 1260 करोड़ रुपये है। प्राकृतिक आपदाओं में मारे जाने वाले लोगों के परिवारों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता भी प्रधान मंत्री, राष्ट्रीय राहत कोष के अलावा, इसी निधि से दी जाती है। राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना के सामूहिक दुर्घटना बीमा घटक के अंतर्गत आठवीं योजनावधि के दौरान दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु तथा स्थायी/आंशिक विकलांगता के लिए 11.50 लाख सक्रिय मछुआरों का बीमा किया गया।

(घ) और (ङ) 1995-96 से 1999-2000 की अवधि के लिए उड़ीसा को आपदा राहत निधि से 258.01 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। इस राज्य में आठवीं योजनावधि के दौरान दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु एवं अपंगता के लिए एक लाख सक्रिय मछुआरों का बीमा किया गया है।

इन्ट्रा वीनस फ्लूड्स

998. **श्री मोहन रावले** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है इन्ट्रा वीनस फ्लूड्स पर स्टाकिस्टों द्वारा 100 प्रतिशत से भी अधिक मुनाफा वसूल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन्ट्रा वीनस फ्लूड्स को नियंत्रण मूल्य के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) से (ङ) सरकार को इन्ट्रा विनुएस फ्लूड्स पर बहुत अधिक मुनाफा होने के मुद्दे का ज्ञान है। सामान्यतः इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ इन्ट्रा विनुएस फ्लूड्स को मूल्य निर्धारण के अंतर्गत लाने पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय खाद्य निगम के द्वारा चावल का दुरूपयोग

999. श्री अमरपाल सिंह : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष भारतीय खाद्य निगम में 5500 मीट्रिक टन से अधिक चावल के दुरूपयोग का एक मामला सरकार की जानकारी में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मामले की जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने हाल में एक मामले का पता लगाया है जिसमें खाद्यान्नों की ढुलाई के लिए नियुक्त दो परिवहन ठेकेदार, नामतः मै. गौतम एसोसिएट, मोहाली और मै. याजेन अय्यर एंड कम्पनी, पिहोवा ने कैथल और पिहोवा से इम्फाल (मणिपुर) भेजने के लिए उठाए गए 4.25 करोड़ रुपये मूल्य के क्रमशः 4268 टन और 1543 टन चावल की सुपुर्दगी नहीं दी है।

(ग) से (ङ) प्रारम्भिक जांच के आधार पर भारतीय खाद्य निगम ने अपने एक जिला प्रबंधक और 6 सहायक प्रबंधकों को निलम्बित किया हुआ है। चूककर्ता ठेकेदारों के विरुद्ध खाद्यान्नों के दुर्विनियोजन के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से भारतीय खाद्य निगम ने यह मामला विस्तृत जांच करने और दुर्विनियोजित चावल का पता लगाने के लिए 14.7.1997 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया है।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर अवैध व्यापार

1000. प्रो॰ अजित कुमार मेहता : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बांग्लादेश के सीमावर्ती क्षेत्र में नमक, चीनी, चावल तथा कपड़ों के फलते-फूलते अवैध व्यापार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सीमा पर अवैध व्यापार का कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र में इन चोरी-छुपी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत-बंगलादेश सीमा क्षेत्रों में नमक, चीनी, चावल और कपड़ों जैसी वस्तुओं का अवैध व्यापार होता है।

(ख) और (ग) यद्यपि, बंगलादेश को तस्करी द्वारा ले जाए गए खाद्यान्नों की मात्रा के ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी भारत-बंगलादेश सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पकड़ी गई आवश्यक वस्तुओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

वस्तु	1995	1996	1997 (30 जून तक)
नमक (कि.ग्रा.	1245838	1699625	1126571
चीनी (कि.ग्रा.)	855447	1567774	867472
चावल (कि.ग्रा.)	2000548	783102	99503
कपड़ा (रुपये)	35129536/-	30524120/-	18956963/-

(घ) तस्करी की रोकथाम करने के लिए अनेकों उपाय किए गए हैं। सीमा चौकियों के बीच की दूरी कम करने, गश्त गहन करके उसमें वृद्धि करने, निगरानी बुर्जों का निर्माण करने, नाईट विजन डिवाईसिज का प्रयोग करने, सीमा सड़कों का निर्माण करने और संवेदनशील पट्टियों पर बाड़ लगाने जैसे उपायों समेत, अनेकों उपाय किए गए हैं।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

1001. श्री मधुकर सरपोतदार :

श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने प्रमुख धार्मिक समुदायों द्वारा सामना की जा रही सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा अन्य समस्याओं का पता लगाने और उनके हल के लिए उपाय सुझाने के लिए कोई व्यापक अध्ययन करने की शुरूआत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ गठित पैनल के सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए ऐसा ही अध्ययन करने की शुरूआत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय, अल्पसंख्यक आयोग द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति संबंधी आवश्यक ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय ने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से अलाभान्वित तथा विशेषकर गरीबी की रेखा से नीचे के प्रमुख धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है।

विवरण

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने दिनांक 6.5.97 को आयोजित अपनी बैठक में अनन्य रूप से देश के प्रमुख धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का नए सिरे से अध्ययन शुरू करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने का निर्णय लिया। तदनुसार धार्मिक अल्पसंख्यकों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक समस्याओं के संबंध में एक अध्ययन समिति गठित की गई है। इस समिति का गठन इस प्रकार है :-

संयोजक और अध्यक्ष

आदरणीय डा॰ हबाल जैम्स मैसी, सदस्य, एन॰सी॰एम॰

सदस्य

(1) श्री सोली जे॰ सोराब जी, विधिवेत्ता और वरिष्ठ विधिवक्ता, दिल्ली

(2) आदरणीय डा॰ डेनियल चेट्टी, निदेशक, चर्च रिलेशन्स एंड प्रोग्राम डिपार्टमेंट, सीनेट आफ सेरामपुर (विश्वविद्यालय) बंगलौर

(3) प्रोफेसर इकबाल अन्सारी, महासचिव, भारतीय अल्पसंख्यक परिषद, अलीगढ़

(4) डा॰ असगर अली इंजीनियर, निदेशक, इस्लामी अध्ययन संस्थान, मुम्बई

(5) प्रोफेसर आंग्ने लाल, वाईस-चान्सलर, आर एम एल अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश।

विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :-

(1) भारत के प्रमुख धार्मिक अल्पसंख्यकों द्वारा सामना की जा रही सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा अन्य समस्याओं की पहचान और अध्ययन, इन समस्याओं के कारणों का पता लगाना और उनके समाधान के लिए उपाय सुझाना।

(2) अल्पसंख्यकों के संबंध में प्रधान मंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम (1983) की भूमिका, उपयोगिता और प्रभाव का विशेष रूप से जांच करना तथा इसके अक्षरशः प्रभावी कार्यान्वयन के लिए साधनोपाय सुझाना,

(3) उन कारणों और बाधाओं की पहचान करना और उन पर प्रकाश डालना जिनके रहते केन्द्र तथा राज्य सरकारों की विशेष कल्याणकारी योजनाओं, वित्तीय नीतियों, निर्धारित सुविधाओं एवं योजना संबंधी कार्यनीतियों के परिणाम संबंधित पर्याप्त और संतोषजनक सामाजिक, आर्थिक उत्थान के रूप में अल्पसंख्यकों के सामने नहीं आ रहे और इन कारणों एवं बाधाओं को दूर करने के लिए उपाय सुझाना,

(4) संबंधित अल्पसंख्यकों को उनकी पसन्द के अनुरूप शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करने और उन्हें संवैधानिक रूप से गारंटी प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के संबंध में संबंधित अल्पसंख्यकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं की जांच करना और उनके समाधान के लिए उपाय बताना,

(5) संबंधित अल्पसंख्यकों के समग्र सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के लिए सामान्य तथा विशेष सिफारिशें करना और इसे प्राप्त करने के लिए अपेक्षित कानूनी एवं प्रशासनिक सुधारों के बारे में सुझाव देना।

स्वतंत्रता सेनानी

1002. **श्री सत्यपाल जैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या कितनी है जिनकी मृत्यु 15 अगस्त, 1972 के बाद हुई है और इन्हें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत नहीं हो सकी;

(ख) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जो मृत स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं के लिए परिवार पेंशन जारी करने के लिए 15 अगस्त, 1972 के बाद से लंबित हैं और परिवार पेंशन की कितनी राशि बकाया है तथा इनके मामलों को अंतिम रूप देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) मृत स्वतंत्रता सेनानियों के निकट संबंधी अर्थात् जीवित कानूनी वारिस के अनुपत्य परिवार पेंशन की बकाया को अभी स्वीकृत किए जाने और भुगतान हेतु कितने मामले हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(ख) और (ग) मृतक स्वतंत्रता सेनानी पेंशनरों के पात्र आश्रितों (विधवा/विधुर, अविवाहित/बेरोजगार पुत्रियों तथा माता/पिता) के नाम परिवार पेंशन का हस्तांतरण करने तथा बकाया राशि प्रदान करने की प्रक्रिया का 1.5.1992 से विकेन्द्रीकरण किया गया है। पेंशन संवितरण अधिकारियों (बैंक मैनेजरों, जिला कोषाधिकारियों, भुगतान एवं लेखा अधिकारियों) को अपने स्तर पर परिवार पेंशन उनके नाम हस्तांतरित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। ऐसे व्यक्तियों जो अभी भी परिवार

पेंशन के हस्तांतरण तथा बकाया राशि स्वीकार करने के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन करते हैं, को इस संबंध में पेंशन संवितरण अधिकारियों से तुरंत सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है।

दवाई की चोरी

1003. श्री भक्त चरण दास :
श्री बनवारी लाल पुरोहित :
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जून, 1997 के "हिन्दुस्तान" में "चोरी होने से ही नहीं मिल पाती रोगियों को दवाएं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राम मनोहर लोहिया अस्पताल के निकटवर्ती स्लम कालोनी से पुलिस द्वारा कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा रोगियों को दवाइयां उपलब्ध कराने की सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अस्पतालों के कार्यकरण को सुचारू बनाने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ) जी हां, श्रीमान्। दिल्ली पुलिस ने 18.6.97 को डा॰ राम मनोहर लोहिया अस्पताल के निकट एक झुग्गी से लगभग 15,000/- रु॰ अनुमानित कीमत की दवाएं पकड़ी थीं, संदेह है कि ये दवाएं, चुराई गई "अस्पताल आपूर्ति दवाएं" थी। थाना मंदिर मार्ग में एक मामला दर्ज किया गया था और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था।

(च) मरीजों को औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों द्वारा सभी प्रयास किए जाते हैं।

राजसहायता की बहाली

1004. श्री सुखबीर सिंह बादल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स से प्राप्त अमोनियम क्लोराइड उर्वरक पर राजसहायता को बहाल करने संबंधी प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) से (ग) अमोनिया क्लोराइड का पुनः मूल्य नियंत्रण तथा प्रतिधारण मूल्य-सह-राजसहायता स्कीम के तहत लाने के अनुरोध पर विचार किया गया था। इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका।

भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाना

1005. कर्नल सोनाराम चौधरी :
श्री निहाल चन्द चौहान :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-पाक सीमा पर सीमा तार बाड़ लगाने का कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल कितने भू-क्षेत्र पर बाड़ लगाई गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन किसानों को मुआवजा अथवा भूमि देने का है जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किया जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) नदी तटीय/निचले इलाके होने के कारण छोड़ दिए गए कुछ हिस्सों को छोड़कर पंजाब की पूरी सीमा पर बाड़ लगा दी गई है। 1035 कि.मी. लम्बी राजस्थान सीमा में से 720 कि.मी. पर बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया गया है और जैसलमेर सैक्टर में 312.6 कि.मी. सीमा पर काम शुरू किया जा चुका है और इसे दिसम्बर, 1999 तक तीन चरणों में पूरा कर लिया जाएगा। गुजरात के रन क्षेत्र में खाई और बांध बनाने तथा ऐसे भूक्षेत्र के लिए उपयुक्त संशोधित किस्म की बाड़बंदी हेतु व्यवहार्यता अध्ययन भी कराये जा रहे हैं। जम्मू सैक्टर में 180 कि.मी. में सीमा पर बाड़ लगाने का काम पुनः शुरू करने पर भी सरकार सक्रियतापूर्वक विचार कर रही है।

(ग) और (घ) जिन किसानों की भूमि का उपयोग भारत-पाक सीमा पर बाड़ लगाने के लिए किया गया है उन्हें संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से मुआवजा अदा किया जाता है जिनकी प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार करती है।

दिल्ली में बम विस्फोट

1006. श्री रामबहादुर सिंह : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में अनेक बम विस्फोट हुए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनमें कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) इन विस्फोटों के कारण सार्वजनिक और निजी संपत्ति की अनुमानतः कितनी हानि हुई;

(घ) इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं; और

(ङ) सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ) वर्ष 1997 के दौरान (14.7.97 तक) दिल्ली में 10 बम विस्फोट होने की सूचना है जिनमें एक व्यक्ति मारा गया था और 55 घायल हुए थे। इन विस्फोटों में दो बसें तथा एक जीप क्षतिग्रस्त हो गई थी। तथापि, इन मामलों में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है।

कृभको का इक्विटी शेयर

1007. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में कृभको के इक्विटी शेयर तथा आरक्षित पूंजी की क्या स्थिति है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कृभको द्वारा कितना आयकर दिया गया;

(ग) आज की तारीख में किन-किन परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है तथा इसमें कुल कितना निवेश किया गया;

(घ) क्या कृभको ने रूस तथा अमरीका के उर्वरक एककों को अधिग्रहण करने संबंधी अपनी योजना को त्याग दिया है तथा हजीरा में नाइट्रो-फास्फेट तथा केन परियोजना के प्रस्ताव को त्याग दिया है; और

(ङ) इस प्रकार जिन परियोजनाओं को त्याग दिया गया है उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) 31.3.1997 की स्थिति के अनुसार कृभको में भारत सरकार की साम्य शेयर पूंजी 328 करोड़ रु॰ थी। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व पूंजी की अवधारणा कृभको पर लागू नहीं है क्योंकि बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के अधीन यह एक सहकारी समिति है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कृभको द्वारा भुगतान किए गये आयकर के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष	(रु॰ करोड़ में)
1994-95	93.86
1995-96	85.83
1996-97	99.22

(ग) इस समय, देश में कृभको की कोई परियोजना कार्यान्वयनाधीन नहीं है तथापि 1270 करोड़ रु॰ की अनुमानित लागत पर गोरखपुर में एफसीआई के विद्यमान स्थल पर एक नया अमोनिया यूरिया संयंत्र तथा 1044 करोड़ रु॰ की अनुमानित पूंजी लागत पर गुजरात हजीरा में एक तीसरा अमोनिया यूरिया स्ट्रीम स्थापित करने का प्रस्ताव निर्धारित मंजूरी प्रक्रिया के अंतर्गत निवेश मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(घ) जो, हां।

(ङ) (1) कृभको ने नाइट्रोफास्फेट परियोजना की पूर्व परियोजना क्रियाकलापों पर लगभग 72 लाख रु॰ का कुल व्यय किया।

(2) यूएसए/रूस में फास्फेटिक उर्वरक निर्माण सुविधाओं को प्राप्त करने के संबंध में पूर्व परियोजना क्रियाकलापों पर लगभग 2.57 करोड़ रु॰ का कुल व्यय किया गया था।

केरल में आई-एस-आई॰ गतिविधियां

1008. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल के मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए इस वक्तव्य पर ध्यान दिया कि आई॰एस॰आई॰ राज्य के कतिपय हिस्सों में तोड़-फोड़ संबंधी कार्य में शामिल हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गई है;

(ग) क्या इस मुद्दे पर केरल सरकार की ओर से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) आई॰एस॰आई॰ की गतिविधियों के संबंध में केरल के मुख्यमंत्री द्वारा विधान सभा में दिए गए वक्तव्य की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है। यह भी कहा गया है कि राज्य आसूचना प्राधिकारियों ने विध्वंसकारी और उग्रवादी/कट्टरपंथी संगठनों के संबंध में अपनी कवरेज बढ़ा दी है।

(ग) और (घ) इस संबंध में राज्य सरकार से अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए सुरक्षा

1009. श्री ह्याराधन राय :

श्री ए॰ सम्पथ :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "दिल्ली के पुलिस आयुक्त के" इस वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति

अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के मार्ग में आ जाता है तो सुरक्षा पुलिसकर्मी उस व्यक्ति को गोली भी मार सकते हैं क्योंकि उस वक्त मार्ग पर आवाजाही रोक दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के सुरक्षा नियमों में देश के नागरिकों के मूल अधिकारों के अतिक्रमण का प्रावधान है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ग) पुलिस आयुक्त (दिल्ली) का वक्तव्य सरकार के ध्यान में आया है। यदि सुरक्षा पुलिसकर्मी, रास्ते में अति विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा को कोई खतरा भांपते हैं तो उनसे अति विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय करने की अपेक्षा होती है। अतिविशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा के साथ कोई समझौता न करते हुए अतिविशिष्ट व्यक्ति के आवागमन के कारण आम जनता को किसी अवांछित असुविधा से बचाने के लिए हर प्रयास किया जाता है। इस दिशा में कुछ नवीन उपाय भी किए गए हैं और दिल्ली पुलिस/राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

आईसक्रीम के पैकटों पर मुद्रित मूल्य

1010. श्रीमती केतकी देवी सिंह : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आईसक्रीम विनिर्माता मुद्रित मूल्य से अधिक मूल्य पर आईसक्रीम की बिक्री कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन आईसक्रीम विनिर्माताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार ने सभी आईसक्रीम विनिर्माताओं को अनिवार्य रूप से आईसक्रीम के पैकटों पर उनका निर्धारित मूल्य अंकित करने का निर्देश जारी किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपरोक्त निर्देश कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) खुदरा विक्रेताओं द्वारा अधिक मूल्य लेने के कुछ मामले प्रवर्तन प्राधिकारियों के ध्यान में आए हैं और बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

(ग) और (घ) बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 में हाल में संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार सभी आइसक्रीम विनिर्माताओं के लिए आइसक्रीम पैकेजों पर खुदरा विक्रय मूल्य छापना अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधन की प्रतियां अखिल भारतीय आइसक्रीम विनिर्माता एसोसिएशन, नई दिल्ली तथा अन्यों को उनकी सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई है।

(ङ) उक्त संशोधन 1.5.97 से लागू हो गया है और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सभी प्रवर्तन प्राधिकारियों से इसे लागू करने के लिए कहा गया है।

वन संबंधी अनुमति

1011. श्री पुन्नू लाल मोहले : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले के लोरमी विकास खंड की वन भूमि पर भारत सागर बांध का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या वन विभाग ने इस संबंध में अपनी अनुमति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : (क) जी, हां। बिलासपुर जिले में भारत सागर सिंचाई परियोजना के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 25.00 हैक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने का एक प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रस्ताव पर कार्रवाई करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार से दिनांक 24.6.1994 को अनुरोध किया गया था कि प्रस्ताव के संबंध में कतिपय आवश्यक ब्यौरे भेज दें। राज्य सरकार से पूर्ण ब्यौरे प्राप्त न होने के कारण प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठता।

कृषि लागत और मूल्य आयोग की भूमिका

1012. श्री राम कृपाल यादव : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारण के संबंध में कृषि लागत और मूल्य आयोग की क्या भूमिका है;

(ख) क्या आयोग ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है;

(ग) क्या सरकार आयोग की सिफारिशों को अनदेखा कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) कृषि लागत व मूल्य आयोग की भूमिका सतत् आधार पर कृषि मूल्य नीति के संबंध में सरकार को सिफारिशें देना है। आयोग से उत्पादकों तथा उपभोक्ता के हितों पर उचित ध्यान देते हुये तथा अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकता की पूर्ति के लिये संतुलित तथा समेकित मूल्य तंत्र विकसित करने की अपेक्षा की जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कृषि लागत व मूल्य आयोग की सिफारिशें, कृषि मूल्य नीति के निरूपण के लिये आधार के रूप में काम करती हैं तथा इनको सामान्यतः स्वीकार कर लिया जाता है। फिर भी, सरकार रिपोर्ट की प्रस्तुति के पश्चात आने वाले बदलाव को ध्यान में रखते हुये कृषि लागत व मूल्य आयोग की सिफारिशों में कभी-कभी सुधार करती है।

(ङ) कृषि उत्पादों के लिये सरकार की मूल्य नीति का मुख्य उद्देश्य उच्चतर निवेश उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिये लाभकारी मूल्य दिलाना सुनिश्चित करना तथा उचित मूल्यों पर आपूर्ति सुनिश्चित करके उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना है। सरकार प्रत्येक मौसम में 24 प्रमुख कृषि जिंसों के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है और राज्य सरकारों द्वारा नामित अन्य एजेंसियों के अलावा भारतीय खाद्य निगम, भारतीय पटसन निगम, भारतीय कपास निगम, राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ तथा तम्बाकू बोर्ड जैसी सार्वजनिक तथा सहकारी एजेंसियों के माध्यम से खरीद संबंधी क्रियाकलापों की व्यवस्था करती है।

[अनुवाद]

भेंट की गई पीली दाल

1013. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई विदेशी देशों ने गरीब लोगों के लिए विश्व खाद्य योजना के अंतर्गत भारत को पीली दाल भेंट की है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में भेंट स्वीकार की गई तथा उन देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त भेंट की गई दाल बाजारों में खुले आम बेची जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके तथ्य तथा परिणाम क्या रहे; और

(ङ) सरकार द्वारा इन दोषी अफसरों के खिलाफ क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व खाद्य कार्यक्रम के अधीन विभिन्न देशों द्वारा भेंट की गई पीली मटर दाल का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(मात्रा टन में)

वर्ष	आस्ट्रेलिया	कनाडा	डेनमार्क
1994-95	731.00	123.53	3880.00
1995-96	1763.00	-	6345.30
1996-97	-	-	1840.00

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि, समझौते के अनुसार, 1996 के दौरान विश्व खाद्य कार्यक्रम ने नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन आफ इंडिया लि॰ (नेफेड), नई दिल्ली के माध्यम से (100 टन पीली मटर दाल का मुद्रीकरण (मोनेटाइज्ड) किया था। नेफेड द्वारा सीधे 130.88 लाख रुपये की राशि भारतीय खाद्य निगम को जमा कराई गई थी जिसके प्रति भारतीय खाद्य निगम ने मध्य प्रदेश में लक्षित गरीबों के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के अधीन सहायता प्राप्त परियोजना को 1835.575 टन चावल रिलीज किया था।

(ङ) उपर्युक्त (ग) और (घ) की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक विपणन सहकारी समितियां

1014. डा॰ कृपासिन्धु भोई : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितनी प्राथमिक विपणन सहकारी समितियां है;

(ख) इन समितियों को सुदृढ़ करने और इनके प्रभावी कार्यकरण हेतु केन्द्र स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) 31.3.95 की स्थिति के अनुसार, देश में 8805 प्राथमिक विपणन सहकारी समितियां हैं। इनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन॰सी॰डी॰सी॰) के माध्यम से प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों के शेयर पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	समितियों की सं॰
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	100
2.	असम	57

1	2	3
3.	बिहार	475
4.	गोवा	8
5.	गुजरात	2,325
6.	हरियाणा	78
7.	हिमाचल प्रदेश	78
8.	कर्नाटक	644
9.	केरल	619
10.	मध्य प्रदेश	2,159
11.	महाराष्ट्र	1,035
12.	मणिपुर	19
13.	मेघालय	26
14.	नागालैंड	19
15.	उड़ीसा	2
16.	पंजाब	98
17.	राजस्थान	181
18.	सिक्किम	3
19.	तमिलनाडु	221
20.	त्रिपुरा	14
21.	उत्तर प्रदेश	320
22.	पश्चिम बंगाल	280
23.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	32
24.	अरूणाचल प्रदेश	3
25.	दिल्ली	6
26.	मिजोरम	3
	कुल	8,805

स्रोत : नाबार्ड

कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु मानदण्ड

1015. डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए स्थानों का चयन किस आधार पर किया जाता है;

(ख) क्या स्थानों का चयन करते समय स्थानीय संसद सदस्यों की राय पर विचार नहीं किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए स्थान का निर्णय करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों में ये शामिल हैं :- जहां तक संभव हो जिलों के मध्य भाग में स्थित एक साथ 50 एकड़ आदर्श कृषि योग्य भूमि उपलब्ध होना, मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध होना, मेजबान संस्थान से पर्याप्त तकनीकी समर्थन तथा निधिकरण पैटर्न को स्वीकार करना।

(ख) और (ग) विभिन्न संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों जिनमें माननीय संसद सदस्यों द्वारा अनुशासित प्रस्ताव शामिल हैं, के आधार पर कृषि विज्ञान केन्द्रों के स्थान के चयन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक विशेषज्ञ दल का गठन करता है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय की विस्तार शिक्षा से संबंधित निदेशक, राज्य के कृषि विभाग का एक प्रतिनिधि एवं उस क्षेत्र का क्षेत्रीय समन्वयक सदस्यों के रूप में शामिल होते हैं। परिषद के मुख्यालय से एक वरिष्ठ अधिकारी इस दल के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता है। दल के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर परिषद कृषि विज्ञान केन्द्र के लिए स्थान की उपयुक्तता के बारे में अंतिम निर्णय लेती है।

रिफैम्पीसिन के आयात संबंधी नीति

1016. डा॰ बलिराम : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिफैम्पीसिन/रिफास की आयात नीति के संबंध में इस मंत्रालय के सचिव द्वारा बुलाई गई बैठक में "कनवर्टर्स" ने मंत्रालय के समर्थन से बुनियादी उत्पादकों द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक मूल्य के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में कनवर्टर्स द्वारा उठाए गए प्रश्नों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो मामले की जांच करने और इस संबंध में जिम्मेदारी तय करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या इस प्रक्रिया में निर्धन क्षय रोगियों से करोड़ों रुपयों की वसूली की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) से (ग) कन्वर्टर्स द्वारा बैठक में उठाया गया मुद्दा यह था कि यदि वे रिफैम्पीसिन में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी रूप में निर्मित रिफा-एस, माध्यवर्ती खरीदते हैं, तो वे स्वदेशी निर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। अधिक कीमत वसूली के संबंध में कोई चिन्ता बैठक में प्रकट नहीं की गई।

(घ) रिफैम्पीसिन के संबंध में टी.बी. रोगियों से अधिक कीमत वसूल करने की कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आतंकवाद अधिनियम को सुदृढ़ करना

1017. श्री प्रमोद महाजन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आतंकवाद और विध्वंसकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1987 में खामियों से उत्पन्न स्थिति को रोकने और आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए विधान लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार आतंकवाद की समस्या से किस तरह से निपटने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) पूर्व "आतंकवादी एवं विध्वसंकारी क्रियाकलाप अधिनियम, 1987" जिसकी संवैधानिकता माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वैध ठहरायी गई थी, को मई, 1995 में व्यपगत हो जाने दिया गया था, क्योंकि आलोचना की गई थी कि इसके कुछ प्रावधानों का कथित रूप से दुरूपयोग किया गया है। विभिन्न राज्य सरकारों तथा राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ विस्तृत बातचीत के उपरान्त टाडा के व्यपगत होने से उत्पन्न हुए शून्य को भरने के लिए, मई, 1995 में राज्य सभा में दण्डित विधि संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था और यह विधेयक सदन में लंबित है। इस विधेयक का उद्देश्य मौटेतौर पर मानवाधिकार के सराकारों तथा आतंकवाद की रोकथाम की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने का है। संसद द्वारा विचारण हेतु प्रस्तुत किए जाने से पहले सरकार उक्त विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर व्यापक परामर्श करना चाहेगी। आतंकवाद अपराधों से निपटने के लिए किसी विशिष्ट कानून के अभाव में भारतीय दण्ड संहिता के संगत उपबंधों का प्रयोग किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बिहार में सूरजमुखी की खेती

1018. श्री महाबीर लाल विश्वकर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण बिहार के हजारीबाग, पलामू और चतरा जिलों में सूरजमुखी की खेती करने की कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन क्षेत्रों में कृषि का विकास करने के लिए सरकार द्वारा अब तक अन्य किस कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अब इन क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिए कितनी राशि खर्च की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में कृषि में पिछड़ेपन की स्थिति को देखते हुए इन्हें कोई विशेष सुविधा प्रदान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) दक्षिण बिहार के हजारीबाग, पलामू और चतरा जिलों में सूरजमुखी की खेती के लिए किसी विशेष योजना के निरूपण का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, एक केन्द्रीय प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ॰पी॰पी॰) जिसमें मूंगफली, सूरजमुखी, रामतिल, कुसुम सोयाबीन, तिल, अरन्डी और अलसी को कवर किया गया है, हजारीबाग तथा पलामू सहित बिहार के 25 चुनिन्दा जिलों में चलाया जा रहा है।

(ग) चलाई जा रही अन्य कृषि विकास योजनाएं इस प्रकार हैं—तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ॰पी॰पी॰) जिसमें हजारीबाग और पलामू में सोयाबीन शामिल है, पलामू में चावल आधारित फसल प्रणाली में समेकित अनाज विकास कार्यक्रम हजारीबाग और पलामू में त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम, हजारीबाग और पलामू में गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत् विकास शामिल है।

(घ) कार्यान्वित की जा रही कृषि विकास योजनाओं संबंधी व्यय का जिला-वार ब्यौरा संकलित नहीं किया जाता, अपितु इसका संकलन राज्य स्तर पर किया जाता है।

(ङ) और (च) बिहार में हजारीबाग पलामू और चतरा जिलों के लिए कोई विशेष सुविधा देने का प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें

1019. श्री अशोक प्रधान : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष कुल कितने गन्ने का उत्पादन हुआ;

(ख) विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में चीनी की कितनी मिलें हैं;

(ग) क्या कार्यरत चीनी मिलों की संख्या प्रदेश के कुल चीनी उत्पादन के अनुरूप है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार राज्य में चीनी मिलें स्थापित करने के लिए और अधिक लाइसेंस जारी करने का है;

(ङ) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस संबंध में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों (अक्टूबर-सितम्बर) के दौरान समस्त उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्पादित गन्ने

की कुल मात्रा :-

क्रम सं॰	चीनी वर्ष	पूरे उ॰प्र॰ में उत्पादित कुल गन्ना (लाख टन में)	पश्चिमी उ॰प्र॰ में उत्पादित कुल गन्ना (लाख टन में)
1.	1993-94	1099.93	419.16
2.	1994-95	1228.39	436.54
3.	1995-96	1437.12	473.42

(ख) 30.8.1997 तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 27 संस्थापित चीनी मिलें थी। इनमें से 7 सार्वजनिक क्षेत्र में तथा 14 निजी क्षेत्र में हैं।

(ग) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा गन्ने की खरीद का प्रतिशत 27.9 से 41.9 के बीच था। इसके अतिरिक्त 10 से 12 प्रतिशत गन्ने का उपयोग बीज तथा चूसने के लिए किया जाता है। गन्ने की अधिशेष उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने पहले ही नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए 48 आशय पत्र तथा विद्यमान इकाईयों में विस्तार के लिए 90 आशय पत्र जारी किए हैं।

(च) और (छ) 30.6.1997 तक नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश से प्राप्त 73 प्रस्ताव विचारार्थ लंबित थे। औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग द्वारा इन मामलों की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

हिसार स्थित सेंटर स्टेट फार्म के विरुद्ध शिकायतें

1020. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हरियाणा के हिसार स्थित सेंटर स्टेट फार्म के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस फार्म में नकली बीजों की आपूर्ति किए जाने के मामलों का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) से (च) सरकार को जिला कृषि श्रमिक संघ, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार से हाल ही में एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें कुछ कर्मचारियों द्वारा भारतीय राज्य फार्म निगम का ट्रेड मार्क लगाकर गलत बीज की बिक्री करने का आरोप है। शिकायत इस फार्म में गलत बीज की आपूर्ति के संबंध में नहीं है। सरकार ने इस मामले की जांच कराने का निर्णय लिया है।

बिहार में कृषि विस्तार योजना का कार्य निष्पादन

1021. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कृषि विस्तार योजना शुरू करने के लिए राज्य सरकारों से कोई अनुरोध/सुझाव/शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना अवधि के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत शामिल किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कृषि विस्तार योजनाओं का प्रतिपादन एवं क्रियान्वयन करते समय राज्य सरकारों से समय-समय पर प्राप्त अनुरोध/सुझावों को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) विस्तार योजनाओं का ब्यौरा एवं उनका राज्यवार कवरेज संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आठवीं योजना के दौरान विस्तार योजनाएं एवं उनकी राज्यवार कवरेज

क्र.सं.	योजना का नाम	शामिल किए गए राज्य	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना (एन ए ई पी-I)	मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान	परियोजना मार्च, 1993 में बंद हुई
2.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना (एन ए ई पी-II)	गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, जम्मू व कश्मीर	परियोजना मार्च, 1993 में बंद हुई
3.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना (एन ए ई पी-III)	असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब	परियोजना मार्च, 1995 में बंद हुई

	2	3	4
-	कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना	हिमाचल प्रदेश, (5) जम्मू व कश्मीर (2), पंजाब (3), हरियाणा (3), दिल्ली (1), पश्चिम बंगाल (2), बिहार (7), असम (3), मिजोरम (1), उत्तर प्रदेश (5), आन्ध्र प्रदेश (3), महाराष्ट्र (11), गुजरात (2), राजस्थान (3), मध्य प्रदेश (7), उड़ीसा (3) कर्नाटक (5), केरल (3), लक्षद्वीप (1), तमिलनाडु (9), पाण्डिचेरी (1)	आठवीं योजना के दौरान कुल 78 कृ-वि-के- स्थापित
5.	विस्तार में गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) की भागीदारी	आन्ध्र प्रदेश (2), बिहार (2), पश्चिम बंगाल (2), उत्तर प्रदेश (2), मध्य प्रदेश, (2), कर्नाटक (2), मणिपुर (1) और त्रिपुरा (1)	योजना में पाइलट आधार पर कुल 14 एन जी ओ भागीदार।
७.	कृषि में महिलाएं	पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल	योजना पाइलट आधार पर क्रियान्वित की जा रही है। (प्रति राज्य एक जिला)
-	कृषि जलवायु क्षेत्र आधार पर किसान वैज्ञानिक अंतर्क्रिया योजना	आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल	योजना 17 राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है।

आदिवासी स्वतन्त्रता सेनानी

1022. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश 1997-98 के दौरान स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ मना रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार स्वतन्त्रता की इस पचासवीं वर्षगांठ मनाने के दौरान आदिवासी स्वतन्त्रता सेनानियों के योगदान को उजागर करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उपभोक्ता न्यायालयों को सहायता

1023. श्री के-सी- कोंडय्या : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार उपभोक्ता न्यायालयों को उपभोक्ता कल्याण कोष से वर्षवार कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) 1996-97 के दौरान उपर्युक्त धनराशि में से कर्नाटक को कितनी राशि दी गई;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों को दी गई धनराशि का राज्यों द्वारा पूर्ण उपयोग कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दोषी संगठनों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) उपभोक्ता कल्याण कोष नियमावली में उपभोक्ता न्यायालयों को सहायता देने के लिए प्रावधान नहीं है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गिर के वन

1024. श्री छीतुभाई गामीत :
श्री लक्ष्मण सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में गिर के वनों में शेरों की संख्या कितनी है;

(ख) गत दस वर्षों के दौरान शहरों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने इन शेरों की सन्तति में वृद्धि करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इनमें से कुछ शेरों को मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के पुलपुरकोनों अभयारण्य में स्थानान्तरित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) गुजरात सरकार द्वारा मई, 1995 में की गई अंतिम गणना के अनुसार गिर वनों तथा आस-पास के क्षेत्रों में 304 शेर हैं।

(ख) शेरों की संख्या 1985 में 239 थी जो 1995 में बढ़कर 304 हो गई।

(ग) और (घ) गिर वन का 1412.12 वर्ग कि.मी. क्षेत्र, जो शेरों का वासस्थल है, को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत एक सुरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। एशियाई शेर के शिकार और इसके वाणिज्यिक दोहन से इसे पूरी सुरक्षा दी गई है। वासस्थल सुरक्षा और वासस्थल सुधार, जल संरक्षण, वन्यजीवों के स्वास्थ्य की निगरानी आदि जैसी प्रबंधन गतिविधियां भी शुरू की जाती हैं। स्वस्थाने परिस्थिति में, शेरों के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होने पर इनका प्रजनन होता है। कोई कृत्रिम प्रजनन कार्यक्रम आवश्यक नहीं हैं इन उपायों के फलस्वरूप, एशियाई शेरों की आबादी में 1968 में 177 से बढ़ोतरी होकर 1995 में 304 हो गई।

(ङ) और (च) जी, हां। व्यापक वैज्ञानिक अन्वेषण के पश्चात मध्य प्रदेश में कुनो-पालपुर अभयारण्य को एशियाई शेरों की द्वितीय फ्री-रेंजिंग संख्या स्थापित करने के लिए चयन किया गया था। इस परियोजना को 8-10 वर्षों में कार्यान्वित किया जायेगा। इस समय पहले चरण में प्राथमिक वासस्थल और शिकार आधार विकास और पारि-विकास कार्यों को शुरू किया जा रहा है और शेरों की वास्तविक शिफ्टिंग द्वितीय चरण में की जायेगी जो सन 2000 के आसपास शुरू होगा।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल की खुली बिक्री

1025. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मिल मालिकों और छोटे व्यापारियों को खुली बिक्री योजना के अंतर्गत बेचे गए गेहूं और चावल की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़ी मात्रा में खरीद करने वाले मिल-मालिकों के कारण छोटे व्यापारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सके;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि छोटे व्यापारी भी इस योजना का लाभ उठा सकें, सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) भारतीय खाद्य निगम से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

लापरवाही के शिकार व्यक्तियों के लिए न्याय

1026. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जून, 1997 के "द टाइम्स आफ इण्डिया" में "नो जस्टिस फार विक्टिम्स आफ नेग्लीजेंस" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित विधिक रिपोर्ट में दिए गए समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह दर्शाया गया है कि घोर लापरवाही के लिए दोषी व्यक्ति को दण्डित करने के लिए कानून में अपर्याप्तता की स्थिति है, इस प्रक्रिया में विलम्ब के कानून में प्रक्रिया प्रभावित होती है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार कानून और प्रक्रिया का संशोधन करने और कानून के संविधानिक सिद्धान्त विकसित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-क में लापरवाही बरतने के कारण मृत्यु हो जाने पर दण्ड का प्रावधान है। इस समय, इस कानून में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि मौजूदा दण्ड प्रावधान पूर्णतया पर्याप्त हैं।

प्रदूषण नियंत्रण उपाय

1027. श्री केशव महन्त : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नामरूप स्थित एच॰एफ॰सी॰ के उर्वरक संयंत्र द्वारा वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि उर्वरक संयंत्रों द्वारा वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उर्वरक संयंत्रों द्वारा वायु और जल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि॰ (एच एफ सी) के नामरूप-I, II तथा III एककों द्वारा वायु तथा जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :-

(1) नामरूप-I एकक के सल्फयूरिक एसिड संयंत्र का डबल कन्वर्जन डबल एब्जार्पशन (डी॰सी॰डी॰ए॰) सिस्टम में परिवर्तन।

(2) नामरूप-III एकक में लिक्विड एफलुएन्ट वाले हेक्सावेलेन्ट क्रोमियम के ट्रीटमेंट के लिये सुविधा की स्थापना करना ताकि क्रोमेट मूल तत्व स्तर को अनुमेय सीमा के भीतर रखा जा सके।

(3) नामरूप-II संयंत्र के गैस प्योरिफिकेशन सेक्शन से आरसेनिक वाले एफलुएन्ट की रिसाइक्लिंग।

(ख) से (घ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने संबंधित राज्यों में औद्यागिक एककों द्वारा छोड़े गए निस्रोवों की गुणवत्ता का प्रबोधन करते हैं और निर्धारित प्रदूषण नियंत्रण मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हैं। जहां तक उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उर्वरक एककों का संबंध है, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि॰ तथा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि॰ के संयंत्रों के प्रदूषण नियंत्रण उपायों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की स्कीमों को कार्यान्वित किया गया है। पारादीप फास्फेट्स लि॰ में अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण उपायों का अध्ययन राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया है और इसकी सिफारिशों का मूल्यांकन किया गया है।

सुपर बाजार द्वारा हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड को क्रयादेश न दिया जाना

1028. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार, एन॰सी॰सी॰एफ॰ और केन्द्रीय भंडार सरकारी विभागों के लिए अपेक्षित कागज की आपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड को कोई क्रयादेश नहीं दे रहे हैं बल्कि इसे अन्य विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं से खरीद रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) सुपर बाजार, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और केन्द्रीय भंडार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार उन्हें विभिन्न सरकारी विभागों से छोटे परिमाण में कागज की सप्लाई के लिए आपूर्ति आदेश प्राप्त होते हैं जबकि मैसर्स हिन्दुस्तान पेपर-कार्पोरेशन लिमिटेड एक समय में रेलगाड़ी का एक डिब्बा या 25 मी.टन कागज थोक में आपूर्ति करने पर बल देता है। हिन्दुस्तान पेपर-कार्पोरेशन लिमिटेड अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रोफॉर्मा-बीजक के प्रति शत-प्रतिशत अग्रिम भुगतान की भी मांग करता है। यदि हिन्दुस्तान पेपर-कार्पोरेशन लिमिटेड अपने आपूर्ति संबंधी मानदण्डों में ढील देता है तो सुपर बाजार, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और केन्द्रीय भंडार द्वारा हिन्दुस्तान पेपर-कार्पोरेशन लिमिटेड से अपेक्षित परिमाण में कागज की खरीद शुरू कर दी जाएगी।

गेहूं की खरीद मूल्य

1029. श्री शरत पटनायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गेहूं के खरीद मूल्य में वृद्धि करने का है; और

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस संबंध में अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशें राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों पर ध्यान देते हुए तथा उन सुसंगत तथ्यों पर विचार करते हुए जो सरकार की राय में न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण में प्रमुख भूमिका अदा कर सकते हैं, सरकार ने 1996-97 फसल के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है जिसे 1997-98 मौसम में 415 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बेचा जायेगा जबकि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने 405 रुपये प्रति क्विंटल के ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश की थी। 1997-98 के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले मौसम में निर्धारित मूल्य से 35 रुपये अधिक है। सरकार पंजाब और हरियाणा सरकार से पहले निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करने के लिए आये अनुरोध पर विचार करते हुए 1.4.1997 से 30.6.1997 तक केन्द्रीय पूल में 60 प्रति क्विंटल का केन्द्रीय बोनस दे रही है। इस प्रकार बोनस सहित न्यूनतम मूल्य में 95 प्रति क्विंटल की बढ़त हो रही है।

[हिन्दी]

बंद पड़ी चीनी मिलें

1030. श्री निहाल चंद चौहान : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में राज्यवार कितनी चीनी मिलें बंद पड़ी हैं;

(ख) उन्हें बंद किए जाने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन बंद पड़ी चीनी मिलों का पुनरुद्धार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) 30.6.1997 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1996-97 मौसम के दौरान बन्द रही चीनी फैक्ट्रियों की राज्यवार संख्या दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (ङ) चीनी फैक्ट्रियां कई कारणों से बन्द हो सकती हैं, जैसे : गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता, प्लांट तथा मशीनरी का आकार आयु तथा स्थिति, तकनीकी तथा प्रबंध संबंधी सक्षमता, अत्यधिक गन्ना मूल्य जो बिक्री से प्राप्त राशि के अनुरूप नहीं हो तथा अन्य कई कारण। चीनी मिलों को स्वयं ही पुनः आरम्भ करने/पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण की योजनाएं तैयार करनी होती है तथा उन्हें वित्तीय संस्थानों से स्वीकृत कराना होता है। इस प्रकार की पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए रियायती ब्याज दर पर चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है, बशर्ते वे निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हों।

विवरण

30.6.1997 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1996-97 मौसम के दौरान बंद रही चीनी फैक्ट्रियों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य	फैक्ट्रियों की संख्या
1.	पंजाब	2
2.	उत्तर प्रदेश	2
3.	मध्य प्रदेश	2
4.	गुजरात	3
5.	महाराष्ट्र	12
6.	बिहार	11
7.	असम	1
8.	आंध्र प्रदेश	5
9.	कर्नाटक	4
10.	तमिलनाडु	1
11.	केरल	2
12.	उड़ीसा	1
13.	नागालैंड	1
		47

सीमा सुरक्षा बल में मारे गए जवान

1031. **श्री बृज भूषण तिवारी :**

श्री हरिवंश सहाय :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों विशेषरूप से मणिपुर में उग्रवादियों द्वारा सीमा सुरक्षा बल के कितने जवान मारे गए;

(ख) सीमा सुरक्षा बल के जवानों की हत्या रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) मई, 1997 के तीसरे सप्ताह में मणिपुर में सीमा सुरक्षा बल के कितने जवान मारे गए; और

(घ) सीमा सुरक्षा बल के मारे गए जवानों के आश्रितों तथा उनके परिवार के सदस्यों को रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) मणिपुर में 2 समेत, पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्ष 1994, 1995 और 1996 के दौरान सीमा सुरक्षा बल के कुल 24 कार्मिक मारे गए। वर्ष 1997 (23 जुलाई तक) के दौरान उग्रवादियों द्वारा सीमा सुरक्षा बल के 11 कार्मिकों (सभी मणिपुर में) की हत्या की गई।

(ख) सीमा सुरक्षा बल के जवानों की हत्याओं को रोकने के लिए किए गए उपायों में, अन्य के साथ साथ, मानक प्रचालन प्रक्रिया को दोहराना, कमांडरों द्वारा सभी स्तरों पर ब्रीफिंग करना, विस्फोटक विशेषज्ञों द्वारा सुरंगों और तुरत फुरत तैयार की जाने वाली विस्फोटक युक्तियों का निपटान करना, टुकड़ियों की मूवमेंट से पहले क्षेत्र की तलाशी लेना तथा निर्धारित काउंटर ऐमबुश ड्रिल बार-बार दोहराना शामिल है।

(ग) ग्यारह।

(घ) मृतकों के परिजनों, आश्रितों को जीविका उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में, अन्य के साथ-साथ, उदारीकृत पेंशन देना, 2 लाख रु॰ का अनुग्रह अनुदान, सीमा सुरक्षा बल में मौजूदा रिक्तियों के 5 प्रतिशत तक "ग" और "घ" ग्रुप में रोजगार उपलब्ध कराना, मृतकों की विधवाओं अथवा निकटतम संबंधी के पुनर्वास हेतु पुनर्वास निदेशालय गठित करना, ग्रुप इंश्योरेंस के अधीन भविष्य निधि, छुट्टी, मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान लाभों का स्वीकार्यता के अनुसार नकदीकरण शामिल हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की राज्य सरकारें भी भिन्न-भिन्न दरों पर अतिरिक्त अनुग्रह राशि स्वीकृत करती है।

इंडस्ट्रियल फूड पार्क्स

1032. **श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में "इंडस्ट्रियल फूड पार्क्स" की स्थापना ने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने पार्क्स स्थापित किए जाएंगे और ये पार्क्स राज्यवार कहाँ-कहाँ खोले जाएंगे?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं "इंडस्ट्रियल फूड पार्क्स" की स्थापना नहीं करता। वैसे मंत्रालय देश में "इंडस्ट्रियल फूड पार्कों" की स्थापना के लिए संयुक्त क्षेत्र/सहायता प्राप्त उपक्रमों, सहकारिताओं और निजी क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता उपलब्ध कराने के वास्ते एक योजना स्कीम चलाता है। यह स्कीम न तो स्थान विशेष होती है न ही राज्य विशिष्ट। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सहायता दिए जाने वाले पार्कों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। यह संख्या मंत्रालय को आबंटित धनराशि और प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

कर्नाटक में चीनी मिलें

1033. श्री पी॰ कोदंडारमैया : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान कर्नाटक में चीनी मिलों को चालू करने के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों में से स्वीकृत आवेदन पत्रों की निजी क्षेत्रवार और सहकारी क्षेत्रवार संख्या क्या है;

(ख) कितने आवेदन पत्र रद्द किए गए और उन्हें रद्द किए जाने के कारण क्या थे;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कनार्टक में लेवी चीनी की कितनी मात्रा प्राप्त की गई; और

(घ) क्या चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से लेवी में कोई कमी करने का प्रस्ताव है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) चीनी वर्ष 1996-97 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान, 30.6.97 तक, नई चीनी मिल स्थापित करने के लिए 8 आशय पत्र प्रदान किए गए जिनमें से 5 निजी क्षेत्र में तथा 3 सहकारी क्षेत्र में थे तथा कर्नाटक राज्य में 22 आवेदन पत्र प्रथम दृष्टि में ही अस्वीकृत कर दिए गए। प्रथम दृष्टि अस्वीकृति पत्र मुख्यतया, स्थल दृष्टि तथा/या गन्ने की अनुपलब्धता की स्थिति में, क्षमता की प्रतिबद्धता आदि के आधार पर जारी किए गए थे।

(ग) कर्नाटक राज्य द्वारा 15.6.97 तक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण के लिए तथा सशस्त्र सेनाओं/अर्ध-सैनिक बलों के लिए 1996-97 मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान कुल 0.54 लाख टन लेवी चीनी का उत्पादन किया गया। मंत्रालय, चीनी मिलों से चीनी का प्रापण नहीं करता बल्कि कुल उत्पादन के एक भाग को सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सशस्त्र/अर्धसैनिक बलों को वितरण के लिए आवंटित करता है ताकि वे रिलीज आदेश को दिखाकर सीधे ही फैक्ट्रियों से चीनी उठा सके।

(घ) वर्तमान में, लेवी तथा खुली बिक्री चीनी के बची 40:60 के विद्यमान अनुपात को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, आगामी मौसम के लिए प्रारम्भिक अवधि में, चीनी उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि 1 अक्तूबर से 15 नवम्बर, 1997 की अवधि के लिए उत्पादन के 72 प्रतिशत की दर पर उच्चतर खुली बिक्री के रूप में जल्दी पेराई प्रोत्साहन की अनुमति दी जाए।

लकड़ी आधारित उद्योग

1034. श्री उत्तम सिंह पवार :
श्री जी॰ वेंकट स्वामी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजेश्वर समिति की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ यह कहा गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में लकड़ी आधारित उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 2.82 लाख पेड़ काटे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस क्षेत्र में इस तरह के कितने उद्योग कार्यरत हैं;

(ग) राजेश्वर समिति की सिफारिशों के अनुसार इन कार्यों पर रोक लगाने और इन उद्योगों को अन्य स्थान ले जाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इन सभी उद्योगों को कब तक किसी अन्य स्थान पर ले जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) राजेश्वर समिति ने अनुमान लगाया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में लकड़ी आधारित उद्योगों को उनकी व्यवहार्य क्षमता में चलाने के लिए प्रतिवर्ष 2,82,397 पेड़ काटे जाने अपेक्षित होंगे। इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि लट्ठों और मुलम्में का बड़े पैमाने पर पूर्वोत्तर क्षेत्र से बाहर भी परिवहन किया जाता है। समिति ने पाया है कि पेड़ों की इस प्रकार से बड़े पैमाने पर काटे जाने के परिणामस्वरूप क्षेत्र में गंभीर पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय असंतुलन पैदा होगा जिससे पूरे देश में दूरगामी परिणाम होंगे। तदनुसार, समिति ने माननीय उच्चतम न्यायालय को सिफारिश की है कि पूर्वोत्तर में सभी वनों में पेड़ों की कटाई पर लगे प्रतिबंध को इसकी आगे पुनरीक्षा किए जाने तक जारी रखा जाए।

समिति ने संकेत दिया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में 1228 आरा मिलें, 291 आरा एवं मुलम्म इकाइयां और 77 प्लाईवुड फैक्टरियां हैं।

(ग) और (घ) समिति की रिपोर्ट और सिफारिशें माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

छोटे और सीमान्त किसानों को राजसहायता की मंजूरी

1035. श्री पवन दीवान :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार की कितनी राजसहायता स्वीकृत की गई और उनका वार्षिक प्रभाव क्या है;

(ख) उसमें से कितनी राजसहायता छोटे और सीमांत किसानों तथा अपेक्षाकृत गरीब किसानों को स्वीकृत की गई;

(ग) क्या यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है कि राजसहायता का लाभ लक्षित जनसंख्या तक पहुंचा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) यदि नहीं, तो यह किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है कि राजसहायता का लाभ वास्तव में लक्षित जनसंख्या को पहुंचे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) किसानों को दी जाने वाली प्रमुख कृषि आदान सब्सिडियां उर्वरक, सिंचाई, विद्युत तथा ऋण सब्सीडी हैं। उर्वरक विनिर्माताओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा यूरिया पर प्रत्यक्ष सब्सिडी दी जाती है ताकि वे किसानों को कम कीमत पर उर्वरक उपलब्ध करा सकें। यूरिया पर सब्सिडी दी जाती है और इसकी बिक्री पूरे देश में 3660 रुपये प्रति टन की एक समान कीमत पर दी जाती है। इसके अलावा, कृषि एवं सहकारिता विभाग रबी 1992-93 से किसानों को फास्फेट युक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों की बिक्री पर रियायत संबंधी योजना चला रहा है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(रु॰ प्रति टन)

उत्पाद	1.4.1997 से रियायत की दर
स्वदेशी डी ए पी	3750
आयातित डी ए पी	2250
एम ओ पी	2000
एस एस पी	600
स्वदेशी मिश्रण	1149-3320

चूंकि किसानों को प्रत्यक्ष भुगतान करने की कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए सब्सिडी/रियायतें उर्वरक आपूर्ति के माध्यम से की जाती हैं। यूरिया पर सब्सिडी के भुगतान तथा पी॰ एवं के॰ उर्वरकों पर रियायत के लिए संशोधित प्राक्कलन 1996-97 तथा बजट प्राक्कलन 1997-98 में किया गया प्रावधान इस प्रकार है :-

(करोड़ रुपये)

यूरिया पर सब्सिडी	पी॰ तथा के॰ उर्वरकों पर रियायत
संशोधित प्राक्कलन 1996-97	1674
बजट प्राक्कलन 1997-98	2000

सिंचाई तथा बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों द्वारा वास्तविक लागत से कम दरों पर शुल्क लेकर दी जाती है। ये सब्सिडियां/रियायतें सभी वर्गों के किसानों को उपलब्ध हैं, जिनमें छोटे तथा सीमान्त किसान भी शामिल हैं।

(ग) से (ङ) इन सब्सिडियों/रियायतों के लक्षित जनसंख्या तक पहुंच पाने के बारे में कोई अध्ययन नहीं कराया गया है। बहरहाल किसानों को, जिनकी जनसंख्या लगभग 105 मिलियन है और जो देश भर में फैले हुए हैं, सब्सिडी/रियायतें प्रत्यक्षतः दे पाना व्यवहार्य नहीं है। सब्सिडी/रियायतों की अदायगी संबंधी सभी नीतिगत दिशानिर्देश किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही निर्धारित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

कृषि लागत और मूल्य आयोग में प्रतिनिधित्व

1036. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार का यह अनुरोध प्राप्त हुआ है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग में राज्य का कम से कम एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त आयोग का पुनर्गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो प्रतिनिधिक राज्यों सहित सदस्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। आयोग में कम से कम एक राज्य प्रतिनिधि

नियुक्त करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। प्रत्येक राज्य से कम से कम एक प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए भी कोई नीति नहीं है।

(ग) और (घ) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग एक स्थायी निकाय है जिसमें एक पूर्ण-कालिक अध्यक्ष, 3 सरकारी सदस्य एवं 3 गैर-सरकारी सदस्य होते हैं। गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का उद्देश्य कृषक समुदाय को प्रतिनिधित्व देना एवं उनकी नियुक्ति सामान्यतः 3 वर्षों के लिए की जाती है। गैर-सरकारी सदस्यों के स्थान रिक्त होते ही भर लिये जाते हैं एवं ऐसा करते समय सामान्यतया देश के सभी क्षेत्रों के क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा जाता है।

(ङ) उपरोक्त प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सुपारी के बारे में अनुसंधान

1037. श्री वी॰ धनंजय कुमार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सुपारी के बारे में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह अनुसंधान कार्य किन केन्द्रों में किया जा रहा है;

(ग) क्या सुपारी के अन्य उपयोगों की संभावना का पता लगाने के लिए कोई अनुसंधान किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सुपारी का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड (केरल) द्वारा अपने तीन स्थानीय केन्द्रों अर्थात् विट्टल (कर्नाटक), मोहित नगर (पश्चिम बंगाल) तथा काहीकुची (असम) में सुपारी पर अनुसंधान कार्य चलाया जा रहा है। सुपारी अनुसंधान को अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना हीरेहल्ली (कर्नाटक) के तहत सहायता भी दी जा रही है।

(ग) और (घ) सुपारी अनुसंधान कार्य में फसल सुधार उत्पादन प्रौद्यागिकियों तथा रोगों और नाशीकीटों के नियंत्रण पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। भा॰कृ॰अ॰प॰ द्वारा सुपारी के अन्य उपयोगों के बारे में अनुसंधान नहीं किया जा रहा है।

(ङ) सुपारी की चार अधिक उपज देने वाली तथा उत्कृष्ट किस्में यानी मंगला, सुमंगला, श्रीमंगला तथा मोहित नगर जारी की गई हैं। ये किस्में 11 से 18 कि॰ग्रा॰ सुपारी प्रति वृक्ष, प्रति वर्ष उत्पादन करने में सक्षम हैं तथा इनसे सुपारी की उत्पादकता को बढ़ाने में काफी मदद मिली है। क्षेत्र, उत्पादन तथा उत्पादकता में निरंतर वृद्धि से श्रीलंका तथा पाकिस्तान से आयात को रोकने में मदद मिली है। अब सुपारी के मामले में भारत आत्मनिर्भर है।

[हिन्दी]

राज्यों को खाद्य तेल का आवंटन

1038. श्री विजय अन्नाजी मुडे : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र को अलग-अलग कितनी मात्रा में खाद्य तेल आवंटित किया गया है;

(ख) क्या आवंटित मात्रा राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों से उनके खाद्य तेल का कोटा बढ़ाने से संबंधित अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आयातित खाद्य तेलों की आपूर्ति अनुपूरक स्वरूप की होती है। यदि सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाता है तो पामोलीन की सीमित मात्रा आयात की जाती है और केन्द्रीय पूल से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वितरित की जाती है ताकि कमी के मौसम/प्रमुख त्योहारों के दौरान खुले बाजार में इसकी उपलब्धता में वृद्धि की जा सके।

(घ) और (ङ) वर्ष 1996-97 के दौरान आंध्र प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए उनके आयातित पामोलीन के मासिक कोटे में वृद्धि की जाए।

(च) उपर्युक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर में दिए गए कारणों की वजह से वर्ष के दौरान खाद्य तेल की एक निर्धारित मात्रा आयात करने और खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन बड़े आयात करने की अनुमति दी गई थी इसलिए राज्यों को किए जाने वाला आवंटन बढ़ाना संभव नहीं था।

विवरण

वित्तीय वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आयातित खाद्य तेलों के राज्यवार आबंटन और उठान

(मात्रा टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96		1996-97	
	आबंटन	उठान	आबंटन	उठान
आंध्र प्रदेश	66600	39801	49000	44495
अरूणाचल प्रदेश				
असम	1200	670	1000	334
बिहार	200		700	
गोवा	4000	3125	3200	2673
गुजरात	49000	46091	40000	43340
हरियाणा	200	264		
हिमाचल प्रदेश	1503	1188	1400	905
जम्मू और काश्मीर	700	390	700	423
कर्नाटक	11000	6622	10000	11377
केरल		203	2000	966
मध्य प्रदेश	2500			
महाराष्ट्र	30000	15130	34000	33399
मणिपुर	900	307	2100	1895
मेघालय	200	10	700	230
मिजोरम	1300	398	1400	453
नागालैण्ड	4100	3000	2800	1940
उड़ीसा	12000	3504	7000	3169
पंजाब				
राजस्थान	400		350	
सिक्किम	840	629	770	740
तमिलनाडु	8000	5089	7000	6432
त्रिपुरा	700	40	700	100
उत्तर प्रदेश				
पश्चिम बंगाल	17000	14903	18500	19254
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	150	50	200	75
चण्डीगढ़	100			
दादर व नगर हवेली	640	423	560	540
दिल्ली	3300	2651	3600	2953
दमन और दीव	875	460	875	495
लक्षद्वीप	290	250	280	191
पांडिचेरी	4308	3057	4000	3469
अखिल भारत	222006	148255	192835	179848

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों के प्रशासन पर संवैधानिक अनुच्छेदों का प्रभाव

1039. श्री जगमोहन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 371क, 371ग, 371च तथा 371ज का क्रमशः नागालैण्ड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम तथा अरूणाचल प्रदेश की शासन प्रणाली तथा प्रशासन पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या निकले हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

श्रीलंका के तमिलों को भारतीय नागरिकता

1040. श्री ए॰ सम्पथ : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मूल के श्रीलंका के अनेक तमिलों ने सरकार से उन तमिलों को स्थायी भारतीय नागरिकता देने का आग्रह किया था जो 1977 से भारत आए हुए हैं;

(ख) क्या उन्होंने नागरिकता संबंधी अनुरोध पर निर्णय होने तक पहचान पत्र जारी करने का सुझाव दिया था;

(ग) क्या सरकार उनके अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) भारतीय मूल के श्रीलंकाई तमिलों के कल्याण संघ के अभ्यावेदन की एक प्रति इस मंत्रालय में प्राप्त हुई है। मामला विचाराधीन है।

[हिन्दी]

भोपाल को गैस प्रभावित क्षेत्र घोषित करना

1041. श्री सुशील चन्द्र : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा पिछली बार की गई भोपाल यात्रा के समय उन्हें सम्पूर्ण भोपाल को गैस प्रभावित क्षेत्र घोषित करने और इसके आधार पर सहायता प्रदान करने की व्यवस्था करने संबंधी अभ्यावेदन दिया गया था;

(ख) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास पिछले छह-सात सालों से विचाराधीन है; और

(ग) प्रधान मंत्री को दिए गए अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अभ्यावेदन विचाराधीन है।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादन हेतु केरल को इजरायल की सहायता

1042. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केरल में कृषि उत्पादन में वृद्धि किए जाने हेतु सभी संभावनाओं का पता लगाने के लिए इजरायल जैसे अन्य देश भी वहां विशेषज्ञों का शिष्टमंडल भेजने के इच्छुक हैं, सरकार का केरल में कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु केरल सरकार को सहायता प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) केरल में कृषि उत्पादन बढ़ाने की संभावना का पता लगाने के लिए विशेषज्ञ दल भेजने के बारे में इजरायल से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

गेहूं की अंतर्राज्यीय ढुलाई पर प्रतिबंध

1043. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गेहूं की अतिरिक्त मात्रा वाले क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से व्यापारियों और किसानों द्वारा गेहूं के अंतर्राज्यीय ढुलाई पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कारण क्या हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विश्व पर्यावरणीय सुरक्षा

1044. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी देशों ने विश्व पर्यावरणीय सुरक्षा के संबंध में एजेंडा-21 में नए मुद्दे उठाने का प्रयास किए है;

(ख) यदि हां, तो वे विवादास्पद मुद्दे कौन-कौन से हैं जिन्हें पश्चिमी देश पुनः उठाना चाहते हैं; और

(ग) एजेंडा-21 के संबंध में पश्चिमी देशों के आंदोलन का सशक्त जवाब देने के लिए भारत ने क्या रुख अपनाया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ग) जी, हां। न्यूयार्क में 23-27 जून, 1997 को आयोजित संयुक्त राष्ट्र आम-सभा के विशेष सत्र के दौरान पश्चिमी देशों ने एजेंडा-21 में मानवाधिकार, बेहतर शासन और श्रम मानक जैसे विवादस्पद मुद्दों को शामिल करने का प्रयास किया था। इस प्रयास का अन्य विकासशील देशों ने सफलतापूर्वक विरोध किया था। भारत ने स्पष्टतौर पर कहा है कि वह नए मुद्दों को शामिल करके एजेंडा-21 पर पुनः बातचीत करना स्वीकार नहीं करेगा। इसे सभी ने स्वीकार कर लिया था और सत्र के समापन में अपनाए गए प्रलेख में भी इसे प्रतिबिम्बित किया गया है।

[हिन्दी]

पुलिसकर्मियों द्वारा दिल्ली परिवहन की बस में यात्रा करना

1045. श्रीमती शीला गौतम : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस कर्मियों, दिल्ली सशस्त्र पुलिसकर्मियों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्यरत अन्य पुलिसकर्मियों को दिल्ली परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम और मंत्रालय के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समझौते के अधीन मंत्रालय दिल्ली परिवहन निगम को प्रति माह कुछ राशि का भुगतान करता है;

(घ) यदि हां, तो प्रतिमाह कितनी राशि का भुगतान किया जाता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो पुलिसकर्मी किस आधार पर दिल्ली परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करते हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ) दिल्ली पुलिस कर्मियों द्वारा मुफ्त यात्रा करने की प्रथा डी॰टी॰सी॰ प्राधिकारियों के कहने पर 1965 के करीब शुरू की गई थी, क्योंकि बसों में पुलिसवालों की मौजूदगी भय-निवारण का कार्य करती है तथा अपराध की रोकथाम में मदद करती है। इस व्यवस्था के लिए निम्नलिखित शर्तें थी :-

(क) यदि बस में यात्री खड़े हों तो इस प्रकार यात्रा कर रहे पुलिसकर्मी सीट पर नहीं बैठेंगे।

(ख) पुलिसकर्मी बस के पायदान पर यात्रा नहीं करेंगे।

(ग) ये केवल मान्यता प्राप्त बस स्टापों से बस में चढ़ेंगे और उतरेंगे।

(घ) मुफ्त यात्रा करने के पात्र दो अवर अधीनस्थ (पुलिस कार्मिकों) से अधिक संख्या में होने पर बस में यात्रा करने वाले पुलिस कर्मियों को निर्धारित किराया अदा करना होगा।

(ङ) सादे कपड़ों में कोई भी अवर अधीनस्थ पुलिसकर्मी अपेक्षित किराया दिए बिना डी॰टी॰सी॰ की बस में यात्रा नहीं करेगा।

[अनुवाद]

चीनी उद्योग के लिए विश्व बैंक द्वारा सुझाए गए सुधार

1046. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने हाल ही में देश में चीनी उद्योग में सुधारों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो ये सुधार किस प्रकार के हैं;

(ग) इन सुधारों से चीनी उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या सरकार ने इन सुधारों के बारे में चीनी उद्योग को बता दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर चीनी उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) विश्व बैंक द्वारा अप्रैल, 1997 में भारतीय चीनी उद्योग पर भेजे गए दस्तावेज के अनुसार अनुशासित सुधार का स्वरूप इस प्रकार का है कि उत्पादकता, वृद्धि का पूर्ण प्रभाव प्राप्त करने और तकनीकी अंतर खत्म करने के लिए उत्पादकों तथा निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए नीति में सुधार कने की आवश्यकता होगी। इस नीति-पैकेज के लिए चीनी के मुक्त आयातों (और निर्यातों) को बनाए रखना, चीनी मिलिंग में प्रवेश के लिए घरेलू प्रतिबंधों को हटाना, दोहरे बाजार-कर को समाप्त करना और गन्ना-मूल्य की नीतियों में सुधार करना आवश्यक होगा। अन्य उपायों में उद्योग में कर प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना शामिल होगा। अग्रदान और पूंजी सब्सिडी को समाप्त करना नीति पैकेज के पूरक होगा। यद्यपि इसका क्रियान्वयन और विस्तार इस उद्योग-क्षेत्र से बाहर हो सकता है।

(ग) से (ङ) चीनी उद्योग और गन्ने की खेती के विभिन्न पहलुओं की जांच और इनका अध्ययन करने और सरकार के विचारार्थ इस पर अपने सुझाव देने के लिए सरकार ने पहले ही 14 मार्च, 1997 को एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन कर दिया था। समिति को अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1997 में देनी है।

[हिन्दी]

आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई

1047. श्री एन-जे- राठवा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) उक्त अवधि के दौरान अर्द्धसैनिक बलों द्वारा बरामद किए गए अवैध हथियारों और गोलीबारूद इत्यादि का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) मारे गए आतंकवादियों के संबंध में राज्यवार सूचना :

राज्य का नाम	1994	1995	1996
1. आन्ध्र प्रदेश	23	–	6
2. असम	23	11	2
3. बिहार	–	–	3
4. जम्मू और कश्मीर	323	220	183
5. कर्नाटक	1	–	–
6. मणिपुर	6	16	12
7. मिजोरम	–	6	–
8. नागालैंड	–	20	11
9. पंजाब	11	–	–
10. राजस्थान	2	–	1
11. त्रिपुरा	6	11	12
12. उत्तर प्रदेश	–	1	–

(ख) इसी अवधि के दौरान जब्त किए गए शस्त्र और गोलाबारूद :

शस्त्र 5930

गोला बारूद : 3,03,333

[अनुवाद]

अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती

1048. श्री सौम्य रंजन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्द्धसैनिक बलों में भर्ती में राज्यवार अनुपात है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भर्ती में उड़ीसा का हिस्सा भर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में कांस्टेबलों/राइफलमैनों की भर्ती अखिल भारतीय आधार पर की जाती है। इलाकों की विशेष आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को जनसंख्या के आधार पर वार्षिक रिक्तियां आवंटित की जाती हैं।

(ग) और (घ) जनसंख्या अनुपात के अनुसार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में उड़ीसा राज्य का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। अन्य केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में उड़ीसा के प्रतिनिधित्व में कमी का कारण उपयुक्त उम्मीदवारों का उपलब्ध न होना है।

आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा विवाद

1049. डा- टी- सुब्बारामी रेड्डी :

श्री येल्लैया नन्दी :

श्री जी-ए- चरण रेड्डी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सीमा से लगे अदिलाबाद जिले के 12 गांव जो दो राज्यों के बीच झगड़े की जड़ थे, को महाराष्ट्र राज्य को दिए जाने पर सहमति हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 10 फरवरी, 1997 को उच्चतम न्यायालय ने आन्ध्र प्रदेश सरकार को मुम्बई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका को वापिस लेने के लिए कहा था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी आधार क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि उत्पादों और उर्वरकों के आयात पर राजसहायता

1050. श्री समीक लहिड़ी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बड़ी, मझोली, छोटी और सीमान्त जोत की परिभाषा क्या है;

(ख) देश में ऐसे किसानों की पृथक रूप से राज्यवार संख्या कितनी है और उनके पास कितनी-कितनी भूमि है; और

(ग) छोटी जोत वाले किसानों की तुलना में बड़ी जोत वाले किसानों द्वारा उर्वरकों सहित कृषि उत्पादों पर अपने उत्पादों के माध्यम से ली जा रही/दी जा रही कुल राजसहायता का अनुपात/प्रतिशत क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) कृषि संगणना के अनुसार, विभिन्न वर्गों के प्रयोगाधीन जोतों नामतः सीमान्त छोटे, अर्द्ध-मध्यम, मध्यम तथा बड़े, जोतों के माप (प्रयोगाधीन क्षेत्र) के अनुसार को निम्नवत पारिभाषित किया गया है।

	जोतों का समूह	जोतों का माप (हैक्टे॰)
1.	सीमान्त	1 से कम
2.	छोटे	1 से 2
3.	अर्द्ध-मध्यम	2 से 4
4.	मध्यम	4 से 10
5.	बड़े	10 तथा इससे अधिक

(ख) कृषि गणना, 1990-91 के अनुसार प्रयोगाधीन जोतों की राज्यवार संख्या तथा क्षेत्रफल का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II पर दिया गया है।

(ग) किसानों को दी गई प्रमुख कृषि आदान राजसहायता उर्वरक, सिंचाई, विद्युत तथा ऋण संबंधी राजसहायता है। केन्द्र सरकार द्वारा उर्वरकों के विनिर्माताओं को यूरिया पर प्रत्यक्ष राजसहायता दी जाती है ताकि उन्हें किसानों को कम दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने में मदद की जा सके। यूरिया पर राजसहायता दी जाती है तथा समूचे देश में 3660 रु॰ प्रति मी. टन के समान मूल्य पर इसकी बिक्री की जाती है। इसके अलावा, कृषि तथा सहकारिता विभाग (रबी 1992-93 से किसानों को फास्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों की बिक्री पर रियायत संबंधी योजना निम्नवत क्रियान्वित कर रहा है :-

उत्पाद	1.4.97 से रियायत की दर (रु॰ प्रति मी.टन)
घरेलू डी॰ए॰पी॰	3750
आयातित डी॰ए॰पी॰	2250
एम॰ओ॰पी॰	2000
एस॰एस॰पी॰	600
घरेलू योग	1149-3320

चूंकि सीधे किसानों को भुगतान करने की कोई प्रणाली नहीं है, इसलिए राज सहायता/रियायत उर्वरक के आपूर्तिकर्त्ताओं के माध्यम से दी जाती है। यूरिया पर राजसहायता तथा पोटाशयुक्त और फास्फेटयुक्त उर्वरकों पर रियायत के भुगतान के लिये संशोधित प्राक्कलन 1996-97 तथा बजट प्राक्कलन 1997-98 के किये गये प्रावधान का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(रुपये करोड़ में)

	यूरिया पर राजसहायता	पी॰ तथा के॰ उर्वरकों पर रियायत
संशोधित प्राक्कलन 1996-97	6093	1674
बजट प्राक्कलन 1997-98 (प्रस्तावित)	7190	2000

राज्य सरकारों द्वारा वास्तविक लागत की तुलना में कम दरों पर प्रभारित करते हुए सिंचाई तथा विद्युत पर राजसहायता अप्रत्यक्ष रूप से दी जाती है।

ये सभी राजसहायताएं/रियायतें छोटे तथा सीमान्त किसानों सहित सभी वर्गों के किसानों के लिये उपलब्ध हैं।

विवरण-I

भारत में सभी सामाजिक समूहों के लिये 1990-91 में प्रमुख माप वर्गों के अनुसार राज्य-वार प्रयोगाधीन जोतों की संख्या

(संख्या हजार में)

क्र॰ सं॰	राज्य	सीमान्त (1 है॰ से कम)	छोटे (1-2 है॰)	अर्द्ध मध्यम (2-4 हैक्टे॰)	मध्यम (4-10 है॰)	बड़े (10 है॰ तथा इससे अधिक)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	5211 (56.1)	1972 (21.2)	1345 (14.5)	644 (6.9)	118 (1.3)	9290 (100.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरूणाचल प्रदेश	16	17	30	26	5	94
		(17.0)	(18.1)	(31.9)	(27.7)	(5.3)	(100.0)
3.	असम	1521	560	343	95	5	2523
		(60.3)	(22.2)	(13.6)	(3.8)	(0.2)	(100.0)
4.	बिहार	10193	1438	945	351	39	12966
		(78.6)	(11.1)	(7.3)	(2.7)	(0.3)	(100.0)
5.	गोवा	58	98	4	2	1	72
		(80.6)	(11.1)	(5.56)	(2.8)	(1.4)	(100.0)
6.	गुजरात	924	915	890	669	118	3517
		(26.3)	(26.0)	(25.3)	(19.0)	(3.4)	(100.0)
7.	हरियाणा	622	304	336	222	46	1530
		(40.6)	(19.9)	(22.0)	(14.5)	(3.0)	(100.0)
8.	हिमाचल प्रदेश	532	166	94	36	6	834
		(63.2)	(19.9)	(11.3)	(4.3)	(0.7)	(100.0)
9.	जम्मू और कश्मीर	902	197	98	20	1	1217
		(74.1)	(16.2)	(8.1)	(1.6)	(0.1)	(100.0)
10.	कर्नाटक	2262	1586	1163	636	129	5776
		(39.2)	(27.5)	(20.1)	(11.0)	(2.2)	(100.0)
11.	केरल	5016	280	98	21	3	5418
		(92.6)	(5.2)	(1.8)	(0.4)	(0.1)	(100.0)
12.	मध्य प्रदेश	3136	1917	1738	1287	323	8401
		(37.3)	(22.8)	(20.7)	(15.3)	(3.8)	(100.0)
13.	महाराष्ट्र	3275	2728	2126	1171	171	9470
		(34.6)	(28.8)	(22.4)	(12.4)	(1.8)	(100.0)
14.	मणिपुर	69	49	21	3	नगण्य	142
		(48.6)	(34.5)	(14.8)	(2.1)	–	(100.0)
15.	मेघालय	59	51	46	13	1	171
		(34.7)	(30.0)	(27.1)	(7.6)	(0.6)	(100.0)
16.	मिजोरम	29	23	9	1	नगण्य	61
		(46.8)	(37.1)	(14.5)	(1.6)	–	(100.0)
17.	नागालैण्ड	13	21	26	47	33	142
		(9.3)	(15.0)	(18.6)	(33.6)	(23.6)	(100.0)
18.	उड़ीसा	2118	1035	594	186	15	3948
		(53.6)	(26.2)	(15.0)	(4.7)	(0.4)	(100.0)
19.	पंजाब	296	204	289	261	67	1117
		(26.5)	(18.3)	(25.9)	(23.4)	(6.0)	(100.0)
20.	राजस्थान	1517	1019	1061	1017	493	5107
		(29.7)	(20.0)	(20.8)	(19.9)	(9.7)	(100.0)
21.	सिक्किम	26	11	9	5	1	53
		(50.0)	(21.2)	(17.3)	(9.6)	(1.9)	(100.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	तमिलनाडु	5848	1275	618	228	31	7999
		(73.1)	(15.9)	(7.7)	(2.9)	(0.4)	(100.0)
23.	त्रिपुरा	217	69	28	4	नगण्य	318
		(68.2)	(21.7)	(8.8)	(1.3)	–	(100.0)
24.	उत्तर प्रदेश	14819	3118	1543	648	45	20074
		(73.8)	(15.5)	(7.7)	(2.7)	(0.2)	(100.0)
25.	पश्चिम बंगाल	4639	1107	457	79	1	6284
		(73.8)	(17.6)	(7.3)	(1.3)	–	(100.0)
26.	सभी केन्द्र शासित प्रदेश	70	19	13	7	–	109
		(64.2)	(17.4)	(11.9)	(6.4)	–	(100.0)
	अखिल भारत	63389	20092	13923	7580	1654	106637
		(59.4)	(18.8)	(13.1)	(7.1)	(1.6)	(100.0)

टिप्पणी :– कोष्ठकों में दिये गये आंकडे प्रतिशत हैं।

पूर्णांकन के कारण योग का मिलान नहीं हो सकता है।

विवरण–II

भारत के सभी सामाजिक समूहों के लिये 1990–91 में प्रमुख माप वर्गों के अनुसार प्रचालनात्मक जोतों के क्षेत्र का राज्यवार विवरण

(क्षेत्र हजार हैक्टे॰ में)

क्र॰सं॰	राज्य	सीमान्त	छोटे	अर्द्ध मध्यम	मध्यम	बड़े	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2369	2827	3640	3777	1848	14460
		(16.4)	(19.6)	(25.2)	(26.1)	(12.8)	(100.0)
2.	अरूणाचल प्रदेश	10	26	84	147	82	350
		(2.9)	(7.4)	(24.1)	(42.1)	(23.5)	(100.0)
3.	असम	607	784	918	492	404	3205
		(18.9)	(24.5)	(28.6)	(15.4)	(12.6)	(100.0)
4.	बिहार	3591	1954	2576	1982	640	10743
		(33.4)	(18.2)	(24.0)	(18.4)	(6.0)	(100.0)
5.	गोवा	19	11	9	9	19	67
		(28.4)	(16.4)	(13.4)	(13.4)	(28.4)	(100.0)
6.	गुजरात	489	1343	2515	4005	1941	10292
		(4.8)	(13.0)	(24.4)	(38.9)	(18.9)	(100.0)
7.	हरियाणा	295	463	944	1300	709	3711
		(8.0)	(12.5)	(25.4)	(35.0)	(19.1)	(100.0)
8.	हिमाचल प्रदेश	215	235	258	205	97	1010
		(21.3)	(23.3)	(25.5)	(20.3)	(9.6)	(100.0)
9.	जम्मू और कश्मीर	347	272	264	108	23	1014
		(34.2)	(26.8)	(26.0)	(10.7)	(2.3)	(100.0)

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	कर्नाटक	1072	2308	3200	3771	1971	12321
		(8.7)	(18.7)	(26.0)	(30.6)	(16.0)	(100.0)
11.	केरल	865	383	255	114	178	1796
		(48.2)	(21.3)	(14.2)	(6.4)	(9.9)	(100.0)
12.	मध्य प्रदेश	1409	2783	4838	7772	5309	22111
		(6.4)	(12.6)	(21.9)	(35.1)	(24.0)	(100.0)
13.	महाराष्ट्र	1618	3983	5880	6856	2588	20925
		(7.7)	(19.0)	(28.1)	(32.8)	(12.4)	(100.0)
14.	मणिपुर	38	67	117	71	1	302
		(21.7)	(38.3)	(31.4)	(8.6)	(0.6)	(100.0)
15.	मेघालय	32	68	117	71	13	302
		(10.6)	(22.6)	(38.9)	(23.6)	(4.3)	(100.0)
16.	मिजोरम	18	36	25	4	नगण्य	84
		(21.7)	(43.4)	(30.1)	(4.8)		(100.0)
17.	नागालैण्ड	9	30	76	298	556	968
		(0.9)	(3.1)	(7.8)	(30.8)	(57.4)	(100.0)
18.	उड़ीसा	1045	1426	1561	1012	252	5296
		(19.7)	(26.9)	(29.5)	(19.1)	(4.8)	(100.0)
19.	पंजाब	164	328	842	1622	1077	4033
		(4.1)	(8.1)	(20.9)	(40.2)	(26.7)	(100.0)
20.	राजस्थान	725	1469	3021	6334	9422	20971
		(3.5)	(7.0)	(14.4)	(30.2)	(44.9)	(100.0)
21.	सिक्किम	11	19	27	31	22	111
		(10.0)	(17.2)	(24.5)	(28.2)	(20.0)	(100.0)
22.	तमिलनाडु	2118	1794	1687	1301	574	7474
		(28.3)	(24.0)	(22.6)	(17.4)	(7.7)	(100.0)
23.	त्रिपुरा	87	106	77	18	20	308
		(28.3)	(34.4)	(25.0)	(5.8)	(6.5)	(100.0)
24.	उत्तर प्रदेश	5653	4391	4206	3042	694	17986
		(31.4)	(24.4)	(23.4)	(16.9)	(3.9)	(100.0)
25.	पश्चिम बंगाल	2064	1694	1269	426	203	5656
		(36.5)	(30.0)	(22.4)	(7.5)	(3.6)	(100.0)
26.	सभी केन्द्र शासित प्रदेश	25	25	34	38	18	140
		(17.9)	(17.9)	(24.3)	(27.1)	(12.9)	(100.0)
	अखिल भारत	24894	28827	38375	44752	28659	165507
		(15.0)	(17.4)	(23.2)	(27.1)	(17.3)	(100.0)

टिप्पणी :- कोष्ठकों में दिये गये आंकडे प्रतिशत हैं।

पुणांकन के कारण योग का मिलान नहीं हो सकता है।

अति विशिष्ट व्यक्तियों तथा विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था

1051. **श्री विजय गोयल :**

श्री अन्नासाहिब एम॰के॰ पाटिल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1.6.97 तक कुल कितने व्यक्तियों के लिए "जेड" श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था की गई है तथा इनमें से कितने व्यक्ति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में थे तथा उन पर कितना वार्षिक खर्च होता है;

(ख) जिन विभिन्न व्यक्तियों को गंभीर खतरे की आशंका है उनके लिए विभिन्न श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था करने/जहां आवश्यक हो वहां सुरक्षा कवच को वापस लेने/उसे निम्न श्रेणी में लाने के संबंध में क्या हाल में कोई समीक्षा की गई है तथा यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं जिनमें ऐसे निम्न श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था की गई/सुरक्षा व्यवस्था समाप्त कर दी गई;

(ग) क्या सरकार सामान्य जनता की इस भावना से जागरूक है कि लोग ऐसे व्यक्तियों तथा राजनीतिज्ञों को सरकारी खर्चे पर उच्चतर श्रेणी की सुरक्षा देने के खिलाफ हैं जिनके द्वारा व्यक्तिगत रूप में किए गए कार्य के कारण उनकी जान को खतरा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों को मनचाही सुरक्षा व्यवस्था देने के बदले में पैसे वसूल करने के संबंध में विचार कर रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) भारत के संविधान के अंतर्गत "लोक व्यवस्था" तथा "पुलिस" राज्य के विषय हैं। इसलिए उनके क्षेत्राधिकार में रहने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की है। तथापि, 1.6.1997 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में 76 व्यक्ति "जैड" सुरक्षा की श्रेणी में थे। उनकी सुरक्षा पर दिल्ली पुलिस द्वारा अनुमानतः 618 लाख रुपए वार्षिक व्यय किए जाते हैं।

(ख) और (ग) सुरक्षा की आवश्यकता तथा सुरक्षा प्रबंधों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। सुरक्षा प्रबंधों में समय-समय पर जरूरत के मुताबिक संशोधन किया जाता है/हटा लिया जाता है।

(घ) इस संबंध में निर्णय लेने से पहले सभी बातों पर विचार करना होगा।

खाद्य तेलों का उत्पादन

1052. **श्री ए॰जी॰एस॰ राम बाबू : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्षों से खाद्य तेलों के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों में खाद्य तेलों का उत्पादन निम्नानुसार रहा है :-

(लाख टन में)

वर्ष	खाद्य तेलों का अनुमानित उत्पादन
1994-95	62.54
1995-96	64.26
1996-97	66.21*

*230 लाख टन तिलहन उत्पादन के लक्ष्य पर आधारित।

(ग) और (घ) खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए/प्रस्तावित कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं :-

(1) अब तक उत्पादन में हुई वृद्धि मुख्यतः क्षेत्र में वृद्धि के कारण हुई है। अब उत्पादकता बढ़ाने के उपायों में तेजी लाई जाएगी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में कम है;

(2) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए प्रयास तेज करना, क्रमिक फसल-चक्र और मध्यवर्ती फसल (इंटर क्रापिंग) के माध्यम से क्षेत्र में विस्तार करना;

(3) आयल पाम के विकास के लिए सहायता;

(4) मिनी किट, छिड़काव यंत्र, उन्नत कृषि औजार और रसायनों का वितरण तथा उत्पादन प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए प्रदर्शन; और

(5) प्रसंस्करण यूनिटों के आधुनिकीकरण के लिए उपकरणों की पहचान करना।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डेयरी फार्म में संसाधनों का दुरूपयोग

1053. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत विभिन्न

पशुपालन संस्थाओं में डेयरी फार्म हैं और इन सभी डेयरियों में पशुओं का चारा इनके फार्म में ही उगाया जाता है जबकि खाद्यान्न बाहर से खरीदे जाते हैं;

(ख) क्या विभिन्न अनुसंधान संस्थाएं चारे की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत और खाद्यान्नों की भारी खपत को ध्यान में रखते हुए अलाभ की स्थिति में चल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर और केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार में डेरी फार्म वाले पशु हैं। इनके खाने और चारे का कुछ हिस्सा तो संस्थान के फार्म में ही पैदा किया जाता है जबकि संस्थानों की शेष जरूरतों को खरीद कर पूरा किया जाता है जोकि पशुओं की पोषकीय जरूरतों पर निर्भर करता है।

(ख) इन संस्थानों के दुधारू पशुओं को परीक्षण के उद्देश्य से रखा जाता है और उनका भरण-पोषण संस्थान के अनुसंधान, शिक्षा और शिक्षण की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। व्यावसायिक यूनिटें नहीं हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में चीनी मिलों की कार्य योजना

1054. **श्री संदीपान थोरात** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शीर्ष स्तर पर चीनी उत्पादन तथा चीनी नीति कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ, औद्योगिक रुग्णता, श्रम समस्याओं आदि की उभरते प्रवृत्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में सहकारिता क्षेत्र में औद्योगिक रुग्णता की समस्या से निपटने के लिए वर्तमान वर्ष के लिए बनाई गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को उस परियोजना के लिए जिसे नई मंजूरी दी गई है, वित्तीय सहायता की मांग करते हुए राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही हुई है; और

(च) सहकारिता क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के लिए नई चीनी मिलें लगाने के लिए राज्य से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और इसके लंबित होने के क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (च) सरकार ने अन्य बातों के साथ साथ चीनी उद्योग की स्वस्थ वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने, और किसानों तथा उद्योग के बीच स्वस्थ संबंध स्थापित करने की दृष्टि से किसी वर्तमान नियम और नियंत्रण में परिवर्तन संशोधन अथवा निरसन के लिए सुझाव देने और आधुनिकीकरण के माध्यम से उत्पादन और दक्षता में वृद्धि करने के लिए तरीके सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है ताकि आम जनता को उचित मूल्य पर चीनी उपलब्ध हो सके। समिति के लिए सरकार को अपनी रिपोर्ट 14 सितम्बर, 1997 तक प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

वायरलैस सैटों की खरीद

1055. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली पुलिस के बीट अफसरों को उपलब्ध कराए गए 2000 वायरलैस सेट पूरी तरह बेकार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली पुलिस द्वारा इन सेटों को कितने रुपए में किन-किन निर्माताओं से खरीदा गया;

(ग) क्या कम से कम 30 से 40 प्रतिशत सेट कार्य करने लायक नहीं हैं और उनमें से अधिकांश की रेंज आधा किलोमीटर से अधिक नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार के खराब सेटों की खरीद के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) दिल्ली पुलिस ने 1996 में 1.78 करोड़ रुपए (बिक्री कर इत्यादि को छोड़कर) की लागत से 1800 हैण्ड-हैल्ड वायरलैस सैट की खरीद, डी॰जी॰एस॰ एण्ड डी॰ की दर संविदा पर, मैसर्स पंजाब वायरलैस सिस्टम्स लिमिटेड, चण्डीगढ़, से की थी। ये सैट निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप तथा संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। इन सैटों की खराब होने की दर इस प्रकार के रेडियो के संबंध में स्वीकार्य सीमा के अंदर हैं।

खाद्यान्नों का आयात

1056. **श्री एस॰ अजय कुमार** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के

खाद्यान्नों के आयात हेतु प्रत्येक देश को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(ख) वर्ष 1991 से आयातित खाद्यान्नों की मात्रा तथा विदेशी मुद्रा में मूल्य सहित आयात किए गए खाद्यान्नों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) का कोई आयात नहीं किया गया था।

(ख) 1991 से आयात किए गए खाद्यान्नों (गेहूं और चावल के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

वर्ष	जिन्स	देश जिससे आयात किया गया	मात्रा (लाख टन में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
1991-92	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1992-93	गेहूं	कनाड़ा	10.27	525.29
		आस्ट्रेलिया	8.74	421.26
		संयुक्त राज्य अमेरिका	6.88	318.69
	चावल	वियतनाम	0.72	46.11
			0.14*	–
1993-94	गेहूं	आस्ट्रेलिया	1.76	95.27
		संयुक्त राज्य अमेरिका	3.00	157.14
	चावल	वियतनाम	0.56*	–
1994-95	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1995-96	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1996-97	गेहूं	कनाड़ा	शून्य	शून्य
		आस्ट्रेलिया	7.52	463.10
		अर्जेन्टीना	0.46	28.57
1997-98		कनाड़ा	2.66	179.00
		आस्ट्रेलिया	6.38	392.90
		अर्जेन्टीना	0.49	30.43

*वियतनाम के प्रति बकाया पुरानी वस्तु के ऋण पर देय ब्याज के भुगतान के प्रति।

औषधीय गुणों से युक्त पौधे

1057. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ों पर पैदा होने वाले बहुमूल्य औषधीय गुणों से युक्त पौधों को वन संबंधी कानूनों का घोर उल्लंघन करते हुए तस्करी द्वारा विदेशों में भेजा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान कितने मामले प्रकाश में आए हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) भारत सरकार की वर्तमान निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत वनों से प्राप्त 53 पौधों को निर्यात की निषिद्ध सूची में शामिल किया गया हैं इसमें वे 45 पौधे भी शामिल हैं जो उत्कृष्ट रूप में औषधीय महत्व के हैं। पौधों, पौध उत्पादों तथा इनसे तैयार सामान की तस्करी के कुछ मामलों का समय-समय पर पता लगाया जाता है।

(ख) पिछले एक वर्ष (1996-97) के दौरान औषधीय पौधों की तस्करी के प्रयास किए जाने के 38 मामलों का पता चला और सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे उन पौधों के लिए स्वच्छंद रूप से परमिट जारी न करें जो नाजुक और संकटापन्न श्रेणियों में हैं और उनके अंधाधुंध दोहन से उनकी सुरक्षा करें।

[हिन्दी]

हिन्दुओं की संख्या में कमी

1058. **वैद्य दाऊ दयाल जोशी :**

श्री प्रमोद महाजन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 से 1991 की जनगणना के अनुसार हिन्दुओं की जनसंख्या में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार कितने प्रतिशत कमी आई है;

(ग) क्या ईसाइयों, मुसलमानों, बौद्धों और पारसियों जैसे अल्पसंख्यकों की जनसंख्या में राज्य-वार वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (ङ) 1971 और 1991 की जनगणनाओं के बीच किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में हिन्दुओं की जनसंख्या में कमी नहीं आई है। (जम्मू और कश्मीर के मामले में 1991 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि अशांत परिस्थितियों के कारण राज्य में 1991 की जनगणना नहीं कराई जा सकी थी। (तथापि, 1971 और 1991 की जनगणनाओं के बीच कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल जनसंख्या में हिन्दुओं के प्रतिशत में गिरावट आई है।)

आन्ध्र प्रदेश में ईसाइयों, बिहार, गोवा और केरल में बौद्धों तथा आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पांडिचेरी में पारसियों (जोरोस्ट्रियन/जोरोस्ट्रिनिज्म) की जनसंख्या को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 1971 और 1991 की जनगणनाओं के बीच ईसाइयों, मुलसमानों, बौद्धों और पारसियों (जोरोस्ट्रियन/जोरोस्ट्रियनिज्म) कि जनसंख्या में भी वृद्धि हुई है। 1971 और 1991 की जनगणनाओं के अनुसार भारत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल जनसंख्या और हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, बौद्धों, जोरोस्ट्रियन/जोरोस्ट्रियनिज्म (पारसी) की जनसंख्या तथा कुल जनसंख्या में उनके अनुपात को दर्शाने वाली सारणी विवरण के रूप में संलग्न है।

यह उल्लेखनीय है कि मानव प्रजननता स्त्री शिक्षा/साक्षरता, परिवार की आर्थिक स्थिति, निवास (नगरीय/ग्रामीण), समाज में महिलाओं की स्थिति, शिशु मृत्यु दर, जन स्वास्थ्य सुविधाओं और गर्भ निरोधकों तक पहुंच आदि जैसे कई कारणों पर निर्भर करती है। 1991 की जनगणना में दर्शाई गई धर्म के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि से मैक्रो स्तर की स्थिति का पता चलता है और प्रजननता जनसंख्या में वृद्धि और धर्म के बीच परस्पर संबंध के बारे में निष्कर्ष निकालने से पहले इसके लिए उत्तरदायी अन्य कारणों को अलग करते हुए गहन विश्लेषण करना होगा।

विवरण

1971 और 1991 की जनगणनाओं के अनुसार भारत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल जनसंख्या तथा हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, बौद्धों, जोरोस्ट्रियन/जोरोस्ट्रियनिज्म (पारसी) की जनसंख्या और कुल जनसंख्या में उनके अनुपात को दर्शाने वाली सारणी

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	जनगणना वर्ष	कुल जनसंख्या	हिन्दु	मुसलमान	ईसाई	बौद्ध	जोरोस्ट्रियन/ जोरोस्ट्रियनिज्म (पारसी)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	भारत (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर)	1991	838,583,988	687,646,721	101,596,057	19,640,284	6,387,500	76,382
			100.000	82.00	12.12	2.34	0.76	0.01
		1971	543,543,020	452,032,338	58,378,140	14,217,863	3,816,986	74
			100.00	83.16	10.74	2.62	0.70	0.02
1.	आन्ध्र प्रदेश	1991	66,508,008	59,281,950	5,923,954	1,216,348	22,153	439
			100.00	89.14	8.91	1.83	0.03	0.00
		1971	43,502,708	38,119,279	3,520,166	1,823,436	10,035	486
			100.00	87.63	8.09	4.19	0.02	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	1991	864,558	320,212	11,922	89,013	111,372	–
			100.00	37.04	1.38	10.30	12.88	–
		1971	467,511	102,832	842	3,684	61,400	–
			100.00	22.00	0.18	0.79	13.13	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	असम	1991	22,414,322	15,047,293	6,373,204	744,367	64,008	4
			100.00	67.13	28.43	3.32	0.29	0.00
		1971	14,625,152	10,604,618	3,592,124	381,010	22,565	1
			100.00	72.51	24.56	2.61	0.15	0.00
4.	बिहार	1991	86,374,465	71,193,417	12,787,985	843,717	3,518	185
			100.00	82.42	14.81	0.98	0.00	0.00
		1971	56,353,369	47,031,801	7,594,173	658,717	4,806	495
			100.00	83.46	13.48	1.17	0.01	0.00
5.	गोवा	1991	1,169,793	756,621	61,455	349,225	240	170
			100.00	64.68	5.25	29.85	0.02	0.01
		1971	795,120	496,389	26,480	270,126	260	135
			100.00	62.43	3.33	33.97	0.03	0.02
6.	गुजरात	1991	41,309,582	36,964,228	3,606,920	181,753	11,615	12,921
			100.00	89.48	8.73	0.44	0.03	0.03
		1971	26,697,475	23,835,471	2,249,055	109,341	5,469	15,131
			100.00	89.28	8.42	0.41	0.02	0.06
7.	हरियाणा	1991	16,463,648	14,686,512	763,775	15,699	2,058	–
			100.00	89.21	4.64	0.10	0.01	–
		1971	10,036,808	8,956,310	405,723	9,802	815	5
			100.00	89.23	4.04	0.10	0.01	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1991	5,170,877	4,958,560	89,131	4,435	61,081	37
			100.00	95.89	1.72	0.09	1.24	0.00
		1971	3,460,434	3,324,627	50,327	3,556	35,937	51
			100.00	96.08	1.45	0.10	1.04	0.00
9.	जम्मू और कश्मीर	1991	अशांत परिस्थितियों के कारण जनगणना नहीं की जा सकी					
		1971	4,616,632	1,404,292	3,040,129	7,182	57,956	4
			100.00	30.42	65.85	0.16	1.26	0.00
10.	कर्नाटक	1991	44,977,201	38,432,027	5,234,023	859,478	73,012	568
			100.00	85.45	11.64	1.91	0.16	0.00
		1971	29,299,014	25,332,388	3,113,298	613,026	14,139	344
			100.00	86.46	10.63	2.09	0.05	0.00
11.	केरल	1991	29,098,518	16,668,587	6,788,364	5,621,510	223	205
			100.00	57.28	23.33	19.32	0.00	0.00
		1971	21,347,375	12,683,277	4,162,718	4,494,089	605	46
			100.00	59.41	19.50	21.05	0.00	0.00
12.	मध्य प्रदेश	1991	66,181,170	61,412,898	3,282,800	426,598	216,667	92
			100.00	92.80	4.96	0.64	0.33	0.00
		1971	41,654,119	39,024,162	1,815,685	286,072	81,823	736
			100.00	93.69	4.36	0.69	0.20	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	महाराष्ट्र	1991	78,937,187	64,033,213	7,628,755	885,030	5,040,785	60,501
			100.00	81.12	9.66	1.12	6.39	0.08
		1971	50,412,235	41,307,287	4,233,023	717,174	3,264,223	72,266
			100.00	81.94	8.40	1.42	6.48	0.14
14.	मणिपुर	1991	1,837,149	1,059,470	133,535	626,669	711	
			100.00	57.67	7.27	34.44	0.04	
		1971	1,072,753	632,597	70,969	279,243	495	2
			100.00	58.97	6.62	26.03	0.05	0.00
15.	मेघालय	1991	1,774,778	260,306	61,462	1,146,092	2,934	13
			100.00	14.67	3.46	64.58	0.17	0.00
		1971	1,011,699	187,140	26,347	475,267	1,878	6
			100.00	18.50	2.60	46.98	0.19	0.00
16.	मिजोरम	1991	689,756	34,788	4,538	591,342	54,024	–
			100.00	5.04	0.66	85.73	7.83	–
		1971	332,390	21,229	1,882	286,141	22,647	–
			100.00	6.39	0.57	86.09	6.81	–
17.	नागालैण्ड	1991	1,209,546	122,473	20,642	1,057,940	581	–
			100.00	10.11	1.71	87.47	0.05	–
		1971	516,449	59,031	2,966	344,798	179	–
			100.00	11.43	0.57	66.76	0.03	–
18.	उड़ीसा	1991	31,659,736	29,971,257	577,775	666,220	9,153	10
			100.00	94.67	1.82	2.10	0.03	0.00
		1971	21,944,615	21,121,056	326,507	378,888	8,462	2
			100.00	96.25	1.49	1.73	0.04	0.00
19.	पंजाब	1991	20,281,969	6,989,226	239,401	225,163	24,930	30
			100.00	34.46	1.18	1.11	0.12	0.00
		1971	13,551,060	5,087,235	114,447	162,202	1,374	1
			100.00	37.54	0.84	1.20	0.01	0.00
20.	राजस्थान	1991	44,005,990	39,201,099	3,525,339	47,989	4,467	–
			100.00	89.08	8.01	0.11	0.11	–
		1971	25,765,806	23,093,895	1,778,275	30,202	3,642	281
			100.00	89.63	6.90	0.12	0.01	0.00
21.	सिक्किम	1991	406,457	277,881	3,849	13,413	110,371	15
			100.00	68.37	0.95	3.30	27.15	0.00
		1971	209,843	144,544	335	1,663	62,617	–
			100.00	68.88	0.16	0.79	29.84	–
22.	तमिलनाडु	1991	55,858,946	49,532,052	3,052,717	3,179,410	2,128	153
			100.00	88.67	5.47	5.69	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1971	41,199,168	36,674,150	2,103,899	2,367,749	1,148	75
			100.00	89.02	5.11	5.75	0.00	0.00
23.	त्रिपुरा	1991	2,757,205	2,384,934	196,495	46,472	128,260	–
			100.00	86.50	7.13	1.69	4.65	–
		1971	1,556,372	1,393,689	103,962	15,713	42,285	–
			100.00	89.55	6.68	1.01	2.72	–
24.	उत्तर प्रदेश	1991	139,112,287	113,712,829	24,109,684	199,575	221,433	389
			100.00	81.74	17.33	0.14	0.16	0.00
		1971	88,341,144	73,997,597	13,676,533	131,810	39,639	387
			100.00	83.76	15.48	0.15	0.04	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	1991	68,077,965	50,866,624	16,075,836	383,477	203,578	512
			100.00	74.72	23.61	0.56	0.30	0.00
		1971	44,312,011	34,611,864	9,064,338	251,752	121,504	585
			100.00	78.11	20.46	0.57	0.27	0.00
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1991	280,661	189,521	21,354	67,211	322	3
			100.00	67.53	7.61	23.95	0.11	0.00
		1971	115,133	70,134	11,655	30,342	103	2
			100.00	60.92	10.12	26.35	0.09	0.00
2.	चण्डीगढ़	1991	642,015	486,895	17,477	5,030	699	9
			100.00	75.84	2.72	0.78	0.11	0.00
		1971	257,251	184,395	3,720	2,504	92	5
			100.00	71.68	1.45	0.97	0.04	0.00
3.	दादरा और नगर हवेली	1991	138,477	132,213	3,341	2,092	200	78
			100.00	95.48	2.41	1.51	0.14	0.06
		1971	74,170	71,075	740	1,918	73	19
			100.00	95.83	1.00	2.59	0.10	0.03
4.	दमन और दीव	1991	101,586	89,153	9,048	2,904	31	–
			100.00	87.76	8.91	2.86	0.03	–
		1971	62,651	54,093	5,770	2,383	–	–
			100.00	86.34	9.21	3.80	–	–
5.	दिल्ली	1991	9,420,644	7,882,164	889,641	83,152	13,906	41
			100.00	83.67	9.44	0.88	0.15	0.00
		1971	4,065,698	3,407,835	263,019	43,720	8,720	302
			100.00	83.82	6.47	1.08	0.21	0.01
6.	लक्षद्वीप	1991	51,707	2,337	48,765	598	1	1
			100.00	4.52	94.31	1.16	0.00	0.00
		1971	31,810	1,545	30,019	239	–	–
			100.00	4.86	94.37	0.75	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	पांडिचेरी	1991	807,785	695,981	52,867	58,362	39	3
			100.00	86.16	6.54	7.22	0.00	0.00
		1971	471,707	400,793	29,143	41,296	21	11
			100.00	84.97	6.18	8.75	0.00	0.00

टिप्पणी :- (1) 1991 में जम्मू और कश्मीर में अशांत परिस्थितियों के कारण वहां जनगणना नहीं की जा सकी थी।

(2) कुल जनसंख्या में "सिक्ख", "जैन", "अन्य धर्म और समुदाय" तथा "धर्म नहीं बताया गया" के आंकड़े भी सम्मिलित हैं।

(3) दमन और दीव के जोरोस्ट्रियन/जोरोस्ट्रियनिज्म (पारसी) के आंकड़े गोवा के सामने दिए गए हैं।

(4) कुल जनसंख्या में प्रत्येक धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत पूर्ण आंकड़ों के नीचे दिया गया है।

[अनुवाद]

आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमत

1059. श्री के-एच- मुनियप्पा : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार महीनों के दौरान आवश्यक खाद्य वस्तुओं अर्थात् गेहूं, चावल, आम, केला, काफी, चाय तथा अन्य वस्तुओं की कीमतों में अत्यंत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उक्त खाद्य वस्तुओं की कीमतों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार का आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमत में वृद्धि रोकने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) जैसा कि सभी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक से प्रतिबिम्बित होता है, गत चार महीनों के दौरान वस्तुओं के सामान्य मूल्य स्तर में आंशिक बढ़ोत्तरी हुई है। 5.7.1997 को समाप्त (8.3.97 और 5.7.97 के मध्य) गत चार महीनों के दौरान चावल, गेहूं, आम, केला, कॉफी, चाय और समस्त वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत उतार-चढ़ाव निम्न प्रकार है:-

चावल	:	3.7
गेहूं		-18.3
आम		0.0
केला		10.1
कॉफी		1.2
चाय		36.3
समस्त वस्तुएं	:	102

(ग) और (घ) सरकार आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए कई कदम उठाती रही है। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कतिपय दीर्घकालिक उपायों के अलावा कम आपूर्ति वाली वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इनके आयात को बढ़ावा दिया जाता है। कुछ वस्तुओं की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सहकारी भंडारों के माध्यम से भी बाजार मूल्यों से कम मूल्यों पर की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत जमाखोरों और कालाबाजारियों तथा अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है।

बेसहारा बच्चे

1060. श्री एन- डेनिस : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेसहारा बच्चों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए किसी परियोजना की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय यह परियोजना किस चरण में है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) से (ग) बेसहारा बच्चों के कल्याण की योजना सरकार का एक सतत् कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य निराश्रयता, उपेक्षा, दुर्व्यवहार तथा शोषण का सामना कर रहे बेसहारा बच्चों की देखभाल, सुरक्षा तथा विकास के लिए समेकित समुदाय आधारित गैर-संस्थागत आधारभूत सेवाएं प्रदान करना है। सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत प्रति 300 बेसहारा बच्चों के लिए परियोजनाएं स्थापित करने हेतु लागत के 90 प्रतिशत तक गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान किया जाता है। प्रत्येक परियोजना के आवश्यक घटकों में बेसहारा बच्चों के पोषण, साक्षरता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, परामर्श तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं

शामिल हैं। वर्तमान में यह योजना देश के 23 शहरों में कार्यान्वित की जा रही है।

काली मिर्च की खेती

1061. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार काली मिर्च की खेती बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या काली मिर्च की खेती को प्रभावित करने वाली "सिल्ट विल्ट" पर कोई अनुसंधान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1997-98 के दौरान काली मिर्च के विकास के लिए 1123.75 लाख रुपये के परिव्यय से मसालों के विकास के लिए समेकित कार्यक्रम संबंधी एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना में क्वालिटी रोपण सामग्री के उत्पादन तथा वितरण संबंधी कार्यक्रम, काली मिर्च के पुराने बगीचों का पुनरुद्धार, वनस्पति संरक्षण उपाय अपनाना, तथा प्रदर्शनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी अन्तरण आदि शामिल है।

(ग) और (घ) काली मिर्च में "सिल्ट विल्ट" नामक रोग नहीं होता। बहरहाल, "स्लो विल्ट" नामक रोग काली मिर्च को प्रभावित करता है। अनुसंधान संबंधी निष्कर्षों में सुझाव के तौर पर निम्नलिखित नियंत्रण उपाय बताए गए हैं :-

1. फोरेट के 30 ग्राम विंग की दर से वर्ष में दो बार चुनिन्दा अनुप्रयोग से रोग काफी कम हो जाता है।
2. एक किलोग्राम/विंग की दर से नीम केक के अनुप्रयोग से वाइन के स्वास्थ्य में सुधार होता है, कार्बनिकों के लगातार अनुप्रयोग से पैथोजन संख्या कम हो जाती है।
3. रोग मुक्त जड़ की कलमों का उपयोग करके स्वच्छ नर्सरी लगाने की सिफारिश की गयी है।
4. "फाइटोफ्थेरा कैप्सीकाई" में रोग को कम करने के लिए मानसून के पूर्व तथा पश्चात् काली मिर्च की वाइन के निचले भाग को कॉपर ऑक्सीक्लोरेट (0.2 प्रतिशत) में भिगोकर रखने की सिफारिश की गयी है।
5. "पी कैप्सीकाई" से पत्तियों में होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए पत्तियों पर बोर्डेक्स मिश्रण (1 प्रतिशत) का छिड़काव करने की सिफारिश की गयी है।

तमिलनाडु में कुओं (बोर वैल्स) तथा हैण्ड पम्पों की स्थापना

1062. श्री पी॰ षण्मुगम : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में राहत कार्य में कोई विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) डिण्डीगुल तथा कामराज जिलों में कुएं (बोर वैल्स) स्थापित करने के संबंध में चालू वर्ष के दौरान कुल कितनी राशि आवंटित की गई; और

(घ) दक्षिणी जिलों के सूखे से पीड़ित लोगों के लाभ के लिए हैण्डपम्पों तथा कुओं की मरम्मत का शेष काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में राहत कार्यों में देरी होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को पूरा कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र व रोजगार मंत्रालय राज्य सरकार को केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत अनुदान देती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु को 1996-97 के दौरान 52.47 करोड़ रुपये तथा 1997-98 के दौरान 19.94 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिलावार/योजनावार आवंटन के बारे में राज्य सरकार निर्णय लेती है और ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय के पास जिलावार जानकारी नहीं रहती है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचार

1063. श्रीमती मीरा कुमार :
श्री के-एच॰ मुनियप्पा :
श्री अशोक प्रधान :
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास गत तीन वर्षों के दौरान देश में

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचार का रिकार्ड उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन दुर्घटनाओं में कितने लोग मारे गए, कितने घायल हुए और बलात्कार तथा घरों को जलाने की कितनी घटनाएं हुईं;

(घ) दोषसिद्धियों की संख्या तथा ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन दुर्घटनाओं के शिकार हुए व्यक्तियों अथवा उनके परिवारों को किस प्रकार का संरक्षण राहत तथा पुनर्वास सहायता प्रदान की गई; और

(च) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) घटना-वार मारे गए अथवा घायल हुए व्यक्तियों की संख्या के संबंध में सूचना अलग से केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती हैं। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/जनजाति के संबंध में बलात्कार और घरों को आग लगाने की घटनाएं, निम्न प्रकार हैं :-

	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति	
	बलात्कार	आगजनी	बलात्कार	आगजनी
1994	992	533	385	36
1995	872	500	369	40
1996	922	441	302	45

(घ) अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित मामलों में दोषी व्यक्तियों की दोषसिद्धि से संबधित सूचना, केन्द्र सरकार द्वारा अलग से नहीं रखी जाती है।

(ङ) से (च) ऐसे उपाय तथा कार्यक्रम तैयार करना अनिवार्यतः राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों का काम है जो अत्याचारों के शिकार व्यक्तियों या उनके परिवारों को संरक्षण, राहत देने तथा पुनर्वास करने के लिए आवश्यक हों। अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रति अत्याचारों की घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम करना भी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों का कार्य है।

केन्द्र सरकार अपनी ओर से इस विषय पर राज्य सरकारों को सलाह भेजती रही है तथा न केवल पुलिस व्यवस्था के मूलभूत ढांचे में सुधार करने के लिए अपितु अनुसूचित जाति/जनजाति के संबंधित मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए विशेष न्यायालय गठित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है।

विवरण

वर्ष 1994 से 1996 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ किए गए अपराध की घटनाएं

क्रम सं॰	राज्य	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति		
		1994	1995	1996	1994	1995	1996
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1202	1764	1629	193	165	252
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	2	2	5
3.	असम	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	789	747	उ॰न॰	103	232	उ॰न॰
5.	गोवा	2	4	1	0	0	0
6.	गुजरात	1936	172	1764	430	486	369
7.	हरियाणा	66	82	63	1	0	1
8.	हिमाचल प्रदेश	82	82	66	1	5	3
9.	जम्मू और कश्मीर	14	25	17	0	8	6
10.	कर्नाटक	957	1171	1089	67	96	180
11.	केरल	657	696	640	148	185	122
12.	मध्य प्रदेश	3745	3979	4075	1774	1690	1466
13.	महाराष्ट्र	1475	1622	1352	446	505	337

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मणिपुर	2	1	0	0	2	0
15.	मेघालय	0	2	0	1	2	1
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैण्ड	1	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	497	329	486	183	143	179
19.	पंजाब	9	8	12	1	4	1
20.	राजस्थान	4797	5197	6623	1396	1784	1393
21.	सिक्किम	21	33	14	22	40	46
22.	तमिलनाडु	1449	1293	1812	144	40	85
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	16166	14205	10963	97	105	336
25.	पश्चिम बंगाल	1	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	33868	32964	30606	5009	5494	4782
संघ शासित							
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
27.	चण्डीगढ़	14	0	0	0	0	0
28.	दादर व नगर हवेली	3	0	0	9	3	1
29.	दमन और दीव	0	2	उ॰न॰	0	1	उ॰न॰
30.	दिल्ली	7	6	11	1	0	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	16	24	13	0	0	0
	कुल (संघ शासित)	40	32	24	10	4	1
	कुल (समस्त भारत)	33908	32996	30630	5019	5498	4763

भेषज मूल्य निर्धारण नीति

1064. डा॰ असीम बाला : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भेषज संबंधी मूल्य निर्धारण नीति लागू करने जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में जड़ी-बूटियों से निर्मित दवाओं की मूल्य निर्धारण नीति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) और (ख) "औषध नीति, 86 में संशोधन" सितम्बर, 1994 में घोषित किए गए थे तथा इस पर आधारित भेषज मूल्य निर्धारण नीति पहले से ही विद्यमान है।

(ग) विद्यमान मूल्य निर्धारण नीति में सिर्फ एलोपैथिक औषधियां शामिल हैं।

[हिन्दी]

जानवरों की मौत

1065. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमला नेहरू प्राणी उद्यान, इन्दौर में रहस्यमयी परिस्थितियों में जानवरों की मौत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई जांच करायी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है तथा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) 12.2.1995 की रात को, एक कुत्ता किसी तरह चिंकारा बाड़े में दाखिल हो गया। परिणामस्वरूप, 7 चिंकारों की मौत हो गई। बताया गया है कि कुत्ते ने 2 चिंकारों को मार दिया और शेष चिंकारे भय और आतंक के कारण मर गए।

(ख) और (ग) प्रारंभिक पूछताछ से यह पता चला है कि रात्रि ड्यूटी के चौकीदारों ने लापरवाही बरती है। इस मामले को जांच के लिए पुलिस के सुपुर्द कर दिया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) तीन रात्रि ड्यूटी चौकीदारों और एक पर्यवेक्षक को निलंबित कर दिया गया है और दैनिक वेतनभोगी कार्मिक को काम से निकाल दिया है। प्राणि-उद्यान (जू) ने सुरक्षा-प्रयोजनों के लिए पूर्व-सैनिकों की नियुक्ति करने के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। बाड़ा के अनुरक्षण का काम देखने के लिए सहायक अभियंता की तैनाती की गई है।

धान और कपास के मूल्य

1066. श्री नवल किशोर राय :
प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :
श्री रमेश चेन्नित्तला :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 जुलाई, 1997 के "द आब्जर्वर" में "अकालीज फार्मर अनहैप्पी ओवर हाइक इन पेड्डी एंड कॉटन गाइसेज" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का पूसा-44 किस्म को सुपर फाइन श्रेणी में लाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस किस्म को विभिन्न राज्यों में विभिन्न श्रेणियों में रखा जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने इस किस्म को सभी राज्यों में सुपर फाइन श्रेणी में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) जी हां।

(ख) से (च) समानता कायम रखने के लिए भारत सरकार ने 1979-80 से बालासुब्रमण्यन समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में उगाए जाने वाले धान/चावल की किस्मों के वर्गीकरण के वर्तमान नियमों को अपनाने का निश्चय किया है एवं धान/चावल किस्मों के वर्गीकरण के उद्देश्य से लम्बाई/चौड़ाई अनुपात के आधार पर तीन वर्ग, अर्थात् सुपर फाइन, फाइन, एवं सामान्य की पहचान की गई है। धान/चावल की वैसी किस्मों जिनमें प्राकृतिक महक है, को उनके लम्बाई/चौड़ाई अनुपात का ध्यान रखे बिना एक अलग वर्ग "सुगंधित" में रखा गया है। वर्गीकरण के उपर्युक्त नियमों के अलावा, धान एवं चावल के समान विशिष्टीकरण में "निम्न वर्गों का सम्मिश्रण" के रूप में एक अंतर्निहित प्रणाली भी है जो धान/चावल किस्मों के वर्गीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इन नियमों के आधार पर पंजाब में धान/चावल पूसा-44 किस्म को "फाइन" वर्ग में रखा गया है एवं तदनुसार 1996-97 के दौरान खरीद करने वाली एजेन्सियों द्वारा इस किस्म को "फाइन" किस्म माना गया।

इस संबंध में भारत सरकार 1996-97 सहित प्रत्येक वर्ष धान, चावल एवं मोटे अनाज के समान विशिष्टीकरण को अग्रसारित करते समय सभी राज्य सरकारों के॰शा॰ प्रदेशों को स्पष्ट करती रही है कि वे समान विशिष्टीकरण का दृढ़ता से पालन करते हुए अनाज की खरीद सुनिश्चित करें ताकि संग्रहण एवं बाद में जनता के बीच इन्हें जारी करते समय होने वाली समस्याओं/शिकायतों से बचा जा सके।

[अनुवाद]

शार्ट सर्किट के कारण आग की घटनाएं

1067. श्री आई॰डी॰ स्वामी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 मई, 1997 के "दैनिक जागरण" में "लपटो पर बहता महानगर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) दिल्ली के विशेष संदर्भ सहित राज्य-वार और वर्ष-वार 1997 सहित अब तक गत तीन वर्षों के दौरान देश में बिजली के शार्ट सर्किट के कारण बड़ी आग की कितनी घटनाएं हुई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) जी हां श्रीमान्। समाचार में अन्य बातों के साथ-साथ हाल ही में दिल्ली में हुए बड़े अग्निकांडों का उल्लेख है और इसमें इन घटनाओं के संभावित कारणों का विश्लेषण किया गया है।

चूंकि "अग्नि शमन" राज्य का विषय है इसलिए समाचार में उल्लिखित घटनाओं के निवारण के लिए जरूरी उपाय करने का काम

अनिवार्यतः राज्य सरकारों का है। तथापि केन्द्र सरकार अपनी ओर से राज्यों को सलाह, प्रशिक्षण सुविधाएं और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती रही है ताकि वे, अग्निशमन सेवाओं से संबंधित अपनी मूलभूत सेवाएं सुदृढ़ कर सकें। सरकार केन्द्रीय रूप से अग्निकांडों के कारणवार आंकड़े नहीं रखती है।

[हिन्दी]

उपभोक्ता न्यायालयों में लम्बित मामले

1068. श्री काशी राम राणा :

श्री राम सागर :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग के समक्ष आज तक, स्तर-वार और राज्य-वार कितने लम्बित मामले हैं और ये मामले कब से लम्बित हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष आयोग ने कितने मामलों में कार्रवाई की है और उसके क्या परिणाम निकले?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में राज्यवार अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या दर्शायी गई है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उपभोक्ता न्यायालयों द्वारा अनिर्णीत मामलों को तेजी से निपटाने के लिए उठाए गए कदमों में से कुछेक इस प्रकार हैं :-

(1) उपभोक्ता न्यायालयों के आधार ढांचे को मजबूत करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1995-97 के दौरान 54.62 करोड़ रुपए की एक बार का अनुदान दिया है।

(2) केन्द्रीय/राज्य सरकारें तथा राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता न्यायालयों के कार्य की नियमित रूप से मानीटरिंग कर रहे हैं।

(3) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे विभिन्न उपभोक्ता न्यायालयों में सदस्यों/अध्यक्षों की रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरें।

(4) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे मामलों को मानीटर करने तथा उनके तेजी से निपटान के लिए उपभोक्ता न्यायालयों के अध्यक्षों की समय-समय पर बैठकें करें।

(ग) एक विवरण संलग्न है, जिसमें विभिन्न न्यायालयों में उनके आरम्भकाल से दायर किए गए कुछ मामलों की संख्या तथा उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा दिया गया है। वर्षवार अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

राज्य आयोगों द्वारा मामलों का निपटान

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरंभकाल से दायर किए गए मामलों की संख्या	आरंभकाल से निपटाए गए मामलों/शिकायतों की संख्या	अनिर्णीत मामले	निम्नलिखित के अंत में
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	7719	6118	1601	फरवरी, 97
अरूणाचल प्रदेश	14	10	4	जनवरी, 97
असम	657	271	386	अप्रैल, 96
बिहार	3165	1572	1593	दिसम्बर, 95
गोवा	621	514	107	दिसम्बर, 96
गुजरात	4663	3778	885	जनवरी, 97
हरियाणा	4889	3504	1385	मई, 97
हिमाचल प्रदेश	1502	1108	394	फरवरी, 97
जम्मू और कश्मीर	51	9	42	दिसम्बर, 97
कर्नाटक	4499	3106	1393	अगस्त, 96

1	2	3	4	5
केरल	8619	7803	816	मई, 97
मध्य प्रदेश	3143	2254	889	दिसम्बर, 95
महाराष्ट्र	8561	6366	2195	दिसम्बर, 96
मणिपुर	33	18	15	सितम्बर, 95
मेघालय	29	10	19	दिसम्बर, 96
मिजोरम	11	11	0	जनवरी, 97
नागालैण्ड	4	0	4	सितम्बर, 94
उड़ीसा	4620	2287	2333	दिसम्बर, 96
पंजाब	2514	1487	1027	मई, 97
राजस्थान	12087	4588	7499	फरवरी, 97
सिक्किम	12	10	2	मई, 97
तमिलनाडु	8140	6305	1835	अप्रैल, 97
त्रिपुरा	253	155	98	मार्च, 97
उत्तर प्रदेश	14879	3772	11107	दिसम्बर, 96
पश्चिम बंगाल	3691	1208	2483	दिसम्बर, 96
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12	11	1	मई, 97
चण्डीगढ़ प्रशासन	1306	1183	123	मई, 97
दादर व नगर हवेली	0	0	0	नवम्बर, 96
दमन और दीव	0	0	0	सितम्बर, 94
दिल्ली	6639	4710	1929	मार्च, 97
लक्षद्वीप	7	7	0	मार्च, 97
पांडिचेरी	388	302	86	जून, 97
योग :	102728	62477	40251	

[अनुवाद]

तिहाड़ जेल में महिला कैदी

1069. डा॰ एम॰ जगन्नाथ : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिहाड़ जेल में बंद महिला कैदियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से आजीवन कारावास, सावधिक कारावास तथा विचाराधीन कैदियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जेल में महिलाओं वाले कक्षों में अत्यधिक भीड़ हो गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली में सिर्फ महिलाओं के लिए विशेष जेल बनाने का है: और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) 16.7.97 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय कारागार तिहाड़ में रखी गई महिला कैदियों की संख्या 400 थी इसका ब्यौरा इस प्रकार है:-

आजीवन कारावास	34
निश्चित अवधि के लिए कैदी	15
विचाराधीन कैदी	347
निरुद्ध	04
	400

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) और (ङ) जी हां, श्रीमान्। तिहाड़ जेल परिसर में अनन्य रूप से महिला कैदियों के लिए ही 450 कैदियों की क्षमता वाली एक नई जेल निर्माणाधीन है।

[हिन्दी]

गन्ने की कीमत

1070. **जस्टिस गुमान मल लोढा :**

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में फिलहाल गन्ने के मूल्यों की घोषणा केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गन्ने के मूल्य निर्धारित करने के क्या मापदण्ड हैं;

(ग) क्या देश में गन्ने के दो मूल्यों की घोषणा किए जाने के कारण गन्ना उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की भावी नीति क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का मौजूदा नीति पर पुनर्विचार करने का है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 3 के अनुसार भारत सरकार प्रत्येक वर्ष गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की घोषणा करती है। अधिकांश राज्य चीनी फैक्ट्रियों को गन्ने का राज्य द्वारा सुझाया गया मूल्य अदा करने का परामर्श भी देती हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों को हिसाब में लेकर गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित किए जा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ चीनी, गन्ना और चीनी उद्योग से संबंधित कानूनों, नियमों और विनियमों का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है ताकि यह समिति गन्ना उत्पादन में वृद्धि करने और गन्ना उत्पादकों के लिए उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के तरीकों के संबंध में सुझाव दे सके।

महाराष्ट्र में स्वयंसेवी संगठन

1071. **श्री दत्ता मेघे :**

श्री पी॰एस॰ गढ़वी :

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात और महाराष्ट्र में स्वयंसेवी संगठनों को पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई अनुदान या वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उससे लाभान्वित हुए संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कुछ संगठनों ने अपने लेखे और प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रस्तुत किए हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात तथा महाराष्ट्र में स्वयंसेवी संगठनों को निर्मुक्त सहायता अनुदान के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) किसी भी स्वैच्छिक संगठन को अगले वर्ष के लिए सहायता अनुदान तब तक प्रदान नहीं किया जाता जब तक कि पूर्व वर्ष के लेखे का लेखा परीक्षित विवरण प्राप्त न हो जाए।

विवरण

1994-95, 1995-96 और 1996-97 के दौरान निर्मुक्त राशि (रुपए लाख में)

क्र.सं.	संगठनों का नाम	1994-95	1995-96	1996-97
1	2	3	4	5
	महाराष्ट्र			
	अनुसूचित जाति विकास से वित्तीय सहायता			
1.	सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसायटी	30.98	34.74	–
2.	पदम श्री अन्नासाहिब जादव भारतीय समाज उन्नति मंडल	14.68	14.75	–

1	2	3	4	5
3.	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ	0.68	0.41	0.83
4.	अखिल भारतीय मागास्वर्गीय समाज प्रमोदन संस्थान	2.68	0.56	0.37
5.	नवलभाऊ प्रतिष्ठान	2.68	0.56	0.37
6.	नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ वूमेन, चाइल्ड एंड यूथ विकास	0.53	1.11	2.40
7.	अहिल्या देवी महिला मंडली	0.21	0.21	–
समाज रक्षा से वित्तीय सहायता				
वृद्धों से सम्बन्धित कार्यक्रम				
1.	डब्ल्यू के मागिनी सेवा मंडल, धूले	1.32	3.69	3.45
2.	मुक्त द्वारा उन्नतिमंडल, जलगांव	1.92	–	3.13
3.	जानकीभाई ट्रस्ट, धूले	0.94	1.57	1.56
4.	राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज टैकनीकल एंड एजूकेशनल सोसायटी	0.67	1.95	1.34
बेसहारा बच्चों से संबंधित कार्यक्रम				
1.	स्लम बालक ट्रस्ट, बम्बई	3.51	5.07	10.45
2.	स्पोर्टस, बम्बई	5.40	3.70	4.99
3.	टाटा इन्स्टीच्यूट आफ सोशिल साईसिस, बम्बई	2.34	1.17	0.14
4.	यूथ फार यूनिटी एंड वालंटरी एक्शन, बम्बई	3.06	2.75	–
5.	वात्सल्य निर्मल निकेतन, बम्बई	8.02	–	–
6.	सीएसपी, बम्बई	5.42	–	–
7.	डिपार्टमेंट आफ कन्टीन्यूइंग एंड अडल्ट एजूकेशन एंड एक्सटेंशन वर्क्स, पुणे	5.65	–	–
8.	अपंग व निराधार बहुउद्देशीय कल्याणकारी संस्थान, नागपुर	0.62	3.70	–
9.	समाज कल्याण मंडल, नागपुर	0.62	3.70	–
10.	सोसायटी फार प्रोमोशन एरिया रिसोसिर्स सेंटर, बम्बई	3.35	–	–
नशीली दवा दुरूपयोग निवारण एवं रोकथाम के लिए कार्यक्रम				
1.	भारतीय आदिम जाति संघ, नागपुर	2.52	2.70	1.39
2.	गणेश शिक्षण प्रसारक मंडल, जिला लातूर	0.86	2.57	2.57
3.	इंटरनेशनल मिशन आफ डा॰ अम्बेडकर एजूकेशन सोसायटी, नागपुर	1.56	2.67	0.73
4.	इन्स्टीच्यूट आफ साइकोलोजिकली हैंडीकैप्ड, थाणे	0.66	0.88	1.10
5.	कल्याण एजूकेशन सोसायटी, नागपुर	0.87	0.84	2.02
6.	विकास फाउंडेशन, बम्बई	11.70	9.33	11.77
7.	महाबोद्धी एजूकेशन सोसायटी, बान्द्रा	0.87	2.40	2.56
8.	एमएसएस इन्स्टीच्यूट आफ सोशिल वर्कर, नागपुर	–	–	–
9.	मुक्तआंगन मित्रा, पुणे	15.82	7.45	14.19
10.	न्यू फ्रेंड्स सुविचार एजूकेशन सोसायटी, नागपुर	–	–	–
11.	परिवर्तन डी-एडीक्शन इन्स्टीच्यूट, सलारा सिटी	0.66	2.57	2.57
12.	राष्ट्रीय विद्यन्यान मंच, जलगांव	7.05	8.74	6.69

1	2	3	4	5
13.	सेवाधन, मुम्बई	11.09	9.05	9.31
14.	सर्वसेवा संघ, पुणे	2.04	1.08	–
15.	साम्यत दि विचार मंच, मुम्बई	1.52	1.08	–
16.	शहीद अबदुल हमीद एजूकेशन सोसायटी, जिला यवातमल	–	–	–
17.	वीर अर्जुन युवक मंडल, नागपुर	2.57	2.62	2.76
18.	युगान्तर एजूकेशन सोसायटी, नागपुर	0.67	1.09	–
19.	युवा शक्ति प्रतिष्ठान, मुम्बई	–	–	–
20.	अहिल्यादेवी महिला मंडल, नागपुर	–	0.44	–
21.	नेशनल एडिक्शन रिसर्च सेंटर, मुम्बई	–	–	1.47
	संगठनात्मक सहायता के लिए कार्यक्रम			
1.	बाल ग्राम एसओएस चिल्ड्रन विल्लेज, पुणे	0.50	0.50	–
2.	शुरूहुद मंडल, पुणे	0.25	0.75	–
3.	नेशनल एसोसिएशन फार दि ब्लाइंड, नासिक	0.25	–	0.25
4.	नेशनल फैडरेशन आफ दि ब्लाइंड, बम्बई	1.00	0.75	0.25
5.	नेशनल सोसायटी फार इक्वल आर्पोच्चनिटी फार दि हैंडीकैप्ड, बम्बई	0.75	–	–
6.	कारवेय आफ सोशिल सर्विस, पुणे	0.50	–	–
7.	कालेज आफ सोशिल वर्क, बम्बई	1.00	–	–
8.	इंडियन काउसिंल फार सोशिल वेलफयेर, बम्बई	–	–	0.92
	केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा)			
1.	श्री श्रद्धानन्द अनाथालय सोसायटी, नागपुर	3.09	2.41	–
2.	मैसर्स बलवन्त कौर आनन्द मेमोरियल सोसायटी, पुणे	4.03	1.96	4.01
3.	मैसर्स आधार आश्रम, नासिक	1.20	1.85	–
4.	मैसर्स पीपल्स एजूकेशन सोसायटी, बुलदाना	2.83	1.08	–
5.	मैसर्स बाल विकास महिला मंडल, लातूर	1.54	2.13	3.60
6.	मैसर्स वत्ससालय ट्रस्ट, बम्बई	2.37	2.17	1.10
7.	मैसर्स दनियान गंगोत्री एजूकेशन सोसायटी, लातूर	1.54	1.30	3.90
8.	मैसर्स श्रद्धानन्द आश्रम, बम्बई	–	–	–
9.	मैसर्स पंकज बहुउद्देशीय शिक्षण संस्थान, बान्द्रा	1.63	1.16	2.17
10.	मैसर्स जिला प्रोविशन एंड आफ्टर केयर एसोसिएशन, कोल्हापुर	0.55	–	0.79
11.	स्वर्ग सूदन पिंगले मेमोरियल ट्रस्ट, धूले	0.53	–	–
12.	मैसर्स प्रमोद नगर शासनिक और संस्कृत ट्रस्ट, धूले	0.53	–	–
13.	मैसर्स संत नरहरी एजूकेशन सोसायटी, धूले	0.53	–	–
14.	मैसर्स अपंककुष्ठ रोगी स्वालम्बन संस्था, धूले	0.53	1.40	–
15.	मैसर्स संन्धी निकेतन शिक्षण संस्था, लातूर	0.53	–	3.18

1	2	3	4	5
विकलांगों के कल्याण से संबंधित कार्यक्रम				
1.	एनएएसईओएच, बम्बई	2.00	2.00	1.00
2.	अयोध्या चेरीटेबल ट्रस्ट, पुणे	5.00	2.50	1.25
3.	फैलोशिप आफ दि फिजीकैली हैंडीकैप्ड, बम्बई	0.30	0.15	–
4.	इंडियन कैंसर सोसायटी, बम्बई	1.50	0.80	0.75
5.	एवाईजेएनआईएचएस, बम्बई	43.49	7.00	–
6.	सोसायटी फार द वैलफयेर आफ फिजीक्ली हैंडीकैप्ड, पुणे	0.30	–	–
7.	नेशनल एसोसिएशन फार द.ब्लाइंड, नासिक	0.03	0.02	0.01
8.	आर्टिफिशियल लिम्बस सेंटर, पुणे	–	1.00	–
9.	शुशुरूत मेडिकल केयर एंड रिसर्च सेंटर, पुणे	2.87	–	1.90
10.	हैलप्स आफ दि हैंडीकैप्ड, कोल्हापुर	0.91	0.90	0.45
11.	यूडीएचआर, नागपुर	–	–	10.00
अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित कार्यक्रम				
1.	अंजुमन ए तारिकी तालीम, नासिक	1.00	1.35	–
2.	अंजुमन ए इस्लाम, बम्बई	3.69	–	–
3.	एसएचएडी आदम शेख ट्रस्ट, बम्बई	2.34	–	–
4.	महाराष्ट्र कासमी एजूकेशन सोसायटी, पुणे	1.00	–	–
5.	मराठवाड़ा इन्स्टीच्यूट, औरंगाबाद	–	1.00	–
अनुसूचित जनजाति विकास से वित्तीय सहायता				
1.	बीएआईएफ डब्लपमेंट रिसर्च फांउडेशन, पुणे	–	2.84	–
2.	सेवाधाम ट्रस्ट, पुणे	0.88	0.70	–
3	सर्वेन्ट आफ इंडिया सोसायटी, पुणे	29.69	10.90	10.8
4.	एबीएम समाज प्रमोधन संस्थान जिला, थाणे	20.77	21.58	25.2
5.	नगलभाऊ प्रतिष्ठान जिला, धूले	2.97	1.48	–
6.	नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ वूमेन एंड चाइल्ड यूथ विकास, नागपुर	2.66	3.23	2.7
7.	ग्राम बाल शिक्षा केन्द्र जिला, रायगढ़	–	0.68	5.9
	गुजरात			
अनुसूचित जनजाति विकास से वित्तीय सहायता				
1.	हरिजन सेवक संघ	7.14	6.22	5.78
समाज रक्षा से वित्तीय सहायता वृद्धों से संबंधित कार्यक्रम				
1.	रचनात्मक अभिगम ट्रस्ट, अहमदाबाद	1.32	0.66	1.98
2	गुजरात केलावनी ट्रस्ट, अहमदाबाद	2.02	1.08	3.23
बेसहारा बच्चों से संबंधित कार्यक्रम				
1.	अखंड ज्योत फाउंडेशन, अहमदाबाद	6.90	7.20	6.71

1	2	3	4	5
2.	इंडियन काउसिंल फार सोशिल वेलफेयर, अहमदाबाद	7.39	3.70	11.09
3.	रचनात्मक अभिगम ट्रस्ट, अहमदाबाद	7.39	7.40	7.39
4.	बड़ौदा सिटीजन काउंसिल, बड़ौदा	0.62	3.39	–
5.	विकास ज्योत ट्रस्ट, बड़ौदा	0.62	3.35	6.67
नशीली दवा दुरूपयोग निवारण से संबंधित कार्यक्रम				
1.	गुजरात केलावनी ट्रस्ट, अहमदाबाद	11.83	11.72	10.42
2.	इंडियन काउंसिल फार सोशिल वेलफेयर, अहमदाबाद	2.80	1.40	–
3.	नसबन्दी मंडल, अहमदाबाद	19.36	11.23	10.47
4.	रचनात्मक अभिगम ट्रस्ट, अहमदाबाद	2.69	2.73	2.73
5.	एस॰सी॰ पटेल ट्रस्ट, बड़ौदा	7.04	6.47	6.53
संगठनात्मक सहायता से संबंधित कार्यक्रम				
1.	मंगलग्राम सेवा निधि जिला, बड़ौदा	0.46	–	0.38
2.	ज्योति संघ, अहमदाबाद	0.50	1.00	–
3.	गुजरात स्टेट क्राइयम प्रोवेशन ट्रस्ट, अहमदाबाद	1.00	–	–
4.	अखंड जोत फाउंडेशन, अहमदाबाद	0.50	0.50	–
5.	बड़ौदा सिटीजन काउंसिल, बड़ौदा	0.50	0.25	–
6.	इंडियन काऊंसिल फार सोशिल वेलफेयर, अहमदाबाद	0.25	0.50	0.25
7.	विकास विद्यालय, बद्धवान सिटी	0.18	0.43	0.25
8.	ब्लाइंड मेनस एसोसिएशन, अहमदाबाद	0.50	0.50	0.25
9.	गुजरात रक्त पित्त निवारण संघ	–	0.75	–
केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (कारा)				
1.	मैसर्स तपीवाई आर गांधी विकास विल, भावनगर	0.53	–	–
2.	मैसर्स विकास विद्यालय, बद्धवान सिटी	0.53	1.62	2.03
3.	मैसर्स शिशु मंगल ट्रस्ट, जूनागढ़	0.53	1.41	–
4.	मैसर्स काठियाबाड़ निराश्रित बाल आश्रम, राजपुर	0.53	1.20	1.11
विकलांगों के कल्याण से संबंधित कार्यक्रम				
1.	वी–I सोसायटी, बडौदरा	4.47	1.74	–
2.	मानव दयाट्रस्ट, सूरत	0.25	–	–
3.	के॰एल॰ इन्स्टीच्यूट आफ डैड, भावनगर	10.62	5.31	2.65
4.	मेडिकल केयर सैंटर, बड़ौदा	7.60	7.60	6.00
5.	ब्लाइंड वूमेन एसोसिएशन	34.00	34.00	6.00
अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित कार्यक्रम				
1.	अंजुमन ए कालीमिनी इन्दौरा चैरिटेबल ट्रस्ट, भैरूच	2.97	–	–
2.	मकदुम एजूकेशन सोसायटी, सूरत	1.50	–	–

1	2	3	4	5
3.	सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, बल्लभ विद्यानगर	1.00	–	–
4.	नार्थ गुजरात यूनिवर्सिटी, पाटन	1.00	–	–
अनुसूचित जनजाति विकास से वित्तीय सहायता				
1.	भारत सेवाआश्रम संघ, अहमदाबाद	0.82	1.08	1.12
2.	जरपन नशलपुर विभाग, सूरत	1.54	–	–
3.	श्री सर्वोदय आश्रम जिला, बानसकण्ठा	2.10	7.88	1.92
4.	श्री मनी लाल गंगादास पटेल सर्वोदय केन्द्र, जिला बानसकंठा	7.04	3.10	1.97
5.	ग्राम स्वराज संघ, जिला कच्छ	5.29	2.55	1.69
6.	श्रीमती सुशीला बेन मणिलाल संगीमीर मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट, जिला कच्छ	4.97	3.11	1.75
7.	लोक निकेतन, जिला बानसकंठा	4.84	5.86	1.44

अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर व्यय

1072. **कुमारी उमा भारती :**

श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर होने वाले अत्यधिक व्यय के बारे में चिंतित है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 के दौरान अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या सरकार अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर व्यय में कटौती करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) चूंकि "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं इसलिए किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में रह रहे/मौजूदा व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की है। इसीलिए अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर विभिन्न राज्यों द्वारा किए जाने वाले व्यय के बारे में जानकारी गृह मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं है और न ही रखी जाती है। तथापि 1996-97 के दौरान दिल्ली पुलिस ने अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए 9.55 करोड़ रुपए का व्यय किया है। प्रधान मंत्री की सुरक्षा पर एस॰पी॰जी॰ द्वारा किए गए व्यय के ठीक-ठीक आंकड़े देना संभव नहीं है क्योंकि प्रशासनिक ढांचा प्रशिक्षण सुविधाएं, कुछ निश्चित प्रकार के उपकरण वाहन जैसी व्यय की कुछ मदें प्रधान मंत्री के साथ-साथ पूर्व प्रधान मंत्रियों की सुरक्षा के लिए भी वही हैं। प्रधान मंत्री और उनके परिवार के सदस्यों पर 1996-97 के दौरान एस॰पी॰जी॰ द्वारा किया गया व्यय लगभग 13.21 करोड़ रुपए था।

(ग) और (घ) सरकार ने हाल ही में अति अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की समीक्षा की है और अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा पर होने वाले व्यय को आगे कम करने के लिए कुछ उपाय किए हैं। अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की लगातार समीक्षा की जाती रहती है और समय-समय पर जरूरी परिवर्तन किए/लागू किए जाते हैं।

[अनुवाद]

सुपर बाजार

1073. **श्री हरिन पाठक : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार के पास अपने मुकदमों को निपटाने हेतु विधि अधिकारी के अतिरिक्त अधिवक्ताओं तथा वरिष्ठ परामर्शदाताओं का एक पैनल है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक अधिवक्ता के लिए निर्धारित शुल्क सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अपने विधि अधिकारियों की तुलना में इन अधिवक्ताओं द्वारा कितने मामले निपटाये गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) सुपर बाजार दिल्ली द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार इसके पास चार वकीलों/अधिवक्ताओं का एक पैनल है और इसके अतिरिक्त एक विधि अधिकारी तथा एक

विधि सहायक को उन्होंने अपने यहां नियुक्त किया है जो सुपर बाजार के कानूनी मामलों को देखते हैं। जब कभी भी आवश्यक हो सुपर बाजार द्वारा विशेषज्ञों/वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सेवाएं भी ली जाती हैं।

(ख) सुपर बाजार के पैनल में रखे गए अधिवक्ताओं और उनके शुल्क का ब्यौरा संलग्न विवरण पर दिया गया है।

(ग) सुपर बाजार के अपने विधि अधिकारी और उनके अधिवक्ताओं/वकीलों के पैनल द्वारा गत तीन वर्षों में निपटाए गए मामलों की वर्षवार संख्या नीचे दी गई है :-

वर्ष	अधिवक्ताओं का पैनल	अपना विधि अधिकारी
1994	64	57
1995	71	56
1996	66	42

विवरण

पैनल में रखे गए अधिवक्ताओं का विवरण और उनका शुल्क

1. सुपर बाजार के पैनल में रखे गए अधिवक्ता

नाम	न्यायालय	प्रतिधारण शुल्क
1. श्री आर॰ एम॰ बगाई	उच्च न्यायालय	500 रु॰ प्रतिमाह
2. श्री प्राग चावला	उच्च न्यायालय	शून्य
3. श्री एच॰ एल॰ दस्सी	जिला न्यायालय	शून्य
4. श्री सी॰पी॰ पुरी	दण्ड न्यायालय	शून्य

2. शुल्क वसूली

(क) *उच्च न्यायालय*

(I) प्रति प्रभावी सुनवाई	1100 रु॰
(II) प्रति अप्रभावी सुनवाई	300 रु॰
(III) प्रति मामला ड्राफ्टिंग शुल्क	250 रु॰

(ख) *जिला न्यायालय*

(I) प्रति प्रभावी सुनवाई	88 रु॰
(II) प्रति अप्रभावी सुनवाई	66 रु॰
(III) प्रति मामला ड्राफ्टिंग शुल्क	250 रु॰

3. विशेषज्ञ/वरिष्ठ अधिवक्ता/परामर्शदाता

उच्चतम न्यायालय में महत्वपूर्ण मामलों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सेवाएं ली जाती हैं। ऐसे मामलों में देय शुल्क का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति से विशेषज्ञ अधिवक्ता/परामर्शदाता की वरिष्ठता और उसके अनुभव पर निर्भर करते हुए व्यक्तिगत आधार पर किया जाता है।

थाचर को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में शामिल करना

1074. **श्री एन॰के॰ प्रेमचन्द्रन :**

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची के संशोधन को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सूची में "थाचर" समुदाय और बागडा जनजाति को शामिल कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 1976 तक अनुसूचित जाति की सुविधाओं का लाभ उठाते रहे "थाचर" समुदाय के सदस्यों की कठिनाई को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों का विशेष रूप से उल्लेख करने वाले आदेशों के संशोधन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) थाचर समुदाय के सदस्यों के द्वारा अनुसूचित जातियों के लाभों का उपयोग तभी किया जा सकता है जब इस समुदाय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (2) के अनुसार अनुसूचित जाति में मिला लिया जाता है।

घुसपैठियों तथा विद्रोहियों की आवाजाही

1075. **श्री बादल चौधरी :**

श्री बाजू बन रियान :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा और बंगलादेश के बीच 839 कि॰मी॰ लम्बी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा करने के लिए सीमा सुरक्षा बल की तैनाती पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रयोजनार्थ त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा बल की कितनी बटालियनों की आवश्यकता होगी;

(ग) त्रिपुरा से लगती भारत-बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य की प्रगति क्या है;

(घ) क्या खंटलांग से एम•के• पारा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भाग है और बंगलादेश के चिरगांव पर्वतीय क्षेत्र के साथ-साथ लगती है पर एक सीमा सड़क का निर्माण करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) भारत-बंगलादेश सीमा के त्रिपुरा सैक्टर के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल की मौजूदा तैनाती पर्याप्त नहीं समझी गई है। तथापि अन्यत्र वचनबद्धता के कारण अब तक इस सैक्टर में सीमा सुरक्षा बल की तैनाती को बढ़ाना संभव नहीं हो सका है।

(ग) त्रिपुरा में अब तक बाड़ लगाने का कार्य शुरू नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) जी हां, श्रीमान। यदि विचाराधीन प्रस्तावों का अनुमोदन हो जाता है तो यह आशा की जाती है कि खांतलांग से एम•के• पारा तक की सीमा सड़क 2001 ई• तक पूरी कर ली जाएगी।

सुन्दर वन

1076. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री सुन्दरवन के बारे में 18 मार्च, 1997 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3590 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त विषय के बारे में जानकारी एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके विशिष्ट कारण क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो• सैफुद्दीन सोज) : (क) जी, हां। दिनांक 18.3.1997 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3590 के आश्वासन का अनुपालन कर दिया गया है। अनुपालन रिपोर्ट की प्रति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

प्र•सं•,तारीख और सदस्य का नाम	विषय	दिया गया वचन	कब और कैसे पूरा किया गया	विलंब के कारण
श्री सत्यजीत सिंह डी• गायकवाड़ द्वारा दिनांक 18.03.97 को पूछा गया अता•प्र•सं• 3590.	सुन्दर वन पूछा था कि :- (क) क्या सुन्दरवन का एक बड़ा क्षेत्र रिहायशी स्थल में बदल दिया गया है; (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और (ग) अभयारण्य की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?	(क) से (ग) तक : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।	(क) और (ख) जी नहीं। तथापि, 24 परगना जिला के तहत अभयारण्य के बाहर की तरफ हरभंगा वन क्षेत्र के 1, 2 और 3 कम्पार्टमेंट में 773 है• भूमि पश्चिमी बंगाल सरकार के शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास विभाग को दी गई थी जोकि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधिसूचित होने से पहले था। (ग) अभयारण्य क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए गहन नियमित गश्त और विभिन्न उपायों से प्राकृतिक आवासों के सुधार किए जा रहे हैं। जिसमें वनों के तटवर्ती निवासियों में जागरूकता पैदा करना और क्षेत्रों में बनाई गई पारि-विकास समितियों के माध्यम से स्थानीय लोगों का भाग लेना शामिल है।	

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन संबंधी लम्बित पड़े मामले

1077. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :
श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांच वर्षों से अधिक समय से लम्बित पड़े स्वतंत्रता सेनानी पेंशन संबंधी कुल मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए उन मामलों की संख्या कितनी है जिनमें सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा प्रमाण पत्र दिए गए हैं लेकिन उनके रिकार्ड न्यायालयों में उपलब्ध नहीं है या नष्ट कर दिए हैं;

(ग) इन लम्बित पड़े मामलों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या माननीय संसद सदस्यों द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया है और लंबित मामलों को निपटाया नहीं गया है; और

(ङ) स्वतंत्रता सेनानियों के हजारों मामलों के लंबित होने के क्या कारण हैं और क्या सरकार इससे संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार कर रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा कोई आवेदन सरकार के पास लम्बित नहीं है।

(ख) इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(ग) पेंशन प्रदान करने हेतु उनके आवेदनों के अस्वीकार किए जाने के केन्द्र सरकार के निर्णय से खिन्न होकर आवेदक अपने मामलों में पुनर्विचारण के लिए अभ्यावेदन/संवीक्षा याचिकाएं भेजते रहते हैं। ऐसे मामलों पर तब ही विचार किया जाता है जब आवेदकों द्वारा अपने दावों के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी/स्वीकार्य दस्तावेजों साक्ष्य भेजे गए हों। इसके अलावा सरकार ने दो विख्यात स्वतंत्रता सेनानियों सहित, स्वतंत्रता सेनानी डिवीजन के प्रभारी संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में लंबित पड़े मामलों का शीघ्रता से निपटान करने में सरकार की सहायता हेतु एक स्पेशल आडिट टीम (एस॰ए॰टी॰) गठित की है।

(घ) संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की विधिवत रूप से पावती भेजी जाती है तथा उनके द्वारा भेजे गए मामलों को मौजूदा नीति के अनुसार निपटाया जाता है।

(ङ) पेंशन प्रदान करने हेतु आवेदकों की प्राप्ति और निपटान एक सतत् प्रक्रिया है। तथापि स्वतंत्रता सेनानियों की समस्याओं की जांच करने के लिए सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों और अधिकारियों की एक संयुक्त समिति गठित की है। संयुक्त समिति के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ पेंशन स्वीकृत करने की वर्तमान प्रक्रिया की पुनरीक्षा करना शामिल है।

[अनुवाद]

मेलघाट वन

1078. श्री अनन्त गुढ़े : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जुलाई, 1997 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "मेलघाट फोरेस्ट लूजिंग एनीमल्स टू पोकरस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस समाचार में की गई टिप्पणियों तथा दिए गए तथ्यों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान मेलघाट परियोजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है और परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मंत्रालय ने महाराष्ट्र के मुख्य वन्यजीव वार्डन से यह अनुरोध किया है कि इस मामले की जांच करें और यदि यह समाचार रिपोर्ट सही है तो तत्काल आवश्यक कदम उठाएं तथा यथाशीघ्र मंत्रालय को तत्संबंधी परिणामों के बारे में सूचित करें।

(घ) प्रचालन संबंधी वार्षिक योजना इस मंत्रालय को प्राप्त हो चुकी है और इस पर कार्यवाही की जा रही है। स्कीमों/परियोजनाओं के कारगर कार्यान्वयन हेतु, निगरानी तथा मूल्यांकन राज्य सरकार तथा भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

सुरक्षा के लिए अर्ध-सैनिक बलों का दुरूपयोग

1079. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया :
श्री दिलीप संघानी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 मई, 1997 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में "पैरा मिलिट्री फोर्सिज आर बीइंग मिसयूज्ड फॉर वी॰आई॰पी॰ सिक्यूरिटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कुछ अति विशिष्ट व्यक्तियों जिन्हें एस॰पी॰जी॰ सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है, ने सरकार से इसे वापस लेने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां श्रीमान्।

(ख) दिल्ली पुलिस में कार्मिकों की कमी के कारण दिल्ली पुलिस विशिष्ट व्यक्तियों/अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु स्थिर/चलती-फिरती ड्यूटियों के लिए विभिन्न अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों की सेवाएं ले रही है।

(ग) और (घ) पूर्व प्रधान मंत्री श्री वी॰ पी॰ सिंह और उनकी पत्नी तथा श्री एच॰डी॰ देवेगौड़ा, पूर्व प्रधान मंत्री से एस॰पी॰जी॰ सुरक्षा व्यवस्था हटा लेने के संबंध में अनुरोध प्राप्त हुआ है। पूर्व प्रधान मंत्रियों के अनुरोधों की जांच की जा रही है। नवीनतम संभावित खतरे के आधार पर वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था की योजनाएं, जो उनके मामलों में अपेक्षित हों, तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का विकास

1080. **श्री विश्वेश्वर भगत :**

श्री महेश कुमार एम॰ कनोडिया :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी मात्रा में फलों और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है और उसमें कितने प्रतिशत फलों और सब्जियों का प्रसंस्करण किया जा रहा है;

(ख) इस उद्योग के उचित विकास में क्या खामियां हैं; और

(ग) विश्व में फल और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के नाते खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के मद्देनजर इसके आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) अनुमान है कि देश में लगभग 100 मिलियन टन फल और सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। कुल उत्पादन में से प्रसंस्कृत किए जाने वाले फल और सब्जियों का प्रतिशत जो कि 1988 में 0.5 प्रतिशत था, 1996 में बढ़कर 1.8 प्रतिशत हो गया है।

(ख) और (ग) हालांकि इस उद्योग के विकास की काफी संभावनाएं हैं पर इसकी धीमी गति से प्रगति के कारण फसलोत्तर प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी, किसानों और प्रसंस्करणकर्त्ताओं के बीच अपर्याप्त लिंकेज और विपणन प्रयासों की कमी आदि है। सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों इसमें फल तथा सब्जी प्रसंस्करण शामिल हैं के विकास के लिए अनेक उपाय कर रही है जिनमें अन्यों के साथ-साथ विदेशी पूंजी समेत पूंजी निवेश हेतु उदारीकृत नीतियाँ, उन पर लगे नियंत्रणों को हटाना और राजकोषीय रियायतें उपलब्ध कराना शामिल है। बीज प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अनेक योजना स्कीमें भी चला रहा है जिसके तहत राज्य सरकारों/संयुक्त क्षेत्र/सहकारी क्षेत्र आदि को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

[अनुवाद]

कल्याणकारी कार्यक्रम

1081. **श्री बाजूबन रियान :**

श्री बादल चौधरी :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपनी तीन और चार अप्रैल, 1997 को की गई त्रिपुरा की यात्रा के दौरान राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और सामाजिक रूप से पिछड़े अन्य वर्गों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कल्याण मंत्री द्वारा घोषित पैकेज कार्यक्रम	कार्यान्वयन के लिए की गई कार्रवाई
1	2
1. गरीब आदिवासियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए रबड़ आधारित विकास योजनाओं के वित्त पोषण हेतु योजनाओं का एक पैकेज तैयार करने के लिए नई दिल्ली में शीघ्र ही सभी संबंधित मंत्रियों/केन्द्र और राज्य सरकार के विभागों की एक बैठक बुलाई जाएगी ताकि इन योजनाओं के वित्तपोषण की पद्धति को अंतिम रूप दिया जा सके। इन योजनाओं के वित्तपोषण में	इस संबंध में सभी संबंधित मंत्रालयों/केन्द्र और राज्य सरकारों के विभागों तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय स्तर के वित्त एवं विकास निगम की एक बैठक नई दिल्ली में बुलाने का प्रस्ताव है।

1	2
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों की राष्ट्रीय स्तर की केन्द्रीय संस्थाओं को उपयुक्त ढंग से शामिल किया जाएगा।	
2. वर्ष 1997-98 के दौरान अनुसूचित जनजाति के लड़कों एवं लड़कियों के लिए 10 होस्टलों को मंजूरी दी जाएगी।	इन होस्टलों की मंजूरी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और मंजूरी की सूचना शीघ्र दे दी जाएगी।
3. कम साक्षरता पाकेटों के लिए स्कूलों की योजना के अंतर्गत मानदंडों के पूरा होने पर 1997-98 के दौरान एक या दो आदिवासी बालिका स्कूलों की मंजूरी दी जाएगी।	कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय नामक योजना के ब्यौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लड़कियों के लिए स्कूलों की मंजूरी पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि मानदंड पूरे हों।
4. आदिवासी उप योजना क्षेत्रों के लिए राज्य को विशेष केन्द्रीय सहायता के आबंटन में महत्वपूर्ण वृद्धि की जाएगी।	उत्तर-पूर्वी पैकेज के भाग के रूप में त्रिपुरा की आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 444.66 लाख रु॰ से बढ़ाकर 635 लाख रु॰ कर दी गई है और 320 लाख रु॰ के प्रथम किस्त की निर्मुक्ति कर दी गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा आदिवासी विकास के लिए महाराष्ट्र मॉडल अपनाए जाने पर 100 लाख रु॰ की राशि प्रदान की गई है।
5. कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए योजनाएं शुरू करने के लिए कम से कम 20 गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान की जाएगी।	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यक्रम शुरू करने हेतु वर्तमान में त्रिपुरा में 4 गैर-सरकारी संगठनों को सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 1997-98 के दौरान स्वीकृति हेतु 16 अन्य गैर-सरकारी संगठनों के अनुदान पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे गैर-सरकारी संगठन पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।
6. 5 वृद्धावस्था गृह स्वीकृत किए जाएंगे।	पांच वृद्धावस्था गृहों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हो गए हैं जिन पर कार्रवाई की जा रही है।
7. विकलांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र तथा उपकरण खरीदने/लगाने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन हेतु चार जिलों में से प्रत्येक जिले के लिए 10.00 लाख रु॰ की दर से 40.00 लाख रु॰ मंजूर किए जाएंगे।	ए डी आई पी योजना के तहत वर्ष 1996-97 के दौरान डी आर डी ए साऊथ त्रिपुरा को 10.00 लाख रु॰ का अनुदान निर्मुक्त किया गया। चालू वर्ष के दौरान डी आर डी ए, नार्थ त्रिपुरा तथा डी आर डी ए, अम्बासा से प्राप्त प्रस्तावों पर कुछ अधिक सूचना तथा निवेश की आवश्यकता है। इन दोनों जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी आर डी ए) से आवश्यक दस्तावेज भेजने के लिए अनुरोध किया गया। इस मंत्रालय ने प्रस्ताव भेजने के लिए राज्य सरकारों को दिनांक 7.6.96, 31.12.1996 तथा 9.6.1997 को भी अर्द्ध-शासकीय पत्र लिखे हैं।
8. 40 लाख रु॰ स्वीकृत किए जाएंगे यदि राज्य सरकार गैर-संगठनों द्वारा प्रबंध किए जा रहे अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के लिए प्रस्ताव भेजते हैं।	अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के लिए त्रिपुरा राज्य सरकार से प्रस्तावों की अभी प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

आदिवासी क्षेत्रों के लिए योजनाएं

1082. **श्री कचरू भाऊ राउत :**
श्री आर॰ साम्बासिवा राव :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1997-98 के लिए आदिवासियों तथा आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक वर्ष इन पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) पिछले वर्षों के दौरान तैयार की गई योजनाएं वर्ष 1997-98 में जारी रखी जा रही हैं। वर्ष 1997-98 में आदिवासियों के कल्याण के

लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धनराशि के आबंटन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) नौवीं योजना के लिए आबंटन को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

(रु॰ करोड़ में)

क्र॰सं॰	योजना	वर्ष 1997-98 के लिए परिव्यय
	अनुसूचित जनजाति विकास	
1.	आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	330.00
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक(1) के अंतर्गत अनुदान	75.00
3.	अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता	10.00
4.	लघु वन उत्पाद कार्यों के लिए राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगम को सहायता अनुदान	10.00
5.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल	4.00
6.	अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल	4.00
7.	आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल	5.00
8.	आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण	3.75
9.	आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए साक्षरता में विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर	4.00
10.	अनुसंधान और प्रशिक्षण	
	(क) आदिवासी अनुसंधान संस्थानों को अनुदान और अनुसंधान छात्रवृत्ति पुरस्कार	5.75
	(ख) अनुसूचित जनजाति के लिए अखिल भारतीय अथवा अन्तर्राज्यीय स्वरूप की परियोजनाओं को समर्थन	0.50
	1. ट्राइफेड में निवेश	.00
	2. ट्राइफेड को मूल्य समर्थन	2.00
	3. ट्राइफेड को सहायता अनुदान	-
	4. ग्राम खाद्यान्न बैंक	2.00
	5. आदिम आदिवासी समूहों का विकास	2.00
	कुल	481.00

दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

1083. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत दिल्ली में नए गोदामों के निर्माण हेतु कौन-कौन से स्थान चुने गए हैं अथवा चुने जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या नए गोदामों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार नए गोदामों का निर्माण कहां-कहां किया गया है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) फिलहाल दिल्ली में नए गोदामों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। चूंकि 0.53 लाख टन खाद्यान्नों के मासिक आवंटन को ध्यान में रखते हुए 31.5.97 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध क्षमता अर्थात् 3.78 लाख टन क्षमता पर्याप्त है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मित गोदामों और 1997-98 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्माण हेतु प्रस्तावित गोदामों के राज्य-वार स्थानों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान जहां राज्यवार गोदाम निर्मित किए गए थे, उनकी स्थिति बताने वाला विवरण

वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केन्द्र	निर्मित क्षमता (टन में)
1	2	3
1994-95	आन्ध्र प्रदेश/दोवले स्वरम	10,000
	पश्चिम बंगाल/दानकुनी	1,660
	उड़ीसा/रय्यागड्डा	5,000
	उड़ीसा/अट्टाबीरा	3,340
	उड़ीसा/केसिंगा	3,340
	उड़ीसा/उमेरी	5,000
	मध्य प्रदेश/मेघनगर	5,000
	महाराष्ट्र/रत्नगिरि	5,000
	गुजरात/वलसाड़	5,000
	मिजोरम/भैराबी	2,500

1	2	3
1995-96	पंजाब/धुरी	21,690
	पंजाब/पटियाला	29,180
	कर्नाटक/बेल्लरी	10,000
	आन्ध्र प्रदेश/जाम्मीकुंटा	10,000
	आन्ध्र प्रदेश/काजीपेट	15,000
	आन्ध्र प्रदेश/जंगलापल्ली	15,000
	मध्य प्रदेश/नूरा	10,000
	मिजोरम/एजवाल	4,590
	मिजोरम/भैरावी	2,500
1996-97	जम्मू और कश्मीर/श्रीनगर	1,670
	उत्तर प्रदेश/धमोरा	10,000
	उत्तर प्रदेश/रोजा	10,000
	राज्यवार उन स्थानों का ब्यौरा जहां गोदाम निर्माणाधीन हैं/जहां 1997-98 के दौरान निर्माण कार्य शुरू किया जाना है	
	उत्तर प्रदेश/धमोरा	25,000
	उत्तर प्रदेश/रोजा	10,000
	जम्मू और कश्मीर/बारामूला	5,000
	जम्मू और कश्मीर/श्रीनगर	3,330
	हिमाचल प्रदेश/कुल्लू	1,670
	कर्नाटक/तुमकूर	5,000
	कर्नाटक/उदुपी	10,000
	कर्नाटक/कूर्ग	2,500
	केरल/मीनानगड़ी	5,000
	महाराष्ट्र/शोलापुर	15,000
	मध्य प्रदेश/धामत्री	10,000
	बिहार/गुमला	5,000
	बिहार/कटिहार	25,000
	उड़ीसा/झरसुगुडा	15,000
	उड़ीसा/पारलेखेमुंडी	10,000
	नागालैंड/दीमापुर	10,000

[अनुवाद]

राजमार्गों के लिए पर्यावरणीय मंजूरी

1084. श्री राम नाईक : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार द्वारा निजीकरण योजना के अंतर्गत प्रस्तावित एक्सप्रेस राजमार्ग कौन-कौन से हैं, उनकी लम्बाई तथा अनुमानित निवेश कितना है और पर्यावरणीय मंजूरी के लिए परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की तारीख क्या है;

(ख) उनमें से कितनी और कौन-कौन सी परियोजनाएं स्वीकार की गई हैं और कितनी परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं तथा उनके लम्बित होने के क्या कारण हैं; और

(ग) शेष परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) परियोजनाओं का ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) मंत्रालय परियोजना प्रस्तावकों से अपेक्षित सूचना प्राप्त होने के बाद इन परियोजनाओं के बारे में निर्णय लेगा।

विवरण

निजीकरण स्कीम के अंतर्गत पर्यावरण निकासी के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट एक्सप्रेस हाईवे परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सड़क की लंबाई (कि.मी.)	अनुमानित निवेश (करोड़ रुपये)	भेजने की तारीख	स्थिति
1.	मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे	86.5 (लगभग)	1937.5	18.10.95	परियोजना प्रस्तावकों द्वारा जैव वास अध्ययन, जैव भिन्नता पर परियोजना का प्रभाव जैसी अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है।
2.	मुंबई-तालासारी एक्सप्रेसवे	104	1400 (1993 के कार्यक्रम के अनुसार	3.7.97	परियोजना निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई है इसलिए 24.7.1997 को इसे वापस कर दिया गया।
3.	बान्द्रा-वर्ला को जोड़ने वाला वैस्ट आइलैण्ड एक्सप्रेसवे	5.6	205 (1992 की मूल्य दर पर	17.6.93	परियोजना प्रस्तावकों से व्यापक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट मांगी गई थी जो अभी प्राप्त होती है।

उड़ीसा में अकाल की स्थिति

1085. **श्री चित्त बसु :**

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री भक्त चरण दास :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दल ने वर्ष 1996 और 1997 के दौरान उड़ीसा के कालाहांडी, बोलनगीर तथा अन्य जिलों के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(ग) यदि हां, तो उक्त आयोग द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सूखा राहत उपाय न किए जाने के कारण बड़ी संख्या में लोग इन क्षेत्रों से पलायन करने के लिए बाध्य हो गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य की वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए क्या-क्या अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारी दल ने राज्य में भूख से हुई मौतों की जांच के लिए दिसम्बर, 1996 में उड़ीसा का दौरा किया।

(ख) और (ग) सरकार की टिप्पणियां लेने के लिए आयोग द्वारा भेजे गए अधिकारी दल की रिपोर्ट के सिवाय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से कोई भी औपचारिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) उड़ीसा सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, सूखे की स्थिति के कारण भारी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। पड़ौसी राज्यों में अच्छे कार्य और अच्छी आय की तलाश में लोगों का जाना सीमावर्ती जिलों में एक आम बात है।

सूखे के दुष्प्रभाव को कम करने तथा पलायन रोकने के लिए राज्य में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जैसे जवाहर रोजगार योजना, रोजगार गारन्टी योजना, इन्दिरा आवास योजना, लाखों कुएं निर्माण योजना, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

बच्चों का अपहरण

1086. **श्रीमती पूर्णिमा वर्मा :**

श्रीमती शीला गौतम :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अपहरण, विशेषकर बच्चों के अपहरण की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1 जनवरी, 1997 से आज तक दिल्ली में अपहृत बच्चों की महीने-वार संख्या कितनी है;

(घ) दिल्ली में विभिन्न थानों में विशेषकर डिफेंस कालोनी थाने में बाल अपहरण के कितने मामले दर्ज किए गए और उनमें से कितने बच्चों का पता लगा लिया गया है; और

(ङ) इस संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) वर्ष 1997 के दौरान (22.7.97 तक) दिल्ली में बच्चों के अपहरण के 401 मामलों सहित अपहरण के 601 मामले दर्ज किए गए। (1996 की इसी अवधि के दौरान दिल्ली में बच्चों के अपहरण के 321 मामलों सहित अपहरण के 543 मामले दर्ज किए गए थे।

(ग) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:-

	अपहृत बच्चों की संख्या
जनवरी, 1997	54
फरवरी, 1997	64
मार्च, 1997	55
अप्रैल, 1997	73
मई, 1997	58
जून, 1997	68
जुलाई, 1997 (15.7.97 तक)	45
कुल	417

(घ) 1997 (22.7.97) के दौरान सूचित किए गए बच्चों के अपहरण के 401 मामलों में 417 बच्चों का अपहरण किया गया था जिनमें से 244 को बरामद किया जा चुका है। इनमें से 5 मामले पुलिस स्टेशन डिफेंस कालोनी क्षेत्र में सूचित किए थे जिनमें 5 बच्चों का अपहरण किया गया था और इनमें से 4 को बरामद कर लिया गया है।

(ङ) बच्चों के अपहरण की रोकथाम करने हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा उठाये गए कदमों में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सुरक्षा टिप्स तैयार करना जो इन बच्चों के माता-पिता, स्कूल प्राधिकारियों तथा स्वयं बच्चों को परिचालित किए जाते हैं, बच्चों को सभा के दौरान बच्चों को ब्रीफ करने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा स्कूलों के दौरे करना, स्कूलों के नजदीक गश्त बढ़ाना, खासकर (स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय तथा लोगों को सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रैस में विज्ञापन जारी करना शामिल है।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र विकास योजना

1087. श्री द्वारका नाथ दास : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बांग्लादेश की सीमा से सटे असम के करीमगंज जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आवंटित धनराशि वास्तव में काफी कम है;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत राशि को जिला प्रशासन को सीधे नहीं दिया जा सका;

(ग) क्या करीमगंज जिले के कुछ विकास खंडों को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र विकास योजना की धनराशि के लाभ से वंचित रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो बांग्लादेश की सीमा से सटे उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र विकास परियोजना के अंतर्गत धनराशि के आवंटन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केवल वे ही प्रखण्ड आते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे हुए हैं। असम में करीमगंज जिले के केवल चार प्रखण्ड नामतः उत्तरी करीमगंज, पाथेरकांडी लोवरेपोआ, दक्षिण करीमगंज और बदरपुर को ही इस कार्यक्रम के तहत लाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों को धन का आवंटन सीमावर्ती प्रखण्डों के क्षेत्रफल उनकी जनसंख्या और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई की बराबर-बराबर महत्व देते हुए किया जाता है। धन का सेक्टर तथा स्थानिक आधारित वितरण शुरू की जाने वाली योजनाओं और इन्हे लागू करने वाली एजेंसियों के चयन का निर्णय, राज्य स्तर पर गठित संवीक्षा समिति द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

भोपाल गैस त्रासदी

1088. श्री सुशील चन्द्र : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित मुआवजे के लिए कुल कितने मामले न्यायालय में दर्ज किए गए, उनमें से कितने मामले निपटाए गए और कितने मामले अभी भी लंबित पड़े हैं;

(ख) लंबित मामले कब तक निपटा दिए जाएंगे; और

(ग) मृत्यु से संबंधित उस समय कितने मामले थे जब दूसरी बार मुआवजे के लिए आवेदन मांगे गए थे?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) से (ग) पंजीकृत मुआवजों दावा मामले, 30.6.97 तक निपटाए गए मामले तथा 1.7.97 तक लंबित मामलों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

श्रेणी	पंजीकृत मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	लम्बित
मृत्यु	15,310	15,132	178
आहत	5,97,306	4,25,114	1,72,192

भोपाल गैस विभीषिका (दावों पर कार्रवाई) अधिनियम, 1985 द्वारा स्थापित विशेष न्यायालयों द्वारा दावों का निपटारा किया जा रहा है। 1985-89 तक के 5 वर्षों के दौरान पंजीकृत 15,310 मृत्यु के मुआवजा दावों के अतिरिक्त, 2 दिसंबर, 1996 को जारी की गई अधिसूचना, जिसमें उन लोगों, जिन्होंने पहले मुआवजा दावा दायर नहीं किया था, को मुआवजा दावा दायर करने का मौका दिया गया था, के परिणामस्वरूप न्यायालय में 6,821 मृत्यु से संबंधित मुआवजा मामले प्राप्त हुए हैं।

[अनुवाद]

बच्चों की तस्करी

1089. श्रीमती शारदा टाडीपारथी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के महीनों में इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुछ लोगों को कुछ बच्चों को ऊंट दौड़ के लिए शारजाह भेजने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस रैकेट द्वारा भारत को माध्यम बनाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि वर्ष 1997 के दौरान इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

पुष्प कृषि

1090. श्री रनजीव बिसवाल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पुष्प कृषि उद्योग अपनी चरम सीमा पर है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक राज्य में इस उद्योग में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में पुष्प कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के पुष्पोत्पादन के अंतर्गत हुए कुल कितनी हैक्टेयर भूमि लाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) जी, हां पुष्पोत्पादन उद्योग ने हाल ही में सभी राज्यों में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है।

(ग) राज्यों में पुष्पोत्पादन के विकास के लिए भारत सरकार ने वाणिज्यिक पुष्पोत्पादन पर एक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना कार्यान्वित की है। इस योजना के मुख्य घटक हैं क्षेत्र विस्तार, अच्छी रोपण सामग्री की आपूर्ति तथा मॉडल पुष्पोत्पादन केन्द्र के माध्यम से तकनीकी जानकारी, टिशू कल्चर प्रयोगशालाएं और प्रशिक्षण।

(घ) नौवीं योजना के निरूपण के लिए बागवानी विकास संबंधी कार्यदल ने नौवीं योजनावधि के दौरान 40,000 हैक्टेयर भूमि को पुष्पोत्पादन के अंतर्गत लाए जाने का अनुमान लगाया है।

चावल के वितरण में गड़बड़ी के मामले

1091. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा की गयी व्यवस्था के तहत हरियाणा और पजांब से चावल की दुलाई के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में इसका वितरण न किए जाने अथवा कम मात्रा में वितरण किए जाने संबंधी मामलों का हाल ही में पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम के दोषी अधिकारियों और निजी ट्रांसपोटरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने हाल में एक मामले का पता लगाया है जिसमें खाद्यान्नों की दुलाई के लिए नियुक्त दो परिवहन ठेकेदार, नामतः मै॰ गौतम एसोसिएट, मोहाली और मै॰ याजेन अय्यर एंड कंपनी, पिहोवा ने कैथल और पिहोवा से इम्फाल (मणिपुर) भेजने के लिए उठाए गए 4.25 करोड़ रुपए मूल्य के क्रमशः 4368 टन और 1543 टन चावल की सुपुर्दगी नहीं दी है।

(ग) प्रारम्भिक जांच के आधार पर भारतीय खाद्य निगम ने अपने एक जिला प्रबंधक और 6 सहायक प्रबंधकों को निलम्बित किया हुआ है। चूककर्ता ठेकेदारों के विरुद्ध खाद्यान्नों के दुर्विनियोग के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से भारतीय खाद्य निगम ने यह मामला विस्तृत जांच करने और दुर्विनियोजित चावल का पता लगाने के लिए 14.7.1997 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेज दिया है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली/आर॰पी॰डी॰एस॰ के संबंध में निगरानी प्रकोष्ठ

1092. प्रो॰ ओम पाल सिंह निडर :
श्री नारायण अठावले :
श्री श्याम लाल बंशीवाल :
श्रीमती केतकी देवी सिंह :
श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली/पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और कारगर बनाने के लिए शीघ्र ही एक निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अलग मानीटरिंग सैल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मानीटरिंग करने के लिए राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र द्वारा तैयार किया गया प्रपत्र निर्दिष्ट किया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू करने के साथ इन प्रपत्रों में परिवर्तन किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रत्येक माह इन प्रपत्रों में केन्द्रीय सरकार के पास सूचना देना अपेक्षित होता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावी मानीटरिंग करने के लिए ये प्रपत्र इस प्रकार तैयार किए गए हैं कि उचित दर दुकानों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं के वास्तविक निर्गम की मानीटरिंग की जा सके।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठन

1093. डा॰ अरूण कुमार शर्मा : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है;

(ख) इस प्रकार दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के चुनाव संबंधी मानदंड क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के गैर-सरकारी संगठनों से कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उन गैर-सरकारी

संगठनों की वास्तविक संख्या क्या है जिन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर असम के विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्तावों को अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) उन कल्याण योजनाओं के ब्यौरे अनुबंध में हैं जिनके अंतर्गत विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) वित्तीय सहायता के लिए गैर-सरकारी संगठनों के चयन के लिए मानदंड विभिन्न कल्याण योजनाओं के दिशानिर्देशों में निर्धारित किए गए हैं।

(ग) उत्तर पूर्वी राज्यों के गैर-सरकारी संगठनों से कुल 307 प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से 166 संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

(घ) प्रस्तावों को विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए निर्धारित शर्तों के अनुरूप नहीं होने पर अस्वीकृत कर दिया जाता है।

विवरण

क्रम सं॰	योजना का नाम
1	2
1.	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।
2.	अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए कम साक्षरता वाले पाकेटों में शैक्षिक परिसर।
3.	अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।
4.	कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग।
5.	शिशु गृह योजना।
6.	विकलांगों के कल्याण के लिए संगठनों को सहायता अनुदान।
7.	कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संगठनों को सहायता अनुदान।
8.	विशेष स्कूलों की स्थापना और विकास के लिए संगठनों को सहायता अनुदान।
9.	मानसिक मंदता और प्रमस्तिष्क अंगघात के क्षेत्र में जनशक्ति विकास के लिए संगठनों को सहायता अनुदान।
10.	वृद्धों के कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना।
11.	वृद्धावस्था गृह के निर्माण के लिए पंचायत राज संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना।
12.	समाज रक्षा सेवा प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना।
13.	बेसहारा बच्चों के कल्याण की योजना।
14.	मद्य निषेध तथा नशीली दवा दुरूपयोग निवारण की योजना।

आई॰पी॰एम॰ फार्मर्स फील्ड स्कूल

1094. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकीकृत कीटनाशक प्रबंधन/कृषक क्षेत्र विद्यालय योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कोई विशेष कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आई॰पी॰एम॰ संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम की कोई समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंध संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की योजना क्रियान्वित की जा रही है जिसके तहत एक केन्द्रीय आई॰पी॰एम॰ केन्द्र, इन्दौर, मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। इन्दौर स्थित केन्द्र किसानों के क्षेत्रीय स्कूलों के माध्यम से समेकित कीट प्रबन्ध को बढ़ावा दे रहा है। यह केन्द्र समय पर नियंत्रक उपायों के संबंध में सलाह देने के लिये कीट तथा रोगों के प्रबोधन में लगा हुआ है। इसके अलावा, यह केन्द्र इन्दौर जिले में जैव-नियंत्रक एजेंटों के सामूहिक उत्पादन, उनकी क्षेत्रीय निर्मुक्ति तथा संरक्षण के काम में लगा हुआ है। चार गांवों में चार किसान क्षेत्रीय स्कूलों की स्थापना की गई है। इसके अलावा, इन्दौर में 17.12.1996 तथा 15.1.1997 के बीच चना/तुर के लिये मौसम पर्यन्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं। 1997-98 के दौरान इन्दौर केन्द्र द्वारा 24 कृषक क्षेत्रीय स्कूलों की स्थापना की जा रही है।

(ग) और (घ) यद्यपि इस कार्यक्रम का कोई भी सुव्यवस्थित मूल्यांकन नहीं कराया गया है, तथापि नमूना अध्ययनों तथा मूल्यांकनों से पता चलाता है कि समेकित कीट प्रबंध कार्यक्रम बहुत ही किफायती तथा पारिस्थितिकी के अनुकूल है। किसान इसको अपनाने में बहुत ही ग्राही तथा सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप

1095. श्री बी-एल- शंकर : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 तथा 30 जून, 1997 तक राज्यवार एवं संघ राज्य क्षेत्रवार भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारियों को विभिन्न आरोपों जैसे भ्रष्टाचार अपराधियों से सांठ-गांठ एवं अन्य गैर-कानूनी गतिविधि में संलिप्त दौरे के कारण हिरासत में लिया गया;

(ख) उनमें से कितने अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही की गई है;

(ग) इस संबंध में शेष बचे हुए अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) शेष बचे हुए अधिकारियों के विरुद्ध तथा नौकरशाही में बढ़ते भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु वर्ष 1997-98 के दौरान की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

झींगा पालन

1096. श्री ए- रमना :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय विनियमन के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप पश्चिमी तथा पूर्वी तटों के साथ लगे क्षेत्र में एक्वा फार्म समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिमी तथा पूर्वी तटीय क्षेत्रों के साथ लगे क्षेत्र में जल खेती के संबंध में किन्हीं तटीय राज्यों ने कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा- एस- वेणुगोपालाचारी) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों से मिली सूचनाओं के अनुसार, उड़ीसा में 509 झींगा मछली पालन फार्म खत्म कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र में एक फार्म अंशतः नष्ट हो चुका है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस मंत्रालय के साथ-साथ कुछ राज्य सरकारों द्वारा दिनांक 11.12.1996 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा हेतु उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की गई है। मामला विचाराधीन है।

पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन

1097. श्री नामदेव दिवाथे :

श्री संदीपान थोरात :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने संबंधी दर्ज किए गए मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान दर्ज किए गए मामलों के निपटान संबंधी स्थिति क्या है;

(ग) क्या अधिकांश मामलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अभियोग लगाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इन मामलों की प्रतिशतता क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वर्तमान स्थिति और उसके कार्यकरण की समीक्षा की है ताकि उसके कार्यकरण में निश्चित रूप से सुधार हो सके;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सुदृढ़ बनाने और उसका दर्जा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और इस प्रयोजन के लिए चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो- सैफुद्दीन सोज) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन

1098. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

श्री नारायण अठावले :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री टी- गोविन्दन :

श्री एन-एन- कृष्णादास :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान और जुलाई, 1997 तक राज्यवार

और मदवार गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी का तेल जैसे खाद्यान्नों की कितनी मात्रा में आपूर्ति की गई है;

(ख) क्या विभिन्न राज्य विशेष रूप से केरल और उड़ीसा से इन मदों के लिए अपना कोटा बढ़ाने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) अगस्त, 1996 से जुलाई, 1997 के दौरान आवंटित गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी के तेल की राज्य-वार मात्रा बताने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) से (घ) जी, हां। खाद्यान्नों के अतिरिक्त आवंटन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोध और इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई बताने वाला विवरण-II संलग्न है।

लेवी चीनी का आवंटन 1991 की जनसंख्या के अनुसार 425 ग्राम प्रति व्यक्ति के एक समान मानदण्ड के आधार पर किया जाता है जबकि मिट्टी के तेल का आवंटन विगत मांग, उठान-प्रवृत्ति और सापेक्ष आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। उन राज्यों, जहां मिट्टी के तेल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से कम है वहां इसे राष्ट्रीय औसत के स्तर पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। आयातित पामोलीन का कोटा राज्यों की उनकी मांग के आधार पर दिया जाता है। केन्द्र सरकार ने 1997-98 से संबंधित आयात कार्यक्रम को अंतिम रूप नहीं दिया है।

विवरण-I

अगस्त, 96 से जुलाई, 97 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित गेहूं, चावल, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल, चीनी का राज्य-वार आबंटन

आंकड़े हजार टन में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं	चावल	चीनी	खाद्य तेल	मिट्टी का तेल
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	183.00	2538.40	298.12	21.00	532.22
अरूणाचल प्रदेश	7.17	109.18	3.56	0.00	8.94
असम	345.38	606.34	92.20	0.40	237.12
बिहार	697.12	413.96	390.59	0.30	601.50
गोवा	35.91	82.66	5.31	1.60	25.44
गुजरात	727.95	364.00	178.55	26.00	748.48
हरियाणा	209.97	42.00	72.11	0.00	147.23
हिमाचल प्रदेश	140.69	108.00	22.15	0.60	52.98
जम्मू और कश्मीर	339.00	474.08	39.12	0.30	81.89
कर्नाटक	341.00	1336.60	202.08	6.00	460.79
केरल	522.72	2939.24	126.89	1.00	262.35
मध्य प्रदेश	632.97	618.38	297.01	0.00	472.21
महाराष्ट्र	1055.68	802.08	340.20	21.00	1418.22
मणिपुर	30.21	108.32	7.90	0.90	20.45
मेघालय	29.14	183.64	7.36	0.30	18.18
मिजोरम	21.05	88.67	3.02	0.60	7.07
नागालैण्ड	9.74	87.78	5.35	1.20	12.39
उड़ीसा	461.00	983.08	143.19	3.00	211.68
पंजाब	154.13	16.92	92.29	0.00	305.75
राजस्थान	1290.86	51.06	198.10	0.15	320.94

1	2	3	4	5	6
सिक्किम	8.20	57.80	1.85	0.33	7.09
तमिलनाडु	254.10	1801.96	251.07	3.00	636.74
त्रिपुरा	20.56	180.24	11.44	0.30	28.25
उत्तर प्रदेश	1142.77	514.40	624.65	0.00	1049.23
पश्चिम बंगाल	1066.40	734.50	306.36	10.00	705.34
अंडमान और निकोबार	9.00	30.68	3.54	0.10	4.82
चण्डीगढ़	20.93	3.38	4.18	0.00	19.63
दादर व नगर हवेली	2.79	5.32	0.64	0.24	2.92
दमन और दीव	2.24	6.28	0.45	0.38	2.76
दिल्ली	725.40	225.78	125.43	2.40	223.67
लक्षद्वीप	0.50	6.67	1.02	0.12	0.83
पांडिचेरी	7.20	20.70	4.79	2.00	13.95
जोड़	10494.78	15542.10	3860.52	103.21	8641.05

विवरण–II

खाद्यान्नों के अतिरिक्त आवंटन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोध और भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा देने वाला विवरण

क्र-सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अतिरिक्त आवंटन के लिए अनुरोध	भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय
1	2	3	4
1.	अरूणाचल प्रदेश	जून, 1997 से 1802 टन चावल का आवंटन करना।	आर्थिक लागत पर प्रति माह 1802 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
2.	असम	जून, 1997 से 8488 टन चावल आवंटन करना।	आर्थिक लागत पर प्रति माह 8488 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
3.	गोवा	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन किए गए पूर्व आवंटन को बहाल करना।	स्टाक की कमी को ध्यान में रखते हुए अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है।
4.	हरियाणा	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं के 8050 टन के मासिक आवंटन को बढ़ाकर 36,000 टन करना।	स्टाक की कमी को ध्यान में रखते हुए अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है।
5.	जम्मू और कश्मीर	जून, 1997 से 12,500 टन चावल और 3420 टन गेहूं का आवंटन करना।	प्रतिमाह 12,500 टन चावल और 3420 टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
6.	कर्नाटक	आवंटन को 75,000 टन से बढ़ाकर 1.15 लाख टन (40,000 टन अतिरिक्त) प्रति मास किए जाने के लिए अनुरोध।	स्टाक की कमी को ध्यान में रखते हुए अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है।
7.	केरल	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवंटित 17.76 लाख टन की मात्रा को पिछले वर्ष किए गए 20.74 लाख टन के स्तर तक कुल आवंटन करने का अनुरोध।	स्टाक की कमी को ध्यान में रखते हुए अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है।

1	2	3	4
8.	मणिपुर	जून, 1997 से 740 टन चावल आवंटित करना।	आर्थिक लागत पर प्रतिमाह 740 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
9.	मेघालय	जून, 1997 से 5338 टन चावल का आवंटन करना।	आर्थिक लागत पर प्रतिमाह 5338 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
10.	मिजोरम	जून, 1997 से 83 टन चावल आवंटित करना।	आर्थिक लागत पर प्रतिमाह 83 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
11.	उड़ीसा	जून, 1997 से 5 मास के लिए 20,000 टन चावल आवंटित करना।	आर्थिक लागत पर प्रतिमाह 20,000 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
12.	राजस्थान	गेहूं के आवंटन को पिछले वर्ष 1,25,000 टन प्रति माह अर्थात् 15 लाख टन वार्षिक के स्तर पर बहाल करना।	स्टाक की कमी को ध्यान में रखते हुए अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है।
13.	सिक्किम	जून, 1997 से 2,000 टन चावल आवंटित करना।	आर्थिक लागत पर प्रतिमाह 2000 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
14.	तमिलनाडु	जून, 1997 से छः मास के लिए 81,000 टन चावल आवंटित करना।	आर्थिक लागत पर प्रतिमाह 81,000 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
15.	त्रिपुरा	जून, 1997 से 1020 टन चावल आवंटित करना।	आर्थिक लागत पर प्रतिमाह 1020 टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
16.	उत्तर प्रदेश	प्रति वर्ष 2.00 लाख टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन करने का अनुरोध	स्टाक की कमी को ध्यान में रखते हुए अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है।
17.	पश्चिम बंगाल	खाद्यान्नों के आवंटन को मई, 1997 के स्तर (लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पूर्व) पर बहाल करना	स्टाक की कमी को ध्यान में रखते हुए अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है।
18.	दिल्ली	गेहूं के मासिक आवंटन को 40,400 टन से बढ़ाकर 65,000 टन और चावल के मासिक आवंटन को 12,890 टन से बढ़ाकर 20,000 टन करना। इसके अलावा, जुलाई, 1997 से पैरामिलिट्री फोर्स के लिए 80 टन चावल और 150 टन गेहूं आवंटित करना।	स्टाक की कमी को ध्यान में रखते हुए अनुरोध को स्वीकार करना संभव नहीं है। तथापि, जुलाई, 1997 से पैरामिलिट्री फोर्स के लिए आर्थिक लागत पर 80 टन चावल और 150 टन गेहूं का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

ड्रिप सिंचाई योजना के अंतर्गत राजसहायता का पुनः वर्गीकरण

1099. श्री सनत मेहता : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ड्रिप सिंचाई योजना (ड्रिप इर्रिगेशन स्कीम) के अंतर्गत राज-सहायता के वितरण के लिए राज्य ने पुनः वर्गीकरण हेतु एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त समिति से सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन-किन राज्यों को वगीकृत किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो यह मामला इस समय किस चरण में लंबित है; और

(च) इस संबंध में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। हालांकि ड्रिप सिंचाई में प्रयुक्त घटकों और प्रणाली की लागत के विभिन्न पहलुओं को जांचने के लिए अगस्त, 1996 में एक समिति का गठन किया गया था।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

1100. **श्री मंगल राम प्रेमी :** क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में विशेषकर मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान किए जाने में भारी अनियमितताएं बरती गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितताओं के बारे में प्रेस रिपोर्टों के माध्यम से पता चला है। राज्य सरकारों से इस संबंध में ब्यौरों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों को निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता नीचे दी गई है :-

(रु. लाख में)

वर्ष	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता	
	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश
1994-95	725.23	386.9588
1995-96	820.89	1669.82
1996-97	1982.79	2070.823

गेहूं की खरीद

1101. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई भी गेहूं वसूली-केन्द्र अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया है और किसान गेहूं को छोड़कर अन्य फसलें पैदा करने के लिए बाध्य हैं जिसके परिणामस्वरूप स्थिति बड़ी जटिल हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) मूल्य समर्थन योजना के अधीन गेहूं की वसूली किसानों के लिए स्वैच्छिक है। इस प्रकार गेहूं की वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं।

चालू रबी विपणन मौसम 1997-98 में 21.7.97 तक केन्द्रीय पूल के लिए 92.63 लाख टन गेहूं की वसूली की गई है जबकि पिछले मौसम 1996-97 में 81.83 लाख टन गेहूं की वसूली की गई थी।

फसल वर्ष 1996-97 के दौरान गेहूं का अखिल भारत उत्पादन लगभग 68.71 मिलियन टन होने की संभावना है जो कि फसल वर्ष 1995-96 में किए गए 62.62 मिलियन टन के उत्पादन से 9.73 प्रतिशत अधिक है।

कृषि मंत्रालय न्यूनतम समर्थन मूल्यों को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित करता है। मूल्य निर्धारित करते समय सभी "इनपुटस" की लागत और कृषि उत्पाद के लाभकारी मूल्य तय करने से संबंधित सभी अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार किसानों के हितों की पूर्णतः रक्षा की जाती है।

सुपर बाजार में माल सूची

1102. **श्री राम सागर :** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** सुपर बाजार में माल सूची के बारे में 26 नवम्बर, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 710 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार में विक्रय को प्रभावित किये बिना ही सम्पति सूची का स्तर घट गया है;

(ख) यदि हां, तो माल सूची तथा अक्तूबर, 1996 से 30 जून, 1997 तक विभाग-वार और माह-वार विक्रय का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सुपर बाजार को अपने कर्जदारों से राशि वसूल करनी है;

(ङ) यदि हां, तो 30 जून, 1997 तक उनमें से प्रत्येक पर बकाया राशियों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त राशियां कब से बकाया है;

(च) क्या इन बकाया राशियों की वसूली करने के लिए सुपर बाजार द्वारा प्रयास किये गये हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) माल सूची-वार विभागवार तथा माहवार केन्द्रीय भण्डार से किस प्रकार तुलना की जाती है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) सुपर बाजार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1996-97 के दौरान सुपर बाजार की गत वर्ष के दौरान हुई 139.48 करोड़ रु. बिक्री की तुलना में 141.05 करोड़ रु. की कुल बिक्री हुई थी। इसी प्रकार 1996-97 (मार्च के महीने में) के दौरान गत वर्ष के दौरान के 9.89 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं की तुलना में 9.63 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुएं मौजूद थी। बिक्र

तथा मौजूद वस्तुओं के मूल्यों की समेकित माहवार स्थिति इस प्रकार है:-

महीना	बिक्री	वस्तुओं का मूल्य
1996		
अक्तूबर	1087.50	1130.32
नवम्बर	1114.49	1152.17
दिसम्बर	1127.48	1138.12
1997		
जनवरी	1209.05	1044.10
फरवरी	1228.36	1015.99
मार्च	1922.99	812.29
अप्रैल	944.28	968.92
मई	1062.31	1055.39
जून (लगभग)	943.00	1100.00

(ग) ऊपर दिए आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि सुपर बाजार ने जून, 1997 के महीने, जब बिक्री लगभग 2.00 करोड़ रुपए गिर गई और जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं की मात्रा बढ़ गई, के सिवाय बिक्री के बराबर वस्तुएं रखना जारी रखा। बिक्री में कमी का कारण हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कार्पोरेशन के पास स्टॉक न होने के कारण उनके द्वारा पामोलीन की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई न किया जाना है।

(घ) और (ङ) 30.6.1997 की स्थिति के अनुसार विभिन्न सरकारी संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से 7.83 करोड़ रुपए की राशि वसूल की जाती है।

(च) और (छ) सुपर बाजार द्वारा क्षेत्रीय वितरण केन्द्रों के प्रबंधकों/शाखा प्रभारियों को तेजी से वसूली करने के अनुदेश दिए गए हैं।

(ज) सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार की मासवार वस्तु सूची के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, दोनों संगठनों की वस्तु सूची अनेक कारणों से निर्धारित होती है जो दोनों के मामले में एक से नहीं हैं।

अंतर्देशीय मत्स्यन परियोजनाएं

1103. श्री भगवान शंकर रावत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अंतर्देशीय मत्स्यन विपणन ढांचे को सुदृढ़ करने के बारे में कुछ परियोजनाएं स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी लागत कितनी है; और

(ग) इन परियोजनाओं को स्वीकृति कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने कुल 431 लाख रुपये की लागत वाली अंतर्देशीय मत्स्य विपणन योजना के लिए निम्नलिखित स्थानों पर अब तक 6 परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं :-

1. गजियाबाद;
2. बरेली;
3. लखनऊ;
4. गोरखपुर;
5. वाराणसी; और
6. इलाहाबाद।

(ग) उपरोक्त सभी परियोजनाओं को केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है।

जीवन रक्षक औषधियां

1104. श्री मुरलीधर चेना :
श्री केशव महन्त :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जीवन रक्षक औषधियां बाजार में उपलब्ध नहीं हैं जिससे पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को बहुत असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस मामले पर नजर रखे हुए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि जीवन रक्षक औषधियां पूर्वोत्तर राज्यों के बाजारों में उपलब्ध हों?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) से (ङ) सरकार एक पद्धति संचालित कर रही है जिसके द्वारा राज्य औषध नियंत्रकों द्वारा संबंधित निर्माता को दवाइयों की स्थानीय कमी की रिपोर्ट दी जाती है और इसकी सूचना इस विभाग को भी दी जाती है अर्थात् राज्य स्तर पर कमी की मानीटरिंग की जाती है। तथापि, विभाग कमी के संबंध में प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर संबंधित क्षेत्र में दवाइयों की तीव्रता से उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित निर्माताओं के साथ इस विषय पर विचार करता है।

उत्तर पूर्व राज्यों से अभी आवश्यक/जीवन रक्षक औषधों की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

1105. **श्री के-पी- सिंहदेव :**

श्री माधवराव सिंधिया :

श्री संदीपान थोरात :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में विशेषरूप से उड़ीसा और महाराष्ट्र में वायु और जल को दूषित करने वाले उद्योगों का पता लगा लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन एककों के कारण राज्यवार कितना प्रदूषण फैला;

(ग) क्या इस समस्या को निर्धारित समय सीमा के भीतर सुलझाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों के लिए कोई विशेष कार्य योजना/नीति तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किए गए कार्यों की विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) क्या इस समस्या को प्रौद्योगिकीय उन्नयन के माध्यम से निपटाने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मांगा गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो- सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 17 श्रेणी के उद्योगों के अंतर्गत आने वाली कुल 1551 बड़ी और मझौली औद्योगिक इकाइयों का पता लगाया है। इनमें से 1260 इकाइयों ने ही अभी तक आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, 125 इकाइयां बंद हैं जबकि शेष 166 इकाइयों द्वारा अभी आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं स्थापित की जानी हैं। इन दोषी 166 इकाइयों से हो रहा उत्सर्जन और तरल बहिस्राव चूंकि निर्धारित सीमा से अधिक है अतः इससे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। उड़ीसा और महाराष्ट्र की औद्योगिक इकाइयों सहित विभिन्न राज्यों की औद्योगिक इकाइयों की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के परामर्श से प्रदूषण के उपशमन के लिए देश में 24 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों का पता लगाया है। उड़ीसा राज्य में अंगुलतलचर तथा महाराष्ट्र में चेम्बूर और तारापुर को अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के रूप में लगाया गया है। अभी तक 16 अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाएं तैयार कर ली गई हैं और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा किया जा रहा इनका कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को यह भी निर्देश दिया है कि वे प्रदूषण फैलाने वाले उन उद्योगों की सूची तैयार करें जो कि अपने बहिस्रावों को बगैर अपेक्षित शोधन के सीधे नदियों और झीलों में छोड़ रहे हैं।

(ङ) और (च) विश्व बैंक की सहायता से औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण और निवारण परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित विभिन्न परियोजनाओं को सहायता दी जाती हैं :-

(1) प्रदर्शन परियोजनाओं के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों के लिए उनके प्रौद्योगिकीय उन्नयन के वास्ते सहायता।

(2) लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों से उत्पन्न बहिस्रावों का साझा रूप से शोधन के वास्ते साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना।

(3) अपशिष्ट न्यूनीकरण सर्किलों के माध्यम से लघु औद्योगिक इकाइयों में प्रक्रिया संबंधी उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाना।

(4) राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान (नीरी), नागपुर में एक भारतीय उन्नत प्रौद्योगिकी संवर्द्धन केन्द्र की स्थापना।

(5) आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ़ करना।

विवरण

17 श्रेणी के उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण की राज्य-वार स्थिति

(31.3.97 को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार)

क्र- सं-	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	इकाईयों की संख्या	स्थिति (इकाईयों की संख्या)		
			बंद	*	दोषी**
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	173	28	141	04
2.	अरूणाचल प्रदेश	00	00	00	00

1	2	3	4	5	6
3.	असम	15	00	10	05
4.	बिहार	62	14	35	13
5.	गोवा	06	00	06	00
6.	गुजरात	177	03	167	07
7.	हरियाणा	43	03	32	08
8.	हिमाचल प्रदेश	09	00	09	00
9.	जम्मू और कश्मीर	08	03	01	04
10.	कर्नाटक	85	06	68	11
11.	केरल	28	04	20	04
12.	मध्य प्रदेश	78	05	58	15
13.	महाराष्ट्र	335	19	296	20
14.	मणिपुर	00	00	00	00
15.	मेघालय	01	00	00	01
16.	मिजोरम	00	00	00	00
17.	नागालैण्ड	00	00	00	00
18.	उड़ीसा	23	01	12	10
19.	पंजाब	45	03	25	17
20.	राजस्थान	49	05	42	02
21.	सिक्किम	01	00	00	01
22.	तमिलनाडु	119	02	114	03
23.	त्रिपुरा	00	00	00	00
24.	सं॰शा॰ क्षेत्र – अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	00	00	00	00
25.	सं॰शा॰ क्षेत्र – चण्डीगढ़	01	00	01	00
26.	सं॰शा॰ क्षेत्र – दमन व दीव, दादर व नगर हवेली	00	00	00	00
27.	सं॰शा॰ क्षेत्र – दिल्ली	05	00	02	03
28.	सं॰शा॰ क्षेत्र – लक्षद्वीप	00	00	00	00
29.	सं॰शा॰ क्षेत्र – पांडिचेरी	06	00	02	04
30.	उत्तर प्रदेश	224	15	187	22
31.	पश्चिम बंगाल	58	14	32	12
	योग	1551	125	1260	166

* मानकों के अनुसार पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

** मानकों के अनुसार पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

अभयारण्य पर्यटन

1106. **श्री मोहन रावले** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीवों को देखने हेतु पर्यटन के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दालों की उपलब्धता

1107. **प्रो॰ अजित कुमार मेहता :**

श्री रामबहादुर सिंह :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय प्रति व्यक्ति दलहन उपलब्धता कितनी है और यह खाद्य और कृषि संगठन द्वारा निर्धारित न्यूनतम दलहन आवश्यकता की तुलना में कितनी है;

(ख) क्या प्रति व्यक्ति दलहन उपलब्धता और आवश्यकता में अंतर सन् 2000 तक और अधिक हो जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन दालों का आयात किया गया;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए कोई नीति तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों में देश में दालों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता निम्नानुसार है :-

वर्ष	दालें (कि॰ग्राम: प्रति वर्ष)
1995	13.9
1996	12.8
1997	13.7

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई॰सी॰एम॰आर॰) के पोषाहार संबंधी संस्तुत मानदण्डों के अनुसार स्थावर (सिडेन्ट्री) व्यक्ति के संबंध में सस्ते संतुलित आहार के लिए दालों की आवश्यकता 40 ग्राम प्रति दिन है जो 14.60 किलो ग्राम प्रतिवर्ष बैठती है। खाद्य और कृषि संगठन (एफ॰ए॰ओ॰) द्वारा निर्धारित दालों की न्यूनतम आवश्यकता संबंधी मानदण्डों, यदि कोई हो, के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) दालों की मांग उत्पादन-स्तर, आय अन्य एवजी वस्तुओं की उपलब्धता, जनसंख्या और खाद्य आदतों आदि जैसे विभिन्न घटकों पर निर्भर करती है। इस प्रकार एक समय अवधि में दालों की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना कठिन है। तथापि, नौवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए मांग और आपूर्ति, कृषि जिन्सों के प्रक्षेपणों और कृषिगत आंकड़ों को सुधारने से संबंधित कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार 7 प्रतिशत की जी॰डी॰पी॰ वृद्धि दर के हिसाब से दालों की मांग का प्रक्षेपण वर्ष 2001-2002 के लिए 16 किलो ग्राम बैठता है।

दालों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन करने की अनुमति दी जा रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात की गई दालों की मात्रा के ब्यौरे नीचे दिए गए है:-

(मात्रा लाख टन में)

1994-95	1995-96	1996-97
5.54	4.49	5.32

(घ) और (ङ) सरकार 25 राज्यों और संघ शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप में राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना (एन॰पी॰डी॰पी॰) का क्रियान्वयन कर रही है। इस कार्यक्रम के अधीन, बहु और अंतराल सत्य क्रम माध्यम द्वारा क्षेत्र में वृद्धि करने और क्षेत्र की प्रति यूनिट उपज में वृद्धि करने पर दबाव दिया जाता है। 1996-97 में दालों का उत्पादन 14.85 मिलियन टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया जबकि 1995-96 के दौरान 13.19 मिलियन टन उत्पादन हुआ था।

एन्टीबायटिक दवाइयों की कीमतें

1108. **श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़ :**

श्री राम नाईक :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेनिसिलिन मूल दवा से तैयार होने वाली एंटी-बायटिक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है और पेनिसिलिन दवाई के सभी छह: उत्पादक भारी घाटे में चले गए हैं जिसके परिणामस्वरूप ये उद्योग रुग्ण हो गए हैं;

(ख) क्या इन इकाइयों में से एक, अथवा दो इकाइयों के बंद होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो इन इकाइयों को किस स्थिति में रखा जा सकता है; और

(घ) पेनिसिलिन उद्योग को उबारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं और उठाये जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) से (घ) एम्पीसिलिन, एमोक्सीसिलिन, क्लोक्सासिलिन और सेफोलेक्सिन पर आधारित प्रमुख सूत्रयोगों की कीमतों का यादृच्छिक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उनकी कीमतें गत एक वर्ष से स्थिर रही हैं। जहां तक पोटाशियम पेनिसिलिन जी, जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की पेनिसिलिन के मध्यवर्तियों और अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पादनों के निर्माण के लिए किया जाता है, का संबंध है, बढ़ी हुई उपलब्धता के कारण देश में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें घट गई हैं। पेनिसिलिन जी के निर्माताओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथापि, बन्द होने की संभावना की कोई रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। पेनिसिलिन को आयात की नकारात्मक सूची में रखा गया है और इस औषध के स्वतंत्र आयात की अनुमति नहीं दी जा रही है।

[हिन्दी]

चंडीगढ में परिसम्पत्तियों और कार्यों का विभाजन

1109. **श्री सत्य पाल जैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ में नगर निगम का गठन होने के बाद दिल्ली प्रशासन और नगर निगम के बीच परिसंपत्तियों और कार्यों का विभाजन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विभाजन का आधार क्या है और क्या इससे कार्यकरण में कोई सुधार परिलक्षित हुआ है;

(घ) क्या इस संबंध में किसी कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) से (ङ) पंजाब नगर निगम नियम (चंडीगढ़ तक विस्तारण) अधिनियम, 1994 की धारा 44 में निहित प्रावधानों के अनुसार विभाजन अनिवार्य रूप से किया गया है। यह कहना जल्दबाजी होगी कि इसके कार्यकरण में किसी प्रकार का सुधार हुआ है परन्तु चंडीगढ़ प्रशासन को अब तक किसी गंभीर कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है।

विवरण-I

चंडीगढ़ नगर निगम को हस्तांतरित की गई चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। निगम को हस्तांतरित किए गए कार्यों के ब्यौरे चंडीगढ़ प्रशासन की 28 सितम्बर, 1995 और 16 मई, 1996 की अधिसूचनाओं में दिए गए हैं। इसके अलावा, जल आपूर्ति योजना-चरण-II भी निगम को चालू वर्ष के दौरान हस्तांतरित कर दी गयी थी।

विवरण-II

हस्तांतरित कार्यों के अधीन निगम को हस्तांतरित की गई संपत्ति का विवरण

क्रम संख्या	विवरण	कुल मद संख्या	
1	2	3	
क. अचल संपत्ति			
1.	अधिसूचना के अनुलग्नक-क के पैरा 7 में उल्लिखित के अलावा सभी सड़कें व उन पर लगी व्यवस्था, उसका आरक्षित क्षेत्र तथा स्लो कैरिज वे	1300	कि॰मी॰
2.	संपूर्ण शहर की भूमिगत मार्ग प्रकाश की व्यवस्था		
3.	अधिसूचना में अनुलग्नक-क के पैरा 8 में उल्लिखित के अलावा सभी बागवानी व्यवस्था, पार्क और मैदान		
4.	सर्कल ग्राउण्ड, सैक्टर-17		
5.	अग्निशमन केन्द्र	6	
6.	सामुदायिक केन्द्र और क्लब	17	
7.	मलव्ययन शोधन प्लांट		
8.	वाटर वर्क्स	6	
9.	पशुवध गृह	1	
10.	मोटर गैराज	1	
11.	नगर निगम के रिहायशी मकान	360	
12.	ट्यूबवैल्स	106	
13.	बूस्टर्स	12	
14.	हॉट मिक्स प्लांट (मार्शल मेक) 30 से 40 मी॰ ट॰ क्षमता		
15.	पीकास्ट सीमेंट फैक्ट इंडस्ट्रियल एरिया, चरण-I		
16.	टिम्बर मार्किट, सेक्टर-26, चंडीगढ़ में सीमेंट स्टोरेज रोड (102" × 40")	1	
17.	सेक्टर 25 में स्थित विद्युत शवदाह गृह सहित सभी शवदाह गृह	2	(सेक्टर-25 और औद्योगिक चरण-I में एक-एक)
18.	टाईल युक्त पैदल पद, फर्श और पियारा	75	कि॰मी॰

1	2	3
19.	बैक सर्विस लेंस	62 कि॰मी॰
20.	सेक्टर-35 में 2.6 एकड की होटल के लिए भूमि	
21.	बस अड्डे को सेक्टर-22 की मार्किट से जोड़ने वाले उप मार्ग में बने हुए बूथ	
22.	सेक्टर-9, चंडीगढ़ में सिटको पैट्रोल पम्प के निकट व्यापारिक स्थल	

ख. चल संपत्ति

1.	क्रेन	3
2.	ट्रक	8
3.	जीप	9
4.	कार	6
5.	पिक-अप-माजदा	2
6.	मैटाडोर	3
7.	टेंकर	10
8.	5डी जे॰सी॰बी॰	1
9.	6डी जे॰सी॰बी॰	1
10.	ट्रैक्टर	27
11.	रोड रोलर	12
12.	ट्रिपर	16
13.	वाटर डटेलर	15
14.	वाटर वाउजर	1
15.	इमरजेंसी टेडर	2
16.	एम्बुलेंस	4
17.	मोटर साइकिल	5
18.	जीप व फायर इंजन	2
19.	लोडर-710	4
20.	पेवर फिनिसर	1
21.	चेन बुल्डोजर	1
22.	मोटर ग्रेडर	1
23.	पिक-अप-वैन	1
24.	मिक्सर	1
25.	वाटर टेंकर	17
26.	ट्रैक्टर ट्राली	11
27.	पावर शान मुवर	6
28.	डीजल पंपिंग सेट	1
29.	ग्रब मास्टर	21
30.	प्लग	5
31.	कड़ाह	8
32.	सोहागा	6
33.	कलटीवेथ	5
34.	हैरो	9
35.	लेथ मशीनरी 12"	1
36.	ड्रिल मशीन (बड़ी)	1
37.	हैंड ग्राईडर	1
38.	वैल्डिंग सेट	1
39.	बैटरी चार्जर	1
40.	वाशिंग मशीन	1
41.	ग्रीस गन	1
42.	स्मोक टेस्टिंग मशीन	1

[अनुवाद]

मिर्च उत्पादकों की मांगें

1110. **श्री आर॰ साम्बासिवा राव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने इस वर्ष के मई मास में मिर्च उत्पादकों की मांगों के संदर्भ में गुंटुर जिले का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या मिर्च उत्पादकों ने उनके द्वारा हस्तक्षेप करने पर अपना आंदोलन वापिस ले लिया है;

(ग) यदि हां, तो मिर्च उत्पादकों की मुख्य मांग क्या है;

(घ) सरकार ने उनकी मांगों को किस हद तक मान लिया है;

(ङ) क्या अनेक मिर्च उत्पादकों ने अपने माल को प्रशीतन भंडारों में रख लिया था परन्तु माल नष्ट हो गया और प्रबंधकों ने नुकसान का मुआवजा देने की बाध्यता प्रकट की है.

(च) यदि हां, तो मिर्च उत्पादकों की सभी मांगों में से कितनों को मान लिया है;

(छ) क्या सरकार का विचार मिर्च उत्पादकों द्वारा उठाई गई हानि का प्रशीतन भंडार के प्रबंधकों से मुआवजा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) केन्द्रीय कृषि मंत्री ने मई 1997 में आन्ध्र प्रदेश के गुण्टूर जिले का दौरा नहीं किया था।

(ख) से (ज) उपर्युक्त को देखते हुए ये प्रश्न ही नहीं उठते।

यूरिया घोटाला

1111. **श्री भक्त चरण दास :**

डा॰ एम॰ जगन्नाथ :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यूरिया घोटाले में शामिल तुर्की की कम्पनी करसन से न्यायालय से बाहर मामले के निपटारे हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

अल्पसंख्यकों का कल्याण

1112. **कर्नल सोनाराम चौधरी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी राजस्थान में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु कोई कल्याण योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1996-97 के दौरान इस योजना पर कितनी धनराशि व्यय की गई है तथा 1997-98 के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) और (ख) सरकार राजस्थान राज्य सहित पूरे देश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रही है:-

(1) कल्याण मंत्रालय लक्ष्य समूह जिसमें अल्पसंख्यक और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं जिनकी वार्षिक आय 24000/- रुपए से अधिक नहीं है, के लिए परीक्षा-पूर्वकोचिंग की योजना कार्यान्वित कर रहा है। यह योजना लक्ष्य समूह के अभ्यर्थियों की परीक्षा में अन्यों के साथ प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करने के लिए भर्ती तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु कार्यान्वित की जाती है।

(2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास के लिए दो योजनाओं को अर्थात् क्षेत्र गहन कार्यक्रम और मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण कार्यान्वित कर रहा है। क्षेत्र गहन कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत प्राइमरी/अपर प्राइमरी स्कूलों की शैक्षिक संरचना के सुदृढ़ीकरण और बहु-विधाओं वाले आवासीय हायर सेकण्डरी स्कूलों को खोलने के लिए राज्य सरकारों और संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है। मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत आधुनिक विषयों को पढ़ाने हेतु शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इन संस्थाओं को शत-प्रतिशत सहायता दी जाती है।

(ग) राजस्थान राज्य में वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत व्यय की गई राशि निम्नलिखित है :-

योजना का नाम	निर्मुक्त की गई राशि (रुपए लाख में)	
	1996-97	1997-98
1. आर्थिक मानदण्डों के आधार पर कमजोर वर्गों के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग की योजना	शून्य	शून्य
2. शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम	112.305	55.60 (जून, 97 तक)
3. मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण	11.26	शून्य

पुलिस अधिकारियों द्वारा तस्करी

1113. **श्री अजय मुखोपाध्याय :**

श्री वी॰वी॰ राघवन :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 जून, 1997 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सस्पेंडेड कॉप सीज सीनियर रोल इन स्मगलिंग" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में क्या तथ्य प्रकाशित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में लगाए गए आरोपों की कोई जांच करायी गई है अथवा कराये जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) दिल्ली पुलिस द्वारा इस मामले में की गई जांच-पड़ताल से पता चला है कि संबंधित कांस्टेबल को दुर्व्यवहार करने तथा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के विधि सम्मत आदेशों का अनुपालन ने करने के आधार पर निलंबित किया गया था। उसके द्वारा लगाया गया यह आरोप कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एयरपोर्ट पर तस्करी की गतिविधियों में संलिप्त हैं, भी झूठा पाया गया क्योंकि वह उसे जारी किए गए 6 सम्मनों के बावजूद पूछताछ हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

बाघों की संख्या की गणना का तरीका

1114. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बाघों की गणना के लिए अपनाया गया तरीका दोषपूर्ण और गलत है; और

(ख) यदि हां, तो सही गणना के लिए प्रस्तावित नया तरीका क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) और (ख) जी, नहीं। विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाई गई "पग-मार्क" तकनीक वैज्ञानिक दृष्टि से अनुमोदित है जिसे आसानी से फील्ड में कार्यान्वित किया जा सकता है। तथापि मृदा की किस्मों और मृदा में आर्द्रता की मात्रा में विभिन्नता होने के कारण गणना संबंधी पग-मार्क प्रणाली की प्रमाणिकता पर प्रश्न चिह्न लगाया गया है। विभिन्न भागों में नई प्रणालियां विकसित की गई हैं। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा गणना संबंधी प्रणाली में सुधार करने के लिए सुझाव देने हेतु विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया है। समिति की सिफारिशें संलग्न विवरण में देखी जा सकती हैं जोकि कार्यान्वयन हेतु सभी बाघ राज्यों को परिचालित की गई हैं।

विवरण

बाघों और उनके शिकार होने वाले पशुओं की संख्या का अनुमान लगाने हेतु वैकल्पिक अॅप्रोच के बारे में सिफारिशें

बड़े स्तनधारियों पर प्रयोग की जाने वाली संख्या अनुमान तकनीकों के बारे में किए गए अनुसंधान से अब यह पूरी तरह प्रमाणित हो चुका है कि सैंपलिंग की अवधारणा पर आधारित तकनीकें पूर्व की टोटल काउंट आधारित सभी तकनीकों की तुलना में ज्यादा यथार्थ, विश्वसनीय पुनर्वलित तथा लागत क्षम हैं। साथ ही सैंपलिंग आधारित तकनीकों में सैद्धान्तिक रूप से सुस्थापित अनुमानकर्ताओं/माडलों, अर्थात् लाइन ट्रांसैक्ट्स, प्वाइंट ट्रांसैक्ट्स, और कैपचर-रिकैप्चर आदि को सेवाओं का उपयोग भी किया जा सकता है। इसके अलावा, नई शक्तिशाली कम्प्यूटर तकनीकों की उपलब्धता के कारण इस तरह के कठिन विश्लेषणों का कार्य कम्प्यूटर की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा आसानी से किया जा सकता है। इसलिए, हम यह सिफारिश करते हैं कि टोटल काउंट पर आधारित बाघों और उनके द्वारा शिकार होने वाली पशु प्रजातियों की गणना हेतु अपनाई जा रही तकनीक में परिवर्तन किया जाए और इस कार्य को संख्या आकलन एवं अनुमान की निम्नलिखित पद्धति अपनाकर पूरा किया जाए:

1. मैपिंग टाइगर डिस्ट्रीब्यूशनः यह कार्य क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त मौसम के दौरान वर्ष में एक बार किया जाए। इसे वन विभाग के विद्यमान कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिए। इसका लक्ष्य विशेष रूप से (और केवल) देखे गए पग मार्क्स और उनके स्थानों को 1:50000 स्केल पर नक्शें में रिकार्ड करना है। यदि आंकड़े सही ढंग से एकत्रित किया जाना सुनिश्चित किया जा सके तो ग्लास ट्रेसर्स आदि को इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि बाघ शावकों (पुनर्जनित संख्या) के कोई संकेत दिखाई पड़ें तो इन्हें अलग से नोट एवं रिकार्ड किया जाना चाहिए। उद्यान प्राधिकारियों के बाघों अथवा उनके शिकार होने वाले पशुओं की सही संख्या के बारे में सूचित करने हेतु नहीं कहा जाना चाहिए।
2. नामोदिविष्ट बाघ परियोजना (बाद में इसका अन्य क्षेत्रों तक विस्तार किया जाएगा) में बाघों की मौजूदगी/गैर मौजूदगी, विशेषकर, शावकों की मौजूदगी के बारे में सतत् निगरानी तथा रिकार्डिंग की जानी चाहिए।
3. सैंपलिंग आधारित क्षेत्र में संख्या अनुमान के लिए विशिष्ट योजना प्रत्येक महत्वपूर्ण रिजर्व/क्षेत्र, कर्मचारियों के प्रशिक्षित दल, वैज्ञानिकों की पहुंच के भीतर होना चाहिए ताकि संगत सैंपलिंग आधारित पद्धति का भविष्य में नियमित इस्तेमाल करके संख्या का अनुमान लगाया जा सके। (स्थानीय हालात एवं प्रशिक्षित कार्मिक संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित है।)

बाघों के लिए

3.1 पग-मार्कों की संख्या के आधार मुठभेड़ दर सूचकांक, प्रति यूनिट दूरी तक मुठभेड़ के दौरान पाई गई खुरचनों तथा भागने के निशान एवं पूर्व निर्धारित सैंपलिंग मार्गों को प्रति वर्ष प्रतिवलित किया जाएगा। इससे एक सार्थक, विविधता पूर्व और परिमाणात्मक लक्ष्य सूचकांक प्राप्त हो सकेगा।

3.2 यदि प्रशिक्षित कार्मिकों, संसाधनों की स्थिति एवं स्थानीय हालात अनुकूल हों तो कैप्चर-री-कैप्चर माडल पर कैमरा ट्रैपिंग की जा सकती है।

शिकार होने वाली प्रजातियों के लिए (पशुधन सहित)

3.3 पूर्व निर्धारित सैंपलिंग मार्गों के साथ-साथ नक्शों का प्रयोग करते हुए पैलट सघनता अनुमान प्रतिवर्ष प्रतिवलित किए जाएंगे। इससे एक सार्थक, विविधतापूर्ण ।

और परिमाणात्मक लक्ष्य सूचकांक प्राप्त किया जा सकेगा।

3.4 उपयुक्त रीति से निर्मित लाइन परिच्छेदन प्रणाली का प्रयोग करते हुए शिकार होने वाले जानवरों अथवा ऐसे जानवरों के साथ होने वाली मुठभेड़ों का सीधा अनुमान लगाना। इससे एक सार्थक, विविधतापूर्ण और परिमाणात्मक लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा। उपर्युक्त सिफारिशें, "गणना" संबंधी प्रक्रियाओं को और सुगम बाघ वितरण मैपिंग के रूप में संशोधित करते हुए लागू की जाएं, जैसाकि ऊपर बताया गया है।

ह०/- ह०/- ह०/-
(डॉ० एस०ए०के० सिंह) (संजय सिंह गैलोट) (विनोद ऋषि)

ह०/- ह०/-
(डॉ० ए०जे०टी० जॉनसिंह) (बिग्रेडियर रंजीत तलवार)

ह०/- ह०/-
(डॉ० उल्लास कारंथ) (पी०के० सेन)

ताजमहल

1115. **कुमारी सुशीला तिरिया** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईंट के भट्टों से निकलने वाले विषैले धुंए के कारण ताजमहल को खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो० सैफुद्दीन सोज) : (क) से (ग) ईंट के भट्टों से होने वाले उत्सर्जन से ताजमहल को कोई खतरा नहीं है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के 10 मई, 1996 के एक आदेश के अनुपालन में ताजमहल की 20 कि०मी० की परिधि में आने वाले सभी ईंट के भट्टों को तथा ताज ट्रैपेजियम में अन्य महत्वपूर्ण स्मारकों को बंद कर दिया गया है।

मंदबुद्धि विकलांग व्यक्तियों के लिए आश्रम

1116. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शहरों का जनसंख्या-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनमें इस समय मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आश्रम संचालित किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे लोगों के लिये आश्रम स्थापित किए जाने के लिए कोई मानदंड अपनाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) केन्द्र सरकार के पास मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए कोई गृह नहीं हैं। तथापि, यह सम्पूर्ण भारत में उन गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान देती हैं जो मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के लिए स्कूल/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र चलाते हैं। ऐसे गैर-सरकारी संगठनों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

राज्य	शहरों के नाम
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	1. हैदराबाद (10)
	2. सिकन्द्राबाद (03)
	3. करीमनगर (01)
	4. विशाखापट्टनम (01)
	5. विजयवाड़ा (01)
	6. चित्तौड़ (01)
	7. खाममाम (01)
	8. कृष्णा (01)
	9. काकीनादा (01)
	10. गुन्टूर (01)
2. बिहार	1. पटना (05)
	2. गया (05)
	3. गया (02)
	4. जेहनाबाद (01)
3. दिल्ली	11
4. गुजरात	1. बडोदरा (01)
	2. अहमदाबाद (02)
	3. राजकोट (01)
5. हरियाणा	1. चण्डीगढ़ (01)
	2. गुडगांव (01)
	3. रोहतक (01)
	4. अम्बाला (01)
6. जम्मू और कश्मीर	1. जम्मू (01)
7. कर्नाटक	1. धवानगर (01)
	2. बंगलौर (03)
	3. धरवाड (01)
	4. रायपुर (01)
	5. बेलगांव (02)
	6. मालेश्वरम (01)
8. केरल	1. किदनगौर (01)
	2. कोट्टयम (03)

1	2
	3. कालीकट (03)
	4. खोजीकोड (01)
	5. पीरोवाम (01)
	6. पालघाट (01)
	7. वायानाद (01)
	8. तेल्लीचेरी (01)
	9. त्रिचुर (04)
	10. इडुकी (01)
	11. थ्रिवेनन्थापुरम (02)
	12. पारेल (01)
	13. ईरनाकुलम (03)
	14. पालीक्कड (01)
	15. क्यूलौन (01)
	16. कन्नुर (01)
	17. थिरूवल्ला (01)
	18. कोचिन (01)
9. मध्य प्रदेश	1. जबलपुर (01)
	2. भोपाल (01)
10. महाराष्ट्र	1. मुम्बई (04)
	2. पुणे (01)
	3. विरार (01)
	4. परभानी (01)
11. मणिपुर	1. इम्फाल (03)
12. मेघालय	1. शिलांग (01)
13. उड़ीसा	1. कटक (01)
14. पंजाब	1. पटियाला (01)
15. राजस्थान	1. जयपुर (01)
16. तमिलनाडु	1. आयेकुण्डी (01)
	2. मदुरई (02)
	3. चेन्नई (02)
	4. त्रिरूनालवल्ली (01)
	5. इरोडे (02)
	6. इरीचय (01)
	7. उडुपालपेत (01)
	8. कोयम्बातूर (03)
	9. धानरावुर (01)
17. त्रिपुरा	1. अगरतला (01)
18. उत्तर प्रदेश	1. इलाहाबाद (02)
	2. लखनऊ (05)
	3. आगरा (01)
	4. गाजियाबाद (01)
	5. नोयडा (01)
	6. हरिद्वार (01)
	7. देहरादून (01)
	8. फैजाबाद (01)
19. पश्चिम बंगाल	1. 24 परगना (01)
	2. कलकत्ता (08)
	3. मिदनापुर (01)
	4. हुगली (01)

[हिन्दी]

कपास का उत्पादन

1117. श्री हंसराज अहीर : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1997 से सितम्बर, 1998 तक कपास की फसल के नए मौसम के दौरान इसका उत्पादन चालू मौसम में हुए उत्पादन के समान ही होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 के दौरान कपास का उत्पादन विगत वर्ष की तुलना में कितना अधिक हुआ था;

(ग) क्या अधिकांश कपास उत्पादक राज्यों में अच्छी वर्षा हुई है परंतु तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य में बुआई देर से की गयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं और इससे इन राज्यों में कपास के उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) क्या कपास की खरीद में अत्यधिक कमी आई है क्योंकि अधिकांश कताई मिलों ने अपनी तात्कालिक आवश्यकता पूरी कर ली है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा कपास उत्पादकों की सहायता हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) से (घ) वर्ष 1997-98 के लिए कपास उत्पादन का अनुमान लगाने का समय अभी नहीं आया है। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार, सामान्य क्षेत्र के 69 प्रतिशत क्षेत्र में कपास उगाई जा चुकी है और तमिल नाडु उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में इस फसल को बोने का कार्य अभी चल रहा है। खड़ी फसल की स्थिति संतोषजनक बताई गई है।

वर्ष 1996-97 के दौरान कपास का उत्पादन प्रत्येक 170 कि॰ग्रा॰ की 145.3 लाख गांठें होने का अनुमान है, जो गत वर्ष अर्थात्

1995-96 के दौरान हासिल 130.9 लाख गांठों के उत्पादन के मुकाबले 14.4 लाख गांठ अधिक हैं।

(ङ) और (च) भारतीय कपास निगम द्वारा, 16.7.1997 की स्थितिनुसार, की गयी खरीद 11.0 लाख गांठें हैं जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 10.1 लाख गांठों की खरीद की गयी थी। वर्ष 1996-97 के दौरान निर्यात के लिए सरकार ने 13.42 लाख गांठों का कोटा जारी किया है। भारतीय कपास निगम द्वारा तेजी से की जाने वाली खरीद से कपास उत्पादकों को सहायता मिलती है। 41-एस॰ काऊंट से कम कपास के धागे के निर्यात को अधिकतम सीमा (सोलिंग) 1997 में 80 मिलियन कि॰ग्रा॰ से बढ़ाकर 140 मिलियन कि॰ग्रा॰ कर दी गयी है। कपास को अक्तूबर, 1996 से चुनिंदा ऋण नियंत्रण से हटा दिया गया है। फरवरी, 1995 से कपास की भण्डारण सीमा समाप्त कर दी गयी है। इसके अलावा, सरकार कपास की खेती करने वाले 11 प्रमुख राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय प्रायोजित ऋण कपास विकास कार्यक्रम भी चला रही है।

[अनुवाद]

विशेष सुरक्षा दल पर व्यय

1118. श्री ज़गत वीर सिंह द्रोण :

श्री दादा बाबूराव परांजपे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बजट में विशेष सुरक्षा दल के लिए पचहत्तर करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो क्या अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा पर खर्च की जाने वाली धनराशि जनता की है और इस पर उसका तथा उसके प्रतिनिधियों का अधिकार है लेकिन अतिविशिष्ट व्यक्तियों में वे लोग भी शामिल हैं जो जनता के प्रतिनिधि नहीं रहे अथवा उनके परिवार से भी उनका कोई संबंध नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों जो जनता के प्रतिनिधि नहीं है, पर व्यय की जा रही राशि के दुरूपयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) एस॰पी॰जी॰ संरक्षा प्राप्त व्यक्तियों, अर्थात प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों तथा पूर्व प्रधान मंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों, जो प्रधान मंत्री का पद त्याग देने की तारीख से अगले दस वर्षों तक एस॰पी॰जी॰ सुरक्षा प्राप्त करने के हकदार है, को संसद द्वारा पारित एस॰पी॰जी॰ अधिनियम के प्रावधानों के तहत सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इस समय इस व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जवानों की स्थिति

1119. श्री विजय पटेल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में कच्छ की खाड़ी में सीमाओं पर तैनात जवानों की स्थिति के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उनकी मुश्किलों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। सरकार कच्छ के रन में कठिन भूभाग के कारण सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों के सामने आ रही पेयजल संचार/विद्युत सुविधाओं इत्यादि से संबंधित अनेक समस्याओं से अवगत है।

(ग) टैंकरों के द्वारा पेयजल की व्यवस्था करके बेहतर संचार/परिवहन सुविधाओं के माध्यम से सरकार इन क्षेत्रों में तैनात जवानों की कठिनाइयां दूर करने के लिए कदम उठा रही है। राजस्थान सरकार से भी अनुरोध किया गया है कि वह कच्छ के रन में प्रत्येक सीमा चौकी को वाटर पाइपलाईन से जोड़े तथा टैंकरो के लिए और अधिक पानी की व्यवस्था करें।

जासूसी की गतिविधियां

1120. डा॰ लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को देने के लिए हाल ही में एक अधिकारी और दो अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सूचना ब्यूरो का एक अधिकारी भी इस मामले में शामिल है. और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : (क) और (ख) 6 व्यक्तियों (आसूचना ब्यूरो के दो निचले स्तर के कर्मचारी, 3 सिविलियन रक्षा कर्मचारी तथा दिल्ली का एक व्यापारी) को गिरफ्तार किया गया है।

(ग) भा॰स॰सं॰ की धारा 120-ख के साथ गठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा 3, 9 के अधीन एक मामला चाणक्यपुरी, नई दिल्ली पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 129/97 पर दर्ज किया गया है।

केरल में रुग्ण चीनी मिलें

1121. प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल स्थित चीनी मिलें रुग्ण हैं और उत्पादन करने में असमर्थ हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन मिलों के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अधीन जो कम्पनियां रुग्ण हो जाती है उन्हें औद्योगिक तथा वित्तीय संरचना बोर्ड (बी॰आई॰एफ॰आर॰) को सौंप दिया जाता है। 30.6.1997 तक केरल राज्य की केवल एक रुग्ण चीनी मिल उदाहरणतः दि त्रावणकोर शुगर्स एण्ड केमिकल्स लि॰ को बी॰आई॰एफ॰आर॰ में पंजीकृत किया गया है। सरकार को नीति में परिवर्तन तथा कच्चे माल की अनुपलब्धता ही कम्पनी की रुग्णता के मुख्य कारण थे, यह कहा जाता है।

(ग) चीनी मिलों को पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण की योजनाएं बनानी होती है तथा उन्हें वित्तीय संस्थानों से स्वीकृत कराना होता है। इस प्रकार के पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए रियायती ब्याज दर पर चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है। त्रावणकोर शुगर्स एण्ड केमिकल्स लि॰ के मामले पर बी॰आई॰एफ॰आर॰ द्वारा 4.9.96 को पिछली बार सुनवाई हुई थी जिसमें केरल सरकार/कार्य करनेवाली एजेन्सी को पुनर्स्थापन योजना/मिल की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।

नर हाथी

1122. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अध्ययन से यह बात सामने आई है कि नर-हाथियों की संख्या मादा-हाथियों की तुलना में बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रवृत्ति से उन क्षेत्रों में मानव-बस्तियों में व्यापक रूप से कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो विशेष रूप से प॰ बंगाल और उड़ीसा राज्यों में उत्पात मचाने वाले हाथियों का पता लगाने और उपचारात्मक कदम उठाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : (क) जी, नहीं। हाथियों के पारिस्थितिकी संतुलन पर वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधान अध्ययनों से पता चलता है कि मादा हाथी नर-हाथियों से अधिक हैं। इस बात का उल्लेख एशियाई हाथी संरक्षण केन्द्र और भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसायटी द्वारा "ए गॉड इन डिस्ट्रैस" नामक हाल ही के अध्ययन में किया गया है और बताया गया है कि भारत के विभिन्न भागों में वन्य हाथियों में नर-हाथियों की अपेक्षा मादा हाथियों की संख्या अधिक है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्यों के मुख्य वन्य जीव वार्डनों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उपबंधों के तहत वन्यजीवों के प्रति उपचारात्मक कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया है जिसमें अभिज्ञात हाथी भी शामिल हैं, यदि वे मनुष्यों की जान के लिए खतरनाक बन जाएं। उपचारात्मक कदमों में ऐसे हाथियों का शिकार करना भी शामिल है।

कैप्टोप्रिल और इससे तैयार होने वाली दवाओं की कीमतें

1123. डा॰ बलिराम : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैप्टोप्रिल और उक्त दवा के आधार पर तैयार दवाओं के बी॰आई॰सी॰पी॰ द्वारा अनुशासित थोक मूल्य क्या हैं और इन थोक मूल्यों की अधिसूचना कब जारी की गई थी;

(ख) कैप्टोप्रिल आधारित दवाओं के प्रमुख पैकों के वर्तमान मूल्य और बी॰आई॰सी॰पी॰ द्वारा अनुशासित मूल्य क्या हैं;

(ग) क्या कैप्टोप्रिल आधारित दवाओं का मूल्य निर्धारित करने में एक वर्ष से अधिक का विलम्ब हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या मंत्रालय और उत्पादकों ने मिलकर उपभोक्ताओं से करोड़ो रुपए कमाए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : (क) बी॰आई॰सी॰पी॰ की सिफारिशों पर प्रपुंज औषण कैप्टोप्रिल का मूल्य 3 अप्रैल, 1996 को 12,176 रु॰ प्रति कि॰ग्रा॰ अधिसूचित किया गया था और तत्पश्चात संशोधित करके इसे 13 जून, 1997 को 11,971 रु॰ प्रति कि॰ग्रा॰ किया गया था।

(ख) कैप्टोप्रिल पर आधारित सूत्रयोगों के वर्तमान स्वीकृत मूल्य संलग्न विवरण पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) डी॰पी॰आर॰सी॰उप-समिति ने 5.10.95 को हुई अपनी 24वीं बैठक में कैप्टोप्रिल पर आधारित सूत्रयोगों के लिए मूल्यों की सिफारिश की थी। चूंकि कोई अधिसूचित मूल्य नहीं था, इसलिए कीमतें मंजूर न करने का निर्णय लिया गया था जैसे अन्य इसी तरह के मामलों में होता है। तदनुपरान्त अधिसूचित मूल्यों के आधार पर डी॰पी॰आर॰सी॰ उप-समिति ने 16.5.96 तथा 14.11.96 को हुई अपनी 42वीं तथा 54वीं बैठकों में पुनः मूल्यों की सिफारिश की और औपचारिक स्वीकृति मिलने पर मूल्य जारी किए गए थे।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं॰	सूत्रयोगों के नाम	पैक-आकार		अधिकतम निर्धारित मूल्य	दिनांक
1.	कैप्टोप्रिल	25 मि॰ग्रा टिकियां	10 का एस टी	8.14	3.9.96
2.	कैप्टोप्रिल	50 मि॰ग्रा टिकियां	10 का एस टी	15.32	3.9.96
3.	कैप्टोप्रिल 25 मि॰ग्रा हाईड्रोक्लोरथिप्जाइड 15 मि॰ग्रा॰	टिकियां	10 का एस टी	8.54	3.9.96
4.	कैप्टोप्रिल	25 मि॰ग्रा टिकियां	10 का ए एल/ एस टी	8.48	17.2.97
5.	कैप्टोप्रिल	25 मि॰ग्रा टिकियां	10 का ए एल/ब्लिस्टर	8.18	17.2.97

भाषायी अल्पसंख्यक

1124. श्री प्रमोद महाजन : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक आयोग का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्याओं के संबंध में कोई अध्ययन या सर्वेक्षण कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी (सामान्यतः भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के रूप में ज्ञात) का एक कार्यालय पहले से ही विद्यमान है। इसे जुलाई, 1957 से भारत के संविधान के अनुच्छेद 350ख के उपबंधों के अनुसरण में सृजित किया गया। उक्त अनुच्छेद के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त का कर्तव्य होगा कि वे संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदत्त सुरक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करें और ऐसे अंतरालों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें।

(घ) जी, नहीं। क्योंकि यह कार्य भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त को सौंपा गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में स्वैच्छिक संगठन

1125. श्री अशोक प्रधान : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में विशेषकर मेरठ डिविजन में केन्द्रीय निधि से सहायता प्राप्त कर रही महिला स्वैच्छिक संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन महिला स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सामाजिक उत्थान हेतु तैयार की गयी योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) उत्तर प्रदेश में कल्याण मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित महिला स्वयंसेवी संगठन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

गेहूं की खरीद का लक्ष्य

1126. श्री परसराम भारद्वाज : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में गेहूं की खरीद करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उन राज्यों के संबंध में क्या प्रतिक्रिया है जो निर्धारित लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। मूल्य समर्थन योजना के अधीन गेहूं की वसूली स्वैच्छिक प्रकृति की होती है और केवल वही गेहूं खरीदा जा सकता है जो किसानों द्वारा लाया जाता है। इस प्रकार किसी भी राज्य में गेहूं की वसूली का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक को पॉम आयल का आवंटन

1127. श्री के-सी- कौंडय्या : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पॉम आयल की प्रतिमाह आवश्यकता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जून, 1997 तक यह कितनी मात्रा में जारी किया गया;

(ग) क्या राज्य ने पॉम आयल की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अपेक्षित कुल पॉम आयल को जारी करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) कर्नाटक सरकार ने वर्तमान वर्ष 1997-98 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 2500 टन आयातित खाद्य तेल की मासिक मांग की है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक को आयातित पामोलीन का आवंटन निम्नानुसार किया गया है:-

(मात्रा टन में)

वित्तीय वर्ष	आवंटन
1994-95	8500
1995-96	11000
1996-97	10000

(ग) कर्नाटक की पामोलीन की मासिक आवश्यकता 1996-97 से 3000 टन प्रति मास से घटाकर 1997-98 में 2500 टन प्रति मास हो गई है।

(घ) और (ङ) 1997-98 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए सरकार के खाद्य तेल आयात कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

असम में कृषि परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

1128. श्री केशव महन्त : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को असम सरकार से राज्य में विभिन्न कृषि परियोजनाएं शुरू करने के लिए केन्द्रीय सहायता देने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा- एस- वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग) कृषि विकास में तेजी लाने के लिये असम सरकार को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से 1996-97 के दौरान कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। चालू वर्ष में राज्य सरकार की ओर से किसी नई योजना के लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

विवरण

1996-97 के दौरान असम में क्रियान्वित की जाने वाली केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की सूची

क्र.सं-	योजनाओं का नाम
1	2
1.	समेकित अनाज विकास कार्यक्रम-चावल
2.	गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत् विकास
3.	विशेष जूट विकास कार्यक्रम
4.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना
5.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम
6.	आयल पाम विकास कार्यक्रम
7.	वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना
8.	उर्वरकों का संतुलित और समेकित प्रयोग
9.	कम खपत वाले तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों के प्रयोग का विकास
10.	जैव उर्वरकों के प्रयोग तथा विकास पर राष्ट्रीय परियोजना तथा तकनीकी मिशन
11.	समेकित बीज विकास योजना

1	2
12.	राष्ट्रीय किस्म विकास कार्यक्रम
13.	प्रमुख व अभिज्ञात सब्जी फसलों के प्रमाणीकृत बीजों के उत्पादन को कारगर बनाना।
14.	एन•एस•पी–III
15.	समेकित कीट प्रबन्ध केन्द्रों के अंतर्गत राज्य जैव नियंत्रण प्रयोगशालाओं की स्थापना/सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायता अनुदान
16.	छोटे किसानों में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देना।
17.	देश में ही किसानों का आवागमन
18.	कृषक वैज्ञानिक अंतः क्रिया
19.	राज्य भू–उपयोग बोर्ड
20.	नदी घाटी के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण परियोजना
21.	झूम की खेती वाले क्षेत्रों में पनधारा विकास परियोजना
22.	औषधिक एवं सुगन्धित पादप विकास
23.	कृषि में प्लास्टिक का उपयोग
24.	वाणिज्यिक पुष्प कृषि विकास
25.	मशरूम विकास
26.	उष्ण कटिबंधीय, शुष्क, समशीतोष्ण फल विकास
27.	पान विकास
28.	सुपाड़ी विकास
29.	सब्जी विकास
30.	समेकित मसाला विकास
31.	ताजा जल मत्स्य फार्म
32.	मछुआरा कल्याण
33.	अंतर्देशीय मत्स्य सांख्यिकी
34.	प्रशिक्षण एवं विस्तार
35.	कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि
36.	असफल कूप क्षतिपूर्ति निधि योजना
37.	कमजोर वर्गों को सहायता
38.	महिला सहकारी समितियों को सहायता
39.	समयबद्ध सूचना योजना
40.	फसल सांख्यिकी में सुधार
41.	पशुधन संगणना।
42.	कृषि संगणना।

सुपर बाजार में घटिया दवाइयां

1129. श्री जय प्रकाश (हरदोई) : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार में उपलब्ध दवाइयां घटिया हैं जैसाकि दिनांक 24 जून, 1997 के "इंडियन एक्सप्रैस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या कुछ व्यक्ति/फर्में सुपर बाजार/केन्द्रीय भण्डार को इन दवाइयों की सप्लाई कर रहे हैं जो उन कम्पनियों के प्राधिकृत डीलर भी नहीं हैं जिनके ब्रान्ड उत्पाद वे सप्लाई करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए ऐसे निर्माताओं/सप्लायरों को हटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ग) सुपर बाजार दिल्ली द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय कम्पनियों तथा अन्य दवा उत्पादक कम्पनियों, जो लघु उद्योग प्राधिकारकों के पास पंजीकृत हैं द्वारा विनिर्मित दवाइयां बेच रहे हैं।

(घ) और (ङ) सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार दोनों ने इस बात का खंडन किया है कि वे उन व्यक्तियों/फर्मों से दवाइयां खरीद रहे हैं, जो न तो उत्पादक हैं और न ही उन कम्पनियों के प्राधिकृत विक्रेता हैं, जिनके ब्रांड नाम उत्पाद वे सप्लाई करते हैं।

शुष्क भूमि कृषि के लिए धनराशि का आवंटन

1130. श्री शरत पटनायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997–98 के दौरान शुष्क भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को राज्य–वार कुल कितनी धनराशि मुहैया कराई गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार सूखा प्रवण राज्यों में उपर्युक्त कार्यक्रम को लागू कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा• एस• वेणुगोपालाचारी) : (क) से (घ) हालांकि शुष्क भूमि विकास कार्यक्रम नामक किसी भी योजना का कार्यान्वयन अभी नहीं किया जा रहा है फिर भी वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित पनधारा विकास परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें स्वस्थाने नमी संरक्षण के लिए कृष्य तथा गैर–कृष्य भूमि के उपचार एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए विविधिकृत

कृषि प्रणाली दृष्टिकोण शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत 1997-98 के लिए किए गये आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 25 राज्यों एवं 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रत्येक विकास खण्ड में जिनमें 30 प्रतिशत से कम कृष्य क्षेत्र सिंचाई के सुनिश्चित साधनों के अधीन है, एक एक छोटी पनधारा का उपचार कार्य शुरू किया गया है।

विवरण

वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत वर्ष 1997-98 के लिए आबंटित अनन्तिम धनराशि)

(लाख रुपये)

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आवंटित धनराशि 1997-98
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	700.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	10.00
3.	असम	15.00
4.	बिहार	15.00
5.	गोवा	5.00
6.	गुजरात	700.00
7.	हरियाणा	80.00
8.	हिमाचल प्रदेश	80.00
9.	जम्मू और कश्मीर	108.00
10.	कर्नाटक	1800.00
11.	केरल	50.00
12.	मध्य प्रदेश	3325.00
13.	महाराष्ट्र	3100.00
14.	मणिपुर	100.00
15.	मेघालय	15.00
16.	मिजोरम	150.00
17.	नागालैण्ड	160.00
18.	उड़ीसा	1200.00*
19.	पंजाब	40.00
20.	राजस्थान	2850.00
21.	सिक्किम	80.00
22.	तमिलनाडु	700.00
23.	त्रिपुरा	80.00
24.	उत्तर प्रदेश	1500.00
25.	पश्चिम बंगाल	10.00
26.	दादर और नागर हवेली	2.00
27.	अंदमान निकोबार द्वीपसमूह	25.00
	कुल	17350.00

* इस राज्य को किये गये 12.00 करोड़ रुपये के आबंटन में से 6.00 करोड़ रुपये के-बी-के॰ जिलों के लिए निर्धारित किए गये हैं।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों की नीलामी

1131. श्री निहाल चन्द चौहान : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों द्वारा खुले बाजार में गेहूं और चावल बेचने के लिए प्रयुक्त की जा रही विवेकाधीन शक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गेहूं और चावल के भंडार की विभिन्न डिपुओं में खुली नीलामी नहीं की जाती है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार खुले बाजार में गेहूं और चावल की बिक्री करने संबंधी योजना शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन गेहूं और चावल की बिक्री 1.4.1997 से बन्द कर दी गई है। अतः खुले बाजार में गेहूं और चावल की बिक्री करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों द्वारा अपनी विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम ने खुले बाजार में बिक्री योजना (घरेलू) के अधीन विभिन्न डिपुओं में अपने स्टाक की खुली बिक्री नहीं की। निविदाएं आमंत्रित करके गेहूं और चावल बेचने से कुछ खरीदारों का एकाधिकार स्थापित हो सकता है। व्यवहार्य तथ्यों के आधार पर सरकार ने निर्णय लिया था कि गेहूं और चावल की खुली बिक्री निर्धारित दरों पर की जाए।

(घ) और (ङ) फिलहाल सरकार के पास खुले बाजार में गेहूं और चावल बेचने से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विशेष मालगाड़ी द्वारा गेहूं परिवहन

1132. श्री बृज भूषण तिवारी : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1997 को विशेष मालगाड़ी द्वारा सार्वजनिक

वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए हिसार से रिवाड़ी गेहूं की कितनी बोरियां भेजी गई;

(ख) क्या उक्त मालगाड़ी रिवाड़ी भेजने की बजाए अन्य किसी जगह भेजी गई;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गेहूं की बोरियों को रिवाड़ी किस तरह लाया गया;

(ङ) इस कार्य पर कितनी अतिरिक्त धनराशि खर्च हुई, और उसका भुगतान किस प्रकार किया गया और भुगतान करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं;

(च) क्या सरकार ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) गेहूं के बोरों से लदी कोई भी विशेष मालगाड़ी भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1 मार्च, 1997 को हिसार से रिवाड़ी नहीं भेजी गई थी।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना

1133. श्री विरेन्द्र कुमार सिंह : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषरूप से बिहार में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) कब तक इसे खोले जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) कृषि शिक्षा राज्य का विषय है। बिहार में पहले ही दो कृषि विश्वविद्यालय हैं। दूसरा विश्वविद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार को जनशक्ति आयोजन पर आधारित जरूरतों का मूल्यांकन करना होगा।

[हिन्दी]

अनुसूचित जनजाति सूची

1134. श्री नरेन्द्र बुडानिया : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित कितने मामले अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किए जाने हेतु सरकार के विचाराधीन हैं तथा इन मामलों का ब्यौरा क्या है एवं राज्यवार ये मामले कब से विचाराधीन हैं; और

(ख) कब तक सरकार द्वारा इन सभी मामलों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है?

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : (क) पिछले अनेक वर्षों में अनुसूचित जातियों की सूचियों में शामिल करने के लिए दावों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) कोई विशेष अनुसूची नहीं बताई जा सकती है।

विवरण

अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र॰सं॰	राज्य का नाम	प्रस्तावों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	43
2.	असम	68
3.	अरूणाचल प्रदेश	27
4.	बिहार	28
5.	गोवा	5
6.	गुजरात	7
7.	हरियाणा	40
8.	हिमाचल प्रदेश	12
9.	जम्मू और कश्मीर	7
10.	कर्नाटक	54
11.	केरल	40
12.	मध्य प्रदेश	30
13.	महाराष्ट्र	62

1	2	3
14.	मणिपुर	14
15.	मेघालय	16
16.	मिजोरम	7
17.	नागालैण्ड	5
18.	उड़ीसा	42
19.	पंजाब	9
20.	राजस्थान	22
21.	सिक्किम	13
22.	तमिलनाडु	35
23.	त्रिपुरा	24
24.	उत्तर प्रदेश	45
25.	पश्चिम बंगाल	16
	कुल राज्य :	671
संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	6
2.	चंडीगढ़	2
3.	दादर और नगर हवेली	1
4.	दिल्ली	2
5.	दमन और दीव	–
6.	लक्षद्वीप	–
7.	पांडिचेरी	9
		20
	कुल योग	691

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण (कराड़) : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि नियम 184 के अंतर्गत मुम्बई ब घटनाओं के संबंध में चर्चा कब प्रारंभ होगी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लेंगे। तत्पश्चात् आप इसे उठा सकते हैं।

अपराह्न 12.00$^{1}/_{2}$ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग लेखाओं का वार्षिक विवरण और वार्षिक प्रतिवेदन नियम, 1996 तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित और विकास निगम, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 17 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (लेखाओं का वार्षिक विवरण और वार्षिक प्रतिवेदन) नियम, 1996 जो 30 अगस्त, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 384(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2198/97]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1995-96 का वार्षिक प्रतिवदेन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2199/97]

भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड और रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग के बीच समझौता ज्ञापन

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम॰ अरूणाचलम) : महोदय, मैं भारतीय पेट्रो-रसायन निगम लिमिटेड और रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2200/97]

राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) (संशोधन) नियम, 1997

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : महोदय, मैं राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 13 की उपधारा (3) के अंतर्गत राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) (संशोधन) नियम, 1997 जो 17 जून, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 326(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2201/97]

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वार्षिक लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 1995-96 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद के वर्ष 1995-96 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) से उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2202/97]

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 से संबंधित अधिसूचना

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज) : महोदय, मैं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 318(अ), जो दिनांक 10 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 7 जनवरी, 1994 की अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 60(अ) में कतिपय संशोधन किए गए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2203/97]

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1997 के अंतर्गत जारी अधिसूचना

[हिन्दी]

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : महोदय, मैं भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 355(अ) जो 28 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के सदस्यों की तत्काल प्रभाव से नियुक्ति की गई है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2204/97]

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1997 संबंधी अधिसूचनायें आदि।

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 490 की उपधारा (4) के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना संख्या यू-14011/160-89-दिल्ली (I) जो दिनांक 29 नवम्बर, 1996 के दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह ओदश दिया गया था कि दिल्ली नगर निगम की अधिक्रमण की अवधि 1 दिसम्बर, 1996 से तीन महीनों की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दी गई है।

(दो) अधिसूचना संख्या यू-14011/160-89-दिल्ली (I) जो 28 फरवरी, 1997 को दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह ओदश दिया गया था कि दिल्ली नगर निगम की अधिक्रमण की अवधि 1 मार्च, 1997 से एक महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दी गई है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2205/97]

(2) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1997, जो 16 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 391 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2206/97]

बहुराज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984 के अंतर्गत अधिसूचनायें

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ एस॰ वेणुगोपालाचारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 की धारा 109 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (रजिस्ट्रीकरण, सदस्यता, निदेशन और प्रबंधन, विवादों का निपटान, अपील और पुनरीक्षण) संशोधन नियम, 1997, जो 14 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 257(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (विशेषाधिकार, सम्पत्तियां और निधियां, लेखे, लेखापरीक्षा, डिक्री आदेश और विनिश्चयों का समापन तथा निष्पादन) (संशोधन) नियम, 1997, जो 14 मई, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 258(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2207/97]

अपराह्न 12.03 बजे

पेट्रोलियम तथा रसायन संबंधी स्थायी समिति

बारहवीं प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़) : महोदय, मैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगे' (1997-98) (भाग-एक) के संबंध में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति 1996-97 के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

मैं सदन को यह भी बताना चाहूँगा कि प्रतिवेदन निर्देश 71 अ(1) के अंतर्गत 2 जुलाई, 1997 को माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किया गया था जब सदन का सत्र नहीं चल रहा था और प्रक्रिया संबंधी नियमों के नियम 280 के अंतर्गत अध्यक्ष ने प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन तथा परिचालन का आदेश दिया था।

अपराह्न 12.03$^{1}/_{4}$ बजे

समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

केन्द्रीय समन्वय समिति

[अनुवाद]

कल्याण मंत्री (श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 3(2)(ज) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन इस सभा के सदस्य बने रहने तक की अवधि के लिए केन्द्रीय समन्वय समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 3(2)(ज) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन इस सभा के सदस्य बने रहने तक की अवधि के लिए केन्द्रीय समन्वय समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.03$^{1}/_{2}$ बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल) 1997-98

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : महोदय, मैं वर्ष 1997-98 के लिए बजट (रेल) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल॰टी॰ 2207-ए/97]

...(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण (कराड़) : महोदय मैं आज के कार्य के संबंध में एक मामला उठाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : यह राय बनी थी कि जिस मामले पर चर्चा चल रही है उसे 2.00 बजे से पहले निपटा लिया जाएगा *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको नहीं सुन सकता। कृपया श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण को अपनी बात करने दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : मुझे जान से मारने की साजिश की गई है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं उस पर आऊंगा।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : सभापति महोदय, आज के कार्य के बारे में एक राय बनी थी। हमारे पास बिहार संबंधी एक प्रस्ताव है जो विपक्ष के नेता द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज दोपहर को भोजन न करके इस मद को पूरा कर दिया जाये। यह मामला 2.00 बजे तक निपटाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि यह तय हुआ है कि नियम 184 के अंतर्गत प्रस्ताव, जो मुंबई में दलितों पर अत्याचार के बारे में है, दो बजे लिया जा सकता है। कृपया इस बात की घोषणा सभा में करें...*(व्यवधान)*। हम अपना कार्यक्रम बनाना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र का मामला कब लाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय के साथ एक समझौता है। कृपया बताएं कि...*(व्यवधान)*

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : सभापति महोदय, मैंने आज एक सूचना दी है...*(व्यवधान)*।

सभापति महोदय : कृपया आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण द्वारा उठाए गए मुद्दे के संबंध में मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि राजनीतिक दलों के साथ चर्चा में यह तय हुआ था कि हम 'बिहार पर चर्चा को लगातार बैठकर, दोपहर के खाने के समय को समाप्त करके, पूरा करेंगे और यथाशीघ्र बिहार संबंधी चर्चा को निपटान करेंगे।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुंबई उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदय, राजनैतिक दलों के नेताओं के साथ यह चर्चा कल किस समय और कहां की गई?

सभापति महोदय : कोई बैठक नहीं की गई।

श्री मधुकर सरपोतदार : मैं वास्तविक स्थिति जानना चाहता हूं।

सभापति महोदय : मैं आपको बताऊंगा। पार्टी नेताओं के साथ कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई थी। मैंने ऐसा नहीं कहा। जो मैंने कहा वह यह था कि बिहार चर्चा के बारे में पार्टी नेता माननीय अध्यक्ष महोदय से मिले थे।

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय गलत बात रिकार्ड में नहीं जानी चाहिए।

सभापति महोदय : श्री सरपोतदार, कृपया मेरी बात सुनें। मैंने यह नहीं कहा कि बैठक हुई थी। मैंने कहा कि एक राय बनी थी। इसका आशय यह है कि पार्टी नेता माननीय अध्यक्ष महोदय से मिले थे और वहां एक राय बनी थी। मैंने यह नहीं कहा कि वहां कोई निर्णय लिया गया था और मैंने यह नहीं कहा कि वहां कोई बैठक हुई थी। कृपया बात को समझिए।

श्री वी॰ धनन्जय कुमार (मंगलौर) : सभापति महोदय, इस चर्चा को आज ही पूरा करने की कोई तात्कालिक आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय : ऐसा कुछ नहीं है। कोई नहीं चाहता कि किसी मद को इस तरह खींचा जाए। अन्यथा तात्कालिक आवश्यकता का कोई प्रश्न नहीं है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री सरपोतदार, आप क्या तर्क दे रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा? आपका तर्क क्या है?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं सभा को कुछ सूचित करने वाला था। इस बीच आप क्या पूछना चाहते हैं?

श्री मधुकर सरपोतदार : महोदय, मेरा केवल यह तर्क था कि गलत बात रिकार्ड में नहीं जानी चाहिए।

सभापति महोदय : लेकिन आप मेरी बात सुने बिना ऐसा कैसे कह सकते हैं?

श्री मधुकर सरपोतदार : इस पर कहीं चर्चा नहीं हुई थी। यदि कोई बैठक हुई थी तो सभी दलों को इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए था।

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम पहले ही बिहार संबंधी चर्चा पर सात घंटे और 49 मिनट ले चुके हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि आप खड़े होते हैं और प्रत्येक मुद्दे पर इस तरह कुछ कहते हैं, तो इससे हमें कोई सहायता नहीं मिलेगी।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : हमने बिहार पर काफी लम्बी चर्चा की थी। यह अच्छी बात है कि सभा को एक अवसर मिला और शेष सदस्यों, जो इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, को भी बोलने का अवसर प्राप्त होगा। यह उन नेताओं की राय थी जिन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय से चर्चा की थी कि हम आज दोपहर के खाने का समय समाप्त करके चर्चा लगातार जारी रख सकते हैं। मैं सभा को यही सूचित करना चाहता हूं। इसलिए बिहार पर चर्चा जारी रहेगी। चर्चा में कोई कटौती नहीं होगी और सदस्यों को बोलने से मना नहीं किया जाएगा। सदस्य अवसर प्राप्त करेंगे। किंतु कृपया समझें कि हम इस पर सात घंटे और 49 मिनट से चर्चा कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सभापति महोदय, कृपया रिकार्ड की जांच कीजिए। इस पर लम्बे समय तक चर्चा नहीं की गई है।

सभापति महोदय : मेरे सामने सभी रिकार्ड हैं। फिर आप क्यों इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस तरह तर्क करने की कोई बात नहीं है आप कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति महोदय, आप बिहार के इश्यू को कितने दिन तक चलायेंगे। यह तीन दिन से चल रहा है। आप इसके लिए 184 को 193 में कन्वर्ट कर दीजिए...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राम कृपाल यादव, जो आप कह रहे हैं, वह रिकार्ड में नही जा रहा है। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : जो राय कल बनी थी मैंने सभा को उसकी जानकारी दे दी है।

श्री राम नाईक (मुंबई उत्तर) : सभापति महोदय, राय यह बनी थी कि जिन सदस्यों के नाम दलों ने दिए हैं, उन्हें बोलने की अनुमति दी जाएगी।

सभापति महोदय : हां, मैंने यह कहा था।

...(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : हम आज शून्य काल नहीं ले रहे हैं और हम बिहार पर चर्चा जारी रख रहे हैं।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : महोदय मैं कोई शून्य काल का मुद्दा नहीं उठा रहा हूं। मैंने प्रांसगिक मामले की सूचना दी है। 25 जुलाई को मैंने नियम 184 के अंतर्गत सूचना दी और अन्य सूचना के द्वारा मैंने आज फिर माननीय अध्यक्ष महोदय को स्मरण कराया है कि नियम 184 के अंतर्गत पश्चिम बंगाल का व्यक्तिगत खाता घोटाला (पर्सनल लेजर स्कैम) से संबद्ध मेरा प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि आप इसे ले रहे हैं या नहीं। यह वहीं बहुत समय से पड़ा हुआ है। मैं इस प्रस्ताव की नियति जानना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब हम बिहार पर बहस जारी करेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने आपसे कितनी बार कहा कि बैठ जाइए? कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया इस तरह का व्यवहार न करें। मैंने आपको बताया कि जो मामला आपने उठाया है वह सभापति के सामने है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इस तरह शोर मचाने का क्या मतलब है? कृपया समझिए कि हम आज शून्य काल के मामले नहीं ले रहे हैं। आज बहुत से मामले उठाए जा रहे हैं। नियम 184 के अंतर्गत श्री दासमुंशी, श्री पाणिग्राही और श्री रमेश चेन्नित्तला ने सूचना दी थी और अन्य सूचना नियम 193 के अंतर्गत श्री पी॰जे॰ कुरियन ने दी थी। ये सभी सूचनाएं माननीय अध्यक्ष के विचाराधीन हैं। इसलिए इस पर निर्णय लिया जाएगा और इसकी आपको सूचना दी जाएगी। तभी हम उन मामलों को उठा सकते हैं। आज हम कोई अन्य मामला नहीं ले रहे हैं, सभा की सहमति से, हम बिहार पर चर्चा जारी कर रहे हैं। हम आज दोपहर के खाने का समय भी छोड़ रहे हैं और चर्चा जारी रख रहे हैं।

श्री ए॰सी॰ जोस (इडुक्की) : नियम 377 के अंतर्गत के मामलों का क्या होगा?

[हिन्दी]

कुंवर सर्वराज सिंह (आंवला) : सभापति जी, बबराला के संबंध में मेरा भी एक नोटिस है।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महोदय नियम 377 के अंतर्गत मामलों की अनुमति दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : हां, हम अब नियम 377 के अंतर्गत मामलों को लेंगे।

अपराह्न 12.13 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चम्बल नदी द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा॰ राम लखन सिंह (भिंड) : सभापति जी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से निकलने वाली चम्बल नदी के दोनों किनारों की हजारों हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि का कटाव, क्षरण होकर बीहड़ों में बदलता जा रहा है। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार यदि इस कटाव को रोका नहीं गया तो अगले 100 वर्षों में मध्य प्रदेश के भिण्ड, मुरैना जिले प्रदेश के नक्शे से हटकर चम्बल के बीहड़ों में तबदील हो जाएंगे। सरकार द्वारा इस भूमि क्षरण को रोकने हेतु जो भी राशि अभी तक उपलब्ध कराई जाती रही है, उसका अपव्यय अधिक और उपयोग कम हुआ है, ऐसा शासकीय रिपोर्ट ने बताया है। यदि चम्बल घाटी को हरा-भरा व कृषि योग्य बनाना है तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि स्थानीय लोग जो भूमिहीन हैं, बेरोजगार युवक हैं, उन्हें शासन द्वारा सामान्य दर पर ऋण देकर बीहड़ों को कृषि योग्य बनाने हेतु पट्टे पर दिया जाए।

अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि चम्बल नदी के किनारे की हजारों हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि का कटाव, क्षरण होने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

(दो) असम के बारपेटा जिले में कैंसर निदान केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री उद्धव बर्मन (बारपेटा) : असम में विशेष रूप से बारपेटा जिले में कैंसर रोगियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्रों के लोग इस जानलेवा बीमारी से प्रभावित होते हैं और अनेक लोग कैंसर से मर जाते हैं। इस रोग के संबंध में लोगों में व्याप्त अज्ञानता और इस जिले में निदान केन्द्र न होने से इस रोग का प्रारंभिक अवस्था में पता लगाने और तदुपरांत उसका इलाज करने में बाधा आती है। इस रोग का पता लगाने और इलाज करने के लिए एक केन्द्र स्थापित किये जाने की अत्यधिक एवं तत्काल मांग है क्योंकि गुवाहाटी में बी॰ बरूआ कैंसर संस्थान को छोड़कर, निचले असम में इस प्रकार का एक भी केन्द्र नहीं है और जिले के लोग केन्द्र की स्थापना हेतु भूमि देने के लिए इच्छुक हैं।

उपर्युक्त को देखते हुए, मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस महत्वपूर्ण और अति आवश्यक मुद्दे पर विचार करें तथा जिले में कैंसर रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिए एक निदान केन्द्र स्थापित करने के लिए तत्काल आवश्यक उपाय करें।

(तीन) तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में अरब सागर तट पर समुद्री कटाव रोधी दीवार बनाये जाने की आवश्यकता

श्री एन॰ डेनिस (नगरकोइल) : कन्याकुमारी जिले में अरब सागर तट देश में मत्स्य उत्पादन का एक प्रमुख केन्द्र है। इस क्षेत्र में भारी संख्या में मछुआरे रहते हैं। वे पूर्णतः मछली पकड़ने पर ही निर्भर करते हैं जोकि उनका परंपरागत और एकमात्र व्यवसाय है। अब समुद्र कटाव इस क्षेत्र के लिए तबाही का खतरा बनता जा रहा है। इस वर्ष इससे निर्धन मछुआरों को भारी क्षति और नुकसान पहुंचा है। तूफानी समुद्र और तेज लहरों द्वारा मछली पकड़ने वाले अनेक जहाज, जाल और घर बह जाते हैं। यह देश में समुद्र कटाव-प्रवण से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से एक है। कुछ स्थानों पर समुद्र कटाव रोधी दीवारों का निर्माण हो चुका हैं। कुछ स्थानों पर इसका निर्माण नहीं हुआ है। ऐसे स्थानों को समुद्र कटाव से क्षति पहुंच सकती है। कुछ स्थानों पर, जहां समुद्र कटाव रोधी दीवारों का निर्माण किया गया था, वे अधिक समय बीत जाने के कारण गिर गई तथा वहां समुद्र कटाव को रोकने के लिए बनाई गई पुरानी दीवारों के स्थान पर नई दीवारें बनाई जाने की आवश्यकता है।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह समुद्र कटाव रोधी दीवार का निर्माण करने हेतु तत्काल कदम उठाये और राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजना तैयार करके और उसे कार्यान्वित करके प्रभावित क्षेत्रों में अन्य उपचारात्मक उपाय करे अथवा इस प्राकृतिक आपदा से निबटने के लिए अन्य सुरक्षा उपाय करे।

(चार) पंजाब के अमृतसर जिले की सीमा के साथ-साथ नाले पर पुल का पुनर्निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री मेजर सिंह उबोक (तरनतारन) : 1971 के भारत-पाक युद्ध के पश्चात् पंजाब के अमृतसर जिले की सीमा के साथ-साथ एक सुरक्षा नाले का निर्माण किया गया था। इसकी वास्तविक सीमा रेखा से दूरी अलग-अलग है। अधिकांश भूमि नाले के पाकिस्तान की ओर पड़ती है। यहां तक कि कुछ गांव भी उसी ओर पड़ते हैं। भूमि पर खेती बाड़ी करने के लिए तथा कंटीली तार की बाड़ तथा उससे आगे सीमा रेखा तक चौकसी रखने के लिए "ग्रैफ" ने सेना के मार्गदर्शन में अनेक पुलों का निर्माण किया था।

दुर्भाग्यवश, पंजाब के अमृतसर जिले की पट्टी तहसील के वान गांव के सामने सुरक्षा नाले के खालरा-डल्ल-वार सेक्शन पर बना पुल बाढ़ में बह गया है। लोगों को खेती करने के प्रयोजन से नाला पार करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह सेना तथा "ग्रैफ" को इस पुल का शीघ्र पुनर्निर्माण करने के लिए कहे।

(पांच) बिहार में सारण में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामबहादुर सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, उत्तर बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ की विभीषिका से चलते जान और माल की अपार क्षति होती है और यह बिहार की नियति बन गई है, लेकिन इस बार की स्थिति और भी भयावह हो गई है क्योंकि असामयिक एवं अतिवृष्टि के चलते जिन क्षेत्रों ने कभी बाढ़ का मुंह नहीं देखा था वे क्षेत्र भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और इसका सबसे बड़ा खमियाजा सारण कमिश्नरी को भुगतना पड़ रहा है।

इसलिए केन्द्र सरकार से मेरी मांग है कि विशेष परिस्थिति में केन्द्र सरकार स्वयं पहल करे और लोगों की जान-माल की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करे।

(छः) दिल्ली पुलिस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के सीधे नियंत्रण में लाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : सभापति महोदय, यूं तो दिल्ली को राज्य का दर्जा प्राप्त हुए लगभग 3-4 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं लेकिन दिल्ली सरकार को आज भी केन्द्र द्वारा कुछ मूलभूत अधिकारों से वंचित रखने की नीति जारी है। यह विडम्बना ही कहा जाएगा कि दिल्ली को राज्य का दर्जा तो प्रदान करा दिया गया परन्तु "दिल्ली पुलिस" को केन्द्र ने अपने अधीन रखकर दिल्ली सरकार के शान्ति व्यवस्था लागू करने के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को छीन लिया है। देश में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जिसकी अपनी पुलिस न हो। केन्द्र सरकार को सोचना चाहिए कि यदि कानून बनाने के कार्य दिल्ली सरकार के पास हैं तो उसे लागू करने वाली पॉलिसी भी उसी के अधीन होनी चाहिए। एक तरफ तो सारे देश में आजादी की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के अधिकारों पर अंकुश लगाया जा रहा है। इससे राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। प्रतिदिन चोरी, डकैती, अपहरण, हत्याएं, बलात्कार तथा अन्य ऐसी ही घटनाओं से अखबार पटे रहते हैं। पुलिस के दिल्ली सरकार के अधीन न होने से दिल्ली सरकार तथा पुलिस का तालमेल टूटा हुआ है, समन्वय का अभाव है तथा अपराधों की बाढ़ सी आ गई है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते अपराधों को रोकने तथा विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन किया जाए ताकि दिल्ली में शान्ति एवं नागरिकों की सुरक्षा का सीधा उत्तरदायित्व एक सरकार पर हो एवं इस दिशा में अपेक्षित सुधार हो सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री कृष्ण लाल शर्मा जी, केवल स्वीकृत पाठ ही कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जायेगा। इसलिए आप अपना बहुमूल्य समय क्यों नष्ट करते हैं?

...(व्यवधान)

(सात) सबरीमाला अय्यपा मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को मूल सुविधाएं उपलब्ध कराने के हेतु केरल सरकार की परियोजनाओं को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : केरल के पठनमथोटा जिले में सबरीमाला अय्यप्पा मंदिर देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों में से एक है। प्रतिवर्ष देश के विभिन्न भागों से लाखों श्रद्धालु भगवान अय्यप्पा के दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर जंगल के बीचों बीच स्थित है। श्रद्धालु लोग पम्बा नदी में पावन स्नान करने के पश्चात् नंगे पैर चलकर जंगल के रास्ते इस मंदिर में पहुंचते हैं। पम्बा नदी से सन्नीधनम पहुंचने के लिए लगभग 12 कि॰मी॰ नंगे पैर चढ़ाई करनी पड़ती है।

प्रतिवर्ष श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और इससे अब काफी समस्या पैदा हो रही है क्योंकि जनता को स्थान की कमी के कारण ठहरने, सफाई और चिकित्सा सुविधाओं, जैसी आधारभूत सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। देवासम बोर्ड, जो इस मंदिर का प्रबंध देखता है, वह इन आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है।

श्रद्धालुओं की इन समस्याओं का कुछ समाधान ढूंढने के उद्देश्य से देवासम बोर्ड तथा केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास कुछ परियोजनाएं भेजी हैं। केन्द्रीय सरकार ने विद्यमान वन तथा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

इस प्रसिद्ध मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई अत्यधिक संख्या को देखते हुये, मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह शीघ्र कदम उठाए और वन विभाग को मंदिर में तथा उसके आस-पास पर्याप्त भूमि आबंटित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करे ताकि देवासम बोर्ड इस प्रसिद्ध मंदिर के श्रद्धालुओं को सफाई, चिकित्सा सुविधा तथा ठहरने के स्थान आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा सके।

[हिन्दी]

श्री पी॰ नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, मेरा स्टेटमेंट आउट ऑफ कनटैक्स्ट बनाया गया है। मेरा जो मीनिंग था, वह इसमें कनवे नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं महासचिव के साथ इस वक्तव्य पर चर्चा करना चाहूंगा और इसे कल फिर पढ़ना चाहूंगा।

सभापति महोदय : श्री नामग्याल, आप अपना दिया हुआ वक्तव्य ही पढ़ सकते हैं, बस।

...(व्यवधान)

श्री पी॰ नामग्याल : मेरा वक्तव्य थोड़ा भिन्न है। यदि आप मुझे अनुमति दें, तो मैं इसे पढ़ूंगा।

सभापति महोदय : आप वक्तव्य पढ़ सकते हैं।

श्री पी॰ नामग्याल : इसमें '53 से पूर्व' शब्द का अर्थ दूसरा लगाया गया है और मैं इसका विरोध करता हूं। हम जम्मू और कश्मीर के लिए '1953 से पहले की स्थिति' की स्थिति का विरोध करते हैं। मुझे यह अर्थ नहीं चाहिए।

सभापति महोदय : यह कैसे हुआ?

...(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उन्होंने एक वक्तव्य दिया था। सामान्यतया कुछ बातें छोड़ दी जाती हैं ताकि वक्तव्य नियमानुसार हो। यदि अर्थ सम्प्रेषित नहीं हो रहा है तो उनके लिए यही बेहतर होगा कि वे कल अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : श्री नामग्याल, आप कल अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर सकते हैं।

अपराह्न 12.26 बजे

बिहार में हाल की घटनाओं से उत्पन्न गंभीर स्थिति के बारे में प्रस्ताव–जारी

सभापति महोदय : अब सभा श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी। श्री लालमुनी चौबे बोल रहे हैं, वह अपनी बात जारी रखें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम सागर (बाराबंकी) : सभापति जी, एक मिनट सुन लीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आज हम इसको नहीं ले रहे हैं।

[हिन्दी]

कुंवर सर्वराज सिंह (आंवला) : बबराला के ऊपर हम लोग लगातार नोटिस दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हमने निर्णय लिया है कि हम कोई अन्य विषय नहीं लेंगे। यह ही हमारा निर्णय है।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : सारे नियम तोड़कर आप बात करेंगे?...*(व्यवधान)*

श्री बृज भूषण तिवारी (डुमरियागंज) : हम नियम नहीं तोड़ रहे हैं। जब से सत्र चल रहा है, बबराला की घटनाओं पर बराबर हम लोग जीरो ऑवर से मामला उठाने के लिए नोटिस दे रहे हैं और लगातार मामला उठाया जा रहा है। आप हमें कुछ मौका तो दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह कल लिया जाएगा, आज नहीं। श्री लाल मुनी चौबे, आप जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : सभापति जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं नियम कोट कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री रामकृपाल यादव, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं अगले विषय पर पहुंच चुका हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप व्यवस्था कीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप इस तरह से कार्यवाही में विघ्न क्यों डालते हैं। आप अन्य तरीके से उस मद को उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। मैं नियम का हवाला दे रहा हूं। मैं नियम कोट कर रहा हूं। नियम 190 को मैं कोट कर रहा हूं। सुनने के बाद आप व्यवस्था दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह वही विषय है जिसे आपने पहले भी उठाया था।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : व्यवस्था पर आप नहीं सुनेंगे?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यदि यह संगत नहीं है, यह आपकी तरफ से भी सही नहीं है। मैं आपकी बात सुन रहा हूं। आप यही मुद्दा कई बार उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : क्यों?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप यह मुद्दा केवल सभा का ध्यान आकर्षित करने के लिए उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : मैं नई बात बता रहा हूं। नियम 190 में डिसाइड आपको करना है मेरी बात तो सुन लीजिए। आप एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो करना है, वह कर लीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : लालमुनी चौबे जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। राम कृपाल जी, मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि आप सभा में मामले को इस तरह से उठा रहे हैं जिससे कार्यवाही प्रभावित होती है। आप बार-बार वही मुद्दा उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : सभापति महोदय, नियम 184 का ही नियम के अंतर्गत नियम 190 है :

> "अध्यक्ष, सभा के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद और सभा नेता के परामर्श से या कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश पर ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा के लिये कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत कर सकेगा।"

निर्धारित समय पर चर्चा हो सकती है। अभी आपने कोई निर्धारित समय नहीं रखा है। आप अनवरत चर्चा करा रहे हैं। आप चर्चा के लिए समय निर्धारित कर दीजिए।

दूसरी बात यह 191 में है कि :

> "अध्यक्ष, यथास्थिति, नियम दिन या नियत दिनों के अंतिम दिन निश्चित समय पर मूल प्रश्न पर सभा की विनिश्चय निर्धारित करने के लिये प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरन्त रखेगा"

आप नियम 190 पर नियमन दीजिए। मैंने पाइंट आउट किया है कि कब तक बहस चलेगी, दो रोज चलेगी, चार रोज चलेगी, पांच रोज चलेगी, आप समय तो निर्धारित कर दीजिए, उसके बाद आप इस पर बहस करिये। हमें बहस पर कोई आपत्ति नहीं है, मगर आप समय निर्धारित कीजिए, जो नियम 190 कहता है। यही निवेदन करना था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप पूरा कर चुके हैं?

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : जी हां।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : तब बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : कब तक, क्या आप बताएंगे?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे यह कहने में खेद हो रहा है कि कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं। अध्यक्षपीठ पहले ही विनिर्णय दे चुकी है। विनिर्णय के पश्चात आपको पुनः इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए। यह एकदम वही मुद्दा है। हम तय कर चुके हैं कि चर्चा जारी रहेगी। आपने कहा कि नियम 190 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव उसी दिन लिया जाना चाहिए। यह मुद्दे सभा में अनेकों बार उठाया गया है तथा अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया है कि यह चर्चा जारी रहेगी। अब आपका कुछ कहना आवश्यक नहीं है। ऐसा सदन के नेता तथा अन्य नेताओं के साथ परामर्श करके किया गया है तब ही अध्यक्ष महोदय ने अंतिम निर्णय लिया तथा निर्णय घोषित किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : आप कोई समय निर्धारित करेंगे या अनवरत इस पर चर्चा करेंगे। आप विशेष रूख तो नहीं लेंगे? *...(व्यवधान)*

मेरा यही कहना है कि क्या आप इस पर कोई समय सीमा निर्धारित करेंगे?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राम कृपाल यादव कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए जो कुछ इस सभा में हो रहा है उसे आप नहीं समझ रहे हैं मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : नियम के विपरीत सदन चला रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। आप चाहे कुछ भी करें। मैंने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है।

सभापति महोदय : इसके बारे में रूलिंग दी है, रूलिंग के बाद यह रेज़ करना ठीक नहीं है।

श्री लालमुनी चौबे (बक्सर) : सभापति जी, मैं बोलने के लिए पहली बार खड़ा हुआ हूं। मुझे विश्वास है राम कृपाल जी थोड़े शांत रहेंगे। मेरी टूटी-फूटी भाषा अगर हो तो बड़े और पुराने लोग मुझे क्षमा कर देंगे, ऐसी मैं विनती करता हूं।

मैं दुःख के साथ कह रहा हूं कि आज बिहार तिरस्कार, उपेक्षा और घृणा के भाव से दबता जा रहा है। देश के लोगों में बिहार के प्रति जो भाव है, उसको हम लोग भुगत भी रहे हैं। जब हम ट्रेन में यात्रा करते हैं या यहां लॉबी में घूमते हैं, सेंट्रल हाल में बातचीत होती है तो लोग पूछते हैं कि क्या आप बिहार के हैं, तो हम कहते हैं कि हां, हम बिहार के हैं। एक ऐसी मुस्कान, उनके चेहरे पर एक ऐसा भाव आता है, जिसको देखकर लगता है कि यह मूक उपेक्षा क्या-क्या कह रही है। उस भावना को देखकर लगता है कि वह कैंची के फलक की तरह दिमाग को गहराई में जाकर कहीं काटती है।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं बिहार का अतीत इतना गौरवशाली रहा है कि भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि से बिहार का अतीत निकाल दिया जाए तो भारतीय संस्कृति भिखारिन बनकर खड़ी हो जाएगी। मैं नहीं समझता बिहार में क्या नहीं है। फिर भी हम गरीब, पिछड़े और दरिद्र कहे जाते हैं। हमारे यहां अभ्रक, कोयला, लोहा, कॉपर, यूरेनियम, क्रोमियम, माइका आदि सब कुछ मिलता है। बिहार में अच्छी पैदवार वाली जमीन है, अच्छी नदियां जो सिंचाई का काम कर सकती हैं, वे हैं। बिहार की भूमि केवल रत्नगर्भा ही नहीं, वीरसुता भी रही है। आपकी तरफ इंगित करके कहना चाहूंगा कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं उसकी चोटी पर लगा हुआ अशोक का स्तम्भ और चक्र भी बिहार का है। इसलिए बिहार की भूमि रत्नगर्भा ही नहीं, वीरसुता भी रही है। वहां अनेक महापुरूष पैदा हुए हैं। जिनके समक्ष विश्व के लोगों को नतमस्तक होना पड़ा है। बिहार में मिथिला जनक की भूमि है, भागलपुर कर्ण की दानभूमि है, मुंगेर तपोभूमि है, गया बुद्ध के ज्ञान की भूमि है और रांची विरसा मुंडा की रणभूमि है। सासाराम में जो शेरसासा था, जो हुमायूं को युद्ध में पराजित करके दिल्ली के तख्त पर बैठा था, वह सासाराम बिहार की मिट्टी में खेला था। पाटलीपुत्र के बिम्बसार, अशोक, समुद्रगुप्त, जिन्होंने भारत के इतिहास में स्वर्णिमकाल लिखवाया, बिहार के ही थे, और वैशाली जनतंत्र की जननी है। आज बिहार के नाम पर लोग हम पर ताना कसते हैं कि आप बिहार के हैं! बड़े-बड़े महापुरूष जय प्रकाश नारायण, दियारा कांड से प्रसिद्ध हुए थे, छपरा जहां के राजेन्द्र बाबू थे, ठगों के बादशाह नटवर लाल और लालू प्रसाद की जन्म भूमि भी बिहार ही है।

एक माननीय सदस्य : केसरी जी कहां पैदा हुए थे?

श्री लालमुनी चौबे : वह भी बताऊंगा। हम लोगों को एहसास हुआ था कि गरीब घर का नौजवान अच्छा है और इसने बिहार की सत्ता संभाली है...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : राजेन्द्र बाबू का नाम नहीं लिया, बार-बार हमारे लालू जी का नाम ले रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री लालमुनी चौबे : मैं यह भी कह रहा था कि हम लोगों को आशा थी कि हमारे लालू जी राजेन्द्र बाबू का अनुसरण करेंगे, लेकिन उन्होंने दूसरों का कर लिया।

वहां घोटाले पर घोटाले होने लगे। आप और देश समझता है कि पशुपालन घोटाले में केवल पशुओं के चारे का पैसा है, ये गलत बातें हैं। साढ़े नौ सौ करोड़ रुपए में दलित छात्रों की छात्रवृत्ति का पैसा है। वृद्धावस्था दलितों की पेंशन का पैसा है, इंदिरा आवास योजना का पैसा है, बेरोजगार दलितों को रिक्शा देने का पैसा है। स्कूल, अस्पताल और पुल बनवाने का पैसा है। वह गांव के गरीबों का, दलितों के विकास करने का पैसा है उसको लूटा है।...*(व्यवधान)** अगर एतराज है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह दलितों के लिए बड़े चिन्तित हैं। बस, दलितों का सिर्फ नाम लिया गया। अब तक मुंबई, महाराष्ट्र में दलित मारे गए, उन पर काई विचार नहीं हुआ। ये हंगामा करते हैं, वहां दलित पुलिस की गोली से मारे गए हैं। मैं बहुत ही संतप्त हूं और इस संताप को व्यक्त करता हूं लेकिन सात साल में 35 हजार हत्याएं बिहार में हुई, 13 हत्याएं प्रति दिन, उसमें 24 हजार दलित मारे गए हैं। इन 24 हजार दलितों के बारे में आपकी यह उदार भावना, यह वोट कराने वाली भावना, वोट खरीदने वाली भावना है और कहते हैं कि 24 पर महाराष्ट्र में टिके हैं। आप दलितों के नेता हैं। दलितों का पैसा खाया गया, बिहार में 24 हजार दलित मारे गए, आपको 356 नहीं लागू करनी चाहिए? बिहार में छह अभियुक्त मारे गए। उनकी संदिग्ध मौतें हुई। बिहार में 356 नहीं लागू होना चाहिए था? बिहार के हाई कोर्ट के जज ने कहा कि बिहार में जंगल राज कायम है 356 नहीं लगना चाहिए? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, बिहार में सीएजी की रिपोर्ट है, चीफ ऑडिटर जनरल ने दी कि बिहार में आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है तो क्या बिहार में 356 नहीं लागू होना चाहिए था? कब लागू होनी चाहिए, यह पवार साहब कहें, सोमनाथ चटर्जी जी कहें, जब वहां बैठे लोग कहें, दलितों के तथाकथित नेता रामविलास जी कहें। महोदय, यह कम पाप नहीं कर रहे हैं। कल हमारे गुजराल साहब बड़े तैश में थे, उनकी ऊंचाई कल नापने लायक थी। यह कितने नीचे हैं और किस सिंहासन पर बैठे हैं, जहां कभी बड़े-बड़े लोग लाल बहादुर शास्त्री जी बैठे थे। यह आजकल सदन के बाहर और भीतर कह रहे हैं कि मैं गलत काम करने को नहीं छोड़ूंगा, भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करूंगा। यह कैसे भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे, मैं पूछता हूं।...*(व्यवधान)** दोनों फेरा उल्लंघन के फेरे में हैं। इन्होंने फेरा उल्लंघन किया और कलकत्ता हाई कोर्ट ने *(व्यवधान)*...* कहा है कि इन्होंने दस करोड़ रुपया विदेशों से कंपनी खरीद कर विदेशी

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[श्री लालमुनी चौबे]

खाते से उसका पेमेंट किया है और...*(व्यवधान)*...* पर प्रवर्त्तन निदेशालय बैठा है। ...*(व्यवधान)* जांच करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

महोदय, मेरे पास सबूत हैं और मैं सबूत के साथ खड़ा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा॰ गिरिजा व्यास (उदयपुर) : महोदय, वह सभा में नहीं है। कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं एक समय में एक व्यक्ति की बात ही सुन सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री पिनाकी मिश्र (पुरी) : वह अपना बचाव करने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं। इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।. ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया इस तरह का उल्लेख न करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री लालमुनी चौबे, वह यहां उपस्थित नहीं हैं! कृपया उनका उल्लेख न करें।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : अध्यक्ष जी, मेरे पास सबूत हैं।

सभापति महोदय : एक मिनट प्लीज।

श्री लालमुनी चौबे : ...**...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जिस व्यक्ति का आप उल्लेख कर रहे हैं, वह सभा में नहीं है। इसलिए यह रिकार्ड का हिस्सा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : मैं नाम नहीं लेता हूं। मैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने विनिर्णय दे दिया है कि यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : यह कोई तरीका नहीं है। जो लोग हाउस में नहीं हैं उनके नाम नहीं लिये जाने चाहिएं।...*(व्यवधान)*

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री लालमुनी चौबे : यहां बराबर उनका नाम लिया गया है जो हाउस में नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह क्या हो रहा है? आप उन्हें बोलने दें।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : सभापति जी, गुजराल साहब ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करूंगा, चाहे परिवार का होगा उसे नहीं छोड़ूंगा।...*(व्यवधान)**... प्रवर्त्तन निदेशालय पटना और दिल्ली में बैठा हुआ है और आई॰बी॰ के लोग रेड कर रहे हैं प्रर्वत्तन निदेशालय का...*(व्यवधान)*

श्री पारसाराम मेघवाल (जालौर) : मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है। यहां चर्चा बिहार पर हो रही है या केसरी जी पर हो रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री चौबे, अब आप इसे समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : प्रवर्त्तन निदेशालय में रेड किसने कराई? क्यों कराई? क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता और मैं समझता हूं कि यहां तारीक अनवर जी बैठे हुए हैं, मेरे मित्र हैं इन्होंने अडवाणी जी के बारे में अच्छा कमेंट किया था कि इनके अध्यक्ष ने तो त्यागपत्र दे दिया, आपके अध्यक्ष ने चार्जशीट होकर भी नहीं दिया।

श्री तारीक अनवर (कटिहार) : चार्जशीट नहीं हुआ क्या?

श्री लालमुनी चौबे : मैं जनसत्ता को कोट कर रहा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री चौबे जी, अब आपको अपना भाषण समाप्त करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : प्रवर्त्तन निदेशालय ने जो 26 मई को शसाई हुन जो टोरंटो में रहते हैं को 7 सवाल भेजे। पहला सवाल था कि क्या आप...*(व्यवधान)***** को जानते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया एक मिनट के भीतर पूरा करें।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : यह अखबार में लिखा है, जनसत्ता में लिखा है।...*(व्यवधान)*

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा का समय बहुत ही मूल्यवान है। हमें रिकार्ड देखना पड़ेगा। हमें बहुत सी चीजों को हटाना है। आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि आप ऐसी सामग्री को उद्धृत करें जो प्रमाणिक नहीं है। आप को ऐसे व्यक्तियों के नामों का उल्लेख नहीं करना चाहिए जो सभा में उत्तर नहीं दे सकते हैं। उसको हटा दिया जाएगा। इसलिए रिकार्ड पर, आपका भाषण अपूर्ण रहेगा, कृपया इसका ध्यान रखें। कृपया ऐसे नामों का उल्लेख न करें तथा ऐसी चीजों को भी उद्धृत न करें जो कि रिकार्ड का अंग नहीं हैं।..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : ठीक है। मैं नाम नहीं लूंगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप इसे क्यों नहीं समझते हैं?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह मैंने मात्र नामों के बारे में कहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : इससे पहले बराबर उन लोगों का नाम लिया जाता रहा जो कि इस सदन के सदस्य नहीं हैं।...*(व्यवधान)* हर्षद मेहता का नाम लेकर यहां बात कही गई। आप रिकार्ड उठा कर देख सकते हैं। पूरा रिकॉर्ड इससे भरा हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : एक समय में कृपया एक सदस्य ही बोले!

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने सिर्फ राम नायक को अनुमति दी है। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी : आप पहले मेरे प्वाइंट आफ आर्डर पर तो व्यवस्था दीजिए।...*(व्यवधान)* जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम बराबर लिया जाता रहा। आप रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह उसी मामले को उठा रहे हैं। मैं श्री राम नाईक को बोलने की अनुमति दे चुका हूं। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इलियास आजमी जो भी कह रहे हैं वह कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जाएगा। कृपया सभा का समय नष्ट न करें!

*...(व्यवधान)**

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, इस प्रकार की चर्चा में! उन व्यक्तियों के नाम जो सभा के सदस्य नहीं हैं अथवा उपस्थित नहीं हैं अथवा जो उनकी ओर से नहीं बोल सकते हैं का नाम स्वाभाविक रूप से आएगा! श्री आडवाणी, श्री मुंडे तथा अन्य लोगों के नाम भी स्वाभाविक रूप से आएंगे।

जो कुछ भी माननीय सदस्य थे उद्धृत किया है। वह समाचार पत्र से लिया है। समाचार पत्र तथा पेपर के टुकड़े से उद्धरण देना, जोकि प्रमाणिक नहीं है वह भिन्न चीज है। माननीय सदस्य समाचार पत्र से उद्धरण दे रहे हैं जिसे कि यहां हमेशा ठीक माना जाता है। अधिक से अधिक कोई यह कह सकता है कि यह चर्चा की विषय वस्तु नहीं है और यह ठीक भी है परन्तु वह समाचार पत्रों से उद्धरण दे सकता है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हमारे पास बहुत ही सीमित समय है।

...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, यदि हम उन्हीं व्यक्तियों का उल्लेख करें जो यहीं उपस्थित हैं तो वाद-विवाद करना सही नहीं होगा *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह विषय नहीं है। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। मेरा यह मतलब भी नहीं है, कृपया उसे समझें। मैं उन नामों के उल्लेख करने के बारे में नहीं कह रहा हूं जो इस सभा में उपस्थित नहीं हैं परन्तु जो व्यक्ति सभा में उपस्थित नहीं है उनके विरुद्ध कोई आरोप लगाना ठीक नहीं है। मुझे ऐसा श्री चौबे के भाषण से लगा है। इसलिए मैंने कहा कि यह रिकार्ड का हिस्सा नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति समाचार पत्रों से उद्धरण दे सकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई ऐसा नहीं कर सकता है परन्तु इस संबंध में बिना किसी लिखित अग्रिम सूचना के कोई भी व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता है जोकि सभा में उपस्थित नहीं हो।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया उसे समझें। श्री चौबेजी यह मुद्दा नहीं है मैं आपको इसका स्मरण कराना चाहता हूं। श्री वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को ध्यान में रखें जिसमें कहा गया है "...केन्द्र सरकार का उदासीन रवैया..." परन्तु आपने उसके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। आज जो कुछ बिहार में हो रहा है आप केवल उस पर ही इस तरह बात नहीं कर सकते हैं। वह अब हमारी चर्चा का विषय वस्तु नहीं है। कृपया अपने भाषण को सभा के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव तक सीमित रखे तथा दो मिनट के भीतर अपने भाषण को समाप्त करें।

...(व्यवधान)

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि प्रधान मंत्री जी सदन के भीतर और बाहर गलत ब्यान दे रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री इलियास आजमी जो भी बोल रहे हैं वह कार्यवाही वृत्तांत में नहीं जाएगा। श्री चौबे जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। केवल श्री चौबे जी का भाषण ही कार्यवाही वृत्तांत में जाएगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री चौबे जी कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : सभापति जी, आप यह बताएं कि क्या किसी के बारे में कोई दस्तावेज और एफिडेबिट सदन में रख सकते हैं? सभापति महोदय, आप बतायें, मैं प्रधानमंत्री का एफिडेबिट लेकर खड़ा हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया आप विषय पर बोलें।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : सभापति जी, मैं एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं क्योंकि आप हमारे संरक्षक बने हुये हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं। कृपया दो मिनट में समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया विषय पर आइए।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : मैं यह कह रहा था कि अगर मेरे पास किसी का कोई एफिडेबिट हो क्या सदन में रखा जा सकता है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया दो मिनट में समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : यह एफिडेविट पिछले लोक सभा के चुनाव के समय का है जिसमें प्रधान मंत्री ने पटना का गलत अड्रेस चुनाव आयोग को दिया था।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : इसका पता लगाया जा सकता है। यह एफिडेविट दिखा रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण (कराड़) : महोदय, आप उन्हें इस प्रकार बोलने की अनुमति कैसे दे सकते हैं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं कहता हूं कि यह गलत है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम रिकार्ड के अनुसार चलेंगे तथा जो चीज रिकार्ड में नहीं होगी उसे हटा दिया जाएगा। इसलिए कृपया दो मिनट में समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : सभापति जी, मैं यह कहा रहा था कि प्रधान मंत्री ने अब तक चार महीने में जो कुछ किया है, चार महीने के भीतर भ्रष्टाचार को भयानक बढ़ावा दिया है और इतना बढ़ावा दिया है कि अब तक किसी प्रधान मंत्री के सामने खुलकर नहीं आया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बिहार में भ्रष्टाचार दिल्ली से चलता है और आज दिल्ली से ही चल रहा है नहीं तो बिहार में कैसा परिवर्तन? आज पहली बार पचास साल में कैसे एक एडजर्नमेंट मोशन को किसी विशेष परिस्थिति में परिवर्तित करना पड़ा, यह इसलिये ऐतिहासिक नहीं। ऐतिहासिक तो इसलिये है कि जैसे-जैसे एडजर्नमेंट मोशन परिवर्तित हुआ, वैसे-वैसे बिहार की स्थिति में परिवर्तन हुआ। इस एडजर्नमेंट मोशन को 184 के रूप में बहस के लिये लिया गया। भइया की भाभी चली आई।...*(व्यवधान)* महिला के प्रति अगाध प्रेम है। मैं महिला की पूजा करता हूं 'रमन्ते तत्र देवता, पूजन्ते यत्र नारीं' अर्थात् जहां नारी की पूजा होती है, देवता वहीं रहते हैं। गिरिजा जी, आप तो सूचना प्रसारण मंत्रालय में कुछ समय रही हैं, आपका अच्छा चेहरा दिखाई देता था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? आपका समय समाप्त हो गया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : सभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि कातिल वो नहीं जो कैदी है, कातिल वो भी नहीं जो फरार हैं...

[अनुवाद]

श्री पिनाकी मिश्र (पुरी) : अब यह जो अड़ंगेबाजी है। इस सदस्य को भा.ज.पा. की ओर से चर्चा से बचने के लिए रखा गया है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : सभापति जी, मैं यह कह रहा था कि कातिल वो नहीं जो कैदी है, कातिल वो भी नहीं जो फरार है, असली कातिल तो वही है जो तख्त पर बरकरार है। और बिहार में बदलाव ऐसा है...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरे विचार से अब आप समाप्त कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री लालमुनी चौबे : सभापति जी, बिहार में बदलाव पर एक शेर सुना देता हूं :

माली कहता है चमन बदला है, पंछी कहते हैं गगन बदला है, मगर
शमशान की खामोशी कहती है, लाश वही सिर्फ कफन बदला है।

आपको उस धरती पर बैठकर डैकोरम नष्ट नहीं करना चाहिए। मैं लोक सभा में तो नहीं आया था लेकिन 27 साल विधान सभा में रहा हूं।...*(व्यवधान)* तारीक अनवर जैसे लोग चावल के बदले खुद्दी बेचने वाले लोगों का समर्थन कर रहे हैं जिनको पटना की सड़कों पर घुमाया गया था। यह शर्म की बात है। मैं नहीं समझता था कि उनका समर्थन आप करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब श्री प्रमथेस मुखर्जी बोलेंगे। मैं सभी पार्टियों से अनुरोध करता हूं कि यह केवल सभापति की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वह समय नियंत्रण पर ध्यान दें। हम एक समझौते पर पहुंचे हैं और अभी सात और वक्ताओं को बोलना है। प्रस्तावक को भी जवाब देना है। अतः कृपया समय सीमा में रहिए तथा पाँच मिनट से अधिक न बोलिए।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (पं॰बं॰) : महोदय, अपनी पार्टी से केवल मैं ही एक मात्र वक्ता हूं।

सभापति महोदय : इस प्रस्ताव पर ही हमने आठ से अधिक घंटों का समय ले लिया है। इसलिए कृपया संक्षेप में बोलने का प्रयास करें।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : क्या बलि का बकरा मुझे ही बनना पड़ेगा?

सभापति महोदय : नहीं, नहीं, अकेले आप ही नहीं, सभी वक्ताओं को संक्षेप में बोलना पड़ेगा।

श्री प्रमथेस मुखर्जी : महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे विपक्ष के नेता माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है।

प्रस्ताव के दो पहलू हैं, अर्थात्, बिहार में स्थिति की गंभीरता तथा भारत सरकार का लापरवाही पूर्ण रवैया। स्थिति की गंभीरता के विषय में कोई संदेह नहीं है। स्थिति की गंभीरता की मांग थी कि आरोपित मुख्य मंत्री त्यागपत्र दें तथा उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ा था। परंतु उनके इस्तीफे के बाद भी, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए स्थिति की गंभीरता के विषय में कोई संदेह नहीं है। मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि भारत सरकार ने बिहार में हाल ही में हुए घटनाक्रम पर लापरवाही पूर्ण रवैया रखा है।

अपराह्न 12.58 बजे

[**श्री चित्त बसु** *पीठासीन हुए*]

इस प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता विपक्ष के नेता माननीय श्री अटल बिहार वाजपेयी ने प्रस्ताव को बहुत ही कुशलता से प्रस्तुत किया है। उन्होंने बिहार राज्य में अनुच्छेद 356 को लागू करने की वकालत नहीं की है। परंतु उन्होंने, संविधान सभा के बहुत सम्मानित सदस्य श्री सी॰ सुब्रमनियम के लेखों से बहुत ही उचित उद्धरण दिए हैं। उन्होंने निवेदन किया है कि बिहार जैसे मामलों में राज्यपाल के प्रसाद प्रयंत को वापस लिया जा सकता है। आपकी अनुमति से, मैं श्री सी॰ सुब्रमनियम के लेख अर्थात् कार्यवाही संबंधी कार्यसूची' के भाग 'दो' में से उद्धरण प्रस्तुत करता हूं:

> "मेरे विचार में, यह राज्यपाल का अपना प्रसाद प्रयंत वापस लेने तथा मुख्य मंत्री को हटाने के लिए अपनी संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग में असफलता का मामला है।"

शायद यही सारांश था तथा यही प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता का उद्देश्य था कि इससे यह निष्कर्ष निकाला जाए कि बिहार के मामले में राज्यपाल का प्रसाद प्रयंत वापस लिया जा सकेगा। परन्तु मेरा इस विषय में उनसे भिन्न मत है क्योंकि हमारा एक संघीय संविधान है हम सहकारी संघवाद के युग में रह रहे हैं। ऐसे मामलों में राज्यपाल के प्रसाद प्रयंत को वापस नहीं किया जा सकता है। और यदि ऐसे मामलों में राज्यपाल के प्रसाद प्रयंत को वापस लिया जा सकता हो, तो यह एक प्रकार से राज्य के मामलों में केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे एकतरफा ढंग से लागू करने की बात होगी। यह उचित नहीं होगा। अतः मैं यहाँ कहूंगा कि बिहार के आरोपित मुख्य मंत्री के विषय में राज्यपाल के प्रसाद प्रयंत को वापस नहीं लिया जा सकता है।

यह मेरा पहला निवेदन है। यह सच है कि बिहार के राजनैतिक परिदृश्य में वास्तव में दो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

पहली बात है संस्कृति का पतन, मूल्यों का पतन, लोक जीवन में नैतिक आदर्शों का पतन।

[श्री प्रमथेस मुखर्जी]

महोदय, आपकी अनुमति से मैं श्री सी॰ सुब्रमनियम जो कि संविधान सभा के अत्यंत सम्मानित सदस्य हैं, के लेखों से उद्धरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। वह उद्धरण क्या था? मैं उद्धृत करता हूँ :

> "हम देखते हैं कि लोक जीवन में सामाजिक तथा नैतिक आदर्शों में चौंका देने वाला पतन हुआ है। हमने देखा है कि सामाजिक मूल्य व्यवस्था का तेजी से पतन हुआ है। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, हिंसा तथा नैतिक मूल्यों का अनादर सब ओर विद्यमान है। हम इस भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी विशेष रूप से राजनीतिज्ञों पर ही डालते हैं।"

महोदय, ऐसी स्थिति है। यह एक प्रकार से मूल्यों का पतन है, यह लोक जीवन में नैतिक आदर्शों का पतन है। यह बढ़ते हुए भ्रष्टाचार का तथा राजनीति के अपराधीकरण का एकमात्र कारण है। इसने माफिया राज को बिहार की राजनीति में तथा सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में स्थान दिया है। यही सच है तथा यही बिहार के राजनैतिक परिदृश्य की पहली बात है।

बिहार के राजनैतिक दृश्य में दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण बात है दोषी को उचित समय पर दण्डित करने में विद्यमान व्यवस्था की असफलता।

महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ, कई सदस्य अपने ही ढंग से बोल रहे थे।

सभापति महोदय : किसको संरक्षण चाहिए?

श्री प्रमथेस मुखर्जी : महोदय, मैं व्यवस्था की असफलता के विषय में बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ अत्यंत सक्रिय केन्द्रीय जाँच ब्यूरो भी कार्यरत है। न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत सक्रिय है। राज निवास संवैधानिक रूप से सक्रिय था तथा अंततः केन्द्रीय सरकार आती है जिसने कानून को अपने ही ढंग से कार्यवाही करने की अनुमति दी है। इन सबके अलावा, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता का मत भी है। तब भी यह व्यवस्था की असफलता है कि दोषी का समय पर पता नहीं लगाया गया तथा दोषी को उचित समय पर दण्डित नहीं किया गया था। यह व्यवस्था की असफलता है। व्यवस्था की असफलता के लिए केवल केन्द्रीय सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। पूंजीवादी शासन में अन्य कई कारक हैं जो इस व्यवस्था की असफलता के लिए जिम्मेदार थे।

महोदय, मेरा तीसरा निवेदन यह है कि भ्रष्टाचार केवल बिहार में ही व्याप्त नहीं है। केवल बिहार ने ही भारत में भ्रष्टाचार अपराधीकरण तथा माफिया राज शुरू नहीं किया है। सारा देश ही इस भ्रष्टाचार रूपी डूबती हुई नौका पर सवार है। बिहार इस डूबती हुई भ्रष्टाचार की नौका का केवल एक छोटा सा भाग है। बिहार का मामला इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। न कि किसी और राजनैतिक दुर्भावना से।

महोदय, प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने श्री टी॰टी॰ कृष्णामचारी उस समय के वित्त मंत्री के इस्तीफे की घटना का यहां सही उल्लेख किया है। उस समय सदन में हरिदास मुंडा घोटाला तथा तत्कालीन वित्त मंत्री के इस्तीफे को लेकर काफी हंगामा हुआ था। उनके इस्तीफे ने इस सदन की प्रतिष्ठा, मर्यादा तथा महिमा को बरकरार रखा है। मैं ऐसी ही एक और घटना का उल्लेख करता हूँ जो 'ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स' में घटित हुई थी। 1964 में हाउस ऑफ कॉमन्स में लॉर्ड प्रोफुमो के क्रिस्टीन कीलर घोटाला को लेकर काफी हंगामा हुआ था। उस घोटाले के पश्चात् तत्कालीन रक्षा मंत्री लॉर्ड प्रोफुमो ने इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे ने ब्रिटिश संसद के गौरव को बढ़ाया था।

बिहार के आरोपित मुख्य मंत्री के मामले में कुछ अनुकरणीय बातें हो सकती थी परंतु यह देखकर खेद हुआ कि बिहार के मुख्य मंत्री जिन्हें चारः घोटाले में आरोपित किया गया, के मामले में हमें पूर्णतः निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने अपने इस्तीफे के बाद अपनी पत्नी को, परिवार के एक सदस्य को उस पद पर प्रतिष्ठित किया इससे संकट की इस आधारभूत स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। मैं उस व्यक्ति का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आरोपित मुख्य मंत्री ने अपने राजनैतिक जीवन की शुरूआत श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आंदोलन में सम्मिलित होकर की थी।

वह पिछड़े वर्ग के नेता थे। वह गरीबों तथा दलितों के विश्वसनीय नेता थे। इस बारे में कोई संशय नहीं है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि वह धर्मनिरपेक्षवाद के समर्थक हैं। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष विरोधी ताकतों के विरुद्ध बहादुरी से संघर्ष किया जो कि श्री लाल कृष्ण अडवानी जो यहाँ उपस्थित नहीं हैं, की रथ यात्रा का एक हिस्सा थीं। वह यही थे जिन्होंने उस समय, रथ यात्रा के नेता श्री लाल कृष्ण अडवानी को गिरफ्तार किया था। धर्मनिरपेक्षता के हित में तथा देश के संवैधानिक ढांचे को बनाये रखने हेतु उन्होंने यह साहस किया था।

इतिहास इसका साक्षी है।

मुख्य मंत्री को चारा घोटाले में आरोपित करने के इस अत्यंत दुःखद प्रसंग ने सारे राष्ट्र की संस्कृति को दूषित कर दिया है। यह उनका व्यवहार था जिसने राष्ट्र की संस्कृति, सौन्दर्य तथा गौरव को दूषित किया है। वह यही है जिन्होंने देश की युवा पीढ़ी के समक्ष एक बुरा उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहीं स्थिति अत्यंत नाजुक हो जाती है। परन्तु इससे केन्द्र सरकार की तरफ से कोई खामी नजर नहीं आती है। इससे ऐसा भी नहीं लगता है कि केन्द्र सरकार ने कोई लापरवाही की हो। न ही इससे ऐसा लगता है कि प्रशासन की कोई गलती हो। यह तो केवल व्यवस्था की असफलता को ही दर्शाती है क्योंकि दोषी को दण्डित नहीं किया गया है; या दोषी को यथोचित समय में नहीं ढूंढा गया है।

आपकी अनुमति से मैं यह निवेदन करता हूँ कि वैसे संविधान में चाहे बहुत सी बातें गिनवाई गई हों, तब भी पूरे देश को या सारे

समाज को संविधान में दिये गये कानून तथा नियमों के द्वारा शोषित नहीं किया जा सकता है। देश के नैतिक ढाँचे का विकास किया जाना चाहिए। गुणात्मक विकास समय की आवश्यकता है। मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध राष्ट्र व्यापी आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए।

आपकी अनुमति से, मैं श्री सुब्रमनियम के उन्हीं लेखों से उद्धरण देना चाहूँगा। मैं यह कहना चाहूँगा कि देश के स्वतंत्रता के लिए पचासवें वर्ष में प्रवेश करने से पहले वह देश के लिए क्या करना चाहेंगे। कार्य या लोगों की जागरूकता, नैतिक स्तर और मूल्यों को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ना। मैं उद्धृत करता हूँ:

> "भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन आज की आवश्यकता है। हमारी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती को इस आंदोलन को छेड़ने का अवसर माना जाना चाहिए।"

मैं पुनः आपसे अनुरोध करता हूँ कि बहुत सी चीजें केवल संविधान के नियमों और विनियमों द्वारा ही नियंत्रित अथवा निर्देशित नहीं की जा सकती। परन्तु नैतिक ढांचे को विकसित करना चाहिए और बिहार राज्य में इसमें गुणात्मक रूप से परिवर्तन लाना चाहिए। आज की मांग है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जाये। आइए हम स्वतंत्रता के इस 50वें वर्ष में भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह राष्ट्रवादी आंदोलन छेड़ें। बस मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : सभापति जी, जिस विषय पर आज हम लोग बहस कर रहे हैं, उसके कई पहलू हैं और सबसे पहले मैं बिहार की जो आर्थिक स्थिति है, जिस स्थिति के चलते, बिहार में जिस ढंग से, पिछले एक अर्से से प्रशासन चल रहा है, उसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति जी, पिछले हफ्ते 23 तारीख को जब लोक सभा का अधिवेशन या सत्र शुरू हुआ, पहले दिन जो प्रश्न सदन में पूछे जाने के लिए लगे, उनमें 7 नवम्बर के प्रश्न का विषय था कि हुडको के जरिए समूचे देश और हर प्रदेश में अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए कितने पैसे का आबंटन हुआ, कितने पैसे की योजनाओं को बनाया और हुडको की ओर से कितना कर्ज अलग-अलग राज्यों को दिया गया। कुल मिलाकर 7154 करोड़ रुपए की योजनाएं बनीं और हुडको ने 3829 करोड़ रुपए कर्ज के तौर पर दे दिए। इनमें सबसे अधिक रकम कर्नाटक को गई है। वहां रु॰ 1462 करोड़ की योजनाएं बनी और रु॰ 649 करोड़ हुडको ने कर्ज के रूप में दिए और सबसे कम रकम बिहार को मिली है। वहां कुल रु॰ 31 करोड़ की योजनाएं बनी और 20 करोड़ रुपए कर्ज के रूप में मिले। अब हम इसमें हुडको को अपराधी घोषित नहीं कर सकते हैं क्योंकि हुडको उतना ही पैसा देता है जितना राज्य सरकार लेने की क्षमता रखती है। जितना कर्ज हुडको देता है, उसके बाद बचा हुआ पैसा उस सरकार को जुटाना पड़ता है। मैं इस बात को सदन के सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि बिहार, देश की कुल आबादी का 10 प्रतिशत आबादी वाला प्रदेश है। बिहार के पिछड़ेपन और बिहार की लाचारी को देखा जाएं, जहां पानी साफ किया जाए, जहां सड़कें ठीक की जाएं, केवल इसके लिए लोगों को हाइकोर्ट में जाकर पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन के जरिए निर्णय लेना पड़ता है, तो उस लाचारी को देखते हुए बिहार के कुछ विशेष प्रावधान होना जरूरी है, लेकिन बिहार जो देश की 10 प्रतिशत आबादी वाला प्रदेश है, उसमें 10 प्रतिशत के हिसाब से योजना नहीं बनी, 10 प्रतिशत के हिसाब से पैसा नहीं मिला और अन्त में जिस मात्रा में कर्जा मिला, जितना पैसा बिहार के हिस्से में आया वह हर 100 रुपए के आबंटन में 43 पैसे।

[अनुवाद]

बिहार का हिस्सा 0.43 प्रतिशत था जिसकी जनसंख्या देश की जनसंख्या की 10 प्रतिशत है।

[हिन्दी]

अब यह है लाचारी का एक दृश्य।

सभापति महोदय, अब मैं दूसरा दृश्य और रखता हूं। जब मैंने कहा कि आपको सरकार की तरफ से देने पर या दिखाने पर अन्य संस्थाओं से पूंजी मिल सकती है, तो बिहार में जो टैक्स जुटाए जाते हैं, अन्ततोगत्वा जो सरकार की पूंजी है, वह लोगों की पूंजी है और औसतन 1995-96 में पिछले सालों का यह आंकड़ा है, बिहार ने फी आदमी टैक्स जुटाया 219 रुपए। पंजाब में 1371, गुजरात में 1147 और बिहार में 219 रुपए। अब कोई यह न समझे कि बिहार के लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं या बिहार के लोगों से टैक्स वसूल पर कोई रोक लगी है या हिचकिचाहट है। हम लोग यहां भ्रष्टाचार के पैसे की चोरी की चर्चा कर रहे हैं। हकीकत यह है कि हर स्तर पर यह सिलसिला चला है कि जो टैक्स खजाने में जाना चाहिए वह नहीं जा रहा है। कुछ लोगों ने फैसला किया कि पैसा खजाने में जाए, फिर वहां से किसी और के पास होता हुआ घरों में जाए, तो क्यों न सीधे ही हम अपनी जेब में डाल लें, और यह व्यवस्था बिहार में चल पड़ी है।

सभापति महोदय, इसका नतीजा यह दिखाई दे रहा है कि इस पर किसी का कोई आरोप हो, कोई सी॰बी॰आई॰ की जांच करनी हो, इसकी काई जरूरत नहीं है। बिहार अन्य किसी भी प्रदेश के मुकाबले जो सबसे कम टैक्स फी आदमी लेता, वह रिकार्ड पर है। अब इन दोनों चीजों के नतीजे, बिहार में जरा फी आदमी आमदनी पर देखिए। बिहार में 1994-95 में, करेंट प्राइसेस के अनुसार, जो आंकड़े इस साल के इकनामिक सर्वे में दिए हैं, उनके अनुसार देश की फी आदमी औसत आमदनी थी 9321 रुपए। महाराष्ट्र की 13112 रुपए, पंजाब की, जो दिल्ली को छोड़कर, देश की सबसे अधिक है 14118 रुपए और बिहार की 3816 रुपए।

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

लेकिन यह भी असली चित्र सामने नहीं लाता है। यदि असली चित्र समझना है, अभी जिस मुख्यमंत्री ने तीन दिन पहले इस्तीफा दिया, वे 1990 में मुख्यमंत्री बने थे। अगर आप 1991-92 से 1994-95 का हिसाब देखें तो महाराष्ट्र में फी आदमी आमदनी तीन सालों में 4997 रुपये बढ़ गई, पंजाब में 4280 रुपये बढ़ गई और बिहार में 913 रुपये बढ़ गई। कुल बिहार की फी आदमी आमदनी 3816, महाराष्ट्र में पिछले तीन सालों में आमदनी 4997 बढ़ गई, पंजाब में 4280 बढ़ गई और बिहार है कुल आमदनी पर 3816 मगर बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है। यह एक दस्तावेज इस सदन में पिछले सत्र में रखा गया था और इस पर शायद कुछ घंटों की बहस हुई थी। दो बार, पिछले सप्ताह और इस सप्ताह में इसकी चर्चा कि इस पर बहस होनी है, करके कहा गया और एक बार तो एजैंडा में भी आ गया। आज भी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर बहस करने के लिए सदन में कुछ लोग रहेंगे क्योंकि किसी को इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है और जिनको है वे बहुत कम लोग हैं। लेकिन इसका पेज नम्बर 7, यह समता पार्टी का दस्तावेज नही हैं, यह सी॰बी॰आई॰ का दस्तावेज नहीं है, प्लानिंग कमीशन का दस्तावेज है और उस प्लानिंग कमीशन का जिसके डिप्टी चेयरमैन प्रो॰ मधु दंडवते हैं और श्री इंद्र कुमार गुजराल अध्यक्ष हैं। इस दस्तावेज का पेज नम्बर 7 का 1.21 पैराग्राफ देखिए :

[अनुवाद]

प्रति व्यक्ति आय में अंतर क्षेत्रीय विषमता में और अधिक वृद्धि के भी साक्ष्य मिलते हैं।

[हिन्दी]

पिछले कुछ सालों में क्षेत्रीय विषमता बढ़ रही है। इसको बताकर वे आगे कहते हैं :

[अनुवाद]

बिहार में प्रति व्यक्ति आय, जैसाकि राज्य के घरेलू उत्पाद द्वारा मापा गया, में कमी आयी है सभापति महोदय, मैं जोर देकर कहता हूं कि 1980-81 के मूल्यों के आधार पर 1990-91 में जो 1204 रुपए थे से 1994-95 में घटकर 1067 रुपए हो गयी।

[हिन्दी]

केवल तीन साल का यहां भी हिसाब है।

[अनुवाद]

तीन वर्षों में बिहार में प्रति व्यक्ति आय में 11.4 प्रतिशत की कुल गिरावट आई।

[हिन्दी]

उसके बाद के दो सालों का हिसाब यहां नहीं है। उसके बाद के दो साल खजाने के और अधिक पैसा बाहर निकालने के साल रहे। उसके अगले दो साल बिहार में विकास नाम की चीज तो बिल्कुल ही ठप्प हो गई और ऐसी सूरत में जब अगले दो साल के आंकड़े प्लानिंग कमीशन अगले महीने-दो महीने में या जब भी हमारे सामने रखेंगे तो मुझे लगता है कि पिछले पांच सालों में बिहार में न्यूनतम 15 प्रतिशत और हो सकता है 20 प्रतिशत आमदनी 1980-81 के दामों के आधार पर पीछे हुई है। यह है बिहार।

सभापति महोदय, हम कुछ समय बोलेंगे, हमें टोकिएगा नहीं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जैसा कि आपने सुना, लगभग पौंच माननीय सदस्यों को अभी बोलना है। इसके अतिरिक्त में आशा करता हूं कि सरकार द्वारा भी कुछ टिप्पणियां की जायेंगी। उसके बाद, प्रस्ताव पेश करने वाले, प्रतिपक्ष के नेता की ओर से उत्तर दिया जाएगा। अध्यक्ष के कार्यालय से मुझे सूचित किया गया है कि चर्चा दो बजे तक पूरी जो जानी चाहिए। मुझे पता है कि यह संभव नहीं है अतः मैं सदन को केवल यह बता देता हूं कि यह ध्यान रखा जाये कि इन्हीं प्रतिबंधों के अंतर्गत मुझे इस सदन की कार्यवाही चलानी होगी।

मैं यह श्री जार्ज फर्नान्डीज जैसे माननीय सदस्य के ऊपर छोड़ता हूं कि वे स्थिति को समझें और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में मेरी सहायता करें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति जी, मैंने बता दिया कि कहां तक मामला आया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैंने आपको अभी सूचित किया था।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : लेकिन सबसे भयावह जो स्थिति है कि इतनी गरीबी, इतनी लाचारी, इतनी पीछे हट वाला हमारा बिहार अपने प्रदेश के लोगों की जो बचत का पैसा है, वह पैसा अन्य प्रदेशों के निर्माण के लिए भेज रहा है अथवा यह कहें कि उस बिहार के लोगों का, उन बिहार के गरीबों की बचत का पैसा केन्द्र की ऐसी इन्तजामी है कि वह पैसा अन्य प्रदेशों में पहुंच रहा है। बिहार में क्रेडिट डिपाजिट रेश्यों पब्लिक सैक्टर का बैंकों का पिछले दिसम्बर, 1996 महीने के यह रिजर्व बैंक के बिल्कुल ही ताजे आंकड़े हैं। इसके बाद उनका आंकड़ा नहीं आया है। दिसम्बर, 1996 का क्रेडिट डिपाजिट रेश्यो 29.7 परसेंट है, यानि बिहार में

[अनुवाद]

बैंक में जमा प्रत्येक 100 रुपए में से लगभग 71 रुपये बिहार के बाहर चले जाते हैं और केवल 29 रुपये ही बिहार में खर्च होते हैं।

[हिन्दी]

और बिहार में भी सरकार है, जो इस सब चीज को देख रही है। अब तो नये सिरे से परसों से देखना शुरू कर चुकी है। अब हम जानना चाहते हैं, चूंकि बहस में प्रधान मंत्री ने हस्तक्षेप करके कुछ हम लोगों को संविधान की धाराएं सिखाईं। हमारे मित्र सोमनाथ बाबू ने भी केन्द्र और राज्य सम्बन्ध और कहां हस्तक्षेप है और कहां नहीं है और हम लोग क्या कर सकते हैं। सी॰बी॰आई॰ से जितना होना है, वह हम लोगों ने किया है, यह सब बातें हम लोगों को बता दीं। तो मैं यह सवाल सदन के सामने रखना चाहता हूं कि यह सारा जो कुछ भी कांड वहां पर हुआ तो केन्द्र को संविधान में कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई अधिकार नहीं है। जो बहस चली, उससे मुझे लगा कि लोगों की एक मान्यता है कि नहीं, हम क्या कर सकते हैं।

आर्टिकल 356 हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, भले संविधान में हो, लेकिन हम नहीं करेंगे, चूंकि वह सैकुलर सरकार है। हर सैकुलर पाप चल सकता है तो इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन मैं पूरी नम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी असत्य बात फैलाई जा रही है, जब यह बहस चल रही है कि केन्द्र को कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है और 356 का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। मैं आज के दिन बिहार में धारा 356 के इस्तेमाल के पक्ष में हूं, लेकिन हम 356 पर नहीं बोल रहे हैं, हम अधिकार की बात को आपसे कहना चाहते हैं। संविधान की धारा 160 कहती है कि:

[अनुवाद]

> "किन्ही आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन"

[हिन्दी]

पता नहीं, विधि मंत्री, प्रधान मंत्री और गृह मंत्री ने इसको पढ़ा कि नहीं पढ़ा।

[अनुवाद]

> "राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में, जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है।"

[हिन्दी]

बिहार की यह सारी जो पीछे हट हो रही है और बिहार में खजाने को लेकर पिछले चार-पांच सालों से जो सिलसिला चलता रहा है और उसको लेकर बिहार में पिछले साल भर से और विशेषकर पिछले दो महीनों में जो परिस्थितियां निर्माण हुई हैं तो क्या वह कंटिजेंसी नहीं थी कि जहां राष्ट्रपति का मतलब केन्द्र सरकार को अपनी नजर डालने के लिए संविधान की धारा 160 अधिकार नहीं देती है बिहार के अभी भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने पिछले दो-तीन महीनों से यह कहना शुरू किया था कि भारत के संविधान में कहां लिखा है कि जेल में बैठकर सरकार नहीं चलाई जा सकती। नहीं लिखा है। उनका कहना बिल्कुल ही ठीक था और वे जेल में बैठकर सरकार चला सकते थे, चूंकि संविधान नहीं कह रहा है कि आप जेल में बैठकर सरकार नहीं चला सकते हो। आप पर मुकदमा चल रहा है, तब भी नहीं चला सकते हो और कौन जाने, कल को यह भी कोई कह दे कि हमको सजा होने पर भी हम जेल में बैठकर सरकार चला सकते हैं।

लेकिन हम यह बात कबूल करते हुए बोले थे और आज फिर कहना चाहता हूं कि संविधान के निर्माताओं ने जो इस सेंट्रल हाल में संविधान सभा में, बैठे थे, उन लोगों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हिन्दुस्तान में एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि मुख्य मंत्री बनकर बैठे हुए लोग या सरकारी पदों पर बैठे हुए लोग, राजकाज करने वाले लोग इतने बड़े चोर-लुटेरे बनेंगे कि उनको जेल जाना होगा और जेल में बैठकर सरकार चलानी होगी। वैसे आज हम आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें कोई अधिकार नहीं है, तो मैं कहता हूं कि अधिकार है। फिर धारा 360 में फाइनेंशियल इमर्जेंसी है। बिहार में फाइनेशियल इमर्जेंसी नहीं लगाएंगे तो कहां लगाएंगे? इस संविधान की धारा का क्या अर्थ है?

[अनुवाद]

> "यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्यय संकट में है तो यह उद्घोषणा द्वारा इस आशय की घोषणा कर सकेगा।"

[हिन्दी]

बिहार में क्या वह स्थिति नहीं बनी है? और क्या होनी चाहिए, कब वह स्थिति बनेगी? क्या बिहार के विपक्ष के लोगों ने मांग नहीं की है, देशभर के लोगों ने मांग नहीं की है कि फाइनेंशियल इमर्जेंसी लगाओ? इसका मतलब यही है कि बिहार बचाओ और बिहार बचाने का मतलब यह है कि उस पैसे को बचाकर, जो चला गया है, विकास के काम में लगाओ, लेकिन वह बात अभी नहीं हुई। उसके अलावा और सारी बातें चलती रहीं। वहां के कर्मचारियों को तीन-तीन सालों से वेतन नहीं मिला। बिहार से आने वाले सदस्यों को क्या मालूम नहीं है कि वहां रोडवेज के 200-250 कर्मचारियों ने तनख्वाह न मिलने की वजह से आत्महत्या की, मेरे पास उनके नाम हैं।

श्री राम कृपाल यादव : आप बताएं, नाम कहां हैं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हमने गवर्नर को नाम दिए हैं कि ये लोग मरे हैं। विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली। वहां के अधिकांश सरकारी प्रतिष्ठान बंद हो गए, विद्यालय बंद हो गए। वन विभाग के कर्मचारियों को हजारों की तादाद में हटा दिया गया। आर्थिक क्षेत्र में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो बिहार में बचा हो, उसके बावजूद भी केन्द्र को पता नहीं चला कि क्या स्थिति बनी है, वहां टोटल ब्रेकडाउन हो चुका है।

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

इसलिए यह बात कही जाती है कि अधिकार नहीं है, अधिकार तो आपको धारा 360 और 160 में दिया गया है। लेकिन मैं उससे एक कदम आगे जाता हूं, संविधान में कसोलिडेटिड फंड भी है। हम लोग यहां साल में दो-तीन महीने बजट पर चर्चा करते हैं। बहुत सी स्टेंडिंग कमेटियां हैं और वहां अलग-अलग विभागों के बजटों पर चर्चा करते हैं। सारा कुछ संविधान के अंतर्गत ही चलता है, हम जानते हैं कि कंसोलिडेटिड फंड से बिना संसद की मंजूरी से एक पाई भी नहीं निकाली जा सकती। जिस धारा के अंतर्गत कंसोलिडेटिड फंड बनता है, वह आर्टिकल 266 है। उसी धारा के अंतर्गत राज्यों का भी कंसोलिडेटिड फंड बनता है।

[अनुवाद]

> "...भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व, उस सरकार द्वारा सरकारी हुंडियां निर्गमित करके, उधारा द्वारा या अर्थोपाय अग्रिमों द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रतिसंदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी जो भारत की संचित निधि" के नाम से ज्ञात होगी तथा बिहार सरकार को प्राप्त सभी राजस्व...."

[हिन्दी]

बिहार शब्द नहीं है, मैं जोड़ रहा हूं, यह आफ दि स्टेट है।

[अनुवाद]

> "भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि में से कोई धनराशियां विधि के अनुसार तथा इस संविधान में उपबंधित प्रयोजनों के लिए और रीति से ही विनियोजित की जाएंगी, अन्यथा नहीं।"

[हिन्दी]

एप्रोप्रिएट है। हम लोग यहां एप्रोप्रिएशन बिल पास करते हैं। लेकिन वहां तो मिसएप्रोप्रिएशन हुआ है। किसी को मालूम नहीं रहा। गवर्नर क्या करता है, गवर्नर का क्या काम है? क्या गवर्नर ने केन्द्र सरकार को रिपोर्ट नहीं भेजी? आर्टिकल 202, 203, 204, 205, और 206, इन सारी धाराओं का वहां उल्लंघन हो रहा है। यहां पर धाराओं के बारे में विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं समय नहीं लूंगा। लेकिन कंसालीडेटेड फंड से आप कैसे पैसा निकालेंगे, अधिक खर्च हुआ तो उसको कैसे रेगुलराइज करेंगे? ये सारी चीजें पांच धाराओं में हैं। आपका बजट कैसे बनेगा? उस पर गवर्नर का हस्ताक्षर होगा, हर दस्तावेज गवर्नर के नाम से आएगा, गवर्नर के हस्ताक्षर पर असेम्बली में आएगा। क्या गवर्नर ने इन सारी चीजों को नहीं देखा।

1990 से दस्तावेज पड़े हुए हैं और उनमें कब किस एकाउंटेट जनरल ने, किस ऑडिटर जनरल ने, किस सीएजी ने क्या रिपोर्ट दी, इन सब की हमारे पास जानकारी है। 1994 में समता पार्टी ने जुलाई महीने में बिहार की आर्थिक स्थिति पर दस्तावेज प्रकाशित किया। उसकी कापियां हम लोगों ने केन्द सरकार को दीं। बिहार के गवर्नर से मिल कर दी।...*(व्यवधान)* 1994 के अक्तूबर महीने के तीसरे सप्ताह में एक और दस्तावेज हम लोगों ने तैयार किया, जिसको हम लोगों ने आरोप पत्र कह कर समूचे बिहार के आर्थिक क्षेत्र में जो लूट चलती है उसका पूरा ब्यौरा दिया। सीबीआई का रिपोर्ट डाक्टर विश्वास ने बीजेपी के साथ साजिश करके बनाई है, ऐसा करके प्रचार होता रहा लेकिन अगर सीबीआई की रिपोर्ट पढ़ने से पहले नीतीश कुमार का तैयार किया हुआ वह दस्तावेज, अक्तूबर, 1994 वाला अगर कोई पढ़े तो आज जितनी बातें हो रही हैं, बाद के सालों का हिसाब छोड़ कर 1994 तक का जितना हिसाब है, जितनी रिपोर्टें गई, जितनी विजिलेंस की रिपोर्टें हैं, जितने ऑडिटर और सीएजी के रिपोर्टें हैं, से यारी चीजों की जानकारी बारीकी में है। यहां तक कि वे सांडों को जो साइकिल पर, स्कूटर पर हरियाणा से पटना तक, हरियाणा से रांची तक पहुंचाया गया, ये सारी जानकारी उस आरोप-पत्र में सरकार के सामने रखी, गवर्नर के पास रखी। इन सब चीजों को देखने से किस ने इंकार किया और इसका जवाब इस इलाके में बैठने वालों से हमें चाहिए। 1995 के विधानसभा के चुनाव के समय क्या सौदे हुए थे, जिन सांसदों के चलते ये सारे दस्तावेजों को दबा कर रखा गया। इन दस्तावेजों को दबा कर रखने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के घर पर सांसदों को लेकर मिलने के लिए कौन गए थे, क्या बातें हुई थी कि कोई भी चोज नहीं उठाई जाएगी, कोई भी बात नहीं कहीं जाएगी।. ..*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : महोदय, माननीय सदस्य क्या बोल रहे हैं? मैं उस समय वहां था।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ऐसे डिबेट नहीं चल सकती है। आप मेरी बात सुनिए, आपको जब इच्छा होती है तब आप खड़े होकर बोलने लगते हैं, यह ठीक नहीं है। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : *...(व्यवधान)**

सभापति महोदय : हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं। आप जरा बैठ जाइए। जब आपकी बारी आएगी तो आप बोलिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : बोलने के लिए भी कोई तरीका है।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह जो कुछ कह रहे हैं वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा। मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं यही कह रहा था कि केन्द्र के पास जानकारी थी। गवर्नर की रिपोर्ट केन्द्र के पास है, सीएजी की रिपोर्ट एकाउंटेंट जनरल, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट केन्द्र के पास है लेकिन इसी सदन में एक बार पिछली 10वीं लोक सभा में किसी बहस के दरम्यान मैंने कहा था कि हम लोगों की जो राजनीति है वह बैलेंस ऑफ ब्लेकमेल पर चलती है।

हम लोगों की राजनीति बैलेंस ऑफ ब्लैकमेल पर चलती है। आप जानते है कि मैंने कितनी चोरी की है और मैं जानता हूं कि आपने कितनी चोरी की है। बाहर कहते हैं कि मैं भी चोर और तू भी चोर। बाद में बाहर बैठ जाते हैं और एक दूसरे की समझाते हैं कि मैं भी चुप और तू भी चुप, तेरी भी चुप और मेरी भी चुप। इस बैलेंस ऑफ ब्लैकमेल से हम लोगों का राजकाज चलता है। वही इसमें काम हुआ है और इसमें बिहार मारा गया है। आज की बिगड़ी स्थिति पर सदन में बहुत बातें आई हैं, इस पर मैं क्या कहू। सदन में प्रधान मंत्री कहते रहे। प्रधान मंत्री जी ने हमसे तीन बार मिलने से इंकार कर दिया लेकिन बाद में जब हम उनसे मिले थे और पूरी चीजों के बारे में बात की थी तो उन्होंने जो वचन दिया था वह मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वह निजी बात थी, वह बताना अन्याय होगा। लेकिन एक बात सभी स्तरों पर रही। विधि मंत्री से लेकर सभी ने कहा कि सबूत वगैरह का अभाव है। यह सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए एफीडेविट का उद्धरण मैं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

> "1988-89 से 1994-95 वित्तीय वर्ष के लिए पशु पालन विभाग से संबंधित सी॰ए॰जी॰ रिपोर्ट बताती है कि याचिकाकर्ता को रिपोर्ट के परिस्थापन से - याचिकाकर्ता जो श्री लालू प्रसाद यादव हैं- घोटाले के पता चलने से बहुत पहले निकासियों की पूर्ण जानकारी थी।"

1988-89 में धोखाधड़ी से की गयी निकासी की प्रतिशतता 17 थी; अधिक व्यय 6,12,62,065 रुपए था। श्री लालू प्रसाद यादव द्वारा 18.12.1993 को इसका परिशीलन किया गया। 1988-89 में अधिक व्यय 8,65,36,915 रुपए था; धोखाधड़ी से की गई निकासी की कुल प्रतिशतता 20 थी। श्री लालू प्रसाद यादव द्वारा 19.07.1994 को इसका परिशीलन किया गया; 1990-91 में अधिक व्यय 29,28,61,782 रुपए था; धोखाधड़ी से की गयी निकासी की कुल प्रतिशतता 53 थी। श्री यादव द्वारा 5.4.95 को इसका परिशीलन किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : यह जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं जरा इनसे पूछिए कि यह फर्जी कागज क्यों पढ़ रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : 1991-92 में धोखाधड़ी से की गयी कुल निकासी 70,72,04,846 रुपए थी, जो कुल धनराशि का 120 प्रतिशत थी और श्री यादव ने इसे 4.6.1995 को देखा था। 1992-93 में कुल निकासी 87,72,27,635 रुपए थी जो कुल धनराशि का 131 प्रतिशत थी और श्री यादव ने इसे 10.6.1995 को देखा था। 1993-94 में कुल निकासी 125,02,73,065 रुपए थी जो कि कुल धनराशि का 169 प्रतिशत थी और श्री यादव ने इसे 26.11.1995 को देखा था। 1994-95 में कुल निकासी 170,60,68,251 रुपए थी जो 229 प्रतिशत के बराबर थी और श्री यादव ने इसे 21.6.1996 को देखा था... *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : यह एक बहुत अच्छी प्रगति है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : यह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : और वे कहते हैं कि जब काम हो गया तब उन्होंने जांच करना शुरू किया। मुख्यमंत्री बने 6 मार्च 1990 को और 5 अप्रैल 1990 को स्टेट का एकाऊटेंट जनरल एक पत्र भेजता है जिसके साथ एक ऑडिट रिपोर्ट 5 तारीख का उन्हें देता है और उसमें यह बताता है कि क्या-क्या बिहार में हो रहा है। कैसे एनिमल हजबैंडरी डिपार्टमेंट में लूटपाट हो रही है? अनेक लोगों के नाम उसके साथ आ जाते हैं। राम जीवन सिंह जी उस समय के एनिमल हजबैंडरी डिपार्टमेंट के मंत्री रहे। वह सिफारिश करते हैं... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप जानते हैं कि किसी का नमा लेना जरूरी नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सी॰बी॰आई॰ के पास मामला चला जाता है। उस बेचारे की नौकरी उस विभाग से चली जाती है। उनको हटा दिया जाता है। यह सारी स्थिति है। इस स्थिति पर मात करना जरूरी है। मात का मतलब प्रधान मंत्री का गुस्सा नहीं, प्रधान मंत्री की हैल्पलैसनैस वगैरह की बात अपनी जगह है, उसका जवाब नीतीश जी ने कल यहां दिया। प्रधान मंत्री के भाषणों से यह स्थिति नहीं सुधरेगी। चूंकि हम यह मानते हैं कि यह मामला बिहार तक सीमित नहीं है। यह मामला समूचे देश में फैल रहा है। जहां नहीं फैला है, वहां भी फैल जाएगा। वह बिहार में खत्म नहीं हो रहा है। वह वहां जारी है। कहा जाता है कि हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम इस बात को नहीं मानते।

आजादी की पचासवीं वर्षगांठ की बात होती है। 1951 में इंटैरिम पार्लियामेंट थी। पंडित नेहरू प्रधान मंत्री थे। 1951 में एक सदस्य का नाम श्री एच॰एस॰ मुदगल था। वह औरों की तरह यहां चुनकर आए। वह बहुत पढ़े-लिखे थे। वह एक अखबार के मालिक और सम्पादक थे। वह खूब बड़े लेखक थे। उनके पास बहुत कुछ था। मुम्बई की बुलियन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन ने उनसे सम्पर्क किया या इन्होंने उनसे सम्पर्क किया, मुझे मालूम नहीं। कहा गया कि आप लोगों की समस्याओं के बारे में संसद में कोई सोचने वाला नहीं है। मैं सोचने के लिए और समझाने के लिए तैयार हूं। इस काम पर साल में बीस हजार रुपए खर्च होंगे। इनके पत्र को उन लोगों ने कमेटी के सामने रखा। कमेटी ने उसे पास किया लेकिन कहा कि एक हजार से शुरू

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

करो। पहली किश्त में इन्होंने कुछ मंत्रियों से बात की। लोगों ने चाय-पानी पर बुलाया। संसद सदस्यों को पर्चे वगैरह बांटे। विदेश से सोना लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, इस पर जो विवाद था, उसके बारे में इन्होंने संसद के सदस्यों का मत बनाने की कोशिश की। उनको एक हजार रुपए का चैक मिला। यह एक सीधा सौदा था। खजाने से लूटना नहीं था, सांड के नाम से लेना नहीं था। नेहरू जी को जब पता चला तो उन्होंने श्री मुदगल को अपने नौ नम्बर कमरे के दफ्तर में बुलाया। उसने कहा कि मैंने ईमानदारी का सौदा किया है। क्या आपको कोई शिकायत है? पंडित जी ने कहा कि आपको शर्म नहीं है। जिस सदन के मैम्बर हो, उसकी गरिमा, मान सम्मान का ख्याल नहीं है। उन्होंने अपनी बात मजबूती से रखी। एक अंग्रेजी शब्द है ब्रेजननैस। उन्होंने अपनी बात मजबूती से रख कर उन्हें समझाने की कोशिश की। पंडित जी इस सदन में एक प्रस्ताव लाए। सदस्यों की एक कमेटी बनी। उसमें श्री मुदगल को पेश होना पड़ा। कमेटी ने सिफारिश की कि इन्हें सदन से हटाना चाहिए। सदन में बहस हुई। श्री मुद्गल ने अपनी बात रख कर अध्यक्ष से दो मिनट का समय मांगा। उन्होंने वहीं बैठकर लिख कर अपना इस्तीफा दे दिया। पंडित जी ने देखा कि यह आदमी अपमान से बचना चाहता है, इसलिए इस्तीफा दे रहा है, वह अपने को बचाना चाहता है। ऐसे समय में पंडित जी ने खड़े होकर कहा कि प्रस्ताव में यह लिखा जाएगा कि यह आदमी सदन से निकालने लायक है। इसे निकालना चाहिए। चूंकि इस्तीफा आ चुका था लेकिन प्रस्ताव में वह शब्द जोड़ दिया गया।

गुजराल साहब नेहरूवियन हैं। इसका चाहे जो अर्थ हो लेकिन वह खुद अपने आप को नेहरूवियन कहते हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि यह कौन से नेहरूवियन हैं? चूंकि यह कहना कि 'ट्रांसपीरेंसी'. ... तो हम चाहते हैं कि सब पर कानून का एक तरह का राज हो। आप 'विच हंटिंग' करना चाहते हैं लेकिन हम यह 'विच हंटिंग' नहीं चाहते। कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो, उसके लिये भी वही कानून लागू हो जो छोटे से छोटे आदमी पर लागू होता है। यह हमारी मात्र मांग ही नहीं, यह हमारा सिद्धांत भी है। इसके साथ ही 'ट्रांसपीरेंसी' का मतलब केवल भाषण नहीं, इसके लिये कानून बनना चाहिये। इस कानून का मतलब यह होना चाहिये कि देश के नागरिक का या किसी हिस्से से सार्वजनिक पैसा जहां जाता है, खर्च होता है, अगर उसमें कोई शक की बात हो तो उसकी जानकारी या उसकी जांच करने का अधिकार होना चाहिये। यदि इस सदन में यह कानून बनाने में देर लगती हो तो आप अध्यादेश लेकर आईये। अगर यह नहीं लायेंगे तो फिर हमें यह कहना होगा कि जैसा प्रधान मंत्री जी ने कहा कि कल नीतीश जी अच्छा बोले और उसके पीछे 'बेनडेट्टा' था तो मैं कहूंगा कि यह 'बेनडेट्टा' नहीं था क्योंकि हम सारी स्थिति को 1993-94 से जानते हैं। मैं लोगों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनमें से कुछ बीमार हुये, कुछ बाहर हैं और कुछ लोग अन्य पदों पर हैं लेकिन उन तमाम लोगों से प्रार्थना करूंगा कि सुधरिये। जब लोगों का सुधरना संभव नहीं हुआ तो डा॰ राम मनोहर लोहिया ने बार बार एक बात कही कि यदि सुधर नहीं सकते तो टूटो। तो हम लोग टूट गये, इसके लिये बहुत सुनना पड़ा। बहुत कुछ हो गया।

सभापति महोदय, इस सदन में श्री छगन भुजबल की बात हुई जिस पर आज या कल में बहस होनी है और हमारी जान भी जाने वाली है क्योंकि 17 जुलाई, 1994 को जब हम अपने क्षेत्र में जा रहे थे तो 3-4 लोगों ने हमें बचाया। उसमें नीतीश जी पहले आदमी हैं और उसके बाद बिहार विधानसभा के श्री शिवानंद तिवारी हैं तथा एक लड़का अजय, जो मेरे साथ था, उसने बोट अपने सिर पर ली और एक आदमी वृषण पटेल ने मेरी जान को बचाया। इस संबंध में मुकद्दमा चल रहा है। इनमें जिला जनता दल और जिला युवा जनता दल अपराधी हैं और अब राष्ट्रीय जनता दल में हो गये हैं। यदि प्रधानमंत्री जी ईमानदारी से अपने शब्दों पर अमल करना चाहते हैं तो फिर संविधान का इस्तेमाल करिये। बिहार में जो कुछ सरकार के नाम पर, देश के नाम पर, बिहार के विधायकों के नाम पर और लोगों के नाम पर मजाक हो रहा है, वह संविधान में कहीं नहीं लिखा है। संविधान की धारा 160 तो कहती है कि जब कंटिनजेंसी की बात आती है तो राष्ट्रीय सरकार हो या प्रधानमंत्री हों, अपनी कैबिनेट में निर्णय ले सकते हैं। यहां पर श्री मुलायम सिंह जी बैठे हैं, वे देश के रक्षा मंत्री हैं। उनको खाली हिमालय की चोटियों की रक्षा ही नहीं करनी है, उन्हें देश के भीतर ताकतों को मजबूत बनाना होगा वरना देश को एक बनाये रखना संभव नहीं होगा। इसलिये हम चाहते हैं कि सरकार इस दिशा में कदम उठाये जिससे बिहार के लोगों को अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों को ईमानदारी से अमल करने का मौका मिल जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

प्रो॰ रीता वर्मा (धनबाद) : सभापति जी, यह भी एक इत्तेफाक है कि जब-जब भारतीय जनता पार्टी कोई ऐडजर्नमेंट मोशन लाती है तो उसके साथ परिवर्तन की एक बयार जरूर आती है। ...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश पर जब ऐडजर्नमेंट मोशन आया था तो उसी के बाद वहां का परिदृश्य बदला था और बिहार पर जब ऐडजर्नमेंट मोशन लाया गया तो उसी के बाद वहां पर तथाकथित सत्ता-परिवर्तन हुआ। लेकिन ये परिवर्तन कैसा था? लालू जी हमेशा डंके की चोट पर कहा करते थे कि मैं तो जेल से भी राज करूंगा। उसी बात को उन्होंने पूरा करके दिखाया। खुद तो बड़ी मजबूरी में जनमत के दबाव में, संसद के दबाव में, कानून के दबाव में कुर्सी से हटे लेकिन अपनी छाया उन्होंने कुर्सी पर बैठा दी। अब उस छाया का जो नाम लीजिए, वह पत्नी हैं या राबड़ी देवी हैं, जो कुछ हैं, वह सिर्फ लालू की प्रतिछाया हैं।

लोग यहां पर कहेंगे कि एक महिला मुख्य मंत्री हो गई हैं तो आप खुश नहीं हुए? क्या वह महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं या अपने पति का प्रतिनिधित्व करती हैं? वह तो अपने पति के कारण कुर्सी पर बैठी। वंशवाद की बात तो हम सुनते थे लेकिन एक नये पत्नीवाद को लालू जी ने जन्म दिया। जो लोग नेहरू खानदान की वंश परंपरा को गाली देते थे आज उन्होंने ऐसा इंतजाम किया है कि पति

के बाद पत्नी और शायद पत्नी के बाद बच्चे। मुझे याद है कि जब यह सरकार बनी थी और हम लोगों ने पूछा कि भगवती देवी को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया तो लालू जी ने उसका जवाब दिया था कि भगवती देवी पढ़ी-लिखी नहीं हैं वरना मैं तो चाहता था कि मैं उनको मंत्री बनाऊं। मैं पूछना चाहती हूं कि श्रीमती राबड़ी देवी की शिक्षा-दीक्षा क्या है?...*(व्यवधान)*

श्री गिरधारी यादव (बांका) : माननीय सभापति जी, किसी का नाम लेने की क्या आवश्यकता है?...*(व्यवधान)*

प्रो॰ रीता वर्मा : मैं कोई अनपार्लियामेंटरी बात नहीं कह रही हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हम रिकार्ड को देखेंगे और जो आपत्तिजनक बात होगी, वह निकालेंगे।

[अनुवाद]

कृपया किसी का नाम न लें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो॰ रीता वर्मा : सब लोग राबड़ी देवी का नाम ले रहे हैं। मैं बड़े आदर के साथ नाम ले रही हूं। मैंने उनकी निन्दा नहीं की है। ...*(व्यवधान)* हम सब लोग उम्मीद करते थे कि कान्ति जी मुख्य मंत्री बन सकती हैं, इतना उछल-उछलकर राम कृपाल यादव जी बोलते हैं, वह मुख्य मंत्री बन सकते हैं, लेकिन लालू जी ने यह सिद्ध कर दिया कि उनका विश्वास है कि उनके दल में न किसी की योग्यता है और न ही किसी की प्रतिभा है। उनके बाद मुख्य मंत्री बनने लायक योग्यता सिर्फ उनके परिवार के लोगों में है। बाकी सबको वह क्या बताऊं,*... बोलना तो शायद ठीक नहीं होगा, इसी से कुछ मिलता-जुलता वह समझते हैं। बाकी किसी को भी उन्होंने मुख्य मंत्री बनने के लायक नहीं समझा।...*(व्यवधान)*

सभापति जी, कल हमारे मित्र राधा मोहन सिंह जी ने इस बात पर ऐतराज किया था कि मुख्य मंत्री का टेलीफोन आता है तो लालू जी क्यों फोन उठाते हैं। इसमें हमारा क्या जाता है? यह तो पति-पत्नी के बीच की बात है। अगर पतिदेव उनके पी॰ए॰ बनना चाहें तो इसमें मुख्य मंत्री का क्या दोष है? जब मियां-बीवी राजी तो हम क्या कर सकते हैं? वह अपने पति को पी॰ए॰ बनाकर रखें, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन पी॰ए॰ को पी॰ए॰ की तरह ही रहना चाहिए। पी॰ए॰ को बॉस बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो पी॰ए॰ बॉस बनना चाहता है, उसको हम लोग तुरंत हटा देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूं कि हमारी बहन राबड़ी देवी भी इस बात का ध्यान रखेंगी कि पी॰ए॰ अगर उनेक सिर पर चढ़कर बोलने लगे, अगर बॉस की तरह बिहेव करने लगे तो ऐसे पी॰ए॰ को वह एक मिनट का भी नोटिस दिये बिना हटा देंगी। अब राबड़ी देवी को पसंद है तो पिया को पी॰ए॰ बना लें, ठीक है वह बना लें।...*(व्यवधान)*

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्रीमती भगवती देवी (गया) : जो औरतों का शोषण करते हैं तो क्या वे घर से निकाल देंगे?

प्रो॰ रीता वर्मा : भगवती जी, इसमें आपको क्यों बुरा लगता है। वह चाहती हैं कि उनका पिया पी॰ए॰ बने, आपको इसमें क्या लगता है...*(व्यवधान)* मुझे तरस आता है कि जब इस महान देश का प्रधान मंत्री कहता है कि यह फैमिली मैटर है। बिहार का मुख्य मंत्री जो भी बने यह लालू जी का घरेलू मामला है और प्रधान मंत्री कहते हैं कि वह घरेलू मामले में टांग नहीं अड़ाते। बिहार की कुर्सी क्या लालू जी की पुश्तैनी कुर्सी हैं, क्या उनके परिवार की कुर्सी है, उनके बाप-दादाओं की कुर्सी है, जिस पर चाहे पति बैठे या पत्नी बैठे ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, हम देखेंगे

...(व्यवधान)

प्रो॰ रीता वर्मा : सभापति जी, यह घरेलू मामला नहीं है।

श्री गिरधारी यादव : सभापति जी, यह ऑब्जेक्शनेबल बात है, बाप दादा का जो नाम आ रहा है इसको रिकार्ड से हटाइये। वे जनता द्वारा चुने गये विधायकों द्वारा चुनी गई हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम कार्यवाही की जांच करेंगे। यदि कुछ असंसदीय है तो हम उसे निकाल देंगे।

[हिन्दी]

प्रो॰ रीता वर्मा : सभापति जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, मैं दो-चार बातें कहना चाहती हूं।

सभापति महोदय : आपको जो कहना है आप कहिये।

प्रो॰ रीता वर्मा : वहां महिला मुख्य मंत्री बनती हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या इस सदन को पता है कि इस महिला को लगातार पिछले दो साल से इंकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं और इनका जो जवाब है, वह इंकम टैक्स वाले कहते हैं, संतोषजनक नहीं है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं देखूंगा, उसके बाद अपनी राय दूंगा। ...*(व्यवधान)* हमारा आप से वाद-विवाद नहीं हो सकता है, हम कानून से काम करेंगे।

प्रो॰ रीता वर्मा : उनके मुख्य मंत्री बनने से लालू जी की उन्नति होगी। इंकम टैक्स के नोटिस लगातार आ रहे हैं।

श्रीमती भगवती देवी : यह जो कह रही हैं क्या वह कानूनी है?

प्रो॰ रीता वर्मा : इन्होंने इंकम टैक्स को लिखकर दिया कि इन्होंने लाखों रुपये कमाये, यह दूध का बिजनेस करते हैं। लालू जी ने लाखों रुपये कमाये। लालू जी ने अपनी रिटर्न में लिखा था। इतना बड़ा महल आपने कैसे बनाया तो उन्होंने लिखा कि मैंने पत्नी से उधार लेकर यह महल बनाया है। सभापति जी, हमारे धनबाद में एक कवि हैं, उन्होंने एक छोटी सी कविता बनाई है। मैं वह आपको सुनाना

[प्रो॰ रीता वर्मा]

चाहती हूं। "लालू जी ने राबड़ी देवी से उधार लेकर बनाया सपनों का एक महल, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, हमारे बालीवुड में तो सदा से होता आया है, साजन गरीब, सजनी अमीर या एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। तो इन्होंने इंकम टैक्स को लिखकर दिया कि दूध का बिजनेस करके लाखों रुपये कमाये।

सभापति महोदय : कोई पर्सनल सवाल नहीं होना चाहिए। आप मोशन पर कहिये, कोई नहीं रोकता है, इसको पार्लियामेंट में इस स्तर पर नहीं लाना चाहिए कि परिवार के व्यक्तियों की अपने-अपने जीवन के बारे में हम चर्चा करें।

प्रो॰ रीता वर्मा : सभापति जी, यह पर्सनल सवाल नहीं है, यह इंकम टैक्स के अफसर कह रहे हैं। यह इंकम टैक्स रिटर्न गलत भरने का मामला है। मैं कह रही हूं कि यह जान-बूझकर इंकम टैक्स के सामने गलत रिटर्न फाइल करने का मामला है।

सभापति महोदय : वह सरकार देखेगी।

प्रो॰ रीता वर्मा : मैं दूध के धंधे को बुरा नहीं कह रही हूं। कोई भी ईमानदारी से धंधा कीजिए वह तो बहुत अच्छा धंधा लगता है।

श्री रमेन्द्र कुमार (बेगूसराय) : वहां मुकदमा चल रहा है और जो मन में आये आप बोल रही हैं।

प्रो॰ रीता वर्मा : रमेन्द्र जी, इंकम टैक्स का मुकदमा कहां चल रहा है?...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.00 बजे

अब मैं हिन्दुस्तान टाइम्स के 24 जुलाई के समाचार पत्र की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं...*(व्यवधान)*

श्री रमेन्द्र कुमार : सभापति जी, यहां कोई दूसरा सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि जायज तो बोलिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : रमेन्द्र कुमार जी, मैं कह चुका हूं कि संपूर्ण भाषण की जाँच की जाएगी।

श्री रमेन्द्र कुमार : महोदय, वह इस सदन की एक माननीय महिला सदस्य हैं। उन्हें एक सदस्य की तरह व्यवहार करना चाहिए। वह इस सदन की सभापति तालिका में भी हैं। उन्हें इस सदन की मर्यादा बनाये रखनी चाहिए।

सभापति महोदय : जो कुछ भी उन्होंने कहा हम उसकी जाँच करेंगे। यदि यह उचित नहीं है तो हम इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देंगे।

[हिन्दी]

प्रो॰ रीता वर्मा : मैं कभी किसी के प्रति गलत भाषा प्रयोग नहीं करती।...*(व्यवधान)* उस समय बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री लालू प्रसाद ही थे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

"बैंक लूट का आरोपी कहता है कि लूट* के माल में हिस्सा लिया।"

[हिन्दी]

अब मैं आपका ध्यान 24 जुलाई के हिन्दुस्तान टाइम्स की ओर दिलाना चाहती हूं। उस समय बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री लालू प्रसाद ही थे और उनके संबंध में यह पूरी न्यूज है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

"बैंक लूट के एक अभियुक्त, श्री शैलेन्द्र कुमार आर्य उर्फ लंगड़ा, ने पुलिस के समक्ष अपने इकबालिया बयान के दौरान आज यहाँ कुछ चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन किए। उसने कहा कि गैंग को लूट का कम से कम 20 प्रतिशत*... को देना होता था।"

[हिन्दी]

मैं 24 जुलाई की 'हिन्दुस्तान टाइम्स' की न्यूज को अथेन्टिक करके सदन की टेबल पर रख देती हूं। वहां जो क्रिमिनल पकड़े जाते हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री के भाइयों के बारे में, वे बयान देते हैं कि हम जितना लूट का माल घर में लाते है मैं यहां किसी का नाम नहीं लेती हूं, वैसे नाम तो बहुत अच्छा है, ऋषियों-मुनियों जैसा है, परन्तु काम उसके ठीक विपरीत करते हैं।...*(व्यवधान)* उसका कहना है कि जो लूट की कमाई खाते हैं, उनके हाथ में राज चला गया है, अब बिहार की दुर्दशा होने वाली है...*(व्यवधान)*

प्रो॰ अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति जी, जो कुछ इन्होंने कहा, इनके पास प्रमाण क्या हैं, ये सदन में उदाहरण क्यों देती जा रही हैं, क्या इनके पास प्रमाण हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, इसमें प्रमाण की जरूरत नहीं है...

...*(व्यवधान)*

प्रो॰ रीता वर्मा : आप इतना शोर मत कीजिए, आपके साथियों के बारे में भी मुझे पता है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो॰ अजित कुमार मेहता : महोदय, वह इस समाचार को किसी के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में उद्धृत कर रही हैं।

सभापति महोदय : यह कोई न्यायालय नहीं है। कृपया इस संसद को न्यायालय के रूप में न बदलें। यह कोई न्यायालय नहीं है। वह जो कुछ कहना चाहती हैं, कहने दीजिए। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं कार्यवाही की जांच करूंगा और जो कुछ भी अनुचित तथा असंसदीय है उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

प्रो॰ रीता वर्मा : जैसा मैंने सुना है, मैं वही बोल रही हूं। ...*(व्यवधान)* जब लालू जी से कहा जाता है कि आप मोरेल ग्राउण्ड पर रिजाइन कीजिए तो लालू जी कहते हैं, ऐसा कई बार अखबारों में आया है, कि फुटबाल का ग्राउण्ड तो सुना है, क्रिकेट का ग्राउण्ड भी सुना है, मगर यह मौरेल ग्राउण्ड क्या होता है? इसी से पता चलता है कि मौरेलिटी के लिए, नैतिकता के लिए उनके मन में कितना आदर-भाव है।...*(व्यवधान)* मैं इससे पति-पत्नी को दोष नहीं देती, लेकिन इसके लिए अगर कोई सबसे ज्यादा दोषी है तो हमारे प्रधानमंत्री जी दोषी हैं क्योंकि उनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, वे टेलीविजन से, पेपर्स के जरिए अपील करते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें संकल्प करना चाहिए, अभी पिछले दिनों 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में एक कार्टून आया था, जिसमें वे कहते हैं कि जिसके उजले बाल हैं, जो गले में चश्मा लटकाए रहता है, जो हाथ में छड़ी लेकर चलता है, उसे रिजाइन करना चाहिए...*(व्यवधान)* पत्रकार लोग कहते हैं -

[अनुवाद]

> "यह पहली बार है कि वह इस बारे में इतना सुस्पष्ट हैं।"

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री जी कभी उनका नाम नहीं लेते कि किसने भ्रष्टाचार किया है, किसे रिजाइन करना चाहिए। हम समझते हैं कि जैसे भारतवर्ष में पुरातन पति-पत्नी होते हैं, पत्नी कभी अपने पति का नाम नहीं लेती, उसी तरह प्रधानमंत्री जी भी उनका नाम नहीं लेते, चाहे कोई कितना भी उन्हें बोले। उनका कहना है कि इससे अच्छी पत्नी मिलना मुश्किल है, जो कभी नाम नहीं लेती। वे खुद कहते हैं कि द्रोपदी के पांच ही पति थे लेकिन मेरे तो ढेर सारे पति हैं। द्रोपदी के पति उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करते थे, इनके मालिक पता नहीं क्या करते हैं।

सभापति जी, सबसे दुख की बात है कि आज हम अपनी आजादी की स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं और इस स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ये प्रधान मंत्री झंडा फहराएंगे, जो नाम नहीं ले सकते हैं कि कौन भ्रष्टाचारी है और जो हमेशा रोते रहते हैं कि मैं तो इतना बेचारा हूं, मैं तो हैल्पलैस हूं, मैं क्या कर सकता हूं और गर्वीले और स्वाभिमानी ऐसे राष्ट्र का प्रधान मंत्री स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर झंडा फहराएगा, यह हम लोगों का परम दुर्भाग्य है।

सभापति जी, मैं इतिहास की प्राध्यापिका थी और अभी भी हूं। हम लोग अक्सर प्रश्न पूछते हैं कि "डिगाल" ने फ्रांस के लिए ऐसा क्या किया कि फ्रांस अभी तक उनका इतना आभारी है कि वे फ्रांस के राष्ट्रपुरूष बन गए थे। इसका जवाब यह है कि उन्होंने फ्रांस को एक सबल नेतृत्व दिया। फ्रांस का नेतृत्व ही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसी प्रखर नेतृत्व के चलते, विश्वयुद्ध के बाद जो फ्रांस धूलधूसरित हो गया था वह फिर से सिर उठाकर उन्नत राष्ट्रों की बिरादरी में फिर से आ गया और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। यह है किसी राष्ट्र नेता का कर्तव्य। यह है किसी देश के प्रधान मंत्री का कर्तव्य। लेकिन हमारे देश के प्रधान मंत्री तो यह कह कर खुश हो जाते हैं कि मैं तो इतना दुर्बल हूं, मैं तो इतना कमजोर हूं, मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। और उस पर कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहीम चलाऊंगा। अच्छा है रेडियो से टाक कीजिए। सेमीनार अटेंड कीजिए।

सभापति महोदय, हमारे यहां एक मंत्री थे जिनके यहां बोरों में रुपए निकले। उनको भी अपनी मुहीम में शामिल कर लीजिए और वैसे ही लोगों की एक कतार बनाकर भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध मुहीम चलाइए और जनता से कहिए कि जनता को आगे जाना चाहिए। अगर जनता आगे आएगी, तो श्रीमान जनता ने प्रधान मंत्री आपको किस लिए बनाया है? प्रधान मंत्री का क्या दायित्व है? क्या प्रधान मंत्री का दायित्व मात्र यही है कि उस कुर्सी पर बैठना और टोकाटोकी करना या एक सबल नेतृत्व देना उसका दायित्व होना चाहिए। मैं यहां यह प्रश्न उठा रही हूं। अगर उनमें बहादुरी होती, थोड़ा सा भी पौरुष होता, तो वे बिहार में कब की धारा 356 लगा चुके होते, लेकिन धारा 356 के नाम से वे ऐसे चौंकते हैं जैसे कोई उनसे गोहत्या करने के लिए कह रहा हो। ऐसा घबराते हैं कि बाप रे बाप, धारा 356। इतना बड़ा पाप। कभी 356 लगाई है इस देश में? जबकि सभापति जी, बिहार धारा 356 के लिए फिटेस्ट केस था। मैं उसमें जाना नहीं चाहती। सब लोग जानते हैं कि बिहार में कैसा कांस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ, सब लोग बता चुके हैं कि बिहार में कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन हुआ और सब लोग कहते हैं बिहार में कैसा फायनेंश्यल ब्रेकडाउन हुआ।

सभापति जी, अभी जार्ज साहब बता रहे थे कि स्टेट ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन के कितने लोग आत्महत्या कर चुके हैं। हमारे यहां बिहार में जितने भी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारी हैं मैं उनके नाम बता दूंगी जिन्होंने आत्महत्या की। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड धनबाद के कर्मचारियों को दो साल से तनख्वाह नहीं मिली है। भूख से बिलख-बिलख कर उसके बच्चे मर गए। उसने आत्महत्या कर ली। हमारी कांस्टीट्यूएंसी में सुपरफासफेट की एक इंडस्ट्री है। वह बहुत सालों से बंद है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं। लोग बीमार हैं। दवा नहीं कर सकते हैं। रोज मुझे चिट्ठी आती हैं कि मैडम अगर आप हमारी सैलरी नहीं दिलवाएंगी तो हम फलानी तारीख को आग लगाकर मर जाएंगे। वहां ऐसी बैंक्रप्सी है कि लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन के अभाव में आदमी मुझे चिट्ठी लिख रहे हैं कि मैं आग लगाकर मर रहा हूं। आपको आकर तमाशा देखना है, तो देखो। और ऐसे फायनेंश्यल ब्रेकडाउन में भी प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि बाप रे बाप, ऐसा पाप मैं नही कर सकता। तो क्या गुजराल साहब कांस्टीट्यूशन की रक्षा करेंगे? इनकी मंत्री पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर अपनी सरकार के खिलाफ नारे लगाती हैं। ऐसा हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं। पेपर में आया है।...*(व्यवधान)*

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह) : आप गलत आरोप लगा रही हैं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती रीता वर्मा : मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूं। मैंने तो ऐसा पेपर में पढ़ा है। मैंने किसी मंत्री का नाम नहीं लिया है। ...*(व्यवधान)*

अंत में, सदन में बहुत सारे लोगों को ऐतराज होगा लेकिन फिर भी मुझे इस बात को कहने का लोभ हो रहा है कि मैं माननीय श्री वी॰पी॰ सिंह से श्री गुजराल की तुलना करूं। याद होगा कि वी॰पी॰ सिंह जी भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध जेहाद छेड़कर प्रधानमंत्री बने थे। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने का हमेशा संकल्प लेते थे। गुजराल साहब के मुंह से भी बार-बार यही निकलता है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता को क्या करना चाहिए, प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, यह नहीं कहते हैं। जनता को क्या करना चाहिए क्योंकि इस देश में फालतू मरने के लिए जनता ही तो है। माननीय वी॰पी॰ सिंह हमेशा बोलते थे कि मैं तो बहुत अनिच्छा से कुर्सी पर बैठा हूं और मुझे त्यागपत्र देने में एक मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन जब त्यागपत्र देने का मौका आया तो ऐसी कसकर कुर्सी पकड़ी कि लोग उनको हिलाते रहे, उन्होंने पूरे देश को तरह-तरह के उन्माद में, आग में झोंक दिया लेकिन कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। जब हमारे गुजराल साहब आए थे तो इन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता था, मेरी पत्नी और मेरे घर वालों ने सबने मुझे सलाह दी थी कि आप इसे स्वीकार मत कीजिए। मुझे तो लगता है कि इनसे ज्यादा समझदार तो इनकी पत्नी हैं। वे जानती थीं कि ये ऐसी ही गड़बड़ करेंगे इसलिए इनको मना कर रही थी कि आप प्रधानमंत्री मत बनिए। लेकिन ये प्रधानमंत्री बन गए और अब इस कुर्सी को बचाने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं। इन्होंने किस तरह प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, किस तरह इस पद के सम्मान को गिराया है, यह तो आप सभी देख रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं। बोफोर्स पर जो इन्क्वारी हो रही थी, उसको इन्होंने स्कटल कर दिया, सी॰बी॰आई॰ ने क्वात्रोची के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करनी चाही थी लेकिन इन्होंने अनुमति नहीं दी, कांग्रेस के अध्यक्ष से ऐनफोर्समैंट डायरैक्ट्रेट पूछताछ करना चाहता था, उसकी इन्होंने अनुमति नहीं दी। इंडियन बैंक के घोटाले में भी अनुमति नहीं दी। इस बार ऐसा सी॰बी॰आई॰ चीफ लेकर आए हैं जो कहता है कि मैं तो राजनेताओं को छूना नहीं चाहता, क्या राजनेता से पवित्र भी कोई जात होती है, उनको मैं कैसे छू सकता हूं। चारा घोटाले में इन्होंने अंत तक यह कोशिश की कि इसका कौगनीजैंस न लिया जाए। अभी ये कह रहे हैं कि सी॰बी॰आई॰ डायरैकटली अंडर पी॰एम॰ओ॰ काम करती है। सी॰बी॰आई॰ पी॰एम॰ओ॰ के रहते हुए भी इसलिए काम कर रही है क्योंकि कोर्ट उसे चला रहा है, न्यायपालिका उसे चला रही है। जब-जब न्यायपालिका फटकार लगाती है तो सी॰बी॰आई॰ अपना काम शुरू करती है। पी॰एम॰ओ॰ ने तो बार-बार उस काम को रोकने की कोशिश की है। क्या मैं यह मानूं कि बिना प्रधानमंत्री के आदेश के उन्होंने बार-बार रोकने की कोशिश की है? हर काम में उन्होंने सी॰बी॰आई॰ को पूरी तरह पंगु बनाने की कोशिश की है। अपनी ईमानदारी की, नैतिकता की, भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं क्यों नहीं लोकपाल विधेयक लाते। संसद की संयुक्त समिति ने उसे रिकमैंड कर दिया, पास कर दिया, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि ये तो भ्रष्टाचार से लड़ना नहीं चाहते, भ्रष्टाचार के कारण इनकी कुर्सी यहां पर है। ये जानते हैं कि जिस दिन लालू जी को छूने का साहस करेंगे, इनकी कुर्सी जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि हम आजादी की स्वर्ण जयन्ती मनाने जा रहे हैं और ऐसा, मैं नहीं जानती कापुरूष शब्द पार्लियामेंट्री है या नहीं, लेकिन ऐसा निर्बल, दुर्बल, व्यक्तित्वहीन, रीढ़विहीन व्यक्ति लाल किले से झंडा फहराएगा। लालू जी के कई मुकदमों में कोर्ट ने एक लाइन कही थी।

[अनुवाद]

"जब रोम जल रहा था, नीरो बंशी बजा रहा था।"

[हिन्दी]

इतिहास बाद में कहेगा

[अनुवाद]

"जब बिहार जल रहा था गुजराल बंशी बजा रहा था।"

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, हम लोग यहां जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि हम सदन का समय जाया कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : सभापति जी, जब टोका-टाकी करेंगे तो हम तो देखेंगे ही, कैसे नहीं देखेंगे। कोई हमको टोकेगा तो हमारा ध्यान उधर ही चला जायेगा। यह तो स्वाभाविक बात है। ...*(व्यवधान)*

मैं कह रहा था कि जिस मुद्दे पर मैं चर्चा कर रहा हूं, यहां लगातार हम समझते है कि 9-10 घंटे इसमें व्यतीत किये गये, सारी परम्पराओं को हमने तोड़ दिया। स्थगन प्रस्ताव के रूप में यह चर्चा आई। स्थगन नहीं हुआ, 184 हो गया, सारी परम्परा तोड़कर दूसरे और तीसरे दिन तक गया और बिना किसी मुद्दे के यह हुआ। कोई मुद्दा नहीं था। जो मुद्दा था खत्म हो गया। बिहार में अब भ्रष्टाचार की बात करते हैं और बिहार की बात यहां करते हैं, जो लोग बिहार की बात कर रहे हैं, ये बिहार को पीछे ले जाना चाहते हैं। बिहार की बात वैसे लोग कर रहे हैं, जो बिहार में चारागाह बनाये हुए हैं। बिहार को चारागाह बनाकर बराबर खाते रहते हैं। कोई मुंबई से तो कोई दिल्ली से, कोई मध्य प्रदेश से तो कोई कहीं से जाकर बिहार में राजनैतिक चारागाह बनाता है और वे यहां बिहार पर चर्चा कराते हैं...*(व्यवधान)*

श्री एस॰पी॰ जायसवाल (वाराणसी) : क्या आपका संकेत प्रधान मंत्री की ओर है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप अपना भाषण जारी रखें। आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : वे बोल रहे हैं, मैं उन पर तो कुछ बोल नहीं रहा हूं।...*(व्यवधान)* वैसे लोग बिहार की चर्चा कराते हैं और वैसे लोग बिहार को बदनाम करने के लिए यह सब करते हैं। जो बिहार इस देश की अगली पंक्ति में था और पाटलीपुत्र इस देश की राजधानी हुआ करती थी, उस बिहार को पीछे ले जाने का षडयंत्र है। सारे लोग जो यहां अगली पंक्ति में बैठते हैं, वे सारे लोग बिहार पर चर्चा करा रहे हैं। इस बात पर चर्चा नहीं करा रहे हैं कि बिहार में उद्योग धन्धे क्यों नहीं जा रहे हैं। इस बात पर चर्चा नहीं करा रहे हैं कि बिहार गरीब है तो अधिक से अधिक धन उसको दिया जाये, अधिक से अधिक राहत उसको दी जाये, अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाये, इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा किस बात पर कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि जो गरीबों का मसीहा है, दलितों का मसीहा है, पिछड़ों का मसीहा है और जो खेत और खलिहान और मजदूरों के हित की बात सोचता है। जो निरीह गरीब की आंख की किच्ची पोंछने का काम करता है, जो उसको नहलाने का काम करता है और जो उसके बाल संवारने का काम करता है।

श्री कड़िया मुण्डा (खूंटी) : ये रांची की बात कर रहे हैं, यह बड़ी मुश्किल वाली बात है।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : पहले कहां गये हुए थे, आप रांची के नेता हैं।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : उस पर चर्चा करा रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, इस सदन को साफ शब्दों में बताना चाहता हूं कि बिहार में लालू प्रसाद यादव को कोई हटाने वाला नहीं है। कोई हिलाने वाला नहीं है। आप जितना भी हल्ला करेंगे, उतनी ही मजबूती से हम और आगे आएंगे। अबकी दो तिहाई बहुमत से जीतकर आएंगे। इसलिए आएंगे कि हम जानते हैं जिस गांव में मैं रहता था, मैं जिस जिले से, औरंगाबाद, बिहार से आता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री आनन्द मोहन, कृपया व्यवधान न डालें। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : उस जिले में पिछड़ों को, शोषितों को, दलितों को, गरीबों को और अल्पसंख्यकों को उच्च वर्ग के लोगों के सामने बैठना मना था। यह वहां की सच्चाई है। मैं जानता हूं, मैं जिस जाति से आता हूं, मेरे सामने कोई हरिजन या अल्पसंख्यक नहीं बैठता था। लेकिन जब लालू प्रसाद आए तो वहां की स्थिति में परिवर्तन में हुआ। यह भी एक सच्चाई है। आज सब एक-दूसरे के सामने बैठ सकते हैं, कोई जुल्म नहीं है, कोई अत्याचार नहीं है और कोई ब्राह्मणवाद नहीं है।

इसी तरह से जब हम रास्ते से जाते थे तो पिछड़ी जाति का भले ही कोई बुजुर्ग हो, अगर हमें प्रणाम नहीं करता था तो उसको घर बुलाकर लाठी से पीटा जाता था, प्रताड़ित किया जाता था कि तुमने प्रणाम क्यों नहीं किया। आज भी देश के कई हिस्सों में ऐसा होता है। पंडित जी का लड़का, जो कि छोटी उम्र का है, कोई हमारे बुजुर्ग हों, बाबा हों, पुरखे हों उसे भी पाईलागी यानि प्रणाम करते थे। इस पर लालू जी ने आवाज उठाई और कहा कि अगर वह तुम्हें प्रणाम नहीं करता तो तुम भी न करो, तो इस आवाज को बिहार की गलियों में बुलंद किया गया और यह प्रथा समाप्त हो गई। इससे घर बैठने वाले लोगों को तकलीफ होने लगी। इन्हें लगता है कि हमारे पचास बरस का ब्राह्मणवाद खत्म होने लगा है, लालू जी ब्राह्मणवाद नहीं रहने देंगे ...*(व्यवधान)*

श्री आनन्द मोहन (शिवहर) : हमारे यहां भी पिछड़े हुए हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री आनन्द मोहन, कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री आनन्द मोहन, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। यदि आप इस प्रकार लगातार व्यवधान डालेंगे, तो आपको सदन से निकाल दिया जाएगा। आपको पता नहीं है कि कैसे व्यवहार करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री आनन्द मोहन : राम विलास पासवान के खिलाफ तुमने सांठ गांठ की, हमला कराया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया स्पष्टीकरण न दें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं कहता हूं 'कोई स्पष्टीकरण नहीं'। आप बैठ जाइए। इसे एक चेतावनी समझिए। आपको सदन में इस प्रकार करते रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अध्यक्षपीठ की अनुमति के बगैर इस सदन में एक शब्द भी न बोलें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं उसका ध्यान रखूंगा। यह इस प्रकार चलता नहीं रह सकता।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं आपकी राय नहीं चाहता।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं वह कर दूँगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं बारम्बार श्री आनन्द मोहन का नाम ले रहा था।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका योगदान क्या है?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : जब से हमने यह चर्चा आरम्भ की, श्री राम कृपाल यादव की ओर से बहुत अधिक हस्तक्षेप हो रहा था। मैंने उनको इस बारे में बार-बार कहा। बात यह है कि यदि आप अपने स्थान पर खड़े हैं और कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं तथा उसका आदर करते हैं। परन्तु श्री आनन्द मोहन अपनी सीट पर बैठे हुए हैं और लगातार ऊंची आवाज में चिल्ला रहे हैं। वह तो अध्यक्षपीठ का ध्यान भी आकर्षित करने का प्रयास नहीं कर रहे थे। मैं अपने अधिकार के अनुसार पूरा जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यह सदन की अवमानना है। कृपया ऐसा न करें। मैं यही कह सकता हूँ। यदि आप खड़े हो जाते हैं और यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम आपको अनुमति देंगे। यदि आप बोलना चाहते हैं तो आप बोलने के लिए समय मांगिए, हम आपको अनुमति देंगे। परन्तु आप अपनी सीट पर बैठकर लगातार ऐसा न करें। अध्यक्षपीठ आपको कितनी बार निर्देश देगी? कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग करें। कृपया ऐसा लगातार न करें। कृपया सहयोग करें। यदि यह श्री राम कृपाल यादव की ओर से ऐसा जारी रहता है तो यह उनके लिए भी लागू होगा। कृपया व्यवधान न डालें। अभी दो माननीय सदस्यों ने बोलना है बगैर हस्तक्षेप के हम इसे 10 मिनटों में पूरा कर सकते हैं। कृपया सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : सभापति महोदय, हम आपसे कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप कृपा करके अध्यक्षपीठ को संबोधित करेंगे? उनकी तरफ मत देखिए। आपके पास समापन के लिए केवल दो मिनट हैं। तत्पश्चात् मैं अगले माननीय सदस्य को बोलने के लिए कहूँगा। यदि आप दो मिनट के अंदर समाप्त करना चाहते हैं तो आप बोलते रहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : सभापति महोदय, आपका हुक्म हमें शिरोधार्य है लेकिन समता पार्टी के तीन मैम्बरों के बोलने पर किसी ने कोई आपत्ति नहीं की...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपकी पार्टी ने आवंटित समय से अधिक समय ले लिया है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस पर मैं किसी की बात नहीं सुनना चाहता।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आपके पास समापन के लिए केवल दो मिनट हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अध्यक्षपीठ के निर्णय पर प्रश्न न करें। यदि किसी अन्य को अनुमति दी गई तो यह अध्यक्षपीठ द्वारा किया गया। आप अध्यक्षपीठ से प्रश्न नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैंने आपके लिए केवल दो मिनट की अनुमति दी है। आप दो मिनट में समाप्त कर सकते हैं

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : आपने एक घंटे का चेयर से समय दिया। हमें आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है।...*(व्यवधान)* पिछली पंक्ति में बैठने वाले लोगों पर आप ध्यान नहीं देते, हम जब बात कहना चाहते हैं तो हम पर सीलिंग लगाई जाती है कि एक-दो मिनट में खत्म कीजिए।...*(व्यवधान)* हम आपकी आज्ञा को मानेंगे लेकिन यह बहुत दिन तक नहीं चलेगा।

महोदय, मैं आज जो असली बात कहना चाहता हूं वह यह है कि आप लोग जो चर्चा करा रहे हैं, किसी व्यक्ति पर चार्जशीट होने पर आपने इस पर कभी गंभीरता से नहीं सोचा। सीबीआई द्वारा चार्जशीट होने पर आप इस्तीफा मांगने लगते हैं, चाहे हम हों, अटल जी हों, आडवाणी जी हों, या कोई भी व्यक्ति हो, आप इस्तीफा मांगने लगते हैं। लेकिन आज जो स्थिति है, कोई भी आदमी, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी व्यक्ति से लोकहित याचिका दायर करा कर सीबीआई से जांच का आदेश करवाया जा सकता है और बड़े से बड़े आदमी को चार्जशीट कराया जा सकता है, यह सच्चाई है। चार्जशीट के आधार पर इस्तीफा मांगना ठीक नहीं है। कल आप भी मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, आपका भी कहीं, किसी प्रदेश में, मुख्यमंत्री होगा और षड्यंत्र के तहत चार्जशीट करा कर एक पुलिस की एफआईआर पर आप इस्तीफा मांगते हैं।

यह लोकतंत्र पर बहुत बड़ा खतरा होने जा रहा है। एफ॰आई॰आर॰ के आधार पर चार्जशीट जो कराने जा रहे हैं, इसलिए मैं एक बात उठाने जा रहा हूं और वह यह है कि संविधान के अनुच्छेद 312 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान था कि न्यायालय का कार्यपालिका का और भारतीय पुलिस सेवा का, इन तीनों के लिए यू॰पी॰एस॰सी॰ का गठन किया जाएगा। आई॰ए॰एस॰ और आई॰पी॰एस॰ के लिए हो गया लेकिन न्यायपालिका के लिए कुछ नहीं हुआ। 1993 में जो राष्ट्रपति जी का अधिकार था न्यायपालिका के गठन का, उसको फुल बैंच द्वारा 9 आदमियों का फुल बैंच गठन करके छीन लिया गया। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह जी, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : सभापति जी, मैं कह रहा था कि इस बात पर विचार करने की जरूरत है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 1993 में राष्ट्रपति का अधिकार छीन लिया गया।

प्रो॰ रीता वर्मा : यह न्यायपालिका के विरुद्ध टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि न्यायपालिका ने अधिकार छीन लिया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्होंने इस प्रकार का कोई हवाला नहीं दिया।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : सभापति जी, इसको आज की परिस्थिति में सोचने की बात है कि जो नियुक्ति पाने वाला है वह नियुक्ति-कर्ता का अधिकार छीन ले। यह हुआ है लेकिन आप यहां इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ऐसा कोट किया जाता है कि मुन्सिफ मजिस्ट्रेट बनाने के लिए आयोग है, लेकिन बड़े से बड़ा पद पाने के लिए उच्चतर न्यायालय के लिए कोई आयोग नहीं है। अगर पैरवी हो तो वह आदमी बड़ी ऊंची कुर्सी पर बैठ जाएगा। जैसा कि कल्पनाथ राय जी का फैसला हुआ था वैसा फैसला होगा। जिसमें सुप्रीम-कोर्ट ने कहा कि जिस जज ने फैसला दिया, उसको ए-बी-सी॰ का ज्ञान नहीं है। उसको सजा क्यों नहीं दी गयी। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस पर भी सोचने की जरूरत है। सभापति जी, विधान सभा में जिसको पूर्ण बहुमत है, जिसको 194 मत मिले और आप उस पर चर्चा करवा रहे हैं। किस बात की चर्चा आप करवा रहे हैं? राज्यपाल ने कहा कि बिहार में किसी प्रकार का कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी नहीं है, कोई आर्थिक अपराध नहीं हुआ है। इसीलिए कांग्रेस ने हमें सही मदद किया है।...*(व्यवधान)* और आप 356 की बात कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : उन्होंने केवल 'न्यायपालिका' का हवाला दिया है। उन्होंने कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : 356 धारा का आपके मुख्यमंत्री के सम्मेलन में विरोध किया गया था और आप 356 धारा की वकालत कर रहे हैं। बिहार में ऐसी कौनसी परिस्थिति हो गयी? बिहार में गरीबों, पीड़ितों अल्पसंख्यकों को उठाने के लिए लालू प्रसाद यादव जी ने जो काम किया उसी से जलकर यह काम आप कर रहे हैं। आनंद मोहन जी, आप क्यों खिसिया रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं अगले सदस्य को आमंत्रित कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : आप औरंगाबाद से लड़ लीजिएगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब आप खत्म कीरिए।

...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव जी के नेतृत्व में है। लालू यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं और रहेंगे। उनको कोई नहीं हटा सकता। पूरा जनमत उनके साथ है। आज बिहार में शांति व्यवस्था है। आगे आने वाले दिनों में वह दो तिहाई बहुमत से जीत कर आएंगे।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल (बुलढाना) **:** सभापति जी, भूतपूर्व प्रधान मंत्री और विरोधी दल के नेता आदरणीय अटल जी ने बिहार की स्थिति के बारे में काम रोको प्रस्ताव रखा। सदन की सहमति से वह नियम 184 में रूपांतरित हुआ। तीन दिन से इस पर बहस चल रही है। इस पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने मूल्यवान विचार रखे।

सब लोग यह मानते हैं कि बिहार में चारा घोटाला हुआ और 900 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। क्या राज्य का प्रमुख होने के कारण उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि अपने पद से इस्तीफा देते लेकिन वह नैतिकता के बारे में जानते ही नहीं हैं। ऐसे समय में देश के प्रधान मंत्री की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उनसे त्यागपत्र लेते लेकिन वह अपने आप को हैल्पलैस कहते हैं।

रीता जी, नीतीश जी ने यहां अपनी बात रखी। क्या आजादी की पचासवीं सालगिरह में ऐसे आदमी के हाथ से झंडा लहराना ठीक रहेगा? जो हैल्पलैस हैं, वह नैतिकता के बारे में जानते नहीं? यह बात सच है कि भ्रष्टाचार हुआ है। जिन लोगों ने उन पर विश्वास करके

[श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल]

उन्हें चुना, उनके विश्वास को इससे ठेस पहुंची है। उनके पैसे का भ्रष्टाचार हुआ है। लालू जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे। सी॰बी॰आई॰ ने वारंट इशू किए तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। नाटक का पहला अंश समाप्त हुआ लेकिन इसके तुरन्त बाद इंटरवल नहीं हुआ और नाटक का दूसरा अंश चालू हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। एक महिला को मुख्यमंत्री का पद देना सम्मानजनक बात है। बहुत से लोग जो लालू जी के समर्थक थे, क्या कोई भी इस लायक नहीं था जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता। उनकी पत्नी को राजनीति का ज्ञान नहीं है। बिहार ऐसा प्रान्त है, जहां 1947 के बाद से बड़े-बड़े राजनेता हुए। बिहार प्रजातंत्र का एक हिस्सा है। लालू जी ने 25 जुलाई को इस्तीफा दिया। राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसने विश्वास मत हासिल किया, यह बात सच है उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको कांग्रेस ने समर्थन दिया। इसके पहले जब लालू प्रसाद ने विश्वास का मत हासिल किया था तो कांग्रेसी तटस्थ रहे थे और यह बात कांग्रेसियों के लिये नई नहीं हैं। भ्रष्टाचार की जन्मदाता तो कांग्रेस है और वे जनतंत्र के हत्यारे भी हैं, उनसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि इन लोगों को मालूम है कि विश्वासमत कैसे पारित कराना है।

सभापति महोदय, आपको याद होगा कि दसवीं लोक सभा में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव ने अपना विश्वास मत कैसे प्राप्त किया था। यह इतिहास बन गया है और हम सब जानते हैं। यह मामला भी कुछ दिनों में न्यायालय के सामने आ जायेगा। उन लोगों की ऐसी संस्कृति बनी हुई है। हम लोगों को एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिये कि हमारे देश की 60 प्रतिशत जनता निरक्षर है लेकिन वह जनतंत्र में विश्वास करने वाली है। अगर किसी ने उसे इस मामले में ठेस पहुंचाने की कोशिश की तो वह उसे सही रास्ते पर लगा देती है। सन् 1975-76 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा के जनतंत्र को ठेस पहुंचाई थी। इमरजेंसी के बाद 1977 के चुनावों में स्व॰ इंदिरा जी और उसकी पार्टी को सही रास्ते पर लगा दिया था। इन बातों को देखते हुये हमें भूलना नहीं चाहिये कि जनता की ताकत क्या है और जनतंत्र का इतिहास क्या है?

सभापति महोदय, मैं पिछले तीन दिन से यहां देख रहा हूं कि बिहार की महाराष्ट्र से तुलना की जा रही है। मेरे मित्र श्री गीते ने बताया कि महाराष्ट्र एक आदर्श राज्य है जिससे पूरे देश को सीखना चाहिये। मैं इस बारे में दो-तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जहां तक भ्रष्टाचार का मामला है तो महाराष्ट्र के दो मंत्रियों पर यह आरोप एक समाज सेवक ने लगाया तो तुरंत वहां के मुख्यमंत्री ने दोनों का इस्तीफा मांग लिया और एक पुराणिक आयोग की स्थापना कर दी। उस कमीशन द्वारा मामले की जांच करने के बाद एक मंत्री प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया तो उसका इस्तीफा मंजूर किया। तो ऐसा महाराष्ट्र का आदर्श है। हमारे महाराष्ट्र में हमारी पार्टी के जन्मदाता आदरणीय शिवसेना नायक बाल ठाकरे हैं जिन्होंने 30 साल तक लगातार संघर्ष किया तो कहीं जाकर आज अपनी पार्टी को जनतंत्र के माध्यम से महाराष्ट्र के राज पर बैठाया है। वे खुद भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन नहीं बने। वे अपने लड़के या भांजे को बैठा सकते थे लेकिन उनको भी नहीं बैठाया। आज हम पर जातिवाद का आरोप लगाया जाता है। मैं सदन से बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में मुस्लिम श्री शाबिर शेख लेबर मिनिस्टर हैं। जैन धर्मी श्री मुंदड़ा को-आप॰ मिनिस्टर हैं। दलितों में काम्बले और घोरपड़े मंत्री हैं। ऐसा आदर्श महाराष्ट्र से मिल सकता है। इसलिये हम लोगों पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बिहार में भ्रष्टाचार के नाम पर क्या हो रहा है, वहां तो जनता का पैसा लूटा जा रहा है। कायदा-कानून और सुव्यवस्था की कोई बात नहीं है। हमारे केन्द्र के मंत्री उधर नहीं जा सकते हैं। अगर जाते हैं तो रेल मंत्री जी को रेलवे की पुलिस फोर्स लेकर जाना पड़ता है। जनतंत्र के माध्यम से पार्टी में चुने हुए पार्टी के अध्यक्ष शरद यादव जी वहां खुले-आम घूम नहीं सकते हैं। बहुत से सांसद भी वहां घूम नहीं सकते हैं।

मैं तीन बातें यहां उठाना चाहता हूं। बिहार में जो भ्रष्टाचार चलता आया है, जनता का पैसा लूटा जा रहा है, जहां कानून और सुव्यवस्था नाम की चीज नहीं है और जहां जनतंत्र के साथ खेला जाता है, उस सरकार को वहां रहने का कोई नैतिक तथा कानूनी अधिकार नहीं है। यह सदन की जिम्मेदारी बनती है, यह पंथ प्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है कि जो सरकार वहां है, उसको तुरंत बरखास्त करे और जनता को अपना नया जनमत लाने का अवसर मिले। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, सभी वक्ता बोल चुके हैं। प्रस्तावक के उत्तर से पहले सरकार की ओर से कौन टिप्पणी करने जा रहा है?

...(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : मैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : सभापति जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि डिबेट अंतिम स्तर पर जा रही है। इस सारी चर्चा में हमारे सदन के नेता श्री राम विलास पासवान जी और साथ ही साथ जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव जी के बारे में कई बातें आई हैं। हम उनकी बात भी सुनना चाहेंगे कि उनको बिहार में जाने नहीं दिया गया और उन पर हमले हुए या नहीं। क्या यह बोलना नहीं चाहते हैं? क्या उन्होंने आपको सूचना भी नहीं दी कि वे बोलना चाहते हैं, यह हम जानना चाहते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राम नाईक जी, आप नहीं। यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है जिसे आप जानते हैं कि

गृह मंत्री जी से यह आशा की जाती है कि वह इस संबंध में टिप्पणी करें

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं भी सरकार से यही आग्रह कर रहा हूँ। सरकार की ओर से टिप्पणी कौन करेगा?

...(व्यवधान)

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : महोदय, हम इस बात पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं कि उत्तर कौन देगा।...*(व्यवधान)* मुझे इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि सरकार को इसका हक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रस्ताव पेश करने वाला विपक्ष का नेता है। सभा में उनका अपना सम्मान है। प्रस्ताव पेश करने के लिए विपक्ष के नेता के सम्मान में, संसदीय प्रक्रिया में यह अधिक उचित है कि गृह मंत्री अथवा प्रधान मंत्री उत्तर दें।...*(व्यवधान)*

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र) : गृह मंत्री राज्य सभा में हैं। ...*(व्यवधान)* वे आ रहे हैं। इस बीच, वे अपनी बात जारी रख सकते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जी हां।

...(व्यवधान)

श्री चतुरानन मिश्र : वह राज्य सभा से आ रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, अपने वरिष्ठ सहयोगी, श्री चतुरानन मिश्र का उचित आदर करते हुये मैं समझता हूं कि यह पूरे वाद-विवाद के प्रति अन्याय है यदि वे आपका अनादर न करते हुये यों ही कहते हैं, कि गृह मंत्री इसका उत्तर देंगे। लेकिन 'इसी बीच....'

श्री चतुरानन मिश्र : सभा में कार्यवाही रोकने के लिए नहीं कहा जा सकता।

श्री जसवंत सिंह : इसलिए, सभा को स्थगित करने के लिए कहा जा सकता है। एक पहलू यह है।

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : वह निश्चित रूप से टिप्पणी कर सकते हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री जसवंत सिंह जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। कृपया उनकी बात सुनिये।

श्री जसवंत सिंह : उन्होंने स्वयं कहा है कि इसमें कुछ औचित्य है। इस औचित्य के बारे में कोई कानून नहीं है। औचित्य लिखित रूप में नहीं है। उन्होंने स्वयं बताया है कि यदि विपक्ष के नेता ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तो अलिखित परंपरा और औचित्य यह मांग करती है कि सभा का नेता उपस्थित होना चाहिए।

दूसरे, जब सदन के नेता ने स्वयं अध्यक्षपीठ से अनुमति ली थी, इस संबंध में सभा की सुविधा देखी थी और प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता की सहमति प्राप्त की थी कि वह हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो यह इसलिए था क्योंकि सदन के नेता के रूप में ऐसा करना उनके लिए अधिक सुविधाजनक था।

लेकिन सरकार की ओर से वाद-विवाद का उत्तर गृह मंत्री द्वारा दिया जायेगा।

महोदय, पहली बात सभा के नेता का सभा में अनुपस्थित रहना और फिर गृह मंत्री की भी सभा में अनुपस्थिति का मैं निश्चित रूप से विरोध नहीं कर सकता। मैं माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री मकबूल डार का अनादर न करते हुये मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि वह किसी भी तरह हस्तक्षेप करना चाहते हैं, तो वह कर सकते हैं। लेकिन...*(व्यवधान)*

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : वह हस्तक्षेप कर रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह : लेकिन यह केवल हस्तक्षेप ही नहीं है। हमें बताया गया है कि 'इस बीच यह एक 'अंतरिम उपाय' है, क्योंकि गृह मंत्री यहां पर नहीं हैं, उन्होंने उन्हें सभा में बोलने के लिए कहा और कमी पूरी करने दी। वह इस वाद-विवाद में उनकी कमी पूरा नहीं कर सकते। मैं इस संबंध में अपनी कड़ी आपत्ति करता हूं। इसमें लापरवाही बढ़ती गई है...*(व्यवधान)* इस लापरवाहीपूर्ण रवैये का उदाहरण दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब कुछ वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं और हमें उनकी बात सुननी चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : यह सिर्फ गृह मंत्री जी के उत्तर देने का प्रश्न नहीं है। सदन के नेता कहां हैं? प्रधान मंत्री कहां हैं? यह केवल उनके हस्तक्षेप करने का ही प्रश्न नहीं है। वाद-विवाद समाप्त होने वाला है। वाद-विवाद को लंबा खींचने के संबंध में विरोध किये गये थे। मेरे विचार से, जिस तरह से सरकार ने इस विषय को लिया है वह वास्तव में निंदनीय है। यह केवल लापरवाही ही नहीं है।

पर्यटन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : महोदय, गृह मंत्री जी राज्य सभा से आ रहे हैं। जब वह लोक सभा में थे तो दूसरे सदन राज्य सभा में महाराष्ट्र के मुद्दे पर चर्चा की जा रही थी और वह वहां चले गये। वह अभी आ रहे हैं। वे लोक सभा में पहुंचने ही वाले होंगे। गृह राज्य मंत्री पांच-दस मिनट बोलना चाहते हैं और इस बीच गृह मंत्री आ जायेंगे तथा वह वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

श्री जसवंत सिंह : सभा के नेता कहां हैं? प्रधान मंत्री कहां हैं?

श्री श्रीकांत जेना : प्रधान मंत्री जी भी राज्य सभा में हैं। दोनों ही राज्य सभा में हैं...*(व्यवधान)*

श्री आई॰डी॰ स्वामी (करनाल) : गृह राज्य मंत्री को 'स्थानापन्न व्यवस्था' नहीं समझा जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह बात पहले ही कही जा चुकी है।

अब संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, गृह राज्य मंत्री को पांच मिनट के लिए अपनी बात कहने की अनुमति दी जाये और इसी बीच गृह मंत्री जी यहां आ जायेंगे और वह वाद-विवाद का उत्तर देंगे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब यह एक काफी गंभीर मामला है और हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। मुद्दा यह है कि जब हमने यह वाद-विवाद शुरू किया था तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने सभा को यह सूचित किया था कि इसका उत्तर गृह मंत्री देंगे। प्रधान मंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से समय मांगा और वाद-विवाद के आरंभ में ही टिप्पणी कर दी थी क्योंकि उसका उत्तर गृह मंत्री जी को देना था।

इसके अलावा, राज्य सभा में एक और चर्चा चल रही है, वह भी कानून और व्यवस्था से संबंधित है और संभवतः उसका उत्तर भी गृह मंत्री जी को ही देना होगा। मैं समझता हूं कि गृह राज्य मंत्री जी ने वाद-विवाद में हस्तक्षेप करने की इच्छा व्यक्त की थी और यह किसी 'स्थानापन्न व्यवस्था' का मामला नहीं है। यहां तक कि श्री चतुरानन मिश्र जी के हस्तक्षेप करने से पूर्व गृह राज्य मंत्री वाद-विवाद में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार थे।

मेरे विचार से, अध्यक्षपीठ राज्य मंत्री जी को वाद-विवाद में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे देंगे लेकिन यह वाद-विवाद का उत्तर नहीं है। केवल यही उचित है कि उस प्रस्ताव, जोकि विपक्ष के नेता द्वारा प्रस्तुत किया गया है, का उत्तर देने के लिए सभा के नेता, प्रधान मंत्री अथवा गृह मंत्री, जिसे भी वाद-विवाद का उत्तर देना है, सभा में उपस्थित हो अथवा कम से कम अध्यक्षपीठ को इसकी सूचना दी जानी चाहिए।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : महोदय, सभा के नेता यहां उपस्थित हैं।

सभापति महोदय : नीतीश कुमार जी, हमें मामले को और अधिक जटिल नहीं बनाना चाहिए। अब मैं गृह राज्य मंत्री जी को वाद विवाद में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता हूं। मेरा संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से सरकार से भी अनुरोध है कि हम इस वाद-विवाद को 2.00 बजे मध्याह्न तक समाप्त करना चाहते हैं और इसलिए इस संबंध में उचित सावधानी बरती जानी चाहिए। इतने गंभीर वाद-विवाद को इस प्रकार समाप्त नहीं करना चाहिए। अब मैं गृह राज्य मंत्री को हस्तक्षेप करने की अनुमति देता हूं।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : सदन के नेता यहां उपस्थित हैं। वे हस्तक्षेप कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री आई-डी- स्वामी : वे बहुत कुछ जानते हैं; सदन के नेता को व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हिन्दूराव नाईक निम्बालकर (सतारा) : सभापति महोदय, हम उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुनना चाह रहे हैं। उन्हें खुद सदन में स्टेटमेंट देना चाहिए। वह जनता दल से संबंधित हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप इस तरह मंत्री जी से हस्तक्षेप की मांग नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : सभापति जी, राम विलास जी बिहार के मामले को जानते हैं। यह अन्याय होगा। सदन के नेता यहां मौजूद हैं...*(व्यवधान)* प्राइम मिनिस्टर इस हाउस के नहीं हैं। राम विलास जी प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

वह अनिवासी प्रधान मंत्री है। सदन के नेता वाद-विवाद का उत्तर दे सकते हैं।

सभापति महोदय : आपने बहुत अच्छी बात कही है। यदि सदन के नेता चाहे, तो वह हस्तक्षेप कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति उनसे हस्तक्षेप की मांग नहीं कर सकता। अब मैं राज्य मंत्री को हस्तक्षेप करने की अनुमति देता हूं।

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : हम इस बात की मांग नहीं अपितु अनुरोध कर रहे हैं कि सदन के नेता को सदन को विश्वास में लेना चाहिए कि बिहार में क्या-क्या हुआ। यदि वह ऐसा करते हैं तो बेहतर होगा।

सभापति महोदय : यदि उनकी यही इच्छा है तो सदन के नेता और वरिष्ठ मंत्री के रूप में वह निश्चित रूप से हस्तक्षेप कर सकते है। हमें अब राज्य मंत्री जी की बात सुननी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : राम विलास जी, कोई बात तो कहिए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हस्तक्षेप करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे (ठाणे) : क्या नहीं बोलने के लिए उन पर कोई दबाव है? उन्हें कहने दीजिए कि उन पर कोई दबाव है।

सभापति महोदय : मंत्री जी बोल रहे हैं। कृपया उनकी बात सुनिये।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जायें। आप अपनी बात कह चुके हैं। मैंने सदन के नेता को भी यह बात स्पष्ट कर दी है।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : हमें ज्ञात हुआ है कि वे किसी दबाव में हैं और इसीलिए वे नहीं बोल रहे हैं। यह ठीक नहीं है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि सदन के नेता कुछ कहना चाहें तो वह कह सकते हैं।

श्री प्रकाश विश्वनाथ परांजपे : उन्हें कम से कम यह तो कहने दीजिए कि उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह उचित नहीं है।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद मकबूल डार) : इस हाउस में लीडर ऑफ द अपोजीशन, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो एडजर्नमैंट मोशन पेश किया है, इस सिलसिले में कई ऑनरेबल मैम्बर्स ने अपने तसव्वुरात बताए, मैंने उनको नोट किया है और मैं कोशिश करूंगा कि उन सबका जवाब यहां दूं।...*(व्यवधान)* जवाब नहीं दे रहा हूं तो क्या कर रहा हूं...*(व्यवधान)* मैं उसके मुतल्लिक बात करूंगा, जो भी आप बताएंगे। सबसे पहले मैं एक खास नुकते के मुतल्लिक बात करूंगा, वह है कि आमतौर पर मैम्बर्स ने यहां जिसका इजहार किया है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : राम कृपाल जी, आप बैठिए। नीतीश कुमार जी आप भी बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री नीतीश कुमार जी, आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया इस तरह का बर्ताव मत कीजिए।

अपराह्न 2.59 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अब सदन में गृह मंत्री जी भी आ गए हैं और अध्यक्ष महोदय भी आ गए हैं।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी कहां हैं। प्रधान मंत्री जी को सदन में मौजूद रहना चाहिए ...*(व्यवधान)* वे कहां चले गए?

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महोदय, आप आ गये हैं, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं और साथ ही हमें प्रधान मंत्री जी का भी स्वागत करना चाहिए। पिछले तीन दिनों से ऐसा गंभीर वाद विवाद चल रहा है। यदि प्रधान मंत्री जी भी सभा में उपस्थित रहे होते और गृह मंत्री जी द्वारा दिये जा रहे उत्तर को सुनते तो ज्यादा अच्छा होता ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : एक ही समय में दो मंत्री कैसे खड़े हो सकते हैं? दो मंत्री एक साथ नहीं बोल सकते। संसदीय कार्य मंत्री को वरीयता दी जाती है। आप बैठ जायें।

श्री राम नाईक : यदि प्रधान मंत्री जी भी सभा में उपस्थित होते तो यह ज्यादा उचित होता।

अपराह्न 3.00 बजे

हम यह भी जानना चाहेंगे कि क्या उन्होंने आपको इस बात की सूचना दी है कि वे सभा में उपस्थित नहीं होंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी पहले ही अपनी बात कह चुके है। प्रधान मंत्री के लिए सभा में पूरे समय उपस्थित रहना संभव नहीं है। गृह मंत्री राज्य में कानून और व्यवस्था का प्रभारी मंत्री होता है। मेरे विचार से गृह मंत्री जी को अब उत्तर देना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : गृह राज्य मंत्री जी ने अपनी टिप्पणी पूरी नहीं की है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : चूँकि गृह मंत्री जी यहां आ गये हैं, इसलिए गृह राज्य मंत्री जी को राज्य सभा में जाना होगा।

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि मैं उन अधिकांश भाषणों को नहीं सुन पाया जो श्री वाजपेयी जी के प्रस्ताव पर होने वाली इस चर्चा में आज दिये गये हैं क्योंकि मुझे महाराष्ट्र में हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में राज्य सभा में हो रही चर्चा के लिए वहां उपस्थित रहने का निदेश दिया गया था। संभवतः मुझे वहां फिर से जाना पड़ेगा।

माननीय प्रधान मंत्री इस चर्चा में अपनी बात पहले ही कह चुके हैं। उनके कथन का सार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आरंभ से ही सरकार द्वारा अपनाये गये रुख की जानकारी देता है। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि यह सच है कि कुछ ही सप्ताह में पूरा देश स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ का ऐतिहासिक समारोह मनाएगा। किन्तु अब हमें यह सोचना होगा कि क्या यह अवसर केवल खुशी और गर्व का है अथवा आत्मचिंतन का और ऐसी स्थिति के बारे में कुछ आत्म आलोचना का भी जो इन 50 वर्षों में हम सभी मिलकर देश के सम्मुख लाये हैं।

कृपया मुझे क्षमा करें किन्तु स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ मनाने से कुछ ही दिन पूर्व सदन में सदस्यों के व्यवहार के प्रति अध्यक्ष महोदय ने जिस तरह से अपनी हताशा, क्रोध एवं दुःख व्यक्त किया, उसे देखकर मुझे दुःख होता है। हमारी स्वतंत्रता का 51वां वर्ष मनाने का यह कोई तरीका नहीं है।

पिछले कुछ महीनों में बिहार में जो कुछ घटा, मुझे कहना चाहिए कि वह हमारे समाज और हमारे देश की उन आम परिस्थितियों का ज्वलंत उदाहरण है जो एक ऐसे गहरे गर्त के समान है, कि जन प्रतिनिधि होने के नाते स्थिति को सुधारने में समर्थ हम लोग यदि समय पर कार्यवाही नहीं करेंगे तो देश और समाज जल्दी ही उसमें समा जायेंगे।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने यहां जिस स्थिति का जोरदार विवरण दिया है मेरी सरकार उसको मानती है। सरकारी अथवा किसी महत्वपूर्ण सरकारी पद पर आसीन किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध यदि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग जाते हैं, तो उसे पद त्याग देना चाहिए।

हो सकता है कि अंत में वे आरोप सिद्ध न हों, किन्तु आरोप लगाये गये हैं। बाद में यदि इसकी जांच की जाती है और न्यायालय में इस संबंध में मुकदमा किया जाता है तो हमें इस बात का इंतजार करना होगा कि क्या उन आरोपों की पुष्टि होती है अथवा नहीं। उस प्रक्रिया को लंबित रखते हुए हमारी यह दृढ़ मान्यता है कि यदि किसी महत्वपूर्ण पद पर आसीन व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाये जाते हैं तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह औचित्य के हित में पद त्याग कर दे—मैं औचित्य और वैधता के बीच भेद कर रहा हूं, ये दोनों एक बात नहीं हैं। औचित्य के लिए उन्हें पद त्याग कर देना चाहिए। उसे केवल इसी कारण से ही त्याग पत्र दे देना चाहिए कि जो भी जांच हो, वह निष्पक्ष हो। यह निष्पक्ष नहीं हो सकती, कम से कम यह आरोप तो लगाया ही जायेगा कि यह निष्पक्ष नहीं है। यदि वह व्यक्ति अपने पद पर ही रहता है जहां उसे अधिकार प्राप्त है तो पक्षपात की संभावना रहती है और वह जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है इसलिए औचित्य के हित में यह आवश्यक है कि उसे पद त्याग देना चाहिए। हम इस स्थिति को मानते हैं। मैं अब पुराने उदाहरणों को दोहराना नहीं चाहता। चूंकि सबसे पहले यह सरकार बनाई गई थी मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूं कि हमने इस सिद्धांत का अनुसरण किस प्रकार करने का प्रयास किया है।

जहां तक बिहार का संबंध है, हम इस संबंध में इस सभा में कई बार चर्चा कर चुके हैं। इस संबंध में काफी क्षोभ है, कॉफी उत्तेजना व्यक्त की जा रही है, कई बार यह कहा जा रहा है कि आप उनसे पद त्याग क्यों नहीं करवाते? जब उन पर इस पशु पालन घोटाले, जिसके बारे में यह भी सही सही नहीं मालूम कि इस घोटाले में कितने सौ करोड़ रुपये की राशि शामिल है, में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का आरोप लगाया गया है तो उन्हें पद त्याग देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी इस सभा में कई बार यह घोषणा की है कि 'हां, हम चाहते हैं कि वह पद त्याग दें। उन्हें पद त्याग देना चाहिए।' लेकिन फिर सब हमारा उपहास करने लगे और ताना मारने लगे तथा यह कहने लगे कि जब वह हमारी बात सुन ही नहीं रहे तो हमारी सलाह देने का क्या फायदा। वह पद त्याग नहीं कर रहे हैं। अतः इस का क्या प्रभाव पड़ेगा? हम उन्हें येन केन प्रकारेण पद त्याग करने के लिए विवश करें। मेरे विचार से किसी पद पर से किसी व्यक्ति को जबरदस्ती त्याग पत्र नहीं दिलाया जा सकता। त्याग पत्र अपनी मर्जी से दिया जाता है। या तो संबंधित व्यक्ति यह बात अच्छी तरह समझ सकता हो कि उसे जो सलाह दी जा रही है, वह सही है तो उसे स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देना चाहिए। यदि वह कहता है कि "नहीं, मैं पद त्याग नहीं करूंगा," तो आप उसे मजबूर अथवा उसके साथ किसी प्रकार की जबरदस्ती नहीं कर सकते।

दुर्भाग्यवश श्री लालू प्रसाद यादव ने त्याग पत्र न देना ही उचित समझा। वह अपने पद पर रहे। स्थिति और भी खराब हो गई और तब हम सोचने लगे हमने इस बारे में काफी परामर्श किया कि अब क्या कदम उठाया जाये। निश्चित रूप से एक रास्ता यह था कि अनुच्छेद 356 को लागू करके उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाये। इस पर भी जब हमने मामले पर काफी गहराई से विचार किया तो हमारे सामने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी। इस बारे में हमने सर्वोत्तम कानूनी सलाह जो उपलब्ध थी ली। हमने महान्यायवादी और अतिरिक्त महान्यायवादी से भी काफी देर तक परामर्श किया और उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया कि संविधान के अनुसार ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई अथवा ऐसा समय नहीं आया जिसके तहत हम अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर सकें। आरोप पत्र में जो जो आरोप लगाये गये हैं, महान्यायवादी ने यह काफी स्पष्ट कर दिया था कि जो आरोप, आरोप पत्र में लगाये गये हैं इनकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। वे तभी प्रमाणित किये जायेंगे जब उन्हें न्यायालय में पेश किया जायेगा।

इस बीच आप अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके ऐसे आरोप जो कि हमेशा लगाया जाता रहा है से मुक्त नहीं रह सकते कि केन्द्र में सत्तारूढ़ दल एक शस्त्र अथवा साधन के रूप में अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करके किसी ऐसी सरकार या मुख्यमंत्री से छुटकारा पाना चाहती है जो उसे पसंद नहीं है। महोदय, निश्चित रूप से यह मंत्री के रूप में, जहां तक संविधान को दृष्टिगत रखते हुए मैं समझ सकता हूं ऐसा कुछ भी नहीं किया और कहा गया है जो अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल का औचित्य सिद्ध करे।

मैं अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का सभापति रहा हूं जिसमें अनुच्छेद 356 का ही मामला चर्चा का विषय रहा है। कई मुख्य मंत्री इस अंतर्राज्यीय परिषद, जो कि प्रसंगवश संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत गठित एक संवैधानिक प्राधिकरण है, संचालन समिति के सत्रों में भाग ले रहे हैं। उन सभी मुख्य मंत्रियों के भिन्न-भिन्न राजनीतिक विचार हैं। उन्हें स्थायी समिति में जानबूझकर नामनिर्दिष्ट किया गया है ताकि वे इस देश में भिन्न-भिन्न राजनैतिक विचारों वाले सभी लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकें। हमने अनुच्छेद 356 के इस प्रश्न पर चर्चा करने के लिए तीन चार बैठकें कीं। उनके पहले चाहे जो भी विचार रहे हों, लेकिन एक मुख्य मंत्री को छोड़कर किसी भी मुख्य मंत्री का यह विचार नहीं है कि अनुच्छेद 356 को संविधान से निकाल देना चाहिए।

मेरा विचार है कि अनुभव और घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में जनता को अपने विचार बदलने का अधिकार है। पंजाब के एकमात्र अपवाद को छोड़कर कोई एक भी ऐसा राज्य अथवा मुख्य मंत्री नहीं है जिसने अनुच्छेद 356 को निकालने की बात कही हो बल्कि उन सबने अंतरराज्यीय परिषद को कई बार यह स्मरण कराया है कि किस प्रकार इस अनुच्छेद का सौ से भी अधिक बार व्यापक स्तर पर दुरूपयोग हुआ है क्योंकि केन्द्र में सत्तारूढ़ उन विभिन्न दलों ने विधिवत निर्वाचित सरकारों को सत्ता से हटाने के उद्देश्य से अपने राजनैतिक हितों और लाभ के लिए संविधि संग्रह में इसे दर्ज किया था।

फिर अब क्या किया जाये? उन्होंने जो सुझाव दिया है, वह इस समय विचाराधीन है। हम अभी तक किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाये हैं। ऐसे विभिन्न सुरक्षोपाय और शर्तें कौन-2 सी हैं जिन्हें अनुच्छेद 356 में सन्निविष्ट किया जाये ताकि हम केन्द्र सरकार द्वारा उन राज्य सरकारों, जो जीति तो हैं लेकिन उनकी पसंद की नहीं हैं के विरुद्ध इस अनुच्छेद का दुरुपयोग किये जाने की संभावनाओं को कम से कम कर सके क्योंकि हम इन्हें पूरी तरह दूर नहीं कर सकते?

यह भी एक ऐसा प्रश्न था जोकि हमारे लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि सर्वोत्तम विधिक प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट की गयी संवैधानिक स्थिति के अलावा हम निश्चित रूप से यह नहीं चाहते थे कि इस देश में वर्तमान स्थिति के तहत हम विभिन्न लोगों के दबाव में आकर अनुच्छेद 356 का इस प्रकार इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ें जिससे निश्चित रूप से हम पर भी वही आरोप लगे कि हम ऐसा अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। ताकि मुख्य मंत्रियों जो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तथा जो हमें पसंद नहीं हैं, को हटाया जा सके । इसलिए महोदय, हम अनुच्छेद 356 लागू करने के हक में थे ही नहीं।

मेरे ख्याल से जब श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कुछ वैकल्पिक सुझाव प्रस्तुत किए थे मैं उपस्थित नहीं था उन्होंने कुछ वैकल्पिक सुझाव रखे थे कि केन्द्रीय सरकार अनुच्छेद 160 के तहत बिहार की स्थिति में हस्तक्षेप कर सकती थी या अनुच्छेद 202 और इससे आगे के अनुच्छेदों के तहत वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त कर सकती थी और या अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू कर सकती थी। मैं अपने एक सहयोगी जो सदन में उपस्थित थे, द्वारा नोट किए गए कुछ विवरणों में से बोल रहा हूं और यदि मैं गलत कह रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि उसे सही किया जाए उन्होंने यह भी कहा था कि चाहे स्थिति कुछ भी रही हो राज्यपाल केन्द्रीय सरकार को सूचित कर सकते थे ताकि आवश्यक कदम उठाए जा सकते।

खैर, राज्यपाल तो निःसंदेह हमें नियमित रूप से सूचित करते रहे थे। ऐसी स्थिति में उन्हें ऐसा करना ही पड़ता। परंतु मैं किसी को परेशान किए बिना या किसी का विरोध करने से भयभीत हुए बिना यह कहता हूं कि राज्यपाल ने हमें उत्पन्न हुए इस अवरोध से निपटने के लिए कोई कदम उठाने का सुझाव नहीं दिया था।

जहां तक श्री फर्नान्डीज द्वारा उल्लिखित अनुच्छेद 160 और अनुच्छेद 202 और अन्य अनुच्छेदों का सवाल है, जहां तक मैं समझता हूं यह विनियामक स्वरूप के अनुच्छेद हैं। यह ऐसे अनुच्छेद नहीं हैं जिनके तहत वित्तीय घोटाले जैसे विषयों पर कोई कार्यवाही की जा सके। ये विनियामक प्रकृति के हैं तथा जैसा कि आप जानते हैं, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने पहले ही ऐसी कुछ कार्यप्रणालियों के सुनियोजित उल्लंघन के खिलाफ कदम उठाए हैं और ऐसा मामला अभी न्यायालय में है। इसलिए, इन आधारों पर किसी सरकार को बरखास्त करने का सवाल ही नहीं उठता।

मैं मानता हूं कि जो भी श्री लालू प्रसाद यादव ने किया है, जिसे मेरे विचार से कोई समर्थन नहीं देगा, वह केवल सरकार के लिए ही लज्जा का कारण है कि इसमें कोई संदेह नहीं है। यह एक ऐसा विषय है जिसने सम्पूर्ण देश को, उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा तथा लोकतंत्र के हित को बदनामी के अंधेरों में ढकेल दिया है, परंतु जहाँ तक हम समझ पाए हैं कुछ भी असंवैधानिक नहीं किया गया है। वह एक चतुर व्यक्ति हैं, बुद्धिमान हैं, सतर्क हैं तथा मेरे विचार से वह यह जानते हैं कि अपने हित में कैसे चला जाए। और यह बाद में होने वाली घटनाओं से प्रमाणित भी हो गया। उन्होंने कुछ भी असंवैधानिक नहीं किया। यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने उल्लंघन किया है, बेशक संविधान की कुछ सीमाएं हैं जो उनके खिलाफ कुछ अन्य कदम उठाने की अनुमति दे सकती थी। अतः हमें सतर्क रहना पड़ा था और हम इंतजार करते रहे और अंत में क्या हुआ महोदय, वह तो आप देख ही रहे हैं। मुझे उन सभी परिणामों का विवरण नहीं देना पड़ेगा।

स्पष्ट रूप से कहूं तो मेरे विचार से हाल ही में घटी घटना ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। उसमें कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। संविधान में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको अपने परिवार के किसी सदस्य को अपना मनोनीत बनाने अथवा अपने पद पर प्रतिस्थापित करने में प्रतिबंध लगाता हो। इस देश में हम राजवंशीय शासन के आदी हैं। इस देश ने अनेकों वर्षों तक इस राजवंशीय शासन की बुराई को सहा है। सामान्यतः लोगों ने इसे यह सोच कर बर्दाश्त किया था और गले से उतारा था कि हाँ, यही होना चाहिए।

[हिन्दी]

रानी का लड़का राजा बनेगा। राजा का लड़का राजा बनेगा, फिर राजा की लड़की रानी बनेगी।

[अनुवाद]

हमने सोचा था और हमने यह आशा की थी कि यह पारिवारिक शासन, यह राजवंशीय शासन शायद समाप्त हो गया है। परंतु यदि बिहार राज्य में लालू बाबू यही बात फिर से लागू करना चाहते हैं तथा वह ऐसा कोई परीक्षण करने का प्रयत्न कर रहे हैं तो मेरे विचार से यह अब भी प्रयोगात्मक स्थिति में है।

विपक्ष के नेता ने कहा है कि मैं इन सभी बातों के खिलाफ संघर्ष करता रहा हूं, और अब मुझे उनके परिवार द्वारा शासन किए जाने के खिलाफ संघर्ष करना है।

परंतु कुछ भी असंवैधानिक नहीं है और उन्हें संविधान के अनुसार ही कार्य करना होगा। उन्हें छह महीनों की अवधि में स्वयं को निर्वाचित करना होगा तथा बिहार की परिस्थितियों में तो मेरे ख्याल से उनके लिए स्वयं को दोनों सदनों में से एक के लिए निर्वाचित करवा पाना कोई कठिन कार्य नहीं है तो क्या हुआ?

अतः महोदय, मुझे बहुत खेद है कि जो भी हुआ, यह नाटक जो हमारे समक्ष खेला गया यह एक ऐसी घटना है जो हमारी स्वतंत्रता की पचासवीं जयंती के पुण्य अवसर पर बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

यह बात मुझे बहुत कष्ट पहुंचा रही है क्योंकि सारा विश्व हमें देख रहा है। सारा संसार, विश्व के इस सबसे बड़े लोकतंत्र को देख रहा है, कि यह कैसे कार्य कर रही है और इस ताकत को बनाए रखने तथा वश में रखने के लिए क्या तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं। यह वह बातें हैं जो अत्यंत दुःखद हैं। प्रधान मंत्री इस विषय पर पहले बोल चुके हैं। मैं उसमें और कुछ जोड़ना नहीं चाहता। परंतु प्रस्ताव श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तावित किया गया है और प्रस्ताव का वह भाग तो इस स्थिति पर गहन चिंता व्यक्त करता है, बेशक ही एक ऐसा विषय है जिसका समर्थन हम सभी करेंगे। हम सभी उससे चिंतित हैं। इस भाग में उसे "केन्द्रीय सरकार की निष्क्रियता के प्रति गहन चिंता" कहा गया है, जिसका अभिप्राय यह है कि चिंता का विषय यह नहीं है जो बिहार में हो रहा है परंतु चिंता का विषय है भारत सरकार की हस्तक्षेप करने और कार्य करने में असफलता ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह (मोतीहारी) : हम इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहेंगे। माननीय गृह मंत्री जी का ही जो बयान बिहार के संबंध में है उसके संबंध में हम स्पष्टीकरण चाहेंगे कि 3 फरवरी को गृह मंत्री जी ने जो बीहट जिला बेगुसराय में भाषण किया था। उसमें इन्होंने कहा था कि बिहार आज हत्या, डकैती, गुंडागर्दी एवं भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है और इससे निकलना मुश्किल हो गया है। मैं चाहूंगा कि क्या गृह मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है तो उस दृष्टि से बिहार को बचाने के लिए कौन सी कार्यवाही करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे ख्याल से यह जो आपने उल्लेख किया है यह मैंने उत्तर प्रदेश के सिलसिले में किया था।...*(व्यवधान)*

श्री राध मोहन सिंह : यह 3 फरवरी को राष्ट्रीय सहारा में छपा है।...*(व्यवधान)* में गृह मंत्री जी ने यह बात कही थी बिहार के संबंध में...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कोई बुनियादी फर्क नहीं है, यू॰पी॰ में हो या बिहार में हो।...*(व्यवधान)*

श्री राधा मोहन सिंह : इस दृष्टि से कौन सी कार्यवाही करने जा रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे आवश्यक नहीं समझता। श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस वाद-विवाद का जवाब देंगे। मैं नहीं समझता कि उन्हें इसमें आपकी मदद की आवश्यकता होगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दिलीप संघानी (आमरेली) : मुख्य मंत्री महिला हैं वही बात आपकी सत्य है और कुछ सत्य नहीं है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सदन को सराहना करनी चाहिए कि गृह मंत्री जो कह रहे हैं उससे अधिक ईमानदार नहीं हो सकते।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी (छपरा) : रामविलास जी को बिहार मत भेजिए वहां उनको बड़ा खतरा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अब आप समाप्त कर दीजिए। अब आपको कोई जवाब नहीं देना है।

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह महिला के बारे में क्या बोले, मैं समझा नहीं।...*(व्यवधान)*

श्री दिलीप संघानी : आपने बताया कि बिहार हो या यू॰पी॰ हो, कोई फर्क नहीं है तो वहां महिला मुख्य मंत्री हैं।...*(व्यवधान)* बिहार की सिचुएशन तो बहुत खराब है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लालू यादव अपनी पत्नी को गद्दी पर बिठाने की बजाए अपना कोई भाई या भतीजे को बिठा देते तो क्या उसमें आपको कम आपत्ति होती।...*(व्यवधान)* आखिर एक महिला तो बैठी है अब वह कैसे संभालेगी और क्या होगा, नहीं होगा यह तो देखने की बात है। इसका समाधान हम नहीं कर सकते हैं। मेरा कहना था कि यह जो वाजपेयी जी के मोशन का जो अंग है, केन्द्रीय सरकार के ऊपर आरोप लगाता है कि वह पेसिव एटीच्यूड था, वह निष्क्रिय रहे, उसमें कुछ किया नहीं। उसके बारे में उन्होंने कोई साफ तरीके से व्याख्या नहीं की कि वह क्या चाहते थे। पेसिव एटीच्यूड की जगह एक्टिव एटीच्यूड होना चाहिए था वह क्या हो सकता था इसके बारे में उन्होंने कोई रोशनी नहीं डाली। अगर वह चाहते थे कि 356 लगा दिया जाए तो उनको बोलना चाहिए, इसमें बोलने में क्या हर्ज है।

अलग-अलग राय और मत तो लोगों का होता है लेकिन अगर कोई दूसरा उपाय इसके लिए था तो वे बोल सकते थे लेकिन उन्होंने कुछ न कहकर इसको ढक दिया। उन्होंने कहा पैसिफिक एटीट्यूड। हम नहीं समझते कि हम इससे ज्यादा क्या कर सकते थे। हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि लालू प्रसाद के ऊपर जो आरापे हैं उसके बारे में जो केन्द्र के कंट्रोल में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वह अपना काम कर रही हैं। हम इसीलिए यहां तक आ पहुंचे हैं। सी॰बी॰आई॰ अपना काम नहीं करती तो लालू प्रसाद यादव रिजाइन करने के लिए मजबूर

नहीं होता। यह टीक है कि वह चारों तरफ से घेरे में घिर गये थे। मैं यह उसकी तारीफ में कहूंगा कि वह एक साहसी आदमी है, जिद्दी आदमी है। वह डट तो गया लेकिन सब लोग कह रहे थे कि सी॰बी॰आई॰ के मन में कुछ नम्रता है, वह आपको सजा नहीं देना चाहती है, आपको छोड़ देगी वगैरह-वगैरह। सी॰बी॰आई॰ जब अपने काम को एक जगह पर ले आई तब वह समझ गया कि अब उसके लिए कोई उपाय नहीं है, तब उसको रिजाइन करना पड़ा। मैं समय और नहीं लेना चाहता हूं लेकिन अगर प्रधान मंत्री जी कुछ और बोलना चाहते हैं तो बेशक बोलें। मैं तो सोचता हूं कि जो वाजपेयी जी का प्रस्ताव है उसका हम समर्थन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह प्रस्ताव आखिर में केन्द्र के खिलाफ है, लालू के खिलाफ में नहीं है। उसके पक्ष में हम अपनी राय कैसे दें। हम तो उसका विरोध करेंगे। लेकिन अगर वे कहें कि इतना तो कहिये कि आपको डीप कंसर्न है तो मेरा कंसर्न उनसे कम नहीं है, उनसे ज्यादा भी है। कई साथियों ने बहस के समय इस बात को उठाया और सही उठाया कि अब आप लोग क्या करेंगे। क्या मामला इसी ढंग से चलता रहेगा। इस हालत को सुधारने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। देश की जनता इस हालत को सुधार सकती है अगर हम उनको ठीक ढंग से रास्ता बताएं, उनके साहस को बढ़ाएं। इस मुल्क में भ्रष्टाचार के सभी लोग खिलाफ हैं लेकिन कोई भी अकेला आदमी इस भ्रष्टाचारी रूपी राक्षस का अकेला मुकाबला नहीं कर सकता है जो देश को खाए जा रहा है। जो लोग इस भ्रष्टाचार को चला रहे हैं वे इतने संगठित हो गये हैं कि किसी एक व्यक्ति का उनके खिलाफ आवाज उठाना संभव नहीं है। उनके पास काला धन है, हथियार हैं, अपने माफिया हैं, गुंडे हैं, इसलिए किसी एक आदमी का उन के खिलाफ मुंह खोलना मुश्किल है। लेकिन अगर सभी लोग एकताबद्ध रूप से तैयार हो जाएं, कम से कम उनकी पोल खोल दें और तमाम राजनैतिक दल जनता के सामने खड़े होकर खुले मंच से घोषणा करें। किसी भी चुनाव में हम अपनी पार्टी की तरफ से ऐसे किसी आदमी को कैंडिडेट नहीं बनाएंगे जो भ्रष्टाचार से लिप्त होगा। वह केवल ऐसा कहें नहीं बल्कि इस शपथ को पूरा करें। मेरे ख्याल से यह चीज बहुत हद तक थम जाएगी। जब आंकड़े पेपरों में निकलते हैं कि फलां राज्य की विधानसभा और संसद में इतने लोग जो कि मैम्बर बन कर बैठे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं और उनका पुलिस रिकॉर्ड में नाम है, क्या यह अच्छा लगता है? वे वहां कैसे पहुंचे? वहां ऐसे कोई पहुंच नहीं सकता? कारण कुछ भी हों, लेकिन कुछ लोगों ने देश के अन्दर गलतफहमी के कारण या डर से या लालच से इनको वोट दिए, तभी वे एम॰एल॰ए॰ बने, एम॰पी॰ बने और मंत्री बने। मौजूदा कानून के अनुसार वह नहीं बन सकते। ऐसे लोगों को हम सब जानते हैं। अगर हम सचमुच पब्लिक के सामने कसम खाएं कि ऐसे लोगों को अपनी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट नहीं बनाएंगे और उसके मुताबिक यदि हम डटे रहें तो मैं समझता हूं कि इस बीमारी का बहुत हद तक इलाज हो सकता है। मेरा इतना ही कहना है। यह कह कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे विरोधी दल के नेता हमें कोई रास्ता देश को बचाने के लिए बता सकें तो मैं उनका बहुत आभारी हूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, यह चर्चा समाप्त होने जा रही है। चर्चा का आरम्भ काम रोको प्रस्ताव के रूप में हुआ था। इस चर्चा में अनेकानेक लोग भाग ले सकें, इस दृष्टि से उसका रूपान्तर 184 में किया गया। इस पर लम्बी और अच्छी चर्चा हुई है। जो प्रश्न हैं, उन पर ऐसी चर्चा न केवल सदन का ध्यान केन्द्रित करती है, मगर बाहर भी यह विश्वास जगाती है कि अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, आगे भविष्य के लिए आशा बाकी है।

इस प्रस्ताव के दो भाग हैं – एक बिहार की हाल की घटनाओं पर चिन्ता। मैं देख रहा हूं कि इस चिन्ता में न केवल सारा सदन सहभागी है बल्कि इस चिन्ता में सारा देश भागीदार है। इस प्रस्ताव का एक और भाग है जिसके बारे में गृह मंत्री महोदय ने कहा कि वह इससे सहमत नहीं हो सकते। मैं उनकी कठिनाई को जानता हूं, लेकिन इसका दूसरा भाग भी महत्वपूर्ण है। इससे चिंता का प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं है। यह देश की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। केन्द्रीय सरकार इस सदन के प्रति उत्तरदायी है। केन्द्रीय सरकार पर सारे देश का दायित्व है।

केवल चिन्ता प्रकट करके हम अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं समझ सकते। लोग शासन से कुछ और अपेक्षा करते हैं। केवल भावों का व्यक्तीकरण नहीं, वे अच्छे आचरण की अपेक्षा करते हैं और इस मामले में सरकार ने कोताही से काम लिया, यह बात स्पष्ट है। मुझे आश्चर्य हुआ कि प्रधान मंत्री ने सरकार की अकर्मण्यता पर पर्दा डालने के लिये सी॰बी॰आई॰ जो कुछ कर रही है, उसका सारा श्रेय स्वयं ले लिया। मैं उनके शब्द उद्धृत करना चाहता हूं :

[अनुवाद]

> "एक अन्य बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह यह है कि आखिर श्री लालू प्रसाद यादव पर आरोप पत्र दाखिल किसने किया है? केन्द्रीय जाँच ब्यूरो, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो किसकी एजेंसी है? केन्द्र की। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो भारत सरकार के किस विभाग के तहत कार्य करता है? प्रधान मंत्री के कार्यालय के तहत। यदि यह निष्क्रियता है, तो मुझे नहीं पता कि सक्रियता क्या होती है। यदि यह निष्क्रियता है कि मेरे नियंत्रणाधीन विभाग, न केवल आरोप पत्र दाखिल करता है वरन् अग्रिम जमानत का विरोध भी करता है, तब किस आधार पर और किस स्तर पर और मुझ पर निष्क्रियता का आरोप कैसे लगाया गया है?"

[हिन्दी]

सी॰बी॰आई॰ ने जो कुछ किया, जिसके लिये सरकार दावा कर रही है कि उसने किया लेकिन उस दिन प्रधान मंत्री जी ने यह भी कहा था और यह बात सच है कि सी॰बी॰आई॰ अदालत के दिशा-निर्देश में काम कर ही है। सी॰बी॰आई॰ एक स्वायत्त संस्था है। अब अगर सी॰बी॰आई॰ के सब अच्छे कामों का श्रेय प्रधान मंत्री और सरकार

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

लेना चाहेगी तो सी॰बी॰आई॰ की विफलताओं के लिये, उसकी कमियों या खामियों के लिये कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या तब सरकार दोषारोपण से बच सकती है? क्या तब यह कहा जायेगा कि सी॰बी॰आई॰, स्वायत्त है, हमें उससे कुछ लेना-देना नहीं है। अच्छा काम करेगी, कोई बधाई का काम करेगी तो कहा जायेगा कि हम कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि एक विभाजक रेखा स्पष्ट होनी चाहिए और केन्द्र की सर्वोच्च जांच एजेंसी के रूप में सी॰बी॰आई॰ की स्वायत्तता की रक्षा की जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, उस दिन प्रधानमंत्री जी ने एक वाक्य और कहा जो मुझे खटक रहा है। जब यह खबर आई कि एंटीसिपेटरी बेल अस्वीकार कर ली गई है और प्रश्न पूछा जा रहा था कि आगे क्या-क्या और आज भी यह प्रश्न पूछा जायेगा कि आगे क्या? तब प्रधान मंत्री जी ने कहा :

[अनुवाद]

> "मैं केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार इस बात का उचित संज्ञान करेगी तथा इसमें कभी पीछे नहीं रहेगी। परंतु यह जल्दी में कोई कदम नहीं उठाएगी। क्योंकि मुझे यह देखना होगा कि वैधता बनी रहे तथा कानून के नियम भी कायम रहें।"

[हिन्दी]

मैं उनकी अंतिम बात से पूरी तरह सहमत हूं। कानून की रक्षा होनी चाहिये और कानून के राज्य की भी रक्षा होनी चाहिये लेकिन सरकार कोई कदम जल्दबाजी में नही उठायेगी। एक ओर कहा जा रहा है कि सी॰बी॰आई॰ कदम उठा रही है, सी॰बी॰आई॰ ने जो कुछ किया है, उसका परिणाम निकल रहा है और दूसरी ओर कहा जा रहा है कि अब सरकार कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठायेगी, तो सरकार क्या करेगी? किस माध्यम से सरकार धीरे कदम उठाती है, जल्द कदम उठाती है या बिल्कुल कदम नहीं उठाती है। इस स्थिति का स्पष्टीकरण कैसे होगा? अब एक नयी परिस्थिति पैदा हो गई है। जनमत के दबाव में। और ये बड़ी खुशी की बात है, बड़े संतोष की बात है कि मतभेदों के बावजूद सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस सिद्धांत के साथ, इस परंपरा के साथ सहमति प्रकट की कि अगर चार्जशीट लग जाती है और चार्जशीट में किसी नेता के खिलाफ प्रथम दृष्टि में मामला बनता है और मामला अदालत में जाने के लिए तैयार है तो उस राजनेता को सत्ता के पद से हट जाना चाहिए, त्यागपत्र दे देना चाहिए। यह इस चर्चा की बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। यह सबकी राय थी। जो संयुक्त मोर्चा में शामिल दल हैं, उनके भी प्रमुख नेताओं की राय थी। जो नहीं हैं, उनकी भी राय थी। उस दिन मैंने कहा था कि यह परंपरा हमारे यहां चलती रही हैं गनीमत है कि इस परंपरा पर देश कायम है, लेकिन मैंने पूछा था कि अगर कोई त्यागपत्र न दे तो? तो फिर पूछा गया कि क्या आप धारा 356 की वकालत करते हैं, क्या उसके समर्थक हैं? आज मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज ने कुछ और भी रास्ते बताए। उस दिन श्री सी॰सुब्रह्मण्यन ने स्वतंत्रता के आयोजन के लिए तैयारी करने वाली समिति में भी कुछ सुझाव दिये थे। मुझे आश्चर्य है गृह मंत्री ने यह कैसे नहीं सुना? मैंने उस दिन तीनों बातें कही थी। समझा-बुझाकर बिहार के मुख्य मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए तैयार किया जाए। दूसरा कदम यह कि राज्यपाल महोदय अपना प्लेजर विदड्रा कर सकते हैं, राज्यपाल को इस बात का अधिकार है। तीसरा, फिर और कोई रास्ता नहीं है तो धारा 356 है। उस पर बहस चलेगी। अभी भी यूनाइटेड फ्रंट ने धारा 356 खत्म करने का फैसला नहीं किया है। मैंने इस बात का उस दिन उल्लेख किया था। अब बिहार में एक नयी परिस्थिति पैदा हो गई है। त्यागपत्र हो गया। पुराने मुख्य मंत्री ने पद छोड़ दिया मगर सत्ता घर में रखी है। सत्ता नहीं छोड़ी है। अब पति की जगह पत्नी हो सकती है या नहीं हो सकती, यह सवाल नहीं है। ...*(व्यवधान)* यहां पत्नियां चुनाव जीतकर आई, चुनाव लड़कर आई। इस तरह से अचानक थोप नहीं दी गई। महिलाएँ राजनीति में आएं। अगर उनकी पृष्ठभूमि हो तो बड़ी खुशी की बात है। हमने उत्तर प्रदेश में एक महिला को मुख्य मंत्री बनाया है। ये बिहार में इस मामले में होड़ करना चाहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यह मामला इतना सरल नहीं है। यह गुत्थी उलझी हुई है। आखिर श्री लालू प्रसाद यादव से मुख्य मंत्री के नाते त्यागपत्र क्यों मांगा जा रहा था? चार्जशीट लग गई, एक कारण यह था। दूसरा कारण यह था कि अगर वह अपने पद पर बने रहते हैं, अगर सत्ता उनके पास रहती है तो जो आरोप लगे हैं, उनकी निष्पक्ष जांच संभव नहीं होगी। जांच को प्रभावित किया जा सकता है, गवाहों को जांच देने के काम से रोका जा सकता है। मुकदमें को गलत दिशा देने की पूरी कोशिश हो सकती है। क्या यह संभावना खत्म हो गई? क्या परदे के पीछे से अब सत्ता का संचालन नहीं होगा? और मुझे आश्चर्य है कि वहां मतदान हुआ था और सत्ता पक्ष के पास बड़ा बहुमत है, प्रचण्ड बहुमत है, उसमें से कोई एक व्यक्ति नहीं निकला जिसे बिहार का मुख्य मंत्री बनाया जा सके?

अगर बिहार की विधान सभा में कोई नहीं था तो लोक सभा से ...*(व्यवधान)* अच्छे-अच्छे लोग यहां मौजूद हैं। ऐसा पहले और प्रदेशों में भी चुका है कि लोक सभा से इस्तीफा दिलाकर मुख्य मंत्री बनाये गये। लेकिन इसका भी अवलंबन नहीं लिया गया। न बिहार की विधान सभा के सदस्यों पर भरोसा है न लोक सभा के राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों में से किसी को इस लायक समझा। अगर भरोसा है तो पत्नी पर है और किसी पर नहीं। इसके पीछे भावना क्या है, इसके पीछे इरादा क्या है। आखिर श्री लालू प्रसाद यादव अपने पद से हटते ही, सत्ता के जाते ही सारा घोटाला अपने-अपने भयावह तथ्यों के साथ सामने आ जायेगा और केवल चारा घोटाला ही नहीं और भी जो घोटाले हो रहे हैं, वे भी प्रकाश में आ जायेंगे और फिर उनके लिए सार्वजनिक जीवन में रहना मुश्किल हो जायेगा। आखिर अपने दल पर अविश्वास का इतना बड़ा कारण क्या है। यहां गृह मंत्री और प्रधान मंत्री भी विराजमान हैं और इसीलिए मैं यह प्रश्न फिर से उनके सामने उपस्थित कर रहा हूं कि क्या पति की जगह पत्नी के मुख्य मंत्री बनते ही बिहार में यह स्थिति पैदा हो जायेगी कि निष्पक्ष

रूप से मुकदमा चल सके। मैं सी॰बी॰आई॰ का उल्लेख कर रहा था। उस दिन जब सी॰बी॰आई॰ के जज ने वारंट जारी करने का मन बना लिया, वारंट जारी कर दिया तो वह वारंट लागू क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने से पहले उस वारंट पर तामील हो सकती थी और पूर्व मुख्य मंत्री उस वारंट के अंतर्गत गिरफ्तार हो सकते थे। लेकिन विलम्ब हुआ। इस संबंध में अलग-अलग बातें कही जा रही हैं। अब तो प्रचंड बहुमत है। कांग्रेस अब तटस्थ नहीं रही। कांग्रेस ने सत्तापक्ष के साथ वोट दिया। वोट की जरूरत नहीं थी। बिना कांग्रेस के समर्थन के भी उनके पास बहुमत था। लेकिन कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के बारे में कुछ भी बातें कहे, लेकिन जब वक्त आता है जब कांग्रेस कसौटी पर कसी जाती है तो विफल हो जाती है। क्या औचित्य है, किसलिए, क्या इसका कारण यह है कि कांग्रेस के नेता भी चारा घोटाले में फंसे हुए हैं? अभी-अभी गृह मंत्री महोदय कह रहे थे कि सब दल...*(व्यवधान)*

श्री गिरधारी यादव (बांका) : सब दल उसमें फंसे हुए हैं, उसमें एक आपकी पार्टी से भी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हां, वह जेल में हैं और हमने उनका जेल भेजे जाने का स्वागत किया है।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, अभी गृह मंत्री कह रहे थे कि सब दलों को मिलकर फैसला करना चाहिए, सब दलों को, उन्होंने इस बात पर फिर से जोर दिया कि सबको बिना किसी अपवाद के और यह अपवाद मौजूद है, वोट दिया। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, कहते हैं कुल मिलाकर अब 75 मंत्री हो जायेंगे...*(व्यवधान)* 75 के करीब मंत्री जो जायेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कैसा समझौता हुआ है, उसमें विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है। अब अगर वहां सत्ता का स्वरूप यही रहता है, जो पूर्व मुख्य मंत्री के त्यागपत्र के बाद प्रकट हुआ है तो यह आशा करना दुराशा मात्र होगी कि इस घोटाले की ठीक से जांच हो सकेगी। अपराधियों को दंड मिल सकेगा। लालू प्रसाद यादव से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। वह तो हमारे साथ इमरजेंसी के विद्ध लड़ने वालों में थे।...*(व्यवधान)* लेकिन अगर वे वित्त मंत्री भी थे और मुख्य मंत्री भी थे और जार्ज फर्नान्डीज ने सारा कच्चा चिट्ठा पढ़कर बताया है कि किस तरह से सारे घोटाले में जो धन गंवाया जा रहा था, जो धन लूटा जा रहा था, उसकी राशि बढ़ती गई, बढ़ती गई। कंट्रोलर एंड आडीटर जनरल का धन्यवाद। यह लोकतंत्र के लिए आशा है। यह लोकतंत्र के लिए भविष्य है। इसीलिए मैंने कहा था कि अलग-अलग संस्थाएं अगर सक्रिय रहीं, तो फिर इस तरह से घोटाले प्रकाश में आएंगे, जिन्हें न सदन बर्दाश्त करेगा, न देश बर्दाश्त करेगा, लेकिन अब जो नई परिस्थिति पैदा हो गई है, उसमें केन्द्र क्या विचार कर रहा है? प्रधान मंत्री कहते हैं वे जल्दी नहीं करेंगे। आप धीरे करेंगे। कितनी धीरे? क्या करेंगे? यह पारिवारिक मामला है। मैं नहीं समझता कि प्रधान मंत्री ने ऐसा कहा है कि यह पारिवारिक मामला है।...*(व्यवधान)* नहीं उन्होंने मजाक में कहा होगा।

प्रधान मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : मैंने यह न तो मजाक में कहा है और न सीरियसली कहा है।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार परिवार का मामला नहीं हो सकता...*(व्यवधान)*

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं यह कह रहा हूं कि ऐसा मैंने नहीं कहा है।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ठीक है, मुझे आपसे यही आशा थी।...*(व्यवधान)* मैं नहीं बैठ रहा हूं।

श्री राम कृपाल यादव : श्री बृज भूषण शरण सिंह की पत्नी को जो आपने टिकिट दिया था, उनका क्या पालिटिकल बैकग्रांउड था। अभी आपने कहा कि श्री लालू यादव जी की पत्नी का क्या पालिटिकल बैकग्राउंड है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे 25 वर्ष तक लालू प्रसाद यादव के साथ पालिटिकल लाइफ लीड करती रही हैं। उन्होंने लालू जी के साथ 25 साल तक पालिटिकल लाइफ लीड करने का काम किया है। आज वे प्रदेश की सबसे सक्षम मुख्य मंत्री हैं। उनको 194 मत मिले हैं। यह आपको पता चल जाएगा। आप महिला विरोधी हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमती यादव की योग्यता के बारे में, क्षमता के बारे में कोई विवाद नहीं उठाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : नहीं, अभी आपने कहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं दूसरा मुद्दा उठा रहा हूं। तथ्यों का तो वर्णन करना पड़ेगा कि वे न विधान सभा में हैं और न विधान परिषद में हैं। अचानक मुख्य मंत्री बना दी गईं।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : इस सदन में ऐसे अनेक लोग मंत्री बने हैं जो किसी सदन के सदस्य नहीं थे।...*(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : यह क्या हो रहा है। ये क्या बोल रहे हैं। ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ये इस प्रकार से बीच-बीच में उठकर बोलेंगे, तो सदन कैसे चलेगा।...*(व्यवधान)*

प्रो॰ रीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आठ घंटे में से सात घंटे यही बोला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, वहां की विधान सभा में जो विश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया था उसमें प्रस्ताव के खिलाफ 110 वोट पड़े और भारतीय जनता पार्टी, समता पार्टी को छोड़कर सी॰पी॰आई॰, सी॰पी॰एम॰, जनता दल, इन्होंने इकट्ठे होकर वोट दिया। बहुमत है। बहुमत तो है, लेकिन क्या लोकतंत्र, केवल अल्पमत और बहुमत का खेल है? क्या लोकतंत्र का आधार नैतिकता नहीं है? क्या संसदीय औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है?

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

...*(व्यवधान)* वह बहुमत किस तरह से बनाया गया है, इसका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं। लेकिन अगर मान लीजिए बहुमत है और उस बहुमत के चलते जो सत्तारूढ़ हैं, वो रूल ऑफ लॉ में बाधक बनते हैं, वे अपने खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनकी जांच में रुकावट डालते हैं। तो क्या इसलिए सब कुछ आंख मूंदकर सहन कर लिया जाएगा कि विधान सभा में बहुमत है? जनमत अपना असर डालेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन केन्द्र सरकार को भी इस मामले में अधिक सकर्मण्य होना होगा, अधिक जागरूक होना होगा। केन्द्र सरकार हस्तक्षेप के अनेक तरीके निकाल सकती है।

अभी गृह मंत्री ने माना कि वे राज्यपाल से रिपोर्ट लेते रहे और यह राज्यपाल का काम है कि रिपोर्ट भेजे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में भी राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी थी। शायद महाराष्ट्र के बारे में भी रिपोर्ट मांगी होगी। मगर रिपोर्ट क्या कोई एक डाक से आने वाला दस्तावेज है जो पटना से रवाना किया जाता है और दिल्ली में प्राप्त कर लिया जाता है और उस रिपोर्ट पर चर्चा नहीं होती, उस रिपोर्ट के आधार पर निर्णय नहीं होते, फैसले नहीं होते। ऐसी रिपोर्ट तो नहीं हो सकती। आखिर गवर्नर जो बैठा हुआ है, वह केन्द्र की आंख है, केन्द्र की तरफ से सब देखता है। बिहार की स्थिति जिस तरह से बिगड़ती गई, विरोधी दल के नेता लगातार गवर्नर से मिलकर उनको समझाते रहे। उस दिन भी शपथ लेने में इतनी जल्दी की गई कि जिसका कोई औचित्य नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के कितने सदस्यों की संख्या उपस्थित थी, यह विवाद का विषय है। विरोधी दल के नेता प्रतिनिधिमंडल के रूप में गवर्नर से मिलना चाहते थे शपथ के पहले। गवर्नर ने कहा कि नहीं, अब मुलाकात होगी तो शपथ के बाद होगी। क्या इसमें केन्द्र ने कोई इशारा किया था? यह सरकार कैसे बनी, इतनी जल्दी कैसे बनी और सरकार बनने के बाद क्या। लोकतंत्र कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है। यह बिहार कोई किसी की सम्पत्ति नहीं है, जागीर नहीं है। आखिर बिहार इस देश की पवित्र भूमि का एक हिस्सा है और अगर एक जगह भ्रष्टाचार की जीत होती है, अगर एक जगह राजनैतिक नैतिकता की पराजय होती है तो उसके देशव्यापी दुष्परिणाम होंगे।

अध्यक्ष महोदय, जब देश स्वतंत्रता की 50वीं जयन्ती मनाने की तैयारी कर रहा है, देश के राजनैतिक वातावरण में शुद्ध हवा के झौंके की बहुत जरूरत है। इसके बिना देश की मेहनतकश जनता को अधिकाधिक परिश्रम करने के लिए, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। और इसलिए प्रधानमंत्री के किसी वक्तव्य से , गृह मंत्री के किसी भाषण से यह ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। संविधान के अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लोक शक्ति जगाने का काम हो सकता है। बिहार में लोक शक्ति ने जागकर परिवर्तन लाया था। लेकिन तब सत्ता हमारे हाथ में नहीं थी। सत्ता भ्रष्टाचारियों के हाथ में थी। आज फिर सत्ता भ्रष्टाचारियों के हाथ में पहुंच गई है। लेकिन आज सब लोग सरकार की तरफ देखते हैं। इसमें सरकार को अपनी अकर्मण्यता स्वीकार करनी चाहिए और भविष्य में कर्मण्यता का सदन को आश्वासन देना चाहिए।

मैं सब सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और मैं चाहूंगा कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि प्रस्ताव में :-

"गंभीर स्थिति" के स्थान पर **निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये** :-

"यह सभा गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.00 बजे

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव यथासंशोधित, को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा बिहार में हाल की घटनाओं पर केन्द्रीय सरकार के उदासीन रवैये से उत्पन्न गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.02 बजे

महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई, नागपुर और अन्य स्थानों तथा देश के अन्य भागों में दलितों पर किए गए अत्याचारों के संबंध में प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 184 के अधीन श्री शरद पवार द्वारा प्रस्ताव को लेते हैं। अब श्री शरद पवार प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

...(व्यवधान)

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण (कराड़) : महोदय, मैंने प्रस्ताव पर संशोधन की सूचना दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : पहले प्रस्ताव को प्रस्तुत करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार (बारामती) : अध्यक्ष जी, मैं सदन के सामने प्रस्ताव सादर प्रस्तुत करना चाहता हूं कि :

[अनुवाद]

> "कि यह सभा महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई, नागपुर और देश के अन्य भागों में दलितों पर किए गए अत्याचारों पर गहरी चिंता व्यक्त करती है।"...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : मैंने प्रस्ताव के संशोधन की सूचना दे दी है। मेरा संशोधन यह है कि मुख्य भाग में कुछ भाग जोड़ा जाए जिसमें कहा गया है :

> "कि यह सभा सिफारिश करती है कि महाराष्ट्र में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए।"

मुझे नहीं मालूम कि उस संशोधन का क्या हुआ? संशोधन को परिचालित नहीं किया। मुझे नहीं पता कि स्थिति क्या है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे देख लूंगा। यह वाद विवाद अभी कुछ समय तक चलेगा। इस बीच मेरे विचार से श्री शरद पवार बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने यह प्रस्ताव सादर प्रस्तुत करने में मेरे मन में बड़ी बैचेनी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं एक बात की जानकारी देना चाहता हूँ। माननीय सदस्य श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण ने अभी-अभी कहा है कि उन्होंने एक संशोधन का नोटिस दिया है। ऐसा लगता है कि वह संशोधन हमारे पास भेजा नहीं गया है। इसीलिए उन्होंने जो कहा और पढ़ा वह एकदम भिन्न मामला है। एक संशोधन मूल प्रस्ताव के ही अनुरूप होना चाहिए। अतः वह प्रस्ताव तथा सुझाया गया संशोधन एक ही प्रकृति के बिल्कुल नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। मैंने उसे नहीं देखा है।

श्री राम नाईक : इसीलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। परंतु उसे सभी सदस्यों के पास औपचारिक रूप से भेजा जाए। अतः वह संशोधन कब भेजना चाहते हैं, हम उस पर अपनी बात कह सकें और हम नियमों के अनुसार उस संशोधन के संबंध में हम संशोधन भी भेज सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसको परिचालित किये जाने से पूर्व, मुझे यह निर्णय लेना होगा कि क्या इस संशोधन के लिए अनुमति प्रदान की जा सकती है। मैंने इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। अतः हम इस समय मूल प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : तो, अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी ही बैचेनी से यह प्रस्ताव सदन के सामने सादर प्रस्तुत कर रहा हूं।

जो परिस्थिति महाराष्ट्र में हुई और जिसकी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के बाहर भी दलितों में और समतावादी लोगों में हुई, इससे मेरे मन में एक तरह की चिंता है, पीड़ा है।

समाज में कोई व्यक्ति समाज के किसी हिस्से के स्वाभिमान का प्रतीक होता है। डा॰ बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश के शोषित, पीड़ित, दलित समाज के एक स्वाभिमान के प्रतीक हैं, जिन्होंने अपनी पूरी जिन्दगी देश के पिछड़े और दलित समाज में जागृति पैदा करने में व्यय की। जिन्होंने दलितों में और खासतौर पर दलितों की जो नई पीढ़ी है, इसमें शिक्षा का प्रसार करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। जिन्होंने इस देश को संविधान देने के लिए बड़ा काम किया। शिक्षा का विस्तार करने के लिए जहां उनको मौका मिला, सहयोग मिला, उस क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। सबसे अच्छी बात यह थी और आज हम देख रहे हैं कि सदियों से समाज का जो वर्ग समाज में कभी अपना चेहरा ऊपर नहीं कर सकता था, बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से उस वर्ग में एक तरह का आत्मविश्वास पैदा हुआ और अत्याचार, अन्याय के खिलाफ वे लोग बोलने लगे। अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की उनकी ताकत बढ़ गई। यह एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में हुआ। जो हमेशा गांधी जी ने भारतवर्ष के सामने रखा था।

आज हम देख रहे हैं कि भारत के सर्वोच्च पद पर श्री के॰आर॰ नारायणन जैसे समाज के पिछड़े वर्ग के व्यक्ति पूरे देश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यह परिस्थिति पूरे देश में जगह-जगह हमें देखने को मिल रही है। बड़े पैमाने पर शोषित, दलित और पीड़ित वर्ग के पढ़े-लिखे नौजवान अपनी पूरी जिम्मेदारी ठीक तरह से संभालते हैं। यह परिवर्तन करने में डा॰ बाबा साहेब अम्बेडकर का हिस्सा बहुत बड़ा था।

अपराह्न 4.07 बजे

[श्रीमती गीता मुखर्जी *पीठासीन हुईं*]

जो स्थिति महाराष्ट्र में हुई, उसके पीछे जो भी कारण रहा हो, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, इस पर हमें सोचना होगा। कई सालों से हम देखते रहे हैं कि महाराष्ट्र एक ऐसी भूमि है जहां सामाजिक परिवर्तन का विचार महात्मा ज्योति बा फुले और साहू जी ने रखा था। इस राज्य में इसको स्वीकार करने वालों का बहुत बड़ा वर्ग है। समाज में अभी भी कुछ हिस्सा है, जिसकी मानसिकता बदली नहीं है। दलित घर का लड़का अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जब आता है, जवाब पूछने के लिए गांव के सामने आता है तो समाज के कई वर्ग, कई लोग उसको बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं हैं। हमने देखा है डा॰ बाबा साहेब अम्बेडकर ने पचास साल पहले मराठवाड़ा रिजन में औरंगाबाद शहर में मिलिंद शिक्षा संस्थान नामक एक अच्छी

[श्री शरद पवार]

शैक्षिक संस्था खोलने का काम किया था। दलित समाज के लड़कों को शिक्षा देने का केन्द्र वह पूरे महाराष्ट्र में हो गया। विदर्भ के, मराठवाड़ा के और पश्चिम महाराष्ट्र के लड़के वहां आते हैं। मिलिंद शिक्षा संस्थान में दलित वर्ग के लड़कों में शिक्षा का प्रसार करके उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। 1960 में जब महाराष्ट्र बना, तब नई यूनिवर्सिटी की मांग मराठवाड़ा रिजन में हुई थी। उस जमाने की सरकार ने वह मांग पूरी की। जब मांग पूरी की तब इस विद्यापीठ का नाम देने का सवाल सब के सामने आया था। दो-चार सुझाव थे, इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने औरंगाबाद मिलिंद शिक्षा संस्था के नाम पर बड़ा अच्छा काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में काम की शुरूआत की और इसलिए उनका नाम उस विद्यापीठ को देते हैं तो उनका एक गौरव हो जाएगा। विद्यापीठ की प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, ऐसी भावना कई लोगों के मन में थी, उसी विभाग का नाम दे दिया। पिछड़े वर्ग के नौजवान जागे हुए थे। उन्होंने इस पर संघर्ष शुरू किया, सत्याग्रह किया। 15 साल से ज्यादा समय तक इस विषय पर वहां संघर्ष किया था। मुझे याद है कि 1978 में महाराष्ट्र की विधानसभा में, तब की सरकार ने, सभी राजनैतिक पार्टी के नेता लोगों को विश्वास में लेकर डॉ॰ बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ नाम देने का प्रस्ताव पारित किया था। जिस दिन प्रस्ताव पारित हुआ उसी शाम से वहां दंगे शुरू हुए, दलितों के घरों पर हमले हो गए, एक तरह के संघर्ष की परिस्थिति पैदा हुई और जो प्रस्ताव विधानसभा और विधान परिषद में एक राय से मंजूर हुआ था इस पर अमल नहीं हो सका। समाज के कुछ वर्ग डा॰ बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम विद्यापीठ में दिया, यह मानने के लिए तैयार नहीं थे। 12-14 साल फिर संघर्ष हुआ।

मुझे याद है 1994 में महाराष्ट्र के सभी राजनैतिक पार्टी के नेताओं को विश्वास में लेकर जो निर्णय विधानसभा और विधान परिषद ने एक राय से लिया था, इस पर अमल करने की बात तब की सरकार ने शुरू की थी। मुझे खुशी है कि इस काम के लिए एक संगठन छोड़ कर महाराष्ट्र में जितनी राजनैतिक पार्टियां थीं उन्होंने सहयोग दिया।

इसमें जनता दल था, भारतीय जनता पार्टी थी, सीपीआई, सीपीएम, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, कांग्रेस, ये सभी पार्टियां साथ आई थीं। यह प्रस्ताव सिर्फ शिवसेना ने स्वीकार नहीं किया था, सभी लोगों को विश्वास में लेकर इस प्रस्ताव पर अमल करने का काम वहां हो गया। इससे जो वर्ग नाराज थे उन वर्गों को चेतावनी देने का काम किया, जिन लोगों ने इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए, अमल करने के लिए सहयोग नहीं दिया था उन्होंने तब से शुरू किया। कांग्रेस को, हम सब लोगों को इसकी एक राजनीतिक कीमत देनी पड़ी, मगर हम लोगों ने सोचा कि भले ही कीमत देनी पड़े। मगर संसदीय प्रजातंत्र में इस तरह का एक राय से निर्णय होने के बाद इस पर अमल नहीं होता, यह बात ठीक नहीं है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में कई माननीय व्यक्तियों का नाम विद्यापीठ को दिया था।

छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर विद्यापीठ है। महात्मा फूले, डा॰ देशमुख के नाम पर विद्यापीठ है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जब प्रस्ताव आता है और वह स्वीकार नहीं होता है तो हमारे जैसे लोगों को यह बात ठीक नहीं लगती है। मुझे खुशी है कि बहुत सी राष्ट्रीय पार्टियों ने इसमें हमारी मदद की। लेकिन कुछ वर्ग हमसे बहुत गुस्से में था, जिसकी कीमत हमें बाद में चुनाव में देनी पड़ी। अब 15 साल के बाद यह नाम हो गया।...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं। वह सही जानकारी सदन को नहीं दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : मैं इसे स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

जिनको इस प्रकार का परिवर्तन पसंद नहीं था उन्होंने इस प्रकार की बातें की।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह स्वीकार नहीं रहे हैं। आप सब चिल्ला क्यों रहे हैं? मैंने उन्हें बोलने के लिए कहा है और वह मान नहीं रहे हैं। इसलिए केवल वह ही बोलेंगे और कोई नहीं।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : कई लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र में बी॰जे॰पी॰ और शिव-सेना का राज आने से पहले डा॰ भीम राव अम्बेडकर की प्रतिमा पर आज से ज्यादा हमले हुए थे। वह मैं मानता हूं। जब हम लोगों ने सामाजिक परिवर्तन का काम शुरू किया था तो जिन लोगों को वह परिवर्तन मंजूर नहीं था उन लोगों का ऐसा व्यवहार रहा कि परिवर्तन से नाराजगी लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर इस तरह से कुछ गलत काम किया। आज परिस्थिति बदल रही है लेकिन मानसिकता नहीं बदली हैं उसी विचाराधारा के कई लोग हुकूमत में आए हैं लेकिन इस प्रकार की घटनाएं कम हो रही हैं जिसकी मुझे खुशी है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी इस प्रकार की घटनाएं हुई तो दलितों की तरफ से भी उसकी प्रतिक्रिया होती थी। हमारी तब की सरकार की नीति यह रही थी कि अगर प्रतिक्रिया आने पर कुछ कीमत देने की परिस्थिति भी आ जाए तब भी फोर्स का इस्तेमाल कम से कम करना पड़े इस ओर ध्यान देना चाहिए।

11 जुलाई का दिन है। योवारी हत्या में...*(व्यवधान)* पुलिस फायरिंग में एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। इन्वेस्टीगेशन में भी यह बात साबित हो गयी है। भगदड़ से लोग मारे गये और इसकी किसी को खुशी नहीं थी। भगदड़ में और जगहों पर भी लोग मारे गये थे। जब भगदड़ में लोग मारे गये तब मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था, जुडिशियल इंक्वारी भी की थी।

इसमें एक बात साफ हो गई कि वहां पुलिस नहीं गई। यह जुडिशियल इनक्वायरी में बात आ गई है। ऐसा सटैमपीड कई जगह हुआ। कलकत्ता फुटबाल टीम में हुआ, तमिलनाडु में हुआ और कई जगह हुआ। मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता।

घाटकोपर में जो प्रहार हुआ, वहां की स्थिति को देखना चाहिए। यह एक बस्ती है जिस की आबादी एक लाख के आसपास है। जब मराठवाड़ा में नामांतर संघर्ष हुआ था और हमले हुए थे, तब वहां से लोग अपने गांव छोड़ कर मुम्बई में आए और कई दूसरे शहरों में आए। जहां तक मेरी जानकारी है; उस बस्ती में रिपब्लिकन पार्टी का काम चलता है, कांग्रेस पार्टी का काम चलता है, शिव सेना की शाखा है और भारतीय जनता पार्टी की कुछ शाखाएं हैं। वहां बहुत बड़े पैमाने में दलितों की बस्ती और खासतौर से डा॰ अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले नव बौद्धों की बस्ती है। वहां के लोग जो कि मिल में काम करते हैं, सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं और दूसरे कई छोटे-मोटे काम करते हैं। सुबह पांच-साढ़े पांच बजे किसी व्यक्ति ने देखा कि डा॰ अम्बेडकर की प्रतिमा पर कुछ गलत माला किसी ने डाल दी। वहां से पुलिस चौकी सौ मीटर पर है। उस व्यक्ति ने आसपास के रहने वाले लोगों को जगा कर बुलाया। पांच-दस मिनट में सैकड़ों लोग वहां इकट्ठे हो गए और गुस्से में आ गए। उन्होंने मांग करनी शुरू कर दी कि हमारे सर्वोपरि नेता के साथ ऐसा व्यवहार किसने किया, इसकी जांच की जाए। थोड़ी देर के बाद वहां पुलिस आ गई। उसने शायद वह माला निकालने की कोशिश की । लोगों ने कहा कि वहां डॉग स्कैड लाइए, पंचनामा करिए और जांच कराइए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? जब तक पंचनामा नहीं किया जाता, डॉग स्कैड नहीं लायी जाती, तब तक इसे निकाला नहीं जाए, ऐसी उन्होंने मांग की। वहां ज्यादा लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। इसके नजदीक ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। साढ़े छः-पौने सात के आसपास वहां ट्रैफिक रुक गया। सात बजे के आसपास वहां पर असिस्टैंट कमिश्नर आफ पुलिस आ गए। लोगों ने उनको कहा कि यहां तब तक कोई काम नहीं होगा जब तक पंचनामा का काम नहीं हो जाता और डॉग स्कैड नहीं आ जाती। मालूम नहीं उसके बाद क्या हो गया? रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार विधान सभा में दिए गए स्टेटमैंट के मुताबिक और न्यूजपेपर में आई न्यूज के मुताबिक सात बजकर पन्द्रह मिनट के आसपास वहां स्टेट रिजर्व पुलिस की दो-चार गाड़ियों में लोग आ गए। उन्होंने गाड़ी से निकल कर बस्ती पर फायरिंग की। जहां फायरिंग हुई वहां से बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा 150 मीटर दूर थी। लोगों ने नेशनल हाईवे का रास्ता रोका। मैं ऐसा समझता हूं कि रास्ता रोकने वाले जो लोग थे, उनके खिलाफ पुलिस ने कुछ कदम उठाए। तो समझने की बात थी मगर ईस्टर्न एक्सप्रेस को छोड़ दिया। रिजर्व पुलिस वैन में से उतरी और उन्होंने सीधे अपनी बंदूक निकाल कर उस बस्ती पर हमला कर दिया। जो लोग मर गये उनकी एक लिस्ट आई। श्री सुखदेव काम्बले रमाबाई अम्बेडकर नगर की परिस्थिति देखकर अपनी दुकान के सामने से जा रहा था, उनको गोली लगी और वह मर गया। वहां से 150 मीटर की दूरी पर रोड ब्लाकेड किया जहां बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा थी। लोग वहां इकट्ठे हुये थे। विलास जोगे, 20 साल के आदमी को गोली लगी, वह मर गया। शिव चरण नौकरी पर जा रहा था, गोली लगी, वहीं मर गया। बबलू वैर्मा 22 साल का आदमी मुम्बई म्युनिसिपल कारपोरेशन में काम पर जा रहा था, उस फायरिंग में उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे दस लोग थे जो वहां मर गये। संजय निमम, 20 साल के लड़के को गोली लगी जब वह नौकरी पर जा रहा था, मर गया। कौशल्या बाई पाथरी सुबह घर से बाहर निकलने वाली थी, उसके शरीर पर सात गोलियां लगी, वहीं मर गई। मैं नहीं समझ सकता कि एक औरत वहां से जा रही थी तो इतने बड़े पैमाने पर सड़क पर हमला करने की क्या जरूरत थी? वे लोग बस्ती में थे, रास्ता रोकने का काम अलग जगह पर हुआ था। जब दस लोगों की मृत्यु हो गई तो हजारों लोग वहां इकट्ठे हो गये। इस पर प्रतिक्रिया इस प्रकार हुई कि बसों पर पथराव किया गया और यहां तक कि पुलिस पर पथराव किया गया। एक लग्जरी बस आ रही थी, उनके लोगों को बाहर निकालकर बस में आग लगा दी गई। पुलिस फायरिंग के आधे घंटे में यह सब कुछ हो गया। इसके बाद ज्यादा पुलिस फोर्स लाकर परिस्थिति पर काबू करने की कोशिश की गई। इसके दो घंटे के बाद जब लोग पुलिस के बारे में बोलने लगे कि उसने बहुत ही गलत काम किया है तो पुलिस वाले इस बात पर विचार करने लगे कि जब सारी जिम्मेदारी उन पर आयेगी तो उन्होंने इंटैलीजैंट काम यह किया कि चेम्बूर में एक रिफायनरी है, जहां पर गैस या फ्यूल के लिये टैंकर्स आते हैं। उन्होंने एक-दो रिक्त टैंकर वहां लाकर खड़े कर दिये...*(व्यवधान)* इसमें कोई दो राय नहीं, वहां पर टैंकर्स आये, यह मीडिया ने इन्वैस्टीगेशन करके रिपोर्ट दी है। फिर लोगों के सामने एक बात करने के लिये एक ऐसी परिस्थिति पैदा की गई ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी (हावड़ा) : महोदया, क्या वह 'झूठ' का अर्थ जानते हैं? यहां यह सब क्या हो रहा है? वह यह कैसे कह सकते हैं कि यह 'झूठ' है? यह असहनीय है। क्या वह 'झूठ' का अर्थ जानते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल (बुलढाना) : जी, हां, मैं जानता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया मेरी बात सुनिए। सभी को बोलने का अवसर मिलेगा।

[हिन्दी]

आपको जो भी बोलना है, आपकी पार्टी का जब टाइम आएगा, उस वक्त बोलिएगा। अभी हो हल्ला करने से क्या फायदा? टाइम चला जाएगा। उनको बोलने दो।

श्री शरद पवार : मुझे इस पर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। जिसके जिस तरह के संस्कार होते हैं, वे लोग इस तरह के इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं।

[श्री शरद पवार]

एक अखबार ने यह थ्योरी प्रपोज करने की कोशिश शुरू की कि उस टैंकर में शायद गैस थी। गैस थी या नहीं हमें नहीं मालूम। यह कहा गया कि सब दलित लोग टैंकर पर हमला करने जा रहे थे। टैंकर पर हमला करते और आग लगा देते तो शायद पूरी बस्ती खत्म हो जाती, इसलिए बस्तियों को बचाने के लिए यह फायरिंग बस्ती में जाकर की गई। ईस्टर्न हाईवे में टैंकर था। टैंकर के आस-पास कोई आदमी गया और उसके ऊपर फायरिंग हुई और उसकी लाश वहां मिली तो भी समझ सकते थे, मगर यह थ्योरी बनाई गई। विधान सभा में उसी दिन विपक्ष के नेताओं ने जब सवाल उठाया और इस पर ऐडजर्नमेंट मोशन आ गया तो वहां जवाब दिया गया कि इस टैंकर पर आग लगाने की संभावना थी और इसलिए लोगों को बचाने के लिए यह सब किया गया। इसकी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया पूरे स्टेट में हुई। दो तीन दिन मुम्बई की परिस्थिति कठिन हुई। बंद हुए और यह मुम्बई तक ही सीमित नहीं रहा। यह अकोला में भी हुआ, नागपुर में भी हुआ। दो लोगों की मृत्यु वहां हो गई। पूरी स्टेट में एक ऐसा शहर नहीं कि जहां इसकी प्रतिक्रिया न हुई हो। एक तरफ प्रतिक्रिया हो रही थी और दूसरी तरफ ऐसी परिस्थिति में जहां समझदारी से काम करना चाहिए, परिस्थिति कंट्रोल करने के लिए ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वह काम नहीं हो रहा था। अकोला शहर में बार्शी टाकी नाम का एक तहसील है। वहां कानेरी सरब नाम का गांव है। वहां दलितों के 40 मकान जलाए गए। कल सुबह तक मैंने गांव से इन्फार्मेशन ली, वहां एक भी दलित परिवार का व्यक्ति जाने के लिए तैयार नहीं है। उनमें इतनी दहशत है।

श्री भाऊसाहेब पुंडलिक फुंडकर (अकोला) : जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, उसी में कानेरी सरब गांव है। वहां ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है और कोई दलितों के घर नहीं जलाए गए हैं। ये सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री शरद पवार : वाशिम दहसील में पंचाला नाम का गांव है। वहां दलित बस्ती पर हमले किये गए। अकोला शहर में भीमनगर नाम की बस्ती है जहां बड़े पैमाने पर दलित रहते हैं। उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला किया गया। वर्धा जिले में दलित स्त्री पर हमला किया गया और अत्याचार किया गया। सांगली के पास मिरज में एक नौजवान दलित एजिटेशन में था। उस पर हमला किया गया और उसकी हत्या की गई। पूरे स्टेट में एक अलग तरह की परिस्थिति पैदा हुई। एक असंतोष की लहर गांव-गांव में दिखती थी। हमारे मन में एक चिन्ता पैदा हुई थी कि नामांतर के जमाने में लोगों को विश्वास में लेकर एक तरह की सहमति पैदा करने के लिए जो प्रयास किये थे, जो लोगों के मन में गुस्सा था, उसको दूर करने की जो कोशिश की थी और समाज में शांति करने की जो कोशिश थी, यह जो कुछ घाटकोपर की घटना हुई, इससे पूरे स्टेट में फिर एक प्रकार की गलत परिस्थिति पैदा हुई है।

दलितों के मन पर ठेस लगी है और जगह-जगह पर आज लोग इस बारे में सोच रहे हैं और यह महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहा, गुजरात में भी इसकी प्रतिक्रिया हुई, कर्नाटक में भी इसकी प्रतिक्रिया हुई, तमिलनाडु में इसकी प्रतिक्रिया हुई। यह कैसे हो गया, कौन सी शक्तियां इसमें शामिल हैं कि जिन शक्तियों ने नाम विस्तार या नामांतर करने के बारे में खुलकर विरोध किया था और जिनकी पार्टी के नेता महोदय औरंगाबाद में इसका विरोध करने के लिए जा रहे थे, तब की सरकार को उनको रास्ते में रोकना पड़ा या रोक लगाई, वापस जाने के लिए कहा, नहीं तो वहां भी परिस्थिति खराब हो जाती। वही शक्तियां पूरी स्टेट में दलितों पर हमला करने के लिए आगे थी और एक तरह की दमन नीति, दबाव नीति पूरी स्टेट में तैयार करने के लिए लगी थी। विधान सभा में, विधान परिषद में इसी दिन वह एडजर्नमेंट मोशन का सवाल उठाया गया, विपक्ष की सभी पार्टियों के लोगों ने आंखों देखा हाल सदन के सामने रखा और सरकार की बड़ी आलोचना की थी। दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे, तीसरे दिन विपक्ष के नेता के घर पर हमला हुआ। जब हमला हुआ तो उससे पहले रात को 11 या 12 बजे किसी व्यक्ति ने श्री छगन भुजबल को टेलीफोन करके बताया कि आप पर कल हमला होने वाला है और जो हमला करने वाले पक्ष हैं उसी पक्ष के हम लोग हैं, जो करने वाले हैं और जो करना चाहते हैं, वे हमें पसंद नहीं हैं। इसलिए हम आपको टेलीफोन करके सूचना दे रहे हैं। अब आप संभालिये। विपक्ष के नेता ने पुलिस कमिश्नर या कोई उनके अफसर को तुरंत कांटेक्ट किया कि ऐसी इंफार्मेशन मुझे मिली है। उन्होंने 30-35 पुलिस कांस्टेबिल वहां पर रात में भेजे। दूसरे सुबह आठ सवा आठ बजे विपक्ष के नेता को फिर टेलीफोन आ गया कि लोग हमारे घर से निकले हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, आप संभालिये और आपके ऊपर व्यक्तिगत हमला होने की परिस्थिति है। उन्होंने फिर पुलिस कमिश्नर को इंफार्म किया। इस सबका वहां पर रिकार्ड है। इंफार्म करने के बाद पुलिस कमिश्नर ने वहां एक एडीशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, एक डिप्टी कमिशनर ऑफ पुलिस, एक असिस्टेंट कमिशनर ऑफ पुलिस, तीन-चार पुलिस इंस्पेक्टर और सब -इंस्पेक्टर और सौ के आसपास पुलिस कांस्टेबिल भेज दिये। लोग विरोधी पक्ष के नेता के मकान पर आ गये। वहां का जो सेक्रेटरिएट है, उसके सामने के एरिया में मुझे लगता है कि 20 से 25 मिनिस्टरों के मकान हैं, वह एरिया प्रोटेक्टिड एरिया है। वहां मोर्चा या प्रोसेशन निकालने की कभी भी इजाजत नहीं हैं क्योंकि सामने सेक्रेटरिएट है, सेक्रेटरिएट के सामने मिनिस्टरों के मकान हैं। लोग आ गये, मिनिस्टरों के घर से भी आये और घर से उन्होंने नौ साढ़े नौ के आसपास भुजबल जी के घर पर हमला किया। इतनी बड़ी मात्रा में हमला किया कि बेचारे भुजबल वहां एक रूम में थे, वहां तक के लोग जा नहीं सके। अगर वह मिल जाते तो शायद वह आज जिंदा नहीं रहते। उनके घर का पूरा फर्नीचर बाहर निकाल कर जला दिया, घर में जो कुछ सामान था, सबकी तोड़-फोड़ की। घर में एक-दो काम करने वाले लोग थे, उनकी पिटाई की। इतना सब कुछ हो रहा था, मगर एडीशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिशनर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर और सौ कांस्टेबल ने कुछ नहीं किया। दूसरे दिन 'सामना' जिसके सम्पादक बालासाहेब ठाकरे जी हैं, उनके अखबार में

छः कालम में हैडलाइन आ गई- "भुजबल के घर पर संतप्त शिवसेना का हल्लाबोल" और नीचे फोटो दिखाया। फोटो में क्या था कि कुछ लोग घर का सामान निकालकर आग लगा रहे हैं।

वहां सामान जल रहा था और उसी "सामना" में फ्रंट पेज पर कैप्शन था कि भुजबल मिला नहीं और इसलिए संतप्त शिव सैनिकों ने घर का सामान बाहर निकाल कर उसको आग लगा दी। मिलते, तो किसको आग लगा देते? यह लीडर आफ दि अपोजीशन पर हमला है। मैं वहां 12 घंटे के बाद गया। घर का सत्यानाश हुआ था। बाहर लिखे हुए बोर्ड पड़े हुए थे। वे लोग लिखे बोर्ड लेकर आए थे कि "दलित का सत्यानाश करने वाले भुजबल को धिक्कार है" यह जो घाटकोपर का कांड हुआ इसमें काम करने वाले भुजबल को धिक्कार है। मैं समझ नहीं सकता कि उन्हें कैसे पता लगा कि जो दलितों पर हमला होने वाला है उसमें भुजबल शामिल हैं? जो गलत काम अपने हाथ से हुआ है जिसके कारण लोगों के सामने जाने की परिस्थिति नहीं है तब यह सोचा गया कि इसको किसी के सिर पर थोपना चाहिए। इसलिए दूसरे या तीसरे दिन किसी गुप्ता या अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति को सामने लाया गया और उसकी ओर से एक एफीडेविट दिलाया गया जिसमें उन्होंने यह कहा कि भुजबल जी ने मुझे यह काम करने के लिए कहा था क्योंकि मैं पहले कांग्रेस में था, पुराना कांग्रेसी हूं और अब शिव सेना में हूं। मुझे यह ठीक नहीं लगा इसलिए मैंने नहीं किया। यह सब सरकार की तरफ से प्रचार शुरू हो गया । यह जूतों की माला पहनने का इंतजाम उन्होंने किया। इस सबके जिम्मेदार वे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जुडीशियल इन्क्वायरी करने की बात मान लेने के बाद इस सबके करने की जरूरत क्या थी। एफीडेविट जो दिया गया था, जिस तारीख का उसमें हवाला दिया गया था, जिस दिन बताया गया कि उस दिन डिमांस्ट्रेशन में भुजबल जी ने मुझे बुलाया और मैं उनसे मिला, उस डिमांस्ट्रेशन में भुजबल जी थे ही नहीं। यह सभी अखबारों में आया था। सवाल ही नहीं था। एफीडेविट में बताया गया है कि दूसरे दिन उनको मिस्टर अग्रवाल उनके घर पर मिले। जो तारीख बताई है, एक तारीख, उस दिन भुजबल जी, कृष्ण कमीशन के सामने जो मुझे बुलाया गया, उसमें मेरे साथ गए थे। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, सिर्फ आधा घंटे के लंच आवर को छोड़कर, वे मेरे साथ रहे थे। इस बात को पूरे प्रैस ने रिपोर्ट किया है कि शरद यादव जी के साथ पूरे दिन भुजबल जी हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट के जजों के सामने रहे। फिर भी इस तरह की साजिश करने की कोशिश की और दलितों के ऊपर इतना बड़ा हमला करने के बाद, इसमें इन्वाल्व लोगों की जांच करनी चाहिए। यह काम जिस व्यक्ति ने, जिस शक्ति ने, जिस संगठन ने किया होगा, उसको एक्सपोज करने की जिम्मेदारी सरकार की थी। इस जिम्मेदारी को छोड़कर दूसरी परिस्थिति लोगों के सामने लाई गई, जिन लोगों ने विपक्ष के नेता के घर पर हमला करके परिस्थिति को इस तरह से बदलने का काम किया और वह वहां की हुकूमत करती है और जो हुकूमत दलितों की रक्षा नहीं कर सकती है और ऐसा काम करती है, वह रहने लायक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का नेता, कोई एक व्यक्ति नहीं है। वह एक इंस्टीट्यूशन है। जो हुकूमत उस पर हमला कर सकती है, उसको हुकूमत करने का, उसको राज करने का अधिकार कितना है, यह हम लोगों को सोचना होगा और इसीलिए हमने संविधान की धारा 356 के प्रयोग की मांग की थी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अरे आप क्यों बोल रहे हैं। बैठिए। शरद जी को बोलने दीजिए।

श्री शरद पवार : देश के गृह मंत्री वहां गए। गृह मंत्री जी ने सब परिस्थिति देखी। वहां गए। रमाबाई अम्बड़ कालोनी में गए। राजेबाड़ी अस्पताल में गए। जिन लोगों को गोली लगी, जो लोग जख्मी हुए थे उनसे मिले। सभी राजनीतिक पार्टियों के जो डैलीगेशन आए थे उनसे भी मिले। श्रीयुत भुजबल जी के घर पर गए। जहां हमला हुआ था, वहां जाकर इंसपैक्शन किया। गवर्नर से मिले। चीफ मिनिस्टर साहब से मिले और जो बयान यहां आकर उन्होंने दिया उससे यह साबित हो गया कि बाल ठाकरे भी उनसे मिले थे। जो स्टेटमैंट उन्होंने वहां दिया, वह स्टेटमैंट भी बड़ा अजीब स्टेटमैंट था। उन्होंने कहा कि लॉ एंड आर्डर खराब हुआ है मगर कोलैप्स नहीं हुआ। दूसरा एक स्टेटमैंट उन्होंने यह दिया था कि विपक्ष के नेता के घर पर जाने के बाद मैंने जो देखा, वह बहुत बुरी बात हो गई। उनके ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, वे बाल-बाल बचे। विपक्ष के नेता पर जो हमला हुआ, उसमें यदि सरकार का कोई हाथ है तो यह बात बहुत गंभीर है, हमें इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा, एक तरह का हिंट उन्होंने दिया। जिस दिन उन्होंने वहां की परिस्थिति के बारे में यहां स्टेटमैंट पढ़ा, तब उन्होंने जो-जो नाम दिए, वे किन लोगों के नाम हैं। विलास अवसर,

[अनुवाद]

यह सज्जन कौन हैं।

[हिन्दी]

हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन, शायद उनको कैबिनेट रैंक दिया होगा, जिनको अरैस्ट किया गया है। शिव सेना के एम॰एल॰ए॰ को अरैस्ट किया गया, शायद उनके कार्पोरेटरी या भूतपूर्व कार्पोरेटरी हैं, उनको अरैस्ट किया गया, उनके शाखा प्रमुख अरैस्ट किए गए, जिनके नाम साक्षात होम मिनिस्टर साहब ने सदन के सामने रखे थे। और उनको क्या सबूत चाहिए। रूलिंग पार्टी के लोग, डायरैक्टली इनवॉल्व्ड, जिनको अरैस्ट किया, जिनका नाम होम मिनिस्टर की स्टेटमैंट में यहां आ गया, सरकार की साजिश यह नहीं थी, इस बारे में और बताने की क्या जरूरत है। इसमें सरकार का डायरैक्ट इनवॉल्वमैंट था, यह बात सबके सामने आई है।

एक बात से मैं दुखित हुआ जब गृह मंत्री जी ने यहां यह स्टेटमैंट दिया कि भुजबल के बारे में शिव सेना प्रमुख ने उनको कुछ कहा। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता। आपके पास होम मिनिस्ट्री है, आप इतना देखिए, आई॰बी॰ को बताइए या और किसी को देखिए, जिन

[श्री शरद पवार]

गैंगस्टर और माफिया की बात आपने कही, उनको अरैस्ट करने के बाद कौन सा सांसद पुलिस स्टेशन में चार दिन के लिए अनशन करने गया था, उसकी जरा जांच कीजिए और हो सकता हो तो उनका नाम भी लोगों के सामने लीजिए। मुझे विश्वास है कि सच लोगों के सामने आएगा।

और एक बात का मुझे ताज्जुब लगा, होम मिनिस्टर साहब ने यहां जब स्टेटमैंट दिया तो उन्होंने कहा कि मुझे बाल ठाकरे मिले और उन्होंने विश्वास दिया कि इसका रिपीटेशन नहीं होगा। मैं समझ सकता था यदि चीफ मिनिस्टर उनको विश्वास देते और यह बात वे सदन के सामने रखते, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने उनको कुछ बताया तो यह भी मैं समझ सकता था। बाल ठाकरे ने आपको विश्वास दिया और उस विश्वास के आधार पर कि वहां परिस्थिति ठीक रहेगी, इस नतीजे पर आ गए। आप बहुत कॉन्स्टीट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, बहुत पुराने पार्लियामैंटेरियन हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टीट्यूशनल अथॉरिटी के ऐश्योरैंस पर आप सदन के सामने आकर सदन को बताते हैं। यह बात बहुत गंभीर है, यह लाइटली लेने वाली बात नहीं है। हमें दुख लगा कि इस तरह का स्टेटमैंट आपने दिया। ये कौन से लोग हैं जिनके स्टेटमैंट पर आप भरोसा करना चाहते हैं। मैं आपको कितनी मिसाल दूं। अकोला का "देश उन्नति" नाम का न्यूज पेपर है जिसमें बड़ी न्यूज थी। मेरे पास ऐडीटर का लैटर है कि दो दिन पहले उनकी प्रैस पर रात को साढ़े ग्यारह बजे शिव सेना के लोगों ने हमला किया। सब मशीनरी तोड़ दी। कहां है प्रकाश सूरी, जो ऐडीटर है, हम उसे खत्म करना चाहते हैं, इस तरह की बातें उनसे की। दूसरे दिन उसमें से कुछ लोगों को अरैस्ट किया। न्यूज पेपर ने इनके खिलाफ कुछ लिखा तो उनके ऊपर हमला। मुम्बई शहर में "महानगर" नाम का पेपर है। उसमें इस पार्टी के खिलाफ लिखा तो उसके ऊपर हमला किया गया। केस कोर्ट में गया, बाल ठाकरे भी उस केस में है। बाकी लोगों के साथ बाल ठाकरे को जब कोर्ट में बुलाया गया, शायद उनको यह आदत नहीं है कि उनको कोई हुक्म दे कि आप कोर्ट में आइए, तो उस कोर्ट के सामने 500 शिव सैनिकों ने जाकर कोर्ट को गालियां दी, मैजिस्ट्रेट को गालियां दी। दूसरे दिन जब वे कोर्ट में गए, तब मैजिस्ट्रेट ने क्या कहा मालूम है।

मजिस्ट्रेट ने वहां यह कहा :

[अनुवाद]

> "यदि आप नहीं चाहते कि मैं कार्य करूं तो न्यायालयों को बंद कर दीजिए। यह आपकी सरकार के हाथ में है। मुझे मत बुलाइए.....

[हिन्दी]

गालियां दी हैं।

[अनुवाद]

मैं वह पढ़ना नहीं चाहता। इसमें यह कहा गया है :

> "मुझे.... पाटिल, और .....पाटिल मत कहो। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। आप मेरे विरुद्ध क्यों हैं? मैंने क्या गलत किया है? यदि आप नहीं चाहते कि मैं कार्य करूं तो अपने न्यायालयों को बंद कर दीजिए।"

सम्पूर्ण ब्यौरा दिया गया है।

[हिन्दी]

न्यायमूर्ति को भी इन लोगों को इस तरह से बताने की परिस्थिति वहां आई है। न्यायमूर्ति हताश होकर वहां बोलते हैं।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : कौन सी कोर्ट है, बताइये।

श्री शरद पवार : जज का नाम जस्टिस होलम्बे पाटील है।

एक माननीय सदस्य : कौन सा पेपर है?

श्री शरद पवार : यह पेपर 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रैस' में 19 जुलाई, 1997 में छपा है। तो ऐसी बात है कि जज की यह परिस्थिति आ गई कि जज को उनको बताना होगा कि आप मुझे काम नहीं करने देते तो आप कोर्ट बन्द करो। ज्यूडीशियरी पर भी हमला करने की जिन लोगों की तैयारी है तो और क्या चाहिए आपको? लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हुआ है या नहीं है, क्या परिस्थिति वहां हो गई? लीलावती नाम का हास्पिटल है, जिस दिन होम मिनिस्टर साहब वहां मुंबई शहर में आ गये, उसी दिन इस हास्पिटल के स्टाफ के ऊपर हमला हुआ। वहां के जो डायरैक्टर हैं, उनके ऊपर उसी दिन हमला हुआ। हाफकिंस इंस्टीट्यट नाम की एक दवा पर रिसर्च करने वाली एक इंटरनेशनल स्टेचर की इंस्टीट्यूट है, महाराष्ट्र सरकार की इंस्टीट्यूट है। इनके डायरैक्टर के वहां शिवसैनिक गये। उनके डायरैक्टर की पिटाई की, उनका मुंह काला किया गया और उनको बालासाहेब ठाकरे के घर पर लेकर गये कि यह आदमी हमारा काम सुनता नहीं, उसको इस तरह से किया गया।

कितनी मिसाल दूं। यह गवर्नमेंट आफिशियल्स के बारे में परिस्थिति वहां हो गई है और यह परिस्थिति देखने के बाद महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार में काम करने वाले कुछ दलित अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डैस्क आफिसर इन प्लानिंग डिपार्टमेंट, इन लोगों ने बयान देकर कि जिस तरह से दलितों पर हमला यह सरकार करती है। इस सरकार में काम करना हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल है और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। मुंबई शहर में एक दलित कवि ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या करने के बाद उन्होंने लिखा कि जिस तरह से इस स्टेट में दलितों के ऊपर हमला होता है, वहां कोई हम लोगों की सुरक्षा कर नहीं सकता, इस तरीके से बात हुई।

तीसरा व्यक्ति चन्द्रकान्त तामले है। यह चन्द्रकान्त तामले कौन है। उन्होंने देश के राष्ट्रपति को लिखा है:

[अनुवाद]

वह मुम्बई के अतिरिक्त 'कोरोनर' हैं। विषय है, "शिव सेना तथा भा॰जा॰पा॰ के पार्षदों द्वारा समाज के उच्च वर्ग से संबंधित कुछ डॉक्टरों पर हमला।"

यह दिनांक 1 जुलाई 1997 की बात है।

[हिन्दी]

वहां के कोरोनर के जो मजिस्ट्रेट हैं, उनका लिखित स्वरूप में पत्र भारत के राष्ट्रपति को उन्होंने भेजा, जिसकी कापी हमें कई लोगों को भेजी। आज कोई भी दलित अधिकारी हो, जो वहां की हुकूमत की गलत बात नहीं मानता, उसके खिलाफ इस तरह की परिस्थिति होती है। जिन लोगों को छगन भुजबल साहब के मकान पर उनको अरैस्ट करने के बाद...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैंने इसे स्वीकार नहीं किया है।

[हिन्दी]

श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई दक्षिण) : सभापति महोदय, पोंइट ऑफ इन्फोर्मेशन। कोरोनर के बारे में जो बात बताई है, उस बात के बारे में मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि उन पर करप्शन के आरोप हैं और उन्होंने हर समय कोरोनर के लोगों ने शव विच्छेदन के समय लोगों से पैसे मांगे हैं और वे पकड़े गये। यह बात मुंबई के सरकारी अधिकारियों को पता है। यह उन लोगों को पता है कि यह करप्ट आदमी है।

श्री शरद पवार : जो इनके विरुद्ध बोलता है, जो इनकी बात सुनते नहीं उनके ऊपर व्यक्तिगत व शारीरिक हमला करना, यह काम वहां उन लोगों ने शुरू किया है और यह हर दिन का काम है और उससे पूरे स्टेट में एक तरह का टैरर पैदा करने के लिए यह सरकार ख्यात हो गई है। स्टेट आर्गेनाइज्ड टैरेरिज्म महाराष्ट्र की जनता वहां देखती है। यह परिस्थिति लोगों के सामने आई है। कई ऐसी बातें हैं। जो लोग पकड़े गए, विरोधी पक्ष के नेता के घर पर हमला करने के बाद, वे पुलिस स्टेशन गए। वहां के प्रमुख अखबारों में न्यूज रिपोर्ट आई। 'लोकसत्ता' जो कि इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का काफी बड़ा सर्कुलेशन वाला अखबार है, उसके फ्रंट पेज में आया कि उनके रिपोर्टर गए जहां शिव सेना के लोगों को छगन भुजबल के घर पर हमला करने के बाद गिरफ्तार किया गया था, उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां उनके लिए बिरयानी तैयार की गई, यानि खाने का अच्छा प्रबंध था। खाने के बाद दूसरे दिन उन्हें छोड़ दिया गया। बाल ठाकरे जी के खुद लिखने के बाद, वह विरोधी दल के नेता मिले नहीं इसलिए उनके घर का फर्नीचर जला रहे हैं, यानि उनके ऊपर इतना बड़ा हमला करने की साजिश हुई, हत्या होने की संभावना थी। दफा 307 लगाने की जरूरत थी, फिर भी वहां की सरकार ने यह काम नहीं किया। उनको प्रोटेक्शन देने का काम किया। जब बहुत बात हुई उसके बाद बाल ठाकरे ने आदेश दिया कि मेरे जो-जो लोग इन्वाल्व्ह हैं, वे पुलिस स्टेशन में जाकर दाखिल हो जाएं और दफा 307 के तहत के अपने ऊपर लेने को तैयार रहें। वह ग्रुप फिर पुलिस कमिश्नर के पास गया और कहा कि बाल ठाकरे जी का आदेश है, दफा 307 लगाइए। पुलिस कमिश्नर ने उनको चाय पिलाकर वापस भेज दिया। और क्या आपको चाहिए। उन्होंने खुद स्टेटमैंट दिया कि जो लोग इन्वाल्व्ह हैं उनको पुलिस कमिश्नर से मिलना चाहिए। लोग मिले, उनको डर नहीं, उनको मालूम है कि हमने कुछ भी किया हो, पुलिस कमिश्नर के पास भी भेजेंगे, तो भी हमें कोई हाथ लगाने वाला नहीं, कोई सेक्शन लगाने वाला नहीं, जो कि लगाना जरूरी है। यह कौन सा राज वहां चालू है, यह मैं नहीं कहना चाहता। आज ऐसी परिस्थिति वहां की बनी हुई है।

दलितों के बारे में इस सरकार की मनःस्थिति अलग है। पूरे सदन को सुनकर ताज्जुब होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। अटल जी, सुनिए। महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकारी आदेश निकाला, आप देखिए, 6 जून 1996 को किसका जमाना था। वहां की वेलफेयर मिनिस्टरी के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग की ओर से आर्डर निकला, समाज के दलित तबके के, आदिवासी जो लोग हैं, उनको युनिफार्म देने की योजना है, बाकी को भी देने की योजना है, बहुत पुरानी योजना है। सरकार ने आर्डर निकाला कि दलितों के कपड़े नीले रंगे के रहेंगे और गैरदलितों के, गैर आदिवासियों के खाकी पैंट और सफेद शर्ट रहेगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

यही आदेश है। मैं आपको इसकी प्रति दे सकता हूं...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी ...*(व्यवधान)*

श्री पी॰आर॰ दासमुंशी : खुले आक्रमण का इससे अधिक और क्या सबूत हो सकता है?. .*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद पवार : जब महाराष्ट्र विधान सभा में विपक्षी सदस्यों की तरफ से हंगामा हुआ और इस सवाल को उठाया गया, तब महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने स्टेटमैंट दिया कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ, हम वह आर्डर कैंसिल करते हैं। फिर भी कई जगह पर नीली ड्रैस दलित लड़कों को डिस्ट्रीब्यूट होती रही। जब फिर उनके ध्यान में यह बात लाई गई तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ मैं सख्त कार्रवाई करूंगा और 6 जून 1996 को यह आर्डर निकाला कि जहां यह यूनिफार्म दी है, वह देनी बंद की जाए और दी हो तो वापस की जाए। झगड़ा करने के बाद यह काम किया गया। इससे इनकी मानसिकता का पता चलता है कि कैसे ये लोग काम करते हैं।

[श्री शरद पवार]

जो लोग समाज के पिछड़े वर्ग के बारे में इस तरह से देखते हैं, अपनी हुकूमत से उनके सुधार के लिए न सोचकर उनके ऊपर दमन की नीति अपनाते हैं, जो नौजवान जागरूक हो, उसको चुप कराने के लिए उस पर हमला करके, हाई कोर्ट की कार्यवाही करके दबाने की कोशिश करते हैं। वहां आतंकवाद पूरे राज्य में तैयार करने का काम हो रहा है। इससे कोई बचा नहीं है। महात्मा गांधी के लिए ये लोग गलियां देंगे। आपके नेता का भी स्टेटमैंट मेरे पास है। जब वह आपके साथ थे। अच्छा हुआ कि वह चार साल पुराना स्टेटमैंट मुझे मिला। यह स्टेटमैंट आया है कि गोडसे का पुतला बनाया गया, जो भुजबल के नाम से स्टेटमैंट आया।

अपराह्न 5.00 बजे

मैंने ऐसा स्टेटमैंट कभी नहीं किया। मैंने सरदार वल्लभभाई पटेल जी की प्रशंसा की, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। यह स्टैटमेंट टाइम्स ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र टाइम्स में 24 मई, 1991 में आया, इस बारे में और कुछ नहीं बताना चाहता हूं। इसलिए कई बातें ऐसी हैं जो हर दिन वहां चालू है। इस बारे में किसी के मने में पीढ़ा नहीं है। हुकूमत में जो बैठे हैं, जिनके भरोसे पर यहां गृह मंत्री जी ने बयान दिया। उन्होंने अपने एडीटोरियल में लिखा है कि जिस तरह से दलितों के साथ झगड़ा करना हो तो उनके साथ झगड़ा करने की हमारी ताकत है, मगर हम अभी करना नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने धर्मांतर किया। फिर खून पुराना है, हमारा है इसलिए हम उनसे अभी कुछ करना नहीं चाहते। इस तरह की बातें जो लिखते हैं तो मैं कहूंगा कि क्या इस तरह से राज चलेगा? मैं कहूंगा कि उसी जगह पर लोगों को बैठना चाहिए, मैं उठ जाऊं तो उठना चाहिए, इस तरह की परिस्थिति पैदा करके, एक तरह की दहशत पूरे स्टेट में पैदा करके समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर वहां जिस तरह से हमले होते हैं, यह सब परिस्थिति देखने के बाद आज यह परिस्थिति जरूर आ गई है कि दलितों की रक्षा करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है और यह जिम्मेदारी पूरी करने के लिए भारत सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। आपकी और किसी भी बात में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है मगर समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों पर बार-बार हमले होते हैं उनके पीछे वहां की हुमूमत है, यह जब परिस्थिति लोगों के सामने आती है, भारत सरकार के सामने आती है तो मुझे लगता है कि 356 के अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। इसलिए यह परिस्थिति देखने के बाद खाली यह बोल कर गृह मंत्री जी चुप बैठें तो यह ठीक नहीं होगा।

[अनुवाद]

यह कहा गया है कि कानून और व्यवस्था बहुत खराब है मगर विफल नहीं हुई है। मैं तो कहूंगा कि हर प्रकार से कानून और व्यवस्था विफल हो चुकी है। जो लोग दलितों के हित के लिए लड़ रहे हैं उन पर भी हमले हो रहे हैं। राज्य में यही तो स्थिति है।

इसीलिए मेरे विचार में राष्ट्र तथा प्रजातंत्र के सर्वाधिक हित में यही सबसे उचित समय है जब आपको कोई कदम उठाना चाहिए।

अपराह्न 5.03 बजे

[कर्नल राव राम सिंह *पीठासीन हुए*]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि यह सभा महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई, नागपुर और अन्य स्थानों तथा देश के अन्य भागों में दलितों पर किए गए अत्याचारों पर गहरी चिंता व्यक्त करती है।"

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, साधारणतः किसी चर्चा में सम्मिलित होने के लिए खड़े होने पर जब साथी मित्र ताली बजाते हैं तो प्रोत्साहन मिलता है और आनन्द भी होता है। लेकिन आज की तालियों से यह भाव मेरे मन में नहीं आया। मुझे तो लगा कि वह शायद तालियां न बजाते तो मुझे अधिक अच्छा लगता, क्योंकि मैं कोई विवाद जीतने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। अगर शरद जी अपने प्रस्ताव में धारा 356 का मौखिक, जिसे सभापति जी ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, ऐसे परिवर्तन का इरादा व्यक्त न करते तो शायद मैं उनकी चिंता से, उनके प्रस्ताव से अपनी सहमति प्रदर्शित करता। शरद जी ने डाक्टर अम्बेडकर के संबंध में जिस प्रकार के गौरव के उदगार निकाले हैं मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी व्यक्ति उनके उदगार से असहमत हो सकता है।...*(व्यवधान)* मैं किसी का वकील नहीं हूं और अरूण शोरी आपने कहा, आपने टोका है।...*(व्यवधान)* शरद पवार जी की अम्बेडकर संबंधी व्यक्तिगत निष्ठा पर मुझे संदेह नहीं है लेकिन डाक्टर अम्बेडकर को कांग्रेस ने नेता मानने से बहुत वर्षों तक इंकार किया था, अम्बेडकर को एक भी चुनाव जीतने न दें।

इस प्रकार की भरसक कोशिश हुई। अब शोरी की किताब पर हम जाएंगे, मिस्ट्री की बात करेंगे।...*(व्यवधान)* मेरी भी हिंदी उसी प्रकार की है जैसी शरद जी की है। आपने उनको तो टोका नहीं, मुझे टोक रहे हैं। यहां तक हुआ कि देश के प्रधान मंत्री चुनाव क्षेत्र में गये कि अम्बेडकर जीतकर न आएं। बाबा भीमराव अम्बेडकर को "भारत रत्न" देने की कल्पना तब हुई जब विपक्ष की सरकार आई। इतना ही नहीं केन्द्रीय कक्ष में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा तब लगी जब विपक्ष की सरकार थी। जिस मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को डा॰ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम देने पर आज तक शरद जी जिस स्वाभिमान से कह रहे हैं और स्वाभिमान उनका ठीक है, क्योंकि जिस सरकार ने वह नाम दिया, शरद जी उसके मुख्यमंत्री थे। वह बार-बार तत्कालीन सरकार इसलिए कहना चाहते हैं कि वह उस इतिहास को भूलना चाहते हैं क्योंकि आज वह उनके लिए उतना लाभदायी नहीं है।

मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को अम्बेडकर का नाम देने का प्रयास भी महाराष्ट्र में तब हुआ था जब पहली बार वहां गैर-कांग्रेसी सरकार आई। वह किसी कांग्रेसी सरकार ने नहीं किया था। इसलिए मैं शरद जी के इस भाषण से सहमत नहीं हूं। जब हमने अम्बेडकर का नाम मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को दिया, तब उसकी प्रतिक्रिया हुई। यह दुर्भाग्य था कि मराठवाड़ा की जनता को लगा कि अम्बेडकर का नाम मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से जुड़ने से मराठवाड़ा विश्वविद्यालय अस्पृश्य हो गया। यह एक प्रकार से अस्पृश्य मानसिकता का प्रदर्शन था। तब भी दंगे हुए थे और आप सरकार में थे। हम आपके नेतृत्व में काम कर रहे थे। जिस शिव सेना के ऊपर आप इतना बरस रहे थे वह 1978 में मुम्बई के बाहर कदम नहीं रखती थी। फिर मराठवाड़ा में दलितों के गांव के गांव बेचिराग करने का काम किसने किया? अगर आप सच्ची बात मुंह से बोलते तो इस चर्चा का स्तर बढ़ जाता। लेकिन आपने इस पर राजनीतिक चर्चा की। मैं आपको दोष नहीं देता हूं। 1995 में कांग्रेस की जो करारी हार हुई, आप उसका कारण मानो कांग्रेस ने दलित उद्धार का जो कार्यक्रम लिया था उसके परिणामस्वरूप लोगों ने नाराज होकर कांग्रेस को हरा दिया, मानते हैं। पर यह सच नहीं है। उसका कारण तो हम लोगों ने अपराधीकरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, वह था। इसमें दलितों का कोई मुद्दा नहीं था। लेकिन आपने उस हार को भी दलितों के हित का जामा पहनाने का प्रयास किया था।

11 जुलाई को डा॰ बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को जब जूते का हार पहनाया गया, तो वह समाज की विकृत मानसिकता का प्रदर्शन था। वह चाहे किसी ने भी किया हो - दलितों ने किया हो, गैर-दलितों ने किया हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया हो, और किसी दल के कार्यकर्ताओं ने किया हो, वह किसी विकृत व्यक्ति ने किया। उस व्यक्ति को जितनी कड़ी सजा हम दे सकते हैं वह हमें देनी चाहिए। हमारे मन में उसके लिए कोई जगह नहीं है। इसकी जितनी हम भर्त्सना करें वह कम हैं इसमें दलितों की तरफ से प्रतिक्रिया हुई और हम उसे स्वाभाविक मानते हैं। उसमें पुलिस को गोली चलानी पड़ी। शरद जी का भाषण मैंने बड़ी शांति से सुना है, आप उन्हें उलझाइये मत।...*(व्यवधान)* उसमें 10 लोगों की मृत्यु हुई। यह दुःखद घटना है। हम यह मानते हैं कि कोई भी दल की सरकार अपने नागरिकों पर गोली चलाने के लिए नहीं बनती है। वहां पर गोली चलने से जो 10 लोगों की मृत्यु हुई, वे सब के सब दलित थे। अगर सदन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करे तो भारतीय जनता पार्टी उसमें पीछे नहीं रहेगी। हम भी उस श्रद्धांजलि में शामिल होंगे। इस तरह की घटना कोई अच्छी बात नहीं है। इसी सिलसिले में विपक्ष के नेता छगन भुजबल और मधुकर पिचड़के के घर पर हमला हुआ। हम यह मानते हैं कि जनतंत्र में जितना सत्ता पक्ष का महत्व है, उतना ही विपक्ष का महत्व है। विपक्ष सत्ता पक्ष से चाहे कि वह ऐसी भाषा बोले, इसकी जबर्दस्ती वह नहीं कर सकता। अगर यह एक नियम है तो नियम दिल्ली में अलग, मुम्बई में अलग, बंगलौर में अलग, असम में अलग, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए जनतंत्र में जो विपक्ष का महत्व है, उसे देखते हुए छगन भुजबल और मधुकर पिचड़के के घर में जो हमले हुए, उसकी भी हमने तीव्र निन्दा की है। हम यह मानते हैं कि यह जिसने किया है, वह निन्दनीय कृत्य है। वे जिस दल के भी हों, उस दल को भी यह मानना पड़ेगा कि विपक्ष के किसी नेता पर हमला करना जनतंत्र में ठीक नहीं होता। हो सकता है सत्ता पक्ष कभी-कभी अहंकार की बात करे। ऐसे में विपक्ष भी गैर-जिम्मेदार बात नहीं कर सकता। अहंकार ही गैर-जिम्मेदार है, इसका फैसला सदन में होना चाहिए। इसका फैसला किसी के घर में जाकर उसके घर को उजाड़ कर करना उचित नहीं है। हम उसकी भी निन्दा करते हैं।...*(व्यवधान)* सभापति जी, अम्बेडकर जी की मूर्ति के अपमान के मैं मुख्य रूप से दो कारण देखता हूं। इसमें आप किसी एक या दो दल को जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं तो ठहराइए लेकिन हम सब लोग गिरेबान में झांक कर देखें तो हमारे मन में जो सामाजिक अस्पृश्यता की भावना अभी भी मुख्य रूप से और छिपे रूप में बसती है, उसका यह प्रकटीकरण होता है। दलित अम्बेडकर जी के अपमान को सहन नहीं कर सकता। वह सहेगा भी नहीं। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय को नाम देने की बात चली तो कभी प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि दलित अम्बेडकर के नाम का आग्रह इसलिए करते हैं कि दलितों का इतिहास ही अम्बेडकर से शुरू होता है। इसलिए जब वह उनको इतिहास का प्रथम पुरुष मानते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके मन में अगर ऐसी प्रतिक्रिया आई तो इसमें उनका दोष नहीं है। राजनीतिक तत्व इस चीज को पहचानते हैं। वे दलित समाज के दुखते मन को जानते हैं। वह जानते हैं कि अगर दलितों की भावनाओं को ठेस पहुंचानी है तो सबसे आसान तरीका है, अम्बेडकर की प्रतिमा का अपमान करो। चूंकि दलितों के लिए अम्बेडकर भगवान हैं, वह भगवान का अपमान सह नहीं सकते, इसलिए वह ऐसे रास्ते पर आ जाते हैं। दलितों को अम्बेडकर के प्रति जो मानसिकता है, यह बार-बार ऐसी घटनाओं को जन्म दे रही है। पंजाब में उग्रवाद जब शुरू हुआ, उसके बारे में आप सब जानते हैं। मंदिर में या गुरूद्वारे में मांस या सिगरेट का टुकड़ा मिलने पर साधारण आदमी बहक सकता है। वह किस का काम होता है, यह अब हमारे ध्यान में आ रहा है। इसमें एक दूसरे का दोषारोपण करके हम इस परिस्थिति से बाहर नहीं आ सकते। शरद जी ने कहा कि 356 का प्रयोग करो। हमें इसके लिए 56 बार धमकाओं नहीं। जो करना है, करो। जब भी चुनाव होगा, हम फिर इससे ज्यादा बहुमत से चुनकर आएंगे। इसमें डराने की कोई बात नहीं है। हम उसकी चिंता नहीं करते। उसके बाद तीन बार चुनाव हुए हैं।...*(व्यवधान)* अम्बेडकर जी की मूर्ति का अपमान एक घिनौनी घटना है। मैंने इसकी जांच करने का प्रयास किया। कि गत पांच वर्षों में इस प्रकार की कितनी घटनायें होती हैं और अनुभव में आया कि डा॰ अम्बेडकर की मूर्ति या चित्र को अपमानित करने की घटनायें साल में 55-60 बार होती हैं, वह किसी मुख्यमंत्री पर निर्भर नहीं होती है। भगवान बुद्ध को अपमानित करने की औसत घटनायें साल में 12-15, महाराष्ट्र में पंचशील ध्वज की 20-22, छत्रपति शिवाजी की 4-5, हिन्दू देवी-देवताओं की 75-80, मस्जिद दरगाह की 10-12 घटनायें साल में औसतन होती हैं। अब जो विकृत मानसिकता यहां से झलकती है, हम सब मिलकर इसका अध्ययन करेंगे या राजनीति में जीतने की

[श्री प्रमोद महाजन]

कोशिश करेंगे लेकिन जब पांच साल बाद मौका मिले तो जरूर कोशिश करिये। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मुद्दे रखिये कि यह क्यों हो रहा है? यदि यह बार-बार हो रहा है तो इसके पीछे क्या षड्यंत्र है? जैसे रमाबाई अम्बेडकर नगर में यह घटना हुई लेकिन यह क्यों हुई?

सभापति महोदय, मुझे कभी-कभी आश्चर्य लगता है कि महाराष्ट्र में 11 जुलाई को जब यह घटना हुई तो उस समय से पहले दलित या गैर-दलित कोई तनाव नहीं था। अचानक यह घटना कैसे हो गई। अभी शरद जी ने गणवेश का उल्लेख किया, वे जो कह रहे हैं ठीक है कागजों के आधार पर कह रहे हैं, गलत नहीं है। मुझसे सुषमा जी ने पूछा कि यह सब क्यों हो रहा है हमने कहा कि यदि इसमें राजनीति का रंग आये तो मत करिये। मैंने उनको कहा था और आज मैं सदन में कहूं कि गणवेश मुफ्त में केवल दलितों को दिया जाता है...*(व्यवधान)* हमारी सरकार कर रही है और जब आपकी सरकार मुफ्त देती थी। जब यह शिकायत आई कि कपड़ा मैला होता है तो किसी अधिकारी को लगा कि डार्क कलर दे दो। जब भी उसने निकाला तो यह माना जायेगा कि गैर दलित सफेद में बैठा है और दलित नीले में बैठा है तो जानबूझकर आपकी सरकार कर रही है, मत करें, इसलिये इस निर्णय को तुरंत वापस ले लो। एक या डेढ़ साल पहले के निर्णय को अगर इस डिबेट में, जो देश में चर्चा छिड़ रही है, मैं समझता हूं, ठीक है?

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : यह आपकी मानसिकता है।

श्री प्रमोद महाजन : मैं आपकी व्यक्तिगत मानसिकता जानता हूं, मैं आप लोगों का चिट्ठा खोल दूं तो बहुत कठिन होगा।

[अनुवाद]

श्री राजेश पायलट (दौसा) : यदि स्कूल की यूनिफॉर्म एक जैसी है, सफेद कमीज तथा खाकी पैंट तो आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को नीली कमीज और खाकी पैंट दे रहे हैं, यह गलत है। परंतु यदि कोई यूनिफॉर्म ही नहीं है तथा आप कोई रंग विशेष कमजोर वर्ग को दे रहे हैं तो यह एक अलग बात है। अतः आप इसको स्पष्ट कीजिए।

श्री प्रमोद महाजन : श्री राजेश पायलट, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं। इसीलिए, हमने आदेश वापस ले लिया है। परंतु हमारा अभिप्राय वह नहीं था जिसकी ओर यह इशारा कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* मैं अभिप्राय के बारे में बात कर रहा हूं। मैं आपसे निश्चित रूप से सहमत हूं।

श्री पृथ्वीराज दा॰ चव्हाण : यह निर्णय उच्च स्तर पर लिया गया था। यह निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री प्रमोद महाजन, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभापति को सम्बोधित करें। कृपया आप आपस में एक दूसरे से तर्क-वितर्क न करें; सभापति को सम्बोधित करें तथा किसी और के साथ किसी वाद-विवाद में न पड़ें।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अगर समाज में इस तरह दलित और गैर-दलित में कोई तनाव नहीं था तो यह घटना अचानक कैसे हुई? हमने देखा है कि जब से महाराष्ट्र में हमारी सरकार आई है तब से जब भी विधान सभा का अधिवेशन होता है, उसके पहले कहीं न कहीं इस प्रकार की कोई घटना हो जाती है। अब इसे संयोग कहिये या कोई षडयंत्र कहिये। इसका फैसला कोई जांच ही कर सकती है। हमने एक बार इस बात की जांच करने का प्रयास किया तो पाया कि श्रीरामपुर में एक घटना हुई। इसमें जिस व्यक्ति को पकड़ा गया, जिस पर मुकदमा चल रहा है, वह 2-3 महीने जेल में था, उसका नाम फीरोज गफ्फूर चामड़िया है। अब यह मत पूछिये कि वह किस दल का है? क्योंकि वह दल यहां उपस्थित नहीं है, इसलिये उस दल का उल्लेख नहीं करना चाहता। हमने परभनी में जांच की। उसमें तीन आदमी - मौ॰ सकीर बुरहाऊद्दीन, मौ॰ खलील, मौ॰ इस्माईल, शेख शबीर नूर मोहम्मद का पता चला। और यह जो मोहम्मद खलील मोहम्मद इस्माइल है, इसकी जांच में पाया गया कि यह पाकिस्तान में जाकर प्रशिक्षित होकर आया है। इसलिए इस प्रकार की घिनौनी घटना को राजनीति में किसी एक दल के साथ जोड़कर अपनी राजनैतिक रोटियां सेंकना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इससे समाज की समस्याएं खत्म नहीं होंगी और इसलिए हमें लगता है कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। शिवसेना-भाजपा सरकार आने के बाद 30 महीने बीते हैं और आमतौर पर महाराष्ट्र में शांति है। एकाध छुट-पुट गोली चलाने की घटना को छोड़कर...*(व्यवधान)* दत्ता जी, अगर है तो महाराष्ट्र में शांति रखने के लिए हमको परमानेण्ट सरकार में रहने दीजिए। अगर उसके कारण शांति है तो दोनों काम हो जाएंगे। आपका भी होगा और हमारा भी होगा। हमें यहीं रखिये, दंगे नहीं होंगे। यह मैं बहुत बार सुन चुका हूं।

[अनुवाद]

वह कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का सबसे बेहतर तरीका है।

[हिन्दी]

इसलिए इस लेवल पर मत बोलिए। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह जो महाराष्ट्र में 30 महीने में शांति और सुव्यवस्था की स्थिति है, यह किसी न किसी के राजनैतिक स्वार्थ को कष्ट दे रही है? कहीं न कहीं किसी को धारा 356 का वातावरण बनाने के लिए घटनाओं की आवश्यकता है, ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा है? मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। आपने महाराष्ट्र विधान सभा का उल्लेख किया। यह घटना 11 जुलाई की प्रातः हुई और 10 जुलाई को महाराष्ट्र की विधान सभा में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में

कांग्रेस के नेता हैं आर•आर• पाटील। बहुत बढ़िया वक्ता हैं और चूंकि शरद जी यहां आ गए हैं, वहां वक्ता कम हो गए हैं, इसलिए सरकार पर हमला करने के लिए आर•आर• पाटील की ख्याति है। बहुत तीखा बोलते हैं, जोर से बोलते हैं और शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बिल्कुल नोक पर रखने का काम करने वाला सुन्दर भाषण ये करते हैं। इन्होंने चर्चा का प्रारंभ किया था कानून और व्यवस्था की स्थिति पर 10 तारीख का भाषण है। गृह मंत्री ने उत्तर दिया। चर्चा का उत्तर देने का जैसे प्रस्तावक को अधिकार होता है, ये चर्चा का उत्तर देने के लिए खड़े हैं। ज्यादा लंबा-चौड़ा नहीं, मैं केवल एक-एक वाक्य पढ़ता हूं। आर•आर• पाटील विधान सभा में जो कहते हैं मैं उसका हिन्दी अनुवाद पढ़ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : सभापति जी, आर•आर• पाटील यहां नहीं हैं।...*(व्यवधान)* मेरा पॉइंट ऑफ आर्डर है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : अपने भाषण को समाप्ति पर ले जाते समय वह कहते हैं कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री प्रमोद महाजन, इनकी आपत्ति के अनुसार, यदि आप किसी का उद्धरण दे रहे हैं तो आपको उसे प्रमाणित करना चाहिए।

श्री प्रमोद महाजन : महोदय, मैं इसको प्रमाणित करूंगा। यह सभा की कार्यवाही का एक हिस्सा है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (दक्षिण दिल्ली) : उसको ऑथेण्टिकेट करने की जरूरत नहीं है। यह विधान सभा की कार्यवाही है और कार्यवाही हाउस की प्रॉपर्टी होती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शरद पवार : महोदय, यदि यह कार्यवाही का ही एक हिस्सा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : अगर मैं गलत बोलूं तो आपके दूसरे वक्ता बोल सकते हैं। आर•आर• पाटील ने अपने भाषण को समाप्ति पर ले जाते समय कहा कि आज जो शांति दिखाई दे रही है यह श्मशान की शांति है। इस पर गृह मंत्री ने खड़े होकर पूछा कि भविष्य में क्या घटने वाला है, इसकी आपको कोई जानकारी है? तो वह उत्तर देते हैं कि यह तूफान पूर्व शांति है, श्मशान शांति है। अब यह किस प्रकार के तूफान का उल्लेख कर रहे हैं 10 जुलाई को, मुझे बताएं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा• चव्हाण : आप यथार्थ में कहना क्या चाहते हैं? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि यह श्री आर•आर• पाटिल ने ही किया है?...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : यदि आप मुझे अनुमति देंगे, मैं केवल तभी बोल सकता हूं।

सभापति महोदय : पृथ्वीराज जी, कृपया उन्हें बीच में न टोकें। उन्हें, अपनी बात कहने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : यह मैंने अभी तो इनके सामने नहीं लिखा है और इसलिए पृथ्वीराज जी कहते हैं कि प्रमोद क्या कहते हैं। इसलिए जो यहां लिखा है, मैं वह पढ़ रहा हूं। यह महज संयोग है। 10 जुलाई का भाषण या 11 जुलाई की घटना यह महज संयोग है या किसी के षड्यंत्र का अनाधान से उद्घाटन है, इसकी तो जांच ही करनी पड़ेगी। लिखा है, श्री आर•आर• पाटील पर मैंने आरोप कुछ नहीं किया। मैंने कहा यह महज संयोग है, यह रहस्योद्घाटन अनाधान से हुआ है, यह आप जांच करेंगे तभी पता चलेगा। सभापति महोदय, इसमें दूसरी बड़ी दुर्घटना पुलिस की गोलीबारी की हुई और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि किसी भी चुनी हुई सरकार को अपने नागरिकों पर गोली चलाने की नौबत आये, इससे गलत दूसरी घटना हो नहीं सकती है। अब यह पुलिस का गोली चलाना समर्थनीय था या नहीं था। मैंने शरद जी का भाषण सुना तो मुझे लगा कि कुरूक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था उसको देखने के लिए एक आंख संजय को मिली थी और उन्होंने इतना नैरेटिव बताया है।

[अनुवाद]

वह ऐसे बता रहे थे जैसे वह स्वयं वहां खड़े होकर देख रहे थे कि क्या हो रहा था।

[हिन्दी]

अब उन्होंने जो कुछ कहा मैं नहीं जानता वह सच भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि दूसरे दिन या उसी दिन पुलिस टैंकर ले आई, चलाकर ले आई। शरद जी, हम तो पुलिस को दो साल से संभाल रहे हैं, आप हमारे यहां चार बार मुख्य मंत्री रह चुके हैं और 25 साल पहले आप महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, तो महाराष्ट्र की पुलिस को क्या-क्या आदतें हैं इसकी जानकारी शरद जी जितनी और किसी को होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है और इसलिए वह 25 साल का अनुभव बता रहे हैं कि दूसरे दिन तेल का टैंकर भरकर ले आये। सभापति जी, पुलिस की टैंकर खड़ी होगी, आंदोलित लोगों को लगता है कि पुलिस की टैंकर थ्योरी बहाना है। इसमें सच कौन है और झूठा कौन है इसका फैसला शरद जी या मैं नहीं कर सकते। मैं तो यहां तक कहने के लिए तैयार

[श्री प्रमोद महाजन]

हूं कि शरद जी सच हो सकते हैं। लेकिन शरद जी, सच ही हैं, यह मानकर केन्द्र कोई कार्रवाई करें तो यह तो बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति हो जायेगी। इसलिए हममें से जो यहां बैठे हैं और जो वहां नहीं थे, इसमें किसी का यह निर्णय करना संभव नहीं है कि पुलिस का गोली चलाना समर्थनीय था या नहीं था। दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। अब ऐसी स्थिति में काई सरकार क्या कर सकती है। सवा सात बजे कोई होम मिनिस्टर वहां जाकर देखे, अब पता नहीं शरद जी ने कोई ऐसी परम्परा डाली हो तो मुझे तो पता नहीं है कि वह वहां जाकर खड़े हो जायेंगे। अब ऐसी स्थिति में सरकार क्या कर सकती है। साढ़े सात बजे घटना हुई, 10-11 बजे सदन में चर्चा हुई, कांग्रेस ने जोरदार मांग की कि आप इसकी न्यायिक जांच करवाइये।

[अनुवाद]

घटना के पांच घंटों के बाद ही सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया था।

[हिन्दी]

अब यह जो न्यायिक जांच हमने की, उसके बाद राम विलास जी आये। वह दलितों के नेता हैं, दलितों के लिए काम करते हैं, उनके हृदय में दर्द है। वह वहां आये, वे उस बस्ती में गये, उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की और उन्होंने पत्रकार परिषद में मुख्य मंत्री या उप मुख्य मंत्री को यह कहा कि यह न्यायिक जांच तो ठीक है, लेकिन आप किसी वर्तमान न्यायाधीश से इसको करवाइये। इसमें रिटायर व्यक्ति को मत लाइये...*(व्यवधान)* दूसरा उन्होंने यह कहा कि इसको कोई कालमर्यादा दीजिए। क्योंकि न्यायिक जांच बहुत लम्बी होती है। हमारी सरकार ने तुरंत पहले तो आपकी न्यायिक जांच की मांग मान ली, फिर कहा कि सिटिंग जज चाहिए, हमने कहा ले लो...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : इसमें कुछ भी विशेष बात नहीं है।

श्री प्रमोद महाजन : इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। मैं आपको केवल यह बता रहा हूं कि हमने वही किया जितना अधिक से अधिक अच्छा किसी भी अन्य सरकार ने किया होता। इससे अधिक कुछ भी नहीं।

[हिन्दी]

और उसके बाद राम विलास जी ने कहा कि कालमर्यादा दीजिए तो हमने कहा कि दो महीने के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए। रिटायर न देकर सिटिंग जज दे दिया, जूडीशल कंडीशन दे दिया, टाइम दे दिया, इतना ही नहीं जांच को कार्य कक्षा क्या हो। उसके बारे में भी हमने गृह मंत्री जी को बता दिया। मैं आज भी कहने को तैयार हूं और महाराष्ट्र सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अगर इस कार्य में कोई कमी प्रतीत होती है तो उसे सुधार कर, काम को आगे बढ़ाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई चिंता नहीं है, जिसके खिलाफ दोष सिद्ध होगा, वह सजा पाएगा। ऐसी स्थिति में अगर कोई घर के अंदर जाए, टैंकरों की बात कहे, इधर मारा, उधर मारा, अब इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला न्यायिक जांच के बाद हो सकता है। क्या इस आधार पर धारा 356 के प्रयोग की मांग करना उचित है और ऐसी मांग भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाए, शरद पवार जी करें।

जब गोआरी कांड का उल्लेख हुआ तो शरद पवार जी ने कहा ...*(व्यवधान)* मेघे जी, आप नागपुर के हैं, शरद पवार जी की तरह पुणे के नहीं हैं, आपको हिन्दी समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह आदिवासियों का मोर्चा था। यह सच है कि उसमें गोली नहीं चली, बिल्कुल ठीक है, स्टाम्पीड में लोग मारे गए लेकिन वह स्टाम्पीड क्यों हुआ - क्या लोग अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे थे, किसी तीर्थस्थल के लिए जा रहे थे, उज्जैन में दर्शनों के लिए जा रहे थे, जिसमें यात्रा की व्यवस्था ठीक नहीं थी, जिससे स्टाम्पीड हुआ और लोग मारे गए क्या ऐसा हुआ था? जब वह मोर्चा विधान सभा के बाहर आया...*(व्यवधान)* उसकी जांच हो रही है इसलिए मैं किसी निष्कर्ष पर न जाते हुए, आपको केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। उस मोर्चे पर पुलिस ने बेरहमी से लाठी चलाई ...*(व्यवधान)* उन बेचारों को स्टाम्पीड में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता किधर है, लेकिन उस समय किसी ने नहीं कहा कि धारा 356 लगनी चाहिए। उस स्टाम्पीड में 112 लोग मारे गए। क्या धारा 356 का प्रयोग इसी आधार पर तय होगा।

इस स्टाम्पीड के बाद, जुलाई, 1989 में, मुझे याद नहीं कि उस वक्त कौन मुख्यमंत्री थे, शरद जी चार बार रहे हैं इसलिए याद रखना जरा मुश्किल हो जाता है, सलमान खुर्शीद की पुस्तक के विरोध में अल्पसंख्यक बंधुओं का वहां प्रदर्शन हुआ। बनातवाला साहब, मैं आपसे फरमा रहा हूं...*(व्यवधान)* इस प्रदर्शन पर पुलिस ने गोली चलाई जबकि वे लोग अन-आर्म्ड थे, इन्नोसैंट थे। उनमें से 11 लोगों की उसी स्थान पर मृत्यु हो गई लेकिन एक भी पुलिस अधिकारी सस्पैंड नहीं हुआ। उसकी मजिस्टीरियल जांच कराई गई लेकिन उस वक्त आपको धारा 356 की याद नहीं आई...*(व्यवधान)* आप तो इन्कंसिस्टैंट हैं, आपको धारा 356 नहीं लगानी है।

श्री जी॰एम॰ बनातवाला (पोन्नानी) : आपको भी याद नहीं आई।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, इसके मूवर आप नहीं हैं, आप तो केवल सैकेंडर हैं। रमाबाई अम्बेडकर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की प्रतिक्रिया गुजरात में हुई। यदि दलितों के प्रति गुजरात सरकार को संवेदना हो, वह अच्छी बात है, जब से वहां के मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से चले गए हैं, तब से उनका दलित प्रेम बढ़ता जा रहा

है। हमने हमेशा देखा है कि जो आदमी बी॰जे॰पी॰ या शिवसेना से चला जाता है, उसका दलित प्रेम बढ़ता जाता है और वह एकदम दलितों का उद्धारक बन जाता है। उस घटना में जिन लोगों की मृत्यु हुई, उन्हें गुजरात सरकार ने मदद देने की घोषणा की, मैं मानता हूं कि इसमें कोई गलती नहीं, उसे मदद करनी चाहिए लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने भी मदद घोषित कर दी। कम से कम मेरी याददाश्त में, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक प्रांत में कोई ऐसी दुर्घटना हुई हो, वैसे गोली से मरने वालों को पैसा देने की पद्धति इससे पहले नहीं थी, इसकी शुरूआत बाबरी ढांचे के दंगों के बाद हुई, उससे पहले कोई नहीं देता था, अब वह परम्परा चल पड़ी है।

अब, उसमें मुख्य मंत्री ने लीड लिया और हुआ क्या, पुलिस की गोली से आठ लोगों की मृत्यु हुई। केशव गांव में पांच लोग मरे। गृह मंत्री महोदय से मैं प्रार्थना करूंगा...*(व्यवधान)*

श्रीमती भगवती देवी (गया) : दलित मरा है न। वह तो मक्खी-मच्छर के माफिक है। कोई बाबू साहब मरता, तो पैसा दिया जाता।

सभापति महोदय : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री प्रमोद महाजन : केशव में पांच लोगों की मृत्यु हुई और गृह मंत्री हर गोलीबारी के बाद तो जा नहीं सकते। गृह विभाग में राज्य मंत्री हो सकते हैं, दूसरे कोई सेंट्रल मिनिस्टर हो सकते हैं। वे भी केशव गांव जाकर आते, तो भी गलत नहीं होता। वे भी जाकर देखते। वे लोग भी गोली से ही मरे थे और इसी कांड के सिलसिले में मरे थे। सरकार को फुर्सत नहीं थी, तो कांग्रेस दल तो है। वे एक टीम भेजते। वेंकटस्वामी जी के नेतृत्व में। लेकिन आपने अपने भाषण में उसका उल्लेख नहीं किया। यदि किया होता, तो बहुत अच्छा होता।

अब किसी ने यह भी मांग नहीं की कि गुजरात में धारा 356 लगाओ। वहां तो लगाने की भी जरूरत नहीं थी। आप समर्थन वापस ले लेते, तो धारा 356 अपने आप आ जाती। संयुक्त मोर्चे की दया पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी।

[अनुवाद]

आप स्वयं ही तत्काल अनुच्छेद 356 लागू कर सकते हैं।

[हिन्दी]

हम कर सकते हैं। वहां नहीं की। क्या धारा 356 मरने वालों की संख्या कितनी है और जाति क्या है, इस पर तय होगी? इस पर हम धारा 356 का उपयोग करेंगे?

मैं बिहार में जाना नहीं चाहता हूं। डर रहा हूं। जो रणबीर सेना की ओर से हत्याकांड हुए, क्योंकि अभी जो शरद जी का प्रस्ताव है, वह केवल महाराष्ट्र के संबंध में नहीं है, वह सारे देश के संबंध में है। प्रस्ताव में यही लिखा है। शरद जी ने केवल महाराष्ट्र पर भाषण किया, यह उनकी चायस थी। बिहार में रणबीर सेना ने जो हत्याकांड किया, वह क्या दलित हत्याकांड नहीं था?...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव : रणबीर सेना में आपके लोग हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : मैंने प्रारंभ में ही कहा है कि विपक्ष के नेता पर हमला करना अत्यन्त अनुचित था। अब इस हमले में जो पुलिए अधिकारी वहां थे और जो इसके लिए जिम्मेदार थे, उनको सस्पैंड किया गया। सस्पैंड करते ही बोले कि इनकी जाति देखो। अब जाति देखें या पुलिस अधिकारी को देखें। जो वहां खड़ा होगा, उसी को देखेंगे या जाति पूछेंगे। उन्होंने कहा कि आपने तो हमारी जाति के लोगों सस्पैंड कर दिया। अब गोली से मारने वाले भी कहते हैं। मैंने कहा कि शरद जी यह आपने नहीं कहा, लेकिन आपके दल के बहुत सारे लोग हैं, वे भी कहते हैं और यहां मैं केवल आपको उत्तर नहीं दे रहा हूं, अब ऐसी कार्रवाई की। श्री भुजबल पर हमला जितना गलत था, तो क्या श्री रामदास अठवले पर हमला बहुत अच्छा था? उनकी तस्वीरें तो हमने देखी हैं। किसी ने उनको जांच में शामिल करने का निर्णय नहीं लिया।

राम विलास जी यहां नहीं हैं। वे केन्द्रीय रेल मंत्री हैं। सदन के नेता हैं। शरद यादव जनता दल के अध्यक्ष हैं। ये अभी बिहार में गए थे और बिहार में जो घटना हुई थी उसके ऊपर मैं क्यों प्रतिक्रिया दूं। इनके अभी नए-नए बने अध्यक्ष श्री रमई राम के बयान की चार लाइनें पढ़ता हूं। जनता दल के वरिष्ठ नेता, जो अभी अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री रमई राम ने यह आरोप लगाया कि मुख्य मंत्री, तत्कालीन, लालू प्रसाद यादव के इशारे पर सीतामढ़ी में जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव और केन्द्रीय रेल मंत्री पासवान की हत्या की साजिश की गई थी। इसमें राष्ट्रीय जनता दल था जो सफल हो नहीं सका।

पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की हत्या जिस तरह की थी, उसी तरह इनकी हत्या की कोशिश हुई। इसकी सी॰बी॰आई॰ जांच होनी चाहिए। सच, गलत मुझे पता नहीं है। मैं वहां नहीं था। इसलिए मैं यह तो नहीं कह सकता कि वह सच है। हो सकता है राम कृपाल जी सत्य हों।

प्रिय रंजन दास जी कहां गए...*(व्यवधान)* शायद चले गए। उनको मैंने कहा था कि जब मैं बोलूंगा तो आप सदन में रहिए ताकि मैं एक बार याद दिलाऊं कि आपको कितना पीटा था, गटर में उठाकर फेंका था। कितनी घटनाएं मैं बताऊं। ममता जी भी यहां नहीं हैं, वे कहीं और युद्ध में लगी हैं। लेकिन उन पर किस प्रकार के हमले होते हैं। किसी भी विपक्ष के नेता पर हमला गलत है। अगर भुजबल पर गलत है तो पिछल पर गलत है, अठवले पर भी गलत है, ममता पर भी गलत है, किसी पर भी करें तो गलत है। इसे एकदम धारा 356 में उठाकर ले जाना, यह मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए जो प्रस्ताव रखा है, वह पूर्णतया राजनीति से प्रेरित है। महाराष्ट्र में आज जो हमारी सरकार बनी है, वह सरकार बिना दलित समर्थन के बन नहीं सकती। आज अगर सबसे ज्यादा दलित विधायक हैं तो वे शिव सेना और भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, आपके पास नहीं हैं।...*(व्यवधान)* दलित विधायक हैं, दलित सांसद हैं, दलित मंत्री हैं।...*(व्यवधान)*

[श्री प्रमोद महाजन]

इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि राजनीति चलती रहेगी, थोड़ी बहुत राजनीति समझ में आती है। एक-आध बार धारा 356 की मांग कर दी, हमने नहीं बरसों तक की थी, अब विपक्ष में गए हैं तो आप ड्यटीफुली मांग कर रहे हैं, उसी लाइन पर जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दलित अत्याचार का विषय, यह केवल महाराष्ट्र का विषय नहीं है, गुजरात का विषय नहीं है, यह सारे देश का विषय है।...*(व्यवधान)* मुझसे गलती हो गई।

[अनुवाद]

मुझे अवश्य सीखना होगा।

[हिन्दी]

संसदीय ऐटीकेट्स हैं, वे मुझे राम कृपाल जी से सीखने चाहिए। मेरी गलती हो गई, मैं उसे जरूर सीखना चाहूंगा।

[अनुवाद]

मुझे इस बात का बहुत ही खेद है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डा॰ एम॰ जगन्नाथ (नागरकुरनूल) : यह एक संवैधानिक दायित्व है। आपने ऐसा क्या कर दिया?

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : इसलिए मुझे यह लगता है कि आज हिन्दुस्तान में इस प्रकार का वायुमंडल बना है, इसमें किसी एक दल को दोष देकर शायद आप विवाद जीत जाएं, थोड़ी बहुत राजनीति जीत जाएं लेकिन दलित और गैर दलित के बीच में हर बार राजनैतिक विचार आने के कारण ऐसी खाई का निर्माण हुआ है कि उस खाई को मिटाना आसान नहीं है।

मैं एक बार चुनाव का अध्ययन कर रहा था। उस चुनाव के अध्ययन से मैंने देखा, एक-आध अपवाद हो सकता है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए, उस पर टोका-टोकी मत कीजिए, लेकिन संसद का चुनाव हो या विधान सभा का हो, दलित जो आरक्षित सीट नहीं है, वह वहां से चुनकर आ नहीं सकता।...*(व्यवधान)* एक बार आप 545 का हिसाब कर लीजिए।...*(व्यवधान)* यह अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए राजनैतिक आरक्षण की भी आवश्यकता है। लेकिन हमारी कल्पना यह थी कि राजनैतिक आरक्षण से धीरे-धीरे दलित और गैर-दलित समाज में इस प्रकार की मित्रता और स्नेह बढेगा कि फिर दलित कहीं भी खड़ा हो जाए। आज प्रकाश अम्बेडकर लोक सभा में आते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा अपने दादा जैसी है कि मैं रिजर्व सीट से नहीं लड़ूंगा, मैं जनरल सीट से लड़ूंगा। और जनरल सीट में दलित को जीतने में दिक्कत होती है। क्या वहां सारे शिव सेना, बी॰जे॰पी॰ वाले बैठे हैं? सारा समाज है और इसमें जिस प्रकार की अस्पृश्यता आज हमारे मन में है, यह किसी एक राजनैतिक दल की देन नहीं है। एक राजनैतिक दल गलती कर सकता है, सभी राजनैतिक दल थोड़ी बहुत गलती कर चुके हैं और इसलिए मेरी प्रार्थना होगी कि इस चर्चा में दलित पर अत्याचार, यह केन्द्र बिन्दु होना चाहिए। अम्बेडकर की प्रतिमा के संबंध में हमारा जो मत बनता है, ऐसे समाज का प्रबोधन हम किस प्रकार करें, वह मत बनना चाहिए। झगड़ा करने से, एक-दूसरे को गाली देने से यहां का विवाद तो आप जीत जाएंगे। लेकिन जिस दलित के बारे में आप चिंता व्यक्त कर रहे हो, उसकी स्थिति में किसी भी प्रकार का सुधार राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक नहीं आयेगा, इसको समझिये। इसलिए अगर मैं गलत हूं तो मुझे समझाने की कोशिश करिये। मैं यह नहीं कहता कि सभी राजनैतिक दलों द्वारा अस्पृश्यता कोई संसद में पहले मे आई है, यह कोई संसद की देन थोड़े ही है। चुनाव ने उसको बढ़ाया है, राजनीति ने उसको अधिक गहरा और गंभीर किया है। आगर इसको हटाना है तो मैं तो एक ही प्रार्थना करूंगा कि संघर्ष का वातावरण छोड़कर अगर हम शांति और समन्वय के वातावरण में इस दलित और गैर-दलित के रिश्ते को देखें तो हो सकता है कि जो सपना आप देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, वह साकार हो।

अंत में केवल एक छोटा सा मुद्दा मैं रखकर कहूं। 25 साल पहले मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक सरसंघ चालक बालासाहेब देवरस जी का पुणे में बसन्त व्याख्यानमाला में सामाजिक समता और हिन्दू संगठन भाषण सुना था। उसका एक उदाहरण मुझे याद आ रहा है। उतना उदाहरण देकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। उन्होंने दलित और गैर-दलित के दानव को दूर करने के लिए क्या प्रयास किया जायें, उसमें उन्होंने विवाह की बात की थी, इण्टरकास्ट मैरिजेज की बात की थी। बहुत अच्छा भाषण था। उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया था, जिस पर अंत में मैं अपने भाषण को भी समाप्त कर रहा हूं। उन्होंने बताया था, रिश्ते कैसे होते हैं। उन्होंने एक छोटी कथा, लम्बी नहीं, सुनाई थी। एक मिनट में खत्म हो जायेगी। उन्होंने कहा था, एक बार सूर्य और वायु खड़े थे और सामने एक आदमी कोट डालकर चल रहा था। सूर्य और वायु में यह शर्त लगी कि इस व्यक्ति को बिना स्पर्श किये इसका कोट उड़ा देना है। वायु ने कहा मैं दो मिनट में करके बताता हूं। वायु बहने लगी, तूफान बढ़ा, इतना तूफान बढ़ा कि वह व्यक्ति कोट फेंकने की जगह पर अपने कोट को और समेटने लगा। जब वायु हार गई तो सूरज ने कहा कि अब मैं कोशिश करता हूं। उसने अपनी उष्णता इतनी बढ़ाई, इतनी बढ़ाई कि उस आदमी ने अपना कोट अपने आप उतार दिया।

अगर दलित, गैर-दलित को इकट्ठा लाना है तो हवा और तूफान के जैसे भाषण करना दुर्भाग्यपूर्ण होगा, इससे समाज अस्पृश्यता के कोट को पकड़े रहेगा। अगर सामाजिक समता की उष्णता मन के अंदर जागृत करो तो उस उष्णता से यह कोट हट जायेगा। अम्बेडकर का कहीं अपमान नहीं होगा, गोली चलने का तो कहीं सवाल ही नहीं होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, इस प्रस्ताव के लिए दो घंटे का समय दिया गया था तथा मेरे विचार से यह 4.00 बजे आरम्भ हुआ था। क्या यह सभा को मंजूर है कि हम इसके लिए समय बढ़ा दें?

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : जैसा कि आपने सही कहा, बिहार के मामले में समय बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। यहां भी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हम समय कल तक के लिए बढ़ा दें। आइए हम आज वाद-विवाद को 6.00 बजे तक समाप्त कर दें।

सभापति महोदय : जितना समय माननीय अध्यक्ष महोदय उचित समझेंगे उतना ही समय बढ़ा दिया जाएगा। आज हम वाद-विवाद 6.00 बजे तक समाप्त करेंगे। अब श्री पीताम्बर पासवान बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामकृपाल यादव : बिहार को जितना समय दिया, उतना देना है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

[हिन्दी]

श्री पीताम्बर पासवान (रोसेड़ा) : सभापति महोदय, आपने मेरे जैसे नये सदस्य को महाराष्ट्र जैसे दलित के मसले पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं।

आज इस सदन में इस महत्वपूर्ण घटना पर बहस हो रही है कि महाराष्ट्र में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को अपमानित किया गया।

यह इस देश के करोड़ों दलितों के मसीहा, दलितों के भगवान का अपमान किया गया है। इससे उनके दिलों पर गहरी ठेस पहुंची है। उनके सम्मान पर ठेस पहुंची है। आज सोचने की बात है कि यह सिर्फ महाराष्ट्र में ही घटना नहीं घटी। ।। जुलाई, 1997 की घटना कोई पहली घटना नहीं है। दलितों के साथ और दलितों के मसीहा के साथ, जो लोग दलितों के पथ-प्रवर्तक हुए थे, जिन लोगों ने सम्मान प्राप्त किया था, उनके साथ सदियों से यह अन्याय और जुल्म होता रहा है। आज हम आजादी की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर देश और दुनिया को क्या मिसाल दे रहे हैं, क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं कि जिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया, जिन्होंने संविधान में गरीबों, शोषितों, दलितों और पिछड़ों को जीने का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, भाग्य का निर्माण किया, वैसे महापुरूष का, वैसे दलितों के भगवान का अपमान करके, और वह भी कैसा अपमान किया गया, जिसे कहने में भी शर्म आती है, सोचने की बात है कि जूतों की माला पहनाकर देश और दुनिया को क्या संदेश हमने पहुंचाया है। यही कि दलितों पर क्या अत्याचार हो रहा है, दलित मसीहा के साथ क्या अत्याचार हो रहा है। सामंतवादी लोगों द्वारा, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में पलने वाले लोगों के द्वारा यह हम दुनिया को क्या उदाहरण दे रहे हैं, और उस पर बात कर रहे हैं कि हम आजादी की पचासवीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं।

बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करके, दलितों का संहार करके अगर आप देश में और दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं तो यह कितनी बड़ी विडम्बना है। मैं कहना चाहता हूं कि जब कभी दलितों पर अन्याय हुआ, जुल्म हुआ और उसके बचाव के लिए जो लोग आगे आए, दलितों के साथ-साथ उनको भी मौत के घाट उतारा गया। सोचने की बात है यह देश किसका है, यह समाज कैसा है, इस समाज में कौन लोग रहेंगे? सदियों से जो दलितों पर अन्याय और जुल्म होता रहा है। लेकिन जनतंत्र में, इस आजाद भारत में आज भी दलित स्वतंत्र नहीं हैं।

सभापति महोदय, एक समय था, मैंने पहले कहा हर काल में और हर युग में दलितों पर अन्याय और अत्याचार होता रहा है। हर युग में दलितों के जो सुधारक हुए, जो सम्मान प्राप्त किए लोग हुए, उनकी हत्या कर दी गई, उनको मिटा दिया गया। सभापति जी, आपको भी याद होगा, सदन को भी याद होगा त्रेता में शम्भूक की हत्या की गई थी, किन लोगों के द्वारा की गई थी? उनका क्या कसूर था? यही न कि मनुवादी व्यवस्था में अपनी जुबान में मंत्रोच्चारण किया था इसलिए उनकी हत्या हुई। द्वापर में एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, वह कौन था? जब वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरू जी के पास जाता है तो गुरू अछूत कह कर उसको अलग कर देता है कि तुमको मैं शिक्षा नहीं दे सकता हूं, इसलिए कि तुम अछूत हो, शुद्र हो। लेकिन अपनी मेहनत के बल पर, अपने संस्कार के बल पर जब वह शिक्षा ग्रहण करता है और इस लायक होता है कि दुनिया में उदाहरण पेश करे तो शायद इसी के तहत उसका दाहिना अंगूठा काट लिया जाता है। गुरू दक्षिणा में अंगूठा मांग लिया जाता है।

महोदय, यह होता रहा है, इस दुनिया में होता रहा है और आज भी हो रहा है। दलित में कभी अच्छे पद पर हमारे दलित भाई जाते है तो बहुत बड़ा सम्मान होता है लेकिन हट जाने के बाद कितना बड़ा अपमान सहना पड़ता है, यह तो दलित ही सोच सकता है।

महोदय, मैं आपको उत्तर प्रदेश की घटना याद दिलाना चाहता हूं। जब हमारे दलित वर्ग में सम्मानित भारत सरकार के सम्मानित पद पर बाबू जगजीवन राम जी विराजमान थे तो उनको उत्तर प्रदेश ले जाया जाता है। अन्नपूर्णा जी की प्रतिमा का अनावरण कराया जाता है और जब वह चले जाते हैं तो कट्टरपंथी लोगों को, ब्राह्मणवादी व्यवस्था वाले लोगों को एहसास होता है कि अरे, यह तो शुद्र, अछूत था, हमारी प्रतिमा अछूत हो गई। उसको फिर गंगा जल से, दूध से धोया जाता है, यह इसी देश में, इसी दुनिया में होता है और यह क्या है, यह देश

[श्री पीताम्बर पासवान]

क्या है, यह समाज क्या है, इसकी क्या मानसिकता है, यह सोचने की जरूरत है, अपने-अपने कलेजे पर हाथ रख कर सोचने की जरूरत है कि आप किस को क्या करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में आज आजादी के 50वें साल बाद हमको विरासत में, संविधान में अधिकार और सम्मान बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया और आज उनको जूते की माला से सम्मानित किया जाता है। ये कौन लोग हैं, कौन शक्ति हैं? वही शक्ति है जिस ने कभी शम्बूक की हत्या की थी, एकलव्य का अंगूठा काटा था और बाबू जगजीवन राम जी द्वारा प्रतिमा का अनावरण हुआ था, उसको गंगा जल से, दूध से धोने का काम हुआ था।

महोदय, महाराष्ट्र में क्या नहीं हुआ। जब अपने कुलगुरू, दलितों के मसीहा, दलितों के भगवान की प्रतिमा पर जूते की माला दलित देखते हैं तो किस की आत्मा नहीं कराहेगी, कौन दलित ऐसा होगा जो अपने भगवान के ऊपर जूते की माला देख कर दुखी नहीं होगा और जब दलित अपनी आवाज उठाता है तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। विरोधी दल के नेता कांग्रेस पार्टी के एक माननीय सदस्य जब दलितों की बात उठाते हैं तो उनके घर से सामान निकाला जाता है, घर के लोगों को बेइज्जत किया जाता है, पीटा जाता है, उनके सामान को जलाया जाता है।

कैसे कोई हिम्मत करेगा किसी दलित की रक्षा करने की। यह नैतिकता का प्रश्न है।

सभापति महोदय : अच्छा पासवान साहब, आप कल कान्टीन्यू करिये।

अब सभा कल 30 जुलाई, 1997 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 30 जुलाई 1997/8 श्रावण, 1919 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48/15/5/97 (एन.)

© 1997 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।